बाबासाहेब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

जन्म : 14 अप्रैल, 1891 परिनिर्वाण 6 दिसंबर, 1956

बाबासाहेब

डॉ. अम्बेडकर

सम्पूर्ण वाङ्मय

खंड 29

डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय

खंड : 29
प्रारूप संविधान : भाग II (खंड–6) (30.7.1949 से 16.9.1949)

पहला संस्करण : 2019 (जून)
दूसरा संस्करण : 2020 (अगस्त)

ISBN : 978-93-5109-137-0

आवरण परिकल्पना : डॉ. देबेन्द्र प्रसाद माझी, पी.एच.डी.

पुस्तक के आवरण पर उपयोग किया गया मोनोग्राम बाबासाहेब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के लेटरहेड से साभार

ISBN (सेट) : **978-93-5109-129-5**

रियायत के अनुसार सामान्य (पेपरबैक) 1 सेट (खंड 1–40) का मूल्य : रू 1073/-
रियायत नीति (Discount Policy) संलग्न है,

प्रकाशकः
डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार
15 जनपथ, नई दिल्ली – 110 001
फोन : 011–23320571
जनसंपर्क अधिकारी फोन : 011–23320588
वेबसाइट :http://drambedkarwritings.gov.in
Email-Id :cwbadaf17@gmail.com

मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स प्रा.लि., W-30 ओखला, फेज–2, नई दिल्ली–110020

परामर्श सहयोग

डॉ. थावरचन्द गेहलोत

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार

एवं

अध्यक्ष, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

श्री रामदास अठावले

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

श्री कृष्णपाल गुर्जर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

श्री रतनलाल कटारिया

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

श्री आर. सुबह्मण्यम

सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार

सुश्री उपमा श्रीवास्तव

अतिरिक्त सचिव एवं सदस्य सचिव, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

डॉ. देबेन्द्र प्रसाद माझी, पी.एच.डी.

निदेशक

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

डॉ. बृजेश कुमार

संयोजक, सी.डब्ल्यू.बी.ए.

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

सकंलन (अंग्रेजी)

श्री वसंत मून

सत्यमेव जयते

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA
तथा
अध्यक्ष, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
CHAIRPERSON, DR. AMBEDKAR FOUNDATION

संदेश

स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माता डॉ. अम्बेडकर, बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। डॉ. अम्बेडकर एक उत्कृष्ट बुद्धिजीवी, प्रकाण्ड विद्वान, सफल राजनीतिज्ञ, कानूनविद्, अर्थशास्त्री और जनप्रिय नायक थे। वे शोषितों, महिलाओं और गरीबों के मुक्तिदाता थे। डॉ. अम्बेडकर सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष के प्रतीक है। डॉ. अम्बेडकर ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में लोकतंत्र की वकालत की। एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में डॉ. अम्बेडकर का योगदान अतुलनीय है।

डॉ. अम्बेडकर के लेख एवं भाषण क्रांतिकारी वैचारिकता एवं नैतिकता के दर्शन–सूत्र है। भारतीय समाज के साथ–साथ संपूर्ण विश्व में जहां कहीं भी विषमतावादी भेदभाव या छुआछूत मौजूद है, ऐसे समस्त समाज को दमन, शोषण तथा अन्याय से मुक्त करने के लिए डॉ. अम्बेडकर का दृष्टिकोण और जीवन–संघर्ष एक उज्ज्वल पथ प्रशस्त करता है। समतामूलक, स्वतंत्रता की गरिमा से पूर्ण, बंधुता वाले एक समाज के निर्माण के लिए डॉ. अम्बेडकर ने देश की जनता का आह्वान किया था।

डॉ. अम्बेडकर ने शोषितों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं को जो महत्त्वपूर्ण संदेश दिए, वे एक प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण के लिए अनिवार्य दस्तावेज है। तत्कालीन विभिन्न विषयों पर डॉ. अम्बेडकर का चिंतन–मनन और निष्कर्ष जितना उस समय महत्त्वपूर्ण था, उससे कहीं अधिक आज प्रासंगिक हो गया है। बाबासाहेब की महत्तर मेधा के आलोक में हम अपने जीवन, समाज राष्ट्र और विश्व को प्रगति की राह पर आगे बढ़ा सकते हैं। समता, बंधुता और न्याय पर आधारित डॉ. अम्बेडकर के स्वप्न का समाज–"सबका साथ सबका विकास" की अवधारणा को स्वीकार करके ही प्राप्त किया जा सकता है।

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्न्ता हो रही है, कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का स्वायत्तशासी संस्थान, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, "बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर : संपूर्ण वांग्मय" के अन्य अप्रकाशित खण्ड 22 से 40 तक की पुस्तकों को, बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के अनुयायियों और देश के आम जन–मानस की मांग को देखते हुए मुद्रत किया जा रहा है।

विद्वान, पाठकगण इन खंडों के बारे में हमें अपने अमूल्य सुझाव से अवगत कराएंगे तो हिंदी में अनुदित इन खंडों के आगामी संस्करणों को और बेहतर बनाने में सहयोग प्राप्त हो सकेगा।

(डॉ. थावरचंद गेहलोत)

बाबासाहेब अम्बेडकर के सम्पूर्ण वाङ्मय (Complete CWBA Vols.) का विमोचन

हिंदी और अंग्रेजी में CWBA / सम्पूर्ण वाङ्मय, (Complete Volumes) बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के संग्रहित कार्यों के संपूर्ण खण्ड, डॉ. थावरचंद गेहलोत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, और अध्यक्ष, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी किया गया है। साथ ही डॉ. देबेन्द्र प्रसाद माझी, निदेशक, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान और श्री सुरेन्द्र सिंह, सदस्य सचिव भी इस अवसर पर उपस्थित थे। हिंदी के खंड 22 से खंड 40 तक 2019 में पहली बार प्रकाशित हुए है।

उपमा श्रीवास्तव, आई.ए.एस.
अपर सचिव
UPMA SRIVASTAVA, IAS
Additional Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
Government of India
Ministry of Social Justice & Empowerment
Shastri Bhawan, New Delhi-110001
Tel. : 011-23383077 Fax : 011-23383956
E-mail : as-sje@nic.in

प्राक्कथन

भारतरत्न डॉ. बी.आर. अम्बेडकर भारतीय सामाजिक–राजनीतिक आंदोलन के ऐसे पुरोधा रहे हैं, जिन्होंने जीवनपर्यंत समाज के आख़िरी पायदान पर संघर्षरत् व्यक्तियों की बेहतरी के लिए कार्य किया। डॉ. अम्बेडकर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे इसलिए उनके लेखों में विषय की दार्शनिक मीमांसा प्रस्फुटित होती है। बाबासाहेब का चिंतन एवं कार्य समाज को बौद्धिक, आर्थिक एवं राजनैतिक समृद्धि की ओर ले जाने वाला तो है ही, साथ ही मनुष्य को जागरूक मानवीय गरिमा की आध्यात्मिकता से सुसंस्कृत भी करता है।

बाबासाहेब का संपूर्ण जीवन दमन, शोषण और अन्याय के विरुद्ध अनवरत क्रांति की शौर्य–गाथा है। वे एक ऐसा समाज चाहते थे जिसमें वर्ण और जाति का आधार नहीं बल्कि समता व मानवीय गरिमा सर्वोपरि हो और समाज में जन्म, वंश और लिंग के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव की कोई गुंजाइश न हो। समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के प्रति कृतसंकल्प बाबासाहेब का लेखन प्रबुद्ध मेधा का प्रामाणिक दस्तावेज़ है।

भारतीय समाज में व्याप्त विषमतावादी वर्णव्यवस्था से डॉ. अम्बेडकर कई बार टकराए। इस टकराहट से डॉ. अम्बेडकर में ऐसा जज़्बा पैदा हुआ, जिसके कारण उन्होंने समतावादी समाज की संरचना को अपने जीवन का मिशन बना लिया।

समतावादी समाज के निर्माण की प्रतिबद्धता के कारण डॉ. अम्बेडकर ने विभिन्न धर्मों की सामाजिक, धार्मिक व्यवस्था का अध्ययन व तुलनात्मक चिंतन–मनन किया।

मैं प्रतिष्ठान की ओर से माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ जिनके सद्परामर्श एवं प्रेरणा से प्रतिष्ठान के कार्यों में अपूर्व प्रगति आई है।

उपमा श्रीवास्तव

(उपमा श्रीवास्तव)
अतिरिक्त सचिव
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार, एवं
सदस्य सचिव

प्रस्तावना

बाबासाहेब डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर एक प्रखर व्यक्तित्व, ज्ञान के प्रतीक और भारत के सुपुत्र थे। वह एक सार्वजनिक बौद्धिक, सामाजिक क्रांतिकारी और एक विशाल क्षमता संपन्न विचारक थे। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों के व्यावहारिक विश्लेषण के साथ–साथ अंतःविषयक दृष्टिकोणों को अपने लेखन और भाषणों के माध्य से प्रभावित किया जो बौद्धिक विषयों और भावनाओं को अभिव्यक्त एवं आंदोलित किया। उनके लेखन में वंचित वर्ग के लोगों के लिए प्रकट न्याय और मुक्ति की गहरी भावना है। उन्होंने न केवल समाज के वंचित वर्गों की स्थितियों को सुधारने के लिए अपना जीवन समर्पित किया, बल्कि समन्वय और 'सामाजिक समरसता' पर उनके विचार राष्ट्रीय प्रयास को प्रेरित करते रहे। उम्मीद है कि ये खंड उनके विचारों को समकालीन प्रासंगिकता प्रदान कर सकते हैं और वर्तमान समय के संदर्भ में डॉ. अम्बेडकर के पुनःपाठ की संभावनाओं को उपस्थित कर सकते हैं।

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, भारत के साथ–साथ विदेशों में भी जनता के बीच बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर की विचारधारा और संदेश के प्रचार–प्रसार हेतु स्थापित किया गया है। यह बहुत ख़ुशी की बात है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के नेतृत्व में प्रतिष्ठान के शासी निकाय के एक निर्णय के परिणामस्वरूप, तथा पाठकों की लोकप्रिय माँग पर डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, बाबासाहेब अम्बेडकर के हिंदी में संपूर्ण वांग्मय (Complete CWBA Volumes) का दूसरा संस्करण पुनर्मुद्रित कर रहा है।

मैं संयोजक, अनुवादकों, पुनरीक्षकों, आदि सभी सहयोगियों, एवं डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान में अपनी सहायक, कुमारी रेनू और लेखापाल, श्री नन्दू शॉ के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जिनकी निष्ठा एवं सतत् प्रयत्न से यह कार्य संपन्न किया जा सका है।

विद्वान एवं पाठकगण इन खंडों के बारे में सुझाव से डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान को उसकी वैधानिक ई–मेल आई.डी. **cwbadaf17@gmail.com** पर अवगत कराएं ताकि, अनुदित इन खंडों के आगामी संस्करणों को और बेहतर बनाने में सहयोग प्राप्त हो सकेगा।

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान हमेशा पाठकों को रियायती कीमत पर खंड उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करता रहा है, तदनुसार आगामी संस्करण का भी रियायत नीति (Discount Policy) के साथ बिक्री जारी रखने का निर्णय लिया गया है। अतः प्रत्येक खंड के साथ प्रतिष्ठान की छूट नीति को संलग्न कर दिया गया है। आशा है कि ये खंड पाठकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे।

(डॉ. देबेन्द्र प्रसाद माझी)
निदेशक, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार,

15, जनपथ,
नई दिल्ली

विषय सूची

संविधान प्रारूप

धारा 291

भाग – VIII क

सूची

सूची I

सूची II

सातवीं अनुसूची (जारी) सूची III
समवर्ती सूची

पाचंवी अनुसूची अनुच्छेद 244(1)

भाग क

भाग ख

भाग ग

भाग घ

छठवीं अनुसूची

सातवीं अनुसूची

प्रारूप संविधान

नया भाग XIV-क (जारी)

अध्याय VIII

नया अनुच्छेद 79–अ

*[*] **माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (बम्बई : जनरल)** : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि संशोधन के संशोधन की सूची I (प्रथम सप्ताह) की संशोधन संख्या 1 में, नये अनुच्छेद 79–अ के प्रस्ताव के लिए अधोलिखित को प्रतिस्थापित किया जाय :–

संसदीय सचिवालय "79–अ(1) संसद के प्रत्येक सदन का अपना अलग सचिवालय स्टाफ होगाः

बशर्तें कि इस खण्ड में उक्त किसी बात का यह अर्थ न लगाया जाय कि वह संसद के दोनों सदनों में समान पदों को सृजन करने में निरोधक है।

(2) संसद कानून द्वारा संसद के किसी भी सदन में व्यक्तियों की नियुक्ति के संबंध में सचिवालयी स्टाफ की भर्ती और सेवा की शर्तों को नियमित कर सकती है।

(3) जब तक इस अनुच्छेद की धारा (2) के अन्तर्गत संसद द्वारा व्यवस्था नहीं की जाती, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति जैसी भी स्थिति हो, के साथ परामर्श करने के बाद लोकसभा या राज्यसभा के सचिवालयी स्टाफ में व्यक्तियों की भर्ती और उनकी नियुक्ति की शर्तों को नियमित करने वाले नियम बना सकता है और इस तरह बनाया गया कोई भी नियम इस धारा के अन्तर्गत बनाये गए कानून की व्यवस्था के अधीन प्रभावी होगा।

सदन ध्यान देगा कि यह एक नया अनुच्छेद है जिसे संविधान में सन्निविष्ट कराया जाना है। प्रारुपण समिति को इस तरह का अनुच्छेद सन्निविष्ट करने के लिए क्यों आवश्यकता महसूस हुई, इसका कारण अभी हाल में विभिन्न प्रांतों के विधानसभा अध्यक्षों द्वारा किए गए सम्मेलन में निहित है जिसमें यह कहा गया था कि इस तरह की व्यवस्था संविधान में की जानी चाहिए।

जैसा कि इस सदन में प्रत्येक व्यक्ति संभवतः जानता है कि यह एक कार्यकारी

---

[*] सीएडी, खण्ड IX, 30 जुलाई 1949, पृष्ठ 2–3

सरकार तथा सभाध्यक्ष के बीच उस समय से ही विवाद का विषय है जब स्वर्गीय विट्ठलभाई पटेल से सभा के अध्यक्ष की कुर्सी संभालने का अनुरोध किया गया था। कार्यकारी सरकार तथा सभाध्यक्ष के बीच विवाद जारी रहा था। अध्यक्ष ने मत प्रकट किया था कि सभा का सचिवालय कार्यकारी सरकार पर निर्भर नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ तत्कालीन कार्यकारी सरकार का यह मत था कि कार्यपालिका को अध्यक्ष की इच्छाओं तथा नियंत्रण की परवाह न करते हुए विधानसभा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्मिकों व स्टाफ की नियुक्ति का अधिकार है। अन्ततः कार्यकारी सरकार ने 1928 या 1929 में विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष समर्पण कर दिया और तत्कालीन अध्यक्ष का मत स्वीकार कर विधानसभा के लिए एक आत्मनिर्भर सचिवालय बना दिया। इसलिए, जहाँ तक केन्द्रीय सभा का सम्बन्ध है वहाँ अनुच्छेद 79अ से वास्तव में कोई बदलाव प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि अनुच्छेद 79अ की धारा (1) में यह एक विद्यमान तथ्य है।

परन्तु, यह ध्यान दिलाया गया कि यह प्रक्रिया जो कि केन्द्रीय विधानपालिका द्वारा 1928 या 1929 में अपनायी गयी है उसका विभिन्न प्रांतीय विधानपालिकाओं द्वारा अनुकरण नहीं किया जाता है। कुछ प्रांतों में यह रिवाज अब तक जारी है जिसके अन्तर्गत एक अधिकारी, जो कि विधानपालिका विभाग के अनुशासनात्मक न्यायक्षेत्र के अधीन होता है और जो विधानसभा के सचिव के रूप में कार्य करता है, नियुक्त किया जाता है। परिणामस्वरूप, उस अधिकारी पर दोहरा नियंत्रण होता है, विभाग का नियंत्रण, जिसका वह अधिकारी है और अध्यक्ष का नियंत्रण, जिसके नीचे वह उस समय सेवारत है। यह मत व्यक्त किया जाता है कि यह अध्यक्ष की गरिमा और विधानसभा की स्वतंत्रता के लिए अपमानजनक है।

अध्यक्षों के सम्मेलन में विभिन्न प्रस्ताव यह आग्रह करते हुए प्रस्तुत किए गए कि संविधान में इस व्यवस्था के अतिरिक्त और कई व्यवस्थायें की जानी चाहिएं जिससे कि संख्या, नियुक्ति, सेवा की शर्तों इत्यादि को नियमित किया जा सके। प्रारूपण समिति अध्यक्षों के सम्मेलन में उठाये गये अन्य विवादों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। उनका विचार था कि यह पर्याप्त होगा यदि संविधान में एक सरल धारा हो, जिसमें यह कहा गया हो कि संसद के पास अलग से सचिवालयी स्टाफ होना चाहिए और शेष मामले संसद द्वारा नियमित किए जाने के लिए छोड़ देने चाहिए। धारा (3) में व्यवस्था है कि जब तक संसद द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की जाती, राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के साथ परामर्श कर भर्ती और सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में नियम बना सकता है। जब संसद कानून बनाती है तो वह कानून राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के साथ परामर्श कर बनाये गये अस्थायी नियम की अवहेलना करेगा। मेरा विचार है

कि जो व्यवस्था हमने की है वह उस मुख्य कठिनाई से निपटने के लिए पर्याप्त है जिसकी ओर अध्यक्षों के सम्मेलन में ध्यान आकर्षित किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि सदन को इस नये अनुच्छेद को स्वीकार करने में कोई कठिनाई न होगी।

[सूची II (प्रथम सप्ताह) के संशोधन 43 और 44 प्रस्तावित नहीं किए गये।]

* * * *

महोदय, मेरे फैसले में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है जिसका उत्तर देने की आवश्यकता हो।

[सभी आठों संशोधन नकार दिए गये। डॉ. अम्बेडकर का प्रस्ताव जैसा कि ऊपर दिखाया गया है अपना लिया गया।]

नया अनुच्छेद 79अ संविधान में जोड़ दिया गया।

---

*. सीएडी, खंड IX, 30 जुलाई, 1949, पृ. 9

अनुच्छेद 104

*माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि अनुच्छेद 104 के लिए, अधोलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाय :

न्यायाधीशों के वेतन आदि "104. (1) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उतना वेतन दिया जायेगा जितने के लिए द्वितीय अनुसूची में विशेष रूप से इसका उल्लेख है।

(2) प्रत्येक न्यायाधीश इस प्रकार के विशेषाधिकारों और भत्तों तथा अनुपस्थिति की छुट्टी तथा पेंशन के संबंध में जो कि समय–समय पर संसद द्वारा या संसद के द्वारा बनाये गये कानून के अंतर्गत तय किए जा सकते हैं और जब तक तय नहीं किए जाते, द्वितीय अनुसूची में विशेष रूप से उल्लिखित ऐसे विशेषाधिकारों, भत्तों और अधिकारों का अधिकारी होगाः

बशर्ते कि न्यायाधीश के न तो विशेषाधिकार, न ही भत्ते और न ही पेंशन या अनुपस्थिति की छुट्टी के संबंध में उसके अधिकार उसकी नियुक्ति के बाद उसके नुकसान हेतु बदले जायेंगे।"

महोदय, जो कुछ मुझे कहने की आवश्यकता है वह यह कि प्रस्तुत अनुच्छेद मूल अनुच्छेद के समान है सिवाय इसके कि इसमें एक शब्द –'विशेषाधिकार' जोड़ा गया है। जो कि मूल पाठ में नहीं है। वे विषेशाधिकार क्या है इस पर चर्चा करने के लिए मैं अभी नहीं रूकूंगा। हम उन पर तब चर्चा करेंगे जब हम द्वितीय अनुसूची पर आयेंगे। जहाँ पर उनमें से कुछ का विशेष तौर पर उल्लेख मिलता है।

**श्री आर. के. सिधवा : .... महोदय, जब तक आप इस अनुसूची की भाषा में संशोधन नहीं करते, मेरे विचार में, यह अनुच्छेद एक भ्रम की स्थिति में होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि इस अनुच्छेद, जिसका डॉ. अम्बेडकर ने प्रस्ताव किया है, के संशोधन के क्या निहितार्थ होंगे। मैं देखता हूँ कि उन्होंने अनुसूची का कोई हवाला नहीं दिया है और मैं नहीं जानता कि इसके बाद वे अनुसूची का हवाला देंगे क्योंकि उससे मामला जटिल हो जायेगा और यदि मामले को संसद पर छोड़ा जाता है, जो कि सदन की इच्छाओं के विरुद्ध आदेश पारित कर सकता है कि मुख्य न्यायाधीश को एक सुसज्जित घर प्रदान किया जा सकता है, तो उद्देश्य विफल हो जायगा।

*माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मैं अपने

---

* सीएडी, खण्ड IX, 30 जुलाई, 1949, पृ. 10

** वही, पृष्ठ 10

माननीय दोस्त कुंजरू द्वारा प्रस्तावित संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता और मेरे विचार में इस संशोधन को अस्वीकार कने के लिए दो वैध आपत्तियां हैं जो सदन के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती हैं। प्रथम स्थान पर, सिद्धांत जिसके लिए वे संघर्ष कर रहे हैं के संबंध में, उदाहरणार्थ, न्यायाधीश के वेतन और पेंशन संबंधी अधिकार जो एक बार जब उसकी नियुक्ति हो जाती है उसके पास आ जाते हैं और संसद द्वारा बनाये गये किसी ऐसे नियम जो संसद इस विशेष मामले के संबंध में बना सकती है बदले जाने जरूरी नहीं हैं। मेरे विचार में जहाँ तक मेरे नए अनुच्छेद का संबंध है, मैंने उस मामले को संसद के न्यायक्षेत्र से बाहर रखा है। इसमें संदेह नहीं कि संसद को समय–समय पर भत्ते, पेंशन आदि में बदलाव के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, लेकिन अनुच्छेद में इसकी व्यवस्था की गयी है कि यह कानून नये न्यायाधीशों पर ही लागू होगा और पुराने न्यायाधीशों पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा यदि वे उनके पास जमा हो गये अधिकारों का विरोधी है। इस प्रकार जहाँ तक सिद्धांत का संबंध है जिसके लिए वह संघर्ष कर रहे हैं वह सिद्धांत पहले से ही अनुच्छेद का अंग बना लिया गया है।

एक अन्य दृष्टिकोण से, उनका संशोधन काफी आपत्तिजनक प्रतीत होता है और इसका कारण आगे उल्लिखित है। जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि पेंशन का वेतन तथा वर्षों की संख्या जब तक न्यायाधीश ने सेवा की है, के साथ एक निश्चित संबंध होता है। कहने का तात्पर्य है, जैसा कि मेरे माननीय दोस्त पंडित कुंजरू ने सुझाव दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उतने वेतन से कम वेतन, जितने वेतन का उनमें से प्रत्येक न्यायाधीश संघीय अदालत के न्यायाधीशों पर लागू नियमों के मुताबिक अधिकारी होता है, नहीं मिलना चाहिए वे यह मानते हुए प्रतीत होते हैं कि संघीय अदालत का न्यायाधीश यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है तो उसको उतना ही वेतन मिलना जारी रहेगा जितना कि उसे मिल रहा है। अन्यथा यह इस सिद्धांत का उल्लंघन होगा कि पेंशन वेतन और वर्षों की संख्या, जब तक व्यक्ति ने सेवा की है, के द्वारा नियमित की जाती है। हम अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं कि संघीय अदालत के न्यायाधीशों को जब उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया जाता है वही वेतन मिलना जारी रहना चाहिए या नहीं जो उन्हें मिल रहा है। जैसा मैंने कहा यह मामला निर्णीत नहीं हुआ है और मुझे बहुत अधिक संदेह है (मैं पूर्वानुमान में कह सकता हूँ) कि क्या प्रारूपण समिति के लिए सम्भव होगा कि वह वर्तमान न्यायाधीशों व नये न्यायाधीशों के वेतन के संबंध में इस प्रकार के प्रभेद का परामर्श दे। इसलिए यह संशोधन अपरिपक्व है।

---

*. सीएडी, खंड IX, 30 जुलाई, 1949, पृष्ठ 12–13

अगर सदन माननीय दोस्त पं. कुंजरू का यह सिद्धांत स्वीकार कर लेता है जिसमें वह यह विवाद कर रहे हैं कि संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों को वही वेतन मिलते रहना चाहिए तब इस तरह का संशोधन जिसका उन्होंने प्रस्ताव किया है सुझाने के पीछे शायद कोई तो कारण रहा होगा। इस समय मैं मानता हूँ कि यह बिल्कुल अनावश्यक है और इसे स्वीकार करना असम्भव है क्योंकि यह इस आधार पर पेंशन संस्थापित करने का प्रयत्न करता है कि वर्तमान वेतन जारी रहेगा और यह सिद्धांत ऐसा है जिसे सदन ने स्वीकार नहीं किया है।

श्री आर. के. सिधवा : माननीय डॉ अम्बेडकर ने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया है कि किस प्रकार संसद मुख्य न्यायाधीश को सुसज्जित घर देने के लिए सक्षम है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : हम इसे अस्वीकार नहीं कर रहे हैं। सुसज्जित घर के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। हम इस पर चर्चा करेंगे।

[पंडित कुंजरू का संशोधन नकार दिया गया और डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव जैसा कि पहले दिखाया गया है स्वीकार कर लिया गया। अनुच्छेद 104, यथा–संशोधित संविधान में जोड़ दिया गया।]

नया अनुच्छेद 148अ

*माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** महोदय, मैं प्रस्ताव रखता हूँ:

राज्यों की विधानपरिषद का उन्मूलन या उत्पत्ति

कि अनुच्छेद 148 के बाद नया अधोलिखित अनुच्छेद सन्निविष्ट किया जाए:

"148अ. (1) संविधान के अनुच्छेद 148 में लिखित किसी बात को न रोकते हुए, संसद कानून के द्वारा किसी राज्य जिसमें विधानपरिषद हैं उस विधानपरषिद के उन्मूलन के लिए या किसी राज्य जिसमें विधानपरिषद नहीं है वहाँ विधानपरिषद की उत्पत्ति के लिए व्यवस्था कर सकती है, यदि उस राज्य की विधानसभा उसकी पूर्ण सदस्यता के बहुमत द्वारा और विधानसभा में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित करती है।

(2) इस अनुच्छेद की धारा (1) के संदर्भ में किसी कानून में संविधान के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध होंगे जो उस कानून के इन उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं और ऐसे प्रासंगिक तथा परिणामी उपबंध भी हो सकते हैं

---

* सीएडी, खण्ड IX, 30 जुलाई, 1949, पृ. 13–14

जिन्हें संसद आवश्यक मान सकती है।

(3) उपरिलिखित कोई भी नियम अनुच्छेद 304 के लिए संविधान का संशोधन नहीं माना जायेगा।"

जैसा कि माननीय सदस्य पायेंगे यह नया अनुच्छेद 148अ दो संभावनायें व्यक्त करता हैः (i) उन राज्यों में द्वितीय सदन के उन्मूलन के लिए जिनमें संविधान की शुरूआत पर द्वितीय सदन होगा (ii) उस राज्य में विधानपरिषद की उत्पत्ति के लिए जिसने संविधान की शुरूआत में विधानपरिषद की उत्पत्ति करने का निर्णय लिया है लेकिन बाद में उसके गठन का निर्णय कर सकता है।

विधानपरिषद के गठन के लिए इस अनुच्छेद का उपबंध भारत सरकार अधिनियम अनुच्छेद 60 में निहित उपबंधों का तथा अनुच्छेद 308 का जो उसके उन्मूलन की व्यवस्था करता है बहुत समीपता से अनुकरण करता है। यहाँ उत्पत्ति और उन्मूलन की जो प्रक्रिया अपनायी गई है वह यह है कि मामले को वास्तव में निचले सदन पर छोड़ दिया जाता है जो कि प्रस्ताव द्वारा किसी भी प्रक्रिया की अपने निर्णय के आधार पर सिफारिश कर सकता है। या तो द्वितीय सदन के उन्मूलन या उसकी उत्पत्ति में किये गये किसी बदलाव को सरल बनाने के लिए, व्यवस्था की गई है कि ऐसा कानून संविधान का संशोधन नहीं माना जायेगा ताकि कठिन प्रक्रिया जिसकी संविधान के संशोधन के लिए प्रारूप संविधान में व्यवस्था है का निराकरण किया जा सके।

मैं इस सदन में इस अनुच्छेद की सिफारिश करता हूँ।

* * * *

*[*] **माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर** : मैं नहीं समझता कि किसी उत्तर की आवश्यकता है।

माननीय सभापति : मैं अब संशोधनों पर मतदान कराऊंगा। मैं प्रो. सक्सेना का संशोधन पहले लूंगा और इसको दो भागों में रखूंगा।

[तीन संशोधनों को नकार दिया गया, एक वापस ले लिया गया और डॉ. अम्बेडकर का प्रस्ताव जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है अपना लिया गया। नया अनुच्छेद 148अ संविधान में जोड़ दिया गया]

---

*. सीएडी, खण्ड IX, 30 जुलाई, 1949, पृ. 20

अनुच्छेद 150

*माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँः कि अनुच्छेद 150 के लिए, अधोलिखित प्रतिस्थापित किया जायः

विधान परिषद्ो का संघटन

"150 (1) किसी राज्य की विधानपरिषद् जिसमें इस प्रकार की विधानपरिषद् है के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

बशर्ते कि किसी राज्य की विधान परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी सूरत में चालीस से कम नहीं होगी।

(2) किसी राज्य की विधानपरिषद् की सीटों का वितरण, उन सीटों को भरने के लिए व्यक्तियों के चुनाव की प्रक्रिया, इस तरह चुने जाने वाले व्यक्तियों का योग्यताओं से युक्त होना और वह योग्यता, जो व्यक्तियों को इस प्रकार के व्यक्तियों के चुनाव के लिए मतदान करने का अधिकारी बनाती है, संसद के द्वारा सिफारिश किए गये कानून के अनुसार होंगे।

मूल अनुच्छेद का प्रारूपण समिति के प्रथम प्रारूप के अनुच्छेद 60 में अंशतः प्रतिरूपण कर दिया गया था। अब, सदन याद करेगा कि मूल प्रारूप का अनुच्छेद 60 केन्द्र में उच्च/ऊपरी सदन के संघटन से सम्बन्धित है। किन्हीं कारणों से जिनमें हमें अभी जाने की आवश्यकता नहीं है, सदन ने पुराने अनुच्छेद 60 में निहित सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया था। इसलिए प्रारूपण समिति ने महसूस किया कि उस सिद्धांत को बनाये रखना सुसंगत नहीं होगा जिसको राज्यों के लिए ऊपरी सदन के संघटन में पहले से ही त्याग दिया गया है। परिणामस्वरूप, प्रारूपण समिति के सामने कोई विकल्प सुझाने की समस्या नहीं आयी। अब मुझे अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि ऊपरी सदन के संघटन के सम्बन्ध में प्रारूपण समिति किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी थी। फलस्वरूप उन्होंने निर्णय लिया– आप कह सकते हैं कि उन्होंने मुसीबत को केवल आगे बढ़ा दिया–मामले को संसद पर छोड़ दिया। इस समय मैं नहीं सोचता कि प्रारूपण समिति कोई निश्चित प्रस्ताव सदन के अपनाने के लिए सुझा सकती थी और इसलिए उन्होंने वह अपनाया है जिसका अनुच्छेद 150 के उपखण्ड (2) का प्रस्ताव करने के लिए कम से कम संविधान सिफारिश करता है कि कुछ राज्यों में द्वितीय सदन होगा, जैसा कि अनुच्छेद 148 में हैं, लेकिन

---
* सीएडी, खण्ड IX, 30 जुलाई, 1949, पृ. 21–22

द्वितीय सदन के गठन का मामला संसद पर छोड़ दिया गया है।

निःसंदेह ये अनियमिततायें हैं। इस समय इन अनियमितताओं को दूर करने के लिए कोई तरीका नहीं है और इसलिए मैं सदन से अभी के लिए जैसा कि अनुच्छेद 150 में सन्निहित है प्रारूपण समिति के प्रस्ताव जो मैंने रखा है को स्वीकार करने का आग्रह करता हूँ।

[सूची III (प्रथम सप्ताह) की संशोधन संख्या 90 प्रस्तावित नहीं की गई]

श्री एच. वी. कामथः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि संशोधन के संशोधन की सूची I (प्रथम सप्ताह) की संशोधन सं. 5 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 150 की धारा (2) में 'चुने जाने के लिए योग्यतायें होना' शब्दों को परिषद् की सदस्यता के लिए योग्यतायें और अयोग्तायें' शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाय।"

सदन ध्यान देगा कि राज्य विधानपालिका के सदस्यों के चुनाव के संबंध में एक पूर्व अवसर पर उन्होंने संबद्ध हिस्सों में विभिन्न अनुच्छेदों को अपनाया। मैं उदाहरणार्थ सदन का ध्यान अनुच्छेद 167 पर आमंत्रित करूंगा जो कि विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्यताओं के साथ उन योग्यताओं को निर्धारित करता है जो पहले व्यक्त की जा चुकी हैं। द्वितीय सदन में प्रतिनिधित्व प्रदान करने और इस परिषद् के सदस्यों के चुनाव के लिए मैं नहीं समझता कि क्यों इस सदन को समान वैधता, समान कारण तथा समान बल से ऊपरी सदन में चुने जाने वाले सदस्यों की केवल योग्यताओं का ही नहीं बल्कि अयोग्यताओं का भी निर्धारण नहीं करना चाहिए।

अनुच्छेद 167 निर्धारित करता है कि कैसे विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत किसी सदस्य को किसी राज्य की विधानसभा और विधानपरिषद् का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य करार दिया जाना है। इसलिए मैं कोई कारण नहीं देखता जिसकी वजह से यही बात उस अनुच्छेद 150 में साफ तौर पर नहीं कही जानी चाहिए जिसका डॉ. अम्बेडकर ने प्रस्ताव किया है।

इस अनुच्छेद के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात है और वह यह है। नया अनुच्छेद निर्धारित करता है कि विधानपरिषद् के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन के सदस्यों की कुल संख्या की एक–चौथाई या 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह आगे भी एक उपबन्ध में निर्धारित किया जाता है "बशर्ते कि किसी राज्य की विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या किसी भी सूरत में चालिस से कम नहीं हो, इन स्थितियों में इन दोनों का मेल कैसे हो सकता है। #उदाहरणार्थ –

हमने अनुच्छेद 148 अंगीकृत किया...

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकरः मैं माननीय सदस्य से अनुच्छेद 167 को फिर से पढ़ने के लिए कहूँगा।

श्री एच. वी. कामथ : मैं अगली बात के बारे में बात कर रहा हूँ।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : पहली बात के बारे में क्या विचार है ? क्या आप इसके पक्ष में हैं?

श्री एच. वी. कामथ : मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। डॉ. अम्बेडकर कहते हैं कि अनुच्छेद 167 अयोग्यतायें निर्धारित करता है ....

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : विधानसभा और विधानपरिषद् दोनों के लिए

* * * *

***श्री नजीरुद्दीन (पश्चिम बंगाल : मुसलमान) :** ..... यह अनुच्छेद बहुत सरल और अहानिकर दिखलाई देता है और इसका प्रभाव है कि विधानपरिषद् के सदस्यों की संख्या 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

माननीय डॉ बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं नियमापत्ति पर विद्रोह करता हूँ। मेरे मित्र उस प्रारूप की आलोचना कर रहे हैं जो सदन के सामने नहीं है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मैं यह दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि किस तरह आज के संशोधन में यह असंतोषजनक परिस्थिति उत्पन्न हुई।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह सदस्यों के समक्ष नहीं है।

* * * *

****माननीय डॉ बी. आर. अम्बेडकर :** महोदय, यहाँ चर्चा के दो बिन्दु हैं जिनका मैं सोचता हूँ उत्तर देने की आवश्यकता है। चर्चा का प्रथम बिन्दु जो श्री कामथ तथा मेरे मित्र श्री नजीरुद्दीन अहमद ने उठाया था, कि किन्हीं राज्यों में ऊपरी सदन की सदस्यता तथा निचले सदन की सदस्यता के बीच कुछ मात्रा में असंतुलन है। उन्होंने उदाहरण भी दिया। यदि मैंने उन्हें सही सुना है मैं विश्वास करता हूँ कि उड़ीसा राज्य में निचले सदन के सदस्यों की संख्या संविधान के अनुच्छेद 149 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप 60 के लगभग होगी। परिणामस्वरूप, यदि ऊपरी

---

* सीएडी, खण्ड IX, 30 जुलाई, 1949, पृ. 27

** सीएडी, खंड IX, 30 जुलाई, 1949, पृ.पृ. 35–37

सदन के लिए कम से कम संख्या 40 थी तो उड़ीसा में ऊपरी सदन संख्या के अनुसार निचले सदन से असंतुलन होगा अब मैं सोचता हूँ मेरे मित्र, श्री नजीरुद्दीन अहमद ने उन परिस्थितियों पर विचार नहीं किया है जिन पर मध्यान्ह के दौरान हस्तक्षेप किया गया था। उदाहरणार्थ वे बिल्कुल भूल गये हैं कि उड़ीसा में कुछ ऐसे राज्यों का विलय हो जाने के बाद वह पहले से कहीं बड़ा राज्य हो गया है जो पहले उड़ीसा से स्वतंत्र थे और मैं समझता हूँ कि उन राज्यों के क्षेत्रफल और जनसंख्या को देखते हुए जो कि उड़ीसा की सीमाओं में शामिल की जायेंगी, निचले सदन में सदस्यों की संख्या 150 के आस–पास होगी। फलतः किसी असमानता की संभावना जिसकी ओर उन्होंने संकेत किया है अब नहीं है। मैं इस समय यह भी कह सकता हूँ कि यदि सदन अनुच्छेद 172 में जो कुछ प्रस्तावित है को पारित कर देता है जो ऊपरी सदन तथा निचले सदन के बीच मतान्तर के प्रश्न को नियमित करता है तो निचले सदन तथा ऊपरी सदन के बीच सिद्धांतों की असमानता का प्रश्न अपनी महत्ता खो देता है क्योंकि अनुच्छेद 172 के अंतर्गत अब हम उस समान प्रक्रिया को अपनाने का और प्रस्ताव नहीं करते जो केन्द्र में दोनों सदनों के संबंन्ध में अपनायी गयी थी। हम इसका प्रस्ताव करते हैं कि कुछ विशेष परिस्थितियों में निचले सदन का मत ऊपरी सदन के मत पर हावी होगा। फलतः ऊपरी सदन के पास अलग राजनीतिक स्वरूप होने की वजह से निचले सदन के बहुमत या भारी बहुमत के निर्णय को उलट सकने की सम्भावना नहीं होगी। मैं सोचता हूँ यह मेरे माननीय मित्र नजीरुद्दीन अहमद द्वारा उठाये गए चर्चा के पहले बिन्दु को पूर्णतया सुव्यवस्थित कर देता है।

मैं दूसरे प्रश्न पर आता हूँ जिसे मेरे माननीय मित्र, पं. लक्ष्मीकांत मैत्रा ने पुरजोर तरीके से उठाया है। उनका तर्क थाः यह संसद पर क्यों छोड़ना चाहिए? यह संसद पर कैसे छोड़ा जा सकता है ? मैं सोचता हूँ कि जो उत्तर मैं उन्हें किसी भी कीमत पर दे सकता हूँ जहाँ तक इसका मुझसे संबंध है संतोषजनक है। प्रथम दृष्टि में मैं उन्हें यह संकेत करना चाहूँगा कि यह नहीं मानना चाहिए कि प्रारुपण समिति ने किसी भी चरण में ऊपरी सदन के संघटन के लिए स्वयं संविधान में रचनात्मक प्रस्ताव नहीं रखा। यदि मेरे माननीय मित्र याद करेंगे कि मेरे और मेरे मित्र श्री टी. टी. कृष्णमाचारी के नाम में संशोधन के संशोधन की उस समेकित सूची की संशोधन संख्या 139 है जो बांटी जा चुकी है और उसमें वह पायेंगे कि ऊपरी सदन के संघटन के लिए रचनात्मक सुझाव दिया है। दुर्भाग्य से वह किसी अन्य स्थान पर स्वीकार नहीं किया गया है और परिणामस्वरूप हम नहीं सोचते कि इस तरह के संशोधन के लिए दबाव दिया जाना उपयुक्त है। इसलिए वे देखेंगे कि प्रारुपण समिति को उन सभी दोषों से अवश्य मुक्त कर दिया जाना चाहिए जो इस पर इस

मुश्किल को हल करने में किए गये प्रयत्न की वजह से हो सकते हैं; उन्होंने प्रयत्न अवश्य किया लेकिन वे सफल नहीं हुए। मेरे माननीय मित्र इसका भी अनुभव करेंगे कि प्रारुपण समिति के समक्ष एक साथ 28 संशोधन इस विषय पर रखे गये। वे इस सूची में 123 से 148 तक हैं। यदि वे उन संशोधनों को विस्तार से ध्यानपूर्वक पढ़ें तो उन्हें चकित कर देने वाले सुझावों की विविधता, विरोधी दृष्टिकोणों और विभिन्न संशोधनों का प्रस्ताव करने वालों की अपनी स्थिति से लचीला होने तथा एक समान निष्कर्ष पर पहुँचने की अनिच्छा का पता चलेगा। इस मुश्किल परिस्थिति की वजह से प्रारुपण समिति ने सोचा कि ऐसा सुझाव रखने के स्थान पर जो सदन को बहुमत से स्वीकार नहीं होगा, मामले को संसद पर छोड़ दिया जाए।

श्री एच. वी. कामथ : क्या डॉ. अम्बेडकर को पक्का यकीन है कि संसद को कम विविधताओं का सामना करना पड़ेगा ?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यदि मेरे माननीय मित्र मुझे समय देंगे तो मैं उस भाग का उत्तर भी दूंगा।

मेरे माननीय मित्र पं. मैत्रा कहते हैं: इसकी कल्पना कैसे की जा सकती है कि संविधान के उस हिस्से को जिसका ऊपरी सदन से सम्बन्ध है संसद द्वारा निश्चित किए जाने के लिए और जिसकी संविधान में व्यवस्था न करने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं? मैं सोचता हूँ मेरे माननीय मित्र पं. मैत्रा अनुभव करेंगे और मैं उन्हें निश्चित रूप से बताना चाहूँगा कि राज्यों तथा केन्द्र दोनों में निचले सदन के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था कर रहे हैं। यदि वे अनुच्छेद 149 देखेंगे जिसे हम पहले ही पारित कर चुके हैं तो उसमें हमने इतना ही कहा है कि चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन को संचालित करने के लिए कुछ निश्चित सिद्धांत होंगे, लेकिन चुनाव क्षेत्रों को परिसीमित करने का वास्तविक कार्य स्वयं संसद पर छोड़ दिया गया है और जब तक संसद केन्द्र में निचले सदन के लिए विभिन्न क्षेत्रों को परिसीमित करने के लिए कानून नहीं बनाती तब तक निचले सदन का गठन सम्भव नहीं होगा।

पं. लक्ष्मीकांत मैत्रा : यह अवश्यंभावी है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : फिर एक अन्य स्पष्टीकरण लें, उदाहरणार्थ, सीटों का वितरण। वास्तविक वितरण संसद द्वारा बनाये गये कानून द्वारा किया जायेगा। इसलिए यदि ऐसे तफ्सील के मामले संसद पर कानून द्वारा तय किए जाने हेतु छोड़े जा सकते हैं तो मैं नहीं समझता कि ऊपरी सदन के संघटन से सम्बन्धित मामले को संसद पर छोड़ने के लिए कोई गम्भीर आपत्ति होगी। मैं बिल्कुल भी कोई आपत्ति नहीं देखता। दूसरे, मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूँ कि विरोधी दृष्टिकोणों जो कि सदन के सामने 28 संशोधनों में प्रस्तुत किए गये हैं मैंने

सोचा कि संसद के लिए जिम्मेदारी लेना ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि जितना समय प्रारुपण समिति के पास था, संसद के पास निश्चय ही उससे कुछ ज्यादा समय होगा और संसद विभिन्न प्रांतीय सरकारों की कठिनाइयां जानने, उनके दृष्टिकोण और प्रस्ताव जानने तथा ऐसा बीच का रास्ता निकालने के लिए जिसे कि कानून में बदला जा सके इन सब के लिए प्रांतीय सरकारों से पत्र व्यवहार करने की स्थिति में होगी। इसलिए, इस प्रस्ताव को आगे रखने में, मैं सोचता हूँ कि हम पहले से अपनाये गये सिद्धांतों को छोड़ नहीं रहे हैं और जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री. टी. टी. कृष्णमाचारी ने कहा कि उन सब पर विचार करते हुए प्रारुपण समिति को किसी भी बात के लिए क्षमा याचना नहीं करनी है अपितु प्रस्ताव को सदन के सामने रखने की सिफारिश कर देनी चाहिए।

* * * *

*[*]**पंडित गोविन्द मालवीय (संयुक्त राज्य : जनरल)** : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस अनुच्छेद पर विचार जारी रखा जाए।

श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूँ।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम इस पर एक बार फिर विचार कर सकते हैं।

माननीय सभापति : तब मैं यह मान लूँ कि सदस्य सहमत हैं कि यह अनुच्छेद बना रहना चाहिए।

माननीय सदस्य : हाँ ।

नया अनुच्छेद 163–अ

[**]**माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर** : महोदय मैं प्रस्ताव रखने की प्रार्थना करता हूँ:

"संशोधन के संशोधन की सूची 1 (प्रथम सप्ताह) की संशोधन सं. 12 में प्रस्तावित नये अनुच्छेद 163–अ के लिए, अधोलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएः–

"163–अ (1) अथवा प्रत्येक सदन किसी राज्य की विधानपालिका के सदन का राज्य विधानपालिकाओं का सचिवालयी स्टाफ होगा – अलग सचिवालयी स्टाफ होगाः

---

* सीएडी, खंड IX, 30 जुलाई, 1949, पृ. 37

** वही, पृष्ठ 37

बशर्ते कि इस धारा की किसी बात का, राज्य विधानपालिका में विधानपरिषद् होने की स्थिति में, इस प्रकार की विधानपालिका के दोनों सदनों में उभय पदों के सृजन करने से रोकने का अर्थ नहीं लगाया जायेगा।

(2) राज्य की विधानपालिका सदन अथवा राज्य की विधानपालिका के सदन के सचिवालयी स्टाफ में नियुक्त किए गये व्यक्तियों की सेवा की शर्तों और उनकी भर्ती को कानून के द्वारा नियमित कर सकती है।

(3) जब तक इस अनुच्छेद की धारा (2) के तहत राज्य विधानपालिका द्वारा व्यवस्था नहीं की जाती, राज्यपाल विधानसभा के अध्यक्ष अथवा विधानपरिषद के सभापति, जैसी भी स्थिति हो, के साथ परामर्श करने के बाद विधान सभा या विधानपरिषद के सचिवालयी स्टाफ में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों और भर्ती को नियमित करने वाले नियम बना सकता है और इस प्रकार बनाये गये नियम इस धारा के अन्तर्गत बने कानून की व्यवस्थाओं के अधीन प्रभावी होंगे।"

यह अनुच्छेद, अनुच्छेद 79अ का केवल प्रतिरुप है जिस पर हमने इस सुबह विचार किया था।

* * * *

श्री एच. वी. कामथ : श्रीमान अध्यक्ष महोदय .... अनुच्छेद 79अ तथा 148अ में महत्वपूर्ण बिन्दु मेरे तथा मेरे माननीय मित्र, प्रो. शिब्बनलाल सक्सेना द्वारा विभिन्न संशोधनों में रखे गये। लेकिन जब उनकी बारी आयी तो डॉ. अम्बेडकर काफी अच्छे तरीके और बुद्धिमानी से पेश आये तथा उन्होंने कहा कि उनकी कुछ भी कहने की इच्छा नहीं है। निस्संदेह वे एक दृढ़, बिंदुओं की पूरी जानकारी रखने वाले हैं इसलिए जब वे हाँ कहते हैं तो पूरा सदन उनके साथ होता है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैंने कहा था कि किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं।

श्री एच. वी. कामथ : यह उनके निर्णय पर छोड़ा जाता है। लेकिन, जब कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु उठाये जाते हैं तब उनके लिए किसी प्रकार के उत्तर की आवश्यकता होती है। निःसंदेह उन पर ही यह निश्चय करने का दायित्व है कि वे किसका उत्तर देंगे और किसका नहीं। लेकिन सदन उनका मत सुनने का प्राधिकारी है। यदि वह ज्यादा थक गये हैं तो वे अपने किसी बुद्धिमान साथी को कह सकते हैं........

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह कौन तय करेगा कि बिन्दु महत्वपूर्ण हैं

या नहीं? यदि अध्यक्ष आदेश दें कि बिन्दु महत्वपूर्ण बिन्दु हैं, मैं निश्चित रूप से उत्तर दूँगा। मैं मामले को स्वयं श्री कामथ पर तय किए जाने के लिए नहीं छोड़ सकता हूँ।

* * * *

*[*]**अध्यक्ष** : क्या किसी सदस्य को कुछ भी कहना है?

(कोई सदस्य बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ)

क्या डॉ. अम्बेडकर कुछ कहना चाहेंगे?

मननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : नहीं।

माननीय सभापति : तब मैं संशोधनों पर मतदान कराने के लिए उन्हें रखूंगा।

[सभी 8 संशोधन नकार दिये गये। डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित अनुच्छेद 163अ पर मतदान कराये जाने के लिए उसे रखा गया तथा उसे अपना लिया गया। नया अनुच्छेद 163अ संविधान में जोड़ दिया गया।]

---

*. सीएडी, खण्ड IX, 30 जुलाई, 1949, पृ. 40

अनुच्छेद 175

माननीय सभापति : क्या अब हम अनुच्छेद 172 लें?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : फिलहाल हम इसे रहने दें।

माननीय सभापति : क्या हम अनुच्छेद 175 लें?

माननीय डॉ. अम्बेडकर : हाँ।

श्री एच. वी. कामथ : 127अ के बारे में क्या करना है?

माननीय सभापति : वह 210 के साथ आयेगा।

अभी हम नया अनुच्छेद 175 लेते हैं। इसके लिए कुछ संशोधन हैं।

(संशोधन संख्या 16 व 17 प्रस्तावित नहीं किए गए।)

*__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर__ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करने की प्रार्थना करता हूँ :

"कि अनुच्छेद 175 के उपबन्ध के लिए अधोलिखित उपबन्ध को प्रतिस्थापित किया जाए:

'बशर्ते कि राज्यपाल विधेयक को उसके सामने उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए जाने के बाद जितनी जल्दी सम्भव हो उस विधेयक को यदि वह वित्तीय विधेयक नहीं है इस संदेश के साथ यह आग्रह करते हुए कि सदन अथवा दोनों सदन उस विधेयक अथवा उसके विशेष उपबन्धों पर पुनर्विचार करेंगे और विशेषतया इस प्रकार के संशोधनों जिनकी वे अपने संदेश में सिफारिश कर सकते हैं को पेश करने की वांछनीयता पर सदन या दोनों सदन विचार करके लौटा सकते हैं और इस तरह से जब विधेयक लौटाया जाता है, सदन अथवा दोनों सदन तदनुसार उस विधेयक पर पुनर्विचार करेंगे और यदि वह विधेयक संशोधन के साथ या इसके बिना सदन या दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है और राज्यपाल की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति देने से इनकार नहीं करेगा।'"

महोदय, यह पुराने उपबन्ध के प्रतिस्थापन में है। पुराने उपबन्ध में तीन महत्वपूर्ण प्रावधान थे। पहला था कि इसने राज्यपाल को विधेयक को स्वीकृति के पूर्व विधानपालिका को लौटाने और विचार के लिए कुछ विशेष बिन्दुओं की सिफारिश

* सीएडी, खण्ड IX, 30 जुलाई, 1949, पृ. 41–42

करने का अधिकार प्रदान किया था। जैसा कि वर्तमान उपबंध में है विधेयक को लौटाने का मामला राज्यपाल के स्व–निर्णय पर छोड़ दिया गया। दूसरे, सिफारिश के साथ विधेयक को लौटाने का अधिकार सभी विधेयकों पर लागू होता है इसमें वित्तीय विधेयक भी शमिल है। तीसरे, राज्यपाल को विधयेकों को लौटाने का यह अधिकार केवल उन्हीं परिस्थितयों में दिया गया है जहाँ कि राज्य की विधानपालिका एक सदन वाली है। तब यह महसूस किया गया था कि जिम्मेदार सरकार में राज्यपाल के लिए स्व–निर्णय से कार्य करने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। इसलिए नये उपबंध में 'उसके स्व–निर्णय परा शब्दों को निकाल दिया गया है। इसी तरह यह महसूस किया जाता है कि विधेयक को लौटाने का यह अधिकार वित्तीय विधेयक तक नहीं बढ़ाना चाहिए। परिणामस्वरूप 'यदि यह वित्तीय विधेयक नहीं है' शब्दों को सम्मिलित किया गया है। यह भी महसूस किया गया कि विधानपालिका को राज्यपाल का विधेयक लौटाने का यह अधिकार उन परिस्थितियों तक आवश्यक रूप से सीमित रखने की आवश्यकता नहीं है जहाँ कि राज्य में विधानपालिका एक सदन वाली है। यह एक हितकारी उपबंध है जिसका सभी परिस्थितियों में प्रयोग किया जा सकता है वहाँ भी, जहाँ कि राज्यों में विधानपालिका दो सदन वाली है।

यह इन तीन बदलावों की व्यवस्था करने के स्थान पर है कि पुराने उपबंध के लिए नये उपबंध को प्रतिस्थापित किया जाए और मैं आशा करता हूँ कि सदन इसे स्वीकार कर लेगा।

माननीय सभापति : मेरे ध्यान में कुछ संशोधन हैं जो कि पूरक सूची में छपे हैं। क्या कोई सदस्य उनमें से किसी संशोधन का प्रस्ताव करना चाहता है। ये संशोधन श्री सतीश चन्द्र, श्री बी. एन. गुप्ते और प्रो. शिब्बनलाल सक्सेना के नाम पर हैं।

[संशोधन प्रस्तावित नहीं किए गये।]

* * * *

***माननीय सभापति** : परसों उठने से पहले हम अनुच्छेद 175 पर विचार कर रहे थे। अब हम अनुच्छेद 175 पर चर्चा जारी रखेंगे.......

श्री टी.टी. कृष्णमाचारी (मद्रास : जनरल) : महोदय, क्या मैं निवेदन कर सकता हूँ कि उस अनुच्छेद का अनुच्छेद 172 से बहुत कम संबंध है। ... मैं सुझाव देता हूँ कि अनुच्छेद 175 को अनुच्छेद 172 से अलग समझा जाए।

---

*. सीएडी, खण्ड IX, 1 अगस्त, 1949, पृ. 43

माननीय सभापति : क्या यह अधिक अच्छा नहीं होगा यदि हम अनुच्छेद 172 को पहले निपट लें?

श्री टी.टी. कृष्णमाचारी : यह पूर्णतया आपके विवक द्वारा निश्चय किया जाना है। हम अनुच्छेद 172 को पहले ले सकते हैं और उसके बाद अनुच्छेद 175 पर मतदान करा सकते हैं।

माननीय सभापति : क्या आपको कोई आपत्ति है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (बम्बई : जनरल) : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। महोदय, मैं पूर्णतया आपके साथ हूँ।

माननीय सभापति : तब हम पहले 172 को निपटाएंगे और उसके बाद 175 पर विचार करेंगे।

अनुच्छेद 172

*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

विधेयकों जो वित्तीय विधेयक नहीं हैं के सम्बन्ध में विधान परिषद् के अधिकारों पर नियंत्रण।

"कि अनुच्छेद 172 के लिए, अधोलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएः–

172. (1) यदि किसी राज्य जिसमें विधान परिषद है की विधान सभा ने विधेयक पारित कर दिया है और उसे उस विधान परिषद् के लिए भेज दिया है उसके बाद –

(अ) विधेयक परिषद् द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है; अथवा

(ब) जिस तारीख को विधेयक परिषद् के सामने रखा गया है तब से दो महीने बीत जाते हैं और इसके द्वारा विधेयक पारित नहीं किया जाता है; अथवा

(स) परिषद् द्वारा विधेयक ऐसे संशोधनों के साथ पारित कर दिया जाता है जिनसे विधानसभा सहमत नहीं है तो विधानसभा उसी या किसी अगले सत्र में किए गये, सुझाए गये अथवा विधान परिषद् द्वारा सम्मत किन्हीं संशोधनों के साथ या उनके बिना विधेयक को पुनः पारित कर सकती है और इस तरह पारित किए गए विधेयक को विधान परिषद् को भेज सकती है।

(2) यदि कोई विधेयक इस प्रकार विधानसभा द्वारा दूसरी बार पारित कर दिया जाता है और विधानपरिषद को भेज दिया जाता है उसके बाद–

(अ) यदि विधेयकपरिषद् द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है; अथवा

(ब) जिस तारीख को विधेयक परिषद् के समक्ष रखा जाता है तब से उसे विधानपरिषद् द्वारा पारित किए बिना एक महीने से अधिक समय बीत जाता है;

(स) अथवा जिनसे विधानसभा सहमत नही है; तो विधेयक अपने उस रूप में जिसमें विधानसभा किन्हीं ऐसे संशोधनों के साथ जिनसे विधानसभा सहमत हो चुकी है यदि कोई हैं पारित किया गया था, राज्य की विधानपालिका के दोनों सदनों द्वारा पारित किया हुआ मान लिया जायेगा।

(3) इस अनुच्छेद की कोई बात वित्तीय विधेयक पर लागू नहीं होगी।

---

*· सीएडी, खण्ड IX, 1 अगस्त, 1949, पृ. 44

सदन को याद होगा कि जब हमने लोकसभा तथा राज्यसभा के बीच मतभेदों को हल करने के प्रश्न पर चर्चा की थी तब हमने ऐसे विभिन्न तरीकों का जिक्र किया था जिसके द्वारा ऐसे मतभेदों को हल किया जा सकेगा, और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि केन्द्रीय विधानपालिका के संघीय चरित्र को ध्यान में रखते हुए यह उचित होगा कि दोनों सदनों के बीच के मतभेदों को राष्ट्रपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए बुलाये गये दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में हल कर लेना चाहिए। उस समय यह सुझाव दिया गया था कि संयुक्त सत्र की प्रक्रिया को अपनाने के स्थान पर 1911 को संसद अधिनियम में बताई गई प्रक्रिया को अपनाना चाहिए जिसमें कि हाउस ऑफ कामन्स का किसी विशेष विधेयक जो कि वित्तीय विधेयक नहीं है के सम्बन्ध में निर्णय अन्तिम विश्लेषण में हावी रहता है जब एक निश्चित समय बीत जाने के बाद हाउस ऑफ कामन्स द्वारा सुझाये गये संशोधनों से हाउस ऑफ लार्ड्स सहमत होने में असफल रहा है या उसने सहमत होने से इंकार कर दिया है। इस मामले पर विचार करने पर, यह महसूस किया गया कि राज्य में बनाये गये दोनों सदनों के बीच के मतभेदों को हल करने के लिए संसद अधिनियम में दोंनों सदनों के बीच के मतभेदों को हल करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया अधिक उपयुक्त है। फलतः हम मूल अनुच्छेद से हट गये हैं और नया अनुच्छेद सन्निविष्ट कर रहे हैं जिसमें यह प्रस्ताव है कि उन मतभेदों जिन्हें दोनों सदन आपसी सहमति से हल नहीं कर सके हैं की स्थिति में अधिक लोकप्रिय सदन जो समूची जनता का प्रतिनिधित्व करता है का निर्णय मान्य होना चाहिए।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ।

* * * *

***पंडित हृदयनाथ कुँजरू : ......** प्रारूपण समिति द्वारा समय–समय पर किए गए बदलावों पर विचार करते हुए मैं सोचता हूँ कि यह किसी सिद्धांत पर कार्य नहीं कर रही। मेरे माननीय मित्र डा. अम्बेडकर कहते हैं कि वहाँ एक बहुत अच्छा सिद्धांत है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं कहता हूँ वहॉ कोई सिद्धांत नहीं है।

पंडित हृदयनाथ कुँजरू : मुझे प्रसन्नता है कि मेरे दोस्त ने स्वीकार किया कि संशोधन के पीछे, जो उन्होंने सदन को सुझाया है, कोई सिद्धांत नहीं है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह कार्य साधकता और व्यवहारिकता का

---

* सीएडी, खण्ड IX, 1 अगस्त, 1949, पृ. 52

मामला है।

पंडित हृदयनाथ कुँजरू : वे स्वीकार करते हैं यह कार्य साधकता तथा व्यवहारिकता का प्रश्न है.......

* * * *

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** श्रीमान अध्यक्ष, महोदय, जैसा कि मैंने बहस में सुना, मैं पाता हूॅ कि कुछ बहुत विशेष प्रश्न हैं जिन्हें उन वक्ताओं ने उठाया है जिन्होंने उस बहस में भाग लिया है। पहला प्रश्न मेरे मित्र श्री संथानम द्वारा उठाया गया था और पहले मैं उसे निपटाना चाहूँगा इससे पहले कि मैं और प्रश्नों पर गौर करूं। श्री संथानम ने कहा कि इस अनुच्छेद की धारा (1) में ऐसी स्थिति के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए जहाँ कि ऊपरी सदन ने विधेयक उस रूप में पारित नहीं किया है जिसमें कि विधानसभा ने पारित किया था। मै। सोचता हूॅ कि आगे विचार करने पर, वे पायेंगे कि उनका सुझाव वास्तव में उपखण्ड (स) में सम्मलित है यद्यपि इसके शब्द अलग हैं। वास्तव में हमने ऐसी तीन स्थितियों के लिए व्यवस्था की है जिनके घटित होने पर निचले सदन को अपने स्वयं के प्राधिकार पर कार्य करने के लिए न्यायिक अधिकार प्राप्त होगा। **वे तीन स्थितियाँ हैं** :—पहली, जब विधेयक पर विचार किया जाता है लेकिन उसे पूर्णतः अस्वीकार कर दिया जाता है; दूसरी जब ऊपरी सदन या तो निष्क्रिय बैठा है और उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा या फिर विधेयक पर विचार करने हेतु कार्यवाही करने के लिए उसे जितना समय दिया गया था उससे कहीं ज्यादा देर लगा दी है; तथा तीसरे, जब वह सदन विधेयक को उसी रूप में पारित करने के लिए राजी नहीं हुआ जिस रूप में उसे विधानसभा ने पारित किया था उसका व्यवहार में वही अर्थ है जिसका कि मेरे दोस्त श्री संथानम सुझाव दे रहे हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि अनुच्छेद के उस अंश को संशोधित करने की आवश्यकता है। मैं संयोगवश कह सकता हूॅ कि इन तीन वर्गों या शर्तों का उत्तरदान करने के लिए जिनके घटने पर निचले सदन के पास अपने प्राधिकार पर कार्यवाही करने का अधिकार होगा ये शब्द लगभग ऑस्ट्रेलिया के संविधान के अनुच्छेद 57 से लिए गए हैं।

अब मैं उन सामान्य प्रश्नों पर आता हूॅ जो उठाये गये हैं। इस मामले पर चर्चा करते हुए मुझे यह प्रतीत होता है, तीन भिन्न प्रश्न हैं जो विचारणीय हैं। पहला प्रश्न है कि विधेयक को कितनी बार यात्राएं करनी चाहिएं इससे पहले कि निचले सदन की इच्छा सर्वोपरि हो जाय। क्या इसकी एक यात्रा, दो या दो से अधिक यात्राएं

---

* सीएडी, खण्ड IX, 30 जुलाई, 1949, पृ. 57—59

होनी चाहिएं? यह एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि प्रत्येक यात्रा में विधेयक को ऊपरी सदन जाने और वापस आने के लिए कितनी अवधि नियत की जानी चाहिए? तीसरा प्रश्न है कि वह अवधि जिसके अंतर्गत परिषद को कार्यवाही करनी है उसकी किस प्रकार गिनती की जाएगी। ऐसी शब्दावली में जिससे कि वे लोग परिचित हैं जो सीमा निर्धारण का नियम जानते हैं अवधि का आदि बिन्दु क्या होगा? जहाँ तक वर्तमान संशोधन से संबंध है यह प्रस्तावित किया जाता है कि विधेयक को दो यात्राएं करनी चाहिएं। यह शुरू में जाएगा, यह वापस आयेगा और फिर जायेगा। यह तर्क दिया जाना सम्भव हो सकता है कि दो से अधिक यात्राओं की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा यह व्यवहारिक राजनीति का प्रश्न है। हमें कोई अंत या निश्चित अंत खोजना है जब निचले सदन के प्राधिकार को सर्वोपरि हो जाने के लिए हमें अवश्य अनुमति दे देनी चाहिए और प्रारूपण समिति ने सोचा इस उद्देश्य के लिए ऊपरी सदन को संशोधन वाले सदन के रूप में कार्य करने के लिए दो यात्राएँ पर्याप्त हैं।

अब ऊपरी सदन को इन यात्राओं के दौरान विधेयक पर विचार करने के लिए जो अवधि अनुमत की जानी है, इस संबंध में प्रारूपण समिति का प्रस्ताव है कि दो महीने की अवधि अनुमत की जानी चाहिए। अब यह पहली स्थिति में तीन महीने भी हो सकती है जैसा कि मैंने अपने मित्र श्री टी.टी. कृष्णमाचारी द्वारा प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार किया है। तथा दूसरी स्थिति में एक महीने की होगी।

मेरे मित्र पंडित कुंजरू ने कहा कि प्रारूपण समिति स्थिर चित्त नहीं थी, कि यह समय–समय पर बदलती रही थी, कि यह अस्थिर थी और उन्होंने प्रारूप संविधान में बनाये मूल प्रारूप का हवाला दिया जिसमें छः महीने की अवधि निर्धारित की गई है। यहाँ फिर मुझे यह बताना चाहिए कि दोनों सदनें को अनुमत अवधि सिद्धांत का मामला बिल्कुल भी नहीं है। यह एक व्यवहारिक राजनीति का ही मामला है और प्रारूपण समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि छह महीने का समय बहुत अधिक समय है। वास्तव में इसने महसूस किया कि तीन महीने का समय भी बहुत समय है। लेकिन इसकी बिल्कुल कल्पना की जा सकती है कि जमींदारी विधेयक के जैसा विधेयक जिसमें अधिक संख्या में धारायें हैं निचले सदन से निकल कर आ सकता है और उसे ऊपरी सदन के पास विचारार्थ भेजा जा सकता है। लेकिन इस प्रकार की अपवादीय स्थितियों के लिए मैं समझता हूँ मेरे दोस्त सहमत होंगे कि दूसरे उपाय उसी परिमाण में या सारयुक्त नहीं होंगे। परिणामस्वरूप, हमने सोचा कि जब विधेयक प्रथम यात्रा पर जाता है, की स्थिति में ऊपरी सदन को अनुमति दिये जाने के लिए तीन महीने का समय उचित समय है क्योंकि आखिरकार ऊपरी सदन को

करना ही क्या है? किसी उस विधेयक पर कार्यवाही करने में जो निचले सदन द्व ारा ऊपरी सदन को भेजा गया है ऊपरी सदन समूचे विषय का पुनः प्रारूप नहीं बनाने जा रहा है; यह प्रत्येक धारा को बदलने नहीं जा रहा है। यह केवल उन निश्चित धाराओं, जिन्हें यह सार्वजनिक महत्ता की महसूस कर सकता है, पर विचार करना पसन्द करेगा और मुझे सोचना चाहिए कि उस प्रकार की सीमित वैधानिक कार्यवाही के लिए प्रथम दृष्टि में, तीन महीने की अवधि ऊपरी सदन को अनुमत करने के लिए काफी अधिक है और यह निश्चित तौर पर किसी द्वितीय सदन की वैधानिक कार्यवाही को कम नहीं करेगी। दूसरी स्थिति में, हमने महसूस किया कि जब निचले सदन ऊपरी सदन द्वारा सुझाये गये संशोधनों को स्वीकार कर सकते हैं, दूसरी यात्रा के लिए एक महीने का समय भी पर्याप्त है। इसलिए जैसा मैंने कहा कि यहाँ सिद्धांत का कोई प्रश्न न होते हुए लेकिन केवल व्यवहारिक राजनीति का प्रश्न होने पर, हमने सोचा कि तीन महीने और एक महीना पर्याप्त हैं।

अब मैं अंतिम प्रश्न पर आता हूँ उदाहरणार्थ तीन महीने या एक महीने का परिकलन करने के लिए आदि बिंदु क्या होना है। मैं सोचता हूँ कि श्री कुंजरू मुझे यह कहने के लिए क्षमा कर देंगे कि प्रारूपण समिति द्वारा किये गये परिवर्तनों की महत्ता का मूल्यांकन करने में वे असफल रहे हैं। यदि यह व्यवस्था प्रारूप अनुच्छेद 172 जैसा कि वह है, में नहीं की गयी होती तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है– और प्रारूपण समिति को भी कोई संदेह नहीं था– कि ऊपरी सदन की शक्तियाँ पूर्णतः नकार दी गई होतीं तथा निष्प्रभावी कर दी गयी होतीं। मुझे उसकी व्याख्या करने दो; लेकिन पहले कि मैं यह करूं, जिसे मैं सीमा निर्धारण का आदि बिन्दु कहता हूँ को तय किए जाने की सम्भावनाओं को करने दो। सर्वप्रथम, यह कहा जाना सम्भव होगा कि ऊपरी सदन को विधेयक उस कथित अवधि के अन्दर अवश्य पारित कर देना चाहिए जब से विधेयक के निचले सदन ने उसे पारित कर दिया था। दूसरे, यह कहा जाना सम्भव होगा कि ऊपरी सदन को विधेयक उस कही गयी अवधि में पारित कर देना चाहिए जब से उस सदन ने विधेयक को प्राप्त किया है। अब यह मानते हुए कि हमने इनमें से किसी एक सम्भावना को अपना लिया है ऊपरी सदन के लिए अनर्थकारी परिणाम होंगे। एक बार आप याद करेंगे कि ऊपरी सदन को बुलाना पूर्णतः कार्यपालिका के हाथ में है – जो कि बुला सकती है जब यह चाहती है और नहीं बुला सकती है जब यह नहीं चाहती है– एक बेईमान कार्यपालिका के लिए यह बिल्कुल सम्भव होगा कि वह इस अनुच्छेद का फायदा ऊपरी सदन का सत्र बिल्कुल भी न बुलाकर उठा सकती है। अथवा यह मानते हुए कि हमने प्राप्ति को आदि बिन्दु के रूप में लिया है वे विधेयक को कार्यसूची में न रखकर ऊपरी सदन को धोखा दे सकते हैं और इस तरह ऊपरी सदन को इस पर विचार करने

के लिए अवसर प्रदान न करें। हमने सोचा कि इस प्रकार की प्रक्रिया गलत थी; इसका परिणाम ऊपरी सदन को उसकी किसी गलती के बिना दण्डित किए जाने में होता। यदि सदन नहीं बुलाया जाता तो निश्चित रूप से यह विधेयक पर विचार नहीं कर सकता और इस तरह का विधेयक ऊपरी सदन द्वारा उस पर विचार किया गया हुआ नहीं माना जा सकता। इसलिए ऊपरी सदन के बचाव के लिए प्रारूपण समिति ने आदि बिन्दु निश्चित किए जाने की इन दोनों सम्भावनाओं को, उदाहरणार्थ, विधेयक का पारित किया जाना तथा विधेयक का प्राप्त होना अस्वीकार कर दिया, एक प्रस्ताव जिसे उनके द्वारा प्रारूप अनुच्छेद का अंग बना दिया गया जैसा कि यह है। और उन्होंने विचार–विमर्श करके नये अनुच्छेद, जैसा कि अब प्रस्तावित है, में उन उपबन्धों को अपनाया, उदाहरणार्थ, जब विधेयक विचार के लिए रखा जाए और यदि ऊपरी सदन इस पर विचार इस धारा के द्वारा नियत की हुई विशिष्ट अवधि के अन्दर पूरा नहीं करता, तब स्पष्टतः ऊपरी सदन का मामले पर विचार करने का अधिकार उसकी अपनी गलती से चला जाता है। और कोई शिकायत नहीं कर सकता; निश्चित रूप से ऊपरी सदन शिकायत नहीं कर सकता। इसलिए मेरे माननीय मित्र पं. कुंजरू देखेंगे कि ऊपरी सदन के अधिकार कम करने के बजाय, नये प्रस्ताव ने ऊपरी सदन को कुछ अधिकार दिये हैं, जिन्हें कार्यपालिका उससे छीन नहीं सकती है।

पंडित हृदयनाथ कुंजरू : क्या यह बचकानी व्याख्या स्वयं माननीय सदस्य को संतुष्ट करती है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यदि मेरे माननीय मित्र इसे बचकानी कहना चाहते हैं तो वह कह सकते हैं लेकिन मुझे कोई संदेह नहीं है कि नई धारा, जैसी कि ये पहले थी से अच्छा संशोधन है। मुझे खेद है यदि पंडित कुंजरू संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई बिन्दु नहीं उठाया जिसकी कि मैंने व्याख्या नहीं की है।

माननीय सभापति : प्रश्न है :

"कि प्रस्तावित अनुच्छेद 172 की धारा (1) के उपखण्ड (ब) में 'दो महीने' शब्दों के लिए "तीन महीने" शब्द प्रतिस्थापित किए जायें।"

संशोधन अपना लिया गया।

(अनुच्छेद 172, जैसा कि प्रस्तावित और संशोधित किया गया, संविधान में जोड़ दिया गया।)

* * * *

अनुच्छेद 176

***माननीय सभापति** : तब हम अनुच्छेद 176 पर आते हैं।

माननीय डॉ बी. आर. अम्बेडकर : मैं सुझाव देता हूँ कि यह अच्छा होता यदि हम 83–अ लें और इसे निपटा दें।

माननीय सभापति : मैं नहीं समझता कि अनुच्छेद 176 में कुछ है। हम इसे अभी ले सकते हैं। इसमें मुश्किल से कोई संशोधन हैं........

[अब अनुच्छेद 176 में कोई संशोधन नहीं है। अनुच्छेद 176 अपना लिया गया और संविधान में जोड़ दिया गया।]

* * * *

अनुच्छेद 83–अ

****माननीय सभापति** : क्या अब हम अनुच्छेद 83 पर वापस आयें?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि अनुच्छेद 83 के बाद अधोलिखित नये अनुच्छेद को सन्निविष्ट कर दिया जाय:

सदस्यों की अयोग्यताओं के प्रश्न पर निर्णय

83अ (1) संसद के किसी सदन का कोई सदस्य पूर्ववर्ती अनुच्छेद की धारा (1) के अधीन अयोग्य ठहराया गया है या नहीं के संबंध में यदि कोई प्रश्न उठता है तो वह प्रश्न राष्ट्रपति के निर्णय के लिए भेजा जायेगा और उनका निर्णय अंतिम होगा।

(2) इस प्रकार के प्रश्न पर निर्णय देने से पूर्व राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करेगे और इस प्रकार की राय के अनुसार कार्य करेंगे।'"

कहने के लिए यह अनुच्छेद, अनुच्छेद 167–अ की प्रतिकृति है जिसे हमने उस दिन पारित किया था जो राज्यों में समान स्थितियों पर लागू होता है और इसलिए मैं नहीं सोचता कि किसी अधिक व्याख्या की आवश्यकता होगी।

[नया अनुच्छेद 83–अ अपना लिया गया और संविधान में जोड़ दिया गया।]

---

* सीएडी, खण्ड IX, 1 अगस्त, 1949, पृ. 62

** सीएडी, खण्ड IX, 1 अगस्त, 1949, पृ. 62

अनुच्छेद 127–अ

*माननीय सभापति : मैं सोचता हूँ कि हम अनुच्देद 210 तथा 211 लें। उसके बाद हम अनुच्छेद 127–अ पर आयेंगे।

श्री टी.टी. कृष्णमाचारी : किसी भी तरह से यह महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि यदि यह स्वीकार कर लिया जाता है तब अनुच्छेद 210 तथा 211 स्वतः ही गिर जाते हैं।

मननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राज्य के लेखा के संबंध में।

'127–अ किसी राज्य के लेखा से संबंधित भारत के लेखा नियंता तथा महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल या शासक को सौंपे जायेंगे, जो उन्हें राज्य की विधानपालिका के सामने रखने में कारण बनेगा।'"

सदन को याद होगा कि इसने ऐसे अनुच्छेदों को अपना लिया है जहाँ से लेखा परीक्षण तथा लेखा विधि एक ही संस्थान बन जायेंगे, कहने का अर्थ है, लेखा नियन्ता तथा महालेखा परीक्षक के प्राधिकार के तहत। इसलिए, यह आवश्यक है कि हमें कुछ व्यवस्था करनी चाहिए कि किसी राज्य के लेखा तथा लेखा परीक्षा से संबंधित प्रतिवेदन विधानपालिका को राज्यपाल या शासक द्वारा इसके विचारार्थ सौंप दिया जायेगा और इसी के बारे में यह अनुच्छेद व्यवस्था करता है।

माननीय सभापति : क्या कोई भी इस अनुच्छेद के विषय में कुछ कहना चाहता है?

माननीय सदस्य : नहीं।

नया अनुच्छेद 127–अ संविधान में जोड़ दिया गया।

अनुच्छेद 197

**माननीय सभापति : क्या हम अनुच्छेद 212 लें?

श्री टी. टी. कृष्णमाचारी : अनुच्छेद 188 लिया जा सकता है; इसे हटाया जाता है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरा सुझाव था कि अनुच्छेद 188 और 278 साथ–साथ लिए जा सकते हैं। यह अच्छा होगा यदि पूरी बात की व्याख्या की जाती है।

---

*. सीएडी, खण्ड IX, 1 अगस्त, 1949, पृ. 63

** वही, पृष्ठ 63

माननीय सभापति : तब, हम अनुच्छेद 197 लेंगे।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि अनुच्छेद 197 के लिए, अधोलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जायः—

न्यायाधीशों के वेतन आदि। '197 (1) प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उतना वेतन दिया जायेगा जितना कि द्वितीय अनुसूची में इसका उल्लेख है।

(2) प्रत्येक न्यायाधीश इस प्रकार के भत्ते और अनुपस्थिति की छुट्टी तथा पेंशन के संबंध में इस प्रकार के अधिकार जो समय–समय पर संसद द्वारा या संसद द्वारा बनाये गये कानून के द्वारा तय किए जा सकते हैं, और जब तक तय नहीं किए जाते तब तक इस प्रकार के भत्तों और अधिकारों जिनका द्वितीय अनुसूची में उल्लेख है, का अधिकारी होगाः

बशर्ते कि न्यायाधीश के न तो भत्ते और न ही अनुपस्थिति की छुट्टी या पेंशन के संबंध में उसके अधिकार उसकी नियुक्ति के बाद उसके अहित हेतु बदले जायेंगे।"

यह अनुच्छेद उस अनुच्छेद के समान है जिसका संबंध सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से था।

माननीय सभापति : पंडित कुंजरू द्वारा एक संशोधन है।

[सूची I (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन 20, 21 तथा 22 प्रस्तावित नहीं किए गये।]

माननीय सभापति : इसके लिए कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया गया है। मैं इस अनुच्छेद को मतदान के लिए रखूंगा जैसा कि आज डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित किया गया है।

प्रस्ताव अपना लिया गया।

अनुच्छेद 197 जैसा कि संशोधित किया गया संविधान में जोड़ दिया गया।

अनुच्छेद 212 से 214 तक

*__माननीय सभापति__ : क्या हम अनुच्छेद 212 लें?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं 212 से 214 तक के अनुच्छेदों को स्थगित किया जाना पसन्द करूंगा। मैं सोचता हूँ कि अनुच्छेद 275 लिया जा सकता है।

---

*. सीएडी, खण्ड IX, 1 अगस्त 1949, पृ. 65

श्री एल. कृष्णास्वामी भारथी (मद्रास : जनरल) : महोदय, 212 से 214 तक के अनुच्छेदों को स्थगित किए जाने की मांग की गयी है। मैं सोचता हूँ कि सदन इसका स्पष्टीकरण जानना चाहेगा कि वे क्यों स्थगित किए जा रहे हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि अधिवासियों के भारत में चन्दनगौर और अन्य स्थानों पर आने के आसार हैं। हमें उनके लिए कुछ व्यवस्था करनी है, और यह उचित स्थान हो सकता है जहाँ कि उनके लिए व्यवस्था की जा सकती है। यह ठीक ही सुझाया गया है कि यह महसूस किया गया है कि इसे और अच्छी तरह से समाविष्ट किया जा सकता है और इस तरह आगे परिणामस्वरूप, इस प्रश्न पर विचार करने के लिए हमें कुछ समय चाहिए। शायद हम इन अनुच्छेदों को आज ही लेने की स्थिति में हो सकें।

माननीय सभापति : तब हम अनुच्छेद 188 और इससे जुड़े दूसरे आपातकालीन प्रावधानों को ले सकते हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : हम अनुच्छेद 275 को भी ले सकते हैं, जो एक आपातकालीन प्रावधान है।

माननीय सभापति : हम अनुच्छेद 275 लें।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : महोदय, क्या मैं क्रम की बात पर विरोध कर सकता हूँ? इस प्रक्रिया को समझ पाना कुछ सदस्यों के लिए बहुत ही असुविधाजनक है जो सदन में अपनायी जा रही है। पिछले अवसर पर समझाया गया था कि अनुच्छेद आदेश पत्र में निर्धारित क्रम के अनुसार ही लिए जायेंगे। मैं कोई तकनीकी आपत्ति उठाने की इच्छा नहीं करता हूँ, लेकिन कठिनाई यह है कि सदस्य बहस में बुद्धि मत्ता से हिस्सा लेने के लिए तैयार होकर आये हैं। मध्यावकाश, जो हमने लिया था, के बाद भी एक नियमित प्रक्रिया अपनाने के स्थान पर सदन से एक अनुच्छेद से दूसरे अनुच्छेद पर आगे और पीछे कूदने की आशा की जाती है। मैं मानता हूँ कि यह कुछ मात्रा में असुविधा पैदा कर रहा है और मैं सुझाव देता हूँ कि सदन से एक नियमित क्रम में कार्यवाही करने के लिए कहा जाना चाहिए। अन्यथा, वहाँ कोई बुद्धिमत्तापूर्ण बहस नहीं होगी।

माननीय सभापति : मैं श्री नजीरुद्दीन अहमद से सहमत होने के लिए प्रवृत्त हूँ कि सदस्यों के लिए अनुच्छेद 211 से 275 पर एकदम से पहुंचना असुविधाजनक है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं अनुच्छेद 212 लेने के लिए तैयार हूँ।

माननीय सभापति : मैं सोचता हूँ कि यह अधिक अच्छा है। यदि कुछ भी घटित होता है हम चन्दरनागौर के संबंध में बाद में उसके लिए व्यवस्था कर सकते हैं। हम अनुच्छेद 212 लें।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि संशोधन की सूची की संशोधन सं. 2713 के संदर्भ में अनुच्छेद 212 की धारा (2) को निकाल दिया जाय।"

यह संशोधन क्यों किया जा रहा है इसका कारण है क्योंकि भाग III में उल्लिखित राज्यों के संबंध में सभी प्रावधान अलग अनुसूची में अलग से किये जा रहे हैं। परिणामस्वरूप, धारा (2) को यहाँ बनाये रखना अनावश्यक है।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ:

"कि अनुच्छेद 212 की धारा (1) तथा धारा (1) के उपबन्ध में 'राज्यपाल या शासक' शब्दों के लिए जहाँ भी ये आते हैं, वहाँ 'सरकार' अभिव्यक्ति प्रतिस्थापित की जाय।"

माननीय सभापति : हमारे पास इस अनुच्छेद के काफी संख्या में संशोधन हैं जिसका नोटिस दिया गया है। मैं उन्हें एक–एक करके लूंगा।

* * * *

[विभिन्न संशोधनों पर चर्चा के बाद अनुच्छेद 212 जैसा कि डॉ. अम्बेडकर के संशोधन द्वारा संशोधित किया गया था, अपना लिया गया और संविधान में जोड़ दिया गया।]

अनुच्छेद 213

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर** : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि संशोधन की सूची की संशोधन संख्या 2722 के संदर्भ में अनुच्छेद 213 के लिए, अधोलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाय:

'213 (1) इस संविधान में अन्तर्विष्ट किसी बात का विरोध न करते हुए संसद कानून द्वारा किसी राज्य के लिए तदर्थ रूप से पहली अनुसूची के भाग II में उल्लिखित और मुख्य आयुक्त या उपराज्यपाल के द्वारा प्रशासित गठित कर या बनाये रख सकती है –

---

* सीएडी, खण्ड IX, 1 अगस्त, 1949, पृ. 73

(अ) उस राज्य की विधानपालिका के रूप में कार्य करने के लिए, एक निकाय, चाहे नियुक्त, चुना हुआ या अंशतः नियुक्त और अंशतः चुना हुआ; अथवा

(ब) जैसा कि कानून में उल्लेख हो सकता है। प्रत्येक स्थिति में इस प्रकार के सलाहकारों या मंत्रियों की परिषद अथवा दोनों संघटन, अधिकारों और प्रकार्यों के साथ।

(2) कोई कानून, इस अनुच्छेद की धारा (1) के संदर्भ में अनुच्छेद 304 के उद्देश्य के लिए किसी ऐसे प्रावधान को समाविष्ट करता है जो संविधान को संशोधित करता है या संविधान को संशोधित करने का प्रभाव लिए हुए है, इस संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा।"

महोदय, जिस मुख्य परिवर्तन को इस संशोधन द्वारा प्रभावी बनाने का प्रयत्न किया गया है वह यह है कि मूल प्रारूप में प्रतिनिधित्व के उद्देश्य से किसी निकाय का गठन करने का अधिकार चाहे वह नियुक्त किया हो या चुना गया सलाहकारों या मंत्रियों की परिषद के लिए ऐसा अधिकार था जो कि राष्ट्रपति पर छोड़ दिया गया था। नया प्रारूप यह अधिकार संसद को प्रदान करता है न कि राष्ट्रपति को। केवल यही महत्वपूर्ण परिवर्तन है जिसे इस नये अनुच्छेद के द्वारा प्रभावी बनाया गया है। अन्यथा प्रावधान समान ही है।

* * * *

*__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (बम्बई : जनरल)__ : अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र लाला देशबन्धु गुप्ता द्वारा प्रस्तावित संशोधन के संबंध में, मुझे निश्चित रूप से पता है कि यह वह स्थान नहीं है जहाँ संशोधन ठीक रूप में आया है। संशोधन सिद्धांत का भी प्रश्न उठाता है, उदाहरणार्थ, कि यह प्रतिनिधित्व में कुछ क्षेत्रों के महत्व की व्यवस्था करता है। अब सदन ध्यान देगा कि एक चरण में, प्रतिनिधित्व में महत्व के प्रश्न पर लम्बी बहस हुई थी और सदन ने यह सिद्धांत स्वीकार किया था कि महत्व की अनुमति नही दी जानी चाहिए। तो भी, मैं कह सकता हूँ कि अनुच्छेद 67 की वजह से जहाँ प्रतिनिधित्व के निश्चित सिद्धांत निर्धारित हैं, यह सम्भव हो सकता है कि यदि भारत के कुछ क्षेत्र शासन के तर्क से एक भी प्रतिनिधित्व पाने में अयोग्य रहे हैं तो हमें कुछ विशेष प्रावधान बनाने होंगे। हम गणितीय नियम के तर्क द्वारा किसी क्षेत्र को राज्य में प्रतिनिधित्व पाने से वंचित करने की अनुमति नही दे सकते। उस संबंध में इस मामले पर विचार किया जा सकता है और मैं इस चरण में कह

---

*· सीएडी, खण्ड IX, 2 अगस्त, 1949, पृ. 100–01

सकता हूँ कि जब इस प्रकार के क्षेत्र अस्तित्व में लाये जाते हैं और प्रारूपण समिति उनके प्रतिनिधित्व के संबंध में कुछ प्रावधान बनाने के लिए आमंत्रित की जाती है तब पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा सकती है और एक ताजा अनुच्छेद, कोई अनुच्छेद 67 के बाद, उदाहरणार्थ 67–अ समाविष्ट किया जा सकता है। इसके आगे मैं इस समय कुछ अधिक नहीं कह सकता।

माननीय सभापति : मैं अब संशोधन को मतदान के लिए रखूंगा।

[अनुच्छेद 213, जैसा कि प्रो. शिब्बनलाल सक्सेना के संशोधन द्वारा संशोधित किया गया, अपना लिया गया तथा संविधान में जोड़ दिया गया।]

* * * *

अनुच्छेद 213 अ

***माननीय सभापति** : तब हम अनुच्छेद 213–अ पर आते हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ : "कि अनुच्छेद 213 के बाद, अधोलिखित नया अनुच्छेद सन्निविष्ट किया जाय :

प्रथम अनुसूची के भाग II में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय।

213 (1) संसद कानून द्वारा प्रथम अनुसूची के भाग II में उल्लिखित किसी राज्य के लिए तदर्थ रूप से उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है अथवा संविधान के उद्देश्यों के लिए इस प्रकार के किसी राज्य में किसी न्यायालय को उच्च न्यायालय घोषित कर सकती है।

(2) इस संविधान के भाग VI के अध्याय VII के प्रावधान इस अनुच्छेद की धारा (1) के संदर्भ में प्रत्येक उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होंगे जैसा कि वे इस संविधान के अनुच्छेद 191 के संदर्भ में किसी उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होते हैं और इस प्रकार के संशोधनों या अपवादों, जैसे कि संसद कानून के द्वारा प्रावधान कर सकती है, के अधीन लागू होंगे।

(3) इस संविधान के प्रावधानों के अधीन और उपयुक्त विधानपालिका के किसी कानून के किन्हीं प्रावधानों के अधीन जो इस संविधान द्वारा या इसके अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के फलस्वरूप बनाये गये हैं, जो किसी राज्य अथवा उसके किसी क्षेत्र के संबंध में तदर्थ रूप से प्रथम अनुसूची के भाग II में विशेष रूप से उल्लिखित

---

*. सीएडी, खण्ड IX, 2 अगस्त, 1949, पृ. 102

इस संविधान की शुरूआत के तुरंत पहले न्यायक्षेत्र का उपयोग कर रहा था। ऐसी शुरूआत के बाद किसी राज्य या क्षेत्र के संबंध में ऐसे न्यायक्षेत्र का उपयोग करता रहेगा।

(4) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी राज्य, जो तदर्थ रूप में प्रथम अनुसूची के भाग I या भाग III में विशेष रूप से उल्लिखित है, में किसी उच्च न्यायालय के न्यायक्षेत्र को किसी राज्य अथवा उस राज्य के अंदर किसी क्षेत्र जो तदर्थ रूप में उस अनुसूची के भाग II में विशेष रूप से उल्लिखित है तक बढ़ाने के लिए अथवा उससे बाहर निकालने के लिए संसद को अधिकार से अपमानित नहीं करती है।

महोदय, यह याद रखना होगा कि जब सदन ने भाग I में राज्यों के संघटन पर चर्चा की थी, यह तय किया था कि प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होना चाहिए। भाग II के राज्य भी राज्य है; परिणामतः प्रावधान जो भाग I के राज्यों पर लागू होता है उदाहरणार्थ कि प्रत्येक राज्य का स्वतंत्र उच्च न्यायालय होना चाहिए, वह भाग II के राज्यों पर अवश्य लागू होना चाहिए। दुर्भाग्य से यह प्रावधान प्रारूप में नहीं बनाया गया जैसा कि अब है। परिणामस्वरूप, इस अनुच्छेद 213–अ को सन्निविष्ट कराना आवश्यक हो गया है ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि भाग II में सम्मिलित राज्यों में उच्च न्यायालय होगा, या वहाँ कोई उच्च न्यायालय है तो वह उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की तरह माना जाएगा। इस अनुच्छेद की धारा (8) में यह प्रावधान किया गया है कि यदि वहाँ कोई उच्च न्यायालय नहीं है और यदि भाग II के राज्यों में सम्मिलित किसी विशेष क्षेत्र के लिए किसी उच्च न्यायालय का विशेष रूप से गठन संभव नहीं है तो संसद यह घोषित कर सकती है कि किसी संलग्न क्षेत्र में अन्य निश्चित न्यायालय को उस विशेष क्षेत्र के उद्देश्यों के लिए उच्च न्यायालय ही माना जा सकता है। यह इस अनुच्छेद का उद्देश्य है।

माननीय सभापति : इस अनुच्छेद के लिए कोई संशोधन नहीं है। क्या कोई इस पर कुछ कहना चाहता है? तब मैं इसे मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न हैः

"कि नया अनुच्छेद 213–अ संविधान का भाग बन गया है।"

प्रस्ताव अपना लिया गया।

अनुच्छेद 213अ संविधान में जोड़ दिया गया।

* * * *

अनुच्छेद 214

***माननीय सभापति** : तब हम संशोधन संख्या 52 लेंगे जो डॉ. अम्बेडकर के नाम में है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि संशोधन की सूची की संशोधन सं. 2728 के संदर्भ में अनुच्छेद 214 के लिए, अधोलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाय:

'214(1) जब तक संसद कानून द्वारा अन्यथा व्यवस्था नहीं करता, कुर्ग विधान परिषद का संघटन, अधिकार तथा कार्य वही होंगे जो वे इस संविधान के लागू होने के तुरंत पहले थे।

(2) कुर्ग में राजस्व की वसूली के संबंध में तथा कुर्ग में खर्चों के संदर्भ में प्रबंध, जब तक इसके पक्ष में राष्ट्रपति के द्वारा आदेश कोई प्रावधान नहीं किया जाता, अपरिवर्तनीय रहेंगे।'"

इस अनुच्छेद में कुछ भी नया नहीं है सिवाय इसके कि इसमें दोनों भाग अलग–अलग हैं जबकि मूल अनुच्छेद में ये इकट्ठे हैं।

[अनुच्छेद 214 संविधान में जोड़ दिया गया।]

* * * *

अनुच्छेद 275

****माननीय सभापति** : तब हम अनुच्छेद 275 पर आते हैं। संशोधन सं. 111। डॉ. अम्बेडकर।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि अनुच्छेद 275 के लिए, अधोलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाय:

आपातकाल की घोषणा '275 (1) यदि राष्ट्रपति संतुष्ट है कि गंभीर आपातकाल विद्यमान है जिससे कि भारत की या उसके क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा को या तो युद्ध से या बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशान्ति से खतरा है तो वह घोषणा द्वारा इसे प्रभावित करने के लिए घोषणा कर सकता है।

---

* सीएडी, खण्ड IX, 2 अगस्त, 1949, पृ. 103

** सीएडी, खण्ड IX, 2 अगस्त, 1949, पृ. 103–104

(2) इस अनुच्छेद की धारा (1) के अंतर्गत जारी की गयी घोषणा (इस संबंध में 'आपातकाल की घोषणा' कही जाती है) :

(अ) अगली घोषणा किसके द्वारा रद्द की जा सकती है;

(ब) संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जायेगी;

(स) दो महीने की समाप्ति के बाद कार्य करना बंद कर देगी जब तक कि दो महीने की अवधि की समाप्ति के बाद संसद के दोनों सदनों में प्रस्तावों द्वारा यह अनुमोदित नहीं कर दी गयी है :

बशर्ते कि यदि इस प्रकार की घोषणा ऐसे समय पर जारी की जाती है जब लोकसभा भंग कर दी गयी है या यदि इस अनुच्छेद के उपखण्ड (स) में बताये गये दो महीने की अवधि के दौरान लोकसभा भंग होती है और वह घोषणा उस अवधि की समाप्ति से पहले लोकसभा द्वारा एक प्रस्ताव के द्वारा अनुमोदित नहीं की गयी है तो वह घोषणा उस तारीख से तीस दिन की समाप्ति पर, जब लोकसभा पुनर्गठन के पश्चात् पहली बार बैठती है, काम करना बंद कर देगी जब तक कि संसद के दोनों सदनों द्वारा उस अवधि की समाप्ति से पहले घोषणा का अनुमोदन करते हुए प्रस्ताव पारित नहीं कर दिये गये हैं।

(3) आपातकाल की घोषणा यह घोषित करते हुए कि भारत की या इसके किसी भाग के किसी क्षेत्र की सुरक्षा को युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति से खतरा है वास्तविक युद्ध या इस प्रकार के आक्रमण या अशांति के पहले की जा सकती है यदि राष्ट्रपति संतुष्ट है कि इसका सन्निकट खतरा है।"

यह अनुच्छेद वास्तव में पुराना अनुच्छेद 275 है जैसा कि इसका प्रारूप संविधान में है। इस संशोधन द्वारा बहुत कम परिवर्तन किए गए हैं। पहला परिवर्तन जो किया गया है वह धारा (1) में किया गया है। 'युद्ध या देशीय हिंसा' मूल शब्द थे। वर्तमान धारा जैसी संशोधित की गयी है वह इस प्रकार है "युद्ध या बाहरी आक्रमण, या आंतरिक अशांति।" यह सोचा गया कि इन शब्दों का उपयोग 'देशीय हिंसा' शब्दों से ज्यादा अच्छा है क्योंकि यह बाहरी आक्रमण को बाहर रख सकता है जो कि न तो वास्तव में युद्ध है और न युद्ध से कम।

दूसरा परिवर्तन जो सन्निविष्ट किया गया है वह धारा (2) के उपखण्ड (स) में है। मूलतः यह व्यवस्था की गयी थी कि घोषणा छह महीने की समाप्ति पर कार्य करना बंद कर देगी। अब यह प्रस्तावित किया जाता है कि इसे दो महीने की समाप्ति पर कार्य करना बंद कर देना चाहिए। यह महसूस किया गया कि छह महीने का समय बहुत लम्बा समय था।

यह उपबन्ध नया भी है और एक ऐसी स्थिति की व्यवस्था करता है जहाँ घोषणा तब जारी की जाती है जब लोकसभा भंग कर दी गयी है या भंग होने के दौरान जारी की जाती है। नये उपबंध में समाविष्ट प्रावधान है कि यदि घोषणा तब जारी की जाती है जब सदन भंग कर दिया गया है, या पुराने सदन के भंग होने तथा नये सदन के चुनाव के बीच, जारी की जाती है तब नया सदन इसे तीस दिनों के अंदर अनुमोदित कर सकता है।

आखिरी धारा स्वाव्याख्यात्मक है और यह केवल प्रावधान करती है जो मैं सोचता हूँ धारा (1) का इरादा है कि यद्यपि वास्तव में कुछ घटित नहीं होता है, किंतु यदि राष्ट्रपति के विचार में इसका सन्निकट खतरा है तो वह इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत काम कर सकता है।

* * * *

***श्री टी. टी. कृष्णमाचारी** : ..... इसलिए, मैं कहता हूँ अधिकतर बिन्दु जो इन प्रावधानों के खिलाफ उठाये गये हैं निरर्थक हैं क्योंकि संसद के अधिकार संरक्षित हैं और जो कुछ मैं बहस में हस्तक्षेप करके कहना चाहता था, वह था कि कोई भी खुश नहीं होगा कि उन्हें इस संविधान में प्रावधान करना पड़ा है, लेकिन ठीक इसी समय हम अपने कर्त्तव्य पालन में असफल हो रहे होंगे यदि हम इन प्रावधानों को संविधान में नहीं रखते जो कि उन लोगों को काबिल बनायेंगे जिनका संविधान की सुरक्षा के लिए भविष्य में देश की मंजिलों पर नियंत्रण होगा, ताकि इस सदन में या और कहीं लोग ये समझेंगे कि इन आपातकालीन प्रावधानों को आवश्यक बुराई के रूप में सहन किया जाना है, और इन प्रावधानों के बिना यह बहुत संभव है कि संविधान को बनाने के सभी प्रयत्न अंततः तहस–नहस हो जायें और संविधान खतरे में पड़ सकता है जब तक कि कार्यपालिका को संविधान की सुरक्षा के लिए पर्याप्त अधिकार नहीं दिये जाते। महोदय, मैं डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित संशोधन का समर्थन करता हूँ।

श्री एच. वी. कामथ : क्या मैं अपने माननीय मित्र, श्री टी.टी. कृष्णमाचारी को बता सकता हूँ कि वैमर संविधान के अनुच्छेद 48 के संदर्भ में मैंने जो बात की वह यह है कि हिटलर ने ठीक उन्हीं प्रावधानों का अपनी तानाशाही स्थापित करने के लिए प्रयोग किया था।

माननीय सभापति : डॉ. अम्बेडकर बोलना पसन्द करेंगे।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं नहीं जानता; बहुत अधिक देर तक बहस हो चुकी है। यदि सदस्यों, जिन्होंने बहस में भाग लिया है, की इच्छा है कि मैं कुछ

* सीएडी, खण्ड IX, 2 अगस्त, 1949, पृ. 125–126

कहूँ तो मुझे ऐसा करते हुए प्रसन्न होना चाहिए और तो भी यह केवल कल किया जा सकता है।

माननीय सभापति : मैं सोचता हूँ कि श्री टी. टी. कृष्णमाचारी ने सभी बिन्दुओं पर विचार कर लिया है और आपके लिए इन बिन्दुओं का उत्तर देना आवश्यक नहीं है जो सदस्यों द्वारा उठाये गये हैं।

पं. ठाकुरदास भार्गव : हमें किसी दूसरे उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

माननीय सभापति : यदि आप उत्तर नहीं देते तो मैं नहीं सोचता कि यह उन सदस्यों के प्रति अनादर प्रकट करता है जिन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं लेकिन यदि आप उत्तर देना चाहते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपको ऐसा करने से रोक नहीं सकता। क्या आप उत्तर देने के लिए अधिक समय लेंगे?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं कुछ वक्त लूंगा। मैंने सोचा था कि किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ने उन बिन्दुओं का पहले ही उत्तर दे दिया है।

प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना : हम उन्हें कल सुनेंगे। किसी भी स्थिति में हम उन्हें सुनना चाहते हैं।

माननीय सभापति : मैं केवल समय के बारे में सोच रहा हूँ। मैं नहीं समझता कि किसी उत्तर की विशेषतया आवश्यकता है। मैं अब संशोधनों को मतदान कराने के लिए रखूंगा।

[सभी 4 संशोधन नकार दिये गये और अनुच्छेद 276 जैसा कि डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित किया गया अपना लिया गया तथा संविधान में जोड़ दिया गया।]

* * * *

अनुच्छेद 276

*__श्री नजीरुद्दीन अहमद (पश्चिम बंगाल : मुसलमान)__ : क्या मैं बता सकता हूँ कि 3003 एक प्रारूपण संशोधन है? यह केवल कुछ शब्दों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थान्तरित करता है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (बम्बई : जनरल) : यदि यह ऐसा है तो मैं सहमत हूँ।

(संशोधन 3004 और 3005 प्रस्तावित नहीं किए गये।)

---

*· सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 3 अगस्त, 1949, पृ. 129

माननीय सभापति : संख्या 3006 ठीक तौर पर प्रारूपण प्रकृति का नहीं है। 3006, 3003 का परिणामी है। इसलिए दोनों का प्रस्ताव करना अच्छा होगा।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं प्रस्ताव करने की प्रार्थना करता हूँ:

"कि अनुच्छेद 276 में, 'इस संविधान में समाविष्ट किसी बात का विरोध न करते हुए' शब्दों को 'तब' शब्द के बाद मिटा दिया जाय और 'इस संविधान में' समाविष्ट किसी बात का विरोध न करते हुए' शब्दों को इसी अनुच्छेद की धारा (अ) के शुरू में सन्निविष्ट किया जाय।"

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ:

"कि अनुच्छेद 276 की धारा (ब) में शब्द 'किसी ऐसी बात का विरोध न करते हुए जो संघीय सूची में नाम लेकर नहीं बतायी गयी है' अन्त में जोड़ दिये जाएं।"

(पूरक सूची की संशोधन संख्या 119 प्रस्तावित नहीं की गयी।)

माननीय सभापति : दूसरा कोई संशोधन नहीं है।

* * * *

***श्री टी. टी. कृष्णमाचारी (मद्रास : जनरल)** : अध्यक्ष महोदय, मुझे भय है कि यदि मेरे मित्र श्री नजीरुद्दीन अहमद भारत सरकार अधिनियम के अनुच्छेद 126अ को देखेंगे तो वे पायेंगे कि क्यों डॉ. अम्बेडकर का संशोधन आवश्यक है क्योंकि 276(ब) आपातकाल के समय कार्यपालिका का अधिकार संघ को दे देता है जब आपातकाल घोषित कर दिया गया है और ये शब्द अर्थ को पूर्णतया स्पष्ट करने के लिए आवश्यक हैं। भारत सरकार अधिनियम अनुच्छेद 126–अ में प्रयुक्त भाषा के संदर्भ में चीजें स्पष्ट कर दी गयी हैं। यदि वे उस अनुच्छेद को पुनः पढ़ेंगे तो वे पायेंगे कि इस अनुच्छेद में इन शब्दों को सम्मिलित करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

माननीय सभापति : आप कुछ नहीं कहना चाहते। डॉ. अम्बेडकर?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : नहीं, महोदय, मेरे लिए कुछ भी कहना आवश्यक नहीं है।

माननीय सभापति : तब मैं संशोधनों को मतदान के लिए रखूंगा।

[डॉ. अम्बेडकर का संशोधन अपना लिया गया। अनुच्छेद 276 जैसा संशोधित किया गया संविधान में जोड़ दिया गया।]

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 3 अगस्त, 1949, पृ. 130

अनुच्छेद 188, 277–अ, 278 और 278–अ

*__माननीय सभापति__ : तब हम अनुच्छेद 277 पर आते हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं अनुच्छेद 277 को इस समय रोक कर रखना पसन्द करूंगा।

माननीय सभापति : तब क्या हम अनुच्छेद 277–अ लें? अनुच्छेद 277 इस समय रोक कर रखा गया है और हम अनुच्छेद 277–अ लेते हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं सोचता हूँ यह अच्छा होगा यदि तीनों संशोधन एक साथ ही लिए जायें, उदाहरणार्थ अनुच्छेद 188 को छोड़ने के लिए संशोधन, नये अनुच्छेद 277–अ को सन्निविष्ट कराना और पुराने अनुच्छेद 278 को दो नये अनुच्छेदों 278 और 278–अ द्वारा प्रतिस्थापित करना क्योंकि वे सजातीय मामले हैं। मतदान के उद्देश्य के लिए उन्हें अलग–अलग रखा जा सकता है। लेकिन चर्चा के लिए, मैं सोचता हूँ कि उन्हें साथ–साथ लिया जा सकता है।

माननीय सभापति : अनुच्छेद 188, 278 और 278–अ साथ–साथ लिए जा सकते हैं क्योंकि वे सजातीय मामलों से संबंध रखते हैं और यह अच्छा होगा यदि सभी अनुच्छेदों पर चर्चा एक साथ हो जाय, यद्यपि हम उन पर मतदान अलग–अलग करा सकते हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि अनुच्छेद 188 को मिटा दिया जाय।"

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि अनुच्छेद 277 के बाद, अधोलिखित नया अनुच्छेद सन्निविष्ट किया जायः

राज्य को बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से बचाने के लिए संघ का कर्त्तव्य।

'277–अ प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक अशांति के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने का तथा प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चल रही है यह सुनिश्चित करना संघ का कर्त्तव्य होगा।'"

और तब, महोदय, मैं सूची II की संशोधन संख्या 160 का प्रस्ताव करता हूँ, जो इस प्रकार है :

"कि अनुच्छेद 278 के लिए, अधोलिखित अनुच्छेदों को प्रतिस्थापित किया जाए :

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 3 अगस्त, 1949, पृ. 130–35

राज्य में संवैधानिक मशीनरी के खराब हो जाने की स्थिति में प्रावधान।

278. (1) यदि राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल या शासक से रिपोर्ट पर या अन्यथा संतुष्ट है कि राज्य की सरकार इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलायी जा सकती है, तो राष्ट्रपति घोषणा द्वारा –

(अ) राज्य की सरकार के सभी या किसी कार्य को तथा राज्यपाल या शासक जैसी भी स्थिति हो में निहित या उसके द्वारा प्रयोज्य शक्तियों अथवा राज्य की विधानपालिका के अतिरिक्त राज्य में किसी निकाय या सत्ता को अपने हाथों में ले सकता है;

(ब) घोषित कर सकता है कि राज्य की विधानपालिका की शक्तियां संसद की सत्ता के तहत या द्वारा प्रयोज्य होंगी;

(स) ऐसे आकस्मिक व परिणामी प्रावधान बना सकता है जो राष्ट्रपति को घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावकारी बनाने के लिए आवश्यक या वांछनीय लगते हैं जिनमें राज्य में किसी सत्ता या निकास से संबंधित इस संविधान के किन्हीं प्रावधानों को पूर्णतः या अंशतः निलम्बित करने वाले प्रावधान भी सम्मिलित हैं :

बशर्ते कि इस धारा की कोई बात राष्ट्रपति को किसी उच्च न्यायालय द्वारा प्रयुक्त या उसमें निहित किन्हीं शक्तियों को अपने हाथ में लेने अथवा उच्च न्यायालयों से संबंधित इस संविधान के प्रावधानों के संचालन को पूर्णतः या अंशतः निलम्बित करने के लिए अधिकृत नहीं करेगी।

(2) इस प्रकार की कोई घोषणा किसी बाद की घोषणा द्वारा रद्द अथवा परिवर्तित की जा सकती है।

(3) इस अनुच्छेद के तहत हर एक घोषणा संसद के प्रत्येक सदन में रखी जाएगी सिवाय उस स्थिति के जहाँ यह घोषणा पूर्व घोषणा को रद्द कर रही है, दो महीने की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जायेगी जब तक कि उस अवधि से पहले यह संसद के दोनों सदनों के प्रस्तावों द्वारा अनुमोदित नहीं कर दी गयी हो:

बशर्ते कि यदि इस प्रकार की कोई घोषणा उस समय जारी की जाती है जब लोकसभा भंग कर दी गयी है या यदि लोकसभा इस धारा में उल्लिखित दो महीने के दौरान भंग होती है और उस अवधि की समाप्ति से पूर्व वह घोषणा लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित नहीं की गयी है तो वह घोषणा उस तारीख से तीस दिन की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जायेगी। जब लोकसभा पुनर्गठन के बाद पहली बार बैठती है और जब तक कि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों द्वारा घोषणा को अनुमोदित करने वाले प्रस्ताव पारित नहीं कर दिये गये हैं।

(4) इस प्रकार अनुमोदित कोई घोषणा, जब तक रद्द नहीं की जाती, उस तारीख से छह महीने की अवधि की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएगी जब इस अनुच्छेद की धारा (3) के तहत उस घोषणा को अनुमोदित करने के लिए दूसरा प्रस्ताव पारित हुआ था:

बशर्ते कि यदि और इस प्रकार प्रायः ऐसी घोषणा प्रभाव में निरंतरता को अनुमोदित करते हुए प्रस्ताव के रूप में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाती है तो वह घोषणा, जब तक रद्द नहीं की जाती, उस तारीख से और छह महीने की अवधि तक प्रभावी रहेगी जिस तारीख को इस धारा के तहत वह अन्यथा निष्प्रभावी हो गयी होती, लेकिन ऐसी कोई भी घोषणा किसी भी सूरत में तीन साल से अधिक अवधि के लिए प्रभावी नहीं रहेगी:

बशर्ते आगे कि यदि लोकसभा छह महीने की किसी ऐसी अवधि के दौरान भंग होती है और ऐसी घोषणा के लागू बने रहने की निरंतरता को अनुमोदित करते हुए लोकसभा द्वारा उक्त अवधि के दौरान प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है, तो वह घोषणा उस तारीख के तीस दिन की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जायेगी जब लोकसभा पुनर्गठन के बाद पहली बार बैठती है जब तक कि उस अवधि की समाप्ति से पहले उस घोषणा का अनुमोदन करते हुए संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित नहीं कर दिये जाते हैं।"

"278–अ. (1) जहाँ इस संविधान के अनुच्छेद 278 की धारा (1) के तहत जारी की गयी एक घोषणा द्वारा यह घोषित किया गया है कि राज्य की विधानपालिका की शक्तियां संसद या उसके तहत सत्ता के द्वारा प्रयोज्य होंगी, तो वह योग्य होगी –

(अ) संसद द्वारा राज्य के लिए कानून बनाने के अधिकार को राष्ट्रपति या उसके द्वारा विशेष रूप से उल्लिखित किसी अन्य प्राधिकरण को उसके पक्ष में सौंपने के लिए;

(ब) संसद द्वारा अथवा राष्ट्रपति अथवा किसी प्राधिकरण जिसको कानून बनाने का अधिकार इस धारा के उपखण्ड (अ) में सौंपा गया है के लिए भारत सरकार अथवा अधिकारियों और भारत सरकार के प्राधिकरणों पर अधिकार प्रदत्त करते हुए और कर्त्तव्य निर्धारित करते हुए या इनके लिए अधिकृत करते हुए कानून बनाने हेतु;

(स) राष्ट्रपति को जब लोकसभा का सत्र चालू नहीं है राज्य के समेकित कोष से व्यय अधिकृत करने हेतु इस प्रकार के व्यय की संसद द्वारा स्वीकृति लम्बित करते हुए;

(द) इस संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत राष्ट्रपति के लिए अध्यादेश जारी करने हेतु सिवाय जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चालू है।

(2) संसद के द्वारा या इसके प्राधिकार के तहत बनाया गया कोई कानून जिसे संसद या राष्ट्रपति या इस अनुच्छेद की धारा (1) के उपखण्ड (अ) में उल्लिखित कोई अन्य प्राधिकरण इस संविधान के अनुच्छेद 278 के अंतर्गत जारी घोषणा के अतिरिक्त बनाने के योग्य नहीं होती तो वह प्राधिकरण अयोग्यता की हद तक घोषणा के निष्प्रभावी होने के कए वर्ष की अवधि की समाप्ति पर प्रभावहीन हो जायेगी सिवाय जैसे उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व चीजें की गयी या करने से निकाल दी गयी हैं जब तक कि वे प्रावधान जो इस प्रकार निष्प्रभावी हो जायेंगे शीघ्र ही समाप्त कर दिये जाते हैं या राज्य की विधानपालिका के अधिनियम द्वारा संशोधनों के साथ या उनके बिना पुनः लागू किये जाते हैं।"

श्री एच. वी. कामथ (सी.पी. और बरार : जनरल) : अनुच्छेद 188 भी?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैंने कहा है कि 188 को मिटा दिया जायेगा। संशोधन प्रस्तावित करने की वास्तव में आवश्यकता नहीं है लेकिन सदन को पूरी तस्वीर के बारे में अवगत कराने के लिए मैंने कहा है कि हम अनुच्छेद 188 को हटाने का प्रस्ताव करते हैं।

महोदय, मैं पूर्वानुमान करता हूँ कि इस अनुच्छेद पर संभवतः पूर्णतया बहस होगी और मुझसे किसी चरण में आलोचना के उन बिन्दुओं के विषय में व्याख्या का प्रस्ताव करने की मांग की जा सकती है जिन्हें उठाया जा सकता है इसलिए मैं सोचता हूँ कि यह अच्छा होगा यदि मैं उन बिन्दुओं पर एक बहुत विस्तृत विवेचन नहीं करता हूँ जो नई योजना के तहत उठने हैं। मैं प्रारम्भ में केवल चीजों की बनावट की रूपरेखा बताने का प्रस्ताव करता हूँ जिसकी हम अनुच्छेद 188 को निकालकर, अनुच्छेद 277–अ को जोड़कर, तथा पुराने अनुच्छेद 278 के लिए दो नये अनुच्छेदों 278 तथा 278–अ के प्रतिस्थापन द्वारा व्यवस्था करते हैं।

मैं सोचता हूँ मैं सदन को याद दिलाते हुए शुरूआत कर सकता हूँ कि सदन इस पर सहमत हो गया है, जब हम संविधान के सामान्य सिद्धांतों पर विचार कर रहे थे, कि संविधान को संविधान के खराब हो जाने के लिए कुछ मशीनरी की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, संविधान में कोई प्रावधान सन्निविष्ट किया जाना चाहिए जो कि किसी सीमा तक भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अनुच्छेद 93 में निहित प्रावधानों के सदृश होगा। इस चरण में जब यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया, यह प्रस्तावित किया गया कि यदि राज्य का राज्यपाल महसूस करता है कि राज्य के मामलों के प्रशासन के लिए इस संविधान द्वारा स्थापित मशीनरी खराब हो जाती है तो राज्य के राज्यपाल को घोषणा द्वारा एक पखवाड़े के लिए राज्य के प्रशासन को अपने हाथों में लेने का अधिकार होना चाहिए और उसके बाद

मामले को राष्ट्रपति को बता देना चाहिए कि उसने घोषणा जारी कर दी है और प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया है और राज्यपाल द्वारा मूल अनुच्छेद 188 के तहत बनाये गये प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 278 के तहत कार्यवाही कर सकता है। यह मूल योजना थी।

अब महसूस किया जाता है कि कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होता यदि वहाँ वास्तविक आपातकाल है जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रपति को राज्यपाल को प्रथम दृष्टि में संविधान को केवल एक पखवाड़े के लिए निलंबित रखने के अधिकार की अनुमति प्रदान करते हुए कार्यवाही करनी है। यदि राष्ट्रपति को अंततः संविधान में निहित संविधान को बनाये रखने के लिए प्रांतीय क्षेत्र में प्रवेश करने की जिम्मेदारी लेनी है तब यह अधिक अच्छा है कि राष्ट्रपति को इस क्षेत्र में बिल्कुल आरंभ में आ जाना चाहिए। इस आधार पर कि यह इस परिस्थिति के लिए उचित दृष्टिकोण है, उदाहरणार्थ कि यदि उत्तरदायित्व राष्ट्रपति का है तो राष्ट्रपति को बहुत पहले से क्षेत्र में आ जाना चाहिए, यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 188 निरर्थक है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यही कारण है जिसके लिए मैंने प्रस्ताव किया है कि अनुच्छेद 188 को हटा दिया जाय।

अब मैं अनुच्छेद 277अ पर आता हूँ। कुछ लोग यह सोच सकते हैं कि अनुच्छेद 277अ केवल पुण्य घोषणा है कि उसे वहाँ नहीं होना चाहिए। प्रारूपण समिति का भिन्न विचार है इसलिए मैं व्याख्या करना चाहूँगा कि ऐसा क्यों है कि प्रारूपण समिति महसूस करती है कि अनुच्छेद 277अ होना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि इस पर सहमति है कि हमारा संविधान, संविधान में ऐसे प्रावधानों के होने के बावजूद भी जिनके आधार पर केन्द्र को राज्यों की अवहेलना करने का अधिकार दिया गया है, तथापि यह एक संघीय संविधान है और जब हम कहते हैं कि हमारा संविधान एक संघीय संविधान है तो इसका यह अर्थ है कि राज्यों को दिये गये क्षेत्रों में राज्य उतने ही सम्प्रभु हैं जितना कि केन्द्र को मिले क्षेत्र में केन्द्र सम्प्रभु है। दूसरे शब्दों में, ऐसे प्रावधानों को छोड़कर जो केन्द्र को राज्य के द्वारा पारित किए गये कानूनों की अवहेलना करने की अनुमति प्रदान करते हैं राज्यों को उस राज्य की शांति के लिए व्यवस्था के लिए तथा अच्छी सरकार के लिए कोई भी कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। अब, जबकि एक बार संविधान राज्यों को सम्प्रभु बना देता है और उन्हें उस राज्य की शांति के लिए व्यवस्था के लिए और अच्छी सरकार के लिए कानून बनाने हेतु पूर्ण अधिकार देता है, वास्तव में, केन्द्र का या किसी भी सत्ताधारी का हस्तक्षेप बाधित माना जायेगा क्योंकि वह राज्य की संप्रभु सत्ता का अतिक्रमण होगा। यह एक मूल प्रतिज्ञप्ति है जिसे मैं समझता हूँ हमें इस सच्चाई की वजह से अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि हमारा संविधान संघीय है। ऐसा होने पर, यदि केन्द्र प्रांतीय

मामलों के प्रशासन में हस्तक्षेप करता है जैसा कि हमने केन्द्र को अनुच्छेद 278 के द्वारा प्राधिकृत करने का प्रस्ताव किया है, यह किसी कर्त्तव्य के तहत या इसके द्वारा जरूर होना चाहिए, जो कि संविधान केन्द्र पर आरोपित करता है। अतिक्रमण एक ऐसा अतिक्रमण नहीं होना चाहिए जो कि अकारण, मनमाना तथा कानून द्वारा अप्राधिकृत है। इसलिए यह बिल्कुल स्पष्ट करने के लिए कि अनुच्छेद 278 तथा 278–अ केन्द्र द्वारा राज्य की सत्ता का अकारण अतिक्रमण न माने जायें, हम अनुच्छेद 277–अ को सन्निविष्ट करने का प्रस्ताव करते हैं। जैसा कि सदस्य देखेंगे, अनुच्छेद 277–अ कहता है कि प्रत्येक इकाई की सुरक्षा करना तथा संविधान को बनाये रखना संघ का कर्त्तव्य होगा। जहाँ तक इस प्रकार के कर्त्तव्य का संबंध है यह पाया जायेगा कि केवल हमारा संविधान ही ऐसा नहीं है जो कि इस कर्त्तव्य की व्यवस्था करने जा रहा है। ऐसी ही धारायें अमेरिका के संविधान में भी हैं व आस्ट्रेलिया के संविधान में भी हैं, जहाँ कि संविधान, अभिव्यक्ति के शब्दों में, यह व्यवस्था करता है कि राज्यों या इकाईयों को बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से सुरक्षा प्रदान करना केन्द्र सरकार का कर्त्तव्य होगा। जो कुछ भी हम प्रस्ताव कर रहे हैं वह अमेरिकी तथा आस्ट्रेलियाई संविधान में व्यक्त किये गये सिद्धांत में एक और धारा जोड़ने का है, उदाहरणार्थ, कि राज्यों में कानून द्वारा लागू किये गये संविधान को बनाये रखना भी संघ का कर्त्तव्य होगा। इसमें नया कुछ भी नहीं है और जैसा मैंने तथ्यों को देखते हुए कहा कि हम राज्यों को पूर्ण अधिकारों से सम्पन्न कर रहे हैं और उन्हें अपने क्षेत्र के अन्दर सम्प्रभु बना रहे हैं, यह व्यवस्था करना आवश्यक है कि यदि केन्द्र द्वारा प्रांतीय क्षेत्र का कोई अतिक्रमण किया जाता है तो वह इस कर्त्तव्य के पालन के लिए होगा। यह कर्त्तव्य पूरा करने का कार्य होगा और इसे, जहाँ तक संविधान का संबंध है, अकारण, मनमाना, अप्राधिकृत कार्य नहीं माना जायेगा। यही कारण है जिसके लिए हमने अनुच्छेद 277–अ को सन्निविष्ट किया है।

अनुच्छेद 278 तथा 278अ के संबंध में यद्यपि ये अलग–अलग दो धारायें प्रतीत होती हैं, वे केवल मूल अनुच्छेद 278 के ही भाग हैं। अनुच्छेद 278 में कुछेक सात धारायें हैं। पहली चार धारायें नये अनुच्छेद 278 में सन्निहित हैं। धारा (4) से आगे अनुच्छेद 278–अ में रखी गयी हैं। यह विभाजन करने की वजह, कहने के लिए, है क्योंकि अन्यथा सम्पूर्ण अनुच्छेद 278 इतना विस्तृत हो जाता कि संभवतः सदस्यों को इसके विभिन्न प्रावधानों को समझ पाना कठिन होता। यह समझने के लिए, कहने के लिए, यह विभाजन किया गया है।

अनुच्छेद 278 के संबंध में, पहला परिवर्तन जो दिखाई देता है वह यह है कि राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा कार्रवाई करनी है। मूल अनुच्छेद 188

में केवल यह उपबंधित था कि राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट पर कार्रवाई करनी चाहिए। अन्यथा शब्द उसमें नहीं था। तथ्य की दृष्टि से अब यह महसूस किया गया है कि अनुच्छेद 277—क जो अनुच्छेद 278 से पहले आता है, केन्द्र पर एक कर्त्तव्य और बाध्यता अधिरोपित करता है, राष्ट्रपति की कार्रवाई को निबंधित और सीमित करना उचित नहीं होगा जो प्रांत के राज्यपाल की रिपोर्ट पर निःसंदेह कर्त्तव्य की पूर्ति में होगी। हो सकता है, राज्यपाल कोई रिपोर्ट ही न दे। फिर भी तथ्य ऐसे हैं कि राष्ट्रपति महसूस करे कि उसका हस्तक्षेप आवश्यक और सन्निकट है। मेरे विचार में, अनुच्छेद 277—क के पुरःस्थापन के फलस्वरूप आवश्यक होने के कारण हमें राष्ट्रपति को तब भी कार्रवाई करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए जब राज्यपाल की कोई रिपोर्ट न हो और जब राष्ट्रपति की जानकारी में कुछ तथ्य आएं जिन पर उसके विचार में, उसे अपना कर्त्तव्य पूरा करने के लिए कार्रवाई अवश्य करनी चाहिए।

अनुच्छेद 278 द्वारा किया गया दूसरा परिवर्तन यह है कि मूलतः विधायिका के प्राधिकार और उसकी शक्तियों का प्रयोग केवल संसद द्वारा किया जा सकता था। अब उपबंध किया गया है कि इस प्राधिकार का प्रयोग कोई भी कर सकेगा जिसे संसद अपना प्राधिकार प्रत्यायोजित करे। प्रांतीय विधानमंडलों की, जो निलम्बित किए गए हों, विधायी शक्तियों को वस्तुतः और यथार्थतः अपने कब्जे में लेना संसद पर अत्यधिक बोझ डालना हो सकता है, क्योंकि हो सकता है संसद के पास पहले से इतना काम हो कि उसके लिए उन प्रांतों के लिए आवश्यक विधायन करना संभव न हो जिनके विधानमंडल को उद्घोषणा के द्वारा निलम्बित किया जा चुका है। अतः विधायन सुकर बनाने की खातिर अब यह उपबंध किया गया है कि संसद या तो स्वयं कर सकेगी या कतिपय शर्तों और निबंधनों एवं प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए, विधायन का काम करने के लिए किसी अन्य प्राधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगी।

एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। वह यह है कि उद्घोषणा दो मास बीतने पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी जब तक कि उस अवधि के बीतने से पूर्व संसद, संकल्प द्वारा उसे आगे जारी रखना अनुमोदित न करे। मूलतः उपबंध यह था कि वह छह मास तक प्रवर्तन में रहेगी जब तक कि संसद द्वारा उसका विस्तार न किया जाये। वर्तमान प्रारूप में, वह अवधि केवल दो मास तक सीमित की गई है। इसके बाद यदि उद्घोषणा जारी रखी जानी है तो वह संसद को संकल्प द्वारा अनुसमर्थित करनी होगी।

इसमें दूसरा परिवर्तन यह किया गया है जो कि मूल अनुच्छेद में था कि यदि संसद ने एक बार उद्घोषणा को अनुसमर्थित कर दिया हो तो वह उद्घोषणा और आगे अनुसमर्थन के बिना बारह मास तक स्वतः जारी रह सकती थी। इस स्थिति को भी बदल दिया गया है। उस बारह मास की अवधि को छह मास की दो अवधियों

में विभक्त कर दिया गया है और प्रथम अनुसमर्थन के पश्चात! उद्घोषणा छह मास तक जारी रह सकती है और फिर उसे पुनः संसद द्वारा अनुसमर्थित किया जाना होगा। संसद के अनुसमर्थन के बाद वह केवल छह मास तक ही जारी रहेगी। संसद द्वारा उसका पुनः अनुसमर्थन होगा क्योंकि संसद द्वारा अनुसमर्थित किए जाने के बाद छह मास की ही अवधि की उद्घोषणा अनुज्ञात है। उसे आगे जारी रखने के लिए आगे अनुसमर्थन आवश्यक है और हमने तीन वर्ष की आखिरी सीमा रखी है। तीन वर्ष के अंत में न तो संसद और न ही राष्ट्रपति, उस प्रांत में जिसमें यह उद्घोषणा प्रभावी है, विद्यमान वस्तु–स्थिति को जारी रख सकता है।

अब मैं अनुच्छेद 278–अ पर आता हूँ। इसका उपखंड (क) जो नया उपखंड है इसमें उपबंधित है कि संसद–राज्य की विधियां बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को अथवा इस निमित्त उनके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकती है।

इस अनुच्छेद का उपखंड (ख) केवल एक पारिणामिक परिवर्तन है जो अनुच्छेद 278–अ के खंड (1) के उपखंड (क) के परिणामस्वरूप है। इसमें लिखा है कि किसी विधि, जो संसद द्वारा बनाई गई हो या इस निमित्त संसद द्वारा नियत किसी अभिकरण द्वारा बनाई गई हो, को प्रभावी रूप देने के लिए प्राधिकार या तो भारत सरकार के अधिकारियों को या प्रांतीय सरकारों के अधिकारियों को भी प्रदत्त किया जा सकेगा।

अनुच्छेद 278–अ के खंड (1) का उपखंड (ग) एक नया उपखंड है। इसमें बजट की मंजूरी के लिए उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 278 के मूल प्रारूप में इस बारे में कोई उपबंध नहीं था कि ऐसे प्रांत का बजट कैसे तैयार किया जाए और मंजूर किया जाए जिसका विधानमंडल निलम्बित किया जा चुका है। अनुच्छेद 278–अ में खंड (1) का उपखंड (ग) समाविष्ट करने से अब स्थिति स्पष्ट हो गई है। इसमें स्पष्ट रूप में लिखा है कि जब लोकसभा का सत्र चालू न हो, राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि में से व्यय, संसद द्वारा ऐसे व्यय की मंजूरी के लंबित रहने तक प्राधिकृत कर सकेगा।

उपखंड (घ) द्वारा इसे बहुत स्पष्ट कर दिया गया है जो संभवतः इस अनुच्छेद में पहले से विवक्षित था, कि राष्ट्रपति भी किसी विशिष्ट प्रांत का प्रशासन चलाने के लिए, जिसका प्रबंध ग्रहण कर लिया गया है जब कि दोनों सदन सत्र में नहीं हैं अध्यादेश जारी करने के लिए अनुच्छेद 102 द्वारा प्रदत्त की गई अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। मूल अनुच्देद 102 उन अध्यादेशों के विषय में था जो केंद्रीय सरकार के विषय में जारी किए जाने होते थे। अब हम उपखंड (घ) द्वारा यह स्पष्ट करते हैं कि राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसी भी अध्यादेश के बारे में करेगा जो उसके नियंत्रणाधीन लिए गए प्रांत के प्रशासन के संचालन के लिए पारित किया जाना आवश्यक हो।

*माननीय सभापति : मैं देखता हूँ कि अन्य अनेक वक्ता हैं और सदन पहले ही इस बहस पर पांच घंटे ले चुका है। मेरे विचार में, हमें यह चर्चा बंद कर देनी चाहिए और मैं नहीं समझता कि कोई नये तर्क पेश किए जाएंगे। यदि माननीय सदस्यों ने अब तक पेश किए गए तर्कों को सुनने के बाद अपना मन नहीं बनाया है तो कुछ और भाषण सुनने के बाद भी उनका ऐसा किया जाना संभव नहीं है। मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या सदन चर्चा को बंद करना चाहेगा।

अनेक माननीय सदस्य : प्रश्न रखा जाए, प्रश्न रखा जाए।

माननीय सभापति : डॉ. अम्बेडकर!

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (बम्बई : साधारण) : महोदय, यद्यपि इन अनुच्छेदों ने एक बहस को जन्म दिया है जो लगभग 5 घंटे चली है, फिर भी मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है जो बहस से निकली हो जो मुझसे यह अपेक्षा करे कि मैं इन अनुच्छेदों में समाविष्ट सिद्धांतों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलूं। अतः मैं किसी भी प्रकार के विस्तृत उत्तर के साथ सदन को ज्यादा समय रोककर नहीं रखूंगा।

सबसे पहले मैं अपने मित्र श्री कामथ द्वारा अनुच्छेद 277–अ में सुझाए गए संशोधन पर एक मिनट चर्चा करना चाहूँगा। उनका संशोधन है कि 'और' शब्द के स्थान पर 'अथवा' शब्द रखा जाए। मैं नहीं समझता कि यह आवश्यक है क्योंकि 'और' शब्द उस संदर्भ में जिसमें यह आया है, योजक और वियोजक दोनों है जिसे दोनों तरह पढ़ा जा सकता है, 'और' या 'अथवा' जैसा समयानुसार आवश्यक हो। अतः मैं नहीं समझता कि इस संशोधन को स्वीकार करना मेरे लिए आवश्यक है। हालांकि, मैं इस संशोधन को रखने में उनके आशय की प्रशंसा करता हूँ।

दूसरा संशोधन जिसका मैं उल्लेख करना चाहूँगा वह है जिसे मेरे मित्र प्रो. सक्सेना द्वारा पेश किया गया है। उसमें उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि राष्ट्रपति उद्घोषणा के अधीन जो–जो बातें कर सकता है उनमें से एक है विधानमंडल को विघटित करना। मेरे विचार में, उनका संशोधन सारतः यही है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि यह उन बातों में से एक है जिनके लिए उपबंध किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रांत के लोगों को विधानमंडल के निर्देश से स्थिति को ठीक करने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि यह स्थिति अनुच्छेद 278 के खंड (1) के उपखंड (क) के अंतर्गत पहले ही आ चुकी है क्योंकि उपखंड (क) द्वारा प्रस्तावित है कि राष्ट्रपति राज्यपाल या शासक द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों को स्वयं ग्रहण कर सकेगा। सदन का विघटन करना उन शक्तियों में से एक है जो निहित है और राज्यपाल द्वारा

---

*· सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 4 अगस्त, 1949, पृ. 175

प्रयोक्तव्य है। परिणामस्वरूप, जब राष्ट्रपति उद्घोषणा करता है और उपखंड (क) के अधीन इन शक्तियों को ग्रहण कर लेता है तो विधानमंडल को विघटित करने की और नये चुनाव कराने की शक्ति स्वतः राष्ट्रपति को अंतरित हो जाएगी। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग अपने मंत्रियों की सलाह पर करेगा। परिणामस्वरूप, मेरा निवेदन है कि मेरे मित्र प्रो. सक्सेना द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत पहले ही उपखंड में आ गया है, वह उसमें विवक्षित है। इसलिए उस स्वरूप का कोई अभिव्यक्त उपबंध करना आवश्यक नहीं है।

अब मैं अपने मित्र पंडित कुंजरू की टिप्पणी पर आता हूँ। यदि मुझे ठीक से याद है तो उनका पहला मुद्दा था कि सांविधानिक मशीनरी ठप्प हो जाने के बाद प्रशासन अपने हाथ में लेने की शक्ति एक नई चीज है जो किसी भी संविधान में नहीं मिलती। मेरा मत कृपया उनसे भिन्न है और मैं उनका ध्यान अमरीकी संविधान के अनुच्छेद की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा जहाँ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का कर्त्तव्य निश्चित रूप से संविधान की गणतांत्रिक प्रणाली को कायम रखने में व्यक्त है। जब हम कहते हैं कि संविधान को संविधान के उपबंधों के अनुसार बनाये रखना चाहिए तो हमारा व्यावहारिक अभिप्राय वही है जो अमेरिकी संविधान में अभिप्रेत है और वह यह है कि इस संविधान में विहित संविधान स्वरूप को अक्षुण्ण रखा जाना चाहिए। इसलिए जहाँ तक उस मुद्दे का संबंध है, हम नहीं समझते कि प्रारूपण समिति ने स्थापित सिद्धांत से कोई विचलन किया है।

आलोचना का दूसरा मुद्दा था कि अनुच्छेद 278 और 278अ इस कारण अनावश्यक है कि संविधान में पहले से अनुच्छेद 275 और 276 हैं। ससम्मान, मेरा निवेदन है कि उन्होंने (पं. कुंजरू ने) उन प्रयोजनों और आशयों को गलत समझा है जो अनुच्छेद 275 और वर्तमान अनुच्छेद 278 में अंतर्निहित है। उनका तर्क है कि आखिर आप जो चाहते हैं वह प्रांतीय विषयों पर विधायन का अधिकार है। वह अधिकार आपको अनुच्छेद 276 के अनुसार मिल जाता है क्योंकि उस अनुच्छेद के अधीन केन्द्र को, उद्घोषणा किए जाने पर, सूची II में वर्णित सब विषयों पर विधान बनाने की शक्ति मिल जाती है। मैं समझता हूँ कि यह अनुच्छेद 275 और 276 या अनुच्छेद 278 और 278–अ में अंतर्विष्ट उपबंधों की अत्यंत सीमित समझ है।

सबसे पहले मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि वे अवसर नितांत भिन्न हैं जब अनुच्छेदों के दो सेट प्रवर्तन में आएंगे। अनुच्छेद 275 राज्य के कार्यों में केन्द्र के हस्तक्षेप को सीमित करता है, जब आंतरिक या बाह्य आक्रमण अथवा युद्ध होता है। अनुच्छेद 278 में युद्ध अथवा आक्रमण से भिन्न कारणों से मशीनरी के असफल होने का उल्लेख है जैसाकि मैंने कहा, परिणामस्वरूप

प्रवर्तनशील खंड बिल्कुल भिन्न हैं। उदाहरण के लिए, जब अनुच्छेद 275 के अधीन युद्ध की उद्घोषणा की जा चुकी हो तो आपको प्रांतीय संविधान को निलम्बित करने का कोई प्राधिकार नहीं है। प्रांतीय संविधान प्रवर्तनशील रहेगा। विधानमंडल काम करता रहेगा और उसके पास वे शक्तियां रहेंगी जो संविधान द्वारा उसे दी गई हैं; कार्यपालिका अपनी कार्यपालक शक्तियां धारित किए रहेगी और प्रांत के कानून के अनुसार प्रांत का प्रशासन चलाती रहेगी। अनुच्छेद 276 के अधीन यह होता है कि केन्द्र को भी विधायन और प्रशासन की समवर्ती शक्ति मिल जाती है। अनुच्छेद 276 के अधीन यह सब होता है। लेकिन जब अनुच्छेद 278 प्रवर्तित होता है तो स्थिति बिल्कुल भिन्न हो जाएगी। तब प्रांत में कोई विधानमंडल नहीं होगा, क्योंकि विधानमंडल को निलम्बित कर दिया गया होगा। प्रांत में व्यावहारिक दृष्टि से कोई कार्यपालक प्राधिकारी नहीं होगा जब तक कि राष्ट्रपति द्वारा या संसद द्वारा या राज्यपाल द्वारा, उद्घोषणा द्वारा, कोई शक्ति छोड़ न दी गई हो। ये दो स्थितियां नितांत भिन्न हैं। मेरे विचार में, यह अनिवार्य है कि हमें वह सीमांकन करना चाहिए जो हमने अनुच्छेद 275 और अनुच्छेद 278 के संघटक शब्दों से बनाया है। मेरे विचारों में दो चीजों के मिश्रण से विकट दुविधा पैदा हो जाएगी।

पंडित हृदयनाथ कुंजरू (संयुक्त प्रांत : साधारण) : क्या मेरे माननीय मित्र एक बिंदु को स्पष्ट करने का कष्ट करेंगे? क्या अनुच्छेद 278 और अनुच्छेद 278–अ का प्रयोजन केन्द्र सरकार को, प्रांतों के सुशासन की खातिर प्रांतीय मामलों में दखल देने में समर्थ बनाना है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : नहीं, नहीं। केन्द्र को वह प्राधिकार नहीं दिया गया है।

पंडित हृदयनाथ कुंजरू : अथवा केवल तभी, जब प्रांत में ऐसा कुशासन हो जिससे लोक शांति संकट में पड़ सकती है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : तभी जब प्रांतों के संविधान शासन के लिए सरकार निर्धारित उपबंधों के अनुरूप न चलें। प्रांत में सुशासन है अथवा नहीं यह तय करना केन्द्र का काम है। मैं इस बिन्दु पर पूरी तरह स्पष्ट हूँ।

पंडित हृदयनाथ कुंजरू : समग्र रूप में संविधान के उपबंधों से समग्र रूप में यथार्थतः क्या अभिप्रेत है? सदन माननीय सदस्य से यह जानने के लिए हकदार है कि "संविधान के उपबंधों के अनुसार" वाक्यांश के अर्थ के बारे में उनका क्या विचार है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : अब मुझे पूरी बात पर बारीकी से विचार करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा और प्रत्येक अनुच्छेद के प्रति निर्देश करना अर्थात् यह

बताना कि इसमें यह सिद्धांत स्थापित है और यह बताना कि यदि प्रांत की कोई सरकार या प्रांत का कोई विधानमंडल उसके अनुसार काम नहीं करता है तो वह मशीनरी (तंत्र) की असफलता कहा जाएगा। मशीनरी की असफलता अभिव्यक्ति का प्रयोग, मैं देखता हूँ, भारत सरकार अधिनियम, 1935 में किया गया है। इसलिए हर कोई उसके तथ्यतः और विधितः अर्थ से पूर्णतः परिचित होगा। मेरे विचार में, और अधिक व्याख्या की आवश्यकता नहीं है।

श्री एच. वी. कामथ (सीपी बरार : साधारण) : जो संशोधन प्रो. सक्सेना और मैंने पेश किए हैं उनके बारे में क्या कहना है? क्या डॉ. अम्बेडकर उनका जवाब नहीं दे रहे हैं?

मननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता हूँ। मैं केवल उन संशोधनों का जवाब दे रहा हूँ या उल्लेख कर रहा हूँ जिनमें मेरे विचार में कोई सार है। मैं पेश किए गए हर संशोधन पर चर्चा नहीं कर सकता।

श्री एच.वी. कामथ : डॉ. अम्बेडकर केवल मौखिक रूप से प्रस्तावित किए गए संशोधनों का जवाब दे रहे हैं। क्या उन्हें प्रस्तावित किए गए सभी संशोधनों का जवाब नहीं देना चाहिए?

माननीय सभापति : मैं डॉ. अम्बेडकर को किसी खास तरीके से जवाब देने के लिए विवश नहीं कर सकता। उन्हें अपने तरीके से जवाब देने का हक है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जहाँ तक सदन में हुई विस्तृत बहस का संबंध है जिसमें सुझाव दिया गया है कि इन अनुच्छेदों का दुरूपयोग हो सकता है, मैं यह कहना चाहूँगा कि मैं सर्वथा इस बात से इंकार नहीं करता कि संभव है इन अनुच्छेदों का दुरूपयोग हो या इनका प्रयोग राजनीतिक प्रयोजनों के लिए हो। लेकिन यह आपत्ति तो संविधान के प्रत्येक भाग पर लागू होती है जो केन्द्र को प्रांतों पर अध्यारोही होने की शक्ति प्रदान करता है। वस्तुतः मैं अपने माननीय मित्र श्री गुप्ते द्वारा कल व्यक्त की गई भावनाओं की कद्र करता हूँ कि हमें उचित बात यह प्रत्याशित करनी चाहिए कि इन अनुच्छेदों को कभी प्रवर्तित नहीं किया जाएगा और वे निर्जीव अक्षर बने रहेंगे। यदि कभी उनका प्रवर्तन किया गया तो मुझे आशा है राष्ट्रपति, जिनके पास ये शक्तियां हैं, प्रांतों का प्रशासन वास्तव में निलम्बित करने से पूर्व उचित सावधानियां बरतेंगे। आशा है, वे सबसे पहला काम यह करेंगे कि वे गलती करने वाले प्रांत को केवल यह चेतावनी देंगे कि चीजें उस तरह नहीं हो रही हैं जैसी होनी संविधान के अनुसार आशायित हैं। यदि वह चेतावनी बेकार जाती है तो वे दूसरा काम यह करेंगे कि वे निर्वाचन आदेश देकर प्रांत के लोगों को अपना मामला स्वयं व्यवस्थित करने देंगे। जब ये दो उपचार भी बेकार हो जाएंगे तभी वे

इस अनुच्छेद का सहारा लेंगे। इन्हीं परिस्थितियों में वे इस अनुच्छेद का सहारा लेंगे। मैं नहीं समझता कि हम यह कह सकते हैं कि इन अनुच्छेदों को व्यर्थ में अंगीकार किया गया है अथवा यह कि राष्ट्रपति ने गलत कार्य किया है।

श्री एच. वी. कामथ : क्या डॉ. अम्बेडकर सदन को यह आश्वासन देने की स्थिति में हैं कि अनुच्छेद 143 का अब उपयुक्त ढंग से संशोधन किया जाएगा?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैंने ऐसा कहा है और मैं अब कहता हूँ कि जब प्रारूपण समिति द्वितीय वाचन के पश्चात् बैठक करेगी तो वह सम्पूर्ण अनुच्छेद 143 के उपबंधों पर विचार करेगी और यदि आवश्यक हुआ तो अनुच्छेद 143 का उपयुक्त ढंग से संशोधन किया जाएगा।

माननीय सभापति : अब मैं एक–एक करके संशोधन मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न है :

"कि अनुच्छेद 188 विलुप्त किया जाए।"

प्रस्ताव अंगीकृत हुआ।

अनुच्छेद 188 संविधान से हटा दिया गया।

अनुच्छेद 279

*__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :__ सभापति महोदय, मैं समझता हूँ केवल दो मुद्दे उठाये गये हैं। उनका उत्तर दिया जाना है। मेरे मित्र प्रो. सक्सेना ने जो मुद्दा उठाया है वह यह है कि आपातकाल में मूल अधिकारों में संशोधन संसद द्वारा किया जाना चाहिए, न कि राज्य द्वारा। यदि मेरे मित्र अनुच्छेद 13 के उपबंधों का हवाला देगें तो उन्हें स्वयं पता चल जाएगा कि हमने कोई भी परिवर्तन करने के लिए जो मूल अधिकारों पर प्रभाव डालें, केन्द्र और प्रांत दोनों को अनुज्ञात किया है, बशर्ते कि उनके द्वारा किए गए परिवर्तन युक्तियुक्त हों। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में, मूल अधिकारों पर प्रभाव डालने वाली विधियां बनाने का प्राधिकारी दोनों में निहित है और कोई कारण नहीं है कि उदाहरण के लिए इस सामान्य अधिकार को जो राज्य के पास है, आपातकाल में क्यों छीना जाए।

प्रो. शिब्बनलाल सक्सेना : लेकिन वे आपातकाल में निलम्बित हो जाएंगे।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : निलम्बन एक दूसरे अनुच्छेद में आते है। इस

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 4 अगस्त, 1949, पृ. 185

अनुच्छेद में केवल यह लिखा है कि शक्ति का प्रयोग राज्य द्वारा अर्थात् संसद एवं प्रांतों दोनों द्वारा किया जा सकता है चाहे अनुच्छेद 13 में कुछ भी कहा गया हो।

प्रो. शिब्बनलाल सक्सेना : आपातकाल में?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : हाँ, क्योंकि अन्य मामलों में यह एक सामान्य शक्ति है। जब कोई आपात नहीं होता तब भी दोनों को विषय पर विधान बनाने की शक्ति होती है। इसलिए मुझे कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता कि आपात के समय वह शक्ति क्यों छीनी जाए। दूसरी ओर, मुझे यह सोचना चाहिए था कि आपात उन कारणों में से एक था कि यह शक्ति राज्य को क्यों दी जाए।

अब, मेरे मित्र श्री कामथ की इस आलोचना के संबंध में कि अगला अनुच्छेद 280 इस प्रयोजन के लिए काफी है, मैं समझता हूँ यह पूरी स्थिति की भ्रामक धारणा है क्योंकि जब तक उपान्तरित करने की शक्ति नहीं दी जाएगी तब तक निलम्बन निरर्थक होगा। इसलिए अनुच्छेद 280 बिल्कुल पृथक विषय के बारे में है, इसका इस अनुच्छेद से कोई सरोकार नहीं है। इस अनुच्छेद को उसी रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए जिस रूप में यह प्रस्तावित है।

माननीय सभापति : मैं संशोधनों को मतदान के लिए रखता हूँ।

[3 संशोधन नकार दिए गए, अनुच्छेद 279 संविधान में जोड़ा गया।]

अनुच्छेद 280

*__माननीय सभापति :__ अब हम अनुच्छेद 280 को लेते हैं।

संशोधन संख्या 3028 – डॉ. अम्बेडकर !

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं प्रस्तावित करता हूँ

"कि वर्तमान अनुच्छेद 280 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखा जाए :

"280. जहाँ आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है वहाँ राष्ट्रपति आदेश द्वारा घोषणा कर सकेगा कि संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी न्यायालय में जाने का अधिकार तथा इस प्रकार प्रदत्त किसी अधिकार के प्रवर्तन के लिए किसी न्यायालय में लम्बित सब कार्यवाहियां उस अवधि में जिसके दौरान उद्घोषणा प्रवर्तन में है अथवा इससे कम उतनी अवधि के लिए निलम्बित रहेंगी जितनी आदेश में विनिर्दिष्ट की गई हो।"

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 4 अगस्त, 1949, पृ. 186

सदन देखेगा कि यह अनुच्छेद 280 वास्तव में मूल अनुच्छेद 280 में सुधार है। मूल अनुच्छेद 280 में उपबंध किया गया था कि अनुच्छेद 280 के प्रवर्तन को निलम्बित करने वाला राष्ट्रपति का आदेश उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने के बाद 6 मास की अवधि तक प्रभावी रहना चाहिए। अभिप्राय यह है कि गारन्टी जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट आदि निलम्बित रहेंगी भले ही निलम्बन की आवश्यकता समाप्त हो चुकी हो। महसूस किया गया कि कोई कारण नहीं है कि गारन्टी का यह निलम्बन मामले की जरूरत के बाद क्यों चलता रहे। वस्तुतः स्थिति में इतना सुधार हो सकता है कि गारन्टियां प्रवर्तनशील हो सकती हैं भले ही उद्घोषणा प्रवर्तन में बनी हुई है। अतः यह अनुज्ञात करने की दृष्टि से कि निलम्बन आदेश उद्घोषणा काल के बाद जारी नहीं रहेगा और उस समय से काफी पहले उसका अन्त हो सकता है जब उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं रही है, यह नया प्रारूप इस संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है और मुझे आशा है, सभा को इसे स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

* * * *

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर** : क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? कार्यवाहियों का निलम्बन, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जिसका निःसंदेह अर्थ है कार्यपालिका की सलाह पर है, जिसका निःसंदेह यह भी अर्थ है कि कार्यपालिका को विधायिका का विश्वास हासिल है किया जाना चाहिए या नहीं, इस बारे में मुद्दे की दृष्टि से, इसमें बेशक मतभेद है कि क्या निलम्बन कार्यपालिका के कृत्य द्वारा किया जाना चाहिए अथवा संसद द्वारा निर्मित विधि द्वारा। अतः मेरी इच्छा है कि इस अनुच्छेद पर चर्चा रोक दी जाए। ताकि प्रारूपण समिति इस विषय पर विचार कर सके। अब हम दूसरे अनुच्छेदों को ले सकते हैं।

माननीय सभापति : इस अनुच्छेद पर चर्चा रोकी जाती है।

इसके बाद हम अनुच्छेद 247 पर चर्चा करेंगे।

अनुच्छेद 247

****माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर** : महोदय, मैं प्रस्तावित करता हूँ –

"कि अनुच्छेद 247 से आरंभ होने वाले अनुच्छेदों के शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाए –

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 4 अगस्त, 1949, पृ. 198

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 4 अगस्त, 1949, पृ. 198–99

'साधारण'

*माननीय सभापति : मैं नहीं समझता कि इस विषय पर कोई चर्चा अपेक्षित है।

प्रश्न है :

कि अनुच्छेद 847 से प्रारंभ होने वाले अनुच्छेदों के शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाए :–

प्रस्ताव अंगीकृत हुआ।

* * * *

माननीय सभापति : क्या कोई बोलना चाहेंगे?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि वे शब्द प्रचूर सावधानी के साथ शामिल किए गए हैं। हो सकता है वे अनावश्यक हों लेकिन हो सकता है वे आवश्यक समझे जाएं। हम उन शब्दों को रखना चाहते हैं।

अनुच्छेद 247 संविधान में जोड़ा गया।

* * * *

अनुच्छेद 248

**माननीय सभापति : अब हम अनुच्छेद 248 को लेते हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं प्रस्तावित करता हूँ :

"कि अनुच्छेद 248 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखे जाएं:

"248. कोई कर, विधि के प्राधिकार के बिना उद्गृहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा।"

कर, विधि के प्राधिकार के बिना अधिरोपित न किए जाएं

"248क. (1) कतिपय करों और शुल्कों के शुद्ध आगम पूर्णतः या भागतः राज्यों को सौंप दिए जाने के संबंध में इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, भारत सरकार द्वारा जुटाए गए या प्राप्त किए गए सभी राजस्व या लोक धन राशियों की एक संचित निधि बनेगी जो ''भारत की संचित निधि" के नाम से ज्ञात होगी, तथा किसी राज्य सरकार द्वारा जुटाए गए या

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 4 अगस्त, 1949, पृ. 198

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 4 अगस्त, 1949, पृ. 1998–99

प्राप्त किए गए सभी राजस्व या लोक धनराशियों की एक संचित निधि बनेगी जो "राज्य की संचित निधि" के नाम से ज्ञात होगी।

(2) भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि में से कोई भी धनराशि विधि के अनुसार तथा इस संविधान में उपबंधित प्रयोजनों के लिए और रीति से ही विनियोजित की जाएंगी, अन्यथा नहीं।"

ये संशोधन उनके पारिणामिक हैं जिन्हें हम पूर्व में पहले ही स्वीकार कर चुके हैं।

[उपर्युक्त संशोधन द्वारा संशोधित यह अनुच्छेद अंगीकृत हुआ और संविधान में जोड़ा गया।]

* * * *

अनुच्छेद 249

***माननीय सभापति :** कोई और बोलना चाहता हो?

(कोई सदस्य खड़ा नहीं हुआ)

डॉ. अम्बेडकर, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (बम्बई : साधारण) : कहने के लिए कुछ नहीं है।

माननीय सभापति : अब मैं संशोधनों को मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न है :

"कि अनुच्छेद 249 के खंड (2) में, 'उस वर्ष में' शब्द विलुप्त किए जाएँ।"

संशोधन अंगीकृत हुआ।

माननीय सभापति : प्रश्न है :

"कि अनुच्छेद 249 के खंड (1) में 'ऐसे स्टाम्प शुल्क' शब्दों के बाद, 'जो संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन अधिरोपित हैं," शब्द अंतःस्थापित किए जाएं।

संशोधन अंगीकृत हुआ।

माननीय सभापति : प्रश्न है :

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 4 अगस्त, 1949, पृ. 208

"कि अनुच्छेद 249 के खंड (2) में 'भारत के राजस्व' शब्दों के स्थान पर 'भारत की संचित निधि' शब्द रखे जाएं।

संशोधन अंगीकृत हुआ।

माननीय सभापति : प्रश्न है :

"कि यथासंशोधित अनुच्छेद 249 संविधान का भाग होगा।"

प्रस्ताव अंगीकृत हुआ।

[यथासंशोधित अनुच्छेद 249 संविधान में जोड़ा गया।]

अनुच्छेद 250

***माननीय सभापति** : प्रस्ताव है :

"कि अनुच्छेद 250 संविधान का अंग है।"

(संशोधन सं. 2842 से 2850 पेश नहीं किए गए।)

श्री आर. के. सिधवा (सीपी एवं बरार : साधारण) : सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव है :

"कि अनुच्छेद 250 के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए।"

'उक्त वितरण के शुद्ध आगम राज्यों द्वारा अपनी अधिकारिता के स्थानीय प्राधिकरणों को सौंपे जाएंगे।'

[श्री सिधवा ने एक दूसरा संशोधन प्रस्तावित किया और उसके बाद उनका भाषण हुआ।]

* * * *

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मुझे बहुत अफसोस है। महोदय, मुझे शुरू में ही आपसे अनुरोध करना चाहिए था कि इस अनुच्छेद को अभी छोड़ दिया जाए।

माननीय सभापति : सुझाव है कि इस अनुच्छेद को अभी छोड़ दिया जाए।

* * * *

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 4 अगस्त, 1949, पृ. 209

अनुच्छेद 251

*माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक प्रस्तावित करता हूँ :

"कि अनुच्छेद 251 के खंड (2) में 'भारत के राजस्व' शब्दों के स्थान पर 'भारत की संचित निधि' शब्द रखे जाएँ।

**माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, अब मैं इस बात को स्पष्ट कर सकता हूँ। ऐसा करने से पहले मैं दूसरे संशोधन लेता हूँ।

एक संशोधन श्री बर्मन का है और दूसरा संशोधन प्रो. सक्सेना का है। मुझे अफसोस है कि मैं किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

यह प्रश्न कि क्या आयकर द्वारा संगृहीत राजस्व का प्रतिशत संविधान में ही या तो 60 प्रतिशत विहित कर दिया जाना चाहिए अथवा राष्ट्रपति के विनिश्चय के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। ऐसा मामला है जिसपर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों दोनों के द्वारा सम्मेलन में, जो इस विषय पर चर्चा करने के लिए दूसरे दिन बुलाया गया था, गहन विचार–विमर्श किया जा चुका है। यह सहमति हुई थी कि सर्वोत्तम यही होगा कि इस विषय पर राष्ट्रपति स्वयं विहित करें तथा संविधान में कोई अनुपात नियत नहीं किया जाना चाहिए।

दूसरा प्रश्न प्रो. सक्सेना द्वारा उठाया गया है। वह यह है कि 'विहित' शब्द के बजाय 'संसद द्वारा विहित' शब्द रखे जाएं। मुझे पुनः अफसोस है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। हमारी योजना है कि सबसे पहले राष्ट्रपति को स्वयं अनुपात विहित करने दें और दूसरी बार में वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्। हम संसद को बीच में नहीं लाना चाहते। क्योंकि उस स्थिति में, विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधियों के बीच बहुत खींचातानी होगी और इस तथ्य के कारण घोर अन्याय हो सकता है कि कुछ प्रांतों के संसद में बहुत ज्यादा सदस्य हों और कुछ प्रांतों के कम प्रतिनिधि हों। परिणामस्वरूप, मामले को संसद के ऊपर छोड़ने से व्यावहारिक दृष्टि से अभिप्रेत होगा कि उसे उन प्रांतों के मतों पर छोड़ देना जिनके पास केन्द्र में ज्यादा प्रतिनिधि हैं और इससे मेरे विचार में, न्याय पर कुठाराघात हो जाएगा जो आप विभिन्न प्रांतों के साथ करना चाहते हैं।

अब महोदय, उस कठिनाई पर आते हैं जो आपने उठाई हैं, "वे राज्य जिनके

---

*· सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 4 अगस्त, 1949, पृ. 111

** वही, पृ. 221–23

भीतर वह कर उस वर्ष में उद्ग्रहणीय है" शब्द आवश्यक हैं। ये शब्द भारत शासन अधिनियम, 1935 में आए हैं। ये शब्द तब क्यों समाविष्ट किए गए थे। इसका कारण यह था कि आयकर का उद्ग्रहण देशी रियासतों में नहीं किया जाना था जो भारतीय संघ में मिलने वाली थीं। आयकर के बदले, देशी रियासतों से अपेक्षित रहता था कि वे कुछ अंशदान करें, इसलिए यदि कर, उस रियासत में नहीं लगाया जाता तो वह रियासत हिस्से के लिए हकदार न होती। हम नहीं जानते कि वर्तमान संविधान के अधीन क्या प्रक्रिया होने वाली है। इस विषय पर एक समिति द्वारा विचार किया जा रहा है जो देशी रियासतों के वित्त के बारे में अन्वेषण करने के लिए नियुक्त की गई हैं। यदि उस समिति की सिफाारिश है कि आयकर सभी रियासतों में लगाया जाना चाहिए चाहे वे मूलतः भारतीय प्रांत या देशी रियासतें थीं तो स्वभावतः इन शब्दों को बदलना होगा। इस अनुच्छेद को प्रस्तावित करते समय मैं प्रारूपण समिति को यह स्वतंत्रता देना चाहता हूँ कि जब इस बाबत उस समिति की रिपोर्ट हमारे समक्ष आए तो वह कुछ संशोधनों पर सुझाव दें। इसी कारण ये शब्द यहाँ हैं।

माननीय सभापति : अब एक और बात। क्या मैं यह समझूं कि इसका आशय उन मामलों को उसके भीतर लेने का नहीं है जिसे ब्रिटिश भारत कहा जाता था?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : नहीं, नहीं, भाग 3 की रियासतें।

श्री बी. दास : डॉ. अम्बेडकर ने प्रांतों के प्रधानमंत्रियों और प्रारूपण समिति के सम्मेलन के फैसलों का हवाला दिया है। इस सदन को जानकारी नहीं है कि उनके बीच क्या हुआ तथा उनके विचार–विमर्श का परिणाम क्या है। जब तक उन विचार–विमर्शों का कार्यवृत्त सदन के पटल पर एक टिप्पणी के रूप में था अन्यथा न रखा जाए तब तक हम प्रारूपण समिति की कार्रवाई के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति में नहीं हैं।

माननीय सभापति : मैं समझता हूँ, यदि प्रांतों के किसी भी प्रधानमंत्री ने कोई भी प्रश्न उठाया होता तो वे प्रश्न उठाने के लिए यहाँ होते यदि वे प्रारूप से सहमत नहीं थे। अतः मैं मानता हूँ कि सदन के समक्ष प्रस्तुत प्रारूप पर प्रधानमंत्रियों की सहमति या सम्मति है।

श्री बी. दास : यह सदन उससे आबद्ध नहीं है जो कुछ प्रधानमंत्रियों और वित्त मंत्रियों ने इस सदन के बाहर किया है। यदि कोई फैसला किया गया तो उन दस्तावेजों की प्रतिलिपियां प्राप्त करना इस सदन का विशेषाधिकार एवं परमाधिकार है।

माननीय सभापति : प्रधानमंत्रियों और प्रारूपण समिति के किसी भी फैसले से यहाँ कोई भी आबद्ध नहीं हैं। यह सदन अपनी मर्जी से अपना मत देने के लिए स्वतंत्र है।

पंडित लक्ष्मीकांत मैत्रा : मैं एक मुद्दे पर डॉ. अम्बेडकर से स्पष्टीकरण मांगना चाहूँगा। वह मुद्दा है। इस अनुच्छेद में उपबंधित है कि राजस्व का रियासतों में वितरण ऐसी रीति से और ऐसे समय से किया जाएगा जो विहित किया जाए। .... क्या अन्तरिम आवंटन वित्त समिति की सिफारिशों पर तय किया जाएगा। यह साफ नहीं है कि संविधान के प्रवृत्त हो जाने के ठीक बाद की और पश्चात्वर्ती काल में परिकल्पित आयोग की नियुक्ति से पूर्व की अवधि के बारे में क्या होने जा रहा है।

*__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर__ : महोदय, स्पष्टीकरण बिल्कुल सरल है। यदि हम चाहते कि राष्ट्रपति के आवंटन आदेश किए जाने से पूर्व कोई अन्तरिम जांच न हो तो हमने केवल यह कहा होता कि ऐसा आवंटन जो संविधान के प्रारंभ से पूर्व अस्तित्व में था, तब तक जारी रहेगा जब तक कि वह आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा पुनः निर्धारित नहीं कर दिया जाता। हमने ऐसा नहीं कहा है, और हमने यह सोच समझकर नहीं कहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जांच होनी चाहिए और जांच के आधार पर राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करें। इसी कारण भाषा में अन्तर है।

पंडित लक्ष्मीकांत मैत्रा : अर्थात् अंतरिम आयोग सीधे अभी नियुक्त किया जाएगा और उस आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करेंगे?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : हाँ, अन्यथा हम केवल यह कहते कि वर्तमान आवंटन तब तक जारी रहेगा जबतक कि राष्ट्रपति नया आदेश जारी नहीं करते हैं।

माननीय सभापति : अब मैं विभिन्न संशोधनों को मतदान के लिए रखूँगा, मैं सबसे पहले श्री उपेन्द्रनाथ वर्मन के संशोधन सं. 2858 को रखता हूँ।

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मन : महोदय, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के वक्तव्य की दृष्टि से मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूँ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया।

* * * *

माननीय सभापति : अब मैं डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित संशोधन रखता हूँ। वह मौखिक संशोधन है।

प्रश्न है :

---

*· सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 5 अगस्त, 1949, पृ. 222–23

"कि अनुच्छेद 251 के खंड (2) में ''भारत के राजस्व" शब्दों के स्थान पर ''भारत की संचित निधि' शब्द रखे जाएं।''

संशोधन अंगीकृत हुआ।

माननीय सभापति : इसके बाद भी टी.टी. कृष्णमाचारी का संशोधन है :

प्रश्न है :

"कि अनुच्छेद 251 के खंड (4) के उपखंड (ग) में, "भारत के राजस्व" शब्दों के स्थान पर "भारत की संचित निधि" शब्द रखे जाएं।

संशोधन अंगीकृत हुआ।

(प्रो. सक्सेना का संशोधन नामंजूर किया गया।)

यथा संशोधित अनुच्छेद 251 संविधान में जोड़ा गया।

अनुच्छेद 253

*__माननीय सभापति__ : अब हम अनुच्छेद 253 को लेते हैं।

(संशोधन सं. 2883 और 2884 पेश नहीं किए गए।)

माननीय सभापति : संशोधन सं. 2885 .के बारे में क्या है ? डॉ. अम्बेडकर, क्या आप इसे पेश करना चाहते हैं ?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : नहीं, श्री त्यागी अपना संशोधन पेश करेंगे।

(संशोधन सं. 2886 से 2996 पेश नहीं हुए।)

माननीय सभापति : श्री बार्दोलोई, क्या आप अपना संशोधन संख्या 2897 पेश करेंगे?

माननीय श्री गोपीनाथ बार्दोलोई (असम : साधारण) : मैं संशोधन पेश करना नहीं चाहता लेकिन मैं अनुच्छेद के बारे में बोलना चाहूँगा।

(संशोधन सं. 2898 से 2902 पेश नहीं किए गए।)

श्री महावीर त्यागी (संयुक्त प्रांत : साधारण) : महोदय, मेरा एक संशोधन है।

माननीय सभापति : मैंने सारे संशोधन समाप्त नहीं किए हैं। मैं उन्हें क्रमानुसार ले रहा हूँ और आपका संशोधन बाद में लूँगा संशोधन सं. 81.......

---

*· सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 5 अगस्त, 1949, पृ. 224

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि अनुच्छेद 253 के खंड (2) में "भारत के राजस्व" शब्दों के स्थान पर "भारत की संचित निधि" शब्द रखे जाएं।

माननीय सभापति : इसके बाद संशोधन सं. 214 जो श्री महावीर त्यागी के नाम में है।

श्री महावीर त्यागी : महोदय, मेरा प्रस्ताव है :

"कि संशोधनों की सूची के संशोधन सं. 2886 के संदर्भ में, अनुच्छेद 253 का खंड (1) हटा दिया किया जाए।"

* * * * *

***माननीय सभापति** : डॉ. अम्बेडकर, आप कुछ कहना चाहते हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं श्री त्यागी द्वारा पेश किए गए संशोधन को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, और मेरे विचार में यह आवश्यक है कि मैं प्रारूपण समिति की ओर से कुछ स्पष्टीकरण दूं कि उसने इस संशोधन को स्वीकार करना क्यों प्रस्तावित किया है?

मुख्य मुद्दों पर आने से पहले, जो संशोधन की स्वीकृति को न्यायोचित ठहराते हैं, मैं आलोचना के उस बिंदु का जवाब देना चाहूँगा जो मेरे मित्र प्रो. सक्सेना द्वारा प्रारूपण समिति के विरुद्ध उठाया गया है।

प्रो. सक्सेना ने कहा कि प्रारूपण समिति के लिए अनुच्छेद में मूलतः खंड (1) को रखना उचित नहीं था और अब श्री त्यागी द्वारा प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि खंड (1) जो प्रारूपण समिति ने रखा था, प्रारूपण समिति के अपने विचार–विमर्श से उत्पन्न नहीं हुआ था। यदि मुझे ठीक से याद है तो वह खंड संघीय शक्ति समिति की रिपोर्ट में सुझाया गया था। उसमें फैसला लिया गया था कि नमक शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए। चूंकि प्रारूपण समिति संघीय शक्ति समिति की रिपोर्ट के निर्देशों एवं सिद्धांतों से आबद्ध थी इसलिए उसके पास उस सुझाव को संबंधित अनुच्छेद में शामिल करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था। इसलिए प्रारूपण समिति की ओर से वास्तव में दुविधा का कोई सवाल नहीं है।

अब मैं उन व्यावहारिक कठिनाइयों पर आता हूँ जो इस खंड को रखने पर आ सकती हैं। स्मरण रहे कि सूची 1 में दो प्रतिष्टियां हैं– प्रविष्टि 86 जो केन्द्रीय

*. सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 5 अगस्त, 1949, पृ. 238–39

सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क लगाने की अनुज्ञा देती है, प्रविष्टि सं. 85 भी है जो सीमा शुल्क लगाने की अनुज्ञा देती है। अब यदि अनुच्छेद 253 का उपखंड (1) संविधान का अंग रहा तो प्रकट है, कि केन्द्रीय सरकार नमक पर उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क वसूलने के प्रयोजनार्थ प्रविष्टि 86 या प्रविष्टि 85 का प्रयोग करने की हकदार नहीं होगी। यह बिल्कुल साफ है, क्योंकि खंड (1) नमक शुल्क की बाबत विधायी शक्ति से वंचित करता है जो अन्यथा प्रविष्टि सं. 86 या प्रविष्टि सं. 85 द्वारा वसूल किया जाता है। अब, अभ्यावेदन किया गया कि उत्पाद शुल्क वसूलने के लिए प्रविष्टि 86 के अधीन दी गई शक्ति का प्रयोग न किए जाने से देश को अधिक कठिनाई नहीं हो सकती, किन्तु सीमा शुल्क वसूलने के लिए प्रविष्टि 85 के अधीन दी शक्तियों पर पाबंदी यदि ऐसा कहना ठीक है तो, लगाने से भारी कठिनाई पैदा हो सकती है। क्योंकि इससे विदेशी नमक का आयात होगा और भारत सरकार के पास कोई विधायी उपचार नहीं होगा जिससे वह उसे भारत में आने से रोक सके और इससे भारतीय नमक उद्योग व्यवहारिक रूप से नष्ट हो जाएगा। अतः यह महसूस किया गया कि बेहतर यही होगा कि इस प्रतिबंध को हटा दिया जाए तथा समय के अन्दर उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के अनुसार कार्रवाई करने का काम भावी संसद पर छोड़ दिया जाए। यही वजह है कि प्रारूपण समिति मेरे मित्र श्री त्यागी के संशोधन को स्वीकार करने के लिए तैयार है।

श्री आर. के. सिधवा : कृपया मुझे यह बताने का कष्ट करें कि प्रतिबंध की मद निदेशक नीति में क्यों दर्ज की गई थी ? यदि इस अनुच्छेद का खंड (1) हटा दिया जाए तो कृपया मैं जानना चाहूंगा कि निषेध संबंधी मद सरकार के निदेशक सिद्धांतों में क्यों शामिल की गई थी, तथा मुझे यह बताने का कष्ट करें कि कृपाण धारण करना मूल अधिकारों में क्यों रखा गया है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : ओह, किरपान वाली बात बिल्कुल भिन्न है।

* * * *

***अनेक माननीय सदस्य** : अब कोई भाषण नहीं।

माननीय सभापति : अब कोई भाषण न हों, यदि सदस्य ऐसा चाहें तो मैं इस अनुच्छेद पर बाद में चर्चा करने के लिए इसे यहीं छोड़ने की अनुज्ञा दे सकता हूँ।

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 5 अगस्त, 1949, पृ. 240

माननीय श्री के. संथानम : यह अनुच्छेद अभी छोड़ दिया जाए।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः अनुच्छेद अभी छोड़ा जा सकता है।

श्री महावीर त्यागी : अनुच्छेद अभी छोड़ा जा सकता है।

माननीय सभापति : यह अनुच्छेद सूची में कायम रहेगा।

****माननीय सभापति** : आरंभ में, हम अनुच्छेद 254 पर चर्चा करेंगे।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (बम्बई : साधारण) : महोदय, अनुच्छेद 254 पर चर्चा करने से पहले मैं अनुरोध करूंगा कि अनुच्छेद 253 के श्री त्यागी के संशोधन पर विचार करने की अनुज्ञा प्रदान की जाए क्योंकि प्रधानमंत्री इस पर बोलना चाहते हैं। यद्यपि वाद–विवाद समाप्त हो चुका है, फिर भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप संशोधन पर मतदान कराने से पूर्व प्रधानमंत्री को भाषण देने की अनुज्ञा प्रदान करें।

माननीय सभापति : हाँ, माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू।

[डॉ. अम्बेडकर के संशोधन द्वारा यथा संशोधित अनुच्छेद 253 संविधान में जोड़ा गया।]

* * * *

अनुच्छेद 254

*****माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर** : माननीय सभापति महोदय,

मैं प्रस्तावित करता हूँ :

"कि अनुच्छेद 254 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए :

जूट और जूट उत्पादों पर नियति शुल्क के स्थान पर अनुदान

''254 (1) जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के प्रत्येक वर्ष के शुद्ध आगम का कोई भाग बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा राज्यों को सौंप दिए जाने के स्थान पर उन राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान के रूप में प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि पर ऐसी राशियाँ भारित की जाएंगी जो राष्ट्रपति द्वारा विहित की जाएं।

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 5 अगस्त, 1949, पृ. 240

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 8 अगस्त, 1949, पृ. 241

*** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 8 अगस्त, 1949, पृ. 242–43

(2) इस प्रकार की विहित राशियां भारत की संचित निधि पर भारित बनी रहेंगी जब तक जूट और जूट उत्पादों पर भारत सरकार निर्यात शुल्क उदगृहीत करती रहती है। या दस वर्ष की अवधि के समाप्त होने तक – इन दोनों में से जो भी पहले हो।

(3) इस अनुच्छेद में, 'विहित' पद का वही अर्थ है जो इस संविधान के अनुच्छेद 251 में है।"

महोदय, इस संशोधन के द्वारा जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क में हिस्सा बांटने की वर्तमान प्रणाली में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। भारत सरकार अधिनियम में उपबंध था कि कतिपय प्रांत जो इस अनुच्छेद में वर्णित हैं, जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के आगम में कतिपय शेयर के इस कारण हकदार होने चाहिए कि इस अनुच्छेद में वर्णित प्रांतों की अर्थव्यवस्था में जूट एक अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है। संशोधित अनुच्छेद में प्रस्ताव के द्वारा जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क में हिस्सा मांगने का कुछ प्रांतों का यह अधिकार समाप्त हो जाएगा। इसका कारण बहुत सरल है यदि मैं ऐसा कह सकता हूँ। साधारणतया समस्त निर्यात और आयात शुल्क केन्द्रीय सरकार के हैं और किसी भी प्रांत को किसी खास वस्तु पर जो उस विशिष्ट प्रांत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण वस्तु है उदगृहीत निर्यात शुल्क में हिस्से का हक नहीं है। फिर भी, इस तथ्य की दृष्टि से कि विशेषकर बंगाल के वित्त को निर्यात शुल्क में हिस्से के बिना संतुलित नहीं रखा जा सकता, भारत सरकार अधिनियम, 1935 में एक अपवाद किया गया था जिसके द्वारा बंगाल सरकार और अन्य सरकारों को निर्यात शुल्क में हिस्से का दावा करने का निहित अधिकार दिया गया है। जैसाकि मैं कह चुका हूँ यह इस व्यापक सिद्धांत के विपरीत है कि निर्यात और आयात शुल्क केन्द्र सरकार के होते हैं। अब यह महसूस किया गया है कि भारत सरकार अधिनियम, 1935 में किए गए इस अपवाद को आगे जारी नहीं रखा जाना चाहिए। ऐसा क्यों महसूस किया गया कि इस द्वेषपूर्ण सिद्धांत को तुरन्त हटा दिया जाए इसका कारण है कि यह कल्पना करना पूर्णतः संभव है कि दूसरे प्रांत भी, जिनके पास अपने क्षेत्रों में उगी कुछ वस्तुएँ हैं और जो अपने क्षेत्र के बाहर उसका निर्यात करते हैं, जिस पर भारत सरकार निर्यात शुल्क लेती है, उन उत्पादों पर निर्यात शुल्क में हिस्सा मांग सकते हैं। यदि यह प्रवृति बढ़ी तो भारत सरकार के लिए बहुत मुश्किल स्थिति पैदा हो जाएगी। परिणामस्वरूप फैसला किया गया कि इस सिद्धांत को निश्चित रूप से निराकृत कर दिया जाए। लेकिन यह भी बराबर साफ हैं कि यदि निर्यात शुल्क में हिस्सा मांगने के सिद्धांत को अचानक वापस ले लिया गया तो इससे अनेक प्रांतों के बजटों का संतुलन डगमगा जाएगा

जो अब तक निर्यात शुल्क में एक हिस्से पर निर्भर करते थे। अतः एक उपबंध किया गया कि निर्यात शुल्क में विनिर्दिष्ट तौर पर एक हिस्सा देने के बजाय एक समतुल्य राशि या एसी राशि जो राष्ट्रपति द्वारा तय की जाए, उस अवधि में जिसमें निर्यात शुल्क उद्गृहीत होता रहेगा या जब तक कि दस वर्ष नहीं बीत जाते इनमें से जो भी पहले हो, उन प्रांतों को दे दिया जाए या सौंप दिया जाय। पश्चात् कथित इसलिए समाविष्ट किया गया था ताकि उन प्रातों को अपने संसाधन विकसित करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके और वे, इस अनुच्छेद में वर्णित अवधि के पश्चात् अपने बजट को संतुलित रखने की स्थिति में हो सकें।

आशा है, श्रीमान, यह आज्ञापक उपबंध, जो इस संशोधित अनुच्छेद 254 में लेखबद्ध है, सदन को स्वीकार्य होगा।

* * * *

*__माननीय डॉ. भीमराव अम्बेडकर (बम्बई : साधारण) :__ माननीय सभापति महोदय, बहस के उत्तर में मैं उन दर्दभरी दास्तानों का जिक्र करना नहीं चाहता जो विभिन्न प्रांतों के सदस्यों द्वारा इस सदन में सुनाई गई हैं। वे यह महसूस करते हैं कि उनके साथ राजस्व के वितरण में बुरा बर्ताव किया गया है, जैसाकि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन आदिष्ट किया गया है। इसका जवाब देने के लिए मैं कुछ अन्य ठोस मुद्दों को लेना चाहता हूँ।

सर्वप्रथम, मैं अपने मित्र प्रो. शिब्बनलाल सक्सेना द्वारा रखे गए संशोधन के बारे में कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ। वे चाहते हैं कि अनुदान, राट्रपति द्वारा नियत किए जाने के बजाय, संसद द्वारा नियत किए जाने चाहिए। अब, पिछली बार अन्य वित्तीय अनुच्छेदों पर बहस के दौरान, मैंने कहा था कि वितरण के मामले में संसद को लाने का आशय नहीं था, क्योंकि हम नहीं चाहते कि राजस्व का वितरण या तो विभिन्न प्रांतों के बीच द्वन्द्व की या विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधियों के बीच हाथापाई की विषय–वस्तु बने। मैं चाहता हूँ इस विषय पर राष्ट्रपति द्वारा अथवा वित्त आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा फैसला किया जाए। यही वजह है कि मैं प्रो. सक्सेना के संशोधन को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ।

अब मैं अपने मित्र श्री मैत्रा द्वारा उठाए गए मुद्दे पर आता हूँ। उनका पहला तर्क था कि उन्हें कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता कि प्रारूपण समिति अब संशोधन लाकर मूल अनुच्छेद में परिवर्तन करे। मुझे विश्वास है, वे वित्त पर विशेषज्ञ समिति

*· सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 8 अगस्त, 1949, पृ. 259–61

की सिफारिशों का उल्लेख करना भूल गए। यदि वे उनका अवलोकन करेंगे तो मेरा विचार है, वे मुझसे सहमत होंगे कि विशेषज्ञ समिति ने ही सिफारिश की थी कि जूट पर शुल्क और जूट उत्पादों पर शुल्क के आवंटन की प्रणाली में परिवर्तन किया जाना चाहिए। इसलिए, मूल अनुच्छेद में परिवर्तन करने की प्रारूपण समिति की कोई कामना या इच्छा की बात नहीं है।

पंडित लक्ष्मीकांत मैत्रा : उन्होंने प्रतिकर का भी उल्लेख किया था।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं उस पर आऊंगा। प्रारूपण समिति द्वारा एक ही चीज स्वीकार नहीं की गई थी। वह था वित्त विशेषज्ञ समिति द्वारा विभिन्न प्रांतों को जूट पर निर्यात शुल्क में अपना हिस्सा खो दिए जाने के लिए सुझाया गया आवंटन। प्रारूपण समिति द्वारा महसूस किया गया कि संभवतः बिशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाए गए आंकड़ों की और आगे जांच–परख होनी चाहिए। विशेषज्ञ समिति के पास उपलब्ध अल्पकाल को ध्यान में रखते हुए प्रारूपण समिति को पक्का भरोसा नहीं था कि विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाए गए आंकडे आगे जांचे परखे बिना उनके द्वारा स्वीकार किए जा सकते हैं। इसी डर के कारण, प्रारूपण समिति ने, विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाए गए आंकड़ों को स्वीकार करने के बजाय अपना स्वयं का फार्मूला अपनाया जो अब नये अनुच्छेद में विद्यमान है अर्थात् यह कि जूट शुल्क की हानि के प्रतिकर के बदले सहायता अनुदान राष्ट्रपति द्वारा विहित किए जाएंगे। अतः प्रारूपण समिति की यह इच्छा नहीं है कि वह चार प्रांतों से राजस्व के विधिसम्मत स्रोत को छीन ले जिसका उल्लेख इस अनुच्छेद विशेष में किया गया है जिसमें वे निहित अधिकार रखते हैं, और न ही प्रारूपण समिति ने विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाये गए आंकड़ों में कोई मूलभूत परिवर्तन करने का प्रयत्न किया। उन्होंने बस मामला राष्ट्रपति पर छोड़ दिया है।

अब, मेरे मित्र पं. हृदयनाथ कुंजरू ने बताया कि प्रारूपण समिति ने सदन के समक्ष अनुच्छेद में 'विहित' शब्द की परिभाषा अन्तःस्थापित करके गलती की। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अंतिम अनुच्छेद में भी, जो हमने पारित किया है, जो 260 है, 'विहित' शब्द नहीं होना चाहिए था। अब मुझे यह कठिन लगता है, उनकी इस प्रस्थापना में चाहे कुछ भी गुणता हो कि 'विहित' शब्द की परिभाषा को छोड़ दिया जाए। अनुच्छेद 254 के मुख्य भाग में हम कह चुके हैं सहायता अनुदान वे होंगे जो विहित किए जाएं। अब कोई वकील जानना चाहेगा कि 'विहित' शब्द की व्यावहारिक परिभाषा होनी चाहिए जो अनुच्छेद 254 तक सीमित होगी या उसके उपबंधों से परिसीमित होगी अथवा हमें अनुच्छेद 260 में दिए गए उपबंधों को बदलना पड़ेगा जिसमें 'विहित' शब्द को परिभाषित किया गया है।

माननीय सभापति : संभवतः आप 251 की बात कर रहे हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : खेद है। मुझे ठीक कर दिया गया। वह अनुच्छेद 251 है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ तक आबंटन विहित किए जाने का संबंध है, प्रारूपण समिति ने 'विहित' शब्द की दो भिन्न परिभाषाएँ सुझाई है। विहित शब्द की पहली परिभाषा के अनुसार जब राष्ट्रपति के समक्ष वित्त आयोग की रिपोर्ट न हो तब राष्ट्रपति द्वारा विहित किया जाता है। विहित शब्द की दूसरी परिभाषा से तब विहित किया जाता है जब राष्ट्रपति के समक्ष वित्त आयोग की सिफारिशें हों। प्रारूपण समिति को 'विहित' शब्द के निर्वचन की दो भिन्न परिभाषाएं देनी पड़ी हैं, इसका कारण नितांत स्पष्ट है कि प्रांत चाहते हैं कि वर्तमान आवंटन केवल जूट शुल्क का ही नहीं बल्कि संविधान के अन्य अनुच्छेदों में उपबंधित राजस्व के अन्य स्रोतों का आवंटन भी वैसा नहीं होना चाहिए जैसाकि अब विद्यमान, है, क्योंकि उनकी शिकायत है कि अब उन्हें दी गई धनराशियाँ न तो पर्याप्त हैं और न ही न्यायसंगत हैं, और यह कि आवंटन का कुछ पुनरीक्षण आवश्यक है। प्रकटतः यदि आवंटन तुरन्त किया जाना है तो नया आवंटन संविधान के प्रारंभ होने पर प्रारंभ होगा, यह स्पष्ट हैं कि ऐसा आवंटन केवल राष्ट्रपति, द्वारा वित्त आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा किए बिना किया जा सकता है क्योंकि यह सोच के भी परे है कि केन्द्र सरकार चाहे कितनी भी जल्दी करे, यह संभव नहीं होगा कि वह एक आयोग नियुक्त करे और संविधान प्रारंभ होने से पूर्व उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो जाए। परिणामस्वरूप, हमें 'विहित' शब्द की दोहरी परिभाषा की युक्ति खोजनी पड़ी। प्रथमतः "विहित" राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की सिफारिशों के बिना किया जाएगा। निःसंदेह इसका यह अभिप्राय नहीं है कि राष्ट्रपति मनमाने ढंग से कार्रवाई करेगा। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि राष्ट्रपति केवल मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्रवाई करेगा, जो केन्द्र बनाम प्रांतों की स्थिति को रक्षित और सुरक्षित करने में हितबद्ध हो। मेरे विचार में यह बात केन्द्र सरकार के ध्यान में है। और मुझे इस बात को बिल्कुल साफ कर देना चाहिए कि केन्द्र सरकार का प्रस्ताव है कि एक समिति नियुक्त की जाए जो विशेषज्ञ समिति होगी या कोई विशेषज्ञ अधिकारी होगा जो निःसंदेह संविधान के अर्थ में आयोग नहीं होगा, जो प्रश्न पर विचार करके यह ज्ञात करे कि क्या वर्तमान आवंटन केवल जूट और जूट उत्पाद पर शुल्क ही नहीं बल्कि राजस्व के अन्य स्रोतों के अन्य आवंटन भी इस प्रकार पुनरीक्षित किए जाने अपेक्षित हैं कि प्रांत–प्रांत के बीच और केन्द्र–प्रांत के बीच न्याय हो सके। परिणामस्वरूप, जब राष्ट्रपति का पहला आदेश जारी होगा तो वह जैसाकि मैंने कहा है, मनमाना नहीं होगा अथवा केंन्द्र की कार्यपालिका की सलाह मात्र पर नहीं होगा बल्कि उनके पास एक स्वतंत्र, एक विशेषज्ञ राय होगी जिससे उन्हें मार्गदर्शन मिलेगा। उसके बाद जब आदेश के

पुनरीक्षण का आगे सवाल पैदा होगा तो यह सवाल पैदा होगा कि क्या राष्ट्रपति को संसद की सलाह पर कार्य करना चाहिए अथवा उन्हें स्वयं अपनी सलाह पर कार्य करना चाहिए अथवा उन्हें वित्त आयोग की सिफारिश और सलाह पर कार्य करना चाहिए। जिसे संविधान के अधीन नियुक्त किया जाएगा। जैसाकि मैंने कहा है, हमारे सामने तीन अनुकल्प थे जिन्हें हम अपना सकते थे। मैं जानता हूँ, मेरे माननीय मित्र पंडित कुंजरू सर्वोत्तम उद्देश्य युक्त सुझाव देते हैं कि राष्ट्रपति को स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए न कि वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार। एक वर्ग इस मत का है जिसका प्रतिनिधित्व मेरे माननीय मित्र प्रो. सक्सेना कर रहे हैं, कि राष्ट्रपति को वित्त आयोग की सिफारिंश पर भी कोई आवंटन नहीं करना चाहिए जब तक उसको संसद मंजूरी न दे दे। जैसाकि मैं कह चुका हूँ, इन दोनों स्थितियां दोषपूर्ण हैं। मैं नहीं समझता कि आवंटन की सिफारिश करने के लिए आयोग नियुक्त किए जाने के बाद राष्ट्रपति के लिए यह ठीक रहेगा कि वह उस आयोग की सिफारिशों को न मानें, अपने दृष्टिकोण पर चलें और आवंटन करें। मेरे विचार में, वह आयोग के प्रति असम्मान दिखाना होगा। जैसाकि मैंने कहा, मामला संसद पर छोड़ने का तीसरा अनुकल्प मुझे खतरानाक प्रतीत होता है, उससे प्रांतीय विवाद पैदा होंगे और प्रांतीय ईर्ष्या उत्पन्न होगी। इसलिए मैं कह सकता हूँ, प्रारूपण समिति ने बीच का रास्ता अपनाया है और वह यह है कि यद्यपि मामले पर संसद में बहस हो सकती है, फिर भी राष्ट्रपति द्वारा की गई कार्रवाई वे वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश से मार्गदर्शित होनी चाहिए और उन्हें मनमाने ढंग से कार्य नहीं करना चाहिए। आशा है सदन इसे स्वीकार कर लेगा। ये तीन पद्धतियों का सर्वाधिक युक्तियुक्त सामंजस्य है। अतः इस मामले से निपटने का यही सर्वोत्तम ढंग है।

[पहले वर्णित डा. अम्बेडकर का संशोधन अंगीकृत हुआ]

अनुच्छेद 254 संविधान में जोड़ा गया।

*****

नया अनुच्छेद 254—क

*__माननीय सभापति__ : अब हम अनुच्छेद 254—क पर आते हैं।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मेरा सवाल व्यवस्था का है। महोदय, व्यवस्था का सवाल यह है कि नया अनुच्छेद 254—क में समाविष्ट करने वाला संशोधन सं. 82 पूर्णतः नया विषय है। हम सदन में यह पहले ही निश्चय कर चुके हैं कि संविधान के संशोधन एक निश्चित तारीख तक प्रस्तुत हो जाने चाहिए। हमने अपने संशोधन प्रस्तुत कर दिए हैं। नियमानुसार संविधान के और संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

आज वही संशोधन ग्राह्य होंगे जो मूल संशोधनों के संशोधन हों साथ ही नियमित के संशोधन हों। निवेदन है कि वर्तमान संशोधन किसी भी संशोधन से सम्बद्ध नहीं है। इसमें लिखा है "अनुच्छेद 254 के बाद निम्नलिखित अनुच्छेद रखा जाए।" ऐसा कोई प्रयत्न नहीं है या ऐसा कोई बहाना नहीं है कि यह किसी संशोधन के संदर्भ में है या उसके संबंध में है या उससे संयुक्त है। महोदय, निवेदन है कि यह अनुच्छेद इस प्रकार अन्तःस्थापित नहीं किया जा सकता।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : बेशक, मेरे माननीय मित्र द्वारा उठाया गया सवाल पूरी तरह विधिमान्य है, लेकिन मेरा निवेदन है कि यदि कोई संशोधन महत्वपूर्ण संशोधन है तो इस विषय में आपके पास असीम विवेकाधिकार है कि आप उसके लिए अनुमति दे सकते हैं।

माननीय सभापति : मेरे विचार में, पूर्व अवसरों पर भी हमने नये अनुच्छेद अन्तःस्थापित करने की अनुमति दी है और यह एक नया अनुच्छेद है जिसे अनुच्छेद 254 के बाद जोड़े जाने की कामना की गई है।

श्री टी. टी. कृष्णमाचारी : जब आपने प्रारूपण समिति को काम करने की अनुज्ञा दे दी है तो प्रारूप संविधान की निरन्तर जांच करना उसका कर्त्तव्य है और यदि उन्हें प्रतीत होता है कि उसमें कोई कमी है तो इस तथ्य के कारण कि समिति अस्तित्व में है, उसे इस कमी को दूर करने के लिए कदम उठाने होंगे। वर्तमान संशोधन उसी आवश्यकता से उत्पन्न हुआ है।

माननीय सभापति : पूर्व अवसरों पर मैंने नये अनुच्छेद पुनः स्थापित करने की अनुज्ञा दी है और यह एक नया अनुच्छेद है जिसे अनुच्छेद 254 के पश्चात् समाविष्ट करने की बात की गई है।

डॉ. अम्बेडकर, आप संशोधन पेश कर सकते हैं।

---

*· सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 8 अगस्त, 1949, पृ. 261—64

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं प्रस्तावित करता हूँ –

"कि अनुच्छेद 254 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अन्तःस्थापित किया जाए–

ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध हैं प्रभाव डाल. ने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा

254–क. (1) कोई विधेयक या संशोधन, जो ऐसा कर या शुल्क जिसमें राज्य हितबद्ध हैं, अधिरोपित करता है या उसमें परिवर्तन करता है अथवा जो भारतीय आयकर से संबंधित अधिनियमितियों के प्रयोजनों के लिए परिभाषित "कृषि आय" पद के अर्थ में परिवर्तन करता है अथवा जो उन सिद्धांतों को प्रभावित करता है जिनसे इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी उपबंध के अधीन राज्यों को धनराशियाँ वितरणीय हैं या हो सकेंगी अथवा जो संघ के प्रयोजनों के लिए कोई ऐसा अधिभार अधिरोपित करता है जो इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में वर्णित है, संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पुरःस्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।"

(2) इस अनुच्छेद में, "ऐसा कर या शुल्क, जिसमें राज्य हितबद्ध हैं" पद से ऐसा कोई कर या शुल्क अभिप्रेत है–

(क) जिसके शुद्ध आगम पूर्णतः या भागतः किसी राज्य को सौप दिए जाते हैं। या

(ख) जिसके शुद्ध आगम के प्रति निर्देश से भारत की संचित निधि में से किसी राज्य को राशियाँ तत्समय देय हैं।"

महोदय, मैं इसके एक–दो कारण बताना चाहूँगा कि हमने यह क्यों महसूस किया कि एकदम आखिर में एक नया अनुच्छेद संविधान में अन्तःस्थापित किया जाए। भारत सरकार अधिनियम में इसी प्रकार का उपबंध है। प्रारूपण समिति ने इस विषय पर विचार किया है। उन्होंने यह आवश्यक नहीं समझा कि उस अनुच्छेद को नये संविधान में समाविष्ट और अंतरित किया जाए। तथापि, जब प्रधानमंत्रियों का सम्मेलन आयोजित हुआ तो सुझाव दिया गया कि ऐसा अनुच्छेद उपयोगी ओर कदाचित आवश्यक होगा; क्योंकि जब एक बार संसद द्वारा प्रांतों और रियासतों के बीच आवंटन कर दिया गया तो ऐसा आवंटन उन विषयों में परिवर्तन करने के लिए विधेयक लाने के लिए जिनमें प्रांत आवंटन के फलस्वरूप हितबद्ध हो जाते हैं, किसी प्राईवेट सदस्य द्वारा किए गए किसी भी प्रयत्न से छेड़े जाने के दायित्वाधीन नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि प्रारूपण समिति अब इस संशोधन को लाई है ताकि प्रांतों को यह आश्वासन दिया जा सके कि आवंटन व्यवस्था में तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जब तक कि इस आशय के विधेयक की राष्ट्रपति द्वारा सिफारिश न की जाए।

माननीय सभापति : इस अनुच्छेद का कोई संशोधन नहीं है।

माननीय सभापति : डॉ. अम्बेडकर क्या आप बोलना चाहते है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं नहीं समझता कोई जवाब जरूरी है।

अनुच्छेद 254—क संविधान में जोड़ा गया।

अनुच्छेद 255

***माननीय सभापति** : अब हम अनुच्छेद 255 पर आते हैं।

(संशोधन सं. 83 प्रस्तुत नहीं किया गया।)

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, मुझे कृपया यह प्रस्ताव रखने की अनुमति देने का कष्ट करें :

"कि अनुच्छेद 255 में, "भारत के राजस्व" शब्दों के स्थान पर भारत की 'संचित निधि' रखे जाएं।

"कि अनुच्छेद 255 के प्रथम परन्तुक में ''प्रथम अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विर्निदिष्ट'' शब्द और अंक हटा दिए जाएं।

"कि अनुच्छेद 255 के दूसरे परन्तुक के खंड (क) में 'तीन वर्ष' शब्दों के स्थान पर 'दो वर्ष' शब्द रखे जाएं।"

पहले दो संशोधन मात्र औपचारिक है..................

श्री नजीरुद्दीन अहमद : व्यवस्था के सवाल पर, सं. 86 बिल्कुल नया है और किसी से भी संबद्ध नहीं है। यह कोई औपचारिक विषय नहीं है। यह एक गंभीर विषय है।

माननीय डॉ. बी. आर अम्बेडकर : यही बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : यह संशोधन का संशोधन नहीं है यह संविधान का संशोधन है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं सभापति की अनुमति से पेश करता हूँ।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मैं डॉ. अम्बेडकर को सभापति की अनुमति लेने के लिए विवश करना चाहता था।

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 8 अगस्त, 1949, पृ. 264—65

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैंने उनकी अनुमति ले ली है। सभापति इसे पेश करने से पहले या बाद में अपनी अनुमति दे सकते हैं।

यह मामला अनुदानों के प्रति निर्देश करता है और मूल अनुच्छेद में ही यह उपबंध है कि तीन वर्ष का औसत असम को दिया जाना चाहिए। हमसे यह अभ्यावेदन किया गया था कि यदि तीन वर्ष का औसत लिया जाए तो असम सरकार को बहुत थोड़ा मिलेगा क्योंकि पहले वर्ष में उन्होंने कुछ भी खर्च नहीं किया था किन्तु यदि हम दो वर्ष का औसत लें तो उन्हें ज्यादा मिलेगा। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए प्रारूपण समिति ने तीन वर्ष के बजाय दो वर्ष शब्द समाविष्ट किए हैं।

*__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (बम्बई : साधारण)__ : माननीय सभापति महोदय, मैं तुरन्त यह कह सकता हूँ कि मैं अपने मित्र श्री निकोल्स राय द्वारा प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार करने को तैयार हूँ। इस अनुच्छेद के प्रारूप से ऐसी धारणा उत्पन्न होती प्रतीत होती है कि जब तक संसद हर वर्ष यह तय न करे कि अनुदान क्या होंगे तब तक राष्ट्रपति को ऐसा करने की शक्ति नहीं होगी। निश्चय ही प्रारूपण समिति का यह आशय नहीं था। प्रारूपण समिति चाहेगी कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 255 के अधीन अनुदान देने की अपनी शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा इस विषय के अवधारण से भी पूर्व करे। इस स्थिति को सर्वथा स्पष्ट करने के लिए जैसाकि मैंने पूर्व में कहा था, मैं श्री निकोल्स राय द्वारा प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार करने को तैयार हूँ। फिर भी इस प्रक्रम पर मैं यह कहना चाहूँगा कि मुझे अभी तक उनके द्वारा संशाधन में प्रयुक्त भाषा को जांचने–परखने का पर्याप्त समय नहीं मिला है। अतः उस बात के अधीन रहते हुए कि प्रारूपण समिति को अनुच्छेद 255 में यथा विद्यमान पाठ के अनुरुप भाषा को बदलने की आजादी होगी, मैं उनके संशोधन को स्वीकार करने को तैयार हूँ।

माननीय सभापति : अब मैं संशोधन को मतदान के लिए रखता हूँ।

[डॉ. भीमराव अम्बेडकर के पूर्वोक्त सभी संशोधन अंगीकृत हुए।]

माननीय सभापति : अब मैं परमपूज्य निकोल्स राय का संशोधन रखता हूँ।

प्रश्न है –

"कि अनुच्छेद 255 में :

(क) "संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी" शब्दों के पश्चात् 'अथवा जब तक कि संसद इस प्रकार उपबंध न करे जैसा राष्ट्रपति द्वारा विहित किया जाए' शब्द अन्तः स्थापित किए जाएं;

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 9 अगस्त, 1949, पृ. 293–94

(ख) 'संसद अवधारित कर सकेगी, शब्दों के पश्चात्' 'अथवा जब तक कि संसद ऐसा अवधारित न करे जैसा राष्ट्रपति अवधारित करे,' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएँ; और

(ग) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अनुच्छेद के अंत में जोड़ा जाए –

"स्पष्टीकरण – 'विहित' शब्द का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 251 (4) (ख) में है।"

संशोधन अंगीकृत हुआ।

[यथा संशोधित अनुच्छेद 255 संविधान में जोड़ा गया]

अनुच्छेद 256

*__माननीय सभापति :__ अब हम अनुच्छेद 256 पर आते हैं। यह खण्ड II में मुद्रित सूची में डॉ. अम्बेडकर का संशोधन सं. 2925 हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ।

"कि अनुच्देद 256 के खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाए :

"(1) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य के विधानमंडल की ऐसे करों से संबंधित कोई विधि जो उस राज्य के या उसमें किसी नगरपालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकारी के फायदे के लिए वृतियों, व्यापारों, आजीविकाओं या नियोजनों के संबंध में है, इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि वह आय कर से संबंधित है।

महोदय, बाद के अनुच्छेद में प्रस्तावित है कि स्थानीय प्राधिकारियों को वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कतिपय कर एक सीमा तक उदगृहीत करने की अनुज्ञा दी जाए। डर है कि यदि ऐसा कर, राज्य द्वारा लगाया गया है तो उसे इस आधार पर प्रश्नागत किया जा सकता है कि यह आय कर के समान है और वह अनन्यतः केन्द्र के प्राधिकार में है। उपखंड (1) में वर्णित प्रयोजनों के लिए बनाई गई किसी विधि को ऐसी किसी चुनौती को रोकने के लिए इस उपबंध को प्रारूपण समिति द्वारा अत्यंत आवश्यक समझा गया है, और तदनुसार मैं इस संशोधन को प्रस्तावित करता हूँ।

माननीय सभापति : इसके बाद श्री पी. डी. हियत सिंगका के नाम में संशोधन

---

*· सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 9 अगस्त, 1949, पृ. 301

सं. 89 और 90 हैं। वह इन्हें प्रस्तावित नहीं कर रहे हैं। इसके बाद डॉ. अम्बेडकर के नाम में सं. 91 है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं इसे प्रस्तावित करना नहीं चाहता हूँ।

* * * *

*__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :__ महोदय, मैं नहीं समझता कि कोई विस्तृत जवाब देने की जरूरत है। स्थिति बिल्कुल सरल है कि हर संविधान में राज्य के कराधान संसाधन साधारणतया केन्द्र और राज्यों के बीच वितरित किये जाते हैं। राज्यों और स्थानीय प्राधिकरणों के बीच संसाधनों के वितरण का प्रश्न राज्य पर विधि द्वारा निपटाये जाने के लिए छोड़ा जाता है, क्योंकि स्थानीय प्राधिकरण कोरी राज्य की सृष्टि होती है। उसके पास कोई आर्थिक अधिकारिता नहीं होती, उसकी रचना कुछ प्रयोजनों के लिए की जाती है; यदि उन प्रयोजनों का ठीक से पालन न किया जाएं तो उन्हें राज्य द्वारा हटाया जा सकता है। मेरे द्वारा प्रस्तावित यह अनुच्छेद वास्तव में इस सामान्य नियम का अपवाद है कि स्थानीय प्राधिकरण नामक राज्य की अधीनस्थ संस्था के वित्तीय संसाधनों के विषय में संविधान में कोई उपबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान में कुछ स्थानीय प्राधिकरण हैं और उनका प्रशासन कुछ करों पर निर्भर करता है जो वे उगाह रहे हैं और यद्यपि वे कर आयकर विधि की भावना के प्रतिकूल हैं फिर भी प्रारूपण समिति वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान वस्तु–स्थिति को जारी रखने देने के लिए तैयार है। वस्तुतः अपवाद उस सीमा तक था जो विशेषज्ञ समिति द्वारा नियत की गई थी। वह सीमा 250/– रुपये थी। प्रस्ताव है कि इसे घटाकर 150/– रुपये कर दिया जाना चाहिए। प्रारूपण समिति ने पुनर्विचार करके तय किया कि यह करने की जरूरत नहीं है तथा वर्तमान वस्त–ुस्थिति में यह सीमा जारी रह सकती है और उस विस्तार क्षेत्र के भीतर जारी रह सकती है जो आज है। इसलिए मैं इसके निश्चित रूप से खिलाफ हूँ और इसीलिए मैं ऐसे किसी संशोधन को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ जो मेरे किसी भी माननीय मित्र द्वारा प्रस्तावित किया जाए।

[इससे पूर्व दिया गया डॉ. अम्बेडकर का संशोधन अंगीकृत हुआ और यथासंशोधित अनुच्छेद 256 संविधान में जोड़ा गया।]

---

*. सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 9 अगस्त, 1949, पृ. 301

अनुच्छेद 257

*माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं प्रस्तावित करता हूँ।

"कि 'विधि द्वारा' शब्द अनुच्देद 257 के अंत में जोड़े जाएं"। यह बहुत छोटा–सा अनवधान लोप है।

माननीय सभापति : दो अन्य संशोधन हैं। वे डॉ. अम्बेडकर के संशोधन के बाद उत्पन्न नहीं होते।

यथोक्त संशोधन अंगीकृत हुआ।

यथोसंशोधित अनुच्छेद 257 संविधान में जोड़ा गया।

अनुच्छेद 259

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं प्रस्तावित करता हूँ–

"अनुच्छेद 259 के खंड (1) में, 'महालेखा परीक्षक' शब्द के स्थान पर 'नियंत्रक और महालेखा परीक्षक' शब्द रखे जाएं।"

ऐसा इसलिए किया गया है कि अनुच्छेद 259 में भी वही पद नाम आए हैं जो संविधान सभा द्वारा पूर्व अनुच्छेद में इस अधिकारी को दिया गया है।

संशोधन अंगीकृत हुआ।

यथासंशोधित अनुच्छेद 259 संविधान में जोड़ा गया।

अनुच्छेद 260

***माननीय सभापति :** अब हम अनुच्छेद 260 पर आते हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं प्रस्तावित करता हूँ "कि संशोधनों की सूची के संशोधन सं. 2943 के स्थान पर निम्नलिखित संशोधन रखा जाए :

(1) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से दो वर्ष के भीतर और तत्पश्चात् प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वतर समय पर, जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है, आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने

---

*.

**. सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 9 अगस्त, 1949, पृ. 302

***. सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 9 अगस्त, 1949, पृ. 303

वाले एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा।"

महोदय, इस संशोधन का मुद्दा यह है कि मूलतः यह अनुच्छेद जिस रूप में था, इसमें लिखा था कि पांच वर्ष के अंत में आयोग नियुक्त किया जाएगा। महसूस किया गया है कि राष्ट्रपति को बहुत पहले आयोग नियुक्त करने की अनुज्ञा देनी आवश्यक है। परिणामस्वरूप अब हम उपबंध कर रहे हैं कि आयोग संविधान के प्रारंभ से दो वर्ष के भीतर नियुक्त किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति : आप संशोधन संख्या 96 भी प्रस्तावित कर सकते हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं प्रस्तावित करता हूँ

"कि अनुच्छेद 260 के खंड (3) के उपखंड (ख) में "भारत के राजस्व" शब्दों के स्थान पर "भारत की संचित निधि" शब्द रखे जाएँ। यह एक औपचारिक मात्र है।

माननीय सभापति : इस अनुच्छेद के संशोधन हैं जो पुस्तक में मुद्रित किए गए हैं।

पंडित ह्रदयनाथ कुंजरू : ..... इस अनुच्छेद से दर्शित होता है कि संविधान निर्माता महसूस करते हैं कि अनुच्छेद ...... के उपबंधों के अधीन......

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह अभी तक पारित नहीं हुआ है।

पं. ह्रदयनाथ कुंजरू : इसीलिए मैं इसका हवाला दे रहा हूँ अन्यथा इसका हवाला देने का कोई औचित्य नहीं था।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मुझे इसे वापस लेने का अधिकार है।

पं. ह्रदयनाथ कुंजरू : डॉ. अम्बेडकर का कहना है कि उनके पास इसे वापस लेने का अधिकार है। आशा है इसे वापस लेना काफी बुद्धिमानी होगी।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : नहीं यह उपांतरित हो सकता है।

* * * *

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर** : महोदय, सदन ने यह अवश्य समझ लिया होगा कि मेरे माननीय मित्र डॉ. कुजरू का संशोधन अनुच्छेद 260 के खंड (3) की ओर इंगित करता है जिसमे वित्त आयोग के कार्य दिये गए हैं। लेकिन, उनके संशोधन के सही महत्व को समझने की दृष्टि से, मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूँ कि हमने जो दो अनुच्छेद 251 और 253 पारित किए हैं उनमें पहले ही उपबंधित

---

*· सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 9 अगस्त, 1949, पृ. 311

की जा चुकी राजस्व आवंटन की पद्दति को जानना वांछनीय है। यह महसूस होगा कि प्रारूप संविधान आयकर के वितरण और आवंटन को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के वितरण और आवंटन से पृथक करता है। आयकर के संबंध में आगमों का वितरण और आवंटन ऐसा विषय है जो विनिश्चय के लिए राष्ट्रपति पर छोड़ा गया है। अनुच्छेद 251 (2) को खंड (4) (ख) (1) (2) के साथ पढ़ने से यही अर्थ निकलेगा। दूसरी ओर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के वितरण और आवंटन के संबंध में मामला पूरी तरह संसद द्वारा निर्मित विधि द्वारा अवधारित करने के लिए छोड़ दिया गया है। आप अनुच्छेद 253 में स्पष्ट रूप से यह देख सकते हैं।

अब एक बज रहा है। मैं अपना भाषण कल जारी रखूंगा।

इसके बाद सभा बुधवार ता. 10 अगस्त 1949 को प्रातः 9 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

* * * *

अनुच्छेद 260 (जारी)

***माननीय सभापति** : डॉ. अम्बेडकर :

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (बम्बई : साधारण) :

महोदय, कल बैठक के अंत में, मैं अपने मित्र पं. कुंजरू द्वारा उनके संशोधन के समर्थन में दिए गए तर्क पर विचार प्रकट कर रहा था। मैंने यह कहते हुए अपनी बात शुरू की थी कि सदन को अनुच्छेद 251(2) और अनुच्छेद 253 में पृष्ठभूमि के रूप में अंकित उपबंध को याद करना वांछनीय होगा ताकि माननीय सदस्य यह समझ सकें कि पं. कुंजरू वस्तुतः अपने संशोधन द्वारा क्या चाहते हैं।

अब मैं अपने कल के वक्तव्य का संक्षिप्त सारांश पेश करूंगा। स्थिति यह है, जहाँ तक आयकर का संबंध है, आगमों का वितरण ओर आवंटन तय करने का काम राष्ट्रपति पर छोड़ा गया है जबकि केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क का वितरण और आवंटन संसद द्वारा निर्मित विधि द्वारा तय होगा।

अगला विचारणीय बिन्दु, यह है कि अनुच्छेद 260 में जो वित्त आयोग के विषय में है, अंतर्विष्ट उपबंध हैं। अनुच्छेद 260 के खंड (3) में उपबंधित है कि वित्त आयोग केवल करों के जो संसद द्वारा निर्मित विधि द्वारा वितरणीय बनाये गए हैं, वितरण और आवंटन के संबंध में ही नहीं बल्कि आयकर के वितरण और आबंटन के संबंध में भी सलाह देने और सिफारिशें करने से संबंधित है। यदि मैंने अपने मित्र पं. कुंजरू

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 10 अगस्त, 1949, पृ. 313–15

को ठीक से समझा है तो पं. कुंजरू जो कुछ चाहते हैं वह यह है कि वे आयकर के संग्रहण, आवंटन और वितरण को क्षेत्राधिकार से बाहर ले जाना चाहते हैं अर्थात् वित्त आयोग के क्षेत्र से बाहर ले जाना चाहते हैं। उनका तर्क था कि जबकि राष्ट्रपति केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का आवंटन करने में वित्त आयोग की सलाह लेगा, आयकर के संबंध में उसे वित्त आयोग से स्वतंत्र रखा गया है। उन्होंने केवल एक प्रतिबंध बताया है और वह यह है कि जहाँ तक आरंभिक आयकर वितरण का संबंध है राष्ट्रपति वित्त आयोग से परामर्श कर सकेगा ओर वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार या उन्हें ध्यान में रखकर कार्य कर सकेगा, लेकिन आयकर आवंटन का कोई भी पश्चात्वर्ती फेरफार, वित्त आयोग की सिफारिशों से स्वतंत्र, राष्ट्रपति पर छोड़ा जा सकता हैं। मेरे विचार में, अपने संशोधन के द्वारा वे जो कुछ चाहते हैं वह मैं ठीक समझ गया हूँ। इसलिए सवाल बहुत सरल है और छोटा–सा है। क्या प्रांतों और केन्द्र के बीच आयकर के वितरण में अन्तर करने में तथा विभिन्न प्रांतों में इस प्रकार कि पृथक रखे गए आयकर के आगमों के आवंटन में राष्ट्रपति को वित्त आयोग की सिफारिशों से सर्वथा स्वतंत्र रखा गया है ? मेरे द्वारा प्रस्तावित प्रारूप संशोधन में उपबंध किया गया है कि राष्ट्रपति, आयकर के वितरण और आवंटन के बारे में कोई भी परिवर्तन करने में वित्त आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखेगा। मैं उनके दृष्टिकोण को अच्छी तरह समझता हूँ कि यदि इसे वित्त आयोग की सिफाारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा विनिश्चय किए जाने के लिए छोड़ दिया जाता है तो राष्ट्रपति के हाथ इतने बंधे हो सकते हैं कि वह वित्त आयोग की सिफारिश पर या उस हंगामे पर झुक सकते हैं जो प्रांतों द्वारा किया जा सकता है जिसका परिणाम यह होगा कि उन्हें केन्द्रीय वित्त को क्षति पहुँचाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। मैं उनकी भावनाओं की कद्र करता हूँ कि जहाँ तक वित्त का संबंध है, केन्द्र को अधिक से अधिक स्वतंत्र बनाया जाना चाहिए, क्योंकि मेरे विचार में, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि हम संविधान में ऐसा कुछ न करे जिससे केन्द्रीय सरकार के राजनीतिक या वित्तीय अस्तित्व पर संकट छा जाए, बल्कि इसका दूसरा पक्ष भी है अर्थात् मान लीजिए, सभी प्रांतों ने हंगामा किया जिसकी कल्पना करना पूरी तरह संभव है क्योंकि यह उनका सामान्य हित होगा कि वे राष्ट्रपति से प्रांतों को और अधिक राजस्व आवंटित करने का आग्रह करें, क्या यह राष्ट्रपति को प्रांतों की दया पर छोड़ना नहीं होगा? दूसरी ओर, यदि आयोग की रिपोर्ट में यह सिफारिश की जाए कि केन्द्र को आयकर के अन्तर्गत प्रांतों से अधिक राजस्व न दिया जाए तो मेरे निर्णय में, प्रांतों को ऐसे विरोध के सामने झुकने से इंकार करने से राष्ट्रपति के हाथ मजबूत होंगे। यदि मैं इस भाषा का प्रयोग करूं जिससे हम अब भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत परिचित हैं तो प्रारूप अनुच्छेद जैसा अब है और प्रस्तावित संशोधन के बीच अन्तर यह है कि पं. कुंजरू के अनुसार

राष्ट्रपति को अपने विवेकानुसार कार्रवाई करनी चाहिए जिसका अर्थ है.....................

पंडित ह्रदयनाथ कुंजरू (संयुक्त प्रांत : साधारण) : क्या माननीय सदस्य मुझे अपने मुद्दे को स्पष्ट करने की अनुमति देने का कष्ट करेंगे क्योंकि मैं यह महसूस करता हूँ कि मैंने जो कुछ कहा है वह उन्होंने पूरी तरह नहीं समझा है? क्या मैं एक दो वाक्य में उसे स्पष्ट कर दूँ कि जो कुछ मैंने कहा था। अनुच्छेद 260 के खंड (3) के अधीन राष्ट्रपति जिस विषय को चाहे, वित्त आयोग को उसकी राय के लिए भेज सकता है। इसलिए मैं राष्ट्रपति को उनकी मर्जी के अनुसार आयोग से परामर्श करने से निषिद्ध करना नहीं चाहता। मैं तो केवल इस बात पर आपत्ति कर रहा हूँ कि राष्ट्रपति के किसी निर्देश के बिना, वित्त आयोग को यह कहने की शक्ति होनी चाहिए कि केन्द्र और प्रांतों के बीच आयकर के शुद्ध आगमों का आवंटन वह नहीं है जो होना चाहिए और यह कि उसके द्वारा सिफारिश किया गया नया प्रतिशत नियत किया जान चाहिए। बस इतना ही कहा था कल मैंने।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इससे स्थिति और भी विषम हो जाती है, क्योंकि मैं यह नहीं समझा सकता कि वित्त आयोग किस प्रकार कोई सिफारिश कर सकता है जब तक कि वह बिंदु उसे खास तौर पर न भेजा जाए या निर्देश के विषयों में सम्मिलित न किया जाए।

पं. ह्रदयनाथ कुंजरू : अनुच्छेद 260 के खंड (3) के उपखंड (क) के अधीन आयोग, अपनी स्वयं की पहल पर उस विषय में सिफारिश कर सकेगा। मेरे मित्र अर्थ समझने के लिए उपखंड को पढ़ लें।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : "राष्ट्रपति द्वारा आयोग को, ठोस वित्त के हित में, निर्देशित कोई अन्य विषय"।

पंडित ह्रदयनाथ कुंजरू : यह बात हुई। क्या माननीय सदस्य अनुच्छेद 260 का हवाला देंगे जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं खास तौर पर उस खंड के संदर्भ में जिस पर मैंने कल विचार प्रकट किए थे। अनुच्छेद 260 के खंड (3) का उपखंड (क) कहता है –

"आयोग का यह कर्त्तव्य होगा कि वह –

संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के, जो इस अध्याय के अधीन उनमें विभाजित किए जाने हैं या किए जाएं, वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आवंटन के बारे में...........राष्ट्रपति को सिफारिश करे।"

इसी बात पर मेरी आपत्ति है। खंड (3) के उपखंड (घ) के अधीन किसी अन्य विषय को जिसे वह चाहे, वित्त आयोग को निर्देशित करने की राष्ट्रपति की शक्ति में गतिरोध नहीं पड़ेगा यदि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं नहीं जानता। स्थिति बिल्कुल साफ हैं, चाहे राष्ट्रपति को आयकर के बारे में अपनी मर्जी से कोई आवंटन करने के पूर्ण विवेकाधिकार में छोड़ना है या उसे वित्त आयोग की सिफारिशों द्वारा मार्गदर्शित होना चाहिए। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति की स्थिति काफी सुदृढ़ हो जाएगी यदि वह वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को एक न्यायोचित कारण के रूप में निर्दिष्ट करें। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति और उन प्रांतों के बीच एक बम्पर का काम कर रहा होगा जो आयकर में से और अधिक राजस्व के लिए हल्ला करें। अतः मैं नहीं समझता कि मेरे मित्र श्री कुंजरू द्वारा प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार करने का कोई कारण है।

माननीय सभापति : अब मैं दो संशोधनों को मतदान के लिए रखता हूँ। पहला संशोधन सं. 95 जो डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित है।

[डॉ. अम्बेडकर का संशोधन अंगीकृत हुआ, यथासंशोधित अनुच्छेद 260 संविधान में जोड़ा गया।]

अनुच्छेद 261

*__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर__ : महोदय, मैं प्रस्तावित करता हूँ :

"कि अनुच्छेद 261 में, 'संसद' शब्द के स्थान पर "संसद का 'प्रत्येक सदन'" शब्द रखे जाएँ।"

* * * *

**__माननीय डॉ बी. आर. अम्बेडकर__ : माननीय सभापति जी, मुझे खेद है कि मैं इस अनुच्छेद के लिए प्रस्तावित संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह संशोधन अनुच्छेद 261 के उपबंधों को सर्वथा गलत समझने के कारण है। और मैं यह महसूस करता हूँ कि कोई संशोधन आवश्यक नहीं है। अनुच्छेद 261 का अर्थ ठीक से समझने के लिए आपको इससे पूर्व के अनुच्छेदों पर दृष्टिपात करना होगा। वे अनुच्छेद आयकर के वितरण और केन्द्र स्तर पर संगृहीत उत्पाद शुल्क के शुद्ध आगमों के वितरण के विषय में हैं। प्रकटतः, आयकर के वितरण के बारे में अनुच्छेद के अधीन जो हम पारित कर चुके हैं, यह विषय पूर्णतः वित्त आयोग की सिफारिश पर कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रपति पर छोड़ दिया गया है। ऐसी स्थिति में, अब संशोधन द्वारा यह कहना संभव नहीं होगा कि जहाँ तक आयकर के वितरण

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 10 अगस्त, 1949, पृ. 31, पृष्ठ 5

** वही, पृष्ठ 228–29

संबंधी सिफारिशों का संबंध है, इस विषय को संसद पर छोड़ा जा सकता है। मेरा निवेदन है कि यह मुद्दा अब बंद हो चुका है। हमने अनुच्छेद को पारित करके या तो आरंभिक प्रक्रम पर या पश्चात्वर्ती प्रक्रमों पर आयकर का आवंटन और वितरण राष्ट्रपति पर छोड़ दिया है।

अब, दूसरा मुद्दा जो अनुच्छेद 261 के अन्तर्गत आता है, केन्द्र स्तर पर उद्‌गृहीत राजस्व के वितरण के विषय में है। अनुच्छेद से यह भी स्पष्ट है कि हम पारित कर चुके हैं कि यह विषय संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा नियंत्रित होगा। राष्ट्रपति स्वयं यह नहीं कर सकता। अतः वह "संसद के समक्ष एक ज्ञापन रखेगा जिसमें उस कार्रवाई का उल्लेख होगा जो की गई है "शब्दों से केवल यह अभिप्रेत है कि राष्ट्रपति यह कहेगा क्योंकि वह कहने के लिए बाध्य होगा कि आगमों को विनियमित या स्वीकृत करने के लिए और उस रीति के बारे में विधेयक संसद के समक्ष पुरः स्थापित किया जाएगा और उस रीति के बारे में जिसमें वे आवंटित किए जाने है। परिणामस्वरूप, यदि मेरे मित्र श्री शिब्बनलाल सक्सेना अनुच्छेद 261 का पाठ अन्य पारित किए गए अनुच्छेदों के सापेक्ष करेंगे तो वे समझ पाएंगे कि जहाँ तक उत्पाद शुल्क के वितरण का संबध है, परिणाम वही होगा जो अपने संशोधन द्वारा वे लाना चाहते हैं। अतः मेरे विचार में, उनका संशोधन बिल्कुल अनावश्यक है।

माननीय सभापति : अब मैं संशोधनों को मतदान के लिए रखता हूँ।

[डॉ. अम्बेडकर के संशोधन से संशोधित अनुच्छेद 261 अंगीकृत हुआ और संविधान में जोड़ा गया।]

अनुच्छेद 263

*__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर__ : महोदय, मैं प्रस्तावित करता हूँ "कि अनुच्छेद 263के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए–

संचित निधियों की अभिरक्षा, ऐसी निधियों में धनराशियों का संदाय और उनमें से निकाली जानी–

'263 (1) भारत की संचित निधि, ऐसी निधियों में धनराशियों के संदाय, उनसे धनराशियों के निकाले जाने तथा पूर्वोक्त विषयों का विनिमयन संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा किया जाएगा और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक राष्ट्रपति द्वारा निर्मित नियमों द्वारा किया जाएगा।

(2) राज्य की संचित निधि की अभिरक्षा, ऐसी निधि में धनराशियों के संदाय और इनसे धनराशियाँ निकाले जाने, तथा पूर्वोक्त विषयों से संबंधित या उनके आनुषंगिक

---
* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 10 अगस्त, 1949, पृ. 330

सभी विषयों का विनिमयन राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि द्वारा किया जाएगा और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक राज्य के राज्यपाल .... द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा किया जाएगा।"

मैं नहीं समझता किसी स्पष्टीकरण की जरूरत है।

पंडित हृदयनाथ कुंजरू : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्तावित करता हूँ –

"कि अभी डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित संशोधन में, जहाँ कहीं भी 'संचित निधि' शब्द आये हैं, उनके पश्चात् और "आकस्मिकता निधि" शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे तथा 'ऐसी निधि' शब्द जहाँ कहीं भी आए हैं, उनके स्थान पर 'ऐसी निधियां' शब्द रखे जाएंगे।" सदन ने पहले ही आकास्मिकता निधि स्थापित करने के लिए सहमति दे दी है। अतः उस रीति के बारे में उपबंध करना आवश्यक है जिसमें धनराशि आकस्मिकता निधि में डाली जा सकेगी और उसमें से निकाली जा सकेगी। यह विशुद्ध रूप से एक औपचारिक संशोधन है और मुझे विश्वास है कि सदन इसे स्वीकार कर लेगा।

माननीय सभापति : मैं यह मानता हूँ कि डॉ. अम्बेडकर पंडित कुंजरू के संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं संशोधन को स्वीकार करता हूँ। यथा संशोधित अनुच्छेद 263 संविधान में जोड़ा गया।

अनुच्छेद 267

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर** : महोदय, मैं प्रस्तावित करता हूँ–

"कि अनुच्छेद 267 में–

(1) 'भारत में सम्राट' शब्दों के पश्चात् ''अथवा संघ या किसी राज्य के कार्यों के संबंध में ऐसे प्रारंभ के पश्चात्'' शब्द स्थापित किए जाएंगे;

(2) 'भारत के राजस्व' शब्द जहाँ कहीं भी आए हों इन शब्दों के स्थान पर 'भारत की संचित निधि' शब्द रखे जाएं;

(3) 'राज्य के राजस्व' जहाँ कहीं भी आए हों, इन शब्दों के स्थान पर 'राज्य की संचित निधि' शब्द रखे जाएं,

(4) 'पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट' शब्दों और अंकों को हटा दिया जाए; और

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 10 अगस्त, 1949, पृ. 330–34

(5) 'राज्य के राजस्व' शब्दों के स्थान पर राज्य की 'संचित निधि' शब्द रखे जाएं।"

यह मात्र परिणामिक है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं कोई संशोधन स्वीकार नहीं करता हूँ।

माननीय सभापति : मैं संशोधनों को मतदान के लिए रखता हूँ

[डॉ. अम्बेडकर का संशोधन अंगीकृत हुआ। प्रो. एस. एल. सक्सेना, एच. वी. कामथ और डॉ. पी. एस. देशमुख द्वारा प्रस्तावित संशोधन अस्वीकार किए गए। यथा संशोधित अनुच्छेद 267 संविधान में जोड़ा गया।]

अनुच्छेद 268

*__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :__ महोदय, मेरे मित्र प्रो. के. टी. शाह के अंतिम भाषण के सिवाय, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि हमें एक खंड समाविष्ट करके ऋण मंजूर करने के संसद के प्राधिकार पर सीमा लगा देनी चाहिए। मैं विसम्मति को समझने में वास्तव में बिल्कुल असमर्थ था जो अनुच्छेद 268 में अन्तर्विष्ट उपबंध के बारे में अन्य वक्ताओं द्वारा व्यक्त की गई थी। यह स्वीकार है कि केवल कार्यपालिका ही उधार लेने के प्रयोजन के लिए देश के क्रेडिट को गिरवी रख सकती है, क्योंकि उधार लेना एक पहलू से कार्यपालक कृत्य है, किन्तु इस अनुच्छेद में यह प्रस्तावित नहीं है कि उधार लेने की कार्यपालिका की शक्ति संसद द्वारा बनाई गई किसी भी विधि द्वारा अप्रतिबंधित रहेगी। यह अनुच्छेद विनिर्दिष्ट तौर पर कहना है कि कार्यपालिका की उधार लेने की शक्ति ऐसी परिसीमाओं के अधीन रहेगी जो संसद विधि द्वारा विहित करे। यदि संसद कोई विधि नहीं बनाती है तो यह निश्चय ही संसद की गलती है और मेरे लिए यह सोचना बहुत मुश्किल है कि कोई भावी संसद इस विषय पर पर्याप्त या गंभीर ध्यान नहीं देगी और कानून नहीं बनाएगी। अनुच्छेद 268 के अधीन मैं यह भी मान लेता हूँ कि संसद द्वारा वार्षिक ऋण अधिनियम बनाया जा सकता है जिसके द्वारा कार्यपालिका की यह शक्ति विहित की जाए या परिसीमित की जाए कि वह उस वर्ष कितना धन उधार ले सकते हैं। अतः मैं यह नहीं समझता कि जो लोग अनुच्छेद 268 के उपबंधों से सहमत नहीं हैं वे और क्या चाहते हैं। निस्संदेह यह एक भिन्न विचारणीय मुद्दा है कि क्या हमारे पास और आगे उपबंध हो जिसके द्वारा देश के क्रेडिट को गिरवी रखने की संसद की शक्ति को परिसीमित किया

---

*. सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 10 अगस्त, 1949, पृ. 339–40

जाए। मुझे ऐसा प्रतीत होता कि इस मुद्दे को भी संसद पर छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि संसद यह कहने के लिए स्वतंत्र होगी कि उधार देश के कुछ संसाधनों के गिरवी रखकर नहीं लिया जा सकता। मैं नहीं समझता कि इस अनुच्छेद द्वारा संसद इन गारंटियों के बारे में जो संसद द्वारा इन ऋणों पर उधारों की प्रतिभूति स्वरूप दी जाए, अपने आप परिसीमाएं लगाने से किस प्रकार रोक सकता है। अतः मैं सोचता हूँ कि सभी दृष्टिकोणों अनुच्छेद 268 अपने वर्तमान रूप में आकस्मिकताओं पर काम आने के लिए पर्याप्त है और मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि जैसाकि मेरे मित्र श्री अनन्तशयनम अय्यंगर ने कहा था, हमें आशा है, संसद इस मुद्दे को गंभीरता से लेगी और विधियाँ बनाती रहेगी ताकि संघ की उधार लेने की शक्ति परिसीमित रहे, – मैं इससे भी आगे यह कहता हूँ कि मुझे केवल आशा ही नहीं है बल्कि मुझे प्रत्याशा है कि संसद इस अनुच्छेद के अधीन अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगी।

श्री एच. वी. कामथ : क्या डॉ. अम्बेडकर 'यदि कोई हैं' शब्दों के विलोप से सहमत नहीं हैं ?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं इस पर विचार कर रहा था लेकिन मैं नहीं समझता कि इससे स्थिति में सुधार होगा क्योंकि शब्द "जैसाकि समय–समय पर हो" हैं।

माननीय सभापति : मैं समझता हूॅ कि 'भारत की संचित निधि' शब्दों को प्रतिस्थापित करने वाला संशोधन स्वीकार किया जाता है।

यथा संशोधित अनुच्छेद 268 संविधान में जोड़ा गया।

अनुच्छेद 269

***माननीय सभापति** : कुछ संशोधन हैं जो मुद्रित संशोधनों की 2 जिल्दों में पृष्ठ 313 पर मुद्रित हैं।

इसके पश्चात् हम डॉ. अम्बेडकर के संशोधन सं. 107 को लेते हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं प्रस्तावित करता हूँ–

'कि अनुच्छेद 269 के खंड (1) में' पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट' शब्दों और अंकों को हटा दिया जाए।"

कि अनुच्छेद 269 के खण्ड (1) में आए 'राज्य के राजस्व' शब्द के स्थान पर 'राज्य की संचित निधि' रखा जाए।

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 10 अगस्त, 1949, पृ. 340–42

"कि संशोधन सूची के संशोधन सं. 2972 के निर्देश में, अनुच्छेद 269 के खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाए –

(2) भारत सरकार, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अकथित की जाएं, किसी राज्य को उधार दे सकेगी या जहाँ तक अनुच्छेद 268 के अधीन नियत किन्हीं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है वहाँ तक किसी ऐसे राज्य द्वारा लिए गए उधारों के संबंध में प्रत्याभूति दे सकेगी और ऐसे उधार देने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित राशियां भारत की संचित निधि पर भारित होंगी।"

मेरे संशोधन सं. 107 से महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ है कि मूलतः भारत सरकार को इस विषय में पूरी आजादी दी गई थी, अब भारत सरकार की कार्रवाई ऐसी शर्तों के अधीन है जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा अधिकथित की जाएँ।

महोदय, मैं प्रस्तावित करता हूँ–

"कि अनुच्छेद 269 के खंड (3) में पहली अनुसूची के भाग 1 या भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट' शब्दों और अंकों को हटा दिया जाए।"

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं नहीं समझता महोदय, कि कोई जवाब अपेक्षित है।

[डॉ. अम्बेडकर के संशोधन द्वारा संशोधित अनुच्छेद 269 अंगीकृत हुआ और संविधान में जोड़ा गया।]

अनुच्छेद 5 और 6

*__माननीय सभापति__ : अब हम मूल प्रारूप के अनुच्छेद 5 और 6 को लेते हैं। मैं देखता हूँ कि इन दो अनुच्छेदों के कोई 130 या 140 संशोधनों का फैलता जंगल है मेरा सुझाव है कि डॉ. अम्बेडकर के लिए सर्वोत्तम मार्ग होगा अनुच्छेदों को उसी रूप में प्रस्तावित करना जिसमें उन्होंने उन्हें अंतिम रूप से तैयार किया है, तब मैं इस संशोधित प्रारूप के संशोधनों पर चर्चा करेंगे। डॉ. अम्बेडकर, मेरे विचार में अनुच्छेद 5 और 6 दोनों एक साथ काम करते हैं।

प्रो. के. टी. शाह : क्या मैं जान सकता हूँ कि मुद्रित सूची के संशोधनों का क्या हुआ? वे सब मूल प्रारूप के संशोधनों के रूप में पटल पर रखे गए है। मुझे आपका सुझाव समझ में नहीं आता कि अब आप इन संशोधनों को किस प्रकार लेंगे।

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 10 अगस्त, 1949, पृ. 340–42

माननीय सभापति : यदि कोई ऐसा संशोधन है जो सारवान प्रकृति का है, जो प्रारूपण समिति द्वारा प्रस्तावित रूप में संशोधित प्रारूपों में से किसी से संसक्त है तो मैं निश्चय ही उसे लूंगा, लेकिन मैं यह सदस्यों पर छोड़ता हूँ कि वे मुझे यह बताएँ कि कौन–सा संशोधन विशेष वे प्रस्तावित करना चाहते हैं।

डॉ. पी. एस. देशमुख : यदि मूल प्रारूप प्रस्तावित नहीं होता है तो उस प्रारूप पर रखे गए सब संशोधन धूल चाटेंगे।

माननीय सभापति : हम मूल प्रारूप को प्रस्तावित नहीं कर रहे हैं लेकिन उसे प्रस्तावित किया गया मान लिया जाएगा और फिर अन्य संशोधन लिए जाएंगे सदस्यगण देखेंगे कि डॉ. अम्बेडकर ने कुछ संशोधनों का नोटिस दिया है जो सदस्यों को परिचालित किए जा चुके हैं। पहला सूची 1 सं. 1 है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, क्या मैं वे संदर्भ बताऊं ? वे संशोधन जिनका नोटिस नागरिकता खंड के बारे में दिया गया है, विभिन्न सूचियों में फैले पड़े हैं, और मैं चाहता हूँ कि शुरू में सदस्यों को विभिन्न सूचियों के संदर्भ दे दिए जाएँ। पहला संशोधन सूची 1 का सं. 1 है। इसके बाद सूची IV के संशोधन सं. 128, 129, 130, 131, 132 और 133 आते हैं। इस अनुच्छेद के बारे में प्रारूपण समिति के ये विभिन्न प्रस्ताव हैं। मैं यह महसूस करता हूँ कि हो सकता है सदन इस स्थिति में न हो कि वह स्पष्ट और पूरा सवाल कर पाए यदि ये संशोधन पृथक–पृथक करके टुकड़ों में प्रस्तावित किए जाते हैं। इसलिए मैं जो कुछ प्रस्तावित करना चाहता हूँ वह यह है कि मैं एक समेकित संशोधन पेश करूंगा। इसमें संशोधन सं. 1, 128, 129, 130 और 133 हैं। मेरे मित्र श्री टी. टी. कृष्णमाचारी बाद में अन्य दो संशोधन पेश करेंगे वे हैं सूची IV के संशोधन सं. 131 और 132, संशोधन संख्या 129 में इसे इस प्रकार पढ़ा जाए – "प्रस्तावित अनुच्छेद 5 के" बजाय प्रस्तावित अनुच्छेद 5क के'। यह मुद्रण त्रुटि है। इन मताभिव्यक्तियों के साथ मैं अपना संशोधन प्रस्तावित करता हूँ –

"कि अनुच्छेद 5 और 6 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखे जाएं –

संविधान के प्रारंभ की तारीख पर नागरिकता

"5. इस संविधान के प्रारंभ होने पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत राज्यक्षेत्र में अधिवास है और

(क) जो भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था या

(ख) जिसके माता–पिता में से कोई भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था, या

(ग) जो इसके प्रारंभ से ठीक पहले से कम से कम पांच वर्ष तक भारत के

राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा है,

भारत का नागरिक होगा बशर्ते कि उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छया से ग्रहण न कर ली हो।"

पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार

5—क. अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्यक्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अन्तर्गत है, भारत के राज्यक्षेत्र में प्रव्रजन किया है, इस संविधान के प्रारंभ से भारत का नागरिक समझा जाएगा —

(क) यदि वह या उसके माता—पिता में से कोई अथवा उसके पितामह या पितामही या मातामह या मातामही में से कोई (मूल रूप से यथा अधिनियमित) भारत सरकार अधिनियम, 1935 में दी गई परिभाषा के अनुरूप भारत में जन्मा था, और

(ख) (1) जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई, 1948 से पहले प्रव्रजन किया है तब वह अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत के राज्यक्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, या

(2) जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई, 1948 को या उसके पश्चात् इस प्रकार प्रव्रजन किया है तब यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रिति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले ऐसे अधिकारी को, जिसे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है, आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है :

परन्तु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम छह मास भारत के राज्यक्षेत्र में निवासी नहीं रहा है तो वह इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा।"

पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार

"5कक. इस संविधान के अनुच्छेद 5 और 5क में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च, 1947 के पश्चात् भारत के राज्यक्षेत्र से ऐसे राज्यक्षेत्र को, जो इस समय पाकिस्तान के अन्तर्गत है, प्रव्रजन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा :

परन्तु, इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी, जो ऐसे राज्य—क्षेत्र से, जो इस समय पाकिस्तान में है, प्रव्रजन करने के पश्चात् भारत के

राज्यक्षेत्र में ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया है जो पुनर्वास के लिए या स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन दी गई है, और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 5क के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसने भारत के राज्यक्षेत्र को 19 जुलाई, 1948 के पश्चात् प्रव्रजन किया है।"

श्री जसपत राय कपूर (संयुक्त प्रांत : साधारण) : आपने कहा था यह श्री टी. टी. कृष्णमाचारी द्वारा पेश किया जाएगा।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैंने इसे समेकित अनुच्छेद में सम्मिलित कर लिया है क्योंकि मैं इसे स्वीकार करना चाहता हूँ, जो उनके द्वारा पेश किया जाएगा।

भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार

5ख. अनुच्छेद 5 और 5 क में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो या जिसके माता–पिता में से कोई अथवा पितामह या पितामही या मातामह या मातामही में से कोई (मूल रूप में यथा अधिनियमित) भारत सरकार अधिनियम, 1935 में परिभाषित के अनुसार भारत में जन्मा था और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से अपने द्वारा उस देश में, जहाँ वह तत्समय निवास कर रहा है, भारत के राजनायिक या कौंसलीय प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात् आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है।

नागरिकता के अधिकारों का बना रहना

5. ग–प्रत्येक व्यक्ति, जो इस भाग के पूर्णगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जो संसद द्वारा बनाई जाए, भारत का नागरिक बना रहेगा।

संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना

6. इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी।"

महोदय, मेरे प्रारूप के संशोधनों के श्री टी. टी. कृष्णमाचारी द्वारा पेश किए जाने के बाद मैं अपनी टिप्पण आरक्षित रखता हूँ और इससे बात पूरी हो जाएगी।

*माननीय सभापति : यदि हम अन्य सभी संशोधनों को लेते हैं तो मेरे विचार में इनका कोई अंत नहीं होगा। पहले, डॉ. अम्बेडकर अपने मन्तव्य की व्याख्या करें और फिर दूसरे संशोधन पेश किए जा सकते हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : माननीय सभापति महोदय, प्रारूप संविधान में एक अन्य अनुच्छेद को छोड़कर मैं नहीं समझता, किसी दूसरे अनुच्छेद ने प्रारूपण समिति को इतना सरदर्द दिया है जितना इस अनुच्छेद विशेष ने। मुझे नहीं मालूम कितने प्रारूप तैयार किए गये हैं और कितने अपर्याप्त होने की वजह से नष्ट कर दिए गए हैं क्योंकि उनमें वे मामले समावष्टि नहीं होते थे जो समावष्टि होने आवश्यक एवं वांछनीय थे। मेरे विचार में, प्रारूपण समिति के लिए यह सुखद बात है कि वह अन्ततोगत्वा प्रारूपण पर सहमत हो गई जो मैंने पेश किया है, क्योंकि मैं यह महसूस करता हूँ कि यह वह प्रारूप है जो सबको नहीं तो अधिकांश लोगों को संतोष प्रदान करता है।

एक माननीय सदस्यः प्रश्न,

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, यह अनुच्छेद नागरिकता का हवाला किसी व्यापक अर्थ में नहीं देता बल्कि इस संविधान के प्रारंभ की तारीख को विद्यमान नागरिकता का हवाला देता है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य इस देश के लिए नागरिकता की स्थायी विधि अधिकथित करने का नहीं है। नागरिकता की स्थायी विधि का काम संसद पर छोड़ दिया गया है, और जैसा कि सदस्य अनुच्छेद 6 की भाषा में देखेंगे, जो मैंने प्रस्तावित किया है, नागरिकता संबंधी सम्पूर्ण विषय संसद पर किसी विधि द्वारा जो वह ठीक समझे, अवधारित किये जाने के लिए छोड़ दिया गया है यह अनुच्छेद इस प्रकार है –

''इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी।"

अनुच्छेद 6 का प्रभाव यह है कि संसद उन लोगों से नागरिकता छीन ही नहीं सकेगी जो अनुच्देद 5 के उपबंधों द्वारा, संविधान के प्रारंभ की तारीख से नागरिक घोषित किए जाते हैं और जो बाद में नागरिक घोषित किए जाते हैं, बल्कि संसद् नये सिद्धांतो को समाविष्ट करते हुए सर्वथा नयी विधि बना सकेगी। जो इन अनुच्छेदों

*· सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 10 अगस्त, 1949, पृ. 346–49

पर बहस में हिस्सा लेंगे उन्हें यह प्रथम प्रस्थापना में रखनी चाहिए। वे यह न समझे कि हम संविधान के प्रारंभ की तारीख से नागरिकता के लिए जो उपबंध करने जा रहे हैं वे स्थायी या अविकल रहने वाले हैं। हम तो बस फिलहाल तदर्थ आधार पर विनिश्चय करने जा रहे हैं।

इसके बाद, मैं सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि संविधान के प्रारंभ की तारीख से नागरिकता प्रदान करने के लिए प्रारूपण समिति ने पांच भिन्न प्रकार के लोगों के लिए उपबंध किया है जो उस तारीख से नागरिक बन सकते हैं जिस तारीख से संविधान प्रारंभ होता है। बशर्ते वे उन निबंधनों ओर शर्तों को पूरा करते हों जो अनुच्छेद में अधिकथित हैं।

ये पांच प्रवर्ग है

(1) भारत में अधिवास करने वाले और भारत में जन्मे। दूसरे शब्दों में, भारत की अधिकांश आबादी जैसाकि संविधान में परिभाषित है;

(2) वे व्यक्ति जो भारत में अधिवास करते हैं किन्तु जो भारत में नहीं जन्मे हैं बल्कि जो भारत में निवास करते हैं। उदाहरण के लिए वे व्यक्ति जो भारत में पुर्तगाली बस्तियों की या भारत में फ्रांसीसी बस्तियों की प्रजा हैं जैसे चन्दरनागोर, पांडिचेरी, अथवा उस काम के लिए ईरानी जो पर्सिया से आए हैं और यद्यपि वे यहाँ पैदा नहीं हुए हैं फिर भी वे यहाँ लम्बे समय से रहते हैं और निःसंदेह उनका आशय भारत के नागरिक बनना है।

लोगों के तीन अन्य प्रवर्ग, जिन्हें प्रारूपण समिति इस अनुच्छेद की परिधि में लाना चाहती है, ये हैं–

(3) वे लोग जो भारत में निवासी हैं लेकिन जो पाकिस्तान को प्रव्रजन कर गए हैं,

(4) वे लोग जो पाकिस्तान के निवासी हैं और जो भारत को प्रव्रजन कर गए हैं।

(5) वे लोग जो स्वयं या जिनके माता–पिता भारत में जन्मे है लेकिन भारत के बाहर रहते हैं।

ये लोगों के पांच प्रवर्ग हैं जो इस अनुच्छेद के उपबंधों से शासित हैं। अब प्रथम प्रवर्ग के लोग अर्थात् वे व्यक्ति जो भारत के राज्यक्षेत्र में अधिवास करते हैं और भारत के राज्यक्षेत्र में जन्में हैं या जिनके माता–पिता भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मे हैं उनके बारे में अनुच्छेद 5 क खंड (क) और (ख) लागू होते हैं। उसमें दी गई शर्तों को पूरा करते हैं तो वे उन उपबंधों के अधीन नागरिक होंगे।

लोगों का दूसरा वर्ग जिनका मैंने उल्लेख किया है उन व्यक्तियों का है जो भारत में निवास करते हैं लेकिन जो भारत में नहीं जन्मे हैं। वे अनुच्छेद 5 के खंड (ग) के अन्तर्गत आते हैं और ये व्यक्ति वे हैं जो ऐसे प्रारंभ की तारीख से ठीक पूर्व 5 वर्ष से अन्यून तक भारत के राज्यक्षेत्र में मामूली तौर पर निवास कर रहे हैं। इसमें यह शर्त अधिरोपित है कि वे पांच वर्ष से भारत के निवासी हों। ये सभी खण्ड एक साधारण परिसीमा के अधीन हैं, वह यह है कि उन्होंने किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छया अर्जित न की हो।

अंतिम वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में अर्थात् उनके संबंध में जो विदेश में रहते हैं या जिनके माता–पिता भारत में जन्मे थे वे मेरे अनुच्वेद 5–ख के अन्तर्गत आते हैं। यह उन लोगों के प्रति निर्देश करता है जो या जिनके माता–पिता या जिनके पितामह या पितामही अथवा मातामह या मातामही भारत में जन्मे थे जैसाकि भारत शासन अधिनियम, 1935 में परिभाषित है, जो भारत के राज्यक्षेत्र से बाहर निवास कर रहे हैं जो बाहर भारतीय कहलाते हैं। उनपर प्रतिबंध केवल यह है कि यदि वे भारत के नागरिक बनना चाहते हैं तो उन्हें संविधान के प्रारंभ से पूर्व कंसूलर अधिकारी को या भारत सरकार के राजनयिक प्रतिनिधि को उस प्रारूप में आवेदन करना होगा जो भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ विहित किया जाए और वे नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत अवश्य हों। उनके लिए दो शर्तें निर्धारित हैं एक है आवेदन, दूसरी है उस देश में जिसमें वह रहता है, वहाँ के कंसूलर द्वारा या भारत के राजनयिक प्रतिनिधि द्वारा ऐसे आवेदक का रजिस्ट्रीकरण। जैसा कि मैंने कहा है ये बातें बहुत मामूली हैं।

अब हम उन प्रवर्गों के लोगों पर आते हैं जो भारत में निवासी थे और जो पाकिस्तान चले गए तथा वे जो पाकिस्तान में निवासी थे ओर भारत चले आए हैं। जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए हैं उनके बारे में मेरे अनुच्छेद 5–क में बताया गया हैं। अनुच्छेद 5–क के उपबंध ये हैः–

जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए हैं वे दो प्रवर्गों में विभाजित किए गए हैः–

(क) वे जो 19 जुलाई, 1948 से पहले आए हैं, और

(ख) वे जो पाकिस्तान से भारत 19 जुलाई, 1948 के बाद आए हैं।

जो लोग 19 जुलाई, 1948 से पहले आए हैं वे स्वतः भारत के नागरिक बन जाएंगे।

जो लोग 19 जुलाई, 1948 के बाद आए हैं वे भी संविधान के प्रारंभ की तारीख को नागरिकता के हकदार होंगे बशर्ते कि एक निश्चित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाए अर्थात् उससे अपेक्षित होगा कि वे डोमिनियन ऑफ इंडिया की सरकार द्वारा

नियुक्त अधिकारी को आवेदन करें और वह व्यक्ति इस प्रकार किए गए आवेदन पर उस अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकृत कर लिया जाए।

जो व्यक्ति संविधान के प्रारंभ की तारीख को नागरिकता प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान से भारत आए हैं वे दो प्रवर्गों में रखे गए हैं — वे व्यक्ति जो 19 जुलाई, 1948 से पहले आए हैं और वे व्यक्ति जो उसके बाद आए हैं। जो लोग 19 जुलाई, 1948 से पहले भारत आए हैं उनकी नागरिकता स्वतः हो गई है। उनके बारे में कोई शर्तें नहीं, कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। जो व्यक्ति उसके बाद आए हैं उनके बारे में कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं और उन शर्तों के पूरा होने पर वे भी हमारे द्वारा अब प्रस्तावित अनुच्छेद के अधीन नागरिक के हकदार बन जाएंगे।

अब मैं उन लोगों पर आता हूँ जो पाकिस्तान में प्रव्रजन कर गए थे लेकिन भारत लौट आए हैं। उनके बारे में स्थिति इस प्रकार है। मुझे इस विषय में उतनी जानकारी नहीं है जितनी संभवतः संबंधित मंत्रियों को होगी। लेकिन हमने जो प्रस्ताव रखा है वह यह है : यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान प्रव्रजन कर गया था और वहाँ जाने के बाद एक परमिट के आधार पर फिर भारत लौट आया है जो उसे भारत सरकार द्वारा भारत में प्रवेश के लिए ही नहीं था बल्कि ऐसा परमिट था जो उसे पुनः बसने या स्थायी वापसी का हकदार बनाएगा, वही व्यक्ति इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक बनने का हकदार हो जाएगा। इस उपबंध को पुरःस्थापित करना पड़ा, क्योंकि भारत सरकार ने उन लोगों को जो पाकिस्तान चले गए थे और जो बाद में पाकिस्तान से भारत आ गए हैं, भारत आकर एक व्यवस्था के अन्तर्गत स्थायी तौर पर बसने के लिए अनुज्ञात कर दिया है जिसे 'परमिट व्यवस्था' कहते हैं। यह व्यवस्था 19 जुलाई, 1948 से प्रारंभ की गई है। अतः अनुच्छेद 5—ख में अन्तर्विष्ट उपबंध उन व्यक्तियों की नागरिकता के विषय में है जो पाकिस्तान से आने के बाद पाकिस्तान चले गए हैं और फिर भारत लौट आए हैं। उपबंध किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति पुनः बसने या स्थायी वापसी के लिए जारी किए गए परमिट के आधर पर भारत आया है वही संविधान के प्रारंभ की तारीख को नागरिक बनने का हकदार हो जाएगा।

महोदय, मेरा निवेदन है, सीमित प्रयोजन के लिए अर्थात् संविधान के प्रारंभ की तारीख को नागरिकता प्रदान करने के प्रयोजन के लिए हर प्रकार के मामले को समाविष्ट करना संभव नहीं है। यदि ऐसे प्रवर्ग के व्यक्ति हैं जो इस संशोधन में अन्तर्विष्ट उपबंध द्वारा बाहर रखे गए हैं उनके लिए हमने संसद को बाद में उपबंध करने की शक्ति दी है। मैं सदन को सुझाव देता हूं कि जो, संशोधन मैंने प्रस्तावित किए हैं वे इस समय के प्रयोजन के लिए पर्याप्त हैं। मुझे आशा है, सदन इन संशोधनों को स्वीकार करने में समर्थ होगा।

श्री बी. एम. गुप्ता (बम्बई : साधारण) : क्या परमिट व्यवस्था 19 जुलाई, 1948 को आरंभ कर दी गई थी।

माननीय डॉ. बी. आर अम्बेडकर : हाँ, 19 जुलाई, 1948 को एक अध्यादेश पारित किया गया था कि कोई व्यक्ति तब तक यहाँ नहीं आएगा जब तक उसके पास परमिट न हो, और 19 जुलाई, 1948 को भारत सरकार ने उसके अधीन कुछ नियम बनाए जिनके द्वारा व्यवस्था की गई थी कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति को, जो खास तौर पर यह कहे कि वह यहाँ आने का हकदार है, परमिट जारी किया जा सकेगा। ये परमिट तीन प्रकार के हैं, अस्थायी परमिट, स्थायी परमिट, और पुनःस्थापन या स्थायी वापसी के लिए परमिट। अंतिम पुनःस्थापन और स्थायी वापसी के अभिव्यक्त उद्देश्य के साथ वापस आने के लिए अनुज्ञा दी गई है। वही व्यक्ति इस अनुच्छेद में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रस्तावित हैं, अन्य नहीं।

माननीय सभापति : मेरे विचार में, हम संशोधनों को कल लेंगे।

***माननीय सभापति :** और मैं नहीं समझता कि और भाषणों से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध होगा। संशोधन सदस्यों के समक्ष हैं; वे अपनी मर्जी से किसी भी संशाधन के पक्ष में वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (बम्बई–साधारण) : माननीय सभापति महोदय, मेरे लिए उन सभी मुद्दों को अंकित करना संभव नहीं है जो उनके द्वारा उठाये गए हैं जिन्होंने मेरे द्वारा प्रस्तावित प्रारूप अनुच्छेदों की आलोचना की, मैं नहीं समझता कि आलोचना की हर पंक्ति पर ध्यान देना आवश्यक है। मेरे लिए अधिक सारवान मुद्दों को लेना और उनका जवाब देना पर्याप्त है।

मेरे मित्र डॉ. देशमुख ने कहा कि प्रारूप अनुच्छेदों द्वारा हमने अपनी नागरिकता को बहुत सस्ता बना दिया है। मैं सोचता हूँ कि यदि उन्हें वे नियम ज्ञात होते जो नागरिकता की विधि पर लागू होते हैं तो वे समझ गए होते कि हमारी नागरिकता उसकी अपेक्षा सस्ती नहीं है जो दूसरे देशों द्वारा निर्धारित कानूनों द्वारा बनाई गई है।

जहाँ तक मेरे मित्र प्रो. के. टी. शाह द्वारा उठाये गए मुद्दे का संबंध है कि इन अनुच्छेदों में निश्चित प्रतिषेध का उपबंध करके अनुच्छेद 6 के अधीन उन देशों के निवासियों को नागरिकता न देने के लिए संसद के प्राधिकार को सीमित कर देना चाहिए जो वहाँ रहने वाले भारतीयों को नागरिकता देने से इंकार करते हैं। मेरे विचार में, इस विषय को संसद पर छोड़ देना चाहिए कि वह उस समय विद्यमान परिस्थितियों के अनुसार विनिश्चय करे।

---

*· सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 12 अगस्त, 1949, पृ. 422–24

आलोचना के जिन बिंदुओं से मैं ज्यादा चिंतित हूँ वे हैं जो अनुच्छेदों के उन भागों पर लगाये गए हैं जो पाकिस्तान से भारत आने वालों के विषय में हैं और भारत से पाकिस्तान गए आप्रवासियों के विषय में हैं। जहाँ तक उपबंध के प्रथम भाग का संबंध है, जो पाकिस्तान से भारत आने वाले अप्रवासियों के विषय में हैं, आलोचना मुख्यतः असम के प्रतिनिधियों द्वारा की गई है, विशेष रूप से मेरे मित्र श्री रोहिणी कुमार चौधरी द्वारा की गई है। यदि मैंने उन्हें सही समझा है तो उनकी दलील है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले अप्रवासियों विषयक अनुच्छेदों के माध्यम से पूर्वी बंगाल से असम आने वाले बंगालियों और मुसलमानों दोनों के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं जिससे उनकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी अथवा उस प्रांत में साम्प्रदायिक अनुपात का संतुलन बिगड़ जाएगा। महोदय, मेरे विचार में उन्होंने अनुच्छेदों के तात्पर्य को बिल्कुल गलत समझा है जो पाकिस्तान से भारत आने वाले अप्रवासियों के बारे में हैं।

यदि वे उपबंधों को दोबारा पढ़ेंगे तो वे देखेंगे कि जो लोग 19 जुलाई, 1948 से पहले असम में प्रवेश कर चुके हैं उन को स्वतः असम के नागरिक तभी घोषित किया गया है जब वे भारत के राज्यक्षेत्र में निवास करते हैं। लेकिन उन लोगों के बारे में जिन्होंने 19 जुलाई, 1948 के बाद असम में प्रवेश किया है चाहे वे हिन्दू बंगाली हैं या मुस्लिम, वे रखेंगे कि नागरिकता हासिल करना कतई स्वतः प्रक्रिया नहीं है। 19 जुलाई, 1948 के पश्चात् असम में प्रवेश करने वालों के लिए तीन शर्तें निर्धारित की गई हैं। पहली शर्त यह है कि ऐसा व्यक्ति नागरिकता के लिए आवेदन करे। वह यह साबित करे कि वह असम में छह मास से रह रहा है और तीसरी शर्त जो बहुत कठोर शर्त है वह है कि वह भारत की डोमिनियन सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकृत हो। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा कि यह रजिस्ट्रेशन शक्ति एक पूर्ण शक्ति है। किसी व्यक्ति ने आवेदन किया है, वह असम में छह मास से रहता है, मात्र इन तथ्यों से रजिस्ट्रीकृत अधिकारी पर उसे रजिस्टर करने का कोई उत्तर दायित्व, कर्त्तव्य या बाध्यता नहीं होगी। आवेदन किए जाने के बावजूद, उसके असम में छह मास से निवास करने के बावजूद उस अधिकारी के पास फिर भी यह विनिश्चय करने के लिए पर्याप्त विवेकाधिकार होगा कि उसे रजिस्टर किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चहिए। दूसरे शब्दों में, वह अधिकारी, ऐसी सामग्री पर जो उसके समक्ष प्रस्तुत की जाए, उस तात्पर्य की जांच करेगा जिसके लिए वह आया है जैसे क्या वह भारत में स्थायी नागरिक बनने के सदभाविक हेतु से आया है या वह किसी अन्य प्रयोजन से आया है। अब, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इन तीन प्रतिबंधक शर्तों को ध्यान में रखते हुए, जो उन व्यक्तियों को लागू की गई हैं, जो 19 जुलाई, 1948 के बाद असम में आते हैं, ऐसा

कोई भय जैसा मेरे मित्र श्री रोहिणी कुमार चौधरी द्वारा व्यक्त किया गया है, कि बंगालियों द्वारा या मुसलमानों द्वारा असम के लोगों को दबा लिया जाएगा, मुझे बिल्कुल निराधार प्रतीत होता है। इसके पश्चात् मैं उस आलोचना पर आता हूँ जो भारत से पाकिस्तान गए अप्रवासियों विषयक उपबंधों के बारे में की गई है। मेरा विचार है कि जो इन अनुच्छेदों की आलोचना करते हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं समझा है कि इसमें सही क्या प्रस्तावित है। इसलिए मैं अनुच्छेद की अन्तर्वस्तु को पुनः बताता हूँ। उन उपबंधों के अनुसार जो भारत से पाकिस्तान गए अप्रवासियों के विषय में हैं, जिन्होने 1 मार्च 1947 के पश्चात् भारत छोड़ा है, सिवाय एक छोटे से अपवाद के, उन्हें भारत का नागरिक नहीं घोषित किया गया है मेरे विचार में यह बात बहुत ध्यान से समझ लेनी चाहिए। यह एक सामान्य और सार्वभौमिक प्रस्थपना है जिसे हमने प्रतिपादित किया है। हमने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है उसका उल्लेख करना आवश्यक है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार जन्म से अधिवास प्रदत्त होता है, किसी व्यक्ति को या तो आवेदन द्वारा या किसी अन्य पद्धति द्वारा या किसी प्रकार की कृपा से, किसी विशेष प्रयास द्वारा जन्म का अधिवास अर्जित करना नहीं पड़ता। अधिवास का उद्‌भव जन्म से होता है। यह महसूस किया गया कि जिन लोगों ने भारत छोड़ दिया था लेकिन जो भारत में जन्मे थे वे इस बात के बावजूद कि वे पाकिस्तान चले गए, अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांत के आधार पर फिर भी उद्‌भव के अपने अधिवास का दावा यथावत कर सकते हैं। उनके पास ऐसी कोई प्रतिरक्षा न रहे इस दृष्टि से यह पूरी तरह स्पष्ट करना बुद्धिमत्तापूर्ण समझा गया कि जो भी 1 मार्च के बाद पाकिस्तान चला गया है – आप सब जानते हैं कि हमने 1 मार्च की तारीख बड़ी सोच–समझकर रखी है, क्योंकि यह वह तारीख है जब दंगे फैले थे और निष्क्रमण शुरू हुआ था और हमने सोचा था कि यदि हम यह उपधारित कर लें कि कोई आदमी, जो दंगों के कारण पाकिस्तान स्थायी रूप से रहने के आशय से चला गया है, भारत में नागरिकता का अपना अधिकार खो देता है तो अन्तर्राष्ट्रीय विधि के किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। इन दो बातों के लिए हमने इस स्वाभाविक कल्पना को नियम के रूप में बदल दिया है और यह अधिकथित किया है कि जो कोई भी जो 1 मार्च के बाद पाकिस्तान चला गया है वह यह कहने का हकदार नहीं होगा कि उसका भारत में अधिवास है। अनुच्छेद 5 के अनुसार अधिवास नागरिकता के लिए अनिवार्य सांटक है, जो लोग पाकिस्तान चले गए उन्होंने भारत में अपना अधिवास गंवा दिया और नागरिकता खो दी।

अब मैं एक अपवाद पर आता हूँ। ऐसे लोग भी हैं जो भारत छोड़ कर पाकिस्तान चले गए थे वे बाद में भारत में लौट आए हैं। ठीक है, इसमें भी हमारा सिद्धांत है कि जो भारत लौट आता है वह तब तक भारत का नागरिक नहीं समझा जाता है

जब तक कि वह कुछ विशेष परिस्थितियों की मांग की पूर्ति न करे। पाकिस्तान जाना और फिर लौटकर भारत आना, इस व्यापक नियम में जो हमने बनाया है कोई फेरबदल नहीं करता कि ऐसा व्यक्ति नागरिक नहीं होगा। अपवाद यह है, जैसाकि मेरे माननीय मित्र श्री एन. गोपालस्वामी अय्यंगर ने कहा था, दो सरकारों, भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच बातचीत के दौरान उन्होंने एक व्यवस्था की थी जिसके अनुसार भारत सरकार उन लोगों को अनुज्ञात करने के लिए सहमत थी जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे और फिर पाकिस्तान से भारत आ गए थे और वे एक अस्थायी यात्री के रूप में या व्यापारी के रूप में या बीमार रिश्तेदार को देखने के अस्थायी स्वरूप के किसी अन्य प्रयोजन के लिए वापस आने के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए थे बल्कि उन्हें भारत लौटने के लिए अभिव्यक्त रूप से और स्थायी तौर पर बसने तथा भारत में स्थायी तौर पर रहने के लिए अनुज्ञात किया गया था। भारत में अब ऐसे कुछ लोग हैं। अतः अब सवाल यह है कि ऐसे किसी व्यक्ति को, जो 1 मार्च, 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया है अनुज्ञात न करने का जो सिद्धांत हमने प्रतिपादित किया है उसका कोई अपवाद होना चाहिए या नहीं। इस अनुच्छेद में यह महसूस किया गया और यह ठीक ही महसूस किया गया कि जब सरकार ने किसी व्यक्ति को उसके पुराने निवास पर लौटने और वहाँ स्थायी रूप से बसने के लिए अनुज्ञात करने का वचन दिया है तो उस व्यक्ति से नागरिक बनने की पात्रता छीनना ठीक नहीं होगा। जैसाकि मेरे मित्र श्री गोपाल स्वामी अय्यंगर ने कहा है, हिन्दुओं और मुसलमानों की विशाल आबादी को ध्यान में रखते हुए इस प्रवर्ग में आने वाले लोग बहुत थोड़े हैं कोई 2–3 हजार होंगे। यदि आज हम यह कहें कि हमें उन लोगों को जिन्हें हमारी अपनी सरकार ने ठीक या गलत, स्थायी निवास के प्रयोजनों के लिए पाकिस्तान से आने के लिए अनुज्ञात कर दिया था, अनुज्ञात नहीं करना चाहिए तो यह मेरे निर्णय में द्वेषपूर्ण होगा, यह मेरे निर्णय में विश्वास भंग होगा। इसके बाद परमिट पद्धति को चालू रखने से भारत सरकार को निवारित करने के लिए सदन विधेयक लाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। यह इस सदन के विशेषाधिकार और शक्ति में है, लेकिन मैं नहीं समझता कि सदन यदि यह कहे कि इन लोगों को, जैसाकि मैंने कहा; जो बहुत थोड़े हैं, जो हमारी सरकार के आश्वासन पर यहाँ अपना घर बसाने के लिए आए हैं, नागरिकता के अधिकार से वंचित किया जाए तो यह सदन उचित कार्रवाई करेगा या तथाकथित सार्वजनिक अन्तःकरण के अनुसार कार्य करेगा। महोदय, इसलिए मैं नहीं समझता कि इस आलोचना में जो इन अनुच्छेदों के बारे में की गई है कोई तत्व है और आशा है, सदन उन्हें यथावत स्वीकार करेगा।

* * * *

धारा 291

भारत सरकार अधिनियम, 1935

(संशोधन विधेयक) की

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** माननीय उपसभापति महोदय, अब तक जो भाषण मैंने सुने हैं उनसे मैं यह समझा हूँ कि इस बारे में काफी गलतफहमी है कि यह विशिष्ट विधेयक, खासकार इसका खंड 4 क्या प्रस्तावित करता है। मेरे विचार में, शुरू में सदन को यह बताना वांछनीय है कि खंड 4 द्वारा ठीक–ठीक क्या किया जाना अपेक्षित है।

सदन को सही मनःस्थिति में रखने के लिए यदि मैं किसी अपराध के अभिप्राय के बिना ऐसा कह सकता हूँ तो, मैं सदन का ध्यान भारत सरकार अधिनियम की धारा 291 की ओर दिलाना चाहूँगा जिस रूप में यह स्वाधीनता अधिनियम के बाद अनुकूलित किए जाने से पहले प्रवर्तित थी। अब मैं धारा 291 की कुछ पंक्तियाँ पढूंगा।

"जहाँ तक इस अधिनियम द्वारा इसमें इसके पश्चात् वर्णित विषयों के संबंध में उपबंध नहीं किया गया हो वहाँ तक सपरिषद महामहिम सम्राट (और मैं सपरिषद् महामहिम सम्राट पर जोर देना चाहता हूँ) उन विषयों या उनमें से किसी की बावत उपबंध समय–समय पर कर सकेगा आदि आदि।"

सबसे पहली चीज जिस पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा वह यह है कि इस विधेयक के खंड 4 में जो विषय (ख) से (झ) तक दिए गए हैं हूबहू वही हैं जो पुरानी धारा 291 में दिए गए हैं। इसलिए शुरू में यह समझना होगा कि यह खंड 4 मूल धारा 291 में अन्तर्विष्ट उपबंधों में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं कर रहा है इस विधेयक में सम्मिलित जिन विषयों के लिए नई धारा 291 के उपबंधों द्वारा गर्वनर जनरल को शक्तियां दी जा रही हैं वे वही है जो सपरिषद महामहिम सग्राट को मूल धारा 291 द्वारा दी गई थीं (एक माननीय सदस्य : नहीं)। आशा है, यह बात अब हरेक को स्पष्ट हो गई होगी और मैं नहीं समझता कि इस पर कोई संदेह हो सकता है, क्योंकि जो कोई इस विधेयक के विभिन्न खंडों और पुरानी धारा 291 की तुलना करेगा उसकी सब आशंकाएँ दूर हो जाएंगी।

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 18 अगस्त, 1949, पृ. 465–68

इसलिए यह सवाल पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों है कि अब हम गर्वनर जनरल को शक्ति दे रहे हैं। यदि मैं कह सकता हूँ तो, कठिनाई यह है। जो भी हो, जब भारत सरकार अधिनियम, 1935 को स्वाधीनता अधिनियम के पश्चात् अनुकूलित किया गया तो मेरे निर्णय में एक चूक हो गई और वह चूक यह थी कि यह शक्ति जो मूलतः सपरिषद महामहिम सम्राट में निहित थी, तार्किक दृष्टि से, गर्वनर जनरल को अंतरित होनी चाहिए थी क्योंकि डोमिनियम कानून के अधीन गवर्नर जनरल सपरिषद् महामहिम सम्राट के स्थान पर पदासीन था। लेकिन दुर्भाग्यवश, जैसा कि मैंने कहाः यह कि धारा 291 को अनुकूलित करते समय जो शक्ति अब हम गवर्नर जनरल को दे रहे हैं वह स्थानीय विधानमंडल को दे दी गई। मैं अनुकूलित धारा 291 को पढूंगा। मैं अपने उन मित्रों से जो इसपर उद्वेलित हो रहे हैं इस अनुकूलित धारा को पढ़ने के लिए कहूँगा। यह धारा निम्नलिखित है –

"जहाँ तक इस अधिनियम में वर्णित विषयों से संबंधित उपबंध किसी प्रांतीय विधानमंडल के विषय में नहीं किया गया है वहाँ तक उन विषयों या उनमें से किसी के संबंध में उपबंध विधानमंडल के अधिनियम द्वारा किया जा सकेगा आदि आदि"।

अब यह पता चल चुका है कि वास्तव में एक त्रुटि हो गई थी जब उस प्रक्रम पर धारा अनूकूलित की गई थी तो गवर्नर जनरल को वे शक्तियाँ दी जानी चाहिए थी, क्योंकि धारा 291 के अधीन वे शक्तियां सपरिषद महामहिम सम्राट में निहित थीं, स्थानीय विधानमंडल में नहीं। इस विधेयक द्वारा हम केवल इतना कर रहे हैं कि हम इसे उसी रूप में पुनःस्थापित कर रहे हैं जिस रूप में यह अनुकूलित धारा 291 में विधमान थी। अतः मैं यह यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सभा के किसी भी सदस्य द्वारा की गई यह आलोचना नितांत अनपेक्षित है कि यह एक प्रकार की गहरी चाल है ताकि राजनीतिक हेतू के लिए संविधान को अस्थिर किया जा सके। हम यहाँ केवल उस चूक का सुधार कर रहे हैं जो उस समय हो गई थी।

अब मैं अगले मुद्दे पर आता हूँ अर्थात् ''विधानमंडल के सदन या सदनों की संरचना" शब्दों को जोड़ने पर आता हूँ। मैं पूरी तरह सहमत हूँ......

डॉ. पी. एस देशमुख : क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ महोदय? क्या शब्दों का परिवर्तन "जहाँ तक इसमें इसके पश्चात् वर्णित विषयों इस अधिनियम द्वारा नहीं बनाया जाता'' इन शब्दों का लोप और इन उपबंधों का लागू करना*.........

---

*· बिंदियों से व्यवधान इंगित होता है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : बिल्कुल ठीक, यही बात मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा था, मूल अनुच्छेद 291 जो अनुकूलित नहीं था और प्रस्तावित नये खंड के बीच जो एकमात्र अन्तर पाया जाएगा, वह यह है कि विधानमंडल की संरचना से संबंधित उपबंधों को परिवर्तित करने के लिए गवर्नर जनरल को शक्ति देना इस नये अनुच्छेद द्वारा प्रस्तावित है। मैं मानता हूँ कि यह परिवर्तन है।

डॉ. पी. एस. देशमुख : जिसमें अनुसूची 5 और 6 शामिल हैं।

मननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : ओ, हॉ; बिल्कुल सही। मैं पूर्णरूप से स्वीकार करता हूॅ कि यही परिवर्तन किया जा रहा है। अब प्रश्न यह है कि यह परिवर्तन क्यों किया जा रहा है। हम संरचना में बदलाव करके भी गर्वनर जनरल को शक्ति देने की खातिर यह परिवर्तन क्यों कर रहे हैं इसका कारण उस स्थिति में मिलेगा जिसमें हम अपने आप को पाते हैं। माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि विभाजन के कारण आबादी की बहुत भारी अदलाबदली हुई है। पूर्वी पंजाब की आबादी निश्चय ही किसी एक ढांचे में नहीं आती है। शरणार्थी आ रहे हैं, जा रहे हैं। 1 अप्रैल को आबादी इतनी ज्यादा थी; छह माह बाद वह उस संख्या से भिन्न संख्या हो सकती है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल और अन्य अनेक प्रांतों के संबंध में जहाँ शरणार्थी भारत सरकार द्वारा अपनी पुनर्वास स्कीम के अन्तर्गत ले लिए गए हैं अथवा शरणार्थीस्वेच्छया एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए हैं। प्रकट है, आप पांचवी और छठी अनुसूची में अन्तर्विष्ट उपबंधों को जो विधानमंडल में संख्याओं के बारे में हैं, वही रहने के लिए अनुज्ञात नहीं कर सकते जो उस समय थे जबकि वस्तु–स्थिति के रूप में हम जानते हैं कि आबादी का अनुसूचियों में विहित संख्याओं से कोई सापेक्षता नहीं रही। इसलिए आबादी की अदला–बदली को ध्यान में रखने की दृष्टि से गवर्नर जनरल को अनुसूचियों को, जो विधानमंडल की संरचना के विषय में हैं, बदलने की शक्ति दी जाती है।

आशा है, मेरे माननीय मित्र अब समझ जाएंगे कि सदन या सदनों की संरचना के संबंध में आदेश करने की अतिरिक्त शक्ति देने में आशय गवर्नर जनरल को ऐसा करने के लिए अनुज्ञात करना है जिससे प्रभावित प्रांतों में विभिन्न विधानमंडलों की सदस्य संख्या को इन प्रांतों की संख्या के अनुरूप बनाना है। इसका कोई जघन्य प्रयोजन नहीं है।

डॉ. पी. एस. देशमुख : इस स्थिति में सुधार करने के लिए आपके पास पूरे दो साल थे।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह भिन्न विषय है मैं केवल यह बता रहा हूँ कि इस नये खंड द्वारा ये उपबंध क्यों पुरःस्थापित किए जा रहे हैं।

मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अन्य उपबंध उस सबके उद्धरण मात्र हैं जो मूल धारा 291 में अन्तर्विष्ट है। यह शक्ति अतिरिक्त या अनावश्यक प्रयोजन के लिए नहीं ली गई है और न ही इसका प्रयोग सद्भाविक प्रयोजन से भिन्न किसी बात के लिए किया जाना आशयित है। अतः इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरा निवेदन है कि खंड 4 इन शक्तियों को जो मूलतः सपरिषद् महामहिम सम्राट में निहित थीं, गवर्नर जनरल में निहित किए जाने की दृष्टि से, जो उनके उत्तरवर्ती हैं, और संरचना को बदलने की अतिरिक्त शक्ति उसे देने के लिए पूरी तरह न्यायोचित प्रस्ताव है, क्योंकि विभिन्न प्रांतों में संख्या की व्यवस्था 15 अगस्त, 1947 से बदल गई है। मैं ठीक से समझता हूँ कि उद्देश्यों और कारणों के कथन में एक गलती है जिसमें एक खास निर्देश पश्चिम बंगाल के प्रति किया गया है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि इस खण्ड को रखने का आशय एक साधारण उपबंध के रूप में था जिसका प्रयोग गवर्नर जनरल द्वारा किसी भी प्रांत के संबंध में, न कि विशेषतौर पर पश्चिम बंगाल के संबंध में, किसी भी विषय को सुधारने के लिए किया जा सकेगा; और मैं समझता हूँ वह एक चूक थी जो नहीं होनी चाहिए थी। सदन के सदस्यों ने उस विशिष्ट खंड की विशिष्ट शब्दावली को चुन लिया है जहाँ पश्चिम बंगाल के प्रति विशिष्ट निर्देश किया गया है ताकि सरकार को पश्चिम बंगाल में विधानमंडल के प्रति किसी प्रकार के दुर्भाव से आरोपित किया जा सके। जैसा मैंने कहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये खंड साधारण हैं; यदि ऐसी स्थिति पैदा होती है जिसमें पश्चिमी बंगाल में उनका उपयोग अपेक्षित है, तो उनका उपयोग किया जा सकता है। मेरे प्रांत बम्बई के लिए भी उनका प्रयोग किया जा सकता है। जहाँ संभवतः आज किसी भी दशा में, ऐसी कोई परिस्थिति दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए यदि मुझे ऐसा कहने की अनुमति हो तो, उस दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि इस खंड के संबंध में कोई गुप्त सौदेबाजी चल रही है।

श्री सुरेश चन्द्र मजूमदार (पश्चिम बंगाल : साधारण) : क्या 'पश्चिमी बंगाल' शब्दों को हटाना संभव नहीं है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं अपने माननीय मित्रों को बता रहा हूँ कि उद्देश्यों और कारणों का कथन अधिनियम का अंग नहीं होता इसलिए उद्देश्यों और कारणों का कथन में किसी शब्द या खंड या वाक्य को विलुप्त करने के लिए कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। ज्योंही यह विधेयक अधिनियम बन जाएगा उद्देश्यों और कारणों का कथन रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा। यह उद्देशिका से भिन्न है। मैं सोचता हूँ सदन के सदस्य उद्देशिका पर ध्यान केंद्रित करें जहाँ 'पश्चिम बंगाल' शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि

इस खंड विशेष के बारे में झगड़ने के लिए वास्तव में कुछ भी नहीं है। पहले तो, यह उसी मूल उपबंध को पुनःस्थापित करता है जो अनुकूलन से पहले भारत शासन अधिनियम, 1935 में विद्यमान था, दूसरे, यह शक्ति देना प्रस्तावित करता है जो प्रांतों में परिवर्तित स्थिति के कारण आवश्यक हो गई है।

माननीय सदस्य : महोदय, मैं प्रस्तावित करता हूँ कि अब प्रश्न रखा जाए।

श्री एच. वी. कामथ : महोदय, व्यवस्था के सवाल पर डॉ. अम्बेडकर ने नये मुद्दे उठाए हैं जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं और हमारे नियमों के नियम 33 के अधीन आप यह मान सकते हैं कि इस पर पर्याप्त बहस नहीं हुई है। और इसीलिए हम समाप्ति के लिए इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इंकार करते हैं।

डॉ. पी. एस. देशमुख : लेकिन डॉ. अम्बेडकर प्रभारी मंत्री नहीं हैं।

माननीय उपसभापति : हाँ, ठीक है; और माननीय सदस्य श्री कामथ को इस खंड पर बोलने के लिए काफी मौका मिल चुका है। इसलिए मैं समाप्ति के लिए प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ।

प्रश्न है–

"कि अब प्रश्न रखा जाए,"

प्रस्ताव अंगीकृत हुआ।

***माननीय उपसभापतिः (श्री टी. टी. कृष्णमाचारी)** : आज हम अनुच्छेद 150 से शुरू करते हैं। सदन को याद होगा कि इस अनुच्छेद पर, इसके मूल रूप में, बहस हुई थी और तीन संशोधन प्रस्तावित किए जाने के बाद वह अनुच्छेद पुनः प्रारूपण समिति के पास भेजा गया था। डॉ. अम्बेडकर ने अब एक नये अनुच्छेद का नोटिस दिया है। मेरा उनसे अनुरोध है कि उस अनुच्छेद को अर्थात् सूची 1 का संशोधन संख्या 1 प्रस्तावित करें (चौथा सप्ताह)।

श्री नजीरुद्दीन अहमद (पश्चिम बंगाल : मुस्लिम) : महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है। क्या मैं इसे अभी पेश करूं या संशोधन प्रस्तावित किए जाने के बाद करूं।

माननीय उपसभापति : आप इसे अभी पेश कर सकते हैं।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : माननीय उपसभापति महोदय, जैसाकि मैं कुछ समय से देख रहा हूँ, प्रारूपण समिति सदस्यों के साथ अजूबे पर अजूबे करती जा रही

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 19 अगस्त, 1949, पृ. 473–74

है। हर रोज प्रारूपण समिति सर्वव्यापी स्वरूप के नये–नये संशोधन भेज रही है। वे अकस्मात हवाई हमले की भांति आते हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (बम्बई : साधारण) : कहाँ है व्यवस्था का प्रश्न?

माननीय उपसभापति : क्या मैं माननीय सदस्य को याद दिलाऊं कि यह संशोधन सदन के समक्ष डॉ. अम्बेडकर और प्रारूपण समिति द्वारा सदन में सार्वजनिक रूप से व्यक्त की गई इच्छा के जवाब में लाया गया है। इस कारण मैं इस व्यवस्था के सवाल को नामंजूर करता हूँ। अब मैं डॉ. अम्बेडकर से कहता हूँ कि वे अपना संशोधन प्रस्तावित करें।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : माननीय उपसभापति महोदय, मैं प्रस्तावित करता हूँ :

"कि अनुच्छेद 150 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखा जाएः

"विधान परिषदों की संरचना 150 (1) विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के चौथाई) से अधिक नहीं होगी :

परंतु किसी राज्य की विधानपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में चालीस से कम नहीं होगी।

(2) जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक किसी राज्य की विधान परिषद की संरचना खंड (3) में उपबंधित रीति से होगी।

(3) किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का –

(क) लगभग एक–तिहाई भाग, उस राज्य की नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों और अन्य ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों जो संसद विधि द्वारा विनिर्दिष्ट करे, सदस्यों, से मिलकर बनने वाले निर्वाचक–मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा;

(ख) लगभग बारहवां भाग उस राज्य में निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक–मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा, जो भारत के राज्यक्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय के कम से कम तीन वर्षीय स्नातक हों या जिनके पास कम से कम तीन वर्ष की ऐसी अर्हताएं हो जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या उसके अधीन ऐसे किसी विश्वविद्यालय के स्नातक की अर्हताओं के समतुल्य विहित की गई हों;

(ग) लगभग बारहवां भाग ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक–मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा जो राज्य की ऐसी शिक्षण संस्थाओं में जो माध्यमिक शिक्षा के स्तर से कम न हों, कम से कम तीन वर्ष से पढ़ा रहे हो, जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की गई हो।

(घ) लगभग एक–तिहाई भाग राज्य की विधानसभा के उन सदस्यों द्वारा निर्वाचित होगा जो विधान सभा के सदस्य न हों;

(ड.) शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा खंड (5) के उपबंधों के अनुसार नामित किए जाएंगे।

(4) खंड (3) के उपखंड (क), उपखंड (ख) और उपखंड (ग) के अधीन निर्वाचित होने वाले सदस्य, ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन–क्षेत्रों में चुने जाएंगे, जो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किए गए तथा उक्त उपखंडों के और उक्त खंड के उपखंड (घ) के अधीन निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होंगे।

(5) राज्यपाल द्वारा खंड (3) के उपखंड (ड.) के अन्दर नामित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो, अर्थात् :

साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा।''

महोदय, जैसाकि आपने कहा था, यह अनुच्छेद भिन्न प्रारूप में, पिछली बार सदन के समक्ष था। उस रूप में अनुच्छेद का कहना था कि उच्च सदन की संरचना ऐसी होगी जो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा विहित की जाए। सदन ने सोचा था कि प्रांतीय विधानमंडल को सांविधानिक ढांचे के महत्वपूर्ण अंग पर कार्रवाई करने का यह कोई उचित तरीका नहीं है, और यह कि उच्चसदन के गठन के विषय में कुछ ठोस और विनिर्दिष्ट होगा। संविधान सभा के सभापति ने कहा कि वे सदन के उन सदस्यों की भावनाओं की कद्र करते हैं जिनका वह मत था, और उन्होंने सुझाव दिया कि इस मामले पर प्रारूपण समिति को आगे विचार करना चाहिए ताकि वह ऐसा प्रारूप प्रस्तुत कर सके जो उन सदस्यों द्वारा ज्यादा स्वीकार्य हो जिन्होंने उस तरह की आलोचना की थी। जैसा कि माननीय सदस्य देखेंगे, प्रस्तुत किया गया यह प्रारूप दो विचारधाराओं के बीच एक समझौता है। इस प्रारूप में, ठोस शब्दों में, विभिन्न प्रांतों में उच्च सदन के गठन का उल्लेख है। इसमें केवल यह उपबंधित है

कि संसद इस नये अनुच्छेद 150 में अधिकथित संरचना को किसी भी समय विधि द्वारा बदल सकेगी। आशा है यह समझौता सदन को स्वीकार्य होगा और सदन इस संशोधन को स्वीकार करने की स्थिति में होगा।

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** माननीय उपसभापति महोदय, जो संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं उनमें से मैं श्री सरवटे द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। मेरे विचार में, उन्होंने वर्तमान प्रारूप में वास्तविक कठिनाई को पकड़ा है। प्रारूप का कहना है : 'राज्य में विश्वविद्यालय'। बहुत स्पष्ट है कि ऐसे अनेक प्रांत हैं जिनमें वर्तमान में कोई विश्वविद्यालय नहीं है। लेकिन फिर भी दूसरे विश्वविद्यालयों के स्नातक हैं जो उस राज्य में रहते हैं। निश्चित रूप से आशय यह नहीं है कि जो स्नातक राज्य में रहते हैं उनसे उच्च सदन के निर्वचन में भाग लेने का अधिकार मात्र इसलिए छीन लिया जाए कि वह उस राज्य विशेष में विश्वविद्यालय का स्नातक नहीं है। अतः उस राज्य विशेष में रहने वाले स्नातकों के लिए मार्ग साफ करने के लिए मेरे विचार में यह संशोधन आवश्यक है और इसे स्वीकार करने के लिए प्रस्तावित करता हूँ। मेरा केवल यह कहना है कि 'अभ्यासतः' शब्द कदाचित आवश्यक नहीं है क्योंकि अर्हता के रूप में निवास स्थान अनुच्छेद 149 के उपबंधों में परिभाषित किया जाएगा। जिसमें हमारे पास अर्हताओं और निरर्हताओं को परिभाषित करने की शक्ति है।

जहाँ तक आलोचनाओं के अन्य बिंदुओं का संबंध है, मुझे नहीं मालूम कि जो सदस्य इस विशिष्ट अनुच्छेद की निंदा करते समय पांडित्यपूर्ण पदावली में उलझे रहे हैं, उन्होंने अपनी या इस सदन की कोई सेवा की है। इस विषय पर एकाधिक बार बहस हो चुकी है। प्रांत में उच्च सदन होना चाहिए या नहीं यह एक ऐसा विषय है जिस पर बहस हुई थी और यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया था कि जो प्रांत दूसरा सदन चाहते हैं, उन्हें उसे रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। मैं नहीं समझता कि उन्हीं तर्कों को दोहराने से कोई अच्छा प्रयोजन सिद्ध होगा। जो उन सदस्यों द्वारा तब पेश किए गए थे जब इस विषय पर बहस हुई थी।

सदन के पटल पर रखे गए सिद्धांत की गुणत्ता के संबंध में, मुझे किसी भी सदस्य की ओर से जिसने इस बहस में भाग लिया है एक भी रचनात्मक सुझाव नहीं दिखाई दिया कि दूसरे सदन का आनुकल्पिक गठन क्या होना चाहिए। यहाँ—वहाँ तर्क दिए गए हैं और यह बताने के लिए निंदा की गई है कि यह उपयोगी उपबंध है अथवा खतरनाक उपबंध है। ठीक है मैं यह कहने को तैयार हूँ कि यह ऐसा विषय

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 19 अगस्त, 1949, पृ. 490—91

है जिसपर दो मत हो सकते हैं और मैं यह कहने को तैयार नहीं हूँ कि मेरा मत या प्रारूपण समिति की राय ही इस मामले में सही राय है। हमें किसी तरह का गठन तो उपबंधित करना होगा और मैं यह कहने को तैयार हूँ कि उपबंधित गठन वैया युक्तियुक्त एवं व्यवहार्य है जो वर्तमान परिस्थितियों में सोचा जा सकता है।

इसके बाद दो मुद्दे आते हैं – एक मेरे मित्र श्री नागप्पा द्वारा उठाया गया था। वे चाहते थे कि खेतिहर मजदूर के प्रतिनिधित्व के लिए उपबंध किया जाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि उच्च सदन में खेतिहर मजदूर के प्रतिनिधित्व के लिए ऐसा कोई उपबंध आवश्यक है, क्योंकि मेरी राय में अवर सदन में खेतिहर मजदूरों का बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व इस दृष्टि से होगा कि वह मताधिकार जिस पर अवर सदन निबंधित होगा प्रौढ़ मताधिकार होगा और मैं नहीं समझता कि.....

श्री एस. नागप्पा : यदि ऐसी स्थिति है तो अन्य सब वर्गों को भी जिन्हें आप दे रहे हैं अवर सदन में प्रतिनिधित्व मिलेगा।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : उनका उपबंध बिल्कुल भिन्न कारणों से किया गया है; लेकिन खेतिहर मजदूरों के लिए अवर सदन में काफी प्रतिनिधित्व होगा।

मेरे मित्र श्री मणिस्वामी पिल्लै ने एक संशोधन के द्वारा यह सवाल उठाया कि उच्च सदन में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अब मैं उन्हें यह बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक प्रारूपण समिति का संबंध है इस पर सलाहकार समिति की रिपोर्ट लागू होती है जिसने इस विचार पर कार्यवाही की थी। सलाहकार समिति की रिपोर्ट में, जो अगस्त 1947 के दौरान सदन के समक्ष रखी गई थी, निम्नलिखित उपबंध दिया हुआ है :

"(ग) केन्द्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के अवर सदन में मुसलमानों के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटों का आरक्षण होगा।"

"3.(क) अनुसूचित जातियों के नाम से निर्दिष्ट और भारत सरकार अधिनियम, 1935 की अनुसूचियों में परिभाषित हिन्दू समाज के वर्ग को वही अधिकार और सुविधाएं होंगी जो इसमें उपबंधित हैं आदि, आदि"। इसका अर्थ यह है कि अनुसूचित जातियों को प्रत्याभूत प्रतिनिधित्व केन्द्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के अवर सदनों में ही प्रत्याभूत होगा। यह फैसला संविधान सभा का है। अतः मैं नहीं समझता कि प्रारूपण समिति ऐसे किसी प्रतिपाद को अपनाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि मैं किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता। यदि कोई इस फैसले के प्रबल रूप से पक्ष में है तो वे मेरे मित्र श्री मणिस्वामी पिल्लै हैं और मैं समझता हूँ कि वे उस बात से संतुष्ट होने चाहिए जो कुछ उन्होंने तब तक पालन करने की सहमति दी थी।

माननीय उपसभापति : डॉ. अम्बेडकर, आपको संशोधन सं. 2 को औपचारिक रूप से वापस लेना होगा।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : हाँ, मुझे उसे वापस लेना होगा।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

[6 संशोाधन अस्वीकार किए गए और डॉ. अम्बेडकर के संशोधन सहित 5 संशोधन वापस लिए गए।]

*   *   *   *

***माननीय उपसभापति** : अब मैं श्री सरवटे के संशोधन को सदन के पटल पर रखता हूँ।

प्रश्न है :

"कि प्रस्तावित अनुच्छेद 150 के खंड (3) के उपखंड (ख) में 'उन व्यक्तियों को मिलाकर' शब्दों के पश्चात् 'राज्य में निवासी' शब्द जोड़े जाएं और 'राज्य में' शब्दों के स्थान पर 'भारत के राज्यक्षेत्र में' शब्द रखे जाएं।"

संशोधन अंगीकृत हुआ।

[यथासंशोधित अनुच्छेद 150 संविधान में जोड़ा गया।]

*   *   *   *

*· सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 19 अगस्त, 1949, पृ. 492

भाग – VIII क

अनुच्छेद 215–क

*__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :__ महोदय, मैं अपना संशोधन सं. 6, सूची–1, चौथा सप्ताह प्रस्तावित करता हूँ :

"कि भाग VIII के पश्चात् निम्नलिखित नया भाग अन्तःस्थापित किया जाए :

"भाग–VIII क

अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र

215 क. इस संविधान में –

(क) 'अनुसूचित क्षेत्र' पद से वे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो उन राज्यों के संबंध में जिनसे वे भाग क्रमशः सम्बद्ध है, उस पैरा के उपपैरा (2) के अधीन किए गए किसी आदेश के अधीन रहते हुए, पांचवीं अनुसूची के पैरा 18 से सम्बद्ध सारणी में परिभाषाओं के भाग I से भाग VII में विनिर्दिष्ट है।

(ख) 'जनजाति क्षेत्र' पद से वे क्षेत्र अभिप्रेत है जो छठी अनुसूची के पैरा 19 से सम्बद्ध सारणी के भाग I और II में विनिर्दिष्ट है। ये उस अनुसूची के पैरा 1 के उपपैरा (3) या पैरा 17 के खंड (ब) के उप–पैरा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश के अधीन है।

अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन

215 ख. "(1) पांचवीं अनुसूची के भाग 1 में बताए गये उपबंध के अनुसार असम, के अतिरिक्त ....किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए या प्रथम अनुसूची के भाग 2 के अनुसार लागू होंगे।

(2) छठी अनुसूची के उपबंध असम, राज्य के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए लागू होंगे।"

महोदय, मेरा संशोधन केवल मूल अनुच्छेद 189 और 190 के स्थान पर है। हम केवल यह कर रहे हैं कि हम अनुच्छेद 189 और 190 में अन्तर्विष्ट उपबंधों को एक अन्य और पृथक भाग में अंतरित कर रहे हैं। इस स्थानान्तरण के कारण उनका

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 19 अगस्त, 1949, पृ. 492–93

संख्यांक बदलना आवश्यक हो गया है ताकि नये भाग के लिए आवश्यक तार्किक क्रम सुनिश्चित किया जा सके। छुट–पुट परिवर्तनों को छोड़कर मेरे द्वारा प्रस्तावित नये अनुच्छेदों, अनुच्छेद 215क और 215ख में कोई सारवान परिवर्तन नहीं है।

*   *   *   *

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर** : मैं नहीं समझता, उत्तर में कोई टिप्पणी करना आवश्यक है।

प्रस्ताव अंगीकृत हुआ।

[भाग VIII-क और अनुच्छेद 215क तथा 215ख संविधान में जोड़े गए।)]

अनुच्छेद 250

****माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर** : महोदय, मैं प्रस्तावित करता हूँ :

"कि अनुच्छेद 250 के खंड (1) के उपखंड (ग) में, 'रेलवे' शब्द के बाद कोमा (,) और 'समुद्र' शब्द अंतःस्थापित किए जाएं।"

महोदय, मैं अपना अगला संशोधन भी प्रस्तावित करता हूँ :

"कि अनुच्छेद 250 के खंड (2) में 'भारत के राजस्व' शब्दों के स्थान पर 'भारत की संचित निधि' शब्द रखे जाएं।"

श्री नजीरुद्दीन अहमद : इस समय विधानमंडल के समक्ष सम्पदा शुल्क लगाने के लिए एक विधेयक है, यहाँ हम दीर्घकालीन व्यवस्था के लिए विधान बना रहे हैं। अतः हमें सम्पदा या उत्तराधिकार दोनों शुल्क रखने चाहिए।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : उत्तराधिकार शुल्क (क) में आता है। उसका कहना है 'सम्पत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में 'शुल्क' (ख) में क्यों दोहराया जाए?

श्री नजीरुद्दीन अहमद : हो सकता है, दोनों मिल गए हों।

*****माननीय उपसभापति** : ....खैर, क्या डॉ. अम्बेडकर कुछ कहना चाहेंगे?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

माननीय उपसभापति : मैं संशोधन सदन के समक्ष नहीं रखूंगा।

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 19 अगस्त, 1949, पृ. 495

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 19 अगस्त, 1949, पृ. 495–500

*** वही, पृ. 504

/डॉ. अम्बेडकर के पूर्वोक्त दोनों संशोधन अंगीकृत हुए। अन्य संशोधन अस्वीकृत कर दिए गए। यथासंशोधित अनुच्छेद 250 संविधान में जोड़ा गया।/

अनुच्छेद 277

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं निम्रतापूर्वक प्रस्तावित करता हूँ कि इस अनुच्छेद को पुनःसंख्यांक द्वारा अनुच्छेद 277 का खंड (1) किया जाए और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उक्त अनुच्छेद में निम्नलिखित खंड जोड़ा जाए :

"(2) इस अनुच्छेद के खंड (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के यथाशीघ्र पश्चात्, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।"

अनुच्छेद 277 एक पारिणामिक अनुच्छेद है। इसमें अधिकथित है कि राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात उद्घोषणा के वित्तीय परिणाम क्या होंगे। अनुच्छेद के खंड (1) का कहना है कि प्रांतों और केन्द्र के बीच वित्तीय व्यवस्था विषयक उपबंध राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल में आदेश द्वारा, उपान्तरित किए जा सकेंगे। अब यह महसूस किया गया कि प्रांतों और केन्द्र के बीच वित्तीय व्यवस्था को उपान्तरित करने की यह पूर्ण और असीम शक्ति राष्ट्रपति को देना उचित नहीं है तथा यह कि संसद को भी इस विषय में अधिकार होना चाहिए। परिणामस्वरूप, अनुच्छेद 277 में खंड (2) जोड़ना प्रस्तावित है जिसके द्वारा उपबंध किया जाता है कि व्यवस्था को बदलने के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा किया गया कोई आदेश संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। संसद ऐसी कार्रवाई करेगी जैसी वह ठीक समझे और उस पर कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रपति आबद्ध होगा।

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (बम्बई : साधारण)** : माननीय उपसभापति महोदय, मैंने अपने माननीय मित्र पंडित कुंजरू द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर यथासंभव बारीकी से ध्यान दिया है और मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि मैं उनसे नजरें नहीं मिला सकता क्योंकि मैं यह महसूस करता हूँ कि व्यापक रूप से देखने पर उनका संशोधन बिल्कुल अनावश्यक दिखाई पड़ता है।

आइए, इस बारे में धारणा बनाएं कि प्रांतों और केन्द्र के बीच वित्तीय संबंध सामान्यतया क्या होने जा रहे हैं। मेरे विचार में, अनुच्छेदों से जो पहले ही पारित किए जा चुके हैं यह स्पष्ट है कि प्रांत सामान्य अनुक्रम में केन्द्र से धन लेंगे :

(1) अनुच्छेद 251 के अधीन आयकर के आगम से,

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 20 अगस्त, 1949, पृ. 520—23

(2) अनुच्छेद 253 के अधीन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का हिस्सा; और

(3) अनुच्छेद 255 के अधीन कतिपय अनुदान और राजकीय सहायता।

मैं जूट शुल्क की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका पृथक आधार है और उसे कानूनी तौर पर प्रत्याभूत किया गया है।

आइए, हम इस पर जानकारी ले लें कि मेरे द्वारा प्रस्तावित अनुच्छेद द्वारा क्या किया जाना प्रस्तावित है। यह अनुच्छेद प्रस्तावित करता है कि आपात उद्घोषणा किये जाने के बाद राष्ट्रपति को आयकर आगमों, उत्पाद शुल्कों और अनुदानों को जिन्हें केन्द्र अनुच्छेद 255 के अधीन कर रहा होगा, पुनराबंटित करने की शक्ति होनी चाहिए। मेरे द्वारा प्रस्तावित अनुच्छेद राष्ट्रपति को इन तीन शीर्षों के अंतर्गत आवंटनों को उपांतरित करने का विवेकाधिकार प्रदान करता है। इस प्रारूप अनुच्छेद की, जो प्रारूपण समिति द्वारा सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, यही स्थिति है।

अब, मेरे मित्र पंडित कुंजरू अपने संशोधन द्वारा क्या किया जाना प्रस्तावित करते हैं? यदि मैं उन्हें ठीक से समझ सका हूँ तो उनका इस बारे में प्रारूपण समिति से मतभेद नहीं है कि तीन मदों में से दो को जिनके प्रति मैंने निर्देश किया है, उपांतरित करने का पूर्ण विवेकाधिकार राष्ट्रपति पर छोड़ दिया जाए, इसका अर्थ यह है कि वे अनुच्छेद 255 के अधीन उत्पाद शुल्क के आगमों और केंद्र द्वारा मंजूर किए गए अनुदानों में से केन्द्र द्वारा प्रांतों को किए गए किसी आवंटन को उपांतरित करने का पूर्ण और पूरा विवेकाधिकार राष्ट्रपति पर छोड़ने के लिए तैयार हैं। यदि मैंने उन्हें सही समझा है तो यदि राष्ट्रपति आदेश द्वारा इस अंश को पूरी तरह समाप्त कर देता है जो उत्पाद शुल्क के आगमों और केन्द्र के अनुदानों में से सामान्य काल में, प्रांतों को देने के लिए केन्द्र आबद्ध है तो उन्हें कोई कठिनाई नहीं होगी।

पंडित हृदयनाथ कुंजरू (संयुक्त प्रांत : साधारण) : मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं कहा है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : आपका संशोधन केवल आयकर तक सीमित है। यही बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अपने संशोधन के द्वारा आपका सुझाव यह नहीं है कि अनुच्छेद 255 के अधीन उत्पाद शुल्क के आगम या केन्द्र के अनुदानों के विषय में कोई भिन्न पद्धति होनी चाहिए।

पंडित हृदयनाथ कुंजरू : मैंने अपना संशोधन इस प्रारूप में क्यों ढाला है इसका कारण है। जहाँ तक किन्हीं करों के आगम का वितरण संसद द्वारा बनाई विधि पर निर्भर करता है वहाँ तक उस शक्ति को संसद से छीना नहीं जा सकता, लेकिन राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। किन्तु जहाँ तक आयकर का संबंध है, भारत

सरकार अधिनियम, 1935 के अधीन प्रांतों का पूरा हिस्सा उन्हें एक निश्चित कालावधि के भीतर अंतरित किया जाना परिकल्पित था और यदि आपातकाल हो तो गवर्नर जनरल को प्रांतों को उनका हिस्सा अंतरित करने में विलम्ब करना और इस प्रकार उस कुल कालावधि को लम्बा खींचने की अनुमति थी, जिसमें प्रांतों को उनका पूरा हिस्सा मिल जाए। यही एकमात्र कारण था; मेरे मित्र द्वारा निकाला गया निष्कर्ष पूरी तरह औचित्यहीन है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मुझे पटल पर रखे गए संशोधन से सर्वाधिक सहज निष्कर्ष निकालने का हक है।

पंडित हृदयनाथ कुंजरू : माननीय सदस्य मुझे पूरी तरह गलत समझ रहे हैं। मेरे संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रपति को संघीय उत्पाद शुल्क के आगमों के वितरण को परिवर्तित करने की कोई शक्ति नहीं होगी।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मुझे अफसोस है कि माननीय सदस्य ने विषय को अपने संशोधन में स्पष्ट नहीं किया है और यदि अब वह एक नया अर्थ देना चाहते हैं तथा मूलभूत परिवर्तन करना चाहते हैं तो संशोधन ऐसा होना चाहिए था जिससे मुझे उनके आशय की पूरी जानकारी मिल जाती। संशोधन में ऐसा कोई सुझाव नहीं है जिससे पता चले कि माननीय सदस्य अनुच्छेद 253 और 255 के उपबंधों को परिवर्तित करना चाहते हैं। यह बाद में सोचा गया हो सकता है लेकिन मैं बाद में सोची गई बात पर कार्यवाही नहीं कर सकता। मुझे तो पटल पर रखे गये संशोधन पर ही कार्यवाही करनी है। अतः जैसे मैंने संशोधन को पढ़ा, मेरा अर्थान्वयन बहुत सहज है।

पंडित हृदयनाथ कुंजरू : माननीय सदस्य पूर्णरूपेण अन्यायोचित है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह माननीय सदस्य का मत है। मेरा पठन है कि अब कुछ नई वस्तु पेश की जा रही है।

पंडित हृदयनाथ कुंजरू : माननीय सदस्य मुझे गलत समझ रहे हैं और वे जानते हैं कि वे ऐसा कर रहे हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : माननीय सदस्य अपने विचारों को भी गलत व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए, जैसा मैं समझता हूँ मेरे माननीय सदस्य का उत्पाद शुल्क एवं अनुदान की प्राप्तियों को बदलने की पद्धति में परिवर्तन का सुझाव देने का प्रश्न नहीं है। केवल प्रश्न जिसे उन्होंने उठाया है आपातकाल में आयकर आवंटन के बदलने का है। इस पर भी मुझे क्या प्रतीत होता है? यदि मैं उनके संशोधन को दुबारा सही ढंग से पढ़ूं तो वे आयकर वितरण में राष्ट्रपति को दी गई परिवर्तन संबंधी स्वेच्छा

निर्णय को सम्पूर्ण रूप से छीन नहीं रहे हैं। वे जो कुछ कर रहे हैं वह यह है कि यदि राष्ट्रपति पिछले आदेश में दी गई आयकर की प्राप्ति को बदलता है, तो राष्ट्रपति को उस प्रकार से कार्य करना चाहिए जो इनके संशोधन में बताया गया है। दूसरे शब्दों में, मेरे द्वारा रखे गये मसौदा खण्ड व मेरे मित्र पंडित हृदयनाथ कुंजरू के संशोधन में मात्र यह अन्तर है कि जहाँ तक राष्ट्रपति के स्वेच्छानिर्णय का प्रश्न है, वह नियमित न रहे, वह इस प्रकार से विनियमित रहे जिस प्रकार इन्होंने सुझाया है।

इस पर मेरा उत्तर है : विश्वास करने का कारण कहाँ है कि आयकर के बंटवारे से संबंधित प्रावधानों को बदलने के लिए सुधार एवं शक्तियों का प्रयोग करने में राशट्रपति मनमाने तरीके से कार्य करते हुए आयकर प्राप्ति को पूर्णतः समाप्त कर देंगे। यह विश्वास करने के लिए आधार कहाँ है कि राष्ट्रपति मेरे माननीय मित्र पंडित हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा अपने संशोधन में रखे गये सुझाव को अंगीाकर नहीं करेंगे? यह मानने का यहाँ कोई कारण अथवा इस प्रकार का मनमाना सुझाव देने का कोई कारण नहीं है कि राष्ट्रपति बंटवारे में राज्यों को प्राप्त होने वाली राशि को, पूर्णतः समाप्त करने जा रहे हैं, जिसके वे हकदार हैं। आखिरकार राष्ट्रपति भी एक तर्क–संगत व्यक्ति होंगे, वे समझ लेंगे कि किस हद तक आयकर की प्राप्ति भी प्रदेश की राजस्व की आय का एक भाग है और वे यह भी जानेंगे कि आपातकाल होते हुए भी जितनी सहायता केन्द्र की करना आवश्यक है, राज्य को चलाने के लिए भी उतनी ही सहायता करना आवश्यक है।

इसलिए मेरे विचार में, राष्ट्रपति के हाथ इस प्रकार बांधना आवश्यक नहीं है जिस रीति से मेरे मित्र पंडित हृदयनाथ कुंजरू के संशोधन ने सुझाये हैं। होना यह चाहिए कि राष्ट्रपति राज्य अथवा वित्त आयोग अथवा किसी अन्य विषेशज्ञ अधिकारी की सलाह से आपातकाल में आयकर की प्राप्ति के वितरण से निपटने के लिए कुछ दूसरे तरीके निकालें और सुझाव जो उस समय हो वे मेरे मित्र पंडित हृदयनाथ कुंजरू द्वारा रखे गये सुझावों से अच्छे सिद्ध हों। इसलिए मैं सोचता हूँ कि राष्ट्रपति को किसी खास प्रकार से कार्य करने के लिए बांधना बहुत गलत होगा और उसे स्वतंत्र अथवा स्वेच्छा से बहुत से अन्य तरीकों से कार्य करने के लिए भी नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा सुझाव है कि मसौदे को लचीला छोड़ देना ही अच्छा होगा जैसा कि प्रारूपण समिति ने करने के लिए प्रस्तावित किया है, मेरे मित्र पंडित हृदयनाथ कुंजरू के संशोधन को स्वीकार करने का कोई लाभ नहीं होगा।

जैसा मैंने कहा था, मैंने मूल मसौदे में संशोधन किया है जिससे सम्पूर्ण मामले को पूर्णतः राष्ट्रपति की स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया है और इस विषय में संसद का कोई दखल नहीं होगा। नये संशोधन द्वारा मैंने प्रस्ताव किया है कि राजस्व के

बंटवारे से संबंधित राष्ट्रपति के किसी भी आदेश पर विचार करना संसद के लिए संभव होगा और इसीलिए यदि राष्ट्रपति कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो राज्य के हक में घातक अथवा हानिकारक है, तो निश्चय ही बहुत से प्रतिनिधि संसद में जो उन राज्यों से आये होंगे और जो निस्संकोच राज्य के लाभ को भूले नहीं होंगे, वे सब ठीक कर लेंगे। इसलिए मैं सोचता हूँ कि इन तथ्यों के कारण मूल व्यवस्था को जारी रखा जाय क्योंकि यह अपेक्षाकृत उससे बहुत लचीला है जो मेरे मित्र पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने सुझाया है।

[डॉ. अम्बेडकर का संशोधन स्वीकार किया गया और पंडित हृदयनाथ कुंजरू का अस्वीकार किया गया। अनुच्छेद 277 संशोधित रूप में संविधान में जोड़ा गया।]

अनुच्छेद 280

***माननीय डॉ. भीमराव अम्बेडकर** : श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव है

"कि अनुच्छेद 280 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखा जाये :

आपातकाल में अनुच्छेद 25 द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों का निलम्बन

280, (1) जहाँ आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है वहाँ राष्ट्रपति अधिकारों के निलम्बन आदेश द्वारा घोषित कर सकेगा कि भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से ऐसे अधिकार जो इस आदेश में वर्णित हैं, प्रवर्तित कराने के लिए किसी न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार तथा इस प्रकार वर्णित अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए किसी न्यायालय में लम्बित सब कार्यवाहियां उस कालावधि के लिए जिसमें कि उद्घोषणा लागू रहती है अथवा उससे छोटी ऐसी कालावधि के लिए जो आदेश में उल्लिखित की जाए, निलम्बित रहेंगे/रहेंगी।

(2) उपरोक्त प्रकार किया हुआ आदेश भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में अथवा उसके किसी भाग पर विस्तारित हो सकेगा।

(3) खण्ड (1) के अधीन किया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।"

श्रीमन्, सदन महसूस करेगा कि खण्ड (2) और (3) पुराने अनुवाद में जोड़े गए हैं। पुराने अनुच्छेद में एक उपबंध था कि जब आयात की उद्घोषणा प्रवृत्त हो तो राष्ट्रपति सम्पूर्ण भारत में भाग III में अंकित प्रदत्त अधिकारों के उपबंधों को निलम्बित कर सकेगा। अब यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि इस तथ्य के बावजूद कि

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 19 अगस्त, 1949, पृ. 523

आपात है भाग III द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रवर्तन कुछ क्षेत्रों में बनाये रखना बहुत संभव है और मात्र घोषणा के कारण सम्पूर्ण भारत में अधिकारों का सार्वजनिक निलम्बन आवश्यक नहीं है। परिणामस्वरूप, यह उपबंध करने के लिए प्रारूप अनुच्छेद में खण्ड (2) रखा गया है।

तीसरे, खण्ड (1) के अधीन जारी किये गये किसी आदेश के विषय में मूल अनुच्छेद में संसद को कुछ कहने की अनुज्ञा देने का कोई उपबंध नहीं था। यह सदन की इच्छा थी कि निलम्बन का आदेश पूर्णरूप से बिना बन्धन के राष्ट्रपति के हाथ में न छोड़ा जाये और परिणामस्वरूप अब यह व्यवस्था की गई है कि इस प्रकार का आदेश संसद के सामने लाया जाये, निःसंदेह इस पारिणामिक उपबंध के साथ कि संसद अपनी इच्छानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेगी।

* * * *

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** श्रीमन्, मेरे द्वारा लाए गए खंड में अंतर्विष्ट उपबंध के विरुद्ध इस अनुच्छेद पर बहस में भाग लेने वाले वक्ताओं द्वारा व्यक्त प्रबल भावनाओं से मैं बिल्कुल भी चकित नहीं हूँ। अनुच्छेद मूल विषयों और जनता के अधिकारों विषयक महत्वपूर्ण विषयों के बारे में है इसलिए यह उचित है कि हम इस प्रकार के विषय पर न केवल सावधानी से विचार करें अपितु, मैं यह कहने के लिए भी तैयार हूँ कि कुछ भावनाओं से विचार करें। हम कुछ मूल अधिकार पहले ही पारित कर चुके हैं और जब हम उन्हें कुछ कम करने की अथवा उन्हें कुछ समय के लिए निलम्बित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें कम करने अथवा थोड़े समय के लिए निलम्बित करने के लिए अपनाये गये तरीकों में बहुत सावधान रहना चाहिए।

इसलिए मेरे जिन मित्रों ने उस अनुच्छेद के विरुद्ध बोला है, मैं आशा करता हूँ, वे समझेंगे कि मैं किसी भी तरह उनके कथन के विरुद्ध नहीं हूँ। वास्तव में मैं उनकी भावनाओं की कद्र करता हूँ। मैं अफसोस से कहता हूँ कि इनमें से किसी भी संशोधन को स्वीकार करना मेरे लिए संभव नहीं है जो उन्होंने पेश किए हैं अथवा जो सुझाव दिये हैं। यदि मैं ऐसा कह सकता हूँ तो मैं बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं हूँ। साथ ही मुझे यह भी कहना चाहिए कि मूल अधिकारों के लिए मैं उनसे कम उत्साहित नहीं हूँ।

अपने उत्तर के समय मैं कुछ सामान्य प्रश्नों को लेना चाहता हूँ। मेरे लिए वास्तव में यह संभव नहीं है कि मैं उन सभी बिन्दुओं पर विस्तार से विचार करूं जिनके लिए बहुत से वक्ताओं ने जोर दिया है। पहला प्रश्न है क्या आपातकाल में मूल अधिकार

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 20 अगस्त, 1949, पृ. 548—51

निलम्बित रहने चाहिए अथवा बिल्कुल भी निलम्बित नहीं रहने चाहिए। दूसरे शब्दों में हमारे अधिकार अत्यंतिक होंगे, जो कभी न बदलेंगे न निलम्बित अथवा कम किये जायेंगे, अथवा क्या हमारे मूल अधिकार कुछ आपात स्थितियों के अधीन रखे जाएं। मैं समझता हूँ मैं यह सही कहता हूँ कि सदन के अधिकांश सदस्य इन अधिकारों को आपातकाल में कुछ समय के लिए निलम्बित करने की आवश्यकता महसूस करते हैं एक मात्र प्रश्न ऐसा करने के ढंग या उपायों का है।

अब यदि इस पर सहमत हैं कि आपातकाल में अधिकारों के निलम्बन के लिए उपबंध करना आवश्यक है तो दूसरा प्रश्न जो विधिसम्मत रूप से विचार के लिए उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या अधिकारों को निलम्बित करने की शक्ति पूर्णतः राष्ट्रपति में निहित रहे अथवा उनका अवधारण संसद पर छोड़ दिया जाय। दूसरे देशों में इसके लिए क्या होता है, उसके बारे में मुझे भरोसा है कि इस सदन का प्रत्येक व्यक्ति सहमत होगा कि हमें अनुभव पर और दूसरे देशों के संविधानों के उपबंधों से ग्रहण करना चाहिए – स्थिति यह है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार के निलम्बन के संबंध में अंगरेजी कानून के अंतर्गत इस विषय पर कानून बनाया जाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकारों को निलम्बित करने का अधिकार कार्यपालिका को नहीं है। यह ग्रेट ब्रिटेन की स्थिति है। अब संयुक्त राज्य की स्थिति पर आइए, हम देखते हैं कि जबकि कांग्रेस के बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के निलम्बन समेत तथाकथित सांविधानिक गारन्टियों के विषय में शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को इस विषय से संबंधित शक्ति से सर्वथा वंचित नहीं रखा गया है। मैं विषय के विस्तृत इतिहास में जाना नहीं चाहता। लेकिन मैं सोचता हूँ मेरा यह कहना सही है कि जबकि यह शक्ति कांग्रेस में निहित है। फिर भी राष्ट्रपति में भी रिट को निलम्बित करने की वह शक्ति जिसे अंतरिम कहते हैं, निहित है। मेरे मित्र सर हिलाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि यदि राष्ट्रपति पर कोरविन कृत प्रामाणिक ग्रन्थ को देखें तो उन्हें पता चलेगा कि स्थिति यही है।

पंडित हृदयनाथ कुंजरू : क्या आप मुझे उन्हें बीच में रोकने देंगे? मुझे विश्वास है कि वे ओगस गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका से परिचित होंगे। कदाचित वे इस पुस्तक को एक प्रामाणिक पुस्तक मानेंगे।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : हाँ, वह मात्र एक पुस्तक नहीं है। अमरीकन संविधान पर एक सौ पुस्तकें हैं। मैं उनमें से पचास से अवश्य परिचित हूँ।

पंडित हृदयनाथ कुंजरू : उनमें लिखा है कि सर्वोत्तम कानूनी राय यह है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार कांग्रेस में निहित है और राष्ट्रपति उनका प्रयोग वहाँ करेगा जहाँ सशस्त्र बल के कमान्डर–इन–चीफ के नाते इसे फौजी कार्रवाइयों की सुरक्षा के लिए आवश्यक समझते हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : हाँ, मेरा निवेदन है कि संयुक्त राज्य में, जहाँ कांग्रेस को शक्तियां प्राप्त हैं, राष्ट्रपति को भी, राज्य के कार्यपालक प्रमुख के नाते अंतरिम निलम्बन की शक्ति प्राप्त है।

अब, हमारा संविधान बनाने में हमने कम या अधिक अमरीकन पूर्वोदाहरण का अनुसरण किया है। संशोधन के द्वारा जो मैंने किया है, संसद में ऐसे विषय में कार्रवाई करने की शक्ति निहित हैं। हम भी राष्ट्रपति को सार्वजनिक गारन्टी के विषय में ऐसी कार्रवाई करने के लिए जैसी वह आवश्यक समझें, करने के लिए अंतरिम शक्ति देने का प्रस्ताव करता हूँ।

इसलिए, मसौदा अनुच्छेद की तुलना करने पर और संयुक्त राज्य की स्थिति की जो आप देखते हैं तुलना करने पर निश्चय ही इन दोनों में बहुत बड़ा अन्तर नहीं है। यहाँ भी राष्ट्रपति अपनी व्यक्तिगत हैसियत में कोई कार्यवाही नहीं करता। हमारे यहाँ और भी रक्षोपाय है जो अमरीकन संविधान में नहीं है जैसे, हमारे राष्ट्रपति कार्यपालिका की सलाह से मार्गदर्शित होंगे और हमारी कार्यपालिका संसद के अधिकार के अधीन होगी। इसलिए जहाँ तक गारन्टियों को निलम्बित करने की समस्त शक्तियों के निहित होने का प्रश्न है, मेरा निवेदन है कि हमारा प्रस्ताव सर्वथा अभिनव प्रस्ताव नहीं है जो या तो किसी पूर्वोदाहरण के निर्देश के बिना बना है अथवा जो किसी मर्यादाहीन योजनाकार ने बिना इस बात की चिन्ता किए बनाया है कि मूल अधिकारों का क्या होगा।

अब, इस प्रश्न पर विचार करने के पश्चात्, मैं श्री भार्गव के संशोधन संख्या 74 पर आता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है और इसीलिए मुझे इस विषय में ठीक–ठीक व्यवस्था की व्याख्या करनी चाहिए। उनका संशोधन वास्तव में अनुच्छेद 279 का हवाला देता है यद्यपि उन्होंने इसे अनुच्छेद 280 के संशोधन के लिए प्रस्तुत किया है। आपातकाल के उपबंधों के द्वारा राज्य को जो अधिकार मूल अधिकारों को निलम्बित करने की कार्यवाही करने के लिए मिले हैं, वे उद्घोषणा समाप्त होते ही समाप्त हो जाएंगे। मेरे विचार में यह वही है जो वे चाहते हैं जहाँ तक संशोधन संख्या 74 का संबंध है। मेरा निवेदन है कि यदि अनुच्छेद को ठीक से पढ़ा जाये तो वह ठीक वही है जो वे चाहते हैं। मैं उनका ध्यान अनुच्छेद 279 की ओर आकर्षित करता हूँ। वे देखेंगे कि वह अनुच्छेद आपात की शक्तियों के अधीन बने किसी कानून के अधीन की गई किसी बात की रक्षा नहीं करता। इसलिए कि मामला उनकी समझ में आ जाये, मैं दुबारा उनका ध्यान अनुच्छेद 227 की ओर आकर्षित करता हूँ। यदि वे दोनों की तुलना करें तो वे देखेंगे कि दोनों अनुच्छेदों में मौलिक अन्तर है। अनुच्छेद 227 वह अनुच्छेद है जो केन्द्र को आपातकाल में कुछ

कानून पारित करने की शक्तियां देता है जो राज्य सूची को प्रभावित करता है। मैं अनुच्छेद 227 के खण्ड (2) की ओर उनका ध्यान आकर्षित करता हूँ। इसके अन्त में वे देखेंगे कि उद्घोषणा के काम करना बन्द करने के छः माह के पश्चात् सभी कृत्य निष्प्रभाव हो जाएंगे सिवाय अवधि के बीतने से पूर्व की गई अथवा न की गई बातों की बाबत। यह खण्ड अनुच्छेद 279 में नहीं है। इसलिए कोई भी कानून जो अनुच्छेद 279 के उपबंध के अधीन बनेगा, समाप्त नहीं होगा। अपितु जो कुछ भी किया गया है वह विधिमान्य तथा किया गया नहीं रहेगा। इस प्रकार, एक व्यक्ति जो अनुच्छेद 279 के अधीन बने किसी कानून के उपबंध के अधीन गिरफ्तार हुआ है, जब कानून प्रभाव में नहीं रहेगा इस कानून के द्वारा केवल इसलिए शासित नहीं होगा क्योंकि जो कुछ भी हुआ है, उस अनुच्छेद के अधीन बने कानून के अधीन हुआ है। इस अनुच्छेद 279 के अधीन बने कानून ही समाप्त नहीं होते, अपितु किये गये कार्य भी समाप्त हो जाते हैं।

अब मैं अनुच्छेद 8 के खण्ड (2) की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। यह भी एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसे अनुच्छेद 279 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। अनुच्छेद 8 इस संविधान में रखे सामान्य उपबंधों के लिए अपवाद है कि वर्तमान विधि बनी रहेगी। अनुच्छेद 8 का कहना है कि कोई वर्तमान कानून जो मूल अधिकारों के विरुद्ध है वह लागू नहीं रहेगा। अनुच्छेद 8 का खण्ड (1) वर्तमान कानून के बारे में है और खण्ड (2) भावी कानूनों के बारे में है। इस प्रकार कोई भी कानून जो अनुच्छेद 279 के अधीन बना है, भावी कानून हो जायेगा। जब आपात स्थिति समाप्त हो जाएगी तो अनुच्छेद 279 के अधीन बना कोई विधि अनुच्छेद 8 के खण्ड (2) के अधीन आ जाएगी ताकि यदि यह मूल अधिकारों से असंगत हो जाता है, तो वह अपने आप समाप्त हो जाएगी।

इसलिए मेरा निवेदन यह है कि जहाँ तक संशोधन 74 का संबंध है, जो डर जाहिर किये गये हैं वे आधारहीन हैं। वर्तमान कानून में बहुत से उपबंध हैं जिनमें वे सभी मामले आ जाएंगे जो मेरे आदरणीय मित्र श्री हृदयनाथ कुंजरू के मस्तिष्क में हैं।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : अनुच्छेद 277(2) में संसद द्वारा बनाए गए कानून का संदर्भ है। यह कार्यपालिका द्वारा की गई किसी कार्रवाई का हवाला नहीं देता। दूसरे, यह संसद द्वारा बने कानून की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 13 के अधीन जैसा यहाँ परिभाषित किया गया है हमें राज्य द्वारा बने कानून का हवाला प्राप्त है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यहाँ राज्य का अर्थ दोनों से है क्योंकि 'राज्य' शब्द का अनुच्छेद 279 में प्रयोग उसी अर्थ में किया गया है जिसमें इसका

प्रयोग भाग III में हुआ है, जहाँ इसका अर्थ दोनों केन्द्र, राज्यों और यहाँ तक कि नगरपालिका भी है।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : जबकि अनुच्छेद 277(1) में केवल संसद का हवाला दिया गया है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं यही तो कहता हूँ 279 भी अनुच्छेद 8 से शासित होगा। इसलिए कोई कानून जो प्रदत्त मूल अधिकारों से असंगत है प्रवृत्त नहीं रहेगा।

अब मैं पंडित भार्गव के संशोधन 78 पर आता हूँ। इस संशोधन में उन्होंने कहा है कि इन मूल अधिकारों में से किसी को निलम्बित करते हुए राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया आदेश अभिव्यक्ततः अनुसमर्थित होगा। वे कहते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये आदेश का संसद द्वारा अभिव्यक्त अनुसमर्थन होना चाहिए। प्रारूपण समिति द्वारा प्रस्तावित प्रारूप अनुच्छेद उपबंध करता है कि अनुसमर्थन मान लेना चाहिए जब तक कि सार्थक कार्यवाही के द्वारा संसद राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश को समाप्त नहीं कर देती। मेरे द्वारा बन गए अनुच्छेद और उनके संशोधन में यही वास्तविक अन्तर है।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : लेकिन यह बहुत मूलभूत अन्तर है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह बहुत मौलिक चीज है। एक अर्थ में यह मौलिक है और एक अर्थ में यह मौलिक नहीं है क्योंकि हमने व्यवस्था की है कि उद्घोषणा संसद के सामने रखी जाएगी। मैंने वह बंधन अब थोप दिया है। यदि संसद बुलाई जाती है और उद्घोषणा उसके सामने रखी जाती है तो यह एक मूर्खता होगी, यदि वे व्यक्ति जो संसद में आते हैं, सकारात्मक कार्यवाही नहीं करते और इस प्रकार की संसद एक अनावश्यक वस्तु होगी और उसकी आवश्यकता नहीं है।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : क्या यह कहना आवश्यक नहीं है कि कानून केवल आपातकाल में लागू रहेगा और उद्घोषणा के पश्चात् उससे कम समय अथवा छः माह के लिए नहीं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं उस पर आ रहा हूँ लेकिन जहाँ तक इस प्रश्न का संबंध है, यह केवल विस्तार का विषय है कि क्या संसद एक अभिव्यक्त संकल्प द्वारा कहे कि हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति उसे वापस लें अथवा हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति उसे जारी रखें अथवा हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति उसे बदली शक्ल में जारी रखें। एक बार संसद बुला ली जाये और विषय संसद के समक्ष आ जाए तो यह उचित नहीं होगा कि वह विषय संसद पर छोड़ दिया जाये और जब तक

इसके विपरीत विनिश्चय न हो इसको सहमति मान ली जाए? कठिनाई कहाँ है? संशोधन के बारे में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता।

एक माननीय सदस्य : अब एक बज गया है।

माननीय उपसभापति : हम इस अनुच्छेद को समाप्त करने जा रहे हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्री गुप्ता ने एक संशोधन पेश किया है जो श्री भार्गव के संशोधन संख्या 78 का संशोधन है। वे चाहते हैं कि निश्चित समय रखा जाए कि उद्घोषणा दो माह के भीतर संसद के सामने पेश की जाए। पंडित भार्गव के संशोधन में एक माह था। मैं सोचता हूँ यदि मैं भूल नहीं रहा हूँ और मेरा मूल प्रस्ताव है 'यथासंभव शीघ्र'। अच्छा, मैं नही जानता कि कोई इसे अन्तःकरण का मामला बनाना चाहते हैं और यदि इस मामले की गारंटी नहीं दी गई तो हम अनशन करने जा रहे हैं। मैं सोचता हूँ 'यथासंभव शीघ्र' शब्दों को इस प्रकार रखा जाए कि मामला संसद के समक्ष एक माह के भीतर, दो माह के भीतर अथवा पंद्रह दिन के भीतर रख दिया जाए। यह बहुत लचीला पद है और इसलिए मेरा निवेदन है कि उपबंध जैसा मसौदे में है हालात के अनुसार ठीक है और मुझे आशा है कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

*__माननीय उपसभापति__ : मैं अब संशोधनों को सदन के समक्ष रखता हूँ।

[सभी संशोधन, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के संशोधन को छोड़कर, वापिस ले लिए गए अथवा खारिज कर दिये गए। यथा संशोधित अनुच्छेद 280 संविधान में जोड़ा गया।]

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (मुम्बई : साधारण) : श्रीमान, मेरा प्रस्ताव है :

संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग

"कि अनुच्छेद 254 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखा जाए :

284 (1) इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा।

(2) दो या अधिक राज्य यह करार कर सकेंगे कि राज्यों के उस समूह के लिए एक ही लोक सेवा आयोग होगा तथा यदि उस उद्देश्य का संकल्प उन राज्यों में से प्रत्येक के विधानमंडल के सदन द्वारा अथवा जहाँ दो सदन हैं, वहाँ प्रत्येक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है तो, संसद उन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 22 अगस्त, 1949, पृ. 556

के लिए विधि द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग (जो इस अध्याय में 'संयुक्त आयोग' के नाम से निर्दिष्ट है) की नियुक्ति का उपबंध कर सकेगी।

(2क) उपरोक्त विधि में ऐसे प्रासंगिक तथा आनुषंगिक उपबंध भी अंतर्विष्ट हो सकेंगे जो इस अनुच्छेद के उपखंड (2) के प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए आवश्यक या वांछनीय हों।

(3) यदि किसी राज्य का राज्यपाल अथवा राजप्रमुख, संघ के लोक सेवा आयोग से ऐसा करने की प्रार्थना करे तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से वह उस राज्य की सब या किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करना स्वीकार कर सकेगा।

(4) यदि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, तो इस संविधान में संघ के लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के निर्देशों को ऐसे आयोग के प्रति निर्देश समझ जाएगा जो प्रश्नास्पद किसी विशेष विषय के बारे में यथास्थित संघ की अथवा राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो।"

यह अनुच्छेद स्वतः स्पष्ट है और मैं नहीं समझता कि इस अनुच्छेद में किसी बिन्दु को स्पष्ट करने के लिए कोई मत व्यक्त करना आवश्यक है। इसलिए मैं अपनी टिप्पणी को उस स्थिति तक सुरक्षित करता हूँ जब तक मुझे किसी आलोचना का उत्तर देने के लिए पुकारा नहीं जाता।

श्री लक्ष्मी नारायण साहू (उड़ीसा : सामान्य) : श्रीमन्, क्या मैं जान सकता हूँ, संसद द्वारा ऐसी किसी विधि के बारे में उपबंध क्यों समाविष्ट किया जाता है और उन उपबंधों में शासक (राजा) का जिक्र क्यों किया जाता है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यदि अपने मित्र साहू को मैं सही समझता हूँ तो वे जानना चाहते हैं कि हमने संसद के द्वारा कानून बनाने के लिए उपबंध क्यों समाविष्ट किया। वे समझ लेंगे कि मूलभूत सिद्धांत है कि प्रत्येक राज्य का अपना पृथक लोक सेवा आयोग होना चाहिए। लेकिन यदि प्रशासनिक अथवा वित्तीय उद्देश्यों के कारण प्रत्येक राज्य के लिए अपना लोक सेवा आयोग रखना संभव नहीं है तो दो राज्यों के लिए यह शक्ति खुली है कि वे एक संकल्प के द्वारा केन्द्र को शक्ति प्रदत्त करे कि वह संयुक्त क्षेत्रीय आयोग की व्यवस्था ऐसे दो राज्यों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए करे जो, जैसा मैंने कहा, जो या तो प्रशासनिक अथवा वित्तीय कारणों से ऐसी स्थिति में नहीं है कि अपने लिए पृथक स्वतंत्र आयोग रख सके। स्पष्ट रूप से, जब इस प्रकार की शक्ति केन्द्र पर डाली जाती है तो ऐसा होना चाहिए कि वह शक्ति संसद के द्वारा बनाये कानून से विनियमित की जाए और दो राज्यों के लिए संयुक्त आयोग शुद्ध कार्यपालक आदेश से बनाने के लिए राष्ट्रपति को खुली छूट न

दी जाए। वह उस उद्देश्य के लिए कि दो राज्यों की सेवा करने के लिए ऐसे आयोग के गठन को विनियमित करने की शक्तियां संसद को दी गई हैं।

श्री लक्ष्मी नारायण साहू : दूसरा मुद्दा है कि 'शासक' का जिक्र क्यों किया गया है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : क्योंकि हो सकता है भाग III की रियासत अपने लिए स्वतंत्र लोक सेवा आयोग रखना अनावश्यक समझे। परिणामस्वरूप, भाग III की रियासत के लिए द्वार खुले रखने चाहिए, यदि वह राज्य भाग I के राज्य के साथ राष्ट्रपति को संयुक्त निवेदन करते हैं कि संयुक्त आयोग नियुक्त कर दिया जाए। यही कारण है कि 'शासक' अनुच्छेद को उपबंध में सम्मिलित किया गया है।

श्री आर. के. सिधवा (मध्य प्रांत एवं बरार : साधारण) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। खण्ड (3) में यह कहा गया है 'राष्ट्रपति के अनुमोदन से, राज्य की सभी अथवा किसी आवश्यकता की पूर्ति करनेके लिए सहमत होता है'। क्या मैं जान सकता हूँ कि कोई स्थानीय संस्था सेवा आयोग की सेवायें उपयोग करना चाहे तो क्या उसे अनुमति होगी?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : हाँ, यहाँ एक पृथक अनुच्छेद है जो उपबध करता है कि यदि स्थानीय प्राधिकरण अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति लोक सेवा आयोग से कराना चाहता है, तो संसद के लिए यह संभव होगा कि लोक सेवा आयोग को ऐसा प्राधिकार प्रदान करे कि ऐसे स्थानीय प्राधिकरण की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो।

(संशोधन संख्या 2 पेश नहीं हुआ।)

* * * *

***माननीय सभापति** : डॉ. अम्बेडकर।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं नहीं समझता, यहाँ कुछ ऐसा है जिससे कि मेरा बोलना आवश्यक हो।

[सभी संशोधन, सिवाय डॉ. अम्बेडकर के संशोधन के, खारिज किए गए। अनुच्छेद 284 जैसा संशोधित है, संविधान में जोड़ा गया।]

* * * *

---

* सीएडी, खंड IX, दिनांक 22 अगस्त, 1949, पृ. 571

अनुच्छेद 285

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मैं सोचता हूँ कि किसी के लिए भी इन बदलावों को समझने की कोशिश करना कठिन है। इसलिए मैं नियम भंग होने के आधार पर ही नहीं बल्कि इस आधार पर भी आपत्ति करता हूँ कि वे आसानी से समझे जाने की शक्ल में नहीं हैं और वे स्वयं संविधान संशोधन के रूप में व्यक्त होने चाहिएं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह पहला समय नहीं है जब मेरे मित्र ने व्यवस्था का बिंदु उठाया है। क्या अच्छा होता कि आपने प्रारूपण समिति को प्रक्रिया नियमों की बारीकियों से दूर जाने की अनुमति दी होती और इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि इस मामले में भी आप हमें आगे बढ़ने दें।

* * * *

***माननीय सभापति** : डॉ. अम्बेडकर स्पष्ट कर सकते हैं कि पृथक अनुच्छेद किस प्रकार अस्तित्व में आए। आप उन्हें एक साथ पेश करें और हम उन्हें मत के समय पृथक–पृथक लें।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : हाँ, उन्हें पृथक ही रखा जाय।

श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव है :

"कि अनुच्छेद 285 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए :

सदस्यों की नियुक्ति तथा पदावधि

285. (1) लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, यदि वह संघ आयोग या संयुक्त आयोग है तो, राष्ट्रपति द्वारा तथा यदि वह राज्य आयोग है तो, राज्य के राज्यपाल या राज प्रमुख द्वारा की जाएगी :

परन्तु, प्रत्येक लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से यथासंभव निकटतम आधे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी–अपनी नियुक्तियों की तारीख पर भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कम से कम दस वर्ष तक पद धारण कर चुके हों तथा उक्त दस वर्ष की कालावधि की संगणना में ऐसी कालावधि भी सम्मिलित होगी, जिसमें इस संविधान के प्रारंभ से पूर्व किसी व्यक्ति ने भारत के सम्राट के अधीन या देशी राज्य के अधीन पद धारण किए हैं।

---

* सीएडी, **खंड** IX, दिनांक 22 अगस्त, 1949, पृ. 573–576

(2) लोक सेवा आयोग का सदस्य, अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक, अथवा यदि वह संघ आयोग है तो पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, तथा यदि वह राज्य–आयोग या संयुक्त आयोग है तो, साठ वर्ष की आयु को प्राप्त होने तक, जो भी इनमें से पहले हों, अपना पद धारण करेगाः

परन्तु –

(क) लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य, यदि वह संघ–आयोग या संयुक्त आयोग है तो राष्ट्रपति को, तथा यदि वह राज्य–आयोग है तो राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख को, सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद को त्याग सकेगा।

(ख) लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य अपने पद से अनुच्छेद 285 के खण्ड (1) अथवा खण्ड (3) में उपबंधित रीति से हटाया जा सकेगा।

(3) कोई व्यक्ति जो लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है, अपनी अवधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति के लिए अपात्र होगा।

लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना या निलम्बित किया जाना

285क. (1) इस अनुच्छेद के खण्ड (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोक सेवा आयोग का सभापति अथवा अन्य कोई सदस्य अपने पद से केवल राष्ट्रपति द्वारा कदाचार के आधार पर दिए गए उस आदेश पर ही हटाया जाएगा, जो कि उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति द्वारा पृच्छा किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 121 के अधीन उसके लिए विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर, उस न्यायालय द्वारा किए गए इस प्रतिवेदन के पश्चात् कि यथास्थिति सभापति या ऐसे किसी सदस्य को, ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए, दिया गया है।

(2) आयोग के अध्यक्ष या अन्य किसी सदस्य को, जिसके संबंध में खण्ड (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय से पृच्छा की गई है; राष्ट्रपति, यदि वह संघ आयोग या संयुक्त आयोग है तथा राज्यपाल या राजप्रमुख यदि वह राज्य–आयोग है, उसको पद से तब तक के लिए निलम्बित कर सकेगा जब तक कि ऐसी पृच्छा की गई बात पर उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन के मिलने पर राष्ट्रपति अपना आदेश न दें।

(3) खण्ड (1) में किसी बात के होते हुए भी यदि यथास्थिति लोक सेवा आयोग का सभापति या कोई दूसरा सदस्यः

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत हो जाता है, अथवा

(ख) अपनी पदावधि में अपने पद के कर्त्तव्यों से बाहर कोई वैतनिक नौकरी करता है, अथवा

और यहाँ मैं तीसरा (ग) सम्मिलित करना चाहता हूँ :

(ग) राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक दौर्बलयता के कारण अपने पद पर रहने के लिए अयोग्य है तो सभापति या ऐसे अन्य सदस्य को राष्ट्रपति अपने आदेश से अपने पद से हटा सकेगा।

(4) इस अनुच्छेद के खण्ड (1) के उद्देश्य के लिए लोक सेवा आयोग का सभापति या अन्य कोई सदस्य भारत सरकार के या राज्य की सरकार के द्वारा या और से की गई किसी संविदा या करार में, निगमित समवाय के सदस्य के नाते तथा उसके अन्य सदस्यों के साथ के सिवाय, किसी प्रकार से भी, संयुक्त पर हितसंबंध है या हो जाता है अथवा किसी प्रकार से उसके लाभ में अथवा तदुत्पन्न किसी फायदे या उपलब्धि में भाग लेता है तो वह खण्ड (1) के प्रयोजनों के लिए कदाचार का अपराधी समझा जाएगा।

आयोग के सदस्यों तथा कर्मचारीवृन्द की सेवाओं की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति

285(ख) संघ आयोग या संयुक्त आयोग के बारे में राष्ट्रपति तथा राज्य आयोग के बारे में राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख विनियमों द्वाराः

(क) आयोग के सदस्यों की संख्या तथा उनकी सेवाओं की शर्तों का निर्धारण कर सकेगा, तथा

(ख) आयोग के कर्मचारीवृन्द के सदस्यों की संख्या के तथा उनकी सेवा की शर्तों के संबधं में उपबंध कर सकेगा :

परन्तु, लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात, अलाभकारी परिवर्तन न किया जाएगा।

आयोग के सदस्यों द्वारा पदों के धारण के संबंध में वर्जन

285(ग) पद पर न रहने पर :

(क) संघ लोक सेवा आयेाग का अध्यक्ष, भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी भी और नौकरी के लिए अपात्र होगा;

(ख) राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में अथवा किसी अन्य राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किन्तु भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नौकरी के लिए पात्र न होगा;

(ग) संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष के अतिरिक्त कोई अन्य सदस्य संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किन्तु भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नौकरी के लिए पात्र न होगा;

(घ) किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से अतिरिक्त अन्य कोई सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के रूप में अथवा उसी या किसी अन्य, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा; किन्तु भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नौकरी के लिए पात्र न होगा।

श्रीमन्, ये अनुच्छेद जो लोक सेवा आयोग उसके कार्यालय की कालावधि, योग्यता एवं निर्योग्यता, हटाया जाना और निलम्बन के बारे में हैं। मैं संक्षेप में सदन को उन विषयों के बारे में जिनका समावेश यहाँ हुआ है उन मुख्य विषयों के बारे में जो इन अनुच्छेदों में समाविष्ट है स्पष्ट करना चाहता हूँ।

प्रथम बिन्दु लोक सेवा आयोग की काल अवधि के बारे में है। वह अनुच्छेद 285 में है। अनुच्देद में रखे गए उपबंधों के अनुसार लोक सेवा आयोग के सदस्य की कालावधि 6 वर्ष निश्चित है अथवा संघ लोक सेवा आयोग के बारे में जब तक 65 वर्ष की उम्र तक नहीं पहुंचता और राज्य आयोग के बारे में जब तक 60 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंचता। पदावधि के बारे में भी यही है।

इसके बाद मैं लोक सेवा आयोग के सदस्यों के हटाये जाने पर आता हूँ। यह विषय अनुच्छेद 285क में है। अनुच्छेद के उपबंधों के अंतर्गत लोक सेवा आयोग का सदस्य दुर्व्यवहार सिद्ध होने पर राष्ट्रपति द्वारा हटाये जाने के दायित्वाधीन है। वह स्वतः नियोग्यता के कारण भी हटाये जाने के दायित्वाधीन है। स्वतः निर्योग्यता तीन स्थितियों में होती है :एक, दिवालियापन। दूसरा, किसी अन्य नौकरी में लग जाना और तीसरी है दिमाग व शरीर की दुर्बलता। दुर्व्यवहार के बारे में उपबंध अजीब है। माननीय सदन को याद होगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की दशा में अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की दशा में उस अनुच्छेद में जिसे हम पहले ही पारित कर चुके हैं कि वे अच्छे व्यवहार के दौरान पद पर रहते हैं और वह उस समय तक पद से हटाए जाने के दायित्वाधीन नहीं होंगे, जब तक संसद के दोनों सदन उस निमित्त संकल्प पारित नहीं करते। यह महसूस किया गया है कि लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने के लिए इस प्रकार के सख्त व कठोर उपबंध अनावश्यक है। परिणामस्वरूप, इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि भारत सरकार के कानून में रखे गए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने के उपबंध लोक सेवा आयोग के सदस्यों को ऐसी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उपयुक्त है। मैं सोचता हूँ कि सदन को याद होगा कि भारत सरकार अधिनियम के उपबंध में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने के लिए आवश्यक है एक जांच जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में फेडरल न्यायालय न्यायाधीशों द्वारा

और फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में प्रिवी कौंसिल द्वारा की जाती है और यह सूचना होने पर कि यह दुर्व्यवहार का मामला है, गवर्नर जनरल फेडरल न्यायालय न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है जहाँ कहीं भी दुर्व्यवहार का मामला हो, लोक सेवा आयोग को हटाने के बारे में हमने उन्हीं उपबंधों को अपना लिया है।

स्वतः निर्योग्यता के बारे में, मैं नहीं सोचता कि किसी प्रकार का मतभेद हो सकता है क्योंकि यह स्पष्ट है कि यदि लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य दिवालिया हो गया है तो उसकी निष्ठा पर सर्वथा भरोसा नहीं किया जा सकता और इसीलिए इसे स्वतः निर्योग्यता के रूप में काम करना चाहिए। इसी प्रकार, यदि लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य जो निःसंदेह राज्य का पूर्णकालीन अधिकारी है, अपनी पूरी शक्ति से यथासंभव कर्त्तव्य निर्वहन करने और अपना संपूर्ण समय काम में लगाने के स्थान पर किसी अन्य स्थान पर कुछ कार्य करता है तो यह स्वतः निर्योग्यता का आधार होना चाहिए। इसी प्रकार, तीसरी निर्योग्यता अर्थात् वह दिमाग व शरीर से दुर्बल हो गया है यह भी बिना किसी झगड़े के स्वतः निर्योग्यता का उपयुक्त मामला समझा जाए। सदन के सदस्यों को यह भी याद होगा कि अनुच्छेद 285क में उच्चतम न्यायालय द्वारा की जा रही जांच के समय लोक सेवा आयोग के सदस्य को निलम्बित करने का उपबंध था। मैं सोचता हूँ कि उपबंध आवश्यक है। यदि राष्ट्रपति का विचार है कि सदस्य कदाचार का दोषी है तो यह वांछनीय नहीं है कि सदस्य जब तक उसका चरित्र उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट के द्वारा निर्मल घोषित नहीं किया जाता, वह लोक सेवा आयोग के सदस्य की हैसियत से कार्य करता रहे।

अब, मैं संघ और राज्य दोनों के लोक सेवा आयोगों के सदस्यों के नौकरी संबंधी महत्वपूर्ण मामलों अथवा नौकरी की योग्यता पर आता हूँ। सदस्य देखेंगे कि हमने अनुच्छेद 285 खण्ड (3) के अनुसार दोनों अध्यक्ष और सदस्य केन्द्रीय लोक सेवा आयोग तथा राज्य आयोग के अध्यक्ष और राज्य आयोग के सदस्यों को उसी पद पर दुबारा नियुक्ति के अयोग्य बनाया है, ऐसा कहिए कि जब अध्यक्ष और सदस्य की कालावधि एक बार समाप्त हो जाती है चाहे वह अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग अथवा अध्यक्ष राज्य सेवा आयोग का हो, हमने कहा था कि उसकी दुबारा नियुक्ति नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही हितकर उपबंध है क्योंकि दुबारा नियुक्ति की कोई आशा बनाये रखना अथवा उसी नियुक्ति को जारी रखना एक प्रकार के प्रलोभन की भांति कार्य करेगी जो सदस्य को पक्षपात रहित कार्य नहीं करने देगी जिसकी आशा उसके कर्त्तव्य निभाने से की जाती है। इसलिए यह मूलभूत रुकावट है जो प्रारूप अनुच्छेद में रखी गई है।

दूसरी चीज यह है कि अनुच्छेद 285ग के अनुसार यहाँ भी एक उपबंध है कि

ये किसी दूसरे पद की नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होंगे। इसलिए यहाँ दोहरी निर्योग्यता है। उनको अपने पद पर चलते रहने की भी इजाजत नहीं है और न किसी दूसरे पद पर नियुक्ति का ही उपबंध है। अब केवल अपवादस्वरूप मामले जिनमें ये नियुक्त किये जा सकेंगे वे ये हैं :

राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को संघ लोक सेवा आयोग अथवा दूसरे राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति की आज्ञा है।

दूसरे, संघ आयोग के सदस्य, संघ आयोग अथवा किसी दूसरे राज्य आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं।

तीसरे, राज्य आयोग का सदस्य संघ आयोग का अध्यक्ष अथवा सदस्य अथवा राज्य आयोग का अध्यक्ष बन सकता है।

दूसरे शब्दों में, अपवाद हैः अर्थात् एक व्यक्ति जो संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकेगा अथवा संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य बन सकेगा। उल्लेखनीय मुख्य बिन्दु यह है कि राज्य आयोग के अध्यक्ष सदस्य उसी राज्य में नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरे राज्य द्वारा उसे अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकेगा अथवा केन्द्र सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा सदस्य नियुक्त किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य उसी पद पर कार्य करते रहने में अथवा किसी दूसरे पद पर नियुक्त न करने के विषय में राज्य को किसी प्रकार का संरक्षकत्व प्रयोग में लाने की अनुज्ञा न देना है। ताकि आशा की जाती है कि इन उपबंधों से आयोग के सदस्य स्वतंत्र हो जाएंगे जैसाकि उनके होने की आशा है। मैं नहीं समझता कि यहाँ कोई दूसरा बिंदु है जिसका स्पष्टीकरण अपेक्षित हो।

श्री लक्ष्मी नारायण साहू : संयुक्त आयोग के सदस्यों के बारे में क्या है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : संयुक्त आयोग राज्य–आयोग है जो अनुच्छेद 284 के खण्ड (4) में परिभाषित है।

श्री मनमोहन दास (पश्चिम बंगाल : सामान्य) : अनुच्छेद 285क के कुछ बिन्दुओं पर मैं स्पष्टीकरण चाहूँगा। यदि राष्ट्रपति के संदर्भ में, उच्चतम न्यायालय सूचना देता है कि लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा कोई अन्य सदस्य हटा दिया जाए तब क्या राष्ट्रपति के लिए उसे हटाना कर्त्तव्य होगा?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : अवश्य।

श्री नजीरूद्दीन अहमद : आपने आदरणीय सदस्य को सदन में नये मसौदे और मूल मसौदे के अंतर पर बयान देने के लिए कहा है। वास्तविक बदलाव के उचित

गुण ग्रहण के लिए वह सहायक होगा।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यदि बहस के मध्य कोई बिंदु खड़ा किया जाए तो मैं अपने उत्तर में बयान दूंगा।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मैं नहीं जानता कि विरोध करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : आपने दोनों मसौदों को अवश्य पढ़ लिया होगा। केवल एक चीज जिसे आपने नहीं पढ़ा होगा वह छोटे विराम चिह्न और अर्द्ध विराम चिह्न हैं।

माननीय सभापति : अब मैं संशोधनों को लूंगा।

* * * *

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** सभापति महोदय, यहाँ बहुत थोड़े बिंदु हैं जिन पर मैं एक शब्द अथवा दो शब्द उन अनुच्छेदों की आलोचना के उत्तर में कहना चाहूँगा जिन्हें मैंने सदन के सामने निवेदन किया है।

पहली आलोचना लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में है। यहाँ आरक्षण किया गया है कि लोक सेवा आयोग के कम से कम आधे सदस्य अंगरेजी सरकार के नौकर होने चाहिए इस का विरोध इस आधार पर हुआ है कि भारतीय सिविल नौकरी के लिए यह स्वर्ग सिद्ध होगा। मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि जिन लोगों ने यह आलोचना की है, वे लोक सेवा आयोग का उद्देश्य, प्रतिष्ठा और कार्य नहीं समझते। लोक सेवा आयोग का कार्य लोक सेवा के लिए योग्य आदमियों का चुनाव करना है। जिसे निर्णय करना है उसके पास निश्चित सीमा तक अनुभव होना निर्णय करने की योग्यता माना जाता है। स्पष्टतः कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति से अच्छा निर्णायक नहीं हो सकता जो अंग्रेजी सरकार की सेवा में पहले ही रह चुका है। इसलिए निश्चित (अनुभव) भाग नौकरी वाले व्यक्तियों के लिए क्यों रखा गया है इसका कारण यह नहीं है कि उन व्यक्तियों पर अहसान करने की कोई इच्छा है जो अंगरेजी सरकार की नौकरी में पहले से ही है। अपितु आवश्यकता है आवश्यक अनुभव के व्यक्तियों को प्राप्त करने की, जो यथासंभव सर्वश्रेष्ठ रीति से अपने कर्त्तव्यों को निभायेंगे। फिर भी मैं संशोधन स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ यदि मेरे मित्र श्री कपूर इसके लिए तैयार हैं। मैं यह कहने के लिए तैयार हूँ : "परन्तु कम से कम आधे" के स्थान

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 22 अगस्त, 1949, पृ. 592—93

पर "परन्तु लगभग आधे के करीब"।

श्री एच.वी. कामथ : क्यों नहीं कहते? 'आधे से अधिक नहीं?'

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : नहीं, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ किया है।

दूसरे प्रश्न के बारे में कि जो व्यक्ति लोक सेवा आयोग में हैं उन्हें राज्य में अवैतनिक पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञा दी जाए, व्यक्तिगत तौर पर इस सुझाव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। हमारा पूर्ण उद्देश्य लोक सेवा आयोग के कार्यपालक अधिकारियों को स्वतंत्र बनाना है। उन्हें कार्यपालिका के स्वतंत्र अधिकारी बनाने का एक मार्ग इन्हें ऐसे पद से वंचित रखना है जिससे कार्यपालिका उन्हें अपने कर्त्तव्यों से विमुख होने का लालच दे। यह बिल्कुल सही है कि वह पद जो लाभ का पद नहीं है, बल्कि अवैतनिक पद होता है, वेतन का नहीं लेकिन जैसा कि हर व्यक्ति जानता है वेतन ही एक चीज नहीं है जो व्यक्ति अपने पद के कारण प्राप्त करता है। यहाँ ऐसी चीज है जैसे, 'वेतन, चुनना और चुराना'। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो भी यहाँ किसी हद तक प्रभाव काम करता है जो पद से व्यक्ति को मिलता है। और मैं सोचता हूँ यह वांछनीय है कि ऐसे व्यक्तियों के पद पर रखने की संभावनाओं से दूर रहा जाए जहाँ भले ही वेतन न ले किन्तु वह कुछ सीमा तक प्रभाव प्राप्त करे।

अब मैं अपने मित्र श्री हृदयनाथ कुंजरू के संशोधन पर आता हूँ। मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूँ कि लोक सेवा आयोग की नौकरियों और उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और महालेखा परीक्षक की नौकरियों में एक स्पष्ट अन्तर है। मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि क्यों हमने यह अंतर रखा है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों के बारे में जो सर्वोच्च पदों पर हैं उनसे एक मात्रा में न्यायिक विवेकाधिकार प्रयोग करना अपेक्षित है। परिणामस्वरूप, हमने महसूस किया कि मात्र उनका वेतन व पेंशन ही राष्ट्रपति के अनुमोदन से मुख्य न्यायाधीश द्वारा निश्चित न की जाए अपितु उनकी नौकरी की शर्तें भी मुख्य न्यायाधीश द्वारा निश्चित होनी चाहिएं। लोक सेवा आयोग के बारे में अधिक कर्मचारीवृन्द वास्तव में संपूर्ण कर्मचारीवृंद – मात्र उससे संबंधित होंगे जिसे हम 'अनुसचिवीय कर्त्तव्य' कहते हैं जहाँ न तो कोई प्राधिकार है और न ही विवेकाधिकार बचा है। यही कारण है कि हमने यह अंतर किया है। लेकिन मैं देखता हूँ कदाचित मेरा तर्क इतना ठोस नहीं है जितना दिखाई देता है। अंत में मैं अपने आदरणीय मित्र श्री कुंजरू को सुझाव है कि वह इस अनुच्छेद को इस वायदे पर पारित होने दें कि बाद के प्रक्रम पर यदि मुझे ज्ञात होता है कि बदलाव करने की आवश्यकता है, तो मैं सदन के सम्मुख आवश्यक संशोधन लेकर आऊंगा।

श्रीमन्, मेरा ध्यान अनुच्छेद 285क के मेरे संशोधन की साइक्लोस्टाइल प्रति में इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि शब्द होने चाहिए ''किसी वेतनभोगी नौकरी में''। मुझे आशा है कि गलती सुधार ली जाएगी।

जैसा मैंने पंडित कुंजरू से कहा प्रारूपण समिति मामले को देखेगी और यदि यह महसूस करती है कि बदलाव करने के आधार हैं तो सदन की आज्ञा से वह संशोधन लेकर आएंगे जिससे स्थिति सुधर जाए।

माननीय सभापति : मैं सबसे पहले संशोधनों को मत के लिए रखूंगा :

प्रश्न है कि :

"कि ऊपर संशोधन संख्या 3 में, प्रस्तावित अनुच्देद 285 के खण्ड (1) के उपबंध में, 'आधे' शब्द के स्थान पर 'एक तिहाई' शब्द रखा जाए।

श्री जसवंत राय कपूर : इसके स्थान पर मैं डॉ. अम्बेडकर के सुझाव को स्वीकार करता हूँ जो लगभग ''जैसे आधे होने चाहिए''।

माननीय सभापति : अब मैं उसे मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न है :

'कि उपर्युक्त संशोधन संख्या 3 में प्रस्तावित अनुच्छेद 285 के खण्ड (1) के परन्तुक में 'कम से कम आधे' शब्दों के स्थान पर 'आधे के लगभग' शब्द रखे जाएं।

[संशोधन स्वीकार हुआ। अनुच्छेद 285 संशोधित रूप में संविधान में जोड़ा गया।]

*   *   *   *

अनुच्छेद 286 से 288क

***माननीय सभापति :** अब हम अनुच्छेद 286 और पश्चात्वर्ती अनुच्छेदों पर विचार करेंगे।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (मुम्बई : सामान्य) : श्रीमन, आपकी इजाजत से क्या मैं संशोधन संख्या 12, 16, 17 और 19 एक साथ पेश कर सकता हूँ? यह सभी एक ही उद्देश्य से संबंधित हैं। यहाँ एक आम बहस होनी चाहिए और तब आप प्रत्येक संशोधन को पृथक रख सकते हैं।

माननीय सभापति : हाँ, मैं सहमत हूँ।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मैं प्रस्तावित करता हूँ:

---

*. सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 23 अगस्त, 1949, पृ. 598

"कि अनुच्छेद 286 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएः

लोक सेवा आयोगों के कृत्य

286(1)– (1) संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का यह कर्तव्य होगा कि वे क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करें।

(2) यदि संघ लोक सेवा आयोग से कोई दो या अधिक राज्य ऐसा करने का अनुरोध करते हैं तो उसका यह भी कर्तव्य होगा कि वह ऐसी किन्हीं सेवाओं के लिए, जिनके लिए विशेष अर्हताओं वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं, संयुक्त भर्ती की योजना बनाने और उनका प्रवर्तन करने में उन राज्यों की सहायता करे।

(3) यथास्थिति, संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श लेंगेः

(क) सिविल सेवाओं में और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर;

(ख) सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में प्रोन्नति और पदों पर नियुक्ति करने में तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में प्रोन्नति और अंतरण करने में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर और ऐसी नियुक्ति, प्रोन्नति या अंतरण के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर;

(ग) ऐसे व्यक्ति पर, जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार की सिविल हैसियत से सेवा कर रहा है, प्रभाव डालने वाले, सभी अनुशासनिक विषयों पर, जिनके अंतर्गत ऐसे विषयों से संबंधित अभ्यावेदन या याचिकाएं हैं;

(घ) ऐसे व्यक्ति द्वारा उसके संबंध में, जो भारत सरकार या किसी अन्य राज्य की सरकार के अधीन सिविल हैसियत से सेवा कर रहा है या कर चुका है, इस दावे पर कि अपने कर्तव्य के निष्पादन में किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्यित कार्यों के संबंध में उसके विरुद्ध संस्थित विधिक कार्यवाहियों की प्रतिरक्षा से उसके द्वारा उपगत खर्च का, यथास्थिति, भारत की संचित निधि में से या राज्य की संचित निधि में से संदाय किया जाना चाहिए;

(ड.) भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार या भारत में क्राउन के अधीन सिविल हैसियत में सेवा करते समय किसी व्यक्ति की हुई क्षतियों के बारे में पेंशन अधिनिर्णीत किए जाने के लिए किसी दावे पर और ऐसे

अधिनिर्णय की रकम पर, परामर्श किया जाएगा और इस प्रकार उसे निदेशित किए गए किसी विषय पर तथा ऐसे किसी अन्य विषय पर, जिसे, यथास्थिति, राष्ट्रपति या उस राज्य का राज्यपाल उसे निर्देशित करे, परामर्श देने का लोक सेवा आयोग का कर्तव्य होगा :

परंतु अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में तथा संघ के कार्यकलाप से संबंधित अन्य सेवाओं और पदों के संबंध में भी राष्ट्रपति तथा राज्य के कार्यकलाप से संबंधित अन्य सेवाओं और पदों के संबंध में राज्यपाल उन विषयों को विनिर्दिष्ट करने वाले विनियम बना सकेगा जिन्में साधारणतया या किसी विशिष्ट वर्ग के मामले में या किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में लोग सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

(4) इस अनुच्छेद के खंड (3) की किसी बात से यह अपेक्षा नहीं होगी कि लोक सेवा आयोग से उस रीति के संबंध में, परामर्श किया जाए जो संघ या राज्य के पिछड़ी जाति के नागरिकों के लिए आरक्षित नियुक्तियों और पदों से संबंधित है।

(5) राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा खंड (3) के परंतुक के अधीन बनाए गए सभी विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र प्रत्येक सदन के समक्ष कम से कम चौदह दिन के लिए रखे जाएंगे और निरसन या संशोधन द्वारा किए गए ऐसे उपांतरणों के अधीन होंगे जो संसद् के दोनों सदन या उस राज्य के विधानमंडल का या दोनों सदन उस सत्र में करें जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं।

लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति

287, के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए :

अनुच्छेद 287 "संसद् द्वारा या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई अधिनियम संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा संघ की या राज्य की सेवाओं के संबंध में और किसी स्थायी स्थानीय प्राधिकारी या विधि द्वारा गठित अन्य निगमित निकाय या किसी लोक संस्था की सेवाओं के संबंध में भी अतिरिक्त कृत्यों के प्रयोग के लिए उपबंध कर सकेगा।"

लोक सेवाओं के व्यय

288 अनुच्छेद के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखा जाए:

288. संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय, जिनके अंतर्गत आयोग के सदस्यों या कर्मचारीवृंद को या उनके संबंध में देय कोई वेतन, भत्ते और पेंशन यथास्थिति, भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे।"

"कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 3075 के स्थान पर निम्नलिखित

रखा जाएः

"कि अनुच्छेद 288 के पश्चात् निम्नलिखित नया अनुच्छेद जोड़ा जाएः–

लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन 288क. (1) संघ लोक सेवा आयोग का कर्त्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गये काम के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे, तथा ऐसे प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उन मामलों के बारे में, यदि कोई हो, जिनमें आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गयी थी ऐसी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन के सहित उस प्रतिवेदन की प्रति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।

(2) राज्य आयोग का यह कर्त्तव्य होगा कि राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख की आयोग द्वारा किये गये काम के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे तथा संयुक्त आयोग का कर्त्तव्य होगा कि ऐसे राज्यों में से प्रत्येक के, जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति संयुक्त आयोग द्वारा की जाती है, राज्यपाल या राजप्रमुख को इस राज्य के संबंध में आयोग द्वारा किये गये काम के बारे में प्रति वर्ष प्रतिवेदन दे तथा इनमें से प्रत्येक व्यवस्था में ऐसे प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यथास्थिति राज्यपाल या राजप्रमुख उन मामलों के संबंध में, यदि कोई हो, जिनमें कि आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गयी थी, ऐसी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित उस प्रतिवेदन की प्रति राज्य के विधान–मंडल के समक्ष रखवाएगा।

ये अनुच्छेद स्वयं स्पष्ट हैं और मैं नहीं समझता कि इस स्तर पर मेरे लिए कोई बिन्दु लाने के लिए टिप्पणी करना आवश्यक है क्योंकि बिन्दु बहुत साधारण हैं। इसलिए अन्त तक मैं अपनी टिप्पणी सुरक्षित करता हूँ जब बहस के बाद मेरे लिए उठाये गये कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण देना आवश्यक होगा।

श्रीमान् मेरा प्रस्ताव है –

***माननीय सभापति** – डॉ. अम्बेडकर।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : सभापति महोदय, मेरे मित्र श्री अनंतशयनम् अयंगर और मेरे मित्र कुंजरू के भाषणों के पश्चात् बहुत से उठाये गये बिन्दुओं पर उत्तर में कहने के लिए मेरे लिए बहुत थोड़ा छोड़ा गया है। श्री जसपत राय कपूर ने कहा कि उप–खण्ड (2) अनावश्यक है। मैं उनसे सहमत नहीं हूँ क्योंकि खण्ड (2) उस मामले के बारे में है जो मूल अनुच्छेद 284 में है। मैं सोचता हूँ कि दोनों खण्डों का बनाये रखना आवश्यक है।

---

*. सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 23 अगस्त, 1949, पृ. 630

एक मात्र मुद्दा जिस पर मेरे लिए कुछ कहने के लिए शेष रहता है वह प्रश्न है जिस पर अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग के बारे में है। मैं सोचता हूँ, मुझे यह कहना चाहिए कि उनके लिए कुछ बहुत व्यवस्था, दोनों, अनुच्छेद 296 जिस पर हम बाद में विचार करेंगे और अनुच्छेद 10 में लाभ हित सुरक्षित करने के लिए की जा चुकी है जिन्हें अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ तथा पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। मैं नहीं समझता कि उपबन्ध करने से कोई उद्देश्य पूरा होगा जबकि एक सदस्य जिसे अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा एक सदस्य पिछड़ा वर्ग कहा जाएगा, नियुक्त करना राष्ट्रपति के लिए आवश्यक होगा।

श्री ए. वी. ठक्कर (सौराष्ट्र) : अन्य पिछड़ी जातियाँ?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : लोक सेवा आयोग के सदस्य का कर्त्तव्य सामान्य है वह वहाँ किसी वर्ग विशेष के हित संरक्षित करने के लिए नहीं हो सकता। वह अपना मस्तिष्क यह जानने के सामान्य प्रश्न पर लगायेगा कि कौन उम्मीदवार उत्तम और सबसे अधिक कार्यक्षमता वाला है। वास्तविक संरक्षण का तरीका एक है जिसे अपनाया जा चुका है जैसे मंत्रिमंडल को निश्चित कोटा इन वर्गों के लिए भरने की आज्ञा देना। मुझसे यह भी पूछा गया है कि मैं पिछड़ा वर्ग की परिभाषा करूं। अच्छा, मैं सोचता हूॅ "पिछड़ा वर्ग" शब्द जहाँ तक इस देश का प्रश्न है, प्रायः प्रारंभिक है, मैं नहीं सोचता कि मैं जानता हूॅ कि पिछड़ा वर्ग कौन हैं इसलिए मैं सोचता हूँ कि मामले को वैसा ही छोड़ दिया जाए जैसा इस संविधान में किया जा चुका है, आयोग के लिए भी, जो समुदाय की दशा की जांच करने, और यह निश्चित करने के लिए कि इस देश में पिछड़ा वर्ग माने जाने वाले कौन हैं, नियुक्त किया गया है।

श्री ए. वी. ठक्कर : क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ऐसा होने में बहुत से वर्ष नहीं लगेंगे?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : हाँ, लेकिन इस समय, किसी प्रान्तीय सरकार पर कोई रूकावट नहीं है उनके लिए उपबन्ध बनाने के लिए, जिनको पिछड़ा वर्ग कहा जाता है उनको अनुच्छेद 10 के द्वारा पूर्णतः स्वतंत्र छोड़ दिया गया है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि यहाँ कोई डर नहीं है कि नौकरियों में पिछड़ा वर्ग अथवा अनुसूचित जातियों के हित अनदेखे छोड़ दिए जायेंगे। जैसा मेरे मित्र पंडित कुंजरू ने कहा है, मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये अनुच्छेद मसौदा अनुच्छेदों से कहीं अधिक सुधरे हुए हैं। यदि मुझे अपने लिए कहने की इजाजत हो, हमने कनेडियन कानून और आस्ट्रेलियन कानून में बहुत से अनुच्छेदों का गहन अध्ययन किया है और हमें मध्यम मार्ग ढूंढने में सफलता मिली है। आशा है सदन को स्वीकार करने में कोई

कठिनाई नहीं होगी।

[अनुच्छेद 286, जैसा डॉ. अम्बेडकर ने प्रस्ताव किया था स्वीकार नहीं किया गया और संविधान में नहीं जोड़ा गया]

अनुच्छेद 292

****माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** मेरा प्रस्ताव है कि अनुच्छेद 292 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए :

''292 (1) लोक सभा में सीटों का आरक्षण होगा, –

(क) अनुसूचित जातियों के लिए;

(ख) असम के आदिम जाति क्षेत्रों में अनुसूचित आदिम जातियों को छोड़कर जनजातियों के लिए;

लोक सभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जातियों के लिए सीटों का आरक्षण

(ग) असम के स्वायत्तशासी जिलों में अनुसूचित जन –जतियों के लिए।

(2) इस अनुच्छेद के खण्ड (1) के अधीन अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन–जातियों के लिए किसी राज्य में रक्षित रखे गये स्थानों की संख्या का अनुपात लोक सभा में उस राज्य को बांट में दिए गये स्थानों की समस्त संख्या से यथाशक्य वही होगा जो यथास्थिति उस राज्य की अनुसूचित जातियों की, अथवा उस राज्य की या उस राज्य के भाग में की अनुसूचित जन–जातियों की, जिनके सम्बन्ध में वह स्थान इस प्रकार रक्षित हैं, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की समस्त जनसंख्या से है।"

यह अनुच्छेद 292 इस मामले में परामर्श समिति के फैसलों की हूबहू पुनरावृत्ति है और मैं नहीं समझता कि कोई व्याख्या आवश्यक है।

माननीय सभापति : यह उस फैसले को दर्शाता है जो इस सदन की दूसरी बैठक में लिया गया था जब हमने परामर्श समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया था। यह उस समय लिए गये फैसले को इस दशा में रखता है।

* * * *

****माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (मुम्बई–साधारण) :** माननीय निकोलस राय के नाम पर लगे संशोधन के बारे में मैं सुझाव देने जा रहा था कि स्पष्टीकरण

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 23 अगस्त, 1949, पृ. 633

खण्ड के लिए यह अधिक उपयुक्त है जहाँ अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों की परिभाषा होगी। यदि मेरे मित्र इस संशोधन को रखना चाहते हैं, तो उन्हें उस समय तक हिम्मत से खड़ा रहना होगा जब तक कि संविधान के उस भाग– अनुच्छेद 303 पर हम आते हैं।

माननीय सभापति : क्या आपने डा. अम्बेडकर को समझा है?

माननीय जे. जे. एम. निकोल्स (असम – साधारण) : हाँ, समझा है, मेरा संशोधन उस संशोधन पर आधारित था जो श्री ठक्कर द्वारा संख्या 3108 पेश किया जाना था। और मैं अब देखता हूँ कि संशोधन संख्या (28) जिसे वे अब पेश करने जा रहे हैं, दूसरी स्थिति में है। तो भी, यदि श्री ठक्कर उस संशोधन को पेश नहीं कर रहे, तो मैं भी अब अपना संशोधन पेश नहीं करूंगा। लेकिन मैं अपना अधिकार सुरक्षित रखता हूँ कि मैं अपना संशोधन उस समय पेश करूंगा जब उस विषयक अनुच्छेद 303 पर विचार होगा।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं भी सुझाव देता हूँ कि जो संशोधन श्री ठक्कर के नाम पर है, वह रहना चाहिए और उसे उस समय ही लिया जाए जब हम अनुच्छेद 303 पर चर्चा करें।

माननीय पूज्यपाद जे. जे. एम. निकोलस रॉय – यदि श्री ठक्कर सहमत हैं तो, मैं सहमत होऊंगा।

श्री ए. वी. ठक्कर (सौराष्ट्र) : मैं पूरी तरह सहमत हूँ।

****सरदार भूपिन्दर सिंह मान (पूर्वी पंजाब–सिख)** : बहुत से संशोधन पेश किए जा चुके हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उनका विरोध करने के लिए कुछ समय मिलेगा।

माननीय सभापति : जैसा मैंने कहा –इसी प्रतिपादन पर इसी सदन में पूरे दो दिन हम बहस कर चुके हैं और सदन के प्रत्येक वर्ग को अपने आप को सामान्य सिद्धांतों की व्याख्या करने का अवसर मिला है। ये वही सिद्धांत हैं जो अब प्रस्ताव में रखे जाने वाले हैं जो डॉ. अम्बेडकर के द्वारा सदन के समक्ष रखे जाने वाले हैं। मैं नहीं समझता कि अब और बहस सदस्यों को लाभकारी रहेगी। इसलिए बोलने के लिए मैं डॉ. अम्बेडकर को बुलाता हूँ।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : अध्यक्ष महोदय, इस अनुच्छेद की बहस के

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 24 अगस्त, 1949, पृ. 643–644

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 24 अगस्त, 1949, पृ. 657–658

समय उठाये गये और बहुत से संशोधन मेरे विचार में, इस अनुच्छेद की विषय–वस्तु के संदर्भ में बिल्कुल असंगत है। अच्छा होता यदि उनको उस समय उठाया गया होता जब हम चुनाव विधियों पर बहस करेंगे और चुनाव क्षेत्र बनाएंगे। इसलिए मैं इस प्रक्रम पर उन पर चर्चा करना नहीं चाहता।

केवल तीन बिन्दु जरूरी हैं जिनका मैं उत्तर देना जरूरी समझता हूँ। पहला बिन्दु है जिसे श्री लश्कर ने अपने संशोधन द्वारा उठाया है। इनका संशोधन "असम में अनुसूचित जातियों की सुरक्षा, शब्दों को समावेश करने के बारे में है। मैं यह समझने में बिल्कुल असफल हूँ कि इन शब्दों के समावेश से उनका क्या आशय है। यदि ये शब्द समाविष्ट कर दिये गये होते तो इसका अर्थ होगा कि असम में अनुसूचित जातियाँ प्रतिनिधित्व लेने की अधिकारी नहीं होती जिसे इस अनुच्छेद के द्वारा केन्द्रीय संसद के निम्न सदन में दिए जाने का प्रस्ताव है। क्योंकि यदि 'असम में अनुसूचित जातियों की सुरक्षा' उसी प्रकार रहते हैं बिना किसी अन्य उपबंध के तो मेरी समझ में नहीं आता कि असम की अनुसूचित जातियों को प्रतिनिधित्व के अधिकार से वंचित करने के अतिरिक्त, जो इनको दिए जा रहे हैं; इसके अन्य क्या परिणाम होंगे? यदि मैं उनको सही समझता हूँ तो वह मामला, जिसे उन्होंने उठाया है ठीक प्रकार से संविधान के अनुच्छेद 67 (ख) से संबंधित है जिसे पहले ही पारित किया जा चुका है। उस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि विधानमंडल में प्रतिनिधित्व का अनुपात आवादी से निश्चय ही संबंधित होना चाहिए। उसमें यह लिखा गया है कि केन्द्र के निम्न सदन में प्रतिनिधित्व 7,50,000 व्यक्तियों के लिए एक प्रतिनिधि से कम न होगा अथवा 5,00,000 की जनसंख्या के लिए एक प्रतिनिधि से अधिक नहीं होगा। वे जो कुछ कह रहे थे उसके अनुसार – और मुझे मान लेना चाहिए कि मेरे लिए यह पूर्णतः असंभव था कि मैं उसे सुनूं जो वे कह रहे थे – लेकिन यदि मैंने इसका उद्देश्य समझा होता, तो वह इस धारणा के प्रतीत होते हैं कि सिलहट जिले के विभाजन के कारण अनुसूचित जातियों की असम में जनसंख्या बहुत कम हो गई है और वहाँ ऐसी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए जैसी हमने लिखी है जैसे 7,50,000 अथवा 5,00,000 जिससे ये सोचते हैं कि असम की अनुसूचित जातियाँ कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं करेंगी। लेकिन मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि अनुच्छेद 67(5) (ख) का उपबंध अनुसूचित जातियों पर लागू नहीं होता। यह चुनाव क्षेत्र पर लागू होता है जिसका अर्थ है कि यदि एक चुनाव क्षेत्र में 7,50,000 संख्या है तो एक सीट होगी। यह हो सकता है कि उस चुनाव क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या बहुत कम हो। लेकिन वह परिसीमन समिति को अथवा संसद को उस विशेष क्षेत्र में अनुसूचित जातियों को एक सीट देने से नहीं रोकेगी। अतः उनका भय मेरे फैसले में निराधार है।

अब मैं सरदार हुक्म सिंह द्वारा लाये गये संशोधन पर आता हूँ जिसमें सुझाव दिया गया है कि ऐसा उपबन्ध किया जायँ जिससे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन–जातियां उन सीटों पर चुनाव लड़ सकें जो सामान्यतः अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि प्रारूपण समिति ने जानबूझ कर इसे छोड़ा है। मैं नहीं सोचता कि वह सही हैं। यह स्वीकार किया गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उन सीटों पर चुनाव लड़ने का अधिकार होगा जो आरक्षित सीटें नहीं हैं अर्थात् अनारक्षित सीटें हैं। यह सलाहकार समिति की रिपोर्ट है जो सदन द्वारा पहले ही स्वीकार की जा चुकी है। वह कारण कि क्यों वह विशेष उपबन्ध अनुच्छेद 292 में नहीं रखा गया है यह है कि यह इस स्थान पर उपयुक्त नहीं है। इस प्रस्ताव को चुनाव से सम्बन्धित कानून में स्थान मिलेगा जिससे विधानसभा अथवा विधायी हैसियत वाली विधानसभा को विचार करना होगा। इसलिए उन्हें इस आधार पर भयभीत नहीं होना चाहिए।

मेरे मित्र श्री पिल्लई द्वारा उठाये गये बिन्दुओं के बारे में कि जनसंख्या जिसके अनुसार सीट आरक्षित की जाएगी नवीन जनगणना द्वारा प्राक्कलित की जानी चाहिए। मामले पर इस सदन में बहुत से अवसरों पर वाद–विवाद हो चुका है। तब मैंने कहा था कि सरकार के लिए नई जनगणना कराने का वायदा करना असंभव है, लेकिन सरकार ने अपना मस्तिष्क खुला रखा है। यदि यह संभव हुआ तो सरकार अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्राक्कलन करने के लिए जिससे कुल प्रतिनिधित्व परिकलित किया जा सके जिसके लिए वे अनुच्छेद 292 के अनुसार हकदार होंगे, नयी जनगणना, करवा सकती है। सरकार यह भी सुझाव दे रही है कि यदि किसी दशा में नई गणना कराना संभव नहीं हुआ तो वह मतदाताओं की संख्या के आधार पर इन जातियों की जनसंख्या का अनुमान लगायेगी, जिसका हिसाब उनसे लगाया जा सकेगा। इस प्रकार हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे जिसे हम जनसंख्या का मोटा और तैयार प्राक्कलन कहेंगे। इसके बाहर जाने की बात मैं सोच भी नहीं सकता।

अन्य सभी संशोधनों का मैं विरोध करता हूँ।

[अनुच्छेद 292 डॉ. अम्बेडकर के प्रस्ताव से संशोधित रूप में संविधान में जोड़ा गया।]

अनुच्छेद 293

*__माननीय सभापति :__ डॉ. बी. आर. अम्बेडकर।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं कुछ कहना आवश्यक नहीं समझता।

[बिना किसी संशोधन के अनुच्छेद 293 संविधान में जोड़ा गया]

अनुच्छेद 294

**__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :__ श्रीमान् मैं प्रस्तावित करता हूँ :

राज्य की विधानसभाओं में अल्पसंख्यकों के लिए स्थानों का आरक्षण

"कि अनुच्छेद 294 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए —

294. (1) प्रथम अनुसूची के भाग (I) अथवा भाग (III) में उल्लखित प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों, और अनुसूचित जनजातियों के लिए, असम के जन जाति—क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर कुछ समय के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे।

(2) असम राज्य की विधानसभा में स्वशासी जिलों के लिए भी स्थान आरक्षित रहेंगे।

(3) इस अनुच्छेद के खण्ड (1) के अधीन किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस सभा के स्थानों की समस्त संख्या से यथाशक्य वही होगा जो यथास्थिति उस राज्य में की अनुसूचित जातियों की, अथवा उस राज्य की या उस राज्य के भाग की अनुसूचित जनजातियों की, जिनके सम्बन्ध में स्थान इस प्रकार आरक्षित हैं, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की समस्त जनसंख्या से है।

(4) असम राज्य की विधानसभा में किसी शासी जिले के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का उस सभा में स्थानों की समस्त संख्या से अनुपात उस अनुपात से कम न होगा जो कि उस जिले की जनसंख्या का उस राज्य की समस्त जनसंख्या से है।

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 24 अगस्त, 1949, पृ. 662

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 24 अगस्त, 1949, पृ. 663

(5) शिलांग के छावनी व नगर क्षेत्र से मिलकर बने हुए निर्वाचन–क्षेत्र को छोड़कर असम राज्य के किसी स्वशासी जिले के लिए आरक्षित स्थानों के निर्वाचन–क्षत्रों में उस जिले के बाहर का कोई क्षेत्र समाविष्ट न हो।

(6) कोई व्यक्ति, जो असम राज्य के किसी स्वशासी जिले की अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है, उस राज्य की विधानसभा के लिए छावनी और नगर क्षेत्र से मिलकर बने हुए निर्वाचन–क्षेत्र को छोड़ कर उस जिले के किसी निर्वाचन–क्षेत्र से निर्वाचित होने का पात्र न होगा।

यह अनुच्छेद हूबहू वही है जो मूल अनुच्छेद के प्रारूप संविधान में है। मात्र संशोधन यह है कि मुसलमानों और ईसाइयों के लिए स्थानों के आरक्षण के लिए उपबन्ध अनुच्छेद 294 के खण्ड (1) में छोड़ दिया गया है वह इस सभा द्वारा इस विषय पर लिए गये फैसले के अनुसार है।

अनुच्छेद 295–क

*माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन् प्रस्तावित करता हूँ :

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष के पश्चात् स्थानों का आरक्षण न रहेगा।

295–क इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण सम्बन्धी उपबन्ध, संविधान के आरंभ से दस वर्ष के कालावधि की समाप्ति पर प्रभावी न रहेंगे।

यह भी सदन के फैसले के अनुसार है मैं कोई स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं समझता।

**माननीय सभापति :– डॉ. अम्बेडकर।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (मुम्बई – सामान्य) : सभापति महोदय, यहाँ केवल चार संशोधन हैं जिनके बारे में मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगा। अपने सर्वप्रथम मित्र श्री भार्गव का संशोधन लूंगा, और यह कहूँगा कि मैं उनके संशोधन को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मुझे पता चला है कि प्रतिवेदन में के साधारण कलेवर में जो इस सदन के लिए बनाया गया था उसमें नामिनेशन द्वारा एन्ग्लोइण्डियन

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 24 अगस्त, 1949, पृ. 674

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 24 अगस्त, 1949, पृ. 696–697

प्रतिनिधित्व की समय–सीमा का कोई जिक्र नहीं था। मैं समझता हूँ कि प्रतिवेदन पर बाद की बहस में मेरे मित्र श्री भार्गव द्वारा लाया गया एक संशोधन है। मैं समझता हूँ कि उनका संशोधन सदन द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। अतः मैं उनके वर्तमान संशोधन को स्वीकार करने के लिए बाध्य हूँ।

दूसरे, श्री नजीरूद्दीन अहमद द्वारा लाये गये संशोधन के बारे में, मैं समझता हूँ, कि इसका एक भाग मेरे मित्र श्री कृष्णमाचारी के संशोधन से मिलता था जिसे मैं स्वीकार करता हूँ। मैं वर्तमान स्थिति में अपने मस्तिष्क में भी स्वयं बिल्कुल स्पष्ट नहीं हूँ कि क्या खण्ड का अर्थ है कि समय–सीमा संविधान के लागू होते ही आरंभ होगी अथवा नई संसद के प्रथम चुनाव की तारीख से आरंभ होगी। लेकिन मैं जो कुछ इस स्तर पर कह सकता हूँ वह यह है कि यह वह मामला है जिस पर प्रारूपण समिति विचार करेंगी और यदि आवश्यक हुआ तो इरादे को पूर्ण करने के लिए वह संशोधन लायेंगे कि वह अवधि प्रथम संसद की प्रथम बैठक से होनी चाहिए।

मेरे मित्र श्री मुनीस्वामी पिल्लई और श्री मनमोहन दास द्वारा दिए गये तर्कों के बारे में, मुझे दुःख है कि वह संशोधन स्वीकार करना संभव नहीं होगा। उनका प्रस्ताव है कि जब वे खण्ड को यथावत् छोड़ने के लिए तैयार हैं, वह फिरसे दस वर्ष बढ़ाने के लिए संसद को शक्तियाँ प्रदान करने का प्रस्ताव है। जैसा मैंने कहा था, हमने सबसे पहले, इस विषय को संविधान में समाविष्ट किया था और मैं नहीं सोचता कि संविधान के संशोधन के सिवाय, हमें इसमें किसी परिवर्तन की इजाजत देनी चाहिए।

मैं अनुसूचित जातियों के उन सदस्यों की टिप्पणी पर एक दो शब्द कहना चाहूँगा जो किसी हद तक इस अनुच्छेद द्वारा लगाई गई सीमा पर प्रचण्ड और क्रोध में बोले हैं। मुझे कहना है कि उनके पास वास्तव में शिकायत का कोई कारण नहीं था क्योंकि 10 वर्ष की सीमा का फैसला वास्तव में वह फैसला था जो उनकी स्वीकृति से हुआ था। मैं स्वयं अधिक समय का दबाव डालने के लिए तैयार था क्योंकि मैं भी महसूस करता हूँ कि जहाँ तक अनुसूचित जातियों का सम्बन्ध है, उनके साथ वह व्यवहार नहीं होता जो अन्य अल्पसंख्यकों के साथ होता है। उदाहरण के लिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ मुसलमानों के लिए विशेष आरक्षण 1892 में आरंभ हो गया था, अर्थात् तब से आरंभ हो गया था। इसलिए, मुसलमानों ने कमोबेश 60 वर्षों तक इन विशेष अधिकारों का व्यवहारिक रूप से उपयोग किया है। ईसाइयों को यह विशेषाधिकार 1920 के संविधान में प्राप्त हो गया था। और उन्होंने इनका उपयोग 28 वर्ष तक किया। अनुसूचित जातियों को यह केवल 1935 के संविधान में मिले। विशेष आरक्षण का व्यवहारिक लाभ वर्ष 1937 में आरंभ हुआ था तब वह अधिनियम

लागू हुआ। दुर्भाग्य से, उनको इसका लाभ दो वर्ष तक मिला। व्यवहारिक तौर पर 1939 से वर्तमान क्षण तक अथवा 1946 तक, संविधान निलंबित कर दिया गया था पर अनुसूचित जातियां इनके लाभ भोगने की स्थिति में नहीं थी जो उन्हें 1935 के अधिनियम द्वारा दिए गये थे, और मेरे विचार में, संविधान द्वारा अनुसूचित जातियों को लम्बे समय के लिए आरक्षण देना अधिक उचित और उदार होता। लेकिन जैसा मैंने कहा, यह सब सदन के द्वारा स्वीकार किया गया था श्री नागप्पा और मुनीस्वामी पिल्लई तथा इन सभी सदस्यों द्वारा स्वीकार किये गये थे। यदि मैं ऐसा कहूँ, मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ और मैं सोचता हूँ इन उपबन्धों पर दुबारा विचार करना सही नहीं है। यदि 10 वर्ष के अन्त में अनुसूचित जातियां पाएं कि उनकी दशा सुधरी नहीं है अथवा वे समय अवधि को दुबारा बढ़ाना चाहें तो यह उनकी क्षमता के बाहर नहीं होगा अथवा उस आरक्षण को बढ़ाने का नया रास्ता निकालने की चतुराई खोजेंगे जिसका वायदा उनसे यहाँ किया जा रहा है।

श्री. ए. वी. ठक्कर (सौराष्ट्र) : अनुसूचित जनजातियों के बारे में क्या है जो पैमाने पर नीचे हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : अनुसूचित जनजातियों के लिए मैं बहुत अधिक समय देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वे सभी जो अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों क आरक्षण के बारे में बोले हैं वे ऐसे आग्रही हो गये कि यह बात दस वर्ष में समाप्त होनी चाहिए। मैं उनसे पूरी बात "एडमण्ड बुर्के के शब्दों में, कहना चाहता हूँ : "बड़े साम्राज्य और छोटे दिमाग एक साथ सही नहीं चलते।"

माननीय सभापति : अब मैं एक के बाद एक संशोधन को रखूंगा।

श्री युधिष्ठर मिश्र (उड़ीसा राज्य) : श्रीमान् मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहूँगा।

(संशोधन वापस लिया गया)

माननीय सभापति : संशोधन संख्या 40 (सूची I—पाँचवाँ सप्ताह)

श्री एस. नागप्पा : डॉ. अंबेडकर द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को देखते हुए मैं अपन संषोधन के लिए दबाव नहीं डालूंगा।

(सभा समाप्त हाते ही संशोधन वापिस ले लिया गया)।

सभापति : संशोधन संख्या 99 (सूची II, पाँचवाँ सप्ताह)।

श्री. वी. आई. मुनीस्वामी पिल्लई :— 25 मई को मैं सदन में उपस्थित नहीं था, जब अल्पसंख्यकों की दूसरी समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा था। तो

भी, डॉ. अम्बेडकर ने जो कहा है उसके अनुसार, मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहूँगा।

[संशोधन सभा समाप्त होते ही वापिस लिया गया।]

*__श्री नजीरुद्दीन अहमद__ : मेरे संशोधन का सिद्धांत वस्तुतः श्री टी. टी. कृष्णमाचारी के संशोधन द्वारा स्वीकार कर लिया है। इसलिए मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

(संशोधन सभा समाप्त होते ही वापिस ले लिया गया।)

माननीय सभापति : अगला संशोधन संख्या 113 पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा रखा गया है। इसे डॉ. अम्बेडकर द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

प्रश्न है–

"संशोधनों के संशोधन की प्रथम सूची (पाँचवाँ सप्ताह) के संशोधन संख्या 38 में प्रस्तावित अनुच्छेद 295(क) में शब्द "संविधान" के पीछे कोष्ठक और अक्षर"(क)" जोड़ा जाय और "राज्य" शब्द के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाय–

(ख) "एंग्लो इण्यिन, जाति के लोकसभा अथवा राज्यों की विधानसभाओं में नामनिर्देशन द्वारा प्रतिनिधित्व के बारे में"

(संशोधन स्वीकार किया गया।)

माननीय सभापति : अगला संशोधन संख्या 114 प्रारूपण समिति का है।

प्रश्न है –

"(पांचवे सप्ताह) संशोधन के संशोधन की प्रथम सूची के संशोधन संख्या 38 में प्रस्तावित नये अनुच्छेद 295क में निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए :

"परन्तु इस अनुच्छेद में कुछ भी लोकसभा में अथवा राज्य की विधानसभा में प्रतिनिधित्व को प्रभावित नहीं करेगा जब तक मौजूद सदन अथवा राज्य की विधान–सभा, जैसा भी मामला हो, भंग नहीं हो जाती।"

[संशोधन अंगीकार किया गया, अनुच्छेद 295–क संशोधित रूप में, संविधान में जोड़ा गया]

* * * *

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 25 अगस्त, 1949, पृ. 698

अनुच्छेद 296

*श्री नजीरुद्दीन अहमद – मेरा मुद्दा है कि संशोधन को तकनीकी और सारवान आधारों पर अस्वीकार कर दिया जाए।

श्री. टी. टी. कृष्णमाचारी (मद्रास : सामान्य) : श्रीमान्, क्या मैं निवेदन करूँ कि मेरे माननीय मित्र व्यवस्था के इस प्रश्न को उठाकर पूरी तरह नियम विरुद्ध है क्योंकि यह मामला सदन के द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। आदरणीय सदस्य के पास दो पूरे दिन की सूचना है यदि वे दो दिन में संशोधन के महत्व को नहीं समझ पाये हैं तो मुझे विश्वास है कि वे दो माह में भी नहीं समझ सकते।

माननीय सभापति : क्या सुझाव वह है कि स्थानों के आरक्षण के बारे में पिछली बार जब प्रश्न पुनः खोला गया था तब अन्य प्रश्नों में इस एक मुद्दे पर भी विचार हुआ था और तब इस मुद्दे पर भी फैसला ले लिया गया था।

श्री टी. टी. कृष्णमाचारी : मेरा सुझाव है कि यदि मुसलमानों और आंग्ल भारतीयों को अल्पसंख्यक स्वीकार नहीं किया जाता, यह मुद्दा उत्पन्न नहीं होता।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : बिल्कुल नहीं। मेरा निवेदन है कि जिसपर विचार हुआ था वह प्रश्न विधानमण्डलों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व का था। लेकिन इस नये अनुच्छेद का संबंध भिन्न विषय से है – जैसे सचिवालय और जिला इत्यादि में छोटे–छोटे कार्य प्राप्त करने के लिए अल्पसंख्यकों को आरक्षण। विधानमंडल के प्रतिनिधित्व के विषय में सरदार पटेल से परामर्श लिया गया था और हम विधान मंडल में आरक्षण न देने के लिए सहमत थे।

माननीय बी. आर. अम्बेडकर (मुम्बई : सामान्य) : श्रीमान, स्थिति यह है। अल्पसंख्यक समिति के प्रतिवेदन में प्रावधान था कि सभी अल्पसंख्यकों को दो सुविधाएं या विशेषाधिकार होने चाहिए जैसे विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व और नौकरियों में प्रतिनिधित्व। प्रतिवेदन का पैरा 9 में, जिसे सदन ने स्वीकार कर लिया है, वह हैः

"अखिल भारतीय और प्रान्तीय सेवाओं में अल्पसंख्यकों की मांगें इन नौकरियों में नियुक्तियाँ दक्षता की दृष्टि से प्रशासन में रखी जाएंगी।"

यह मूल प्रतिपादन इस सदन द्वारा पारित कर दी गई थी। बाद में परामर्श समिति दो अल्पसंख्यक मुसलमान व ईसाई की स्वीकृति के नतीजे पर आई – कि इनको अल्पसंख्यक नहीं माना जाना चाहिए। जब सदन ने अब यह स्वीकार कर

---

*· सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 26 अगस्त, 1949, पृ. 702

लिया है कि अल्पसंख्यक केवल अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित जनजातियाँ हैं तो प्रारूपण समिति स्पष्टतः सदन के फैसले से और ऐसे फैसले के अनुसार अनुच्छेद को बदलने के लिए आबद्ध है।

माननीय सभापति : यहाँ व्यवस्था का प्रश्न है कि अल्पसंख्यकों से संबंधित अनुच्छेद पर दुबारा विचार करते समय जो फैसला हुआ था, वह स्थानों के आरक्षण के बारे में है और नौकरियों के प्रश्न पर विचार नहीं हुआ था और यह प्रश्न तय नहीं हुआ था।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जैसा मैं इसे समझता हूँ, फैसला यह था कि वे अल्पसंख्यक नहीं हैं और इसीलिए वे इन दोनों में से कोई भी विशेषाधिकार को पाने वाले नहीं हैं।

अनुच्छेद 299

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर** : श्रीमान, मैं पेश करने की अनुमति चाहता हूँ :

"कि अनुच्छेद 299 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखा जाए :

अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी

"299. (1) अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।

(2) इस संविधान के अधीन अल्पसंख्यकों के लिए उपबन्धित रक्षोपायों से सम्बद्ध सब विषयों की जांच करना तथा उन पर कार्यवाही होने के सम्बन्ध में जैसे राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट अन्तरालों पर राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना विशेष पदाधिकारी का कर्त्तव्य होगा तथा राष्ट्रपति ऐसे सब प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगा।"

मूल अनुच्छेद में उपबन्धित था कि केन्द्र और प्रत्येक प्रदेश दोनों में एक–एक अल्पसंख्यक अधिकारी होना चाहिए। अब यह महसूस किया गया है कि अल्पसंख्यकों की संख्या अत्यंत घट गई है, इस प्रकार के बोझिल उपबन्ध प्रत्येक राज्य में वांछनीय नहीं है। मूल अनुच्छेद का उद्देश्य पूरा हो जायेगा यदि केन्द्र एक अधिकारी नियुक्त करता है और उसे राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करने के लिए कहता है।

* * * *

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 26 अगस्त, 1949, पृ. 703

तीसरी अनुसूची

*__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :__ श्रीमान मेरा प्रस्ताव है कि :

"घोषणा के प्रारूप I की तीसरी अनुसूची में, 'और निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान अथवा शपथपूर्वक' शब्दों कोष्ठक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए :

सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ।

"कि 'घोषणा के तीसरे प्रारूप की तीसरी अनुसूची में :

(क) 'घोषणा' शब्द के स्थान पर प्रतिज्ञान या शपथ' शब्द रखे जाएं;

(ख) 'सत्यनिष्ठा से और शुद्ध अन्तःकरण से वायदा करना और घोषणा करना' शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए :

सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ

ईश्वर की शपथ लेता हूँ

"घोषणा के प्रारूप IV की यह तीसरी अनुसूची है :

(क) 'घोषणा' शब्द के स्थान पर 'प्रतिज्ञान अथवा शपथ' रखे जाएं;

(ख) 'सत्यनिष्ठा और शुद्ध अन्तःकरण से वायदा करता हूँ और घोषणा करता हूँ' के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएँ :

सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ

ईश्वर की शपथ लेता हूँ

"प्रारूप V में घोषणा की यह तीसरी अनुसूची है :

(क) पहली अनुसूची के भाग I में तत्समय विनिर्दिष्ट" शब्दों और अंकों को हटा दिया जाए;

(ख) 'सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ अथवा शपथ लेता हूँ' शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाए :

सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ

ईश्वर की शपथ लेता हूँ

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 26 अगस्त, 1949, पृ. 706–707

"प्रारूप VI में घोषणा की यह तीसरी सूची है:

(क) पहली अनुसूची के भाग I में तत्समय विनिर्दिष्ट शब्दों और अंक को हटा दिया जाए;

(ख) 'सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ अथवा शपथ लेता हूँ' शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए:

सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ

ईश्वर की शपथ लेता हूँ

"तीसरी अनुसूची में घोषणा के प्रारूप VII में :

(क) 'घोषणा' शब्द के स्थान पर 'प्रतिज्ञान अथवा शपथ' शब्द रखे जाएं;

(ख) पहली अनुसूची में भाग I में तत्समय विनिर्दिष्ट शब्द व अंक हटा दिए जाएं;

(ग) 'सत्यनिष्ठा पूर्वक और शुद्ध ह्रदय से वचन देता हूँ और घोषणा करता हूँ' शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएं:

सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ

ईश्वर की शपथ लेता हूँ

"तीसरी अनुसूची में घोषणा के प्रारूप VIII में :

(क) 'घोषणा' शब्द के स्थान पर 'प्रतिज्ञान अथवा शपथ' शब्द रखे जाएं;

(ख) 'सत्यनिष्ठा एवं शुद्ध ह्रदय से वचन देता हूँ और घोषणा करता हूँ' शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएं :

सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ

ईश्वर की शपथ लेता हूँ,

श्रीमान मेरा यह भी प्रस्ताव है कि :

"तीसरी अनुसूची में, 'घोषणा का प्रारूप' शीर्षक के स्थान पर 'सत्यनिष्ठा अथवा शपथ का प्रारूप' शब्द रखे जाएं।

माननीय सभापति : मैं मानता हूँ कि शीर्षक बदलने में कोई एतराज नहीं है।

नजीरुद्दीन अहमद : श्रीमान, कोई एतराज नहीं है।

माननीय सभापति : तब शीर्षक बदला जाता है।

* * * *

*माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमान, मैं प्रस्तावित करता हूँ :

"कि तीसरी अनुसूची में घोषणा के प्रारूप VI के गवर्नर द्वारा अपने विवेकाधिकार का निर्वहन किए जा रहे कर्त्तव्यों के किसी मामले में खासतौर से आज्ञा दिये जाने पर'' शब्द हटा दिए जाएं।

यह आवश्यक है क्योंकि हम गर्वनर के पास बिल्कुल भी विवेकाधिकार नहीं छोड़ना चाहते।

श्री एच. वी. कामथ : क्या मैं डॉ. अम्बेडकर को याद दिलाऊं कि 143 अभी तक संशोधित नहीं हुआ है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : हाँ, वह मुझे याद है।

माननीय सभापति : हमने सभी विवेकाधिकार निर्णय समाप्त कर दिए हैं।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : प्रारूप VI के अन्त में आई वाक्य–रचना के सम्बन्ध में कठिनाई उत्पन्न होती है।

माननीय सभापति : इसी कारण डॉ. अम्बेडकर ने इसके हटाने का प्रस्ताव रखा है।

**माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इस संशोधन के प्रस्तावित करने में कुछ सदस्यों की भावनाओं को अप्रसन्न करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी जिन्होंने 'ईश्वर' को पंक्ति के नीचे रखे जाने के आधार पर मसौदे के विरुद्ध बयान दिए। श्रीमन, इस मामले में मुझे स्वीकार करना चाहिए कि वास्तव में हमारी कोई सदृश नीति नहीं है जिसे हमने माना हो, उदाहरण के लिए अनुच्छेद 49 जो पारित किया जा चुका है। मैं सोचता हूँ ईश्वर को पंक्ति के ऊपर रखा गया होता और सत्यनिष्ठा को पंक्ति के नीचे। अनुच्छेद 81 में हमने सत्यनिष्ठा को पहले रखा है और शपथ को उसके पश्चात्। इस अनुच्छेद में जिसके लिए हमने संशोधन रखे हैं हमने मुख्य खण्ड की भाषा को माना है जो इस प्रकार है ' सत्यनिष्ठा अथवा शपथ'। प्रमुख खण्ड की भाषा होने के कारण तर्क पूर्ण यह था कि सत्यनिष्ठा को पंक्ति के ऊपर रखा गया और शपथ को नीचे। यह निपट तार्किक बात है। अब वह कारण, कि हमने सत्यनिष्ठा को पहले रखना क्यों वांछनीय समझा और शपथ को बाद में, यह था कि इस देश में एक हिन्दू को जब गवाही देने के लिए अदालत में पुकारा जाता है तो आम तौर से सत्यनिष्ठा से आरंभ होता है। केवल ईसाई, एंग्लोइंडियन और मुसलमान ही शपथ

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 26 अगस्त, 1949, पृ. 711–712

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 26 अगस्त, 1949, पृ. 711–712

लेते हैं। हिन्दू ईश्वर का नाम लेना/उच्चारण करना पसंन्द नहीं करते। इसलिए मैंने सोचा कि इस प्रकार के मामले में हमें बहुसंख्यकों की भावनाओं और व्यवहार का आदर करना चाहिए और परिणामस्वरूप हमने सत्यनिष्ठा और शपथ की स्थिति बताने के लिए इस विशेष प्रकार के तरीके को अपनाया। जैसा मैंने कहा, मेरा न तो यह विचार है और न वह। मैं सदन की इच्छाओं को अपनाने के लिए पूर्णतः तत्पर हूँ। यदि सदन का विचार है कि श्री कामथ का संशोधन अपनाया जाए और मैं निवेदन करता हूँ कि जहाँ तक हिन्दुओं का संबंध है जो व्यवहार इस देश में चल रहा है उसके यह विपरीत होगा तब मैं जो सुझाव देता हूँ वह यह है कि इस स्तर पर मेरे ही संशोधनों को इस स्वतंत्रता के साथ इजाजत मिलेगी कि प्रारूपण समिति उन सभी अनुच्छेदों पर विचार करेगी जो इस संविधान में सम्पूर्ण मामले को ठीक करने के लिए हटा गये है। यहाँ इनको बदलना और अन्य अनुच्छेदों को जैसे हैं वैसे ही छोड़ना उचित नहीं होगा।

श्री महावीर त्यागी : ईश्वर के रास्ते में व्याकरण को मत आने दो।

श्री एच. वी. कामथ : अनुच्छेद 81 के बारे में सदन के सम्मुख कोई संशोधन नहीं था। यह कहा गया था कि प्रत्येक सदस्य को संसद के प्रत्येक सदन में तीसरी अनुसूची के अनुसार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करेगा और ईश्वर की शपथ लेगा। लेकिन सदन ने अबतक जो स्वीकार किया है वह राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के लिए शपथ अथवा सत्यनिष्ठा है और, वह उस नमूने में है जिसे मैंने आज अपने संशोधन में रखा है।

माननीय सभापति : इस विषय पर बहस करना आवश्यक नहीं है बेहतर होगा कि आप इस पर मतदान करा लें। यह वह प्रश्न नहीं है जिसपर बहस करने की बहुत गुंजाइश हो। जैसा डॉ. अम्बेडकर ने कहा है, उनके मन में कोई विशेष भावना नहीं है और यदि सदन कोई एक रास्ता तय कराता है, तो वह सभी अनुच्छेदों को उस प्रारूप में रखने की स्वतंत्रता मांगेंगे। इसलिए मैं संशोधन को मत के लिए रखूंगा।

श्री नजरुद्दीन अहमद : मेरे संशोधनों को डॉ. अम्बेडकर ने छुआ तक नहीं है।

माननीय सभापति – यह अलग (बात) है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : 'निष्ठापूर्वक' शब्द के बाद ? "निष्ठापूर्वक" शब्द के पश्चात् मैं इससे कुछ अधिक जोड़ना चाहूँगा। यह काफी नहीं होगा।

माननीय सभापति : वह "स्नेह" शब्द को हटाना चाहते हैं।

(कुछ रूककर)

अच्छा, मैं संशोधन लूंगा।

(निम्न संशोधन अंगीकार किया गया।)

"संशोधनों के संशोधनों की सूची पाँचवां सप्ताह के संशोधन संख्या 56 से 63 में तीसरी सूची के प्रारूप में शपथ अथवा सत्यनिष्ठा से शब्दों के स्थान पर–

सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ

ईश्वर की शपथ लेता हूँ

(स्थानापन्न के लिए प्रस्तावित) निम्नलिखित शब्द रखे जाएं :

"ईश्वर की शपथ लेता हूँ

सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ

(संशोधन अंगीकार किया गया)

माननीय सभापति : मैं इसे लेता हूँ, जहाँ कहीं भी ऐसे समान असुविधाएं इसी क्रम में आती हैं, सदन डा. अम्बेडकर को उसी प्रकार दूसरे अनुच्छेद रखने की इजाजत देता है।

माननीय सदस्य : हाँ

श्री जसपत राय कपूर : क्या मैं सुझाव दूँ कि सभी स्थानों पर जहाँ हमारे पास शब्द "प्रतिज्ञान या शपथ'' शब्द हैं वहाँ हमे "शपथ" पहले और "प्रतिज्ञान" उसके पश्चात् रखने चाहिए यह ऐसा मूल वाक्य में होना चाहिए।

माननीय सभापति : ऐसा ही है। इसे उसी क्रम में रखा जाए जहाँ कहीं भी यह पद आए।

माननीय सभापति : प्रश्न है –

कि "तीसरी अनुसूची में, घोषणा के प्रारूप 1 में संशोधनों के संशोधन की पहली सूची (पाँचवां सप्ताह) में संशोधन सख्या 56 के संदर्भ में, "सभी प्रकार के मनुष्य" शब्दों के स्थान पर "सभी व्यक्ति" शब्द रखे जाएं।

श्री नजीरुद्दीन : यह प्रारूपण समिति पर छोड़ दिया जाए।

माननीय सभापति : इस पर जोर नहीं दिया गया। इसलिए मैं यह मानता हूँ कि इसे हटा दिया गया है।

माननीय सभापति : प्रश्न है –

कि "तीसरी अनुसूची में, घोषणा के प्रारूप VI में "अथवा राज्यपाल द्वारा अपने विवेकाधिकार से किए जाने वाले कार्यों से संबंधित किसी विषय के बारे में विशेष रूप में अनुज्ञात किया जाए" शब्द हटा दिए जाएँ।

(संशोधन अंगीकार किया गया।)

माननीय सभापति : मैं दूसरे संशोधनों को मत के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं समझता क्योंकि मत वही होगा जो दूसरे अनुच्छेदों के लिए था।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : उन्हें नियमानुसार रखा जाय और सदन द्वारा अस्वीकार किया जाए।

***माननीय सभापति** : तब मैं डॉ. अम्बेडकर द्वारा पेश की गई प्रतिज्ञा रखता हूँ, जो श्री कामथ और डॉ. अम्बेडकर के संशोधन से संशोधित हुई है। जो सभी प्रारूपों के बारे में है मैं उन्हें पृथक से पढ़ना आवश्यक नहीं समझता।

(प्रस्ताव स्वीकार किया गया।)

माननीय सभापति : प्रश्न है :

कि" तीसरी अनुसूची संशोधित रूप में, संविधान का अंग है)

(प्रस्ताव स्वीकार किया गया।)

/तीसरी अनुसूची संशोधित रूप में, संविधान में जोड़ी गई।/

****माननीय सभापति** : मैं नहीं समझता कि यह मानने के लिए सदस्यों के पास कोई औचित्य है कि दूसरे सदस्य संशोधनों का अध्ययन नहीं करते।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मुझे कुछ गंभीर सदस्यों ने विश्वास दिलाया है कि उन्होंनें संशोधनों को नहीं पढ़ा है। इसलिए गंभीर स्वभाव के संशोधनों के संबंध में, मेरा कहना है कि सदन को उन पर विचार करने के लिए समय रखना चाहिए।

माननीय सभापति : यदि किसी विशेष संशोधन के बारे में यदि कोई प्रश्न उठता है, और यदि सदस्य समय चाहते हैं हम उस पर उसी समय विचार करेंगे। आइए अब हम अनुच्छेद–दर–अनुच्छेद पर चलते रहें –

आदरणीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (बम्बई–सामान्य) : मैं कहना चाहूँगा कि ये संशोधन परसों शनिवार को परिचालित किए गये थे।

माननीय सभापति : क्या वे शनिवार को परिचालित किए गये थे?

कुछ आदरणीय सदस्य : जी हाँ।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं समझता हूँ शनिवार शाम को, जहाँ तक नजीरुद्दीन अहमद का सम्बन्ध है, लगभग चालीस संशोधन इनके नाम पर शेष हैं।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : केवल बीस।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह सम्पूर्ण प्रथम सूची को पूरा करते है। इसलिए मेरा निवेदन है कि शिकायतों को, जो केवल इन्हीं से संबंधित हैं, इनके पास समय नहीं था, इसलिए इन्हें निराधार माना जाए।

* * * *

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 26 अगस्त, 1949, पृ. 717

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 29 अगस्त, 1949, पृ. 721

संघ सूची

प्रविष्टि I

***माननीय सभापति** : आपने (डॉ. पी. एस. देशमुख) मूल रूप में इस संशोधन की सूचना नहीं दी थी, पहले अवसर पर भी नहीं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह एक संशोधन का संशोधन नहीं है।

माननीय सभापति : यह पूर्णतः नया संशोधन है।

डॉ. पी. एस. देशमुख : जहाँ तक अनुच्छेदों का सम्बन्ध है, मैं इस संशोधन को उसी सिद्धांत पर पेश कर रहा हूँ जिस पर डॉ. अम्बेडकर पेश करते रहे थे।

माननीय सभापति : पिछली बार प्रविष्टि I की कोई सूचना नहीं थी। यह पहला मौका है कि हमारे पास इस प्रविष्टि के लिए एक संशोधन है।

डॉ. सी. एस. देशमुख : यह एक तथ्य है श्रीमान यदि डॉ. अम्बेडकर महसूस करते हैं कि इस प्रविष्टि के शब्दों को बदलना आवश्यक है, तो उन्हें कदाचित इसे स्वीकार कर लेना चाहिए, अन्यथा मैं इसे वापिस ले लूंगा।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह प्रविष्टि I की विस्तृत व्याख्या मात्र है। आपने नियम बनाया था कि हमें एक प्रविष्टि पर 5 मिनट से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए और अब पहले से ही पांच मिनट हो गये हैं।

माननीय सभापति : जैसा डॉ. अम्बेडकर ने इशारा किया है, यह प्रविष्टि की विस्तृत व्याख्या मात्र है, हमें विचार करने के लिए उनपर छोड़ देना चाहिए। मैं नहीं समझता, इन मामलों पर हमें बहुत बहस करनी चाहिए खासतौर पर जब वे नये विचार न हों।

(प्रविष्टि I संघ सूची में जोड़ी गई)

* * * *

---

*. सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 29 अगस्त, 1949, पृ. 722

प्रविष्टि–2

*__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :__ श्रीमान, मैं प्रस्तावित करता हूँ –

कि "प्रथम सूची के प्रविष्टि 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए –

"2 केन्द्रीय आसूचना और अन्वेषण व्यूरो"

जोड़े गए केवल शब्द और ''अन्वेषण'' हैं। अन्यथा प्रविष्टि वही है जो मसौदे में मौजूद थी।

श्री महावीर त्यागी : इसके जोड़ने का महत्व क्या है?

क्या आप प्रकाश डालेंगे कि आपने ये शब्द क्यों जोड़े?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : विचार यह है कि संघ कार्यालय पर एक ब्यूरो जैसा होना चाहिए जो सम्पूर्ण भारत क्षेत्र में लोगों द्वारा किये जा रहे हर प्रकार के अपराध के लिए सभी सूचना इकट्ठी करेगा और अन्वेषण भी करेगा कि जो सूचना उनको दी गई है वह सही है अथवा नहीं और उसके द्वारा प्रान्तीय सरकार को सूचना देगा कि भारत के अलग–अलग भागों में क्या हो रहा है ताकि वे अपने पुलिस बल का उससे कहीं बेहतर ढंग से प्रयोग करने की स्थिति में आ जाएं। जितनी वे इस सूचना के अभाव में नहीं कर सकते थे।

* * * *

**__माननीय सभापति :__ डॉ. अम्बेडकर।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन मैं अपने मित्र नजीरुद्दीन अहमद द्वारा लाये गये किसी संशोधन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ ये संशोधन गड़बड़ मस्तिष्क के परिणाम प्रतीत होते हैं।

माननीय सभापति : डॉ. अम्बेडकर को कठोर भाषा प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : संशोधन 146 का उद्देश्य और अन्वेषण" शब्दों को हटाना है। ''अन्वेषण'' शब्द हटाने का आधार जैसा मेरे मित्र श्री नजीरुद्दीन अहमद ने सुझाया है।

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 29 अगस्त, 1949, पृ. 724

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 29 अगस्त, 1949, पृ. 724
वही पृष्ठ 726

वह यह है कि केन्द्र और प्रांतों के बीच अधिकारिता का झगड़ा होगा। यदि वह प्रतिष्टि को इस प्रकार समझते हैं, जैसी मैंने प्रस्तावित की है तो मैं ठीक से नहीं समझता कि वे "अन्वेषण'' शब्द दो पश्चात्वर्ती संशोधनों में रहने देने की सम्मति किस प्रकार दे सकते हैं जो उन्होंने प्रस्तावित किए हैं अर्थात् सं. 147 और 148।

माननीय सभापति : केवल 147।

माननीय डॉ. भीमराव अम्बेडकर : उनके पास दूसरा है।

माननीय सभापति : संशोधन संख्या 148 प्रस्तावित नहीं किया गया है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : विषय है, "अन्वेषण शब्द" यहाँ बिल्कुल भी किसी अपराध के "अन्वेषण" करने की इजाजत नहीं देता है और न देगा क्योंकि दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन मामला पृथक से एक पुलिस अधिकारी पर छोड़ दिया गया है। पुलिस अनन्य रूप से राज्य का विषय है, संघ सूची में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए "अन्वेषण'' शब्द का आशय सामान्य जांच से यह पता करना है कि क्या हो रहा है। यह अन्वेषण एक अपराधी पर आरोप–पत्र दाखिल करने की तैयारी नहीं है जो दण्ड प्रक्रिया के अधीन केवल एक पुलिस अधिकारी कर सकता है।

["प्रविष्टि 2 डॉ. अम्बेडकर के संशोधन से संशोधित रूप में,संघ सूची में जोड़ी गई।]

प्रविष्टि 3

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर** : श्रीमान मैं प्रस्तावित करने की प्रार्थना करता हूँ।

"कि सूची I की प्रविष्टि 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएः–

"3. रक्षा, विदेशी मामले अथवा भारत की सुरक्षा से सम्बन्धित कारणों से भारत–क्षेत्र में निवारण निरोध; वे व्यक्ति जो इस प्रकार के निवारण के अधीन है........"

प्रारूप संविधान में मूल प्रविष्टि से इस प्रविष्टि की तुलना करने पर पता चलेगा कि इसमें केवल दो बदलाव हैंः बाहरी मामले' शब्द के स्थान पर अब हमने 'विदेशी मामले' शब्द प्रयुक्त किया है।" ''ऐसे निरोध के अधीन व्यक्ति "एक अभिवृद्धि" है, यह प्रविशिट 3 में नहीं थी। लेकिन यह पहले ही सदन द्वारा भारत सरकार अधिनियम में पारित किया जा चुका है। इसलिए जो प्रस्ताव मैं कर रहा हूँ इसमें कोई बदलाव नहीं है।

---

*. सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 29 अगस्त, 1949, पृ. 727

*माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरे मित्र श्री कामथ द्वारा मुझसे पूछे गये प्रश्न के उत्तर में उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि नागरिकों के निष्कासन के लिए कोई उपबन्ध नहीं हो सकता। यहॉ 'निरोध' हो सकता है और 'निष्कासन' नहीं। निष्कासन कानून केवल अन्य देशीय पर लागू हो सकता है और हमारी सूची में एक प्रविष्टि अन्य देशीय से निपट सकेगी, यदि यह उसे निष्कासित करना चाहता है।

श्री एच. वी. कामथ : सूची में प्रविष्टि कहाँ है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : प्रविष्टि संख्या 191 अब मेरे मित्र डॉ. देशमुख द्वारा मुझसे पूछे गये प्रश्न के बारे जिसमें वे चाहते हैं कि ''राज्य से सम्बन्धित प्रश्न'' शब्द बदल दिए जाने चाहिएं। मेरे विचार में, वह सीमित प्रविष्टि रही होगी, और हमारी बहुत अच्छी है क्योंकि यह उस विषय–वस्तु को विनिर्दिष्ट करती है, जिसके संबंध में निवारक निरोध का आदेश दिया जा सकता है।

और अब श्री बृजेश्वर प्रसाद लोक सुरक्षा सार्वजनिक सुरक्षा को समाविष्ट करना चाहते हैं।

श्री बृजेश्वर प्रसाद : मैं इसे नहीं चाहता था। मैं केवल यह जानना चाहता था कि क्या ''रक्षा इत्यादि से सम्बन्धित "कारण पद" में "सार्वजनिक सुरक्षा अथवा हित" सम्मिलित है।"

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : हाँ, "भारत की सुरक्षा" बहुत व्यापक पद है।

श्री बृजेश्वर प्रसाद : मैं "भारत की सुरक्षा का हवाला नहीं दे रहा हूँ बल्कि "सार्वजनिक सुरक्षा अथवा हित" की बात कर रहा हूँ।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : अब श्री नजीरुद्दीन अहमद के प्रश्न के बारे में, वे चाहते हैं कि ''ऐसे निरोध के अधीन व्यक्ति'' शब्द को हटा दिया जाए।

माननीय सभापति : नहीं, उन्होंने वह संशोधन पेश नहीं किया। वे केवल "विदेशी'' शब्द के स्थान पर "बाहरी'' शब्द बदलना चाहते हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : हम यहाँ "विदेशी'' शब्द हर स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं और मैं सोचता हूँ यह अच्छा होगा कि हम इसी शब्द का प्रयोग करते रहें।

श्री एच. वी. कामथ : क्या भारत की सुरक्षा वही है जैसी इसके किसी भाग की सुरक्षा?

---

*· सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 29 अगस्त, 1949, पृ. 729–30

और क्या वर्तमान प्रविष्टि अनुच्छेद 275 के अनुरूप हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : हाँ, निःसंदेह।

माननीय सभापति : मैं श्री नजीरुद्दीन अहमद के संशोधन 149 को मत के लिए प्रस्तुत करूंगा।

(संशोधन अस्वीकार किया गया।)

माननीय सभापति : अब मैं श्री देशमुख के संशोधन को पेश करता हूँ।

(संशोधन अस्वीकार किया गया।)

माननीय सभापति : अब मैं डॉ. अम्बेडकर द्वारा पेश प्रविष्टि को पेश करता हूँ।

संघ सूची

प्रविष्टि 4

माननीय सभापति : अब हम प्रविष्टि 4 पर आते हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं प्रस्ताव करता हूँ

"कि सूची I, प्रविष्टि 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए :

"4. नौ सेना, थल सेना और वायु सेना, और संघ का अन्य कोई सशस्त्र बल"।

माननीय सदस्य देखेंगे कि प्रविष्टि बहुत बड़ी है और इसके दो भाग हैं। यह दो भागों में है। प्रविष्टि का पहला भाग संघ द्वारा खड़े किए गये बल से सम्बन्धित है भाग भाग III में अंकित राज्य के बलों से सम्बन्धित है। इस तथ्य की दृष्टि से कि भाग 3 की रियासतों को वही महत्व देने का फैसला किया जो भाग I के राज्यों को प्राप्त है, तो इस प्रविष्टि के दूसरे भाग को हटा देना वांछनीय है। और यदि कोई राज्य आज कोई बल रखता है तो ऐसा होने पर संविधान के अस्थाई/अल्पकालीन उपबन्धों वाले भाग में उपबंध द्वारा उसकी व्यवस्था की जाएगी।

प्रविष्टि के प्रथम भाग के बारे में, यह महसूस किया गया है कि यह विस्तृत है और इतने अधिक शब्द आवश्यक नहीं हैं और थोड़ी कम पदावली जो अब प्रस्तावित

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 29 अगस्त, 1949, पृ. 731

है—जलसेना, थलसेना, और वायुसेना, संघ को सभी शक्तियां देने के लिए बहुत काफी होंगी जो थलसेना, जलसेना, और वायुसेना को बनाये रखने के उद्देश्य के लिए आवश्यक हैं।

*माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : 'संघ के कोई अन्य बल' शब्दों को बनाये रखना आवश्यक है क्योंकि स्थायी सेना के अतिरिक्त यहाँ कुछ अन्य बल भी है जो सशस्त्र बलों में आते हैं जिन्हें केन्द्र रखता है। उदाहरण के लिए, "असम राइफल्स" है जो सीमा सुरक्षा के लिए है। केन्द्र द्वारा संरक्षित कुछ पुलिस बल भी हैं जो भारत के राज्यों के बारे में हैं। इसलिए उनको कानूनी आधार देने के लिए उनको प्रविष्टि 4 में सम्मिलित करना वांछनीय है। मुझे इसका उल्लेख करना होगा कि उनको भारत सरकार अधिनियम, 1935 में प्रविष्टि I में जलसेना, थलसेना, और वायुसेना, से भिन्न रूप में मान्यता प्राप्त है।

माननीय सभापति : मैं सदन के सामने सरदार हुक्मसिंह के संशोधन को रखता हूँ।

(संशोधन अस्वीकार किया गया।)

माननीय सभापति : मैं डॉ. अम्बेडकर द्वारा पेश की गई प्रविष्टि रखता हूँ।

(संशोधन स्वीकार किया गया।)

[यथासंशोधित प्रविष्टि 4 संघ सूची में जोड़ी गई।]

संघ सूची

प्रविष्टि 5

**माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, प्रविष्टि संख्या 5 प्रविष्टि संख्या 64 के साथ पढ़ी जाए प्रतिविष्टि संख्या 64 व्यवसाय नियंत्रण के बारे में है जिसे संसद ने लोगों के हित में आवश्यक घोषित किया है। यह प्रविष्टि संख्या 5 का संबंध प्रतिरक्षा प्रयोजन के लिए उद्योगों के प्रबंध ग्रहण अथवा युद्ध के लिए अभियोजन है। यही महत्वपूर्ण अंतर था। मैं सोचता हूँ कि यदि प्रविष्टि 5 को प्रविष्टि 64 के सदृश बना दिया जाए तो यह युद्ध प्रयास को काफी सीमा तक बाधित करेगी। दोनों

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 29 अगस्त, 1949, पृ. 732

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 29 अगस्त, 1949, पृ. 733

दशाओं में संसद की घोषणा आवश्यक होगी। प्रविष्टि 5 का क्षेत्र प्रविष्टि 64 से कहीं विस्तृत है। विभिन्न लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रविष्टि 5 को प्रविष्टि 64 से भिन्न करना इप्सित है।

(प्रविष्टि 5 संघ सूची में जोड़ी गई।)

प्रविष्टि 6

(प्रविष्टि 6 संघ सूची में जोड़ी गई।)

प्रविष्टि 7

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर** : श्रीमन, मैं प्रस्तावित करता हूँ :

"कि प्रथम सूची की प्रविष्टि 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए :

'7. ''छावनी क्षेत्रों का परिसीमन, ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन, छावनी प्राधिकरणों का ऐसे क्षेत्रों में गठन और शक्तियां और (किराया नियंत्रण सहित) ऐसे क्षेत्रों में आवास स्थान।

यहाँ एक संशोधन मेरे मित्र श्री टी. टी. कृष्णमाचारी के नाम पर है जिसका प्रभाव 'स्थानीय स्वशासन' पद में से 'स्व' शब्द को हटाना मात्र है। जिससे इसे 'स्थानीय शासन' पढ़ा जाए।"

श्री महावीर त्यागी : श्रीमन, क्या मैं सुझाव हूँ कि प्रविष्टि को छोड़ दिया जाए।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर: क्यों? मैं नहीं समझता। यदि आप कोई टिप्पणी करना चाहते हैं, तो हम सुनने के लिए और आपको उत्तर देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

श्री महावीर त्यागी : मैं महसूस करता हूँ कि या तो हमारे संशोधन और मामले संसद पटल पर रखने—पूर्ण अवसर दिये जाएं अथवा ऐसे अनुच्छेद, जो विवादास्पद हैं, हटाने के आदेश दिए जाए।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : वह संशोधन श्री सिधवा के नाम पर 26 जनवरी से है। मेरे मित्र स्थिति से अब अवगत हुए हैं। उनके पास संशोधन देने के

---

*. सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 29 अगस्त, 1949, पृ. 735

लिए बहुत समय था और मैं भी अब कहने के लिए तैयार हूँ कि जैसा वे चाहते हैं अपने पक्ष को बदलाव के साथ स्थापित कर सकते हैं और मैं उनका समाधान करने के लिए तैयार हूँ।

श्री महावीर त्यागी : श्रीमन, हमने डॉ. अम्बेडकर की गति स्वीकार कर ली है। वे बहुत तीव्र गति से जा रहे हैं। हमने उसका कोई विरोध नहीं किया है। लेकिन इन जैसी मदों पर, उन्हें सहमत होना चाहिए.....

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जो आप कहना चाहते हैं, वे क्यों नहीं कहते?

श्री महावीर त्यागी : मेरा निवेदन है कि ऐसे अनुच्छेद जिन पर मतभेद है अथवा जिन पर आदरणीय सदस्य कहते हैं अथवा महसूस करते हैं कि वे एक महत्वपूर्ण संशोधन पटल पर रखना चाहते हैं तो ऐसे अनुच्छेदों को कृपया टाल दिया जाए। यह रास्ते/मार्ग को आसान बनाएगा यह काम को गति देगा।

माननीय सभापति : तब सदन को कल 9 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। जैसे ही वे आते हैं, हम कल सभी संशोधनों को लेंगे, लेकिन मैं फिर और समय नहीं दूंगा।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, जहाँ तक इस संशोधन का संबंध है, मैं पूर्णतः आपके साथ हूँ। यदि मैं भी त्यागी के एतराजों को जान सकता तो मैं सदन में उनके पक्ष से विचार–विमर्श के लिए अभी भी तैयार हूँ।

*__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (मुम्बई : सामान्य) :__ श्रीमन, मेरे मित्र श्री त्यागी द्वारा जो संशोधन रखे गए हैं, उनके उत्तर अपेक्षित हैं। उनके संशोधन विकल्प रूप में हैं। प्रथम स्थान में किराया नियंत्रण सहित गृहवास सुविधा के नियम विषयक सम्पूर्ण भाग को हटाना चाहते हैं। अपने विकल्प संशोधन में वे गृहवास सुविधा के नियम और नियंत्रण को बनाये रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन किराया नियंत्रण शब्द हटाना चाहते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मामला वास्तव में व्यावहारिक ज्ञान का है। यदि मेरे मित्र को 'गृहवास सुविधा के विनियम' शब्द रखने पर एतराज नहीं है जैसा कि उनके विकल्प संशोधनों से स्पष्ट है तो मुझे ऐसा जान पड़ता है कि किराया नियंत्रण गृहवास सुविधा विनियम की शक्तियों के लिए प्रासंगिक है। उद्देश्य को आगे बढ़ाना बिल्कुल असंभव है जैसे गृहवास सुविधा को नियमित करना यदि अधिकारी जिसे ये शक्तियां प्राप्त हैं किन्तु किराया नियंत्रण की शक्तियां नहीं रखता। इसलिए मेरा निवेदन है कि किराया नियंत्रण गृहवास सुविधा के लिए प्रासंगिक है। यदि मेरे

*. सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 29 अगस्त, 1949, पृ. 739

मित्र श्री त्यागी को गृहवास सुविधा विषयक शक्तियों से मौलिक एतराज नहीं है, तो मैं सोचता हूँ उन्हें नियंत्रण अंतरण से भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए।

माननीय सभापति : मैं अब संशोधन को मत के लिए रखूंगा। पहला डॉ. देशमुख का है।

डॉ. पी.एस. देशमुख : मुझे संतोष होगा यदि प्रारूपण समिति अंतिम मसौदे के समय विचार करना ठीक समझे।

माननीय सभापति : जहाँ तक मैं देखता हूँ यह मात्र प्रारूपण का मामला है। इसलिए इसे हमें प्रारूपण समिति के लिए छोड़ देना चाहिए।

(संशोधन अस्वीकार किया गया।)

[केवल डॉ. अम्बेडकर का संशोधन स्वीकार किया गया। प्रविष्टि 7 यथा संशोधित संघ सूची में जोड़ी गई।]

प्रविष्टि 12

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, यहाँ बहुत से विचार हैं जो इस संशोधन के बारे में हैं। जैसा मेरे मित्र श्री कामथ देखेंगे, यह केवल प्रविष्टि नहीं है जो विदेशी राष्ट्रों से संबंध रखती है। प्रथम स्थान पर यह एक प्रविष्टि है जिसे विदेशी कार्य कहा जाता है जो इस देश द्वारा कार्य करने के लिए बहुत विस्तृत है यदि यह किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सदस्य के रूप में स्थापित करने की इच्छा करती है। यहाँ एक अगली प्रविष्टि भी है जिस पर हम इस समय चर्चा कर रहे हैं जो किसी अंतर्राष्ट्रीय सभा अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था में भाग लेने संबंधी विधान की आज्ञा देती है। इस दृष्टि से मुझे सोचना चाहिए था कि जिस प्रकार का संशोधन मेरे मित्र श्री कामथ ने पेश किया है वह वास्तव में अनावश्यक है। दूसरे, यह याद रखना चाहिए कि यह मात्र विधायी प्रविष्टि है। यह राज्य को सूची I में सम्मिलित प्रविष्टि के बारे में विधान बनाने के लिए समर्थ नही बनाती है। यदि प्रारूप संविधान के मध्य में कोई अनुच्छेद था जिसने राज्य की विधायी शक्तियां सीमित की थीं जो इनमें से किसी प्रविष्टि द्वारा दी गई थी तो जो प्रश्न मेरे आदरणीय मित्र श्री कामथ द्वारा उठाया गया था उचित है, लेकिन मुझे नहीं दिखाई देता कि संविधान में सीमित करने वाला कोई अनुच्छेद है जो संयुक्त राष्ट्र संगठन की सदस्यता को इस प्रविष्टि द्वारा दी गई विधायी शक्तियां सीमित करती है और अनुच्छेद में बिल्कुल भी ऐसी प्रविष्टि नहीं है। इसलिए राज्य

---

*. सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 29 अगस्त, 1949, पृ. 743

किन्हीं दूसरे अनुच्छेदों के अधीन कार्य कर सकता है और किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य हो सकता है। यदि सदन इसके बारे में विशिष्ट है, तो मैं समझता हूँ कि कोई हानि नहीं हो सकती यदि श्री कामथ का संशोधन स्वीकार कर लिया जाए और इसलिए तय करने के लिए मैं मामला सदन पर छोड़ता हूँ।

(प्रविष्टि 12 सूची में जोड़ी गई।)

नई प्रविष्टि 9क

***माननीय सभापति :** श्री सिब्बनलाल सक्सैना द्वारा एक और प्रविष्टि जोड़ने से संबंधित एक संषोधन की सूचना है।

'भूमंडलीय ऊर्जा और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान और इसके उत्पादन, विकास और प्रयोग के लिए आवश्यक दूसरे संसाधन........'

श्री सिब्बनलाल सक्सैना, क्या आप इसे प्रस्तावित करना चाहेंगे?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इसका अर्थ मैं नहीं जानता।

माननीय सभापति : हमारे पास अणु शक्ति है, वे भूमंडलीय ऊर्जा भी चाहते हैं।

प्रो. शिब्बनलाल सक्सैना : मैं आशा करता हूँ कि डॉ. अम्बेडकर देखें कि यह कमी दूर कर दी जाए।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, जो कुछ मैं कह सकता हूँ यह है कि यदि मेरे मित्र श्री शिब्बनलाल सक्सेना द्वारा पेश किया गया संशोधन आवश्यक है, तो उस पर विचार करने के लिए हमारे पास सूची 1 की प्रविष्टि 91 के अधीन काफी शक्ति हैः

''किसी भी प्रकार का 'कर' सहित कोई अन्य विषय सूची II या सूची III में या इनमें से किसी भी सूची में सम्मिलित नहीं है।''

श्री एच. वी. कामथ : सूची में अनेक प्रविष्टियां आ जाएंगी।

(प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।)

****माननीय सभापति :** प्रविष्टि 14 डॉ. अम्बेडकर, क्या इसके उत्तर में आप कुछ कहना चाहेंगे?

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 29 अगस्त, 1949, पृ. 744

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 29 अगस्त, 1949, पृ. 745

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : कोई व्याख्या आवश्यक नहीं है।

(प्रविष्टि 14 संघ सूची में जोड़ी गई।)

प्रविष्टि 22

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर** : श्रीमन, मैं प्रस्तावित करता हूँ :

"कि सूची I की प्रविष्टि 22 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए:

'22 समुद्री डकैतियाँ और बड़े समुद्र में अथवा आकाश में होने वाले अपराध, राष्ट्रों के कानूनों के विरुद्ध भूमि अथवा गहरे समुद्र अथवा आकाश में होने वाले अपराध'"

इस प्रविष्टि का दूसरा भाग 'राष्ट्रों के कानूनों के विरुद्ध भूमि अथवा गहरे समुद्र अथवा आकाश में अपराध' नया है। पहले के मसौदे में इसे छोड़ दिया गया था। पहले भाग के विषय में हम 'अपराध' शब्द को 'महाअपराध और अपराधों' के लिए स्थानापन्न करते हैं जैसे यह शब्द भारत में आमतौर पर प्रयुक्त होता है। 'महा अपराध और अपराध' अंगरेजी के तकनीकी शब्द हैं। पहले भाग में से भी हम 'राष्ट्रों के कानूनों के विरुद्ध' शब्दों को ले रहे हैं क्योंकि महा अपराध और अपराध ऐसे विषय हैं जिन्हें किसी देश द्वारा उसके अपने कानूनी क्षेत्र और अधिकार के कारण ठीक किए जा सकते हैं। इसे राष्ट्रों के कानून से कुछ करना नहीं है।

****माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर** : श्रीमन, मेरे मित्र नजीरुद्दीन अहमद ने जो कहा उसे सुनकर मैं भयभीत हूँ, मैं दुबारा कहता हूँ कि जो कुछ करने के लिए प्रविष्टि 22 प्रस्ताव करती है उसके बारे में उनकी धारणा बहुत स्पष्ट नहीं है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : कठिनाई यह है कि डॉ. अम्बेडकर बातचीत में लगे थे और मुझे नहीं सुना।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : निःसंदेह, मैं बातचीत में व्यस्त था, लेकिन जो कुछ आपने कहा उसके प्रति पूर्णतः अवधान था।

मेरे मित्र ने पहले यह प्रश्न उठाया कि हमें 'जलदस्युता और अपराध' पद का बहुवचन में प्रयोग क्यों करें। ठीक, दूसरा रास्ता जिसमें हम जलदस्युता और अपराध का प्रयोग करेगें वह सामूहिक शब्दों में होगा। मैं सोचता हूँ इस प्रकार के विषयों में, जिसके लिए अपराधिक कानून दिए गए हैं यह बहुत अच्छा होगा कि सामूहिक शब्दों का प्रयोग न

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 29 अगस्त, 1949, पृ. 747—48

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 29 अगस्त, 1949, पृ. 750—51

किया जाए। उन्होंने कुछ उदाहरण दिए लेकिन वे तथ्य को भूल जाते हैं कि कुछ मामलों में शब्दों का सामान्य प्रयोग पर्याप्त होता है, दूसरे विषयों में यह पर्याप्त नहीं होता है। प्रारूपण समिति ने जानबूझ कर 'जलदस्युता और अपराध' शब्दों का बहुवचन में प्रयोग किया है क्योंकि उस संदर्भ में जिसमें यह प्रयोग हुआ है यही उचित है।

मेरे मित्र श्री नजीरूद्दीन अहमद ने इस प्रविष्टि के विरुद्ध दूसरे आधार के रूप में कहा कि जलदस्युताओं के पश्चात एक अर्द्धविराम होना चाहिए। अब मैं सोचता हूँ कि वह मद 22, का अर्थ और तात्पर्य बिगाड़ देगा। मान लीजिए हम जलदस्युता के पश्चात् अर्द्धविराम लगा दें तो मद 22 में जलदस्युता शेष प्रविष्टि से पृथक हो जाता है। इसका अर्थ होगा कि केन्द्र को देश की नदियों के अपराधों सहित सभी जलदस्युताओं पर कानून बनाने का अधिकार होगा। इस प्रविष्टि का यह इरादा नहीं है कि केन्द्र को सभी प्रकार की सभी प्रविष्टियों पर कानून बनाने का अधिकार दिया जाए। 'गहरे समुद्र अथवा आकाश में किए गए' शब्द वे शब्द हैं जो न केवल 'अपराध' को ही विशेषित करते है : अपितु वे 'जलदस्युता' शब्द को भी विशेषित करते हैं।

तब, मेरे मित्र का तीसरा आधार था कि हम राष्ट्रों के कानूनों के विरुद्ध अपराध शब्दों के पष्चात 'भूमि पर, खुले समुद्र में और आकाश में' शब्दों को हटा दें। इससे यह स्पष्ट नहीं होगा कि दूसरी प्रविष्टि ऑल पर्वेसिव है और केंद्रीय विधानमंडल को न केवल खुले समुद्र और आकाश में ही अपितु भूमि पर भी राष्ट्रों के कानूनों के विरुद्ध कार्य करने की प्रविष्टि के प्रथम भाग के विरुद्ध शक्तियां देती हैं। दूसरे शब्दों में, जहाँ तक प्रविष्टि के दूसरे भाग का संबंध है, राज्य के पास किसी प्रकार की शक्ति नहीं होगी। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि यथाप्रस्तावित प्रविष्टि प्रारूपकार के आशय को प्रेषित करती है और कोई संशोधन आवश्यक नहीं है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : आदरणीय सदस्य ने मुझे नहीं सुना है। राष्ट्रों के कानूनों के विरुद्ध के बारे में क्या है जो न तो खुले समुद्र में हुए हैं, न भूमि पर और न आकाश में लेकिन समुद्र में?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह उनकी कल्पना में हो सकता है, किसी अन्य स्थान पर नहीं?

सरदार हुक्मसिंह (पूर्वी पंजाब : सिख) : यदि यह जलदस्युता शेष मदों से पृथक नहीं है तो क्या 'आकाश में' शब्द 'जलदस्युता' शब्द को विशेषित करेंगे।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : आकाश में भी जलदस्युता हो सकती है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : जलदस्युता सदैव जल में होती है। भूमि अथवा आकाश में नहीं।

माननीय सभापति : मैं अब संशोधन को मत के लिए रखूंगा।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मैं चाहूँगा कि केवल अंतिम को मतदान के लिए रखा जाए।

[डॉ. अम्बेडकर के संशोधन के सिवाय अन्य संशोधन अस्वीकार किए गए। प्रविष्टि 22 संशोधित रूप में संघ सूची में जोड़ी गई।]

प्रविष्टि 26

*__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर__ : श्रीमन, मैं प्रस्तावित करता हूँ :

"कि सूची I के प्रविष्टि 26 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए :

26. सीमाशुल्क की सीमारेखा पार आयात अथवा निर्यात; सीमाशुल्क सीमारेखा की परिभाषा"

यह मूल प्रविष्टि की ठीक पुनःर्व्यवस्था है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मेरे संशोधन में ''आयात और निर्यात में' और' शब्द सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है यह कमोवेश प्रारूपण प्रकृति का है और इसीलिए मैं अपना प्रस्ताव सदन में रखे बिना इसे प्रारूपण समिति पर छोड़ूंगा।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, स्पष्टता से मैं आश्वस्त हूँ और मैं भव्यता के पीछे नहीं दौड़ना चाहता।

[संशोधन अंगीकार किया गया। प्रविष्टि 26 संशोधित रूप में संघ सूची में जोड़ी गई।]

प्रविष्टि 26क

प्रो. शिब्बनलाल सक्सैना : श्रीमन, इस विषय पर अमरीका के उच्चतम न्यायालय में मामले आए थे और मैं इसे स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा। इसलिए मैं अपना संशोधन पेश करना चाहूँगा। श्रीमन, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"सूची I की प्रविष्टि 26 के पश्चात् निम्नलिखित नई प्रविष्टि जोड़ी जाए :

'26क, भूमियों, खनिजों और साधारण उथले पानी में समुद्र के किनारे नौ मील के आगे दूसरी कीमती वस्तुओं का स्वामित्व और प्रभुत्व।'"

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 30 अगस्त, 1949, पृ. 752

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** यदि मैं ऐसा कहूँ कि यह विषय पहले ही अनुच्छेद 271–क में लिया जा चुका है। मेरी कठिनाई हैः मेरे मित्र श्री शिब्बनलाल सक्सेना का संशोधन स्वामित्व की बात करता है। अब, इन सभी विधायी सूचियों में हम केवल कानून बनाने की शक्ति की बात करते हैं, विनियोजित करने की शक्ति की नहीं। यह विषय दूसरे कानून से विनियमित है और न कि विधायी प्रविष्टियों द्वारा। इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

माननीय सभापति : इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के फैसले का हवाला दिया है, लेकिन मैं सोचता हूँ यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 271क जैसी किसी चीज की अनुपस्थिति पर आधारित है।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : हमने खुलासा किया था कि यहाँ कोई प्रविष्टियां नहीं थी और इसीलिए यह शंका का विषय था और उस शंका को दूर करने के लिए हमने अनुच्छेद 271–क रखा है। व्यावहारिक तौर पर यह श्री शिब्बनलाल सक्सेना के संशोधन की शब्दशः पुनरावृत्ति है।

प्रविष्टि 31

****माननीय सभापति** : मैं देखता हूँ कि यहाँ प्रविष्टि 31 के भी कुछ संशोधन हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मैं प्रस्तावित करता हूँ :

"कि प्रथम सूची की प्रविष्टि 31 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए :

'31. संसद के द्वारा बनाए गए कानून के अधीन राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित।'

विषय को स्पष्ट करने के लिए यह रूपांतरण मात्र है।'

**[प्रविष्टि 31 संशोधित रूप में सूची में जोड़ी गई।]*

प्रविष्टि 37

*****माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** श्रीमन, मैं प्रस्तावित करता हूँ :

"सूची I का संशोधन 12, प्रविष्टि 37 में 'वायुमार्ग अथवा समुद्र द्वारा' शब्दों के

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 30 अगस्त, 1949, पृ. 753–754

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 30 अगस्त, 1949, पृ. 754

*** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 30 अगस्त, 1949, पृ. 755

स्थान पर 'रेल, समुद्र अथवा वायुमार्ग द्वारा' शब्द रखे जाएं।"

यह केवल लोप के कारण हुआ है।

डॉ. पी.एस. देशमुख : श्रीमन, मैं प्रस्ताव करने के लिए आज्ञा चाहता हूँ।

"कि सूची I के संशोधन 12 में (छठा सप्ताह) सूची I की प्रविष्टि 37 में 'रेल, समुद्र अथवा वायुमार्ग द्वारा' शब्दों के स्थान पर (स्थानापन्न के लिए प्रस्तावित) 'थल, समुद्र अथवा वायुमार्ग द्वारा' शब्दों को रखा जाए।''

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** श्रीमन, मुझे खेद है कि मैं डॉ. देशमुख द्वारा प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि यदि हम इसे सम्मिलित करते हैं तो यह केन्द्रीय विषय हो जाएगा।

डॉ. पी.एस. देशमुख : यदि यह दो प्रांतों के बीच हो तो ?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : तो यह अन्तरराज्यीय यातायात के अंतर्गत आएगा।

डॉ. पी.एस. देशमुख : मैं अपना संशोधन वापिस लेने के लिए तैयार हूँ।

(सभा की इजाजत से संशोधन वापिस ले लिया गया।)

(श्री कामथ ने अपने संशोधन पर जोर नहीं दिया।)

प्रविष्टि 38

****माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** श्रीमन, मैं प्रस्तावित करता हूँ :

"कि सूची I की प्रविष्टि 38 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए :

'38. रेल'

मैं समझता हूँ कि इस परिवर्तन की व्याख्या अपेक्षित है। यदि आदरणीय सदस्य प्रारूप संविधान में विद्यमान प्रविष्टि संख्या 38 की ओर लौटेंगे, तो वे पहले ही संघीय रेल और छोटी रेल के बीच का अंतर जान सकेंगे। यह अंतर आवश्यक था क्योंकि संघीय रेल के बारे में केन्द्र को सुरक्षा, कम से कम और अधिक से अधिक दर और भाड़ा इत्यादि के संबंध में कानून बनाने का अधिकार होगा। छोटी रेल के वास्तविक प्रशासन जैसे माल और सवारियां ढोना सीमित था। दूसरे शब्दों में, जहाँ

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 30 अगस्त, 1949, पृ. 757

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 30 अगस्त, 1949, पृ. 757

तक अधिकतम और न्यूनतम दरें और भाड़ा, स्टेशन तथा सेवा टर्मिनल प्रभार इत्यादि का संबंध है वे केंद्रीय विधानमंडल के क्षेत्राधिकार से निकाल दिए गए। यह महसूस किया जा रहा है कि यह वांछनीय है कि चूंकि संपूर्ण भारत राज्यक्षेत्र में रेल सेवा में एकरूपता हो। यहाँ एक ही विधायी अधिकार रेलवे के सभी विषयों पर एकरूपता के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए। परिणामस्वरूप, पहले भाग में प्रविष्टि को छोटी रेल सहित सभी रेल तक बढ़ा दिया गया है। दुबारा, चूंकि कानूनों का उद्देश्य एकरूप होना है इसलिए यह महसूस किया जा रहा है कि प्रविष्टि के दूसरे भाग को बनाये रखना आवश्यक है जो संघीय रेल और छोटी रेल में अंतर करता है।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि यह प्रविष्टि पूर्णतः विधायी प्रविष्टि है। यह वह प्रविष्टि नहीं है जो स्वामित्व के बारे में है। इसका अर्थ है कि केन्द्र को भले ही कम और अधिक भाड़ा और दरें तथा टर्मिनल प्रभार ठीक करने का अधिकार है, प्रत्येक राज्य जो छोटी रेल का मालिक है चाहे वह राज्य भाग में है अथवा भाग III में, यदि वह किसी विशेष रेल का मालिक है तो भाड़े और दरों की प्राप्तियाँ रखने का अधिकारी होगा जो केन्द्र द्वारा निश्चित किए जाएंगे। यह उसके स्वामित्व के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा। वे उसी प्रकार रहेंगे जैसे हैं। यदि केन्द्र किसी राज्य चाहे वह भाग I में है अथवा भाग III में, की छोटी रेल को अब लेना चाहता है तो संघ उसे साधारण तरीके से प्राप्त कर सकेगा। अतः यह पूर्णतः विधायी प्रविष्टि है। संशोधन का उद्देश्य रेल से संबंधित सभी विषयों के लिए समान कानून रखना है और यह स्वामित्व के प्रश्न को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती।

यद्यपि ट्रेमवेज का प्रश्न रेल के प्रश्न से अलग कर दिया गया है। निर्वचन खण्ड में हमने रेल की परिभाषा करने का इस प्रकार प्रस्ताव किया है कि ट्रेमवेज को अलग कर दिया है जिससे भाग I और भाग III के राज्य ट्रामपथ (ट्रेमवेज) को सभी प्रकार से ठीक करने का अधिकार रख सकेंगे यद्यपि वे रेल के अंतर्गत नहीं आते।

श्री आर. के. सिधवा : यहाँ एक लघु रेल (माइनर रेलवे) अधिनियम है जो प्रांतीय सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। क्या मैं जान सकता हूँ कि उसे समाप्त करके संघ में लाने का आशय क्या है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : हाँ, संघ के पास उस कानून का निराकरण करने का, नया कानून बनाने का अथवा यदि वह चाहे इसे बनाये रखने का अधिकार है। यह केवल अधिकार देने वाली प्रविष्टि है जो केन्द्र को तो बड़ी अथवा छोटी रेल चलाने के लिए अलग कानून बनाने अथवा सभी रेलवेज को ठीक करने के लिए एक ही कानून बनाने का अधिकार देती है, चाहे रेल बड़ी है अथवा छोटी।

श्री आर.के. सिधवा : तब छोटी रेलें माइनर रेलवेज एक्ट से शासित होंगी।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : हाँ, जब तक संसद उसे बदलती नहीं तब तक वर्तमान कानून चलते रहेंगे। यह केवल संसद को परिवर्तन करने का अधिकार देने के लिए है।

माननीय सभपति : अब मैं प्रविष्टि 38 को मतदान के लिए रखता हूँ। मुझे कहा गया है कि यहाँ एक संशोधन है जिसे मैंने प्रातः नौ बजे के पश्चात् प्राप्त किया है। मुझे खेद है कि मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता।

(डॉ. अम्बेडकर के संशोधन से संशोधित हुई प्रविश्टि 38 संघ–सूची में जोड़ी गई।)

प्रविष्टि 39

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मैं प्रस्तावित करता हूँ :

"कि पहली सूची को प्रविष्टि 39 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए :

'39. इस संविधान के प्रारंभ पर राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय संग्रहालय, इम्पीरियल संग्रहालय, विक्टोरिया स्मारक और भारतीय युद्ध स्मारक और कोई अन्य भारत सरकार जो पूर्णतः अथवा भागतः वित्त पोषित है और संसद द्वारा विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित वैसी ही कोई अन्य संस्था। प्रविष्टि का सार वही है जो वर्तमान में है सिवाय कुछ जवानी बदलाव के जो तदनुसार 15 अगस्त, 1947 को उनके नाम में आये हैं।

श्री बी. दास (उड़ीसा : सामान्य) : मैं जानना चाहता हूँ कि संविधान कब प्रभाव में आएगा और अनुकूलन किए जाएंगे 'इम्पीरियल' शब्द ठीक किए जाएंगे, समाप्त होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ 'हिज मैजेस्टी सरकार', 'दी क्राउन' इत्यादि शब्द समाप्त होंगे।

मननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : अनुकूलन कानूनों पर लागू होगा, नामों पर नहीं।

माननीय सभापति : यह प्रविष्टि केन्द्रीय विधानमंडल को नाम बदलने का अधिकार देती है।

इस संबंध में श्री नजीरुद्दीन अहमद का संशोधन संख्या 160 है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं नहीं समझता कि अधिक स्पष्टीकरण आवश्यक है कि श्री नजीरुद्दीन अहमद का संशोधन मैं स्वीकार क्यों नहीं कर सकता? जैसा आप देखेंगे कि प्रविष्टि के दो भाग हैं। पहले भाग में यह उन संस्थाओं के बारे में

है जो यहाँ गिनाए गए हैं। दूसरे भाग में यह उन संस्थाओं के बारे में है जो पूर्णतः अथवा अंशतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं। इसलिए 'वैसे ही' शब्द का प्रयोग संभव नहीं है क्योंकि इससे प्रविष्टि का उद्देश्य सीमित हो जाएगा जो केंद्रीय सरकार को किसी संस्था को अपने अधिकार में ले लेने का अधिकार देती है जो या तो वित्त पोषित है अथवा अंशतः स्व–वित्त पोषित और भागतः राज्य द्वारा वित्त पोषित है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद द्वारा रखे गए तीन संशोधनों में से दो पारित नहीं हुए और तीसरा डॉ. अम्बेडकर के संशोधन द्वारा खारिज कर दिया गया। प्रविष्टि 39 संघ सूची में जोड़ी गई।

प्रविष्टि 40

*__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :__ श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है कि :

"कि सूची I की प्रविष्टि 40 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए :

'40. इस संविधान के प्रारम्भ होने पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, और दिल्ली विश्वविद्यालय नामों से ज्ञात संस्थाएं और जो संसद द्वारा कानून द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित कोई अन्य संस्था।'

मेरा निवेदन है कि 'विश्व विद्यालय' शब्द एक गलती है और यह 'संस्था' होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आप इसे स्थानापन्न करने की आज्ञा देंगे।

इसमें कोई मौलिक बदलाव नहीं है सिवाय इसके कि इसका बाद का भाग संसद को किसी संस्था को जिसे यह राष्ट्रीय महत्व की समझती है, लेने की आज्ञा देता है।

डॉ. पी. एस. देशमुख : क्या मैं सुझाव दूँ कि 40–क को भी साथ में ले लिया जाए? यह उसी चीज का अनिवार्य अंग है।

आदरणीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है कि :

"सूची I की प्रविष्टि 40 के पश्चात् निम्नलिखित नई प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाए:

'40क. भारत सरकार द्वारा पूर्णतः अथवा भागतः वित्त पोषित और संसद के द्वारा कानून द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित संस्थाएं विज्ञान अथवा तकनीकी शिक्षा की संस्थाएं।'

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 30 अगस्त, 1949, पृ. 761

*__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर__ : श्रीमन, मैंने अपने माननीय मित्रों नजीरुद्दीन अहमद तथा डॉ. देशमुख को परस्पर विरुद्ध प्रयोजन से दौड़ते देखता हूँ। एक शब्द 'अकादमी' शब्द जोड़कर अनुच्छेद की व्याप्त बढ़ाना चाहता है। दूसरा, 'दिल्ली विश्वविद्यालय और संसद द्वारा कानून द्वारा घोषित अन्य संस्थाएं राष्ट्रीय की संस्थाएं' शब्दों को निकालकर अनुच्छेद की परिधि सीमित करना चाहता है।

जहाँ तक डॉ. देशमुख के संशोधन का संबंध है मुझे 'अकादमी' शब्द जोड़ना अत्यंत आवश्यक जान पड़ता है क्योंकि 'संस्था' शब्द इतना व्यापक है कि विश्वविद्यालय और 'अकादमी' शब्द भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं।

मेरे मित्र श्री नजीरुद्दीन अहमद के संशोधन के बारे में, जैसा उन्होंने इशारा किया, दिल्ली विश्वविद्यालय इस तथ्य के कारण कि दिल्ली विश्वविद्यालय एक आयुक्त के प्रांत में है जो केन्द्र के कानून के अधीन है। इसलिए 'दिल्ली विश्वविद्यालय' शब्दों को समाविष्ट करते हुए, हम वास्तव में वर्तमान वस्तु–स्थिति से दूर नहीं जा रहे हैं। संसद द्वारा कानून द्वारा घोषित कोई अन्य संस्था से संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् के भाग के बारे में, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि उन शब्दों को बनाये रखना वांछनीय है। क्योंकि ऐसी संस्थायें होनी चाहिएं जो सांस्कृतिक अथवा राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और जिसकी वित्तीय स्थिति इतनी सुदृढ़ न हो जितनी किसी अन्य संस्था की और केन्द्र की मदद और सहायता जरूरी हो। उस दृष्टि से, मैं सोचता हूँ प्रविष्टि का अंतिम भाग आवश्यक है और मैं उनके संशोधन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ।

अब जहाँ तक मेरे मित्र श्री कामथ का संबंध है, वह 'अनुसंधान संस्था' शब्द समाविष्ट कराना चाहते थे। वह भूल गए हैं अथवा कदाचित उनका ध्यान मेरे संशोधन की ओर संख्या 57क के बारे में आकर्षित नहीं किया गया है जो अनुसंधान संस्था के बारे में है। वास्तव में, वह मानदंडों के समन्वय तक सीमित है। कदाचित श्री कामथ के मस्तिष्क में प्रांतों द्वारा स्थापित अभिकरण और वे जिन्हें केंद्र द्वारा ग्रहण करना वांछनीय है। मुझे लगता है कि केंद्र पर हर प्रकार के संस्थाओं का अधिक भार डालना ठीक नहीं है। यह काफी होगा यदि जैसा मैंने कहा, अनुच्छेद 57–क के उपबंध पारित होने दिए जाएं क्योंकि वह केंद्र को वैज्ञानिक और तकनीकी उच्च शिक्षा संस्थाओं के लिए समन्वय और स्तर बनाए रखने के लिए अधिक शक्तियां देगा। मैं सोचता हूँ कि फिलहाल यह काफी होना चाहिए।

माननीय सभापति : मैं अब संशोधन रखूँगा।

(तीनों संशोधन अस्वीकार किए गए।)

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 30 अगस्त, 1949, पृ. 767

(प्रविष्टि 40 जैसी डॉ. अम्बेडकर के संशोधन द्वारा संशोधित हुई संघ सूची में जोड़ी गई।)

प्रविष्टि–41

****माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर** : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है–

"कि सूची I की प्रविष्टि 41 में 'और प्राणी विज्ञान संबंधी' शब्दों के स्थान पर 'प्राणी विज्ञान संबंधी और नृविज्ञान संबंध' शब्द रखे जाएं।"

****माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर** : 'नृविज्ञान' शब्द बहुत विस्तृत है और आचार विज्ञान शब्द इसके अंतर्गत आएगा।

*****माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर** : श्रीमन, मुझे खेद है कि मेरे मित्र सिधवा ने केंद्रीय सरकार द्वारा अतीत में भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण के प्रति बरती गई उपेक्षा और उदासीनता के रवैया को बहुत अधिक बताया है। मैं स्वीकार करता हूँ कि अब तक यह विषय केंद्र द्वारा उपेक्षित रहा है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि प्रांत भू–विज्ञान में उससे अधिक रुचि ले रहे हैं जितनी केंद्र द्वारा अब तक ली गई है।

सर्वप्रथम यह विषय बहुत बड़े आकार का है जिसमें बहुत व्यय होगा और मैं नहीं समझता कि राज्य खनिजों को जो उनके क्षेत्र में पाए जाते हैं, विकसित करने में समर्थ होंगे। इस विचार से, मैं समझता हूँ कि भूगर्भ को समवर्ती सूची में अंतरित करने में काई लाभ नहीं होगा जिससे प्रदेशों को इसके बारे में कानून बनाने का एक अवसर दिया जाए।

उनके संशोधन को स्वीकार करने में मुझे दूसरी कठिनाई यह प्रतीत होती है कि संघ सूची में एक प्रविष्टि है जिसमें लिखा है कि भारत के खनिज साधन केंद्र द्वारा विकसित किए जा सकते हैं। यदि संसद को एक कानून बनाना हो कि देश के खनिजों का विकास केंद्रीय विषय होगा तो स्पष्टतः यहाँ बड़ी कठिनाई संसद के मार्ग में कानून को लागू करने अथवा खनिज साधनों को विकसित करने में हो जाएगी, यदि राज्यों के पास कानून बनाने की समवर्ती शक्ति रहती है। इसलिए श्री सिधवा से मेरा अनुरोध है कि प्रविष्टि जैसी है वैसी ही रहने दी जाए।

माननीय सभापति : तब मैं संशोधन को मतदान के लिए रखता हूँ। पहला संशोधन श्री कामथ ने रखा है.....

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 30 अगस्त, 1949, पृ. 769

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 30 अगस्त, 1949, पृ. 769

*** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 30 अगस्त, 1949, पृ. 770

श्री एच.वी. कामथ : जैसा डॉ. अम्बेडकर मुझे विश्वास दिलाते हैं कि 'मानव शास्त्र संबंधी' शब्द में 'निरवेश विधा' शब्द सम्मिलित है मैं उनकी श्रेष्ठ प्रज्ञा को स्वीकार करता हूँ और संशोधन पर दबाव नहीं डालता।

(संशोधन, सभा की इजाजत से वापिस लिया गया।)

श्री आर. के. सिधवा : दिए गए आश्वासन की दृष्टि से मैं संशोधन वापिस लेने की इजाजत देने की प्रार्थना करता हूँ।

(सभा की इजाजत से संशोधन वापिस लिया गया।)

(डॉ. अम्बेडकर का संशोधन अंगीकार किया गया।)

(प्रविष्टि 41 संशोधित रूप में संघ सूची में जोड़ी गई।)

प्रविष्टि 43

***माननीय सभापति :** अब हम प्रविष्टि 43 लेते हैं। डॉ. अम्बेडकर संशोधन पेश करेंगे।

आदरणीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है –

"कि सूची I की प्रविष्टि 43 के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाए :

'43. संघ के प्रयोजनों के लिए संपत्ति अर्जन या अधिग्रहण'।

सदस्य देखेंगे कि मूल प्रविष्टि में, जैसी यह है, दूसरे शब्द भी साथ में थे। जैसे प्रतिकर के सिद्धांत इत्यादि। उन शब्दों को समवर्ती सूची में एक पृथक प्रविष्टि रखने का प्रस्ताव है। इसलिए उन शब्दों को यहाँ रखना अनावश्यक है। समवर्ती सूची में यह प्रविष्टि 35 होगी।

श्री श्यामानन्दन सहाय (बिहार : सामान्य) : श्रीमन, मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ।

माननीय सभापति : थोड़ा इंतजार कीजिए। यहाँ एक प्रस्ताव रखा जाना है।

श्री श्यामानन्दन सहाय : प्रस्ताव पेश होने से पूर्व मैं इसे करना चाहता हूँ। सूची में यह मद जिसे डॉ. अम्बेडकर ने प्रस्तावित किया है अनुच्छेद 24 की भाषा के विषय में होगी। अतः मेरा सुझाव है कि इस मद को तब तक रोक दिया जाए जब तक हम अनुच्छेद 24 पारित करते हैं।

---

*. सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 30 अगस्त, 1949, पृ. 771–72

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं निवेदन करता हूँ कि वह अनावश्यक है क्योंकि सिद्धांत बनाने की शक्ति किसी भी दशा में विधानमंडल को दी जाएगी। प्रश्न है कि क्या अर्जन के सिद्धांत बनाने के लिए केंद्र की पृथक प्रविष्टि हो और राज्य की पृथक हो जो प्रस्तावित है वह यह है कि दोनों केंद्र तथा राज्य के लिए समवर्ती सूची में सामान्य प्रविष्टि होनी चाहिए। इसलिए अनुच्छेद 24 का सिद्धांतों के संबंध में यह प्रविष्टि कहीं न कहीं पर रखनी होगी। जब तक मेरे मित्र को इस विषय को समवर्ती सूची में रखने पर एतराज नहीं होगा इस प्रविष्टि पर विचार करना स्थगित करने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

श्री श्यामानन्दन सहाय : मैं ऐसी स्थिति पर विचार कर रहा था जहाँ राज्यों द्वारा अर्जन के विषय में भी सिद्धांतों का निर्धारण केंद्रीय संसद द्वारा किया जाए।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यही असली मुद्दा है। यदि मेरा मित्र इसे समझेगा, यदि हम इसे समवर्ती सूची में रखेंगे तो केंद्र को भी शक्ति प्राप्त होगी।

श्री श्यामानन्दन सहाय : सुनिश्चित रूप से, लेकिन आप कहते हो कि 'केंद्र को भी होगी' मेरा निवेदन है ....

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जो मैं कह रहा हूँ वह यह है कि हम 'सिद्ध ांत' इत्यादि शब्दों को निकाल रहे हैं और समवर्ती सूची की प्रविष्टि 35 में रख रहे हैं। यदि मेरे मित्र दो प्रविष्टियों को संघ सूची में 43 और राज्य सूची में 9 को देखेंगे तो वह देखेंगे कि दोनों ठीक एक ही शब्दों में हैं। दूसरे शब्दों में दोनों अनिवार्य रूप से संपत्ति अर्जन की शक्ति ही नहीं देती, अपितु सिद्धांत निर्धारित करने की भी शक्ति देती है। सिद्धांतों के बारे में प्रविष्टि को केंद्र और राज्यों के बीच में प्रत्येक को स्वतंत्र रूप से बांटने के सिवाय, अब उन शब्दों 'सिद्धांतों' इत्यादि को हटाने और समवर्ती सूची के प्रविष्टि 35 में रखने का निश्चय हुआ है।

प्रो. शिब्बनलाल सक्सेना : क्या इससे कोई हानि होगी यदि कि जब तक दूसरे अनुच्छेद पारित नहीं होते, तब तक इस बात को स्थगित कर दिया जाए।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : स्थगन से कोई साख नहीं रहेगी। मैं इन बातों को स्थगित करने के पक्ष में नहीं हूँ। इस विषय पर विचार करने के लिए पहले ही बहुत समय व्यतीत हो चुका है।

डॉ. पी.एस. देशमुख : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है—

"कि सूची I की प्रस्तावित सूची 43 में सूची। (छठवां सप्ताह) के संशोधन 21 में ' संपत्ति को' शब्द के पश्चात् 'संघ की विधि के अनुसार' शब्द समाविष्ट किए जाएँ।

...इसलिए मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तावित संशोधन जो यह स्पष्ट करता है कि 'संपत्ति अर्जन अथवा अधिग्रहण संसद द्वारा पारित कानून से होगा और स्वच्छन्द रूप से स्वीकार नहीं हो जाएगा।

आदरणीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह बिल्कुल आवश्यक है। यह प्रविष्टि विधायी शक्तियों के बारे में है। 'संघ के कानूनों के अनुसार' शब्द जोड़ने का क्या महत्व है? जैसी यह प्रविष्टि है के उसके अनुसार, संघ को कानून बनाने की शक्तियाँ प्राप्त होंगी। इसके अतिरिक्त, कोई अर्थ नहीं हो सकता।

डॉ. पी.एस. देशमुख : मैं अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

(सभा की अनुमति से संशोधन वापिस लिया गया। प्रविष्टि 43 डॉ. अम्बेडकर के संशोधन से संशोधित रूप में संघ सूची में जोड़ी गई।)

प्रविष्टि 50

*__श्री जगत नारायण लाल__ : यह अर्थ को बिल्कुल स्पष्ट करेगा। यहाँ कोई भी अनिश्चित अवस्था नहीं होगी। यह सुझाव में श्री टी.टी. कृष्णमाचारी को देता है। उनके विचार में जो उद्देश्य है मेरा सुझाव मान लेने पर प्राप्त हो जाएगा।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं इस विषय पर विचार करूँगा। फिलहाल श्री टी.टी. कृष्णमाचारी द्वारा प्रस्तावित प्रविष्टि मान ली जाए।

(श्री कृष्णमाचारी का निम्नलिखित संशोधन स्वीकार कर लिया गया।)

माननीय सभापति : प्रश्न है:

"कि सूची I का प्रविष्टि 50 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए :

50. बैंकिंग, बीमा और वित्तीय निगमों सहित व्यापार निगमों का निगमन, नियमन और परिसमापन लेकिन सहकारी सोसाइटियां इसके अंतर्गत नहीं हैं।

50क. व्यापारगत या भिन्न निगमों का निगमन विनियमन और परिसमापन जिसके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित न हों लेकिन विश्वविद्यालय इसके अंतर्गत नहीं।"

(प्रविष्टि 50 और 50क संघ सूची में जोड़ी गई।)

* * * *

---

*· सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 30 अगस्त, 1949, पृ. 773–74

प्रविष्टि 52

*माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरा प्रस्ताव है :

"कि सूची I की प्रविष्टि 52 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए :

'52. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के गठन और संगठन उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियाँ और वहाँ ली जा रही फीस उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के समक्ष वकालत करने के हकदार व्यक्ति......"

अंतिम शब्द जोड़े गए हैं। उनको जोड़ना आवश्यक जान पड़ा था क्योंकि वह समय आ गया है जब दोनों उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में वकालत करने वाले व्यक्तियों के अधिकार को विनियमित करना आवश्यक है।

**माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं बहस में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता? लेकिन मैं संकेत करना चाहूँगा कि हमने अनुच्छेद 192क, 193, 197 और 207 पहले ही पारित कर दिए हैं जो उच्च न्यायालय के गठन के बारे में है। उन अनुच्छेदों के अधीन धन संबंधी अधिकारिता के अतिरिक्त सभी उच्च न्यायालय रखे गए हैं जहाँ तक उनके गठन, संगठन और केंद्र में क्षेत्रीय अधिकारिता का संबंध है। अतः मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह संशोधन ठीक नहीं है।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद : मूल प्रविष्टि केवल उच्चतम न्यायालय के बारे में है। डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित नई प्रविष्टि इस प्रकार है 'उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों का गठन और संगठन'। तब उन्होंने दुबारा जोड़ा है 'उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों में वकालत करने के हकदान व्यक्ति'।

मेरा पहला एतराज चोरी–छिपे किए जाने के ढंग के बारे में है जिसमें महत्वपूर्ण चीजें प्रविष्टि में छल कपट से भरी गई हैं। मैं भली–भांति समझ सकता था .....

(व्यवधान)

श्री महावीर त्यागी : व्यवस्था के बिंदु पर, श्रीमन, 'चोरीछिपे' शब्द संसदीय हैं?

****माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : क्या यह उचित बहस है श्रीमन। यह कहने के लिए कि प्रारूपण समिति ने छल–कपट से कुछ समाविष्ट करने का प्रयत्न किया। मेरे आदरणीय मित्र मुझसे स्पष्टीकरण के हकदार हैं कि मैंने प्रविष्टि को क्यों

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 30 अगस्त, 1949, पृ. 773–74

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 30 अगस्त, 1949, पृ. 775

*** वही, पृ. 778

**** वही, पृ. 778

बदल दिया? यहाँ कोई छल–कपट नहीं है। मैं प्रत्येक अनुच्छेद और उसके भाग को पूर्णतः उचित ठहराने के लिए तैयार हूँ।

श्री महावीर त्यागी : श्रीमन, मैं आपका फैसला चाहता हूँ। क्या 'छल–कपट' शब्द संसदीय हैं?

माननीय सभापति : मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं इस हद तक संसदीय अभ्यास से परिचति नहीं हूँ कि 'छल–कपट' संसदीय अथवा असंसदीय हैं। मैं आदरणीय सदस्य से कहना चाहूँगा कि ऐसा बयान न दें जो आक्रामक हो।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : श्रीमन, मैं आपके फैसले के सामने सर झुकाता हूँ।

श्री टी.टी. कृष्णमाचारी : डॉ. अम्बेडकर द्वारा सदन के सदस्यों का ध्यान पहले ही अनुच्छेद 207 की ओर आकर्षित किया जा चुका है। श्रीमन, क्या मैं कह सकता हूँ कि उसके संदर्भ में आदरणीय सदस्यों को इस बिंदु पर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं उत्तर दे सकता हूँ। मैं केवल 10 मिनट चाहता हूँ। मैंने समझ लिया है कि वे क्या कहना चाहते हैं?

श्री नजीरुद्दीन अहमद : यहाँ उत्तर देने का एक वायदा है लेकिन डॉ. अम्बेडकर से उत्तर पाना मेरे लिए असामान्य भाग्य की बात होगी...। आसान तरीके से व्यवहार करने के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। मैं निवेदन करता हूँ कि यदि हम मान लें कि प्रारूपण समिति जो कुछ पसन्द करे वह करने के लिए हकदार है तब वास्तव में मैं पूर्णतः अदालत के बाहर हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि मैंने कारण के बावजूद भी कुछ हार झेली हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मैं यह कहते हुए आरंभ करने के लिए बाध्य हूँ कि मैंने अनेक अवसरों पर महसूस किया है कि मेरे मित्र श्री नजीरुद्दीन अहमद को प्रारूपण समिति के लिए बहुत ही उपहासजनक शब्दों में बात करने की आदत है। मैं उनको उत्तर देने के लिए उनके स्तर तक नहीं गिर सकता। लेकिन मैं उनको एक चेतावनी देना चाहूँगा कि यदि वह इस प्रकार की बात करने की हठ करेंगे तो मैं निश्चय ही उन्हीं शब्दों में उत्तर देने में असफल नहीं होऊंगा।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : क्या सदस्यों को इस ढंग से धमकाया जाएगा? मेरे ऊपर निःसंदेह (इसका) कोई प्रभाव नहीं है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह धमकी नहीं है। यह चेतावनी है।

अब मैं अपने मित्र पंजाबराव देशमुख द्वारा उठाए बिंदुओं पर आ रहा हूँ। मुझे

अति दुःख है कि मैं उनके सुझाव को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि वह प्रविष्टि 52 को इस प्रकार से और ऐसी मात्रा में बढ़ाना चाहते हैं कि उसमें देश की हर अदालत का आकार समाविष्ट हो जाए। यह एक असंभव प्रतिपादन है और मुझे खेद है कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

अब मैं अपने मित्र श्री नजीरुद्दीन अहमद के तर्कों पर आता हूँ। सर्वप्रथम, उन्होंने कहा कि इस प्रविष्टि 52 में, हम उच्च न्यायालय को लाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि यह प्रविष्टि जैसी पहले थी उसमें वे स्थान नहीं पा सके थे। सदन को याद होगा कि प्रारूपण समिति समय–समय पर मात्र प्रविष्टि को ही नहीं अपितु अनुच्छेदों को भी सुधारती रही है। मैं प्रारूपण समिति की ओर से सर्वज्ञान का दावा नहीं कर रहा हूँ। यदि प्रारूपण समिति संपूर्ण वस्तु को एक ग्रास में निगलने में असफल हुई है तो मैं न तो प्रारूपण समिति पर आक्षेप लगाने के लिए तैयार हूँ न किसी को फैसलना बदलने देने और न प्रारूपण समिति पर कलंक लगाने देने के लिए तैयार हूँ। यह बहुत बड़ा काम है और हम अपने रास्ते पर धीरे चलने के लिए बाध्य हें।

श्री एच.वी. कामथ : क्या सदन प्रारूपण समिति के फैसले को नहीं बदल सकता?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : लेकिन सदन को वह मानना चाहिए जो मैं कह रहा हूँ अर्थात् यह कि प्रारूपण समिति के लिए सदन के समक्ष स्पष्ट और पूर्ण सिद्धांत लाना संभव नहीं है जिस पर दुबारा विचार करने की आवश्यकता न हो। अब श्रीमन, मेरे मित्र ने कहा कि हम उच्च न्यायालयों को भी शामिल कर रहे हैं। अच्छा, हम उच्च न्यायालय को साशय लाये गये क्योंकि हमने महसूस किया था कि कुछ अनुच्छेदों के विचार से जिन्हें हम पहले ही पारित कर चुके हैं, उच्च न्यायालयों को शामिल करना आवश्यक है। मेरे मित्र श्री नजीरूद्दीन अहमद प्रकटतः अनुच्छेद 192क, 193, 197, 201 तथा 207 को भूल गऐ जो उच्च न्यायालयों के बारे में हैं यदि यह इन अनुच्देदों में अपना दिमाग लगाएंगे तो पायेंगे कि प्रांतीय विधानमंडलों के लिए मात्र छोड़ा गया विषय केवल धन संबंधी अथवा विषय सामग्री संबंधी अधिकारिता नियत करना है। शेष उच्च न्यायालय को केंद्र के क्षेत्राधिकार में रखा गया। स्पष्टतः जब संघ सूची की प्रविष्टियों पर विचार कर रहे जिनका अर्थ केंद्र को संपूर्ण शक्तियां देना है यह कमी छोड़ने और उच्च न्यायालयों को जो, जैसा मैंने कहा था, इन अनुच्छेदों के कारण केवल दो विषयों को छोड़ने के लिए बाध्य थे जो पूर्णतः संसद के क्षेत्राधिकार में रखे गए हैं। इसके बारे में कुछ भी पाखण्ड नहीं है। यह मात्र सुधार करना है और गलतियां इस कारण से हुईं कि अनुच्छेद और प्रविष्टि ठीक से नहीं बने थे। यही कारण है जिसकी वजह से उच्च न्यायालय इसमें शामिल किए गए हैं।

मैं इस प्रश्न पर आ रहा हूँ कि हम इस प्रविष्टि को क्यों लाये हैं – उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में वकालत करने के हकदार व्यक्तियों मेरे मित्र श्री अल्लादी कृष्णा स्वामी अययर द्वारा यह स्थिति पहले ही व्यक्त की जा चुकी है, लेकिन इसी विषय को मैं शीघ्र ही रखूंगा और वह यह है कि वस्तुतः इन शब्दों में शामिल करने के लिए कोई बहुत असाधारण नहीं है– उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों में वकालत करने के हकदार व्यक्ति, जैसा कि सदस्य देखेंगे अनुच्छेद 121 जो संसद को उन लोगों के बारे में कोई कानून बनाने की शक्ति देता है जो उच्चतम न्यायालय में वकालत कर रहे हैं। इसलिए वह शक्ति वहाँ पहले से ही है और यहाँ नया कुछ भी नहीं है जहाँ तक प्रविष्टि उन लोगों के बारे में उल्लेख करती है जो उच्चतम न्यायालय में वकालत करने के लिए हकदार हैं।

अब उच्च न्यायालय के बारे में स्थिति यह है जो शक्ति आज केंद्र के पास है वह समवर्ती सूची की प्रविष्ट 17 में है, जो वृत्तियों के बारे में है और कानूनी विधिक व्यवसाय व्यवसायों में से एक है। इसलिए संसद के लिए पूर्णतः संभव है कि वह समवर्ती सूची की प्रविष्टि 17 में दी गई शक्ति के फलस्वरूप उच्च न्यायालय में हाजिर होने वाले व्यक्तियों की वकालत करना विनियमित करने के लिए कानून बनाये, लेकिन उसके साथ कठिनाई यह है। समवर्ती सूची का अर्थ है कि दोनों पक्ष कानून बना सकते हैं। केंद्र कानून बना सकता है और प्रांत भी कानून बना सकते हैं और कानून एक दूसरे से बिल्कुल अनुरूप नहीं होने चाहिएं। परिणामस्परूप, यह महसूस किया गया कि प्रविष्टि 17 समवर्ती सूची में होने के कारण जिसमें सभी वृत्तियों को छोड़कर शामिल हैं। विधिक वृत्ति का एक भाग निकालकर और उसको यहाँ रखना जिससे कि कानूनी वृत्ति के बारे में कोई कानून बनाये जा सके जहाँ तक इसका संबंध उच्च न्यायालय में वकालत करने वाले व्यक्तियों के विधि व्यवसाय का संबंध है जो केंद्र द्वारा विधायन के लिए एक अनन्य विषय है, और इसका कारण था कि हमने ऐसा मेरे मित्र श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अययर द्वारा निर्दिष्ट कठिन मामलों के लिए किया था और मैं उनमें से एक को दुहराना चाहता हूँ। कदाचित जो कुछ इन्होंने कहा वह आपने नहीं सुना। उदाहरण के लिए, मान लीजिए, एक मद्रास का वकील अथवा बैरिस्टर एक मामले में उच्चतम न्यायालय में हाजिर होता है और उच्चतम न्यायालय में हाजिर होता है और उच्चतम न्यायालय मामले का फैसला करने के बजाय मामला बम्बई उच्च न्यायालय को भेज देता है। फिर क्या होता है बम्बई सरकार अथवा बम्बई कानून, यदि प्रविष्टि 17 के अधीन बनाया गया है, मद्रास के व्यक्ति को बम्बई उच्च न्यायालय में हाजिर होने की इजाजत नहीं देगा। परिणामस्वरूप, मद्रास का वकील जो उच्चतम न्यायालय में हाजिर हुआ है उसने पूरा मामला किया लेकिन यदि मामला बम्बई उच्च न्यायालय में आ गया है तो वह उच्च न्यायालय

अपने यहाँ हाजिर होने से रोक देगा। मैं समझता हूँ कि यह मान लिया जाएगा कि यह एक बड़ी कठिनाई है। इसलिए विभिन्न उच्च न्यायालयों में वकालत करने वाले व्यक्तियों के संबंध में एक सी स्थिति रखने के लिए यह प्रविष्टि जो प्रस्ताव करती है वह वृत्तियों विषयक प्रविष्टि 17 से निकालना है और उसे यहाँ रखना है जिससे कि उच्च न्यायालय में हाजिर होने वाले व्यक्तियों के विधि व्यवसाय को एकरूप कानून से विनियमित किया जा सके। प्रविष्टि 52 में कुछ भी क्रांतिकारी नहीं है और कुछ भी प्रच्छन्न नहीं है, जैसा कि प्रारूपण समिति ने प्रस्ताव किया है।

सभापति : अब मैं संशोधनों को मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

(जैसा कि पहले दिया है डॉ. अम्बेडकर के संशोधन को छोड़कर सभी संशोधन अस्वीकार कर दिए गए।)

(प्रविष्टि 52 संशोधित रूप में संघ सूची में जोड़ी गई।)

प्रविष्ट 53

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (बम्बई : सामान्य)** : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है :

"कि सूची I की प्रविष्टि 53 में प्रथम अनुसूची के भाग III में तत्समय विनिर्दिष्ट रियासतों के सिवाय शब्दों और अंकों को विलुप्त किया जाए।

यह इसलिए है क्योंकि हम भाग I और भाग III के बीच कोई अंतर करना नहीं चाहते।

श्री एच.वी. कामथ (मध्य प्रांत और बरार) : मेरा थोड़ा सा संशोधन संख्या 198 है। श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है :

"कि प्रथम सूची के (छठा सप्ताह) के संशोधन संख्या 25 के संदर्भ में सूची I की संख्या 53 में और ऐसे किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन शब्दों के स्थान पर और के किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन शब्द रखे जाएँ।

यह शब्दों का अंतःस्थापन मात्र है। मैं जानता हूँ, लेकिन यह थोड़ा–सा अर्थ बदल देता है और प्रविष्टि के आशय को उजागर करता है। मैं विश्वास करता हूँ कि यह प्रविष्टि किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता कुछ क्षेत्रों के अपवर्जन से संबंध रखती है।

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 31 अगस्त, 1949, पृ. 783–84

माननीय श्री बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, श्री कामथ का संशोधन बिल्कुल अनावश्यक है क्योंकि मेरे संशोधन का उद्देश्य प्रविष्टि 53 के उस भाग को शुरू से सिवाय तक पूर्णतः निकाल देना है। यदि मैं प्रविष्टि के किसी भाग को रखता हूँ तो प्रश्न पैदा हो सकता है कि प्रविष्टि में अप्रयुक्त पदावली श्री कामथ द्वारा सुझाये शब्दों से अच्छी है अथवा इसका उलटा सही है।

श्री एच.वी. कामथ : मेरा संशोधन प्रविष्टि के ही बारे में है न कि संशोधन के।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं सोचता हूँ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं पूरी चीज को छोड़ रहा हूँ। दूसरा बिंदु यह है कि प्रविष्टि 53 में प्रयुक्त भाषा अनुच्छेद 207 में भाषा के अनुरूप रखनी होगी।

श्री एच.वी. कामथ : यदि यह बात मानी ली गई तो दूसरे अनच्छेद की जो पहले ही पारित हो चुका है। भाषा में संशोधन किए जाएंगे – तीसरे वाचन में।

माननीय सभापति : मुझे मालुम होता है कि डॉ. अम्बेडकर का संशोधन इस प्रवेश के एक भाग का संदर्भ करता है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं अंतिम भाग को बाहर निकाल रहा हूँ। पष्थक अनुसूची के भाग III में तत्समय विनिर्दिष्ट रियासतों के सिवाय संशोधित रूप में स्थिर रहेगी। यह प्रविष्टि इस प्रकार होगी – उस राज्य के बाहर किसी क्षेत्र में भारत के राज्यक्षेत्र के अंदर किसी राज्य में मुख्य पीठ रखने वाले अधिकारिता का विस्तार और ऐसे किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन।" यह प्रविष्टि केवल अधिकारिता के या अपवर्जन का उपबंध विस्तार करती है।

श्री एच.वी. कामथ : मेरा संशोधन भाग दो के संदर्भ में है।

"उस राज्य के बाहर किसी क्षेत्र से ऐसे किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन।"

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं आपके वाक्छल को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ।

श्री एच.वी. कामथ : यह वाक्छल नहीं है। यह सही अंगरेजी का सवाल है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यदि यह मामला मात्र अंगरेजी का है तो हम इसे अगले चरण पर ले सकते हैं।

माननीय सभापति : तब मैं श्री कामथ के संशोधन को मत के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

(संशोधन अस्वीकार किया गया।)

माननीय सभापति : अब मैं डॉ. अम्बेडकर के संशोधन को मत के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

(संशोधन स्वीकार हुआ।)

प्रविष्टि 56

*__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर__ : मेरा प्रस्ताव है :

"कि सूची I की प्रविष्टि 56 के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाए :

'56. इस सूची के विषयों में से किसी के प्रयोजन के लिए जांच, सर्वेक्षण और आंकड़े'।

इसमें कोई अंतर नहीं है। हमने इसे केवल 'इस सूची के किसी विषय के प्रयोजन के लिए' किया है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद (पश्चिम बंगाल : मुस्लिम) : यद्यपि मेरा संशोधन संख्या 167 वाक्य को सुधारेगा, मैं इसे पेश करना नहीं चाहता।

(संशोधन संख्या 254 पेश नहीं हुआ।)

श्री फूल सिंह (संयुक्त प्रांत : सामान्य) : सभापति महोदय, श्रीमन, डॉ. अम्बेडकर द्वारा सुझाया संशोधन इस प्रविष्टि के परिमाण/क्षेत्र को सीमित करेगा....... इन थोड़े शब्दों द्वारा मेरा निवेदन है कि डॉ. अम्बेडकर स्थिति पर दुबारा विचार करें।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मैं समझता हूँ कि मेरे मित्र द्वारा दर्शाया गया डर निराधार है और इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि वह तथ्य की ओर आकर्षित नहीं हुए हैं कि अन्य सभी जांचें, जो राज्यों से संबंधित हैं और दूसरे विषय अब समवर्ती सूची में रख दिए गए हैं। इसलिए यहाँ ऐसे किसी प्रयोजन की अनुपस्थिति नहीं है जिसे वह चाहते हैं।

(संशोधित रूप में प्रविष्टि 57 संघ सूची में जोड़ी गई।)

प्रविष्टि 57

**__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर__ : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है :

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 57 के स्थान पर निम्नलिखित को रखी जाए :

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 31 अगस्त, 1949, पृ. 784–785

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 31 अगस्त, 1949, पृ. 785

57. निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए संघ अभिकरण संघ संस्थाएं अर्थात् अनुसंधान के लिए वष्त्त, व्यवसाय अथवा तकनीकी प्रशिक्षण के लिए अपराध के अन्वेषण या खोज में वैज्ञानिक तकनीकी सहायता के लिए पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए अथवा विशेष अध्ययनों की उन्नति के लिए।"

'व्यावसायिक प्रशिक्षण' और 'अपराध के अन्वेषण या खोज' पुलिस अधिकारियों के लिए इत्यादि शब्दों के समावेश से यह प्रविष्टि किसी हद तक विस्तृत हो गई है।

***माननीय सभापति :** श्री करीमुद्दीन के नाम पर यहाँ एक संशोधन (संख्या 3544) प्रविष्टि 57 के लिए है। जैसा कि इसे पेश नहीं किया गया है। डॉ. अम्बेडकर को उत्तर देना चाहिए।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : सभापति महोदय, मैंने अपने द्वारा प्रस्तावित प्रविष्टि से मेरे आदरणीय मित्र श्री कामथ द्वारा पेश किए गए संशोधन की तुलना की है, मैं समझता हूँ कि एक विषय को छोड़कर केंद्रीय सरकार उस उद्देश्य की पूर्ति कर सकेगी जो मेरे आदरणीय मित्र श्री कामथ के मस्तिष्क में है। मात्र वस्तु/विषय जिसे केंद्रीय सरकार प्रविष्टि 57 के अधीन प्रभावित नहीं करेगी वह अध्यात्मिक खोज है। मैं नहीं समझता कि सदन, उन सभी कठिनाइयों को जानते हुए जिन्हें लेकर केंद्रीय सरकार इस समय चल रही है किसी ऐसा अभिकरण के भार से और लादना चाहेगा। संशोधन के शेष उद्देश्य प्रविष्टि 57 के अंतर्गत आ जाएंगे।

श्री एच.वी. कामथ : आप कैसे कहते हैं कि प्रस्तावित प्रविष्टि के अंतर्गत प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आ जाते हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं ऐसा समझता हूँ क्योंकि प्रशिक्षण केवल पुलिस अधिकारियों के लिए नहीं है। प्रयोग की गई भाषा है 'वषत्तिक, व्यावसायिक अथवा तकनीकी प्रशिक्षण'। उपर्युक्त के अधीन कुछ भी लाया जा सकता है।

माननीय सभापति : संशोधन की शक्ल में डॉ. अम्बेडकर द्वारा पेश की गई प्रविष्टि को रखता हूँ। प्रश्न है :

"कि सूची। की प्रविष्टि 57 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए :

'57. निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए संघ अभिकरण और संघ संस्थान अर्थात खोज के लिए वृत्तिक, व्यावसायिक अथवा तकनीकी प्रशिक्षण के लिए, अपराध के अन्वेषण या खोज में वैज्ञानिक या तकनीकी सहायता अथवा पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए अथवा विशेष अध्ययन की उन्नति के लिए।'

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 31 अगस्त, 1949, पृ. 788

(संशोधन स्वीकार किया गया।)

(प्रविष्टि 57 संशोधित रूप में संघ सूची में सम्मिलित की गई।)

प्रविष्टि 57 का (जारी)

*__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर__ : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 57 के पश्चात् निम्नलिखित नई प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाए:

57क. उच्च शिक्षा की संस्थाओं में, वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं और अन्वेषण संस्थाओं में सहायोग और स्तर को बनाये रखना' ताकि उनका स्तर नीचे न जाए।

यह प्रविष्टि पहली प्रविष्टि संख्या 57 की पूरक मात्र है। राज्यों द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं विषयक प्रविष्टि 57क सीमित हद तक केंद्र को किसी हद तक अन्वेषण संस्थाओं और उन संस्थाओं को बचाने के लिए जिनका स्तर कम हो रहा है, शक्तियाँ देने का प्रस्ताव करती है।"

श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है

"कि सूची 1 (छठा सप्ताह) के संशोधन संख्या 28 में प्रस्तावित नई प्रविष्टि 57क में शब्द 'अनुरक्षित' के स्थान पर 'अवधारण' शब्द रखा जाए।

**__श्री बसन्त कुमार दास (पश्चिम बंगाल : सामान्य)__ : मेरे पास संशोधन संख्या 29 है।

माननीय उपसभापति : मैंने सोचा था वे नये अनुच्छेद थे। डॉ. अम्बेडकर, क्या उसको आप बोलने से पहले पेश करना पसंद करेंगे?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : हाँ।

माननीय उपसभापति : श्री दास आप संख्या 29 प्रस्तुत कर सकते हैं।

***__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर__ : सभापति महोदय, श्रीमन, मैं सोचता हूँ कि मेरे मित्र द्वारा किसी मात्रा में यहाँ मिलावट की गई है जो इस प्रविष्टि 57क पर बोले हैं। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ उनका विवाद यह है कि यह प्रविष्टि 57क केवल उस समय ही जाने दी जाए जब केंद्र द्वारा राज्य को कुछ अनुदान दिया जाता

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 31 अगस्त, 1949, पृ. 788

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 31 अगस्त, 1949, पृ. 793

*** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 31 अगस्त, 1949, पृ. 796

है। मुझे दो विषयों को मिलाना अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है। केंद्र से राज्यों को अनुदान का प्रश्न दो पृथक अनुच्छेदों 255 और 262 में विचारणीय इस शर्त पर रहा है कि सहायता के लिए केंद्र द्वारा राज्य को अनुदान दिया गया है। संघ या राज्य 'ऐसी धनराशि, जिसकी व्यवस्था संसद कानून के द्वारा करे। हर वर्ष भारत की संचित निधि पर प्रत्येक वर्ष अनुदान के रूप में ऐसे राज्यों की संचित निधि पर जो संसद द्वारा कानून द्वारा सहायता के जरूरतमंद निश्चित किए जाएं भारित होंगी।

इसलिए वित्तीय सहायता के द्वारा राज्य की सहायता का उपबंध पहले से ही अनुच्छेद 255 में है। मैं सदन के सदस्यों का ध्यान अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद की ओर आकर्षित करना चाहूँगा जो अनुच्छेद 262 है जो व्याप्ति में बहुत बड़ा है : वह कहता है: 'संघ या राज्य इस बात के होते हुए भी कि प्रयोजन वह नहीं है जिसकी बावत यथास्थिति संसद या मंत्रिमंडल जैसा भी मामला हो कानून विधियां बना सकेगा, किसी भी लोक प्रयोजन के लिए अनुदान कर सकेगा।

जैसा सदन देखेगा, इसकी सीमा बड़ी है। यह कहता है कि यद्यपि सूची I में विषय नहीं होना चाहिए। अनुदान देने के लिए संसद स्वतंत्र हो जाएगी। इसलिए यह प्रश्न पृथक से विचारणीय होते हुए भी, मैं प्रविष्टि 57क से मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं समझता।

प्रविष्टि 57क संस्थाओं के कुछ वर्गों के स्तर को मात्र बनाये रखने का विचार करती है जैसे उच्च शिक्षा देने वाली संस्थाएं, वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाएं, अन्वेषण की संस्थाएं इत्यादि। आप पूछ सकते हैं, यह प्रविष्टि क्यों है? मैं बताऊंगा, यह आवश्यक क्यों है? उदाहरण के लिए बी.ए. डिग्री की परीक्षा लीजिए जो भारत में विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा ली जाती है। अब, बहुत से प्रदेश व केंद्र, जब उम्मीदवारों के लिए विज्ञापन करते हैं, मात्र कहते हैं कि उम्मीदवार किसी विश्वविद्यालय का स्नातक हो। अब, मान लीजिए मद्रास विश्वविद्यालय कहता है कि एक उम्मीदवार को बी.ए. की परीक्षा में यदि कुल अंकों के 15 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए विचारणीय समझा जाएगा; और मान लो बिहार विश्वविद्यालय कहता है कि एक उम्मीदवार जिसने 20 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं बी.ए. डिग्री परीक्षा को उत्तीर्ण करने योग्य समझा जाएगा; और कुछ अन्य विश्वविद्यालय कोई दूसरा स्तर निश्चित करते हैं, तब यह पूर्णतः अस्त–व्यस्त दशा हो जाएगी और अभिव्यक्ति जो साधारणतः प्रयोग होती है कि उम्मीदवार स्नातक होना चाहिए, मैं समझता हूँ, निरर्थक हो जाएगा। इसी प्रकार, यहाँ कुछ अन्वेषण संस्थाएं भी हैं, जिनके परिणामों पर केंद्र और राज्यों के बहुत से कार्यकलाप आधारित होते हैं, स्पष्टतः आप इन तकनीकी और वैज्ञानिक संस्थाओं के परिणामों को साधारण स्तर से गिरने की आज्ञा नहीं दे सकेंगे और तो भी उन्हें केंद्र के उद्देश्यों अथवा अखिल भारतीय उद्देश्य

अथवा राज्य उद्देश्य के लिए मान्यता की आज्ञा देंगे।

परिणामस्वरूप वित्तीय सहायता के प्रश्न से परे, यह नितांत आवश्यक है दोनों केंद्र के हित में अथवा राज्यों के हित में कि अखिल भारतीय स्तर पर स्तर बनाये रखा जाए। इस प्रवेश का यही उद्देश्य है और मेरे फैसले के अनुसार यह बहुत महत्वपूर्ण और श्रेयस्कर उपबंध है, तथ्यों के विचार से कि यहाँ बहुत से प्रांत हैं जो अन्वेषण संस्थाएं अथवा विश्वविद्यालय स्थापित करने की जल्दी में हैं अथवा आखिर संसार को दिखाने के लिए थोड़ा स्तर गिराना चाहते हैं कि वे जितना वह पहले कर रहे थे कुछ बेहतर परिणाम दे रहे हैं।

डॉ. पी. एस. देशमुख : क्या प्रतिशत या उत्तीर्ण होने के लिए अंक निश्चित करना सरकार का इरादा है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : वे ऐसा कर सकते हैं किन्हीं साधनों से स्तर बनाए रखना सरकार का काम है जिन्हें वह उचित समझें। मैं नहीं कह सकता कि सरकार को क्या करना चाहिए।

(श्री बी.के. दास द्वारा पेश किए गए संशोधन वापिस लिए गए। डॉ. अम्बेडकर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। प्रविष्टि 57क संघ सूची में जोड़ी गई।)

प्रविष्टि 58

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है :

"कि सूची I की प्रविष्टि 58 के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाए:

'58. लोक सेवा आयोग, अखिल भारतीय सेवा : संघ लोक सेवा आयोग।'

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : अखिल भारतीय सेवा को हटाने की आवश्यकता के बारे में मेरे मित्र डॉ. पंजाब राव देशमुख के संशोधन के बारे में, उसे स्वीकार करना मात्र इस कारण संभव नहीं है कि अखिल भारतीय सेवाएं और उनके नियम भारत शासन अधिनियम में नहीं थे क्योंकि वह यह विषय था जो केवल गृह मंत्री के हाथों में था। चूंकि गृह मंत्री अब अदृश्य हो रहे हैं इसलिए अखिल भारतीय सेवाओं के लिए विनियम का कहीं संविधान में किसी संस्था द्वारा उपबंध करना, आवश्यक और सबसे अधिक समुचित अभिकरण केंद्र है। सूची 1 उन विषयों के बारे में है जो केंद्र के कार्य—क्षेत्र में आते हैं। इसलिए अखिल भारतीय सेवाओं के लिए स्वाभाविक स्थान सूची 1 है। यह एक तर्क है।

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 31 अगस्त, 1949, पृ. 797

दूसरा तर्क है कि यहाँ वर्तमान में दो अखिल भारतीय सेवाएं मौजूद हैं। यहाँ आई.सी.एस. के बचे हुए लोग भी हैं जो अभी तक भारत सरकार की सेवा कर रहे हैं। दूसरे, गत दो वर्षों में बनायी गयी 'अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा और अखिल भारतीय पुलिस सेवा' है। क्या केंद्र सिविल अधिकारियों की भर्ती अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के आधार पर जारी रखेगा अथवा अखिल भारतीय सेवा मामला है जो आगे आने वाले अनुच्छेदों में निश्चित होना है जिससे हमारा संबंध होगा। लेकिन इसके बारे में अब तनिक भी संदेह नहीं है कि इन सेवाओं को राज्यों की सलाह/स्वीकृति से अस्तित्व में लाया गया है। दूसरे, इनके वहाँ होते हुए उनके नियमों के लिए उपबंध करना आवश्यक है और मेरा निवेदन है कि संघ सूची ही उचित सूची है जहाँ यह उपबंध किया जा सकता है।

मेरे मित्र कामथ के इस सुझाव के बारे में कि इस प्रविष्टि में संयुक्त आयोग का जिक्र किया जाना चाहिए, मेरा निवेदन है कि अधिक गहन विचार–विमर्श जहाँ तक संयुक्त आयोग की बनावट, इसके सदस्यों की नियुक्ति तथा उनके हटाये जाने का प्रश्न है कठिनाई पैदा करेगा और केवल तीनों के बारे में एक अखिल भारतीय विषय है और इन तीनों के लिए अनुच्छेद 284 में पहले ही उपबंध किया जा चुका है। अन्य सभी के बारे में वास्तव में राज्य लोक सेवा आयोग हैं। उदाहरण के लिए कुछ सेवाएं अलग करने के लिए अथवा कुछ मामलों में उनकी सलाह लेने के लिए यह अब भी राज्य लोक सेवा आयोग होगा। और इन विषयों में राज्य के क्षेत्र को निकालना वांछनीय नहीं होगा क्योंकि इसके परिणाम वैसे ही होंगे जैसे संयुक्त आयोग को प्रविष्टि 58 में रखा गया था। इसी प्रयोग के लिए मैं श्री कामथ के प्रस्ताव का विरोध कर रहा हूँ।

श्री एच.वी. कामथ : क्या मैं जान सकता हूँ यह समवर्ती सूची में जाएगा?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : नहीं।

श्री एच.वी. कामथ : यह कहाँ जाएगी?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : कुछ संदर्भों में केवल केंद्र हो सकता हैः उदाहरण के लिए यदि राज्य संयुक्त रूप से कहते हैं कि एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जाए, तब प्रस्ताव के परिणामस्वरूप, केंद्र को क्षेत्र प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं।

डॉ. पी.एस. देशमुख : मैं सभा की आज्ञा से अपना संशोधन वापिस लेने के लिए निवेदन करता हूँ।

(सभा की आज्ञा से संशोधन वापिस लिया गया।)

माननीय सभापति : मैं श्री कामथ से संशोधन को मत के लिए प्रस्तुत करूँगा।

(यह वापिस लिया गया, डॉ. अम्बेडकर का संशोधन रखा गया। प्रविष्टि 58 संशोधित रूप में संघ सूची में जोड़ी गई।)

प्रविष्टि 58क

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर** : श्रीमन, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि सूची I की प्रविष्टि 58 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाए :

'58क. संघ पेंशन, अर्थात् भारत सरकार द्वारा भुगतान की जाने वाली अथवा भारत की संचित निधि से भुगतान की जाने वाली पेंशन।'

यह प्रविष्टि प्रारूप में नहीं है। सावधानी के तौर पर हम इसे रखना आवश्यक महसूस करते हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं नहीं समझता कि मेरे मित्र डॉ. देशमुख द्वारा सुझाया गया संशोधन कोई सुधार है अथवा मेरे द्वारा पेश किए गए संशोधन से भिन्न है। जो अंतर मालुम पड़ता है वह यह है कि कुछ पेंशन होनी चाहिए जो भारत की संचित निधि से दी जानी चाहिए इसका अर्थ है कि करों की प्राप्ति से। भारत सरकार के लिए पेंशन स्थापित करना पूर्णतः संभव होगा जो सहयोगी प्रवृत्ति की है इस दशा में संचित निधि पर भार नहीं होगा अपितु व्यक्तियों पर होगा जो पहले ही संचित निधि को अपना भाग दे चुके हैं। यही अंतर है और इसी कारण मेरे द्वारा प्रविष्टि इन शब्दों में बनाई गई है।

डॉ. पी.एस. देशमुख : मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहूँगा।

(सभा की आज्ञा से संशोधन वापिस लिया गया।)

(डॉ. अम्बेडकर का प्रस्ताव स्वीकार किया गया और प्रविष्टि 58क संघ सूची में जोड़ी गई।)

प्रविष्टि 60

****माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर** : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है :

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 60 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए :

"60. पुराने और ऐतिहासिक स्मारक और राष्ट्रीय महत्व के संसद के कानून द्वारा घोषित लेख प्रमाण"

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 31 अगस्त, 1949, पृ. 799–801

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 31 अगस्त, 1949, पृ. 800

शेष प्रविष्टि जैसी यह पहले थी, जैसे 'पुरातत्व स्थान और खंडहर' समवर्ती सूची में अंतरित करने का प्रस्ताव है।

श्री एच.वी. कामथ : मैं समझता हूँ कि अनुच्छेद 39 की भाषा बदलने के लिए कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। जिनको इस नई प्रविष्टि में रखा जाए। इसलिए मैं संशोधन संख्या 206 पेश करता हूँ और स्वीकृति के लिए सदन को सौंपता हूँ।

माननीय सभापति : क्या आप संशोधन संख्या 206 पर कुछ कहना चाहेंगे?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : नहीं श्रीमन, इस विषय पर कुछ भी कहना एकदम अनावश्यक है।

माननीय सभापति : तब श्री कामथ द्वारा पेश किया संशोधन मत के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

(संशोधन अस्वीकार किया गया था। डॉ. अम्बेडकर का प्रस्ताव स्वीकार किया गया और प्रविष्टि 60 संशोधित रूप में संघ सूची में जोड़ी गई।)

प्रो. शिब्बनलाल सक्सेना : श्रीमन, क्या मुझे अपना संशोधन पेश करने की आज्ञा दी जाएगी?

माननीय सभापति : जब मैंने उनको पुकारा था तो आप यहाँ नहीं थे। मुझे दुःख है। अब बहुत देर हो गई है।

प्रो. शिब्बनलाल सक्सेना : यह बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है। श्रीमन, और मैं सोचता हूँ वे स्वतंत्र भी हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : न्याय आपके पक्ष में नहीं है।

प्रविष्टि 61

***माननीय सभापति :** मुझे सूची समाप्त करने दो और तब हम देखेंगे। अब प्रविष्टि 61 मुद्रित सूची में एक संशोधन है जिसकी सूचना डॉ. अम्बेडकर के द्वारा दी जा चुकी है। संख्या 3548।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मैं उसे पेश नहीं कर रहा हूँ।

माननीय सभापति : श्री संथानम के नाम पर यहाँ दो संशोधन हैं।

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 31 अगस्त, 1949, पृ. 802

माननीय श्री के. संथानम : मैं उन्हें प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ।

माननीय सभापति : तब मैं प्रविष्टि 61 को मत के लिए पेश कर हूँ।

(प्रविष्टि 61 संघ सूची में जोड़ी गई।)

प्रविष्टि 61–क

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है :

"कि प्रविष्टि 61 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए :

'61क. सीमा शुल्क, सीमा प्रांत के बाहर निर्यात अथवा एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाए जाने वाले सामान की किस्मों में स्तर की स्थापना।"

हम प्रविष्टि 61 पहले ही ले चुके हैं जो नापतौल के स्तर से संबंधित हैं और यह महसूस किया गया है कि यहाँ सामान की किस्म स्थापित करने के लिए कोई उपबंध होना चाहिए।

****माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** श्रीमन, मेरे मित्र देशमुख द्वारा उठाया गया बिंदु पहले ही उस समय उठाया जाना चाहिए था जब हमने सूची II की प्रविष्टि पर बहस की थी। ये विषयों पर चर्चा कर रहे हैं जिनका उद्देश्य केंद्र की शक्तियों तक व्याप्त है जिससे कि वह राज्य के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न कर सके। परिणामस्वरूप, इसलिए प्रविष्टि को बड़ी सावधानी से शब्दों में पिरोया गया है। जैसा कि मेरे मित्र देखेंगे प्रविष्टि में एक राज्य से दूसरे में ले जाने वाले सामान के स्तर के बारे में कहा गया है। इसके बारे में इसका उद्देश्य राज्य प्रशासन के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए शक्तियां देना नहीं है। यदि वह इस प्रश्न को उठाना चाहते हैं तो उस समय उठायें। जब हम राज्य सूची पर विचार–विमर्श करें।

डॉ. पी.एस. देशमुख : क्या मैं सुझाव दूं कि इस प्रविष्टि को टाल दिया जाए और इस सूची का कार्य पूरा करने से पूर्व कृषि मंत्रालय की सलाह ली जाए?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जब हम सूची II पर आएंगे, हम इस विषय पर विचार करेंगे।

माननीय सभापति : मैं संशोधन को मत के लिए रखता हूँ।

(डॉ. देशमुख का संशोधन अस्वीकार किया गया।)

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 31 अगस्त, 1949, पृ. 802

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 31 अगस्त, 1949, पृ. 803

माननीय सभापति : अब मैं नई प्रविष्टि 61क को मत के लिए रखता हूँ।

(डॉ. अम्बेडकर का प्रस्ताव मत के लिए रखा गया।)

*__श्री वी. एस. सरवते__ : मैं डॉ. अम्बेडकर से जानना चाहूँगा कि "सीमाशुल्क की सीमा के बाहर निर्यात" शब्दों का अर्थ क्या है?

माननीय सभापति : मुझे खेद है प्रश्न देर से आया जब मत लिया जा चुका है उसके पश्चात्।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यदि आदरणीय सदस्य बाद में मेरे पास आएंगे तो मैं उनको समझा दूँगा।

माननीय सभापति : प्रश्न रखा जा चुका है।

[प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। प्रविष्टि 61क संघ सूची में जोड़ी गई।]

प्रविष्टि 63

**__माननीय सभापति__ : अब हमें प्रविष्टि 63 लेनी चाहिए।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : सभापति जी, मूल प्रविष्टि के स्थान पर मैं संशोधन संख्या 3551 को पेश नहीं कर रहा हूँ। संशोधन संख्या 34 के बारे में जिसे मैं पेश कर रहा हूँ ऐसा करने में मैं इसमें संशोधन संख्या 212 भी मिला रहा हूँ। श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है कि –

"सूची 1 की प्रविष्टि 63 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए :

'63. संसद के कानून द्वारा खतरनाक ज्वलनशील घोषित तेल–क्षेत्र और खनिज तेल साधन, पेट्रोल और पेट्रोल उत्पादन दूसरे तरल और द्रव्य वस्तु ठीक करना और विकास'।"

***__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर__ : मैं नहीं समझता हूँ कि इन दोनों में से कोई एक संशोधन आवश्यक है। मेरे मित्र श्री शिब्बनलाल सक्सेना के विचार में जो उद्देश्य है अर्थात् प्रविष्टि 63 को भी केंद्र को तेल के लिए विस्तार ठीक करने की आज्ञा देनी चाहिए इत्यादि का उद्देश्य ठीक करना और विकास शब्दों से पूरा हो जाएगा जो हमने प्रयोग किए हैं। 'क्षण' शब्द जोड़ने के बारे में ऐसी कोई शक्ति रखना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है।

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 31 अगस्त, 1949, पृ. 804

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 31 अगस्त, 1949, पृ. 8804

*** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 31 अगस्त, 1949, पृ. 805

(डॉ. अम्बेडकर द्वारा लिए गए संशोधन के द्वारा प्रविष्टि 63 संघ सूची में जोड़ी गई।)

प्रविष्टि 64

*__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर__ : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है कि –

"सूची 1 की प्रविष्टि 64 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए :

'64. संघ द्वारा उद्योग और उनका नियंत्रण संसद के कानून द्वारा जनता के हित में व्यय करना घोषित कर दिया गया है।"

**__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर__ : श्रीमन, प्रविष्टि जैसी यह है पूर्णतः ठीक है और इस प्रयोजन को पूरा करती है जो प्रारूपण समिति के मस्तिष्क में था। मेरा निवेदन है कि यदि केंद्र ने एक बार किसी उद्योग के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया जैसा इस प्रविष्टि में उपबंधित है तो वह उद्योग सभी बातों के लिए संसद के क्षेत्र के अधीन हो जाएगा न कि केवल विकास के लिए लेकिन यह दूसरी छवियों में होनी चाहिए। परिणामस्वरूप, हमने सोचा था कि सब से अच्छी बात यह है कि पहले उद्योग को संसद के असंदिग्ध क्षेत्र में किसी भी विषय में, जिसमें वह पसंद करे व्यवहार करने के लिए रख दिया जाए, विकास ही आवश्यक रूप से नहीं। इसलिए प्रविष्टि उससे कहीं अधिक विस्तष्त है जो इसका उद्देश्य है।

(दो संशोधन अस्वीकार किए गए, डॉ. अम्बेडकर का उपर्युक्त संशोधन स्वीकार किया गया प्रविष्टि 64 संशोधित रूप में संघ सूची में सम्मिलित की गई।)

प्रविष्टि 64—क

***__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर__ : श्रीमन, नई प्रविष्टि 64क रखने के लिए संशोधन के बारे में मैं यह कहना चाहूँगा कि यह विषय प्रधान (प्रधानमंत्री) की सभा में रखा गया था और प्रधान (प्रधानमंत्री) की सभा प्रस्ताव से सहमत नहीं हुई।

खाद्य सामग्री बांटने के प्रश्न के संबंध में हमने अनुच्छेद 206 में उपबंध किया है कि पांच वर्ष की अवधि के लिए केंद्र की खाद्य सामग्री के बांटने पर नियंत्रण रखना चाहिए।

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 31 अगस्त, 1949, पृ. 806

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 31 अगस्त, 1949, पृ. 806

*** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 31 अगस्त, 1949, पृ. 809—810

दूसरे, संशोधन के बारे में जैसे नई प्रविष्टि 64ख को रखने......

माननीय सभापति : उसे पेश नहीं किया गया है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, पेश किए गए संशोधन को मैं स्वीकार नहीं कर सकता।

माननीय सभापति : मैं संशोधन को मत के लिए रखूँगा।

प्रश्न है :

कि 'सूची 1 की प्रविष्टि 64 के पश्चात् निम्नलिखित नई प्रविष्टि जोड़ी जाएः

'64(क) पशुपालन सहित कृषि, जंगलात और मत्स्य क्षेत्र और खाद्य सामग्री की आपूर्ति और वितरण का विकास और सहकारिता।'

(संशोधन अस्वीकार किया गया।)

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर** : संशोधन के प्रथम भाग के बारे में प्रारूपण समिति का प्रस्ताव विषय को समवर्ती सूची में रखने का है और यदि मेरे मित्र श्री सक्सेना समवर्ती सूची की परीक्षा करते तो पाते कि प्रविष्टि 64ख जैसी (क) एक प्रविष्टि है समवर्ती सूची की प्रविष्टि 35क में –

(ख) के बारे में, यह वाद–विवाद का विषय है और प्रारूपण समिति इस प्रश्न पर अभी किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंची है। प्रारूपण समिति महसूस करती है कि (क) शक्तियों का, जो हमने पहले ही संसद को कुछ उद्योगों को राष्ट्रीय महत्व की घोषित करने के लिए दी है; पूर्णतः तर्कसंगत है। यदि संसद को कुछ उद्योगों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने की शक्ति प्राप्त है तो संसद को ऐसे कुछ उद्योगों के सामान और उत्पादन को ठीक/व्यवस्थित करने की शक्तियाँ प्राप्त होनी चाहिएं। लेकिन (ख) संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित उद्योगों के अतिरिक्त उद्योगों के सामान के बारे में है। जैसा मैंने कहा, यह विषय कुछ वाद–विवाद का है और प्रारूपण समिति किसी निर्णय पर नहीं पहुंची है। मैं प्रो. सक्सेना को इस विषय पर उस समय तक डटे रहने का सुझाव देता हूँ जब तक प्रविष्टि 35 को हम समतर्वी सूची में नहीं पहुंचा देते।

प्रो. शिब्बनलाल सक्सेना : इन्तजार करने में मुझे कोई एतराज नहीं है।

माननीय सभापति : तब इसे रोका जाता है।

* * * *

---

*· सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 31 अगस्त, 1949, पृ. 811

प्रविष्टि 65

*माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्री कामथ का संशोधन मुझे एकदम अनावश्यक प्रतीत होता है क्योंकि 'तेलक्षेत्र' शब्द सामान्य अर्थ में प्रयोग किया गया है। जहाँ कहीं भी यह आता है, वह केंद्र का अधिकार क्षेत्र होगा। यदि तेल क्षेत्र पानी के नीचे आता है....

माननीय सभापति : वह कहता है 'और उथले समुद्रीय क्षेत्र'

श्री एच.वी. कामथ : मैं कहता हूँ 'खानें, तेल क्षेत्र और उथले समुद्रीय क्षेत्र'

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जो मेरे मित्र मस्तिष्क में रखते हैं वह 'समुद्र में डुबकी लगाने का कार्य' है।

श्री एच.वी. कामथ : नहीं, मोती उद्योग।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं यही कह सकता हूँ कि मैं विषय पर विचार करूँगा।

सभापति : तब मैं पहले प्रो. सक्सेना द्वारा पेश किए गए संशोधन को रखूंगा। प्रश्न है:

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 65 में 'नियम' शब्द के पश्चात् 'और कल्याण' शब्द रखे जाएं।"

संशोधन अस्वीकार किया गया।

श्री एच.वी. कामथ : डॉ. अम्बेडकर के विश्वास के विचार से अब मैं अपने संशाध्धन का दबाव नहीं डालता। इस पर प्रारूपण समिति द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

(प्रस्ताव स्वीकार हुआ। प्रविष्टि 65 संघ सूची में जोड़ी गई।)

प्रविष्टि 66

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है कि :

"सूची 1 की प्रविष्टि 66 के 'और तेल क्षेत्र' शब्द हटा दिए जाएं।"

यह पहले ही प्रविष्टि 63 में अंतरित हो गए हैं।

श्री जगतनारायण लाल (बिहार : सामान्य) : सभापति जी मैं साधारणतः संशोधन

---

*. सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 31 अगस्त, 1949, पृ. 813

का विरोध करना चाहता था, मुझे खेद है, श्री बृजेश्वर प्रसाद द्वारा पेश...

मैं डॉ. अम्बेडकर द्वारा पेश प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और उनके द्वारा पेश प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

श्री बृजेश्वर प्रसाद : डॉ. अम्बेडकर का संशोधन 'तेल क्षेत्र' शब्द को छोड़ता है।

श्री जगतनारायण लाल : शब्द 'तेल क्षेत्र' को हटा दिया जाए। क्योंकि यह पहले आ चुके हैं।

माननीय सभापति : क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : नहीं श्रीमन, मैं किसी संशोधन को स्वीकार करना पसंद नहीं करूंगा।

माननीय सभापति : अब हम श्री बष्जेश्वर प्रसाद का संशोधन लेंगे।

श्री बृजेश्वर प्रसाद : श्रीमन, मैं इसे वापिस लेने की प्रार्थना करता हूँ।

(संशोधन सभा की आज्ञा से वापिस लिया गया।)

(श्री कामथ का संशोधन वापिस हो गया। डॉ. अम्बेडकर का संशोधन स्वीकार हुआ। प्रविष्टि 66 संशोधित रूप में संघ सूची में जोड़ी गई।)

प्रविष्टि 67

*__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर__ : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है कि सूची 1 की प्रविष्टि 67 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए :

"67. राज्य के अंतर्गत नहीं, किसी राज्य और किसी क्षेत्र से संबंधित पुलिस बल के सदस्य की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार। लेकिन एक राज्य की पुलिस को शक्तियों और अधिकारिता का प्रयोग किसी क्षेत्र में राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना जिसमें यह क्षेत्र स्थित है पुलिस बल के सदस्य की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार किसी राज्य से संबंधित राज्य के बाहर रेल क्षेत्र तक।"

माननीय सभापति : यहाँ एक संशोधन सरदार हुक्म सिंह का छोड़ने के लिए है। उसको पेश करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रविष्टि के लिए डॉ. देशमुख का संशोधन है जिसे मैं समझता हूँ वह पेश नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं प्रस्ताव

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 31 अगस्त, 1949, पृ. 817

को मत के लिए रखूंगा।

(संशोधन स्वीकार हुआ।)

(प्रविष्टि 69 संशोधित रूप में संघ सूची में जोड़ी गई।)

प्रविष्टि 68

*****माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर** : मेरा प्रस्ताव है कि –

'सूची 1 प्रविष्टि 68 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए :

संसद का और राज्यों के विधानमंडल के लिए निर्वाचन और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधीक्षण, आज्ञा और ऐसे निर्वाचन का नियंत्रण।'

माननीय सभापति : अब स्थिति के लिए श्री सन्थानम के नाम एक संशोधन है। मैं समझता हूँ हमने किसी अन्य अनुच्छेद के बारे में जो फैसले लिए उससे यह उत्पन्न नहीं होते।

******माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर** : इस संशोधन को स्वीकार करना अनावश्यक है क्योंकि चुनाव आयोग क्षेत्रीय आयुक्तों को भी सम्मिलित करेगा।

(संशोधन नकारात्मक था। प्रविष्टि 68 डॉ. अम्बेडकर के प्रस्ताव संशोधित रूप में स्वीकार हुआ और संघ सूची में जोड़ा गया।)

प्रविष्टि 69

*******माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर** : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है

"कि सूची 1 प्रविष्टि 69 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए :

69. राष्ट्रपति और राज्यपालों की अनुपस्थिति की छुट्टियों के अधिकारों के बारे में और संघ के मंत्रियों राज्यसभा के सभापति और उपसभापति और लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन व भत्तों के बारे में, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वतन व भत्तों और नौकरी की शर्तों के बारे में।

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 31 अगस्त, 1949, पृ. 818

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 31 अगस्त, 1949, पृ. 8824

*** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 31 अगस्त, 1949, पृ. 819–820

'69क. संसद के प्रत्येक सदन तथा, सदस्य और प्रत्येक सदन की समितियों के विशेष–धिकार, उन्मुक्तियाँ और शक्तियाँ।'

माननीय सभापति : श्री कामथ के नाम पर इसके लिए संशोधन संख्या 219 है।

श्री एच.वी. कामथ : मुझे अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं करना है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि डॉ. अम्बेडकर कैसे भूल गए अथवा उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों का स्थान कैसे खो दिया।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : उनके वेतन इत्यादि अनुसूची में उपबंधित हैं। हमने कहा है कि उनके वेतन वैसे ही होंगे जैसे अनुसूची में दिए हुए हैं।

माननीय सभापति : तब डॉ. देशमुख का संशोधन संख्या 220। क्या यह अधिक उचित ढंग से राज्य सूची में नहीं जाएगा?

डॉ. पी.एस. देशमुख : नहीं श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है :

"कि सूची 1 की संशोधन संख्या 39 (छठा सप्ताह) सूची 1 की प्रस्तावित प्रविष्टि 69 के बाद निम्नलिखित नई प्रविष्टि जोड़ी जाए :

69क. विधानमंडल और उनकी समितियों के सदस्यों के विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां तथा शक्तियां'

....मैं सोचता हूँ कि यह बहुत आवश्यक है कि विशेषाधिकार समान होने चाहिएं। एक राज्य से दूसरे में अंतर नहीं होना चाहिए।

श्री बृजेश्वर प्रसाद : सुनिए, सुनिए।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : उचित यही है कि प्रत्येक विधानमंडल अपने विशेष अधिकारों, उन्मुक्तियों तथा शक्तियों की परिभाषा करे और यही कारण है कि हमने यह व्यवस्था की है कि संसद अपने सदस्यों के विशेष अधिकारों, उन्मुक्तियों तथा शक्तियों को निश्चित करे और अपने सदस्यों के लिए राज्य के पास भी ऐसी ही शक्तियां होनी चाहिएं। मैं नहीं समझता कि संपूर्ण शक्तियां केंद्र में समेकित कर दी जाएं। मुझे सोचना चाहिए था कि यदि संसद अपने सदस्यों के विशेष अधिकार, उन्मुक्ति तथा शक्तियों का एक अधिनियम पारित करती है, कदाचित राज्य भी ऐसा ही करेंगे और जैसा उचित समझेंगे थोड़े संशोधन के साथ एक–एक शब्द / अक्षर की नकल करेंगे।

(डॉ. देशमुख का संशोधन खारिज हुआ, डॉ. अम्बेडकर का संशोधन स्वीकार किया गया, प्रविष्टि 69 तथा 69क संशोधित रूप में संघ सूची में जोड़ी गई।)

प्रविष्टि 70

*__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :__ श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है :

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 70 के 'अथवा संसद के द्वारा नियुक्तियों' शब्द जोड़े जाएं।"

(जैसे रूप में यह स्थिर है, यह प्रविष्टि केवल समितियों के प्रति निर्देष करती है।)

माननीय सभापति : मैं नहीं समझता कि यहाँ कोई दूसरा संशोधन भी है।

(प्रस्ताव स्वीकार किया गया, प्रविष्टि 70 संशोधित रूप में संघ सूची में जोड़ी गई।)

प्रविष्टि 70क

**__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :__ श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है :

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 70क के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाए :

70क. गतिशील चलचित्रों के प्रदर्शन के लिए स्वीकृति"

मूल रूप में यह प्रविष्टि समवर्ती सूची में रखी गई थी।

अब इसे सूची 1 में रखने का प्रस्ताव है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : सभापति महोदय, प्रविष्टि मूलरूप में समवर्ती सूची में थी, उसे संघ सूची में लाने का उद्देश्य दोहरा है। पहला, जहाँ तक संभव हो, चलचित्रों की स्वीकृति का समान स्तर स्वीकार करना है और दूसरे किसी फिल्म निर्देशक को होने वाली हानि से बचाने के लिए जिसका चलचित्र अपनी किसी विशेष प्रकृति अथवा किसी स्तर के कारण जो असामान्य प्रकृति के हैं और सामान्य स्तर को सुदृढ़ नहीं करते जो अपनी प्रकृति की स्वीकृति के लिए चालू है, चलचित्र स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, मैं सोचता हूँ क्या यह अतिआवश्यक है कि यह स्वीकृति का मामला केंद्र व राज्यों के मध्य बांटे जाने के बजाय; प्रत्येक राज्य अपना निजी मानक निश्चित करे और केंद्र हर राज्य को उसका मानक जांचने के

---

*. सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 31 अगस्त, 1949, पृ. 820

**. सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 31 अगस्त, 1949, पृ. 8821

लिए प्रेरित करे और बताए कि क्या मानक अच्छे हैं अथवा बुरे। इसको संघ सूची में लाना उससे भी अच्छा है। जहाँ तक शेष मामले का संबंध है प्रविष्टि 43 को सूची II में जोड़ने का सोचा गया है। जैसे यह है कि राज्य अपना नियंत्रण, सिनेमाघर, नाट्य प्रदर्शन और सिनेमा ऋण स्वीकृति का प्रश्न; जैसा है बनाए रखें। मैं नहीं समझता कि प्रस्ताव से जिसे मैंने बनाया है किसी विशेष हित को किसी प्रकार की हानि होगी। दूसरे, जैसा मैंने कहा कि केंद्र की भांति शक्तियों को एक संस्था में केंद्रित करने से लाभ होंगे।

श्री राजबहादुर : केवल स्वीकृति देना?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : एक बार केंद्र ने स्वीकार कर दिया कि चलचित्र अच्छा है और नैतिकता के मानदण्ड को मान/स्वीकार करती है, मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता कि प्रदर्शन के लिए यहाँ कोई दूसरा उपबंध क्यों होना चाहिए। मामला समाप्त होता है।

माननीय सभापति : मैं संशोधन संख्या 222 को मत के लिए रखता हूँ।

डॉ. पी.एस. देशमुख : मैं इसे वापिस लेना चाहूँगा।

(संशोधन सदन की मंजूरी से वापिस लिया गया।)

श्री राजबहादुर : मैं अपना संशोधन संख्या 266 वापिस लेना चाहूँगा।

(सभा की इजाजत से संशोधन वापिस किया गया। प्रविष्टि 70क संघ सूची में जोड़ी गई।)

प्रविष्टि 73

*__माननीय सभापति__ : डॉ. अम्बेडकर इसके बाद प्रविष्टि 73 आती है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है :

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 73 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए :

'73. अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य'

प्रविष्टि 73 में इन शब्दों के बाद के शब्द अनावश्यक हैं, क्योंकि सूची II की प्रविष्टि 33 को छोड़ने का प्रस्ताव है।

माननीय सभापति : इस संशोधन संख्या 226 के लिए यहाँ अन्य संशोधन श्री

---

*. सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 31 अगस्त, 1949, पृ. 825

नजीरुद्दीन अहमद का है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मैं इसे पेश नहीं कर रहा हूँ।

माननीय सभापति : तब इस प्रविष्टि का कोई संशोधन नहीं है। जो प्रविष्टि डॉ. अम्बेडकर ने पेश की है, मैं इसे सदन में रखता हूँ।

(संशोधन स्वीकार हुआ। प्रविष्टि 73 संशोधित रूप में संघ सूची में जोड़ी गई। जिन प्रविष्टियों का जिक्र यहाँ नहीं हुआ है। उनके बारे में बहस में डॉ. अम्बेडकर की कोई टिप्पणी नहीं है। उनमें से अधिकतर बिना किसी बहस के स्वीकार हुई।)

प्रविष्टि 73—क

*__श्री नजीरुद्दीन अहमद__ : ..... इस प्रकार यदि सूची में अंतर नक्षत्रीय यात्रा जोड़ी जाती है, जो अवश्य जोड़ी जाए, तो यह संशोधन भी स्वीकार करना होगा। पृथ्वी से चन्द्र तक की ओर वापस पृथ्वी तक की यात्रा पूर्वतम उपलब्धि है। लेकिन श्री कामथ का संशोधन इसे संभव नहीं बनाएगा। मूल संशोधन को पूरा करने के लिए मेरे संशोधन को स्वीकार किया जाए। मैं आशा करता हूँ श्रीमन, यदि संशोधन अस्वीकार करना है तो मत द्वारा अधिक संतोषजनक तरीके से अस्वीकार किया जाए।

माननीय सभापति : मैं नहीं समझता कि कोई अन्य भाषण आवश्यक है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं ठीक से नहीं समझता कि मेरे मित्र का प्रस्ताव उन मामलों से संबंधित है जो जानने के अयोग्य हैं अथवा उनका संबंध उन मामलों से है जिनकी जानकारी नहीं है, तब हमने अपना समय नष्ट किया है। लेकिन यदि वे अज्ञात है न कि अज्ञेय तो उनसे निपटने के लिए हमारे पास काफी शक्तियां हैं। आप किसी भी प्रविष्टि की चिंता क्यों करते हैं?

माननीय सभापति : मैं श्री नजीरुद्दीन अहमद के संशोधन को मत के लिए प्रस्तुत करूँगा।

(संशोधन अस्वीकार किया गया।)

* * * *

---

*· सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 31 अगस्त, 1949, पृ. 828

सूची I

प्रविष्टि 74

*__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (बम्बई : साधारण)__ : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है :

"कि प्रविष्टि 74 सूची I के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए :

'74. अंतरराज्यीय नदियों और अंतरराज्यीय नदियों–घाटियों का विनियमन और विकास उस हद तक जहाँ तक संघ के नियंत्रण के अधीन ऐसी विनियमन अथवा विकास संसद द्वारा कानून द्वारा लोक हित में समीचीन घोषित किया जाए।

श्री बृजेश्वर प्रसाद (बिहार : सामान्य) : सभापति महोदय, क्या मैं आपकी आज्ञा से अपना संशोधन पेश करने से पहले एक शब्द कह सकता हूँ? किसी प्रकार कदाचित मेरी गलती के कारण इस संशोधन से एक शब्द गायब है। मैं 'विनियम' शब्द सम्मिलित करना चाहता हूँ। श्रीमन, मैं पेश करने की आज्ञा चाहता हूँ :

कि संशोधन की सूची के संशोधन संख्या 3562 में प्रविष्टि 74 सूची I की प्रस्तावित के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाए :

'74. बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, नौपरिवहन और जल विद्युत शक्ति सहित अंतरराज्यीय जलमार्ग और अंतरराज्यीय नदियों का विनियमन और विकास और दूसरे उद्देश्यों के लिए जहाँ संघ के अधीन ऐसा विकास संसद द्वारा कानून द्वारा आवश्यक अथवा लोक हित में घोषित किया जाए।'

श्रीमन, मैं केवल एक टिप्पणी करना चाहता हूँ कि डॉ. अम्बेडकर के संशोधन की तुलना में मेरा संशोधन अधिक प्रभावशाली है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मैं कहना चाहूँगा कि श्री बृजेश्वर प्रसाद जो कुछ चाहते हैं मेरे संशोधन में सम्मिलित है और इसलिए इसे स्वीकार करना अनावश्यक है।

(श्री बृजेश्वर प्रसाद ने संशोधन वापिस ले लिया। डॉ. अम्बेडकर का संशोधन स्वीकार कर लिया गया। अनुच्छेद 74 संशोधित रूप में संविधान में सम्मिलित कर लिया गया।)

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 1 सितम्बर, 1949, पृ. 830

प्रविष्टि 75

*प्रविष्टि 75 का श्री नजीरुद्दीन अहमद का संशोधन डॉ. अम्बेडकर के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। अतः सदन के द्वारा नकार दिया गया। प्रविष्टि 75 संशोधित रूप में सूची में सम्मिलित की गई।

प्रविष्टि 76

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है :

"कि सूची I की प्रविष्टि 76 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए :

'76. संघ अभिकरणों द्वारा नमक बनाना, आपूर्ति और वितरण, दूसरे अभिकरण द्वारा नमक बनाना, आपूर्ति और वितरण का विनियमन और नियंत्रण"।

(प्रविष्टि 76 संशोधित रूप में संघ सूची में जोड़ी गई।)

श्री महावीर त्यागी (संयुक्त प्रांत : सामान्य) : श्रीमन, जब आप प्रश्न को मतदान के लिए रखते हैं तो डॉ. अम्बेडकर माइक के परे कहते हैं 'अइश' जिसके परिणामस्वरूप, प्रस्ताव समर्थक लोग बड़े जोर से चिल्लाते हैं।

प्रविष्टि 79

****माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** श्रीमन, प्रविष्टि 79 के बारे में, मैं एक मत व्यक्त करना चाहता हूँ। सदन के कुछ सदस्यों की धारणा है कि यदि प्रविष्टि 79 सूची 1 में रही, तो शेयर बाजार पर लगाये गये किसी कर की प्राप्ति और भावी बाजार और स्टांप शुल्क संव्यवहार को छोड़ कर 'कर' केंद्र द्वारा विनियोजित कर लिए जाएंगे। मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि शेयर बाजार और भावी बाजार सूची 1 में रखने में प्रारूपण समिति का कोई इरादा नहीं है कि इस प्रविष्टि द्वारा लगाए गए करों की प्राप्ति के विनियोजित करने का अधिकार केंद्र रखेगा। परिणामस्वरूप, प्रारूपण समिति सभी प्रकार की शंकाएं दूर करने के लिए प्रस्ताव करती है कि अनुच्छेद 250 को संशोधित करे जो कुछ करों की प्राप्ति प्रांतों में वितरित करना चाहती है। हम जो प्रस्ताव करना चाहते हैं वह पारिणामिक उपबंध हैं जो अनुच्छेद 250 में जोड़ा जाए उसमें खण्ड (क) से (घ) हैं वितरण योग्य करों की गणना, शेयर बाजार और

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 1 सितम्बर, 1949, पृ. 831

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 1 सितम्बर, 1949, पृ. 831

भावी बाजार पर करों की प्राप्ति, इसलिए प्रदेशों के मध्य वितरण के अधीन वे होंगे। मुझे भरोसा है कि इससे वे सभी शंकाएं दूर हो जाएंगी जो कुछ सदस्यों को है कि वह प्रविष्टि यदि सूची 1 में रहेगी तो केन्द्र को करों को विनियोजित करने की शक्ति होगी। यह इरादा नहीं है। प्रविष्टि विशुद्ध रूप से विधायी है। इसमें वित्तीय झंझट बिल्कुल भी नहीं होगा।

पंडित हृदयनाथ कुंजरू (संयुक्त प्रदेश : सामान्य) : क्या मैं डॉ. अम्बेडकर से पूछ सकता हूँ कि इस संबंध में क्या वह अनुच्छेद 277 को उपान्तरण करने का इरादा रखते हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : ठीक है, विषय को सदृश बनाने के लिए किसी भी आवश्यक परिणाम के उपबंध को लाने पर विचार करूँगा।

(प्रविष्टि 79 संघ सूची में जोड़ी गई।)

प्रविष्टि 81

सभापति महोदय, मैं पेश करने की आज्ञा चाहता हूँ।

***श्री बृजेश्वर प्रसाद** :

'संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 3572 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएः

कि सूची I प्रविष्टि 81 के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाए :

"81. कृषि भूमि सहित संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क "

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मैं यह बताना चाहूँगा कि सम्मेलन में प्रांतीय प्रीमियरों से इस विषय पर विचार–विमर्श किया गया था। उनकी राय थी कि यद्यपि सिद्धांत बहुत अच्छा हो सकता है फिर भी इस पर वे आमूलचूल बदलाव के लिए तैयार नहीं थे।

(श्री बृजेश्वर प्रसाद का संशोधन वापिस किया गया और प्रविष्टि 81 संघ सूची में जोड़ी गई।)

* * * *

---

*· सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 1 सितम्बर, 1949, पृ. 833

प्रविष्टि 83

*__माननीय सभापति :__ इसके दो संशोधन हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है :

"कि सूची I की प्रविष्टि 83 में शब्द 'रेलवे के पश्चात' एक कौमा और 'समुद्र' शब्द जोड़ा जाए। 'समुद्र' शब्द को जोड़कर प्रविष्टि पूरी करने का इरादा है जो प्रमाद/असावधानी से छूट गया था।

* * * *

**__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :__ श्रीमन, मैं डॉ. देशमुख का संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि 'भूमि' शब्द का जोड़ना केंद्र को सड़क से ले जाए गए माल व सवारियों पर सीमा कर लगाने की भी अनुज्ञा देगा। हमारी योजनानुसार सड़क से जाने वाले माल व सवारियों पर सीमा कर केवल विभिन्न राज्यों के अधिकार क्षेत्र में होगा। यह मुख्य उद्देश्य है जिसके कारण मैं संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। श्रीमन, आपको याद होगा कि उन्होंने ऐसा ही संशोधन दूसरे अवसर पर पेश करने की कोशिश की थी जिसे सदन ने अस्वीकार कर दिया था।

अब श्री सिधवा के बारे में, इस विषय पर पिछली बार पुनः बहस हुई थी और मैंने कहा था कि यद्यपि ये कर केंद्र द्वारा लगाए जाने योग्य थे, उससे होने वाली प्राप्ति विभिन्न राज्यों के मध्य वितरित होगी। केंद्र उसमें किसी हित का दावा नहीं करेगा। यदि राज्य प्राप्ति लेने के पश्चात् उसका कुछ भाग स्थानीय निकायों को देना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने की स्वतंत्रता होगी। कर संबंधी किसी विषय के लिए जो स्थानीय प्राधिकार के लिए प्राप्त हो, इस संविधान में उपबंध करना संभव नहीं है। यह राज्य और स्थानीय प्राधिकरण के बीच का मामला है। इसलिए अब इस प्रविष्टि को संशोधन अथवा उसे सूची II में अंतरित करके बदलना संभव नहीं है।

(श्री आर के सिधवा व डॉ पी एस. देशमुख ने अपने संशोधन वापिस लिए।)

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 83 में 'रेल' शब्द के पश्चात एक कौमा और 'समुद्र' शब्द जोड़े जाएं।

(डॉ. अम्बेडकर का संशोधन स्वीकार कर लिया गया। प्रविष्टि संख्या 83 संशोधित रूप में संघ सूची में जोड़ी गई।)

---

*. सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 1 सितम्बर, 1949, पृ. 833

**. सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 1 सितम्बर, 1949, पृ. 838

प्रविष्टि 86

(संशोधन संख्या 54 पेश नहीं किया गया।)

*__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :__ श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है :

"कि सूची I की प्रविष्टि 86 में 'गैरस्वापिक औषधियाँ' शब्द लुप्त कर दिए जाएं।"

प्रस्तावित सूची 'गैरस्वापिक औषधियों' को समवर्ती सूची में रखती है।

**__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :__ श्रीमन, यह बिल्कुल सही है कि वर्तमान में यह प्रविष्टि प्रादेशिक सूची में है। लेकिन, दो तथ्य ऐसे हैं जिन्हें मानना होगा। पहला है कि किसी प्रदेश ने अब तक किसी समय इन इकाइयों पर कोई कर नहीं लगाया। दूसरे जब विषय समवर्ती होता है और केंद्र द्वारा कोई विधान बनाया जाता है, जिसकी आकृति राजस्व की होती है तो राजस्व अनुच्छेद 253 के खण्ड 2 के उपबंध के अधीन बांटने योग्य होगा। परिणामस्वरूप, जहाँ तक वित्त का प्रश्न है, राज्यों को किसी प्रकार की भी कोई हानि नहीं है। तब यह आवश्यक है कि संपूर्ण क्षेत्र में लागू अखिल भारतीय ड्रग्स एक्ट हमारे पास होना चाहिए। जब तक गैरस्वापिक औषधियाँ समवर्ती सूची में नहीं रख दी जातीं यह नहीं हो सकता।

यह प्रांतों को ऐसे स्थानीय विधान बनाने की शक्ति को भी बचाती है, जैसे वे इन औषधियों के बारे में पसंद करें।

माननीय सभापति : मैं डॉ. अम्बेडकर द्वारा लाए गए संशोधन को रखता हूँ। प्रश्न है :

(संशोधन स्वीकार किया गया। प्रविष्टि 86 संशोधित रूप में संघ सूची में जोड़ी गई।)

प्रविष्टि 86क

***__श्री एच वी कामथ :__ मैं नहीं जानता क्या मेरे संशोधन में चिकित्सा और वैज्ञानिक संबंधी परिभाषा गलत समझी गई है। यह परिभाषा औषधि बनाने की मानक पुस्तक में मिलेगी।

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 1 सितम्बर, 1949, पृ. 837

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 1 सितम्बर, 1949, पृ. 839

***सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 1 सितम्बर, 1949, पृ. 840

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : हमें शक्ति प्राप्त है। यह प्रविष्टि 20 में आती है जिसे हम समवर्ती सूची में रखने जा रहे हैं।

(श्री एच वी कामथ का संशोधन अस्वीकार किया गया।)

प्रविष्टि 88क

*__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :__ मुझे आशा है कि मेरे मित्र संयुक्त राज्यों के उच्चतम न्यायालय के 4 पृष्ठ के फैसले को पढ़ने नहीं जा रहे हैं। यह प्रत्येक व्यक्ति को परिचालित किया गया था।

श्री देशबंधु गुप्त : मेरे मित्र के लिए यह मानना गलत होगा कि पूरा फैसला पढ़ा जाएगा। वास्तव में, यदि कुछ सारांश पढ़ना आवश्यक है तो मैं ऐसा करूंगा। मैं उन भागों को निर्दिष्ट कर रहा हूँ जो मेरे द्वारा उठाए गए बिंदुओं के अनुरूप हैं। मैं इशारा करना चाहता हूँ कि उन प्रकाशकों द्वारा इस आधार पर आपत्ति की गई थी कि संघीय संविधान को दो विशेष स्थानों पर नहीं माना गया था :

(1) कि चौदहवें संशोधन की धारा ᑊ के खंड में दिए ढंग के विरुद्ध यह प्रेस की स्वतंत्रता को कम करता है;

(2) उस संशोधन के विरुद्ध यह अभियुक्त को समान संरक्षण नहीं देता/मना करता है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं भी व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हो रहा हूँ।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : एक ही समय पर दो व्यवस्था के प्रश्न नहीं हो सकते।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरा व्यवस्था का प्रश्न प्रारंभिक है। क्या मेरे मित्र ने जो संशोधन पर हस्ताक्षर करने वालों में हैं– उनका नाम यहाँ श्री सीताराम जाजू के पश्चात् है,– पहले ही अपने संशोधन की सूचना दे दी है क्या वह अब कह सकते हैं कि यह क्रम से नहीं है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यदि उन्होंने अपने संशोधन को संशोधित करने का प्रस्ताव किया होता तो वह क्रम में होता।

श्री देशबंधु गुप्त : मुझे अपनी राय बदलने का पूरा अधिकार है जैसा कि मेरे मित्र ने प्रायः किया है।

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 1 सितम्बर, 1949, पृ. 841

माननीय सभापति : यदि उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं तो भी, मैं नहीं जानता कि उन्होंने 88क के लिए हस्ताक्षर किए हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : उनका नाम श्री देशबंधु गुप्ता है।

* * * *

***माननीय सभापति** : मैं सदस्यों को मुख्य प्रश्न पर सुनना पसंद करूंगा। लेकिन ऐसा करने से पहले, मैं जानना चाहूँगा कि क्या प्रारूपण समिति इस मद पर दुबारा विचार करना चाहेगी?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इस सदन में व्यक्त बहुत–सी विचार धाराओं को हम सुनना चाहेंगे और तब यदि सदन अथवा आप, श्रीमन, देखें कि अभी किसी निश्चित परिणाम पर पहुँचना संभव नहीं है तो मामला प्रारूपण समिति को सौंप दिया जाए। इसलिए, प्रारूपण समिति बहुत–सी विचारधाराओं के व्याख्यानों पर विचार कर सदन को स्वीकार्य कोई सिद्धांत ढूँढ सके। लेकिन, मैं नहीं समझता कि इसे दुबारा लिखने का यत्न करने का कोई उपयोग है। हमारे पास यहाँ बहुत ही निश्चित संशोधन हैं। एक यह मेरे मित्र का है, दूसरा मेरे मित्र झुंझुनूवाला का है– बिल्कुल निश्चित संशोधन।

माननीय सभापति : वास्तव में दो दषष्टिकोण हैं जिन पर विचार किया जाना है। एक क्या पूर्व अनुच्छेद की दृष्टि से, जिसे हम पहले ही पारित कर चुके हैं, वह संशोधन ठीक–ठाक है जो श्री गोयनका द्वारा पेश किया जाना प्रस्तावित है और दूसरा है......

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मुझे ऐसा कहने की इजाजत हो तो यह विषय इस आधार पर तय नहीं हो सकता कि क्या कोई बात शक्ति के बाहर होगी अथवा क्या कोई बात शक्ति के बाहर नहीं होगी। उसको तय करने के लिए यह सदन सक्षम नहीं है। यह एक न्यायिक विषय है। सदन को यह निश्चित करना चाहिए कि क्या हम अखबारों को बहुत से प्रविष्टियों से संरक्षण देना चाहते हैं जो या तो सूची I, सूची II अथवा सूची III में सम्मिलित हैं और यदि इन प्रविष्टियों से कोई छूट देना चाहते हैं तो किस हद तक, इसके बारे में हमें आश्वासन देना चाहिए। हम यहाँ किसी अखबार वाले व्यक्ति को किसी प्रकार का आश्वासन नहीं देना चाहते कि हमने एक मामला है जो फूलप्रूफ व नेव प्रूफ है। हम यह आश्वासन नहीं दे सकते। इस प्रकार अच्छा होता यदि हम इस विशिष्ट प्रश्न का विनिश्चय करते कि क्या हम अखबारों को बहुत–सी प्रविष्टियों के प्रवर्तन से संरक्षण देना चाहते हैं। यह मुख्य प्रश्न है।

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 1 सितम्बर, 1949, पृ. 843–44

*__माननीय सभापति__ : आपको इस प्रश्न पर भी विचार करना चाहिए कि कहीं यह अनुच्छेद 13 का उल्लंघन तो नहीं करता।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : उस पर हमारे कुछ विचार हैं और यदि आप सुनने के लिए तैयार हैं, मैं उन्हें निवेदित करूँगा।

* * * *

**__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर__ : श्रीमन, मैं आरंभ में कहना चाहूँगा कि व्यवस्था का प्रश्न क्या है अथवा मैंने इसे कैसे समझा है क्योंकि यदि मैं गलत होऊँ तो मैं आरंभ में ही सही होना चाहूँगा। यदि व्यवस्था का प्रश्न यह दिखाई देता है कि तथ्यों के विचार से कि इस सभा ने अनुच्छेद 13 पारित किया है जो मूल अधिकारों का एक भाग है और जो कहता है कि सभी नागरिकों को वाक् या अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार होगा। इस दृष्टि से इस सदन के लिए एक अनुच्छेद पारित करने की छूट है जो अनुच्छेद 13 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों को कम करेगा? मैं मानता हूँ कि यही वह बिंदु है जिस पर हमें अब विचार करना है।

इस प्रतिपादन के समर्थन में कि यह सदन किसी प्रकार के प्रस्ताव पर विचार करने से विवर्जित है जिसका परिणाम वाक् स्वातंत्र्य को सीमित करना होगा; संयुक्त राज्य अमरीका के उच्चतम न्यायालय के एक फैसले का उदाहरण दिया जाता है जिसे मैंने पूरा नहीं पढ़ा है। केवल उसका भाग पढ़ा है। यह कहा गया है कि प्रेस पर लगाया गया कोई कर इस तथ्य की दृष्टि से—मैं संयुक्त राज्य अमरीका की भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ— शक्ति बाह्य है कि प्रेस की स्वतंत्रता को कम करती है।

श्री देशबंधु गुप्त : आय कर को छोड़कर ....। फैसले में यही कहा गया है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, अब विशेष मामले के तथ्यों के विवरण से यह स्पष्ट नहीं है कि विशेष कर की प्रकृति क्या थी, जिसे लेकर विवाद था और न इस कर विशेष की कठोरता/तीव्रता के बारे में कुछ स्पष्ट है जिसे प्रश्नगत किया गया था। मेरे निर्णय में कर लगाने के अलावा कर की कठोरता यह विचार करने के लिए एक तत्व होगी कि क्या कर शक्ति से बाहर है अथवा नहीं। जैसा मैंने कहा था इस निर्णय में इस महत्वपूर्ण तथ्य का कोई हवाला नहीं है। इसलिए मैं उस फैसले की अनुशंषा करने के लिए तैयार नहीं हूँ।

मैं तर्कों की दूसरी विचार धारा के साथ अग्रसर हो रहा हूँ जो मेरे विचार में सारवान है और जिनकी कोई भी आलोचना नहीं की जा सकती। वह प्रथम बिंदु

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 1 सितम्बर, 1949, पृ. 845

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 1 सितम्बर, 1949, पृ. 848—851

जिसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ यह है कि इस तथ्य के होते हुए भी कि संवैधानिक गारंटियाँ जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में दी गई। अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि संविधान द्वारा गारंटी किए गए मूल अधिकार पूर्ण नहीं है और संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस को संविधान में प्रयोग की गई भाषा के होते हुए भी; उन मूल अधिकारों पर उचित पाबंदियाँ लगाने का अधिकार है। वास्तव में मैं सदन को याद कराना चाहूँगा कि मैंने अपने आरंभिक भाषण में जो मैंने प्रस्ताव के समर्थन में दिया था कि इस सदन को प्रारूप, संविधान पर विचार करना चाहिए, मैंने मामले पर विचार करने के लिए जो समुचित भाग दिया, क्योंकि जिसपर अखबारों तथा दूसरों के द्वारा आलोचना सुनी थी जिसपर किसी हद तक ध्यान व इज्जत देने के लिए मैं बाध्य हूँ कि हमारे मूल अधिकार बिल्कुल मूल्य रहित हैं क्योंकि वे बहुत–सी परिसीमाओं के अधीन थे जो प्रस्ताव में गिनाई गई थी जो अनुच्छेद 13 के बाद में आने वाली प्रतिपादनों में अर्थात् खण्ड (2), (3), (4) और (5) में प्रगणित हैं।

इन आलोचनाओं का उत्तर देने की खातिर इस मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसलों की जांच करने का कष्ट उठाया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक समय मैंने महसूस किया था कि संवैधानिक गारंटी जिन्हें मूल अधिकार कहा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में पूर्ण शब्दों में बिना किसी पाबंदी के प्रतिपादित किए गए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय को उन उपबंधों को सीमित करने की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने वही स्थिति अपनाई जिसे हमने संविधान बनाने में अपनाया है जैसे यह कि मूल अधिकार चाहें कितने भी मूल हों वे पूर्ण अधिकार नहीं हो सकते। वे किन्हीं परिसीमाओं के अधीन अवश्य होने चाहिए।

अब यदि सदन मुझे आज्ञा देगा तो मैं अपने भाषण में से केवल एक अंश उद्धृत करूंगा। जो मैंने कहा था वह इस प्रकार है, 'गिटलो बनाम न्यूयार्क' में जिसमें विचारणीय विषय संवैधानिक तौर पर न्यूयार्क का 'आपराधिक अशासन' कानून था। जिसका अभिप्राय क्रांतिकारी बदलाव लाने के बारे में विचारणीय निर्णय थे, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा थाः'

'यह मूलभूत सिद्धांत बहुत पहले से स्थापित है कि बोलने व प्रेस की स्वतंत्रता, जो संविधान के द्वारा संरक्षित है बोलने अथवा प्रकाशित करने के लिए पूर्ण अधिकार बिना इस जिम्मेवारी के है कि एक व्यक्ति क्या चुनता है; अथवा असीम और अमर्यादित लाइसेंस जो हर प्रकार की भाषा जानने के लिए हर संभव प्रयोग की आजादी देता है और उनको दण्ड से मुक्त करता है/बचाता है जो स्वतंत्रता को कोसते हैं/ बुरा कहते हैं।'

और मैंने दूसरे बहुत से मामलों का हवाला दिया। मेरा संपूर्ण मुद्दा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भी, यह एक मान्य सिद्धांत है कि मूल अधिकारों पर कुछ पाबंदियां होनी चाहिएं। मेरे फैसले से उन पर कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता। इसलिए, जहाँ तक हमारी प्रविष्टि... मैं एक क्षण के लिए भी संशोधन करने नहीं जा रहा हूँ – विज्ञापनों पर करों के बारे में है, मेरा निवेदन है कि उस प्रविष्टि पर कोई प्रश्न न किया जाए जो प्रविष्टि इस सदन की कुछ करने की शक्ति से बाहर है क्योंकि यह प्रेस की स्वतंत्रता पर कुछ पाबंदियाँ लगाने जा रही है, यदि प्रादेशिक सरकारों ने इसके अनुसार कार्रवाई की। मैं उस भाषांतर को स्वीकार करने से बिल्कुल मना करता हूँ कि 'विज्ञापन' शीर्षक के अंतर्गत लगाया गया कोई कर किसी की शक्ति के बाहर होगा क्योंकि वह अनुच्छेद 13 का उल्लंघन करेगी।

जो प्रतिपादन मैं निवेदन करता हूँ वह घोषित की जा सकती थी और जो सत्यभाषक है और जो स्वीकार की जानी चाहिए वह यह है कि किसी कठोर प्रकार के कर का अखबार पर लगाना जिसका परिणाम इसे पूर्णतः छुड़ा देगी। दूर कर देगा, जैसे कर लगाने की शक्ति का प्रयोग किसी की शक्ति के बाहर होगा क्योंकि यह बोलने की स्वतंत्रता को पूर्णतः रोक देगी जो अनुच्छेद 13 द्वारा गारंटीकृत है। जहाँ तक विज्ञापनों पर करों का लगाना उचित प्रकृति का नहीं है और भेदभाव पूर्ण है, यह कहना चाहिए कि यह केवल अखबारों तक सीमित है और दूसरे प्रकार के विज्ञापनों को छूट है, तब मैं समझ सकता हूँ कि वह अनुच्छेद 15 का विरोध करेगा जिसके अधीन हम सबको समान संरक्षण देने का प्रस्ताव करते हैं। इसलिए, मेरा निवेदन है कि जिस तर्क के अनुसार, कोई चीज जो अखबारों को और बोलने की स्वतंत्रता अथवा अखबारों में लिखने को प्रभावित करती है, किसी की शक्ति के बाहर होगी, मैं यह कहने की स्वतंत्रता चाहता हूँ; वह ऐसा तर्क नहीं है जिसे मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ, मैं आशा करता हूँ कि यह सदन स्वीकार नहीं करेगा।

अब मैं दूसरे प्रश्न पर आता हूँ। यह बिल्कुल सही है कि कुछ हालात के कारण जो कुछ प्रदेशों में उभर कर आए हैं इस प्रविष्टि विशेष को अंतरित करना आवश्यक होगा जो सूची I से सूची II अथवा सूची III में रखने के बारे में है। यह संवैधानिक कानून का विषय नहीं है। यह नीति और आत्मविश्वास का विषय है जिसे आप केंद्र में अधिक विश्वास रखने के लिए तैयार हों अथवा क्या आप प्रदेशों में अधिक विश्वास रखने के लिए तैयार हों अथवा क्या आप प्रदेशों में विश्वास रखने के लिए तैयार हैं लेकिन क्या केंद्र के लिए कुछ स्वतंत्रता और शक्तियां आरक्षित करना और किसी गलती को ठीक करना पसंद करेंगे कि प्रांत को एक ऐसा विषय करना चाहिए जो वाद–विवाद के लिए खुला है। यह वही है जिस पर हम वाद–विवाद

कर रहे हैं कि क्या प्रविष्टि विशेष सूची I में रहेगी अथवा सूची I में एक भाग और सूची II अथवा सूची III में।

सदन को उस पर वाद–विवाद करने की संपूर्ण स्वतंत्रता होगी और कोई यह सुझाव देने नहीं जा रहा है कि अनुच्छेद 13 के कारण सदन के हाथ बंधे हुए हैं और वह अखबारों पर किसी प्रकार की पाबंदियां लगाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं इस वाद–विवाद को पूर्णतः अस्वीकार करता हूँ।

श्रीमन, अब मैं बहुत से संशोधनों पर आना चाहूँगा। यदि आप मुझे आज्ञा देंगे तो मैं उन पर चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि जो मेरा अनुकरण करेंगे वे मेरा उसी का अनुकरण करंगे जो कुछ मैं कह रहा हूँ। मुझे यह दिखाई देता है कि जो मित्र समाचार प़त्रों में रुचि रखते हैं वे वास्तव में पूर्ण मुक्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, मानो कर लगाने की किसी किस्म से जो प्रदेश द्वारा लगाये जाने चाहिए। मेरे मित्र गोयनका तथा अन्य बहुतों द्वारा रखा गया पहला संशोधन यहाँ पचास अथवा साठ नाम हैं – यह है कि इसे संघ सूची में अंतरित कर दिया जाए। यह करने के लिए उन्होंने कुछ किया है जो हम लोगों ने नहीं किया है। हमारी अखबारों की प्रविष्टि कर लगाने से संबंधित नहीं है। वे सदस्य जिन्होंने सूची I और सूची II में नजदीक से प्रबंध की देखरेख नहीं की है यह महसूस करेंगे कि हमने प्रविष्टियों को दो भागों में अलग–अलग किया है, वे प्रविष्टियाँ जो पूर्णतः विधायी हैं और वे प्रविष्टियां जो कर योग्य हैं। आपको स्मरण होगा कि समाचार पत्र, यद्यपि वे सूची III में वर्णित हैं। केवल विधायी प्रविष्टियों में वर्णित है। अब, मेरे मित्र गोयनका द्वारा पेश किए गए संशोधन ने अपने विचार से सबसे घटिया काम किया है अर्थात् उसने समाचार पत्रों को सूची I के उस भाग में रखा जो कर लगाने के विषय में है। इसका तात्पर्य कि अब केंद्र समाचार पत्रों पर कर लगाने के लिए स्वतंत्र होगा। (सुनिए, सुनिए) मैं समाचार पत्रों को पसंद नहीं करता और मैं उनको दुःखी करने अथवा बचाने में रुचि नहीं ले रहा संपूर्ण मामला मैं सदन के हाथों में सौंपने के लिए तैयार हूँ जो वह चाहे करें।

मेरे मित्र झुंझुनवाला द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव क्या है? वह सोचते हैं कि यद्यपि समाचार पत्र सूची I में अंतरित हो जाने चाहिए फिर भी समाचार पत्र माल की भांति बेचने के लिए है, अब भी सूची II में रहेंगे, क्योंकि उस सूची में प्रविष्टि बहुत बड़ी प्रविष्टि है और समचार पत्रों को माल की भांति अपने में समेट लेगी। इसलिए वह महसूस करते हैं कि श्री गोयनका का संशोधन स्वीकार करने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता क्योंकि प्रांतों द्वारा उस प्रविष्टि के अधीन कर लगेंगे जैसे माल की बिक्री से संबंधित प्रविष्टि के अधीन। इसलिए उन्होंने अपना संशोधन समाचार पत्रों को 'बिक्री कर अधिनियम' से बाहर रखने के लिए किया है।

अब विचार करने के लिए प्रश्न है कि क्या प्रदेश इससे सहमत होंगे कि जिसे मैं महत्वपूर्ण भाग कहता हूँ जिसे मुझे कर लगाने का आधार कहना चाहिए जैसा समाचार पत्रों ने बनाया है प्रांतीय कर प्रणाली से सर्वथा हटा देना चाहिए। यह ऐसा विषय है जिस पर विचार होना चाहिए। श्रीमन, वित्तीय विषय होने के कारण मैं नहीं समझता कि प्रारूपण समिति बिना वित्त मंत्रालय अथवा प्रदेशों के वित्त मंत्रियों से विचार–विमर्श के अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होगी। जहाँ तक शुद्ध विधायी प्रविष्टियों से संबंधित विषय है, हम बहुत बड़ी जिम्मेवारी ले रहे हैं। जब वित्तीय प्रश्न का संबंध है, यहाँ स्थायी लोक सम्मति है हमें सदैव केंद्रीय वित्त मंत्रालय से परामर्श करना चाहिए तथा विभिन्न प्रदेशों के वित्त मंत्रियों से भी।

इसलिए ये कठिनाइयाँ हैं जो इन संशोधनों में हैं। अब मैं नहीं जानता, समाचार पत्रों की प्रविष्टि को आप संघ सूची को अंतरित करते हैं, केंद्र समाचार पत्रों पर उत्पादक की भांति कर लगाएगा क्योंकि भारत के किसी भाग में उत्पादित माल पर केंद्र को सीमा शुल्क लगाने का अधिकार है। मुझे यह प्रतीत होता है कि कर से बचना समाचारपत्रों के लिए कठिन होगा। इन सभी बातों पर विचार किया जाना चाहिएं। ये असंबद्ध विषय है जिसके लिए इस स्तर पर मैंने बयान दिया है क्योंकि मैं सोचता हूँ कि प्रत्येक सदस्य को जो बहस में भाग लेना चाहता है कठिनाइयाँ जाननी चाहिए। इन सब में मैं इस समय रुचि क्यों ले रहा हूँ इसका कारण यह है कि इस समय सदन के सामने किसी प्रकार की पाबंदियों पर विचार करने के लिए कोई रूकावट नहीं है तभी हमने अनुच्छेद 13 पारित कर दिया है। सदन के सामने उसकी स्वीकृति के लिए लाने के लिए, मेरे अनुसार मालुम की गई स्थिति बहुत खतरनाक है। यह पूर्णरूप से कर निर्धारण को छोड़ देगी। यदि आप कहते हैं कि क्योंकि मूल अधिकारों की गारंटी है इसलिए कर लगाने की शक्ति का भी प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए क्यों उसका परिणाम परिमितता होगा अथवा मूल अधिकारों की बर्बादी, यह प्रतिपादन बहुत बड़ा है और मैं नहीं सोचता कि कोई इसे कभी स्वीकार करेगा।

* * * *

पंडित ठाकुरदास भार्गव : मान लीजिए अधिकार पूर्णतः नष्ट नहीं होते, बल्कि उनमें कटौती होती है या हस्तक्षेप तो क्या इसमें वे नहीं आएंगे?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : उचित क्या है, न्यायालय इसका फैसला करेगा।

श्री अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर : अपने भाषण में मैं कुछ भी जोड़ना नहीं चाहता।

(इस स्तर पर श्री देशबंधु गुप्त बोलने के लिए उठे।)

माननीय सभापति : मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की स्थिति में किसी प्रकार के उत्तर का अधिकार है।

श्री देशबंधु गुप्त : व्यवस्था के प्रश्न पर मैं एक या दो बात स्पष्ट करना चाहता हूँ जिनसे मालुम होता है भ्रांति पैदा हुई है।

माननीय सभापति : नहीं, प्रश्न है कि आपको उत्तर देने का अधिकार है अथवा नहीं।

एक माननीय सदस्य : सभापति जी पहले ही कह चुके हैं कि आदरणीय सदस्य को उत्तर देने का अधिकार नहीं है।

श्री देशबंधु गुप्ता : श्रीमन, चूंकि कुछ मुद्दे उठाए गए हैं। इसलिए मैं उन पर बयान देने के लिए निवेदन करता हूँ, खासतौर पर इसलिए कि इस ओर से कोई वक्ता श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर के मुद्दा उठाने के पश्चात् नहीं बोला है।

माननीय सभापति : मैं सोचता हूँ, आपकी ओर से बड़ी संख्या में व्यक्ति बोलें हैं और आपकी विचारधारा को लेकर।

मैंने व्यवस्था के प्रश्न को समझ लिया है जो उठाया गया है। मैं इन पर विचार करूंगा और बाद में अपना निर्णय बताऊंगा लेकिन इस समय मैं डॉ. अम्बेडकर से दूसरे मुद्दों पर विचार करने के लिए कहूँगा जिनको स्वयं उन्होंने उठाया है। यह मानकर कि मैं व्यवस्था देता हूँ कि यह क्रमानुसार है तभी मैं उनसे योग्यता के आधार पर उत्तर देने के लिए तैयार होने की आशा करूंगा कि क्या आप इसे इस सूरत में रखना पसंद करेंगे जिसमें श्री गोयनका ने पेश किया है अथवा श्री झुंनझुंनवाला से संशोधन कराना चाहेंगे।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : ऐसी दशा में वह संशोधन वापिस लेंगे।

श्री देशबंधु गुप्ता : संशोधन पेश नहीं किया गया है। इसे पेश करने के लिए मैं अपवाद चाहता हूँ।

माननीय सभापति : मैं अपना निर्णय बाद में दूँगा। अब हम दूसरे विषय लेंगे। कुछ नये अनुच्छेद प्रस्तावित हुए हैं। कुछ छपी सूची में है उन पर जाने से पूर्व आइए दूसरी प्रविष्टियों पर आएँ।

* * * *

प्रविष्टि 91

*श्री नजीरुद्दीन अहमद : मैं संशोधन पेश नहीं करूँगा; लेकिन मैं प्रविष्टि पर बोलूँगा।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : गाने के साथ बच्चे को प्रस्तुत क्यों नहीं करते? केवल गाना ही क्यों? आप संशोधन पेश करें और भाषण भी दें।

* * * *

**माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : सभापति महोदय, मैं सरदार हुक्म सिंह द्वारा उठाये ऐतराज के बारे में कार्य करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं नहीं समझता कि उन्होंने प्रविशिट 91 के उद्देश्य को समझा है इसलिए मैं बहुत स्पष्ट बता देना चाहूँगा कि सूची में प्रविष्टि 91 का उद्देश्य क्या है। इसलिए सूची I की सीमा अथवा क्षेत्र की परिभाषा करना वास्तविक है और मैं सोचता हूँ कि हम मामले से पहले ही निपट सके होते अर्थात् प्रविष्टि सूची II और III के साथ जोड़कर उसकी परिभाषा और क्षेत्र बताया होता जो इस प्रकार थी –

"सूची II अथवा III में शामिल की गई कोई चीज सूची I में समझी जायेगी"

वास्तव में इसका यहीं उद्देश्य है। यह दो भिन्न मार्गों में कार्य कर चुकी होगी या तो सूची I में प्रविष्टि 91 जोड़कर या एक प्रविष्टि रखकर जिसका सुझाव मैंने दिया था –

"कि सूची II अथवा III में सम्मिलित न की गई कोई चीज सूची I में आएगी।"

इसका यही उद्देश्य है। किन्तु ऐसी प्रविष्टि आवश्यक है और इसके विषय में यहाँ कोई प्रश्न नहीं हो सकता। अब मैं दूसरे विवाद पर आता हूँ जो यद्यपि खुलासा नहीं है पर काना–फूसी करके बार–बार दुहराया गया है कि हमने सूची I में प्रविष्टि 91 क्यों रखी है, वास्तव में हमारे पास अनुच्छेद 223 है जो अवशिष्ट अनुच्छेद कहलाता है जो "समवर्ती सूची अथवा राज्य सूची में अंकित किसी विषय से संबंधित विषय पर केवल संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है।" मैं प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ कि केन्द्र को दिये गये संविधान के स्पष्ट अनुच्छेद से जब कोई चीज सूची II अथवा सूची III सम्मिलित नहीं की गई है, तो यह अनावश्यक है कि सूची I में बशर्ते किसी किस्म को हम गिनें। ऐसा क्यों किया गया है उसका कारण यह है बहुत से राज्यों के मनुष्य खासतौर से भारतीय राज्यों के संविधान सभा

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 1 सितम्बर, 1949, पृ. 854

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 1 सितम्बर, 1949, पृ. 856–57

के कार्य के आरंभ से यह जानने के लिए इच्छुक थे कि केन्द्र की विधायी शक्तियां क्या हैं? वे खासतौर से व श्रेणीवार ढंग से यह जानना चाहते थे; यह कहकर संतुष्ट नहीं हो रहे थे कि केन्द्र को केवल **अवशिष्ट** शक्तियाँ प्राप्त होगी।

प्रदेशों और देशी रियासतों से भयभीत होकर हमें विशेष रूप से यह बताना था कि चिह्न वाक्य में **अवशिष्ट शक्तियाँ** क्या सम्मिलित हैं।

यही कारण है कि इस तथ्य के होते हुए भी हम इस कार्य में लगे कि हमने अनुच्छेद 223 रखा।

मुझे यह भी कहना चाहिए कि इसके बारे में यहाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं है जहाँ तक हमारे संविधान का प्रश्न है इसका मात्र कारण यह है कि सभी संघीय संविधानों का यह अभ्यास रहा है कि वह कैद की शक्तियों को बढ़ाये यहाँ तक कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ समितियाँ के पास थीं उन्हें भी केन्द्र को दे दिया। उदाहरण के लिए कनाडा के संविधान को देखिए।

भारतीय संविधान की भांति कनाडा का संविधान जिन्हें अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं कनाडा की संसद को है। कुछ निश्चित व गिनी हुई शक्तियां प्रदेशों को दी गई हैं। इस तथ्य के होते हुए भी, मैं समझता हूँ कि कनाडा के संविधान के अनुच्छेद 99 में कुछ श्रेणियां और कुछ प्रविष्टियां गिनाता है जिन पर कनाडा की संसद कानून बना सकती है। फ्रेंच राज्यों के डर को दर्शाने के लिए यह दुबारा किया गया जो कनाडा संघ की मुख्य भाग बन गये।

इसी प्रकार, भारत शासन अधिनियम में भी वही योजना लिखी गई और भारत शासन अधिनियम, 1935 का अनुच्छेद 104 यहाँ के अनुच्छेद 223 के समान है। इसमें वह प्रस्तावना भी लिखी गई है कि केन्द्र को अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त होंगी। तथापि यहाँ सूची I है। इसलिए यहाँ इस विषय पर दोष निकालने का कोई कारण व आधार नहीं है। ऐसा करने में जैसा मैंने कहा हमने यह जानने के लिए कि अवशिष्ट शक्तियाँ क्या हैं हमने बहुत से राज्यों की आवश्यकताओं का अनुकरण किया है और हमने चिर–परिचित रीति–रिवाजों का अनुकरण किया है जिनका अनुकरण दूसरे संघ संविधान में किया गया है। मुझे आशा है कि सदन न तो मेरे मित्र सरदार हुक्मसिंह के संशोधन को स्वीकार करेगा और न मेरे मित्र नजीरुद्दीन अहमद के कथन पर विशेषकर गंभीरता से विचार करेगा अथवा गंभीरता से लेगा।

(सभी संशोधन अस्वीकार किए गए प्रविष्टि 91 संघ सूची में जोड़ी गई।)

*__माननीय सभापति__ : मैं सोचता हूँ कि इस विन्दु पर दुबारा वाद–विवाद की आवश्यकता नहीं है फिर भी यदि डॉ. अम्बेडकर को इसके बारे में कुछ कहना है तो मैं

---

*· सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 1 सितम्बर, 1949, पृ. 859

सुनुंगा, अन्यथा मैं नहीं समझता कि इस बिंदु पर और चर्चा की आवश्यकता है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : कोई बहस आवश्यक नहीं है। मैं कुछ भी कहने की इच्छा नहीं रखता। अथवा कुछ भी कहने की इच्छा नहीं है।

श्री बृजेश्वर प्रसाद : मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहूंगा।

(श्री बृजेश्वर प्रसाद के संशोधन को वापिस करने की आज्ञा नहीं दी गई। इसे मत के लिए रखा गया और अस्वीकार किया गया।)

प्रविष्टि 70क

सूची I

*__माननीय सभापति__ : क्या इस पर डॉ. अम्बेडकर कुछ कहना चाहते हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : नहीं, श्रीमन, मैं उत्तर में कुछ भी कहना नहीं चाहता युवा और युवतियॉ अपनी चिन्ता करने में समर्थ हैं। (मैं) उनके लिए परेशान क्यों होऊं?

(संशोधन अस्वीकार किया गया। इसी प्रकार प्रो. एस. एल. सक्सैना का संशोधन भी अस्वीकार किया गया।)

प्रविष्टि 59

**__श्री राज बहादुर : .....__हमें समस्या की गंभीरता को समझना चाहिए। जैसा मैंने कहा, मैं कोई दूसरे संशोधन पेश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं हतोत्साहित महसूस करता हूँ कि प्रारूपण समिति के आदरणीय अध्यक्ष अन्य सदस्यों द्वारा सुझाई गई नई प्रविष्टियों का उत्तर देने की परेशानी भी नहीं उठाना चाहते।

श्री टी. टी. कृष्णमाचारी : वह आपके द्वारा पेश किये गये संशोधन के अध्ययन में व्यस्त हैं।

श्री राज बहादुर : मैं भाग्यशाली हूंगा यदि मेरे प्रस्ताव का उत्तर मुझे मिल जाये।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मेरे मित्र मुझसे उत्तर की आशा रखते हैं। मैं केवल एक या दो शब्द कहूँगा।

भिक्षावृति के नियंत्रण और उन्मूलन के प्रश्न का विषय ऐसा है जो सूची III की प्रविष्टि 24 में पहले से ही उपबन्धित किया गया है जिसमें भिक्षावृति सम्मिलित है।

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 1 सितम्बर, 1949, पृ. 860—61

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 1 सितम्बर, 1949, पृ. 883

मुद्दा केवल यह है कि उसे वही रहने दिया जाय अथवा यहाँ सूची I में लाया जाए। मैं समझता हूँ कि उसे सूची III में छोड़ देना अच्छा है जिससे उस प्रविष्टि का प्रयोग केन्द्र व प्रदेश दोनों कर सकें।

(श्री राजबहादुर का संशोधन वापिस हो गया।)

सूची II

प्रविष्टि 1

*__माननीय सभापति__ : डॉ. अम्बेडकर क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता।

श्री बृजेश्वर प्रसाद : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

माननीय सभापति : सदन स्पष्ट रूप से इस संशोधन को वापिस करने की आज्ञा देने के पक्ष में नहीं है। मैं इसे मत के लिए रखूँगा। प्रश्न है—

"कि सूची II की प्रविष्टि 1 को नई प्रविष्टि 2 (क) के रूप में सूची I में स्थानांतरित कर दिया जाए।"

(संशोधन अस्वीकार किया गया।)

माननीय सभापति : संशोधन संख्या 63 डॉ. अम्बेडकर का संशोधन है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है —

"कि सूची II कीप्रविष्टि I में निम्नलिखित को छोड़ दिया जाए —

'लोक व्यवस्था घोषणा से संबंधित कारणों के लिए, निवारक निरोध, ऐसे निरोध के अधीन व्यक्ति'"

यह प्रस्ताव किया जाता है कि इस प्रविष्टि को सूची III में रख दिया जाए। यही कारण है जिससे मैं इन शब्दों को छोड़ने का प्रस्ताव करता हँ।

सरदार हुक्म सिंह : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है :

"कि सूची II की प्रविष्टि 1 में "नौ सेना, सेना अथवा वायु सेना" शब्दों के बाद" अथवा संघ के कोई अन्य सशस्त्र शब्द रखे जाएं"

इस संशोधन को पेश करने का मेरा उद्देश्य है कि मैं महसूस करता हूँ कि प्रारूपण समिति की ओर से यह कमी है। यदि मुझसे यह कहा जाय कि यह साशय छोड़ा गया है...

---

*· सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 1 सितम्बर, 1949, पृ. 865

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं इस संशोधन को स्वीकार करने के लिए तैयार हूॅं।

(संशोधन स्वीकार कर लिया गया। यथा संशोधित प्रविष्टि ε राज्य सूची में जोड़ी गई।)

प्रविष्टि 2

*__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :__ श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है :

"कि सूची III, प्रविष्टि 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाय –

"2 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर न्याय प्रशासन, संविधान और सभी न्यायालयों के संगठन में ली जाने वाली फीस, उच्चतम न्यायालय को छोड़कर।''

इसमें लाया गया बदलाव केवल यह है कि उसमें उच्च न्यायालय को लाया गया है क्योंकि जैसा मैंने कल कहा था जहाँ तक संविधान और उच्च न्यायालय का सम्बन्ध है कि वे पूर्णतः केन्द्र के नियंत्रण में हैं।

(प्रविष्टि 2 संशोधित रूप में राज्य सूची में जोड़ी गई।)

प्रविष्टि 4

**__श्री वृजेश्वर प्रसाद :__ बिना कोई टिप्पणी किए मैं अपना संशोधन पेश करूँगा अर्थात् मैं कोई भाषण नहीं दूंगा। श्रीमन मेरा प्रस्ताव है :

"कि संशोधन की सूची के संशोधन संख्या 3589 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए :

"कि सूची II में प्रविष्टि 4 को सूची I से हटा दिया जाए और सूची I में सम्मिलित किया जाए"।

श्री मान, आप की आज्ञा से मैं यह कहना चाहूँगा कि सूची I के स्थान पर प्रविष्टि को सूची III में सम्मिलित किया जाए। इससे भी टी. टी. कृष्णमाचारी के एतराज का समाधान होगा। श्रीमान जी, मैं 'पुलिस' को बहुत बड़ा विषय मानता हूँ और मैं

---

*. सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 1 सितम्बर, 1949, पृ. 866

**. सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 1 सितम्बर, 1949, पृ. 868

सोचता हूँ कि इनको समवर्ती शक्तियों में सम्मिलित कर दिया जाए और इस प्रकार केन्द्र के अधीन लाया जाए।

श्रीमति पूर्णिमा बनर्जी (संयुक्त राज्य–सामान्य) : मैं पूछना चाहती हूॅ कि क्या आप संतुष्ट हैं कि "पुलिस" में होम गार्ड व प्रान्तीय रक्षा दल सम्मिलित हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह प्रान्त द्वारा बनाये कानून पर निर्भर करता है। यदि पुलिस कानून के अधीन ये कुछ व्यक्तियों को सूचीवद्ध करते हैं, उस उद्देश्य के लिए वह पुलिस होगी अथवा यदि वे किसी अन्य कानून के अधीन सम्मिलित करते हैं और उनको पुलिस की शक्तियाँ दी जाती हैं तो वह भी पुलिस होगी।

श्री महावीर त्यागी : क्या मुझे यह पूछने की इजाजत है कि होमगार्ड और प्रान्तीय रक्षा दल भारत सरकार की अवशिष्ट शक्तियों के अधीन आएंगे स्थानीय सरकार द्वारा नियंत्रित होंगे। कहाँ जायेंगे?

मननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यदि यह पुलिस नहीं है तब यह केन्द्रीय सरकार के अधीन जाएंगे।" "पुलिस" सेना से भिन्न प्रयुक्त होती है। जो कुछ भी "सेना" नहीं है वह "पुलिस" है।

श्री महावीर त्यागी : आपके जो नियम प्रश्नों में हैं, उन्हें नीचे जाने दें।

पंडित हृदयनाथ कुंजरू : यदि डॉ. अम्बेडकर का अर्थ लगाना सही है, तो राज्य बिना उसके नाम से पुकारे एक फौज खड़ी कर सकता है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : नहीं, मैं नहीं सोचता कि वे ऐसा कर सकता है।

डॉ. पी. एस. देशमुख : यह वही है जो पहले से हो रहा है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : एक सेना भारतीय सेना अधिनियम, 1911 के अधीन बनाई जाती है और उस अधिनियम में भर्ती करने की कठोर शर्तें रखी गई हैं। राज्य को उस प्रविष्टि पर कानून बनाने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है।

पंडित हृदयनाथ कुंजरू : एक प्रान्त एक सैना तैयार करने के बारे में कानून नहीं बनाये। लेकिन वह बल खड़ा कर सकता है और बिना इसको सेना नाम से बुलाये सेना का प्रशिक्षण दिला सकता है।

श्री टी. टी. कृष्णमाचारी : श्रीमन, मुझे जिक्र करना चाहिए कि प्रदेशों में सशस्त्र पुलिस है। उनकी भर्ती पुलिस अधिनियम द्वारा दी गई शक्तियों के अधीन की जाती है। यद्यपि वे अर्द्ध–सेना बल पर आधारित हैं, फिर भी उनको पुलिस बल कहा जाता है।

श्री महावीर त्यागी : आप होमगार्ड को क्यों नहीं जोड़ते और इसे स्पष्ट नहीं करते।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यहाँ सशस्त्र पुलिस है, यह निशस्त्र पुलिस है।

माननीय सभापति : पंडित कुंजरू द्वारा उठाया गया प्रश्न है कि क्या प्रान्त सेना पुकारे बिना उसे पुलिस पुकार कर एक सेना खड़ी कर सकता है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरा विश्वास है कि यदि प्रदेश संविधान के साथ धोखा–धड़ी करेगा तो केन्द्र उसे देखने के लिए इतना मजबूत होगा कि धोखा–धड़ी नहीं हो पायेगी।

(श्री बृजेश्वर प्रसाद का संशोधन वापिस हो गया प्रविष्टि 4 राज्य सूची में जोड़ी गई)

* * * *

प्रविष्टि 7–क

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर** : श्रीमान, मेरा प्रस्ताव है :

"कि सूची II की प्रविष्टि 7 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि को जोड़ा जाए:

"7–क राज्य पेंशन जिसे कहा जाता है, राज्य द्वारा दी जाने वाली पेंशन।"

जहाँ तक सूची I सम्बन्ध है जो कुछ हम पहले कर चुके है यह मात्र उससे सहमत होने वाली प्रविष्टि है।

(सूची 7–क राज्य सूची में जोड़ी गई)

प्रविष्टि 9

****माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर** : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है कि

"कि सूची II की प्रविष्टि 9 के स्थान पर निम्नलिखित सूची रखी जाए –

'9 तीसरी सूची की प्रविष्टि 35 के उपबन्ध के अधीन संघ के उद्देश्यों के सिवाय सम्पत्ति की प्राप्ति अथवा दुबारा प्राप्ति'

---

*.

**सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 1 सितम्बर, 1949, पृ. 870

केवल बदलाव यह है कि रेखांकित शब्द अब समवर्ती सूची में रखे गये हैं इसलिए उन्हें प्रविष्टि से छोड़ना आवश्यक है यह भी वही है जो इस प्रकार की सूची I के बारे में हमने किया है।

(डॉ. अम्बेडकर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। प्रविष्टि 9 संशोधित रूप में राज्य सूची में जोड़ी गई।)

प्रविष्टि 10—क

****माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर** : मेरा प्रस्ताव है :

"कि सूची II की प्रविष्टि 10 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि सम्मिलित की जाए—

"10—क प्राचीन एवं ऐतिहासिक इमारतों के अतिरिक्त जो सूची I की प्रविष्टि 60 में वर्णित हैं' "

हमने इस प्रविष्टि को बांट दिया है, सूची I के बाहर रखा है और दूसरा भाग अब सूची II में रखा गया है।

(प्रविष्टि 10—क राज्य सूची में जोड़ी गयी।)

प्रविष्टि 12

****माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर** : श्रीमान, मेरा प्रस्ताव है :

"कि सूची II की प्रविष्टि 12 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्ट रखी जाए—

'12—राज्य के मंत्री विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन व भत्ते और यदि विधान परिषद है तो परिषद के सभापति व उपसभापति और विधानमण्डल के सदस्यों के वेतन व भत्ते '"

'12—क विधानसभा और सदस्यों और उसकी समितियों के विशेषाधिकार, सुरक्षा और शक्तियाँ और यदि विधान परिषद है तो विधान परिषद और सदस्यों और समितियों के भी'"

चूंकि सूची I केन्द्र के बारे में है, इसलिए हमने अब तक जो कुछ किया है यह उसका पूरक है।

(प्रविष्टि 12 तथा 12—क राज्य सूची में जोड़ी गई।)

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 1 सितम्बर, 1949, पृ. 871

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 1 सितम्बर, 1949, पृ. 871

प्रविष्टि 14

*__माननीय सभापति :__ अब प्रश्न है कि क्या हमें एक अतिरिक्त प्रविष्टि जैसे "मकान और किराये के नियम और नियंत्रण" की एक नई प्रविष्टि रखनी चाहिए श्री त्यागी आप इसे एक अलग प्रविष्टि के रूप में पेश किजिए।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : हाँ, उन्हें एक पृथक प्रविष्टि पेश करनी चाहिए।

श्री महावीर त्यागी : मैं अपने और डॉ. अम्बेडकर के प्रति आभारी हूँ। वह प्रथम बार मेरे प्रति दयालु हुए हैं।

श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है : प्रारूपण समिति द्वारा पेश की गई सूची के लिए संशोधन पेश करना वास्तव में गौरव की बात है जिसके लिए प्रारूपण समिति सदैव साधन सम्पन्न रही है और उनसे सफलतापूर्वक झगड़ना कठिन है।

माननीय सभापति : किन्तु आप एक अतिरिक्त प्रविष्टि पेश कर रहे हैं।

श्री महावीर त्यागी : हाँ, श्रीमन, लेकिन प्रारूपण समिति की स्वीकृति प्राप्त करना शेष है। आखिरकार यह प्राथमिक बात है कि वे जो सुझाव स्वीकार करते हैं और यदि वे उनको स्वीकार करेंगे तो सदन आसानी से सहमत हो जायेगा।

सदन एक प्रविष्टि के लिए पहले से ही सहमत हो गया है जो कहती है कि सभी अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र को दी जाएंगी वह सभी सूची II और III में नहीं रखी गई हैं। मैं निवेदन करता हूँ कि शहरी क्षेत्रों में मकानों का नियंत्रण और उन मकानों के किराये का नियंत्रण आज महत्वपूर्ण विषय है। भारत शासन अधिनियम, 1935 की असल सूची में यह नहीं था क्योंकि उस समय मकानों पर व किराये पर नियंत्रण आवश्यक नहीं था और भारत अधिनियम में मौजूद नहीं था लेकिन........

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : आदरणीय सदस्य के तर्कों को मैं समझता हूॅ और कुछ मिनटों में मैं उनको उत्तर दे सकता हूँ।

श्री महावीर त्यागी : हाँ, और इसीलिए मैं केवल निवेदन करता हूँ कि वहाँ मकानों का नियंत्रण और किराये का नियंत्रण विषय होना चाहिए मैं इससे भी आगे जाऊंगा और कहता हूँ कि इसमें अच्छे अनाज का नियंत्रण भी आना चाहिए। यदि सदन सहमत होता है तो इसे एक स्वतंत्र अनुच्छेद की भांति लाना चाहिए।

---

*· सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 1 सितम्बर, 1949, पृ. 874

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमान, मैं समझता हूँ यहाँ तीन भिन्न प्रश्न हैं यद्यपि उस शक्ल में श्री त्यागी द्वारा नहीं रखे गये हैं। प्रथम प्रश्न है मकानों का नियंत्रण और किराये का नियंत्रण ठीक करने की शक्तियां राज्य विधानमंडल के पास होनी चाहिएं अथवा नहीं होनी चाहिएं। मैं इस विषय पर सोचता हूँ कि यहाँ विचारों की भिन्नता नहीं हो सकती कि प्रान्तीय सरकारों के पास इस प्रकार की शक्तियाँ होनी चाहिएं। तब प्रश्न है कि क्या मसौदा संविधान और सूची की प्रविष्टि ने प्रान्तीय विधानमण्डल के लिए मकानों का नियंत्रण और किराये का नियंत्रण ठीक करने के उद्देश्य की शक्तियों के लिए कोई उपबन्ध किया है अब मेरा निवेदन है कि श्री त्यागी द्वारा प्रस्तावित स्पष्ट प्रविष्टि अनावश्यक है, क्योंकि दो अन्य प्रविष्टियाँ हैं जैसे सूची II की प्रविष्टि 24 जो भूमि, भूमि में अथवा भूमि पर अधिकार, भूमि के मालिक तथा किसान के सम्बन्ध सहित भूमि की शर्तें अथवा समय और लगान की वसूली इत्यादि–इत्यादि"। यह एक प्रविष्टि है। कृषि भूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्ति के अंतरण रजिस्ट्री व अन्य दस्तावेज करने के सम्बन्ध में सूची III की संख्या 8 की एक अन्य प्रविष्टि है। यह दो प्रविष्टियाँ प्रदेश सरकार को मकान व किराये के नियंत्रण से सम्बन्धित जानकारी कराने के लिए स्थापित की गई हैं – मेरे मित्र श्री त्यागी भी जानते हैं कि तथ्य फिर भी यह है कि ऐसी प्रविष्टि भारत शासन अधिनियम की सूची II में आज मौजूद नहीं है किसी भी राज्य ने इस विषय पर नियम नहीं बनाया है। इसलिए भूमि से संबंधित प्रविष्टि 24 और दूसरी प्रविष्टि संख्या 8 सम्पत्ति के अंतरण संबंधी शक्तियाँ जिन्हें श्री त्यागी देना चाहते हैं, देने में पूर्णतः सक्षम हैं।

श्री त्यागी अब इस प्रविष्टि को सम्मिलित करने में दूसरी कठिनाई यह है, मान लो हम अब इस प्रविष्टि को सम्मिलित करना चाहते हैं, यह किसी हद तक उन कानूनों पर शंका पैदा करेगी जिन्हें प्रदेशों ने मकान और किराया नियंत्रण के लिए पहले ही बना लिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि विधानमण्डल ने स्वयं महसूस किया था कि प्रविष्टि जैसी यह पहले से मौजूद थी इस उद्देश्य के कानून बनाने के लिए मंत्रिमंडल को शक्तियां देने के लिए काफी नहीं थी। और इसीलिए यह आवश्यक था कि स्पष्टतः ये शक्तियां दी जाएं। मैं सोचता हूँ कि हम अनावश्यक रूप से पहले से पारित कानूनों की वैधता पर शंका व्यक्त कर रहे थे। अतः संशोधन स्वीकार करने के विरुद्ध यह अतिरिक्त आधार है। जैसा मैंने कहा, यह अनावश्यक है, क्योंकि ऐसे नियम बनाने के लिए प्रदेशों के पास समुचित शक्तियां हैं और दूसरे कानूनों की वैधता बनाने की है।

अब मैं तीसरे भाग पर आता हूँ। छावनी क्षेत्र में किराया और स्थान को ठीक रखने के विषयक प्रश्न पर जब हम चर्चा कर रहे थे तब श्री त्यागी किसी हद तक इसके लिए झगड़ रहे थे। यदि मेरे मित्र का इरादा यह है कि इस प्रविष्टि को

स्वीकार करके उन शक्तियों को नकार दिया जाए जो सूची I में प्रविष्टि के लिए दी गई थी, चूंकि यह पहले ही पारित कर दी गई थी तब मैं सोचता हूँ कि यह पूर्णतः गलती थी। ऐसा होते हुए भी तथ्य यह है कि यह प्रविष्टि संविधान का भाग बनेगी, जो प्रविष्टि पहले से ही पारित की जा चुकी है वह वैधानिक होगी, किसी शक्ति के प्रदेश में होते हुए भी छावनी अपने क्षेत्र के मकान और उनके क्षेत्र व उनके किराये के सम्बन्ध में कानून बना सकेगी।

इसलिए मैं अपने मित्र श्री त्यागी से अनुरोध करता हूँ कि उनके उद्देश्य की पूर्ति पहले से ही हो चुकी है और इस प्रविष्टि को रखना अनावश्यक हो गया है, खासतौर से इसलिए कि इन प्रविष्टियों के अधीन पहले से ही पारित कानूनों पर यह शंका पैदा होगी।

* * * *

***श्री महावीर त्यागी** : मान लो कि मालिक इस आधार पर ऐतराज करता है कि राज्य सरकार को किराया नियंत्रण का अधिकार नहीं है तो क्या होगा?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : नहीं, वह नहीं कर सकता क्योंकि साधारण खंड अधिनियम में, भूमि में इमारतें भी सम्मिलित हैं।

श्री महावीर त्यागी : यह कानून का नया अर्थ है कि भूमि में इमारतें शामिल होती है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : वह नई है, क्योंकि कानून श्री त्यागी का व्यवसाय नहीं है।

प्रविष्टि 15

****माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर** : श्रीमान, मेरा प्रस्ताव है

"कि सूची II की प्रविष्टि 15 में "जन्म और मष्त्यु रजिस्ट्रेशन" शब्दों को निकाल दिया जाए।

यह समवर्ती सूची में अंतरित हो गये हैं।

* * * *

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 1 सितम्बर, 1949, पृ. 874—875

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 1 सितम्बर, 1949, पृ. 875

*****माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** पेश किए गये संशोधनों में से मैं किसी को स्वीकार नहीं करता।

(श्री कामथ और बृजेश्वर प्रसाद के संशोधन अस्वीकार किये गये। डॉ. अम्बेडकर का प्रस्ताव स्वीकार हुआ।। यथा संशोधित प्रविष्टि 15 राज्य सूची में जोड़ी गई।)

प्रविष्टि–18

****माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** श्रीमान मेरा प्रस्ताव है कि "सूची II की प्रविष्टि 18 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को रखा जाए :

'18 प्रविष्टि 40, 40क, 57 और 57क तथा सूची III की प्रविष्टि 17–क के उपबन्धों के अधीन विश्वविद्यालयों सहित शिक्षा' "

(डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रविष्टि 24 के सभी संशोधन अस्वीकार कर दिए गये और सदन द्वारा नकार दिए गये। प्रविष्टि 24 राज्य सूची में जोड़ी गई।)

* * * *

सरदार हुक्मसिंह (पूर्वी पंजाब : सिख) : श्रीमान, अब पंडित भार्गव ने यह संशोधन पेश किया है कि इस प्रविष्टि को समवर्ती सूची में अंतरित कर दिया जाए। यहाँ मुझे संशोधन पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है और मैं पूर्ण हृदय से श्री भार्गव के संशोधन का समर्थन करता हूँ।

* * * *

*****माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** श्रीमान, (श्री भार्गव के) इस संशोधन को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ।

"संशोधनों की सूची के संशोधन सं. 3626 के संदर्भ में, सूची II की प्रविष्टि 43 को सूची III में प्रविष्टि 9–क की तरह स्थानांतरित किया जाए)"

(प्रस्ताव स्वीकार किया गया।) (सूची II की प्रविष्टि 43 समवर्ती सूची में अंतरित की गई।)

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 2 सितम्बर, 1949, पृ. 880

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 2 सितम्बर, 1949, पृ. 881

*** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 2 सितम्बर, 1949, पृ. 914

प्रविष्टि– 45

*__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर__ : श्रीमन, मैं अपने दोनों मित्रों श्री शिब्बनलाल सक्सेना और साहू से बहुत भयभीत हूँ, वह इस प्रविष्टि 45 के अर्थ को पूरी तरह से गलत समझे हैं और वे बड़ी अयोग्यता से दबे हैं कि यदि इस प्रविष्टि का निकाल दिया गया तो देश में बिल्कुल भी सट्टा और जुआ नहीं होगा यदि प्रविष्टि 45 वहाँ रहेगी तो इसका प्रयोग सट्टा व जुआ की इजाजत देने के लिए होगा अथवा इसका प्रयोग उनको रोकने के लिए होगा। यदि यह प्रविष्टि वहाँ नहीं रहती है तो प्रान्तीय सरकार इस विषय में पूर्णतः असमर्थ होगी।

मैं आशा करता हूँ कि वे सोचेंगे कि वे क्या कर रहे हैं। यदि इस प्रविष्टि को छोड़ दिया गया तो इसके दूसरे परिणाम होगे कि यह विषय प्रविष्टि 91 के अन्तर्गत अपने आप सूची I में अंतरित हो जायेगा। परिणाम वहीं होगा अर्थात् केन्द्रीय सरकार चाहे जुआ की आज्ञा दे अथवा रोके। इसलिए जो प्रश्न उठता है वह यह है कि यह प्रविष्टि यहाँ रहे अथवा न रहे और जैसा स्पष्ट है अभिव्यक्ततः सूची I में जाये अथवा प्रविष्टि 91 में सम्मिलित हो। यदि मेरे मित्र मन से चाहते हैं कि यहाँ कोई सट्टा और जुआ नहीं होना चाहिए तो संविधान में एक अनुच्छेद को, जो सट्टा व जुआ को अपराध बताये, सम्मिलित होना चाहिए न कि राज्य बर्दाश्त करे। जैसा यह है। यह निवारण विषय है और राज्य को जुआ रोकने की पूर्ण शक्तियां प्राप्त होगी मुझे आशा है कि इस बयान से वह इस प्रविष्टि के अपने एतराज वापस ले लेंगे।

(प्रस्ताव स्वीकार हुआ। प्रविष्टि 45 के राज्य सूची में जोड़ा गया।)

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : क्या मैं आपसे पीछे प्रविष्टि 38 और संशोधन 311 पर जाने का निवेदन कर सकता हूँ जो पंडित लक्ष्मीकान्त के नाम पर है? श्रीमान, मैंने सूना कि आपने इस प्रविष्टि को पीछे रोकने के लिए श्री टी. टी. कृष्णामाचारी को निर्देश दिया था लेकिन मैं अपने मित्र श्री लक्ष्मीकांत के द्वारा सुझाये संशोधन को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ।

माननीय सभापति : बहुत अच्छा। प्रश्न हैः

" कि सूची II की प्रविष्टि 38, सूची III में अन्तरित कर दी जाए"

(संशोधन स्वीकार किया गया।)

प्रविष्टि 38 समवर्ती सूची में अंतरित की गई।

---

*· सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 2 सितम्बर, 1949, पृ. 917–916

प्रविष्टि 46

*__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :__ मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। ज्योंहि हमारी राजस्व की निर्धारण पद्धति इस समय ठीक की जाएगी, यह राज्य प्रशासन को पूर्णतः गडबड़ा देगी। इस मामले का जायजा उचित स्तर पर संसद अथवा विभिन्न राज्यों द्वारा किया जाना चाहिए और यदि वे किसी प्रकार की व्यवस्था करते हैं जैसे लगान लगाना और सिद्धांत स्वीकार किये गये जो आप कर लगाने में स्वीकार किये गये, बाद में प्रविष्टि को बदला जाए। आज यह बिल्कुल असंभव है। विमर्श हुआ और वे पूर्ण रूप से स्थान बदलने गये थे जो इस प्रविष्टि को दिए गये थे।

(दो संशोधन अस्वीकार किए गए। प्रस्ताव स्वीकार किया गया। प्रविष्टि 46 राज्य सूची में जोड़ी गयी।)

प्रविष्टि—48

श्री बृजेश्वर प्रसाद : श्रीमान, मैं प्रस्ताव पेश करने की आज्ञा चाहता हूँ।

''कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 3631 में "छोड़ने" शब्द के स्थान पर सूची I में अंतरित शब्द और अंक रखे जाए।''

श्री शिब्बन लाल सक्सेना : श्रीमान, मैं अपना संशोधन संख्या 316 पेश करता हूँ।

"कि सूची II की प्रविष्टि 48 को सूची III में अंतरित कर दिया जाय"।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं इसे स्वीकार नहीं करता।

(दोनों संशोधन अस्वीकार कर दिए गये। प्रविष्टि 48 राज्य सूची में जोड़ी गई।)

प्रविष्टि 49

**__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :__ जब प्रविष्टि 46 पर बात कर रहे थे, तब मैंने जो कारण दिए थे उनकी वजह से मैं संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 2 सितम्बर, 1949, पृ. 919

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 2 सितम्बर, 1949, पृ. 920

माननीय सभापति : प्रश्न है–

"कि संशोधन की सूची के संशोधन संख्या 3632 के "छोड़ने" के शब्द को सूची I को अंतरित किया गया।

(संशोधन अस्वीकार किया गया।)

माननीय सभापति : प्रश्न है–

"कि सूची II की प्रविष्टि 49 को सूची III में अंतरित कर दिया जाय।"

(संशोधन अस्वीकार किया गया। प्रविष्टि 49 को राज्य सूची में जोड़ा गया।)

प्रविष्टि–50

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमान, मेरा प्रस्ताव है :

"कि सूची II की प्रविष्टि 50 में "अथवा सड़क" शब्द अंत में जोड़े जायें।

(डॉ. अम्बेडकर का संशोधन स्वीकार किया गया। प्रस्ताव स्वीकार किया गया। यथा संशोधित हुई प्रविष्टि 50 राज्य सूची में जोड़ी गई।)

प्रविष्टि– 52

*__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर__ : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव हैः

"कि सूची II की प्रविष्टि 50 में ....औषधियाँ शब्द लुप्त कर दिए जाएं वे केवल अनुवर्ती हैं।

(संशोधन स्वीकार किया गया। यथा संशोधित, प्रविष्टि 52 राज्य सूची में जोड़ी गई।)

प्रविष्टि– 56

**__प्रो. शिब्बनलाल सक्सेना__ : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है–

"कि सूची II की प्रविष्टि 56 को सूची III में अंतरित कर दिया जाए और निम्नलिखित टिप्पण अन्त में जोड़ दिया जाए :–

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 2 सितम्बर, 1949, पृ. 920

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 2 सितम्बर, 1949, पृ. 923

स्पष्टीकरण : इस प्रविष्टि में व्यवसायों, व्यापार, जीवनवृत्ति और रोजगार से उद्गृहीत अथवा उपजी आय पर करों के संबंध में संघ के प्राधिकार को किसी भी रूप में सीमांकन नहीं माना जाएगा।

"टिप्पण आय कर के परिणाम से अथवा व्यवसाय, व्यापार, और रोजगार"

* * * *

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** श्रीमन, मैं समझता हूँ कि यह संशोधन भ्रांतधारणा पर आधारित है। यह प्रविष्टि शुद्ध रूप से प्रादेशिक प्रविष्टि है। आयकर लगाने के लिए यह केन्द्र की शक्तियों को सीमित नहीं करती। दूसरी ओर यह 56 प्रविष्टि केन्द्र द्वारा लगाये जाने वाले आयकर पर अनाधिकार होगा। श्रीमान, आप यह याद करें मैंने अनुच्छेद 256 में यह कहने के लिए संशोधन पेश किया था कि स्थानीय संस्थाओं द्वारा लगाया गया कोई कर आयकर नहीं होगा। यह संशोधन आवश्यक नहीं है।

प्रो. शिब्बनलाल सक्सेना : श्रीमान, मैं संशोधन के लिए दबाव नहीं डालता।

(संशोधन सदन की इजाजत से वापिस ले लिया गया। प्रविष्टि 56 राज्य सूची में जोड़ी गई।)

प्रविष्टि 58

****माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** श्रीमान, मेरा प्रस्ताव है–

"कि सूची II की प्रविष्टि 58 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए –

"समान की विक्री अथवा क्रम पर कर।

58–क विज्ञापन पर कर"

कुल आवर्त्त शब्द को दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूँ।

* * * *

*****श्री वी. एल. मुनीस्वामी पिल्लई (मद्रास : सामान्य) :** मेरा प्रस्ताव है कि "संशोधन की सूची के संशोधन संख्या 3638 के संदर्भ में सूची II की प्रविष्टि 58 में

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 2 सितम्बर, 1949, पृ. 923

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 2 सितम्बर, 1949, पृ. 923

*** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 2 सितम्बर, 1949, पृ. 923

"सामान्य खरीद" शब्दों के पश्चात् समाचार पत्रों के अतिरिक्त "विज्ञापनों पर कर" शब्दों के पश्चात् "समाचार पत्रों में मुद्रित के सिवाय शब्द क्रम जोड़ा जाए।"

श्री देशबन्धु गुप्ता (दिल्ली) : मैं सुझाव देता हूँ कि उसे रोक दिया जाय।

माननीय सभापति : यह वही प्रश्न है जिसे कल उठाया गया था। मेरे आदेश से इसे रोका गया था।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं सुझाव देता हूँ कि संशोधन संख्या 122 को एक स्वतंत्र चीज मान लिया जाय जो एक अतिरिक्त प्रविष्टि द्वारा लाया जाए। तब तदनुसार प्रारूपण समिति एक साथ दो कार्य करे, यदि वह ऐसा स्वीकार करें। यह प्रविष्टि उसके अधीन जानी चाहिए। जो लोग प्रविष्टि 122 में रुचि रखते हैं वे इसे अतिरिक्त प्रविष्टि के रूप में लाएं।

माननीय सभापति : जहाँ तक समाचार पत्र व विज्ञापन का सम्बन्ध है आपका मुद्दा छुआ तक नहीं गया।

श्री देशबन्धु गुप्ता : यदि यह महसूस किया जाता है कि प्रारूपण समिति इसका कहीं अन्यत्र प्रबन्ध करे तो भूतकाल को दुहराना कठिन होगा, सदन द्वारा प्रविष्टि पर एक बार फैसला किया जाता है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : तीन सूचियों पर बहस का सारांश निकालने से पूर्व इस विषय को उठाया जाए।

माननीय सभापति : मैं इसे अलग से लेने के लिए आज्ञा देने के लिए तैयार हूँ जब हम 88—क पर चर्चा करेंगे जिसे हमने कल रोका था। इस प्रकार स्थिति यह है कि विज्ञापनों से सम्बन्धित प्रश्न रोक दिए गये थे, लेकिन उसके बाद, इस प्रविष्टि को मतदान के लिए रखा जाए जैसा कि डॉ. अम्बेडकर ने संशोधित किया है।

प्रो. शिब्बनलाल सक्सेना : जब निर्णय लंबित है तो इसे कैसे पारित किया जा सकता है?

श्री देशबन्धु गुप्ता : यदि इसे रोका जाए तो आसान होगा।

माननीय सभापति : अच्छा, इसे रोक दिया जाए। हम इसे 88—क के साथ लेंगे जिसे हमने कल रोक दिया था।

सूची *II* की प्रविष्टि 58 रोक दी गई।

प्रविष्टि 59

***माननीय सभापति** : प्रविष्टि 59 —

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरा प्रस्ताव है "कि सूची II की प्रविष्टि 59

---

*· सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 2 सितम्बर, 1949, पृ. 924

में निम्नलिखित को अन्त में जोड़ा जाए –

'सूची III की प्रविष्टि 21 को प्रदेशों के अधीन'"

तीसरी सूची में हम कहने जा रहे हैं कि कर लगाने के सिद्धांत बनाने की शक्तियाँ केन्द्र के पास होनी चाहिएं।

(डॉ. अम्बेडकर का प्रस्ताव स्वीकार हुआ। यथा संशोधित 59, राज्य सूची में जोड़ी गई।)

प्रविष्टि–64

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमान, मेरा प्रस्ताव है कि "सूची II की प्रविष्टि 64 को छोड़ दिया जाए।"

कि इसे समवर्ती सूची में लिया गया।

(प्रस्ताव स्वीकार हुआ। प्रविष्टि 64 सूची II की राज्य सूची से निकाल दी गई।)

प्रविष्टि– 67

****माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** श्रीमन, यह विषय संविधान के उस भाग में आ जायेगा जिसे हम मौजूद मसौदे में जोड़ने का प्रस्ताव करते हैं, जहाँ सभी भुगतान जो राजाओं को किए जाते हैं का विषय है और वर्तमान के लिए मैं ऐसे संशोधन की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करता। मैं समझता हूँ कि मेरे मित्र यह भाग जिसे हम एक संशोधन के द्वारा पेश करना चाहते हैं देखें कि उनके उद्देश्य हमारे प्रस्ताव द्वारा लाये जाएं। यदि नहीं, तो उस भाग के लिए एक संशोधन लाना उचित होगा जब वह भाग सदन के सामने आएगा।

काका भगवन्त राय : श्रीमान, मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूँ।

(सदन की आज्ञा से संशोधन वापिस लिया गया।)

प्रविष्टि 2क

*****माननीय सभापति र :** तब हम प्रविष्टि 27–क पर आते हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमान, मेरा प्रस्ताव है :

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 2 सितम्बर, 1949, पृ. 924

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 2 सितम्बर, 1949, पृ. 926

*** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 2 सितम्बर, 1949, पृ. 926

"कि सूची III की प्रविष्टि 2 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ दी जाए :

'2क. विधि द्वारा स्थापित सरकार के स्थायित्व और जनता में शांति बनाए रखने और समाज के जीवन के लिए अत्यावश्यक सेवाएं अथवा आपूर्ति, ऐसे निरोध के अधीन व्यक्ति के संबंधित कारणों के लिए निवारक निरोध'"।

सातवीं अनुसूची (जारी)

सूची III

समवर्ती सूची

प्रविष्टि 2—क

*__उपसभापति (श्री टी.टी. कृष्णमाचारी)__ : अब हम समवर्ती सूची की प्रविष्टि 2क पर विचार कर रहे हैं।

श्री नजीरुद्दीन अहमद (पश्चिम बंगाल : मुस्लिम) : श्रीमन, उपसभापति जी, मैं अपने संशोधन संख्या 290 में जुबानी बदलाव करने के लिए आपकी इजाजत चाहता हूँ। संख्या 289 श्री कामथ द्वारा पेश की गयी है। मैं दूसरी प्रविष्टि पेश करना चाहता हूँ और जुबानी बदलाव करने के लिए आपकी इजाजत चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि संशोधन कभी भी स्वीकार नहीं होगा। यहाँ तक कि इस पर विचार भी नहीं होगा। इसलिए संशोधन को देखने में अच्छा बनाने में कोई हानि नहीं है। क्या आपकी इजाजत से 'शक्ति से सरकार को पलट देना' के स्थान पर अपने संशोधन में 'राज्य की सुरक्षा' शब्द बदल सकता हूँ? 'राज्य की सुरक्षा' शब्द अधिक उचित दिखाई देता है और बदलाव जुबानी है।

उपसभापति : हाँ।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : श्रीमन, मैं प्रस्ताव पेश करने की इजाजत चाहता हूँ।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (बम्बई : सामान्य) : श्रीमन, क्या मैं अपने मित्र को सलाह दे सकता हूँ कि क्या वे इन शब्दों को स्वीकार करने को तैयार हैं कि जो मैंने अब सुझाए हैं जैसे 'विधि द्वारा स्थापित सरकार के स्वामित्व से संबंधित'

---

*. सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 2 सितम्बर, 1949, पृ. 929—930

शब्दों के स्थान पर 'राज्य की सुरक्षा से संबंधित'। मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँगा क्योंकि मैं पाता हूँ कि ठीक वही भाषा है जिसे सूची I की संशोधित प्रविष्टि 3 में प्रयुक्त किया गया था। हमने वहाँ 'भारत की सुरक्षा' प्रयुक्त किया था। यदि उन शब्दों से मेरे मित्र संतुष्ट हैं जो मैंने अभी सुझाये हैं तो मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँगा।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : आपके शब्द भिन्न हैं।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मैं डॉ. अम्बेडकर के प्रति अनुग्रहीत हूँ, किन्तु यह बदलाव मात्र है जिसे करने के लिए मैं उपसभापति से इजाजत चाह रहा था।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : तब यहाँ बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसा मैंने सुझाव दिया है मेरे आदरणीय मित्र संशोधन पेश करेंगे, मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मुझे अपना संशोधन पेश करना चाहिए।

उपसभापति : जैसे डॉ. अम्बेडकर इसे स्वीकार कर रहे हैं क्या आदरणीय सदस्य के लिए संशोधन पेश करना और उस पर बोलना आवश्यक है?

श्री नजीरुद्दीन अहमद : यदि मेरे मित्र पहचानने में असफल होते हैं कि मैं एक संशोधन पेश करने जा रहा था जो सही है और उनके विचारों के अनुरूप हैं तो मैं उसकी सहायता नहीं कर सकता, लेकिन मुझे मेरा संशोधन पेश करने दीजिए। श्रीमन, मैं पेश करने की इजाजत चाहता हूँ:

"कि सूची I के संशोधन संख्या 124 (छठा सप्ताह) में, सूची III की प्रस्तावित नई प्रविष्टि 2क में 'सरकार की स्थिरता' शब्दों के स्थान पर 'राज्य की सुरक्षा' शब्द रखे जाएँ।''

'सरकार की स्थिरता' यह उचित नहीं है...."

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : चूंकि मैं संशोधन स्वीकार कर रहा हूँ। मैं नहीं समझता कि कोई तर्क आवश्यक है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मैं जानता हूँ किंतु यहाँ सदन है। मैं केवल एक–दो शब्द कहूँगा। 'सरकार की स्थिरता' पद डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित नई प्रविष्टि के संदर्भ में अस्पष्ट है। जैसे 'सरकार की स्थिरता' से संबंधित कारणों के लिए निवारक निरोध'। 'सरकार' और 'राज्य' भिन्न–भिन्न बातें हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यही कारण है जिससे मैंने इसे स्वीकार किया है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : लेकिन श्रीमन, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि वे इसे क्यों स्वीकार कर रहे हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैंने कहा था 'राज्य की सुरक्षा' उचित पद है। इसलिए तर्क की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है।

उपसभापति : आदरणीय सदस्य द्वारा प्रस्तावित संशोधन स्वीकार कर लिया गया है, यहाँ विस्तृत वाद–विवाद की आवश्यकता नहीं है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : लेकिन सदन को जानना चाहिए कि खराब मसौदे को उजागर करने में इतनी उत्तेजना क्यों हो? यही मुद्दा है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यदि मेरे द्वारा स्वीकार करने से मेरे आदरणीय सदस्य संतुष्ट हैं जो भी मैंने गलती की है, मैं इसे करना चाहता हूँ।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : केवल सदन द्वारा नहीं अपितु संसार द्वारा मेरी प्रशंसा की जानी चाहिए 'सरकार की स्थिरता'।

जैसा प्रारूपण किया गया है, का अर्थ है मंत्रालय की असुरक्षा जिसके लिए यह विरोधियों को कैद करा दे।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : बहुत अच्छा, हमने चतुराई से बुरा किया है। क्या यह काफी नहीं है?

* * * *

*__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :__ श्रीमन, जैसा कि सूचना के कागज पर है कि संशोधन संशोधित रूप में रखा जाना है अन्य नहीं।

उपसभापति : जैसा डॉ. अम्बेडकर ने पुनः निरीक्षित किया है मैं संशोधन संख्या 124 को अब रखता हूँ। प्रश्न हैः

"कि सूची III की प्रविृष्टि 2 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए :

'2क. ऐसे निरोध के अधीन व्यक्ति, राज्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था बनाए रखना और सेवाएं अथवा आपूर्ति जो मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है से संबंधित कारण से निवारक निरोध।'"

(प्रस्ताव स्वीकार हुआ।)

(प्रविष्टि 2क संशोधित रूप में समवर्ती सूची में सम्मिलित की गई।)

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 2 सितम्बर, 1949, पृ. 931

प्रविष्टि 3

*माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है :

"कि सूची III की प्रविष्टि 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए :

'3. इस सूची की प्रविष्टि 2क में स्पष्ट किए गए कारणों से निवारक निरोध के अधीन व्यक्तियों और मुस्लिम व्यक्तियों और कैदियों के एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने के लिए।'"

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मैं संशोधन संख्या 291 को पेश नहीं कर रहा हूँ।

उपसभापति : संशोधन संख्या 292। सदस्य उपस्थिति नहीं है इसलिए संशोधन पेश नहीं किया जा रहा है।

मैं डॉ. अम्बेडकर के संशोधन को मत के लिए प्रस्तुत करूँगा।

(संशोधन स्वीकार किया गया। प्रविष्टि 3 संशोधित रूप में समवर्ती सूची में जोड़ी गई।)

प्रविष्टि 4

**माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरा प्रस्ताव है :

"कि सूची III की प्रविष्टि 4 में 'प्रथम अनुसूची के भाग I अथवा II में तत्समय अभिव्यक्त उल्लिखित' शब्दों और अंकों को लुप्त कर दिया जाए।

(प्रविष्टि 4 डॉ. अम्बेडकर के संशोधन से संशोधित रूप में समवर्ती सूची में जोड़ी गई।)

* * * *

प्रविष्टि 6

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, इसमें कोई शंका नहीं हो सकती कि मेरे मित्र डॉ. देशमुख का संशोधन जो कुछ शब्द बच्चों की सुरक्षा से संबंधित प्रविष्टि 6 में ठीक स्थान पर नहीं है, नये ढंग से रखना चाहते हैं क्योंकि निःसंदेह

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 2 सितम्बर, 1949, पृ. 931

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 2 सितम्बर, 1949, पृ. 931

*** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 2 सितम्बर, 1949, पृ. 936

प्रविष्टि 6 शिशु और नाबालिगों के संदर्भ में हैं, लेकिन यह बात दिमाग में उत्पन्न हुई है कि संपूर्ण प्रविष्टि को यदि लें तो यह स्थिति के बारे में है। जहाँ तक शिशुओं और नाबालिगों की स्थिति का मामला है ये श्रेणियां प्रविष्टि 6 में सम्मिलित की गई हैं लेकिन 'निहायत गरीब और मां–बाप रहित और युवाओं की चिन्ता और सुरक्षा' उन्हीं माता–पिता से जन्मे की भांति नहीं है।

डॉ. पी.एस. देशमुख : ठीक यही बात थी जिससे मैं एक स्वतंत्र प्रविष्टि पेश करना चाहता था। ये शब्द इस प्रविष्टि 6 में नयी स्थिति में नहीं रखे जा सके। मेरे नाम में एक संशोधन पहले से ही है जो अलग से एक स्वतंत्र प्रविष्टि चाहता है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं उनके द्वारा पेश किए गए संशोधन से तुरंत निपटने जा रहा था। ये शब्द प्रविष्टि 6 की नयी स्थिति में नहीं रखे जा सकते थे। इसलिए इस स्तर पर मैं निश्चय ही नये मामले को बदलने के शब्दों को स्वीकार नहीं कर सकता।

अब, श्रीमन, मैं बच्चों की रक्षा के सामान्य प्रश्न को लेता हूँ। इसके बारे में यहाँ कोई शंका नहीं होगी कि सदन में मुझ सहित प्रत्येक सदस्य और प्रारूपण सिमति के सदस्य राज्य द्वारा उपबंधित बच्चों की रक्षा पर कोई आपत्ति कभी करें और यहाँ विचारों का भी अंतर नहीं हो सकता; लेकिन प्रश्न यह है कि क्या प्रारूपण समिति द्वारा तैयार सूची में यह विषय पहले से नहीं आया है। इन प्रविष्टियों को बनाने में हमने जो कुछ जिक्र किया है और कानून के विषयों को श्रेणीबद्ध किया है कानून के उद्देश्य को नहीं।

बच्चों की रक्षा ही उद्देश्य है जिसे प्राप्त करना विधान का उद्देश्य है यदि कुछ हालात में वह सोचता है कि उन्हें ऐसा करना ही है। प्रश्न यह है कि क्या इनमें से किसी प्रविष्टि के अधीन राज्य के लिए उन उद्देश्यों को प्राप्त करना संभव नहीं होगा जैसे बच्चों की रक्षा।

मुझे यह दिखाई देता है कि इन प्रविष्टियों में से कोई जो सूची II में शामिल है बच्चों की रक्षा के लिए बनाए जाने वाले कानूनों में राज्य द्वारा प्रयुक्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए, सूची II के प्रविष्टि 2 के अधीन न्याय प्रशासन, राज्य के लिए बच्चों के लिए किशोर अदालतें खोलने की स्वतंत्रता होगी। अर्थात् स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी।

डॉ. पी.एस. देशमुख : मेरा यह मतलब नहीं है। मैंने कभी किशोर अदालत के लिए नहीं कहा।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : उदाहरण के लिए, जेलें और सुधारक और

बोरस्टाल संस्थायें लीजिए, उन्हें विशेष प्रकार की जेलें स्थापित करने की शक्तियां होनी चाहिएं जहाँ राज्य के सिद्धांत नहीं होंगे बल्कि सुधार के सिद्धांत होंगे। शिक्षा का विषय लीजिए।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जैसा मैं कह रहा था प्रविष्टि 18 जो सूची II में शिक्षा के बारे में है राज्य द्वारा विशेष प्रकार के विद्यालय घर–वार बच्चों सहित बच्चों के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त हो सके। प्रविष्टि 42 के अधीन निगम इत्यादि का उल्लेख है। बच्चों की देखभाल के लिए समितियों का पंजीकरण करने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए अथवा वे स्वयं यह कार्य करने के लिए कुछ प्रकार के निगम शुरू करने चाहिए।

इसलिए, यदि मेरे मित्र को संतोष होता है कि जो बयान मैं अपनी संपूर्ण सच्चाई से यहाँ रखने जा रहा हूँ कि सूची II वे सभी उपबंध मौजूद है जो प्रांत बच्चों के सुरक्षा के लिए करेंगे। रक्षा के लिए पृथक प्रविष्टि रखने का कोई प्रयोजन नहीं है। जैसा मैंने कहा बच्चों की रक्षा का विषय विधान का नहीं हो सकता यह विधान का उद्देश्य हो सकता है।

डॉ. पी.एस. देशमुख : यहाँ तक कि आपने जंगली चिड़ियों तक के लिए उपबंध किया है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं देख रहा हूँ कि मेरे दोनों मित्र इस विषय में बहुत जिद कर रहे हैं। इसलिए मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वह अपना संशोधन इस विश्वास पर वापिस ले लें कि प्रारूपण समिति पुनरीक्षण के समय इस विषय को देखेगी और यदि ऐसी कोई प्रविष्टि किसी भी सूची में रखी जाएगी तो वे उस विषय पर विचार करेंगे और प्रस्ताव सदन के सम्मुख लाएंगे। इस स्तर पर, मैं इसे स्वीकार करना कठिन समझता हूँ क्योंकि मेरे पास अधिक समय नहीं है जो मैं इस विषय पर विचार के लिए दे सकूं, जो प्रविष्टि पेश करने से पूर्व आवश्यक है।

उपसभापति : क्या डॉ. देशमुख उस संशोधन के लिए दबाव डालेंगे?

डॉ. पी. एस. देशमुख : मैं कम से कम यह कहने के लिए डॉ. अम्बेडकर से निवेदन करूंगा कि जिस समय तक स्वतंत्र प्रविष्टि के लिए मेरा संशोधन पहुंचता है उस समय वह अधिक पक्षधर होंगे जिनके कि अब हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं संपूर्ण विषय पर विचार करूंगा।

(संशोधन वापिस लिया गया। प्रविष्टि 6 समवर्ती सूची में जोड़ी गई।)

*   *   *   *

प्रविष्टि 15

*__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :__ श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है :

"कि सूची II की प्रविष्टि 15 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को रखा जाए :

'अनुयोज्य गलतियां'"।

जिन शब्दों को मैं छोड़ना चाहता हूँ वे वास्तव में अनावश्यक हैं।

(प्रस्ताव स्वीकार हुआ। यथा संशोधित प्रविष्टि 15 समवर्ती सूची में जोड़ी गई।)

* * * *

नई प्रविष्टि 17—क

**__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :__ श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है :

"कि सूची ्प्प् की प्रविष्टि 17 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए :

'17—क. मजदूरों का व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण।'"

(प्रविष्टि 17—क संशोधित रूप में समवर्ती सूची में जोड़ी गई।)

* * * *

प्रविष्टि 20

***__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :__ श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है :

कि प्रवृश्टि 20 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए।

"20. सूची I की प्रविष्टि 62 के उपबंध के अधीन अफीम के संबंध में औषधि और विष"।

(श्री कामथ ने अपना प्रस्ताव पेश नहीं किया।)

(संशोधन स्वीकार हुआ।)

(प्रविष्टि 20 संशोधित रूप में समवर्ती सूची में जोड़ी गई।)

* * * *

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 3 सितम्बर, 1949, पृ. 937

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 3 सितम्बर, 1949, पृ. 939

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 3 सितम्बर, 1949, पृ. 939

प्रविष्टि 21

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव हैः

" कि सूची III की प्रविष्टि 21 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए :

'21. मशीन चालित वाहन उन सिद्धांतों सहित जिनके द्वारा ऐसे वाहनों पर कर लगाए जाते हैं।'"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

(प्रविष्टि 21 संशोधित रूप में समवर्ती सूची में जोड़ी गई।)

* * * *

नई प्रविष्टि 25—क

*__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर__ : श्रीमान, मेरा प्रस्ताव है—

"कि सूची III की प्रविष्टि 25 के पश्चात् निम्नलिखित नई प्रविष्टि रखी जाय —

"25—क जन्म और मरण के पंजीकरण सहित आवश्यक संख्या की"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रविष्टि 25—क समवर्ती सूची में जोड़ी गई।)

प्रविष्टि 26

**__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर__ : श्रीमान कृपया मुझे प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी जाए —

"कि अनुसूची III की प्रविष्टि 26 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएः

"26 श्रमिकों के कल्याण कार्य की शर्तों सहित, भविष्य निधि, मालिकों (नियोजकों) की जिम्मेदारी, मजदूरों का प्रतिकर ....और वृद्धावस्था पेंशन और जच्चा प्रसुविधाएं"।

(संशोधन स्वीकृत हुआ, यथा संशोधित प्रविष्टि 26 समवर्ती सूची में जोड़ी गई।)

नई प्रविष्टि 26—क

***__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर__ : श्रीमन् मेरा प्रस्ताव है—

"कि सूची III की प्रविष्टि 26 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए —

"26—क सामाजिक बीमा और सामाजिक सुरक्षा"

(प्रविष्टि 26—क समवर्ती सूची में जोड़ी गई।)

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 3 सितम्बर, 1949, पृ. 940

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 3 सितम्बर, 1949, पृ. 940

*** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 3 सितम्बर, 1949, पृ. 940

नई प्रविष्टि 26—ख

*माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमान क्या मैं स्पष्टीकरण दूँ।

सूची में प्रविष्टि के बारे में कुछ भ्रम और गलत धारणा प्रतीत होती है। मेरे मित्र श्री देशमुख के संशोधन के बारे में वह ग्रामीण श्रमिक, किसान और हर प्रकार के खेती करने वालों का कल्याण चाहते हैं। अच्छा, मैं किसी प्रकार का स्पष्ट विचार इन सड़क वाहन के शब्द " सभी प्रकार के खेतिहर" साधन का रखना चाहूँगा। क्या वे चाहते हैं कि राज्य जमीदारों का कल्याण करे जो पांच लाख का राजस्व भुगतान करते हैं?

श्री आर. के. सिधवा : आप उन शब्दों को छोड़ सकते हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह मालगुजारों को भी सम्मिलित करेगा। किसी प्रविष्टि को स्वीकार करने से पूर्व मेरे दिमाग में स्पष्ट एवं सहमत होने वाले विचार होने चाहिए कि शब्दों का अर्थ क्या है? "खेतिहर" शब्द का संक्षिप्त अर्थ नहीं होता। इसका अर्थ होना चाहिए अधिक लगान देने वाला। इसका अर्थ होना चाहिए ऐसा व्यक्ति जिसके पास दो एकड़ भूमि है। इसका यह भी अर्थ होना चाहिए ऐसा व्यक्ति जिसके पास पांच हजार एकड़ भूमि अथवा पांच लाख एकड़ भूमि हो।

डॉ. पी. एस. देशमुख : मैं उस विशेष पद को छोड़ने के लिए तैयार हूँ।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह पहली कठिनाई है जो मेरे सामने आई है। दूसरा बिन्दु मुद्दा है कि मेरे मित्र डॉ. देशमुख विभिन्न प्रविष्टियों पर अधिक ध्यान नहीं देते उनका अर्थ क्या है? जहाँ तक कृषि का सम्बन्ध है, हमारे पास सूची II में दो स्पष्ट प्रविष्टियां हैं — संख्या 21 जो कृषि है और संख्या 24 जो भूमि है। यदि उन्होंने इन दो प्रविष्टियों को देखा होता तो उन्हें पता चलता ....***''

डॉ. पी. एस. देशमुख : कैसे गलत तर्क दिए जा रहे हैं? उस व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए पृथक उपबन्ध चाहते हैं? गलत तर्क न दीजिए।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : प्रशासन की गलतियों के लिए प्रश्नों के उत्तर देना मेरा कार्य नहीं है। जो प्रविष्टि का अर्थ है वहीं मैं बता रहा हूँ। जैसा मैंने कहा हमारे पास सूची II में दो प्रविष्टियां हैं। खेती के लिए " कृषि शिक्षा और अन्वेषण, जंगली जानवरों से बचाव और पौधों की बीमारियों से बचाव।" सहित खेती के लिए प्रविष्टि 21 है।

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 3 सितम्बर, 1949, पृ. 944

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 3 सितम्बर, 1949, पृ. 944—46

***बिन्दु असल में गडबड़ी दर्शाते हैं।

डॉ. पी. एस. देशमुख : तब आप "मजदूरों का कल्याण" क्यों चाहते हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : आप कुछ धैर्य क्यों नहीं रखते? मैं अपना काम जानता हूँ। क्या आपका मतलब यह है कि मैं अपना कार्य नहीं जानता? मैं निश्चय ही अपना कार्य जानता हूँ।

डॉ. पी.एस. देशमुख : मैं आपका व्यवहार जानता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कीजिए।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यहाँ पहले से ही एक प्रविष्टि है जो राज्यों को केवल कृषि के बारे में ही कल्याण कार्य करने की शक्ति नहीं देती बल्कि कृषकों के बारे में भी। इसके अतिरिक्त हमारे पास प्रविष्टि 24 है जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि "अधिकार में अथवा भूमि पर, जमींदार और किसान के सम्बन्धों सहित विधि बनायी जानी चाहिए। किसानों के सभी आर्थिक हित इस प्रविष्टि में आएंगे। इसलिए जहाँ तक प्रविष्टियों का सम्बन्ध है यहाँ कुछ भी नहीं है जो राज्य सरकार को कृषक श्रेणियों के कल्याण के कार्य करने की कमी अवगत कराये।

तब मैं अपने मित्र श्री सिधवा द्वारा उठाये गये प्रश्न पर आता हूँ जो मैं समझता हूँ सही प्रश्न है। छोटा सा प्रश्न था जो "श्रम" शब्द का निर्वचन था और उन्होंने मुझसे बिल्कुल निश्चित प्रश्न किया था कि क्या श्रमिक का अर्थ दोनों औद्योगिक और कृषि सम्बन्धी है। मैं समझता हूँ यही उनका प्रश्न था। मेरा स्पष्ट उत्तर है कि इसमें दोनों प्रकार के श्रम सम्मिलित हैं। प्रविष्टि का उद्देश्य औधोगिक श्रम तक सीमित नहीं है। श्रम कल्याण से सम्बन्धित किसी प्रकार का कार्य चाहे श्रम औधोगिक हो अथवा कृषि सम्बन्धी प्रविष्टि संख्या 26 के अधीन केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा लिया जाएगा।

उसी प्रकार कार्य की दशाएं भविष्यनिधि, नियोजक का दायित्व, कर्मकार प्रतिकर, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन ये सभी विषय इसी प्रकार के श्रम से सम्बन्धित होंगे चाहे वह औद्योगिक श्रम है या कृषि सम्बन्धी श्रम। इसलिए जहाँ तक इस प्रविष्टि सं. 26 का सम्बन्ध है औद्योगिक श्रम तक सीमित होने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इस प्रकार का संशोधन जो मेरे मित्र श्री देशमुख ने पेश किया है पूर्णतः अनावश्यक है इसके होने के साथ मुझे कानूनी तात्पर्य नहीं बताया जा सकता है –

डॉ. पी. एस. देशमुख – क्या इस देश में कृषि श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की श्रेणी नहीं है। क्या कभी डॉ. अम्बेडकर ने "कृषक" और "कृषक श्रमिक" का नाम सुना है ?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : उनका कल्याण प्रान्तीय सूची की प्रविष्टि 21 व 24 के अधीन किया जाएगा जैसा मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ।

(डॉ. पी. एस. देशमुख का संशोधन अस्वीकार किया गया। डॉ. अम्बेडकर का संशोधन अपनाया गया। यथा संशोधित प्रविष्टि 27 समवर्ती सूची में जोड़ी गई।)

प्रविष्टि 27

*__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :__ श्रीमान, मेरा प्रस्ताव है "कि सूची III की प्रविष्टि 27 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए —

'27 रोजगार नियोजन और बेकारी"

संशोधन स्वीकार किया गया।

यथा संशोधित प्रविष्टि 27 समवर्ती सूची में जोड़ी गई।

प्रविष्टि 28

**__उपसभापति :__ अब मैं प्रश्न रखूंगा।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं एक शब्द कहना चाहता हूँ "कर्मकार संघ" शब्द श्रम कल्याण के सम्बन्ध में बहुत बड़ा अर्थ रखता है और केवल औद्योगिक संगठनों के कर्मकार संघों को ही सम्मिलित नहीं करेगा बल्कि खेतिहर सम्मिलित नहीं करेगा बल्कि श्रमिकों को भी सम्मिलित करेगा। ऐसा होने से, मुझे शंका है कि उद्योग शब्द को सम्मिलित करके हम "कर्मकार संघ" शब्दों का क्षेत्र व अर्थ सीमित करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। लेकिन मैं कोई संशोधन पेश नहीं कर रहा हूँ। प्रारूपण समिति के लिए एक अवसर सुरक्षित करके रखूंगा इस पर विचार करने के लिए और जांच करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि प्रविष्टि जैसी ऐसी समय है वेसी बनी रहे। मैंने अपनी शंका प्रकट कर दी है कि "कर्मकार संघ" के विस्तृत अर्थ में प्रविष्टि का एक भाग संशोधन चाहेगा।

उपसभापति : डॉ. अम्बेडकर के कहने के अनुसार प्रविष्टि 28 को मैं मत के लिए पेश करता हूँ। प्रश्न है :—

"कि प्रविष्टि 28 सूची III का भाग बनी।

(प्रस्ताव स्वीकार हुआ।)

प्रविष्टि 28 समवर्ती सूची में जोड़ी गई।

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 3 सितम्बर, 1949, पृ. 946

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 3 सितम्बर, 1949, पृ. 947

नई प्रविष्टि 28—क

*__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :__ मेरा प्रस्ताव है "कि सूची III की प्रविष्टि 28 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाए :

'28—क. वाणिज्यिक और औद्योगिक एकाधिकार गुटन्यास'"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ। प्रविष्टि 28—क समवर्ती सूची में जोड़ी गई।

प्रविष्टि 29

**__उपसभापति :__ चूंकि प्रविष्टि 29 का कोई संशोधन नहीं है, मैं इसे मत के लिए पेश करूँगा।

प्रविष्टि 29 समवर्ती सूची में जोड़ी गई।

डॉ. पी. एस. देशमुख : श्रीमन, मेरे संशोधन का एक भाग कल स्वीकार किया गया था। जब हम राज्य सूची पर वाद—विवाद कर रहे थे तब यह तय हुआ था कि हम 'अपमिश्रण खाद्य सामग्री' को सूची III में अंतरित करें और इसलिए कदाचित यह उचित होगा। इस स्तर पर हम इस प्रविष्टि के शब्दों को लें। उसी समय मैं चाहूँगा कि मेरा पहला संशोधन भी स्वीकार किया जाए।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि सूची I की प्रविष्टि 61क से प्रविष्टि 29क की पुरःस्थापना पूरी तरह से सम्मिलित हो गया है जिसे सदन द्वारा विस्तृत रूप में पारित किया जा चुका है? प्रयोग किए गए शब्द 'समान माल' है जो कृषि उत्पादन इत्यादि को भी सम्मिलित करेंगे। इसी प्रकार 29ख को श्री मैत्रा के प्रस्ताव पर कल स्वीकार किया गया था और अब यह सूची III की प्रविष्टि 20क है।

डॉ. पी. एस. देशमुख : मैं अपने मित्र के सुझाव के प्रथम भाग को स्वीकार करता हूँ। 29क को जोड़ने के लिए मैं पेश नहीं करता। लेकिन मैं स्पष्ट नहीं हूँ कि क्या यह प्रविष्टि की केवल बदली हुई स्थिति है जैसी यह सूची II में है जो प्रस्तावित की गई है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जैसे 20क यह समवर्ती सूची में अंतरित कर दी गई है। यह प्रस्ताव सदन द्वारा पारित किया गया था।

---

*. सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 3 सितम्बर, 1949, पृ. 947

**. सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 3 सितम्बर, 1949, पृ. 948

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं समझता हूँ 'अपमिश्रित खाद्य सामग्री' सभी कुछ सम्मिलित करती है।

डॉ. पी.एस. देशमुख : क्या इसका क्षेत्र बढ़ाना अच्छा नहीं होगा?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं समझता हूँ 'अपमिश्रण खाद्य सामग्री' में प्रत्येक वस्तु सम्मिलित है।

डॉ. पी. एस. देशमुख : यदि यह ऐसा है, मैं यह प्रस्ताव पेश नहीं करता।

उपसभापति : तब मैं प्रविष्टि 30 और 31 को मत के लिए पेश करूंगा।

प्रविष्टि 30 और 31 समवर्ती सूची में जोड़ी गई।

नई प्रविष्टि 31—क

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** मेरा प्रस्ताव है :

"कि प्रविष्टि 31 के पश्चात निम्नलिखित नई प्रविष्टि रखी जाए:

'31—क. बंदरगाह, सूची I के उपबंधों के अधीन बड़े बंदरगाहों के बारे में'"।

(प्रस्ताव स्वीकार हुआ। 31—क प्रविष्टि समवर्ती सूची में जोड़ी गई।)

* * * *

प्रविष्टि 32

****माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** मेरा प्रस्ताव है कि

"सूची III की प्रविष्टि 32 लुप्त की जाए"।

यह सूची I में अंतरित की गई।

प्रविष्टि 32 समवर्ती सूची में से निकाली गई।

* * * *

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 3 सितम्बर, 1949, पृ. 948

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 3 सितम्बर, 1949, पृ. 949

प्रविष्टि 33

*माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरा प्रस्ताव है कि

"सूची III की प्रविष्टि 33 लुप्त की जाए"।

जैसा मैंने कहा यह सूची I में अंतरित की गई।

प्रविष्टि 33 समवर्ती सूची में से निकाली गई।

*   *   *   *

प्रविष्टियाँ 33क और 33–ख

**माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है कि

"सूची III की प्रविष्टि 33 के पश्चात् निम्नलिखति नई प्रविष्टियाँ रखी जाएं :

'33क. ऐसी संपत्ति की (जिसके अंतर्गत कृषि भूमि है) अभिरक्षा, प्रबंध और व्ययन जिसके अंतर्गत कृषि है जो विधि द्वारा निष्क्रांत संपत्ति घोषित की जाए।

33ख. भारत और पाकिस्तान के अधिक्षेत्र के बनने के कारण से अपने असली निवासस्थानों से हटाये गये व्यक्तियों का पुनर्वास और .... राहत'"

संशोधन संख्या 296 पेश नहीं हुआ।

(प्रविष्टियाँ 33–क और 33–ख समवर्ती सूची में जोड़ी गई।)

*   *   *   *

प्रविष्टि 34

***श्री बृजेश्वर प्रसाद : श्रीमन, यहाँ प्रश्न का दूसरा पहलू भी है जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। प्रविष्टि 34 इस प्रकार है :

'आर्थिक एवं सामाजिक आयोजना'

राजनैतिक आयोजना के बारे में क्या है?

कुछ माननीय सदस्य : यह बहुत ही दुखदायी होगी।

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 3 सितम्बर, 1949, पृ. 949

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 3 सितम्बर, 1949, पृ. 949

*** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 3 सितम्बर, 1949, पृ. 950

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : संविधान के संशोधन द्वारा यह किया जा सकता है।

* * * *

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** श्रीमन, मुझे बड़ा दुख है किंतु मैं श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी द्वारा पेश किए गए संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। शब्द 'शिक्षा' की पुरःस्थापना मुझे बिल्कुल अनावश्यक प्रतीत होती है। 'सामाजिक' शब्द कुछ भी सम्मिलित करने के लिए बहुत विस्तृत है जो वास्तव में धार्मिक आयोजना को छोड़कर संपूर्ण समाज से संबंधित है और विरोध मात्र 'सामाजिक' और 'धार्मिक' में होगा, इसके बाद प्रत्येक चीज राज्य के लिए खुली होगी।

मेरे माननीय मित्र रोहिनी कुमार चौधरी के विचारों के बारे में, मैं सोचता हूँ कि वह समझेंगे कि इस प्रविष्टि को समवर्ती सूची में स्थान मिला है और राज्य को अपने ढंग से योजना बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। यह केवल उस समय है जब केंद्र एक योजना रखता है और यदि वह योजना राज्य द्वारा तैयार योजना के विरोध में आती है तो राज्य द्वारा तैयार योजना छूट जाएगी और यह राज्य की योजना शक्ति पर किसी प्रकार भी अतिक्रमण नहीं है और इसलिए यह प्रविष्टि, मैं निवेदन करता है; जिस भाषा में इस समय है, उसी में रहनी चाहिए।

उपसभापति : प्रश्न है :

"कि सूची III की प्रविष्टि 34 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए :

'34. आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक आयोजना'"

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(प्रविष्टि 34 समवर्ती सूची में जोड़ी गई।)

* * * *

प्रविष्टि 34—क

****माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** श्रीमन, मेरा प्रस्ताव हैः

"कि सूची III की प्रविष्टि 34 के पश्चात् निम्नलिखित नई प्रविष्टि रखी जाएः

'34क. पुरातत्व महत्व के स्थान और खण्डहर'"

यह समवर्ती होगा।

(प्रविष्टि 34—क समतर्वी सूची में जोड़ी गयी।)

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 3 सितम्बर, 1949, पृ. 952

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 3 सितम्बर, 1949, पृ. 9952

प्रविष्टि 35

*माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है:

"कि सूची III की प्रविष्टि 35 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को रखा जाए :

'35. संघ अथवा राज्य के प्रयोजनों के लिए अथवा किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जित या अधिग्रहित संपत्ति के प्रतिकार के सिद्धांतों का अवधारणा और वह प्रारूप तथा रीति जिसे ऐसा प्रतिकार दिया जाता है।'"

(संशोधन स्वीकार हुआ।)

(प्रविष्टि 35 संशोधित रूप में समवर्ती सूची में जोड़ी गई।)

प्रविष्टि 35—क

**माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है :

"कि सूची III की प्रविष्टि 35 के पश्चात् निम्नलिखित नई प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाए:

'35क. उद्योगों के उत्पादों में व्यापार और वाणिज्य उसका उत्पादन आपूर्ति और वितरण जहाँ संघ द्वारा ऐसे उद्योगों का नियंत्रण संसद की विधि द्वारा लोकहित में हो या घोषित किया जाए'"।

(प्रस्ताव अंगीकार हुआ।)

(प्रविष्टि 35क समवर्ती सूची में जोड़ी गई।)

* * * *

प्रविष्टि 36

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है:

"कि प्रविष्टि 36 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए :

'36. सूची II अथवा III में उल्लिखित किसी विषय के प्रयोजनों के लिए उद्योग और सांख्यिकी'।

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 3 सितम्बर, 1949, पृ. 953

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 3 सितम्बर, 1949, पृ. 953

*** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 3 सितम्बर, 1949, पृ. 953

माननीय सभापति : अब कोई संशोधन नहीं है।

(प्रविष्टि 36 समवर्ती सूची में जोड़ी गई।)

* * * *

नई प्रविष्टि

माननीय सभापति : यहाँ पंडित गोविन्दवल्लभ पंत द्वारा प्रस्तावित नई प्रविष्टि है।

(संशोधन संख्या 144 पेश नहीं किया गया था।)

***डॉ. पी.एस. देशमुख** : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है:

"कि सूची III में निम्नलिखित नई प्रविष्टि जोड़ी जाए :

'बच्चों और युवाओं की शोषण और परित्यजन से अनुच्छेद के (VI) द्वारा'"

श्रीमन, मैंने दो अवसरों पर ऐसे ही संशोधन पेश किए थे ...

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इस संशोधन पर अन्य संशोधनों के साथ विचार हुआ था और अपने मित्र को बताते हुए उत्तर दिया था कि इस मामले पर मसौदा समिति द्वारा विचार होगा, तब वह सहमत होंगे।

डॉ. पी. एस. देशमुख : मेरा मात्र निवेदन है कि जैसा मसौदा समिति चाहे, शब्दों को बदल देना चाहिए कि जैसा मैंने प्रस्ताव किया है प्रविष्टि को तदर्थ तौर पर स्वीकार कर लेना चाहिए। इसे केवल मसौदा समिति द्वारा स्वीकार करने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। कोई शब्द जो उचित हो रखे जाने चाहिए लेकिन प्रविष्टि ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों और युवाओं की शोषण और परित्यजन से संरक्षा करे। मुझे आशा है कि डॉ. अम्बेडकर कृपया इसे स्वीकार कर लेंगे।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैंने अपने मित्र से कहा था कि यदि मैं देखता हूँ कि जो प्रयोजन उनके मस्तिष्क में है, जो इसे प्रविष्टियों से पूरा नहीं होता है तो, ऐसी कोई प्रविष्टि दाखिल करने के लिए मैं प्रयत्न करूँगा। मैंने उन्हें ऐसा विश्वास दिलाया है।

डॉ. पी. एस. देशमुख : यह वह प्रश्न है जिससे मैंने और सदन के कम से कम कुछ सदस्यों ने समुचित महत्व दिया है..... मैं आशा करता हूँ श्रीमन, यदि मेरे द्वारा प्रस्तावित जैसी कोई प्रविष्टि ली गई तो कोई हानि नहीं होगी।

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 3 सितम्बर, 1949, पृ. 954

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं इस विषय पर व्यक्तिगत ध्यान दूँगा। उद्देश्य से मेरी पूरी सहानुभूति है। मैं इससे क्या अधिक कर सकता हूँ?

* * * *

***श्री नजीरुद्दीन अहमद** : एक वक्ता ने अभी–अभी कहा है कि वेश्यावृत्ति पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : क्या यह प्रश्न ऐसा है जिस पर बहस की जरूरत है? केवल प्रश्न यह है कि क्या राज्य के पास शक्तियाँ है अथवा केंद्र के पास अथवा यह समवर्ती हो। शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा क्या आंशिक आज्ञा दी जाएगी अथवा इसे पूर्णतः प्रतिबद्ध किया जाएगा यह विषय प्रत्येक विधान–मंडल का है जो हमें विधानमंडल पर छोड़ देना चाहिए।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मेरा निवेदन है कि यह सुसंगत है। संशोधन 'वेश्यावृत्ति के विनियमन और नियंत्रण' के लिए उपबंध करता है....

श्री वी. आई. मुनीस्वामी पिल्लई (मद्रास : सामान्य) : मैं बोलना चाहता हूँ, श्रीमन।

माननीय सभापति : बहुमत से बहस बंद कर दी गई। प्रश्न है:

"कि प्रश्न अब रखा जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, उन मामलों को विनियमित करने के लिए इन प्रविष्टियों में राज्यों को काफी शक्तियां दी गई हैं जैसे या तो लोक सदनों के लिए अथवा बड़े पैमाने पर कृषि के लिए। यदि मेरे मित्र श्री देशमुख सूची II की प्रविष्टि 1 को देखें जो लोक व्यवस्था के बारे में और प्रविष्टि 4 जो पुलिस के बारे में है, तो वह देखेंगे कि इन विषयों को विनियमित करने के लिए आवश्यकता से अधिक शक्तियाँ दी गई हैं। यदि वह राज्य सूची की प्रविष्टि 24 जो भूमि के विषय में है प्रविष्टि 21 जो कृषि के विषय में है को देखें तो वह देखेंगे कि राज्य के पास राज्य कृषि फार्म बनाने के लिए अथवा जो चाहें पर्याप्त शक्तियाँ हैं।

इसलिए केवल प्रश्न शेष यह रहता है कि यह विषय जो कृषि फार्मों के बनाने अथवा सार्वजनिक भवनों को विनियमित करने के लिए है, समवर्ती सूची में रहने चाहिए। मेरे विचार से यह निश्चय करने की कसौटी कि यह विषय समवर्ती सूची

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 3 सितम्बर, 1949, पृ. 957–958

में होना चाहिए अथवा राज्य सूची में, क्या यह विषय अखिल भारत से संबंध रखता है अथवा शुद्ध रूप से स्थानीय है। मेरे विचार से वेश्यावृत्ति, सार्वजनिक भवनों का विनियमन और कृषि फार्मों का बनाना स्थानीय विषय हैं और इसलिए यह अच्छा है कि इन्हें राज्य के पास छोड़ दिया जाए। इनके लिए इनके पास आवश्यकता से अधिक शक्तियां हैं। मैं नहीं जानता कि केंद्र किस प्रकार कार्य करेगा। केंद्र के पास कृषि फार्म भूमि नहीं होती। यदि केंद्र कोई फार्म स्थापित करना चाहता है तो केंद्र किसानों से संपत्ति अर्जित करेगा। ऐसी ही बात राज्य द्वारा हो सकेगी। मैं नहीं देखता कि इन प्रविष्टियों को समवर्ती सूची में रखने से क्या प्रयोजन पूरा होगा? और यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे राज्य जिन्हें हम राज्य कहते हैं, यूरोप के राज्यों से बहुत बड़े हैं।

श्रीमती जी. दुर्गाबाई : क्या डॉ. अम्बेडकर एक बात स्पष्ट करेंगे? प्रविष्टि वेश्यावषत्ति के विनियमन अथवा प्रतिबंध के विषय में है। मैं 'विनियमन' का अर्थ नहीं समझती और मैं सोचती हूँ, यह पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : राज्य उनको विनियमित कर सकता है और प्रतिविष्ट भी कर सकता है। राज्य इसे कर सकते हैं।

(संशोधन अस्वीकार किया गया।)

नई प्रविष्टि 88—क

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर** : मैं 58 सदस्यों द्वारा पेश किए गए संशोधन को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ।

श्री महावीर त्यागी : क्या मैं आपको सूचित करूँ श्रीमन, कि सदन का बड़ा भाग प्रविष्टि को छोड़ना पसंद करेगा इसलिए अनुच्छेद को प्रारूपण समिति द्वारा विचार करने से रोकने के लिए आप सहमत हो?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, यदि इस संशोधन को पेश करने वाला पेशकर्ता इसे पेश करने की चिंता करता है, तो मैं इसे स्वीरकार करने के लिए तैयार हूँ।

श्री रामनाथ गोयनका (मद्रास : सामान्य) : श्रीमान, दूसरे दिन आपने डॉ. अम्बेडकर से बदले हुए प्रस्ताव के साथ तैयार रहने के लिए निवेदन किया था।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमान, संशोधन यहाँ है।

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 3 सितम्बर, 1949, पृ. 960—963

श्री रामनाथ गोयनका : जो सुझाव मैं देता हूँ वह यह है कि हम प्रारूपण समिति के सम्पर्क में रहें और सभी को स्वीकार्य सूत्र पर पहुंचे।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह वह सूत्र है जिसका प्रस्ताव आपने किया था।

श्री रामनाथ गोयनका : हम आपसे विचार–विमर्श करने का लाभ उठायेंगे।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, यदि वे इसे पेश करते है तो मैं प्रविष्टि 88–क स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ।

श्री एस. नागप्पा : यह पेश की जा चुकी है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह अभी पेश नहीं हुई है। वह सूची की प्रविष्टि 88क थी। राज्य सूची I में नहीं।

एतराज हुए थे कि वह नियमानुसार नहीं थी और उसे पेश नहीं किया गया था। इसलिए क्या श्री गोइनका इसे पेश करना चाहेंगे................*

श्री देश बंधु गुप्ता : श्रीमन, मैं पेश करता हूँ कि इस विषय को रोक लिया जाए।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : क्यों? हमने पूरी सूची को समाप्त करने की कोशिश की। इसलिए ही हमने शीघ्रता की, बहुत से सदस्यों को बोलने की आज्ञा नहीं दी। अब हमारे पास बहुत से सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ स्पष्ट संशोधन है, मैं नहीं समझता कि इसे क्यों रोका जाए?

श्री देशबंधु गुप्ता : यह स्पष्ट शक्ल में नहीं है जैसा डॉ. अम्बेडकर ने स्वयं देखा कि मसौदे में कुछ एतराज के योग्य है और वे उससे अच्छे मसौदे से हमारी सहायता के लिए तैयार थे।

माननीय सभापति : अन्य दिन डॉ. अम्बेडकर को जैसा मैंने समझा, केवल प्रश्न था कि यह सूची I में हो अथवा सूची II में। उन्होंने कहा कि सिद्धांत का प्रश्न तय किया जाए।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यदि आप इसे सूची I में रखना चाहते हैं, मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ।

माननीय सभापति : वह विशेष स्थान जहाँ यह प्रविष्टि जाएगी, प्रारूपण समिति के लिए छोड़ दिया जाए।

---

*. ....से रुकावट इंगित होती है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : संपूर्ण गड़बड़ी यही है। यह प्रविष्टि मूल रूप से सूची II में थी। यहाँ एतराज था कि इसे सूची II में नहीं होना चाहिए किंतु इसे सूची I में होना चाहिए। मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ यदि वे ऐसा चाहते हैं।

* * * *

श्री देशबंधु गुप्ता : श्रीमन, सूचना के बिंदु पर क्या मुझे पूछना चाहिए, दूसरी सूची में प्रविष्टि 58 का क्या होगा जिसे कल रोक दिया गया था?

माननीय सभापति : वह जाएगी।

श्री देशबंधु गुप्ता : उसे कल इसलिए रोका गया था कि ये दोनों साथ जाएंगी।

माननीय सभापति : इसे इसलिए रोका गया था क्योंकि यहाँ एक संशोधन था जो इसे सूची II में स्थानांतरित करना चाहता था। यदि इसे सूची I में पारित किया जाता है तब वह संशोधन व्यर्थ होगा।

श्री देशबंधु गुप्त : ये दो संशोधन हैं। यहाँ एक है कि यह सूची I में स्थानांतरित होनी चाहिए और दूसरा प्रविष्टि 58 का क्षेत्र निश्चित करेगा। संशोधन कल रोक दिया गया था क्योंकि उस समय यह विषय सदन के सम्मुख नहीं था। इन्हें एक साथ जाना चाहिए।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हूँ। वे एक साथ नहीं जाते। मैं इन्हें स्वीकार करने से मना करता हूँ।

माननीय सभापति : यहाँ एक संशोधन संख्या 122 था, उस पर विचार करना इस संशोधन के कारण रोक दिया गया था।

यदि संशोधन जिसे अभी तुरंत पेश किया गया है स्वीकार किया जाता है तब उस मामले में संशोधन संख्या 122 खराब होता है। बेकार होता है। और सदन के सामने प्रस्ताव डॉ. अम्बेडकर का प्रस्ताव होगा जैसे संशोधन संख्या 121।

श्री रामनाथ गोयनका : क्या यहाँ अनुवर्ती संशोधन सूची II में नहीं होगा? राज्य सूची में राज्य को कुछ निश्चित शक्तियाँ बिक्री पर कर तथा विज्ञापन पर कर के लिए दी गई हैं। यदि इसे सूची I में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो अनुवर्ती संशोधन जिसकी सूचना हमने दी है.......

माननीय सभापति : सूचना है कि इसे सूची 1 में सम्मिलित किया जाए। यदि इसे सूची 1 में लिया जाता है तब यह बाहर चला जाता है।

श्री रामनाथ गायनका : लेकिन प्रविष्टि में सूची II के लिए अपवाद की व्यवस्था होगी, समाचार पत्रों को छोड़कर सामान की बिक्री।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह बिल्कुल भी अनुवर्ती संशोधन नहीं है। दोनों संशोधन बिल्कुल स्वतंत्र हैं। एक संशोधन यह है कि प्रविष्टि को अतिरिक्त नई प्रविष्टि जिसे 88–क कहा जाता है, जोड़ कर बढ़ाया जाए। तब यहाँ दूसरा संशोधन है जो सूची II की प्रविष्टि 58 के संशोधन का संशोधन है जो बिक्री कर के बारे में है वह संशोधन कहता है कि 'सामान' शब्द उस योग्य बनाया जाए कि समाचार पत्र को छोड़ दिया जाए। उसे उसके गुणों पर देखा जाए। फिलहाल प्रश्न जिस पर हमें विचार करना है यह है कि जो शब्द पेश किए गए हैं उनके साथ 88–क को जोड़कर सूची I को बढ़ाया जाए।

श्री रामनाथ गोयनका : स्थिति यह है। हमने सूची I में एक प्रविष्टि प्रस्तावित की है कि विज्ञापनों सहित समाचार पत्रों के कर सूची I को स्थानांतरित कर दिया जाए और राज्यों को समाचार पत्रों पर कर लगाने तथा कर वसूल करने का अधिकार न हो। अतः सूची I में प्रविष्टि 58 में संशोधन के संशोधन सं. 122 का अनुवर्ती संशोधन संख्या 57 है। इस प्रकार, यह दोनों संशोधन एक साथ लिए जाने चाहिए। कल जब सूची I में प्रविष्टि 58 का प्रश्न हमारे सामने आया आपने उस समय तक रोक रखा था जब तक आपने नियम बताये और कहा कि इन प्रविष्टियों पर फैसला एक साथ होगा।

मननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : उन्हें एक के पश्चात एक लो। दोनों संशोधनों को एक के पश्चात् रख दो।

श्री रामनाथ गोयनका : श्रीमन, क्या मैं सुझाव दूँ कि हम प्रविष्टि 58 को सूची II में पहले रखें और तब 88–क?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : आप जैसा चाहें इसे कर सकते हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दूसरे संशोधन पर मतदान विशेष प्रकार से प्रथम पर मतदान से असंगत तरीके से होगा। सदन एक को स्वीकार करने और दूसरे को खारिज करने के लिए स्वतंत्र है।

श्री रामनाथ गोयनका : इस मामले पर मैं आपका फैसला पसंद करूंगा। यदि समाचार पत्रों के करों को सूची I में स्थानांतरित करते हैं तो यह सूची II में कोई स्थान प्राप्त नहीं कर सकेगी। यदि इसको सूची I में स्थान प्राप्त होता है तो सूची II से बाहर निकल जाएगी।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह सूची II के बाहर जाएगा जहाँ तक करों का संबंध है। लेकिन जहाँ तक सामान की बिक्री का संबंध है यह रहेगा। क्या आप

इसे भी बाहर चाहते हैं? यदि मैं समझता हूँ आपका उद्देश्य दोहरा है जैसे समाचार पत्रों पर कोई कर न लगाया जाए और बिक्री कर कानून (अधिनियम) के अधीन कोई शुल्क न लगाया जाए। मैं स्पष्ट रूप से आपको दोनों लाभ देने के लिए तैयार नहीं हूँ।

श्री रामनाथ गोयनका : श्रीमन, क्या मैं आपको यह विषय सोमवार सुबह तक रोकने के लिए निवेदन कर सकता हूँ ताकि हम एक साथ मिलकर विचार कर आपके पास आएं क्योंकि हमारा यह इरादा है। हम साधारण व्यक्ति हैं और हम डॉ. अम्बेडकर द्वारा मार्गदर्शित होंगे। कुल कर राज्यों से लेकर केंद्र को दिए जाएँ। यदि वह उद्देश्य पूरा नहीं हो तो मुझे डर है कि दूसरे अन्य संशोधन पेश करने होंगे जो हमारे उद्देश्यों को पूरा करेंगे। ये हमारे इरादे हैं।

माननीय सभापति : डॉ. अम्बेडकर। यदि यह विषय रोक दिया जाए तो क्या आप एतराज करेंगे?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इसके बारे में मैं बिल्कुल स्पष्ट रहूँगा। मुझे प्रविष्टि 88–क स्वीकार करने का जनादेश है। मुझे उस आदेश को मानना है और प्रविष्टि 88–क स्वीकार करनी है। दूसरी कोई अन्य वस्तु (संशोधन संख्या 122) इस प्रकार मानने के लिए नहीं है। मुझे विश्वास है कि इसे स्वीकार करना कठिन होगा। किसी प्रकार के करों से समाचार पत्रों की मुक्ति मेरे लिए असंभव प्रस्ताव है।

श्री रामनाथ गोयनका : यह ऐसा नहीं है। मैं करों को केन्द्र के लिए छोड़ना चाहता हूँ न कि प्रदेशों के लिए। यदि मैं डॉ. अम्बेडकर से कहूँ कि आदेश यह था कि इसे प्रदेशों से हटा लिया जाए।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : आप मेरे लिए जनादेश का अर्थ लगाने के लिए नहीं हैं। मैं जानता हूँ यह क्या है? मेरे लिए यह बिल्कुल स्पष्ट है।

श्री रामनाथ गोयनका : जैसा यह है, मैं आप के लिए निर्वचन कर रहा हूँ। (रुकावट)

श्री देशबंधु गुप्ता : चूंकि डॉ. अम्बेडकर ने जनादेश का हवाला दिया है इसलिए मुझे स्पष्ट कर देना चाहिए कि जब यह प्रश्न उस प्राधिकारी के पास ले जाया गया जिसने जनादेश दिया था तो यह पूरी तरह स्पष्ट था कि दो संशोधन एक साथ गए थे। हम इस कर को केंद्रीय कर रखना चाहते थे न कि केंद्रीय तथा प्रांतीय।

मननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : किसी अन्य स्थान पर चर्चित विषयों को यहाँ उल्लेख करना सही नहीं है। लेकिन, जैसा मैंने कहा, मैं उस जनादेश को मानने के लिए तैयार विषय मेरे मित्रों द्वारा मेरे द्वारा कि दूसरे स्थान पर कही गई उस बात

को सुनकर चुपचाप लाया गया कि उन्होंने इस संशोधन को लाकर सब गड़बड़ कर दिया।

श्री रामनाथ गोयनका : जैसा डॉ. अम्बेडकर का सुझाव है कि हमने गड़बड़ कर दी है, हम इसमें से मार्ग चाहते हैं।

(रुकावट)

माननीय सभापति : मैं देखता हूँ कि इस विषय में बहुत भावना है। इसलिए अच्छा होगा कि इसे किसी अन्य दिन लें, जब भावनायें कुछ शांत हो जाएँ......

पांचवीं अनुसूची

*__माननीय सभापति__ : हम पांचवीं अनुसूची पर विचार करेंगे।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (बम्बई : सामान्य) : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है :

कि पांचवीं अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाए :

अनुच्छेद 244(1)

अनुसूचति क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में

उपबंध :

भाग क

साधारण

1. **निर्वचन :** इस अनुसूची में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, 'राज्य' पद के अंतर्गत .... (असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम) राज्य नहीं है।

2. **अनुसूचित क्षेत्रों में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति–** इस अनुसूची के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उसके अनुसूचित क्षेत्रों पर हैं

3. **अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को राज्यपाल–**या शासक

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 3 सितम्बर, 1949, पृ. 965–967

द्वारा प्रतिवेदन – ऐसे प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं, प्रतिवर्ष या जब भी राष्ट्रपति इस प्रकार अपेक्षा करे, उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को उक्त क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में निदेश देने तक होगा।

भाग ख

अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों

का प्रशासन और

नियंत्रण

4. **जनजाति सलाहकार परिषद** – (1) ऐसे प्रत्येक राज्य में, अनुसूचित क्षेत्र हैं और यदि राष्ट्रपति ऐसा निदेश दे तो, किसी ऐसे राज्य में भी जिसमें अनुसूचित जनजातियां हैं किंतु अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं।

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा प्रथम अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट राज्य अभिप्रेत है परंतु शब्दों और अंकों का लोप किया गया।

2. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 (1971 का 81) की धारा 7 द्वारा (21–1–1972 से) 'असम राज्य' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3. संविधान (उनचासवां संशोधन) अधिनियम 1984 की धारा 3 द्वारा (1–4–1985) से 'और मेघालय' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

एक जनजाति सलाहकार परिषद स्थापित की जाएगी जो बीस से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से यथाशक्य निकटतम तीन चौथाई उस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होंगे:

परंतु यदि उस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों की संख्या जनजाति सलाहकार परिषद में ऐसे प्रतिनिधियों से भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से कम है तो शेष स्थान उन जनजातियों के अन्य सदस्यों से भरे जाएंगे।

(2) जनजाति सलाहकार परिषद का यह कर्त्तव्य होगा कि वह उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह

दे जो उसको रज्यपाल* द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं।

(3) राज्यपाल#

(क) परिषद के सदस्यों की संख्या को, उनकी नियुक्ति की और परिषद के अध्यक्ष तथा उसके अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति की रीति को;

(ख) उसके अधिवेशनों के संचालन तथा साधारणतया उसकी प्रक्रिया को और

(ग) अन्य सभी आनुषंगिक विषयों को,

यथास्थिति विहित या विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगा।

5. **अनुसूचित क्षेत्रों को लागू विधि** – (1) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि संसद का या उस राज्य के विधानमंडल काकोई विशिष्ट अधिनियम उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को लागू नहीं होगा अथवा उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे और इस उपपैरा के अधीन दिया गया कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उसका भूतलक्षी प्रभाव हो।

(2) राज्यपाल किसी राज्य में किसी ऐसे क्षेत्र को शांति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा जो तत्समय अनुसूचित क्षेत्र है। विशष्टितया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालें बिना, ऐसे विनियम कृ

(क) ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदसयों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निर्बंधन कर सकेंगे;

(ख) ऐसे क्षेत्र की जनजातियों के सदस्यों को भूमि के आबंटन का विनियमन कर सकेंगे;

(ग) ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को धन उधार देते हैं, साहूकार के रूप में कारबार करने का विनियमन करसकेगे।

(3) ऐसे किसी विनियम को बनाने में जो इस पैरा के उपपैरा (2) में निर्दिष्ट है, राज्यपालकृ संसद के या उस राज्य के विधानमंडल के अधिनियम का या किसी विद्यमान विधि का, जो प्रश्नगत खेत्र में तत्समय लागू है, निरसन या संशोधन कर सकेगा।

---

*. सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 3 सितम्बर, 1949, पृ.

वही

(4) इस पैरा के अधीन बनाए गए सभी विनियम राष्ट्रपति के समक्ष तुरंत प्रस्तुत किए जाएंगे और जब तक वह उन पर अनुमति नहीं दे देता है तब तक उनका कोई प्रभाव नहीं होगा।

भाग ग

अनुसूचित क्षेत्र

6. अनुसूचित क्षेत्र – (1) इस संविधान में, 'अनुसूचित क्षेत्र' पद से ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करे।

(2) राष्ट्रपति किसी भी समय आदेश द्वारा –

(क) निदेश दे सकेगा कि कोई संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र या उसका कोई विनिर्दिष्ट भाग अनुसूचित क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र का भग नहीं रहेगा;

(कक) किसी राज्य के किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्र को उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात बढ़ा सकेगा;

(ख) किसी अनुसूचित क्षेत्र में, केवल सीमाओं का परिशोधन करके ही, परिवर्तन कर सकेगा;

(ग) किसी राज्य की सीमाओं के किसी परिवर्तन पर या संघ में किसी नए राज्य के प्रवेश पर या नए राज्य की स्थापना पर ऐसे किसी क्षेत्र को, जो पहले से किसी राज्य में सम्मिलित नहीं हैं, अनुसूचित क्षेत्र या उसका भाग घोषित कर सकेगा;

(घ) किसी राज्य या राज्यों के संबंध में इस पैरा के अधीन किए गए आदेश या आदेशों को विखंडित कर सकेगा और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके उन क्षेत्रों को, जो अनुसूचित क्षेत्र होंगे, पुनः पर निश्चित करने के लिए नए आदेश कर सकेगा।

और ऐसे किसी आदेश में ऐसे आनुषंगिक और परिणामिक उपबंध हो सकेंगे जो राष्ट्रपति को आवश्यक और उचित प्रतीत हों, किंतु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय इस पैरा के उपपैरा (1) के अधीन किए गए आदेश में किसी पश्चातवर्ती आदेश द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

भाग घ

अनुसूची का संशोधन

7. अनुसूची का संशोधन – (1) संसद, समय–समय पर विधि द्वारा, इस अनुसूची के उपबंधों में से किसी का, परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन के रूप में, संशोधन कर सकेगी और जब अनुसूची का इस प्रकार संशोधन किया जाता है तब इस संविधान में इस अनुसूची के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस प्रकार संशोधित ऐसी अनुसूची के प्रति निर्देश है।

(2) ऐसी कोई विधि, जो इस पैरा के उपपैरा (1) में उल्लिखित है, इस संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी।

पांचवीं अनुसूची

[अनुच्छेद 215–क(क) और 215–ख(1)]

अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध

भाग 1

साधारण

1. **निर्वचन** – इस अनुसूची में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, 'राज्य' पद से प्रथम अनुसूची के भाग 1 या भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्य अभिप्रेत है।

2. **अनुसूचित क्षेत्रों में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति** – इस अनुसूची के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उसके अनुसूचित क्षेत्रों पर है।

3. अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संघ में भारत सरकार को राज्यपाल या शासक द्वारा प्रतिवेदन देगा और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य की उक्त क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में निर्देश देने तक होगा।

भाग 2

अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण

4. **जनजाति सलाहकार परिषद** – (1) ऐसे प्रत्येक राज्य में, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं और यदि राष्ट्रपति ऐसा निर्देश दें तो, किसी ऐसे राज्य में भी जिसमें अनुसूचित जनजातियाँ हैं किंतु अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, एक जनजाति सलाहकार परिषद स्थापित की जाएगी जो बीस से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से यथाशक्ति निकटतम तीन चौथाई उस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होंगेः

परन्तु, यदि उस राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों की संख्या जनजाति सलाहकार परिषद में ऐसे प्रतिनिधियों से भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से कम है तो शेष स्थान उन जनजातियों के अन्य सदस्यों से भरे जाएंगे।

(2) जनजाति सलाहकार परिषद का यह कर्त्तव्य होगा कि वह उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दे जो उसको राज्यपाल या शासक द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं।

(3) राज्यपाल या शासक :

(क) परिषद के सदस्यों की संख्या को, उनकी नियुक्ति की और परिषद के अध्यक्ष तथा उसके अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति की रीति को;

(ख) उसके अधिवेशनों के संचालन तथा साधारणतया उसकी प्रक्रिया को, और

(ग) अन्य सभी आनुषंगिक विषयों को,

यथास्थिति विहित या विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगा।

5. **अनुसूचित क्षेत्रों को लागू विधि** – (1) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति राज्यपाल या शासक लोक अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि संसद का या उस राज्य के विधानमंडल का कोई विशिष्ट अधिनियम उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को लागू

नहीं होगा अथवा उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे और इस उपपैरा के अधीन दिया गया कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उसका भूतलक्षी प्रभाव हो।

(2) राज्यपाल या शासक किसी राज्य में किसी ऐसे क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा जो तत्समय अनुसूचित क्षेत्र है:

(क) ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निर्बंधन कर सकेंगे;

(ख) ऐसे क्षेत्र की जनजातियों के सदस्यों को भूमि के आबंटन का विनियमन कर सकेंगे;

(ग) ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को धन उधार देते हैं साहूकार के रूप में कारोबार करने का विनियमन कर सकेंगे।

(3) ऐसे किसी विनियम को बनाने में जो इस पैरा के उपपैरा (2) में निर्दिष्ट है, राजपाल या प्रशासक संसद् के या उस राज्य के विधानमंडल के अधिनियम का या किसी विद्यमान विधि का, जो प्रश्नगत क्षेत्र में तत्समय लागू है, निरसन या संशोधन कर सकेगा।

(4) इस पैरा के अधीन बनाए गए सभी विनियम राष्ट्रपति के समक्ष तुरंत प्रस्तुत किए जाएंगे और जब तक वह उन पर अनुमति नहीं दे देता तब तक उनका कोई प्रभाव नहीं होगा।

भाग 3

अनुसूचित क्षेत्र

6. **अनुसूचित क्षेत्र**—(1) इस संविधान में, "अनुसूचित क्षेत्र" पद से ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करे।

(2) राष्ट्रपति किसी समय आदेश द्वारा –

(क) निदेश दे सकेगा कि कोई संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र या उसका कोई विनिर्दिष्ट भाग अनुसूचित क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र का भाग नहीं रहेगा।

(ख) किसी अनुसूचित क्षेत्र में, केवल सीमाओं का परिशोधन करके

ही, परिवर्तन कर सकेगा,

(ग) किसी राज्य की सीमाओं के किसी परिवर्तन पर या संघ नए राज्य के प्रवेश पर या नए राज्य की स्थापना पर ऐसे किसी क्षेत्र को, जो पहले से किसी राज्य में सम्मिलित नहीं है, अनुसूचित क्षेत्र या उसका भाग घोषित कर सकेगा, किसी राज्य या राज्यों के संबंध में इस पैरा के अधीन किए गए आदेश या आदेशों को विखंडित कर सकेगा और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके उन क्षेत्रों को, जो अनुसूचित क्षेत्र होंगे, पुनः परिनिश्चित करने के लिए नए आदेश कर सकेगा, और ऐसे किसी आदेश में ऐसे आनुषंगिक और परिणामिक उपबंध हो सकेंगे जो राष्ट्रपति को आवश्यक और उचित प्रतीत हों, किंतु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय इस पैरा के उपपैरा (1) के अधीन किए गए आदेश में किसी पश्चात्वर्ती आदेश द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

भाग 4

अनुसूची का संशोधन

7. **अनुसूची का संशोधन**–(1) संसद् समय–समय पर विधि द्वारा इस अनुसूची के उपबंधों में से किसी का, परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन के रूप में, संशोधन कर सकेगी और जब अनुसूची का इस प्रकार संशोधन किया जाता है तब इस संविधान में इस अनुसूची के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस प्रकार संशोधित ऐसी अनुसूची के प्रति निर्देश है।

(2) ऐसी कोई विधि, जो इस पैरा के उपपैरा (1) में उल्लिखित है, इस संविधान के अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी।

पाँचवी अनूसूची में संशोधित तथा सदन के सम्मुख प्रस्तुत मुख्य बदलावों के बारे में संक्षेप में स्पष्ट करना चाहूँगा। प्रथम मुख्य बदलाव पैरा 4 में है जो जनजाति सलाहकार परिषद बनाने के बारे में है। पैरा मूलरूप में मसौदा संविधान में था, जहाँ अनुसूचित क्षेत्र अथवा जनजाति है उस प्रत्येक राज्य में जनजाति सलाहकार परिषद रखना बाध्यताकारी था। यह महसूस किया गया कि राज्य के लिए जहाँ

अनुसूचित जनजाति के सदस्य उसी क्षेत्र में रह रहे हों लेकिन वहाँ अनुसूचित क्षेत्र न हो, संविधान द्वारा सलाहकार परिषद बनाने की आवश्यकता नहीं है। यह महसूस किया गया कि अनुसूचित जनजातियों के लिए जो अनुसूचित क्षेत्रों में नहीं रह रहे हैं एक सलाह कार परिषद बनाने की आवश्यकता है। परिणामस्वरूप "और" राष्ट्रपति ऐसा निदेश देता है तो किसी राज्य में भी जहाँ अनुसूचित जनजातियां हैं किन्तु अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, एक जनजाति सलाहकार परिषद हो"। अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति में सलाहकार परिषद बनाना एक बाध्यता है। अनुसूचित जनजातियों के बारे में संविधान के द्वारा सलाहकार परिषद बनाना बाध्यता नहीं है बल्कि यह राष्ट्रपति के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया गया है।

दूसरा पैरा, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ पैरा 5 है पैरा 5 संसद द्वारा बनाये कानून और स्थानीय विधानमंडल के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के द्वारा बनाये कानूनों को लागू करने के बारे में है। पैरा 5 जैसा यह मूल रूप में था, का उद्देश्य था कि यदि जनजाति सलाहकार परिषद निर्देश दे कि संसद द्वारा बनाये गये कानून अथवा स्थानीय विधानमंडल द्वारा बनाये गये कानून संशोधित रूप अनुसूचित क्षेत्र में लागू होने चाहिए तो राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद के आदेश अथवा फैसले मानने के लिए बाध्य था। यह महसूस किया गया था कि अनुसूचित क्षेत्र में संसद द्वारा बनाये गये कानून अथवा स्थानीय विधानमंडल के कानूनों का लागू होने का कार्य राष्ट्रपति के विवेकाधिकार पर छोड़ना बहुत अच्छा रहेगा और उसका विवेकाधिकार पूर्णतः नियंत्रित नहीं होना चाहिए जैसा कि पैरा 5 के मूल उपबंध में द्वारा किया जाना प्रस्तावित किया गया था।

अगली महत्वपूर्ण बात जिसकी ओर मैं आदरणीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा पैरा 6 है। मूलरूप में पैरा 6 में अनुसूचित क्षेत्र की एक अनुसूची बनाई गई थी। यह उपबंध खासतौर से आवश्यक हो गया था क्योंकि इस स्तर पर यह जानना संभव नहीं है कि भाग III के राज्यों, रियासतों में अनुसूचित क्षेत्र क्या होने जा रहा है। यह महसूस किया गया है कि दोनों, कठिनाइयों का सामना करना जिसका जिक्र मैंने किया था तथा उपबन्धों को लचीला बनाने के लिए यह अधिक अच्छा होगा कि शक्तियाँ राष्ट्रपति पर छोड़ दी जाएँ न कि अनुसूचित क्षेत्र के बारे में एक निश्चित भाग रखा जाए।

दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन जिसकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा पैरा 7 है। जो भाग IV में सम्मिलित किया गया है जो पांचवी अनुसूची के संशोधन के बारे में है, चूकि मौजूद पैरा में पांचवी अनुसूची के संशोधन का उपबंध नहीं था। अब यह व्यवस्था की गई है कि संसद इस अनुसूची का संशोधन कर सकेगी और मैं सोचता हूँ

कि यह वांछनीय है कि संसद के पास इस अनुसूची को संशोधन करने की शक्तियाँ होनी चाहिए। इसका कोई उपयोग नहीं है कि राज्य में एक अन्य राज्य पैदा किया जाए। यह वांछनीय नहीं है कि इस प्रकार का विशेष उपबंध जिसके अधीन कुछ कबीले विधानमंडल एवं संसद द्वारा बनाये कानूनों के साधारण प्रवर्तन से अलग कर दिये जाएं और पैरा 5 के उपपैरा (2) के उपबंध से मानों राज्यपाल कुछ प्रकृति के कानून बनाने के लिए कानून बनाने वाली संस्था है जिसका जिक्र (क) (ख) (ग) में है और जो इस बारे में संसद अथवा विधानमंडल द्वारा बनाये कानूनों को पर अध्यारोही शक्ति रखते हैं, सदैव के लिए घिसे–पिटे सूत्र नहीं होने चाहिए और समय तथा हालात के अनुसार बदलाव करने के लिए संसद स्वत्रंत होनी चाहिए। परिणामस्वरूप, भाग IV के नये पैरा 7 में यह व्यवस्था की गई है कि संसद जैसा आवश्यक समझे, संशोधन करने की शक्तियां रखेगी और अनुसूची के ऐसे कोई संशोधन संविधान के संशोधन नहीं समझे जाएंगे। लेकिन कानून की साधारण प्रक्रिया से किये जाएंगे। मैं यह कहना चाहूँगा कि प्रारूपण समिति ने इस नई अनुसूची पर प्रान्तों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया जिनका सम्बन्ध इस विशेष से है जैसे अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियां। हमने अपने आदरणीय मित्र श्री ठक्कर की राय पर भी विचार किया जिनको इस विषय मामले की विशेष जानकारी है और मुझे बिना खंडन के कहना चाहिए कि इस नयी अनुसूची को सभी पार्टियों की, जिनका सम्बन्ध इस मामले से है स्वीकृति प्राप्त है, और मुझे आशा है कि सदन को पुरानी अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

* * * *

*__माननीय सभापति__ : जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, पांचवी अनुसूची का कोई संशोधन नहीं है जो अब प्रस्तावित हो।

प्रो. शिब्बनलाल सक्सेना : मेरे पास कुछ संशोधन हैं,

माननीय सभापति : अन्तिम क्षण में, यह संशोधन सदस्यों में नहीं घुमाये गये हैं। यह आज सुबह 8.58 पर आये।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : उनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। इनको आज्ञा नहीं मिलनी चाहिए।

माननीय सभापति : यदि आपके पास कोई संशोधन है, आपको उसके बारे में बताना चाहिए। मुझे सदन को बता देना चाहिए कि हमारे पास भी शिब्बनलाल सक्सेना तथा श्री देशमुख द्वारा भेजे गये नए संशोधनों का पुंज है।

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 5 सितम्बर, 1949, पृ. 978–79

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : हमारे पास प्रतियाँ नहीं हैं। हम नहीं जानते कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं।

माननीय सभापति : डॉ. देशमुख का संशोधन प्रातः 9.20 पर आया। डॉ. सक्सेना का प्रातः 8.58 पर आया। तकनीकी तौर पर सदन की बैठक आरंभ होने से थोड़ा पहले लेकिन मैं समझता हूँ कि यह दूसरे सदस्यों के लिए बहुत असुविधाजनक है।

डॉ. पी. एस. देशमुख (सी. पी. बरार : सामान्य) : मेरे संशोधन प्रारूपण की प्रकृति के हैं।

माननीय सभापति : बहुत अच्छा, यह प्रारूपण समिति को दे दिये जायेंगे। मैं नहीं सोचता कि आपके संशोधनों में कोई सार है, प्रो. सक्सेना?

* * * *

*__माननीय सभापति :__ अब मैं बहस को बन्द करना चाहता हूँ। क्या डॉ. अम्बेडकर कुछ कहना चाहते हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्री मुंशी ने हर बात कह दी है जो कहना आवश्यक थी मैं नहीं समझता कि मैं कुछ भी लाभदायक जोड़ सकता हूँ।

माननीय सभापति : तब मैं संशोधनों को मतदान के लिए रखूँगा।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मेरे संशोधन मतदान के लिए रखना आवश्यक नहीं हैं? लेकिन उनपर प्रारूपण समिति द्वारा विचार होना चाहिए।

पैरा 3 पांचवी अनुसूची में जोड़ा गया।

छठवीं अनुसूची

**__माननीय सभापति :__ अब हम छठवीं अनुसूची पर आते हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमान, मेरा प्रस्ताव हैः

"कि पैरा 1 के 3 पैरा (1) में "जनजाति क्षेत्र" शब्द से पूर्व इस पैरा के उपबन्ध के अधीन "शब्द रखे जाय" मूलरूप में, मसौदे में यह कहा गया था कि जनजाति क्षेत्र वे हैं जो अनुसूची से जुड़ी तालिका में सम्मिलित थे। तालिका में उन क्षेत्रों की सीमाऐं परिनिश्चित करने की शक्तियाँ नहीं दी गई थीं। यह महसूस किया जाता है कि यह आवश्यक है कि तालिका में सम्मिलित क्षेत्रों की सीमाओं को परिनिश्चित

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 5 सितम्बर, 1949, पृ. 979

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 5 सितम्बर, 1949, पृ. 1001–1002

करने की शक्तियां राज्यपाल को दी जाएँ। राज्यपाल को यह शक्तियाँ देने के लिए आवश्यक है कि इस संशोधन के शब्दों को जोड़ा जाए।

माननीय सभापति : संशोधन संख्या 99 भी पैरा 1 से सम्बन्धित है।

मानननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : क्या मैं उन्हें पेश करूँ ?

माननीय सभापति : हाँ।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमान, मेरा प्रस्ताव है :

"कि पैरा 1 के उपपैरा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखा जाए –

(3) राज्यपाल को सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा :

(क) उक्त तालिका के भाग 1 में कोई क्षेत्र शामिल कर सकेगा।

(ख) नया स्वायशासी जिला बना सकेगा,

(ग) किसी स्वाशासी जिले का क्षेत्र बढ़ा सकेगा,

(घ) किसी स्वशासी जिले का क्षेत्र घटा सकेगा,

(ड.) दो या अधिक स्वशासी जिलों को अथवा उनके भागों को एकीकृत कर सकेगा जिससे एक स्वशासी जिला बन सके।

(च) किसी स्वायत्तशासी जिले की परिभाषा करना।

"ऐसा होने पर इस अनुसूची के पैरा 14 के उपपैरा (1) के अधीन नियुक्त आयोग की रिपोर्ट पर विचार के पश्चात् सिवाय उस उपपैरा क (ख) (ग) (घ) और (ड.) के खण्ड के अधीन राज्यपाल द्वारा कोई आदेश नहीं किया जाएगा"।

इस संशोधन में वे नई बातें जिनकी ओर ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए मैं उपपैरा (3) के खण्ड (ड़) और (च) में सम्मिलित हैं। जैसा आवश्यक है क्योंकि किसी विशिष्ट कार्यकलाप में, यह आवश्यक हो सकता है कि दो या अधिक स्वशासी जिले एक साथ जोड़े जाएं। उपखण्ड (च) में अन्तर्विष्ट शक्ति भी आवश्यक हैं, क्योंकि यदि किसी प्रकार का बाद–विवाद विभिन्न जनजातियों में है तो सीमाओं की परिनिश्चित करना वाँछनीय है हो सकता है यह परन्तुक एक परिवर्तन का समावेश करता है मूल परन्तुक इस परन्तुक की तुलना करने पर यह दिखाई देगा कि उपपैरा (3) के 2 परन्तुक थे। प्रथम परन्तुक में खण्ड (ख) अथवा (ग) के अधीन राज्यपाल आयोग की सिफारिश पर कार्य कर सकता था। लेकिन, यदि खण्ड (घ) अथवा (ड़) के अधीन कार्य करने की इससे अपेक्षा की जाए तो सम्बन्धित स्वायशासी जिलों की जिला सभाओं के प्रस्ताव रखना आवश्यक होगा। यह महसूस किया जाता है कि दो परन्तुकों के द्वारा उपखण्ड (3) के विभिन्न भागों के लिए भेदभाव आवश्यक नहीं है। आयोग की

रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् राज्यपाल के लिए इसे एक रूप बनाना आवश्यक है जिसकी नियुक्ति इस अनुसूची के पैरा 14 के उपपैरा (1) में प्रस्तावित है।

माननीय सभापति : इस अनुसूची के बारे में, जैसे सम्पूर्ण अनुसूची बदली नहीं गई है लेकिन कुछ पैरा के लिए कुछ संशोधन सुझाये गये हैं, मैं इन्हें पैरा दर पैरा लेने का प्रस्ताव करता हूँ। प्रथम पैरा के बारे में, दो संशोधन हैं जो प्रारूपण समिति के नाम पर पेश किये गये हैं। अब मैं दूसरे संशोधन को लूंगा जिनकी सूचना दी जा चुकी है। संशोधनों की सूची की दूसरी पुस्तक में कुछ छप चुके हैं।

(संशोधन 3489, 3490 और 3491 पेश नहीं हुए।)

यहाँ एक संशोधन है कि पैरा 1 से 16 तक छोड़ दिये जाए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या इन्हें लूं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इन्हें लेने की आवश्यकता नहीं है।

* * * *

***माननीय सभापति** : डॉ. अम्बेडकर, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमान, यहाँ केवल दो प्रश्न हैं जो इन संशोधनों पर टिप्पणी करने के समय उठाये गये थे, जो उत्तर चाहते हैं। पहला प्रश्न है जिसे श्री चाल्हिया ने संशोधन पटल पर रखा था क्योंकि मानों पांचवी अनुसूची की भांति छठी अनुसूची प्रारूपण समिति और असम के प्रधानमंत्री मेरे मित्र श्री निकोल्स के बीच हुए समझौते के परिणामस्वरूप सामने आई और जिस सभा में श्री चाल्हिया भी उपस्थित थे और उन्होंने नयी अनुसूची को स्वीकार किया था जैसा प्रारूपण समिति द्वारा संशोधित किया गया था तो भी, अपने मन में जो शंका वह पाले हैं उसे स्पष्ट करने में अधिक समय नहीं ले सकते कि आयोग कौन बनायेगा, कौन उसका सदस्य होगा। और आयोग से सम्बन्धित अन्य सदस्य कौन होंगे? मैं समझता हूँ कि श्री चाल्हिया ने सावधानी से केवल छठी अनुसूची के शब्दों को पढ़ा और उन्होंने देखा होगा कि आयोग की नियुक्ति में राज्यपाल अपने विवेकाधिकार को प्रयोग नहीं कर रहा है। राज्य पटल के पास कोई विवेकाधिकार नहीं छोड़ा है। ऐसा होने से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आयोग की सलाह लेने में, और उसके संदर्भ में शर्तों की परिभाषा करने में राज्यपाल को स्थानीय मंत्री सलाह देंगे, और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा भय अवश्य होगा जो उन्होंने प्रकट किया है।

अब, मेरे मित्र बृजेश्वर प्रसाद के संशोधन के सम्बन्ध में, मैं समझता हूँ यह एक

---

*· सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 5 सितम्बर, 1949, पृ. 1004–1005

संशोधन है जिससे मेरा सम्बन्ध है, मैं महसूस करता हूँ कि उन्होंने कुछ गंभीर तर्क दिए हैं। वह कहते है कि सम्पूर्ण जनजाति क्षेत्र असम प्रान्त से उठा लिया जाएं और उसे संघ शासित क्षेत्र बना दिया जाएं क्योंकि संशोधन का कोई प्रभाव नहीं हो सकता जिसे उन्होंने आगे बढ़ाया है सिवाय इसके जो मैंने सुझाये हैं। इसका अर्थ है उसे संघ–शासित क्षेत्र बनाना। लेकिन यह प्रतीत होता है कि वह दो चीजें भूल गये हैं पहली यह है। यद्यपि हमने स्वायत्तशासी जिले इस उद्देश्य के लिए उन क्षेत्रों में रहने वाले जनजातियों के लोगों के संतोष के लिए बना दिये हैं कि किसी प्रकार इस वर्ष के लिए अपने क्षेत्र की सरकार में स्वायत्तता रखेंगे, हमने अब यहाँ व्यवस्था की है कि असम राज्य का भाग स्वायत्तशासी जिले नहीं होंगे ऐसा होने से, राज्य के भाग को राज्य के राज्यपाल द्वारा शासित होने के लिए छोड़ना और राज्य के एक भाग को संघ शासित क्षेत्र छोड़ना बहुत कठिन है।

दूसरा मुद्दा जिसे वह भूल गये हैं यह है, वह इस तथ्य पर ध्यान देना भूल गये हैं कि स्वायत्तशासी क्षेत्र बनाने में भी प्रारूपण समिति यह नहीं भूली है कि यहाँ जिन्हें सीमाप्रान्त कहा जाता है वे भी हैं जो स्वायत्तशासी जिलों की सीमा बनाते हैं इस अनुसूची में यहाँ व्यवस्था की गई है कि जहाँ तक असम के सीमा क्षेत्र के प्रशासन का सम्बन्ध है राज्यपाल राष्ट्रपति के अधीन कार्य कर रहा होगा। परिणामस्वरूप, जो भी सामरिक महत्व का सीमाप्रान्त क्षेत्र का होगा, केन्द्र के पास यह देखने के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र होगा कि गड़बड़ी फैलाने वाला कोई भी तत्व जिसका उनहोंने हवाला दिया है, वहाँ स्थान न पा सके। इसलिए मैं सोचता हूँ कि वे सभी संशोधन अनावश्यक एवं गलत स्थान पर हैं।

* * * *

श्री कुलाधर चाल्हिया : क्या संशोधन संख्या 139 स्वीकृत है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं बिना तैयारी के इस समय कुछ भी नहीं कह सकता। मैं आपके तथा श्री वृजेश्वर प्रसाद के संशोधन के बारे में बात कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि वे अनावश्यक है।

माननीय सभापति : और संशोधन सं. 139 अभी तक बिल्कुल भी पेश नहीं हुआ है। यह पैरा 14 के बारे में है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जब हम पैरा 14 पर पहुँचेंगे है, तब इस पर चर्चा करेंगे।

(डॉ. अम्बेडकर का संशोधन जैसा ऊपर उल्लेख किया गया स्वीकार हुआ। दूसरे अस्वीकृत हुए। यथा संषोधित पैरा ८ छठी अनुसूची में जोड़ा गया।)

पैरा 2

*__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (बम्बई–सामान्य) :__ श्रीमान, मैं पेश करने की आज्ञा चाहता हूँ।

"कि पैरा 2 के उपपैरा (1) में "बीस से कम और चालीस से अधिक सदस्य" शब्दों के स्थान पर "चौबीस से अधिक सदस्य" शब्द रखे जाएँ।''

यह संशोधन पुरःस्थापित किया गया है क्योंकि यह महसूस किया गया था कि मूल संख्या चालीस बहुत बड़ी हो जायेगी।

श्रीमान, मेरा प्रस्ताव है :

"कि पैरा 2 का उपपैरा (2) लुप्त कर दिया जाय।" इसका कारण यह है कि क्योंकि चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन हम संविधान में उपबंधित करने के स्थान पर नियमों के लिए छोड़ने का प्रस्ताव करते हैं।

श्रीमान, मेरा प्रस्ताव है :

"कि पैरा 2 के उपपैरा (7) के खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएः—

(घघ) "ऐसी परिषदों सभाओं के सदस्यों की पदावधि" नियम बनाने वाली शक्तियों में से निकाल दिया गया था।

* * * *

**__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :__ श्रीमान, यदि आप चाहते हैं, तो इस स्तर पर मैं अपने कुछ अनुभव रखूँगा और कदाचित बहुत से लोग तब बोलना पसन्द नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ कि ये सभी शंकायें, दूर हो चुकी होंगी।

प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना : मैं केवल यह कहना चाहता था कि यदि यह योजना स्थायी संविधान में रखी जा रही है तो इसका अर्थ यह होगा कि असम के कुछ क्षेत्र सदैव के लिए संसद के नियंत्रण से दूर रहेंगे........

माननीय सभापति : पूरी अनुसूची को अस्वीकार करने के लिए संसद को शक्तियां पैरा 20 के अधीन दी गई हैं, यदि वह आवश्यक समझे। आप इससे अधिक क्या चाहते हैं?

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 5 सितम्बर, 1949, पृ. 1007

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 6 सितम्बर, 1949, पृ. 1013

प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना : महोदय, मैंने अपने भाषण में इस तथ्य का उल्लेख किया है।

माननीय सभापति : क्या डॉ. अम्बेडकर इस स्तर पर कुछ कहना चाहेंगे?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमान, यदि आप पसन्द करें तो अभी जो आदरणीय सदस्य बोलना चाहते हैं उन्हें बोलने दीजिए।

* * * *

***माननीय सभापति** : मैं डॉ. अम्बेडकर को उत्तर देने के लिए बुलाऊँगा। मैं समझता हूँ कि अच्छा होगा कि हम इसे अभी समाप्त कर लें। हम काफी चर्चा कर चुके हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इस प्रश्न पर हमने दो घंटे बहस की है और मैं समझता हूँ कि बहस अधिकतर उन मुद्दों पर थी जिनका सम्बन्ध अनुसूची से नहीं है। यह वह समय है जब हमने अनुसूची को लिया है जब तक विशेष सदस्य कुछ नया न कहें, हमें बहस जारी रखने की आवश्यकता नहीं है।

माननीय सभापति : मैं उत्तर देने के लिए आपको पहले ही पुकार चुका हूँ।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमान, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। हमारे सम्मुख दो संशोधन थे और मेरा प्रस्ताव है कि बहस का उत्तर देने से पूर्व उनसे निपट लिया जाए।

पहला संशोधन श्री चाल्हिया द्वारा पेश किया गया संख्या 100 है। इसके सम्बन्ध में मैं नहीं समझता कि यह पैरा 2 के उपपैरा (5) में किस प्रकार उचित है। उपपैरा (5) मात्र क्षेत्रीय और जिला परिषदों के क्षेत्र के बारे में है। यह किसी निदेशों के बारे में कुछ नहीं करता जो राज्यपाल अथवा राज्य के विधानमंडलों द्वारा दिए जाएं। हम वैसे ही जिला परिषद व क्षेत्रीय परिषद बना रहे हैं। यदि माननीय सदस्य इस प्रकार का कोई संशोधन पेश करना चाहते हैं तो उन्हें समुचित उपबंध करना चाहिए। यह अनुसूची जिला परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों की विषय–वस्तु के बारे में है इसलिए इस विशेष स्थान पर इस संशोधन के औचित्य को समझने में मैं असफल हूँ।

संशोधन संख्या 257 के बारे में जिसके द्वारा आदरणीय सदस्य परिषद सदस्य संख्या 15 तक सीमित करना चाहते हैं दुबारा मुझे यह अति अनावश्यक प्रतिशत होता है क्योंकि मेरा अपना संशोधन कहता है, "चौबीस से अधिक नहीं"। अधिक से

*· सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 6 सितम्बर, 1949, पृ. 1024–1028

अधिक चौबीस परिणामस्वरूप, यदि पंद्रह से कम की परिषद रखना आवश्यक था, तो भी मेरा संशोधन काफी होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि संशोधन संख्या 257 बिल्कुल अनावश्यक है।

अब इन संशोधनों को निपटारा करने के बाद अब सामान्य बहस पर आऊँगा कि क्या असम में रहने वाली जनजातियों के लिए क्षेत्रीय और जिला परिषदें होनी चाहिएं। श्रीमान, इस विषय के बारे में मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि बहस में भाग लेने वाले बहुत से सदस्यों ने अनुसूची 6 के उपबन्धों का ठीक से अध्ययन नहीं किया। मैं इसके बारे में निश्चित हूँ कि यदि इन्होंने अनुसूची के उपबन्धों को ठीक से पढ़ा होता तो उन्होंने उन मुद्दों को नहीं उठाया होता जो उन्होंने उठाये हैं कि क्षेत्रीय और जिला परिषदों को बनाकर हमने एक किस्म की पृथक आबादी को सृजित किया है। यह इस प्रकार का कुछ नहीं करता।

अब असम में जनजातियों की स्थिति किसी प्रकार भारत के अन्य भागों को जनजातियों से भिन्न आधार पर है।

श्री. ए. वी. ठक्कर : पहाड़ी जनजातियाँ जनाब।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं टर्मी शब्दावली से सम्बद्ध नहीं हूँ। मैं असम और दूसरे क्षेत्र के बारे में फिलहाल बोल रहा हूँ। यही अन्तर प्रतीत होता है। असम को छोड़कर अन्य जनजातियों के लोग कमोवेश सब हिन्दू हैं, कमोवेश अधिसंख्य जनता की सभ्यता और संस्कृति में घुलमिल गए हैं जिन के बीच में रहते हैं। असम की जनजातियों के बारे में स्थिति ऐसी नहीं है। उनकी जड़ें, अभी तक उनकी अपनी सभ्यता और संस्कृति में हैं। उन्होंने मुख्यतः या अधिकांशतः अपने आसपास के हिन्दुओं के रीति रिवाजों को नहीं अपनाया है विरासत की उनकी विधियों, विवाह की उनकी विधियां, रीति–रिवाज आदि हिन्दुओं से बिल्कुल भिन्न हैं। मेरा विचार है कि यह मुख्य उत्तर जो हमें असम के लोगों के लिए अन्य क्षेत्रों के लिए बनायी गई योजनाओं से भिन्न योजना बनाने के लिए प्रभावित करता है। दूसरे शब्दों में, असम की जनजातियों की स्थिति, जिसके लिए कोई भी कारण हो, किसी हद तक संयुक्त राज्य अमेरिका में रेड इंडियनों की स्थिति के समान है और वहाँ आये श्वेत लोगों से भिन्न है। अब, रेड इंडियनों के बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका क्या करता है? जहाँ तक मुझे जानकारी है उन्होंने जो किया उसे आरक्षण अथवा सीमाएँ कहते हैं जिनके भीतर लाल भारतीय रहते थे वे अपने आप में एक गणराज्य हैं। निःसंदेह, संयुक्त राज्य अमेरिका के कानून के द्वारा, वे संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हैं। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के प्रति नाम–मात्र की निष्ठा है। तथ्यों के आधार पर वे एक पृथक, स्वतंत्र लोग हैं। संयुक्त राज्य द्वारा यह महसूस किया गया था कि उनके कानून, रहन–सहन

का ढंग उनकी आदतें, जिन्दगी के तरीके इतने सुभिन्न हैं कि उनको एक स्थान पर लाना खतरनाक होगा अर्थात् श्वेत लोगों के लिए श्वेत लोगों द्वारा और श्वेत सभ्यता के लिए बनाई गई विधियों के अन्तर्गत।

मैं मानता हूँ कि जिस आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाल भारतीयों के लिए किया गया था किसी हद तक उसी तरह हम क्षेत्रीय और जिला परिषदें बना रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न है कि जिन्होंने इस तथ्य के आधार पर अनुसूची की आलोचना की है, जैसे कि हम क्षेत्रीय व जिला परिषद बना रहे हैं, बाध्य करने वाले तथ्यों को समझने में असफल हुए हैं जो हमने इस संविधान में रखे हैं। इसलिए मैं कुछ उपबंधों का हवाला देना चाहूँगा जो इस पृथकता को निष्प्रभावी करते है।

पहली बात जो हमने की है यह है कि हमने प्रावधान किया है कि कार्यपालक प्राधिकार का विस्तार असम में केवल गैर–जनजाति क्षेत्रों तक ही नहीं होगा। अपितु जनजाति क्षेत्रों तक भी अर्थात् असम सरकार का कार्यापालक अधिकार उन क्षेत्रों में भी कार्य करेगा जो स्वशासी जिलों में है। जैसा देखने को मिलेगा, यह भारत शासन अधिनियम, 1935 के उपबन्धों के ऊपर बड़ा सुधार है। उस अधिनियम में पाये जाने वाले उपबन्धों में कार्यपालका अधिकार दो श्रेणियों में विभाजित था एक राज्यों की सरकार कही जाती थी और दूसरा कार्यपालक अपने विवेकाधिकार राज्यपाल में की जाती थी, जहाँ तक जनजाति क्षेत्रों का सम्बन्ध था। असम में यह जनजाति क्षेत्रों पर ही लागू नहीं होती थी किन्तु दूसरे क्षेत्रों में पूर्णतः पृथक हुए क्षेत्रों तक। कार्यापालक अधिकार उन क्षेत्रों पर लागू नहीं था बल्कि अपने विवेकाधिकार में राज्यपाल था। हमने भेदभाव को नष्ट कर दिया है इसलिए स्वशासी जिलों सहित जनजाति क्षेत्र अब राज्य सरकार के अधिकार में हैं, वह वस्तु जो बाध्य करने वाली है जिसके लिए आदरणीय सदस्यों ने कोई ध्यान नहीं दिया है यह है जो ऐसे कार्यों को रोक रही है जैसे कानून बनाना कुछ स्पष्ट क्षेत्रों में जैसे रुपया उधार देना, भूमि इत्यादि। और रोक रही है कुछ न्यायिक कार्य जो ग्राम पंचायत अथवा क्षेत्रीय परिषदों अथवा जिला परिषदों, संसद का प्राधिकार अथवा असम विधानमण्डल का अधिकार जो क्षेत्रीय परिषदों और जिला परिषदों तक विस्तारित है। कानून बनाने के विषय में वे संसद के प्राधिकार से विमुक्त नहीं हैं और न ही वे जो उद्देश्य नये संशोधन का है– उच्च न्यायालय के अथवा उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से विमुक्त हैं निवेदन है कि यह एक आबद्धकर प्रभाव है।

इसमें दूसरा बाध्यकारी प्रभाव यह है कि संसद द्वारा बनाये तथा असम के विधानमंडल द्वारा बनाये गये कानून अपने आप इन क्षेत्रीय परिषदों और जिला परिषदों पर लागू होंगे जब तक कि राज्यपाल नहीं सोचता कि वे लागू नहीं होने चाहिए। दूसरे शब्दों में, यह दिखाने का भार राज्यपाल पर डाल दिया गया है कि संसद अथवा असम विधानमंडल

द्वारा बनाये कानून क्यों नहीं लागू होने चाहिएं। साधारणतः स्थानीय विधानमण्डल द्वारा बनाये गये कानून और संसद द्वारा बनाये गये कानून इन क्षेत्रों पर लागू होंगे। मैं कहता हूँ कि यह दूसरा जोड़ने वाला प्रभाव है। तो भी दूसरा जोड़ने वाला प्रभाव जिसका उल्लेख मुझे करना चाहिए जो हम यह नहीं कह रहे हैं कि राजनैतिक अधिकार अथवा शक्तियां जो हमने जनजातियों को क्षेत्रीय अथवा जिला परिषदों के गठन की हैं, प्रभाव का सम्पूर्ण क्षेत्र है जिसके वे हकदार होंगे दूसरी ओर, हमने व्यवस्था की है कि वे जनजातियाँ जो क्षेत्रीय परिषदें और जिला परिषदें रखेगी, असम विधानमंडल में काफी प्रतिनिधित्व रखेगी और संसद में भी इस प्रकार वह असम और सम्पूर्ण भारत के लिए कानून बनाने में भाग लेंगी। अब, भाग लेने के चक्र, यदि मैं ऐसा कह सकता हूँ तो, जिनका मैंने हवाला दिया है, असम विधानमण्डल में प्रतिनिधित्व तथा संसद में प्रतिनिधित्व, संसद द्वारा बनाये गये कानून और असम विधानमंडल द्वारा बनाये गए कानूनों का लागू होना बाध्य करने वाली शक्तियाँ ही हैं, मैं जानना चाहूँगा कि सम्पूर्ण, राज्य के राजनैतिक जीवन से परिषदों और जिला परिषदों को बांधने के लिए हम कौन–सी आबद्धकर शक्तियों का प्रावधान कर सकते थे।

इसलिए, मैं सहमत नहीं कि क्षेत्रीय परिषदों और जिला परिषदें बनाकर हमने असम की जनता को दो अलग–अलग भागों में काट दिया है– जैसे जनजातियाँ और गैर–जनजातियाँ। दूसरी ओर हमने व्यवस्था की है, जैसा मैंने कहा, भाग लेने के बहुत से चक्र हैं जिसमें राजनैतिक तौर पर दोनों एक साथ आ सकते हैं, एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, एक दूसरे के सहायक हो सकते हैं और एक दूसरे से कुछ सीख सकते हैं। मुझे इसके बारे में विश्वास है कि जो तर्क क्षेत्रीय परिषदों और जिला परिषदों के बनाने के विरुद्ध दिए गये हैं गलतफहमी तथा अनुसूची के उपबन्धों को अपर्याप्त पढ़ने का कारण है।

श्रीमान, मेरे मित्र श्री चाल्हिया द्वारा अपना संशोधन रखने में अपनाए गए दृष्टिकोण पर तथा, मेरे मित्र श्री रोहिनी कुमार चौधरी द्वारा पेश किये गये संशोधन पर भी मुझे ताज्जुब था। मैं महसूस करता हूँ कि वे अब प्रसन्न व संयुक्त परिवार नहीं हैं। इसका कारण क्या है, मैं नहीं समझता, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जब यह संशोधन किए गये थे, तो श्री चाल्हिया की सहमति से किए गये थे, वे असम के प्रधानमंत्री की सहमति से, और मेरे मित्र श्री निकोल्स रॉय की भी स्वीकृति से, जो इस सम्बन्ध में मुख्य पार्टी है, किए गए थे। मैं देखता हूँ कि वे इस समय एक दूसरे की उन तथ्यों के कारण आलोचना करने में लगे हैं जो इस अनुसूची के बाहर हैं। इस नाराजगी के लिए, खुली बगावत और विद्रोह के लिए जो एक के विरुद्ध दूसरे ने दर्शाया है कोई कारण मुझे नहीं मिलता और इसीलिए मैं उस में जाना नहीं चाहता जिसे मैं शुद्ध घरेलू झगड़ा कहता हूँ।

श्री रोहिनी कुमार चौधरी : क्या डॉ. अम्बेडकर हमारे विरुद्ध बुरा बोलने के हकदार हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ। श्रीमान मैं केवल कह रहा था कि यह घरेलू झगड़ा था जिसमें मुझे नहीं कूदना चाहिए। मेरा अपना मत है कि हमने सर्वोत्तम उपबन्ध किए हैं................ (रुकावट)।

श्री कुलाधर चाल्हिया : मैं व्यक्त सच्ची राय के लिए डॉ. अम्बेडकर द्वारा लांछन लगाने का विरोध करता हूँ।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं लांछन नहीं लगा रहा हूँ। श्री चाल्हिया प्रत्येक बदलाव के लिए भागीदार थे जो अनुसूची में किया गया था। मैं चाहूँगा कि वे मना करें। क्या वह मना कर सकते हैं?

श्री कुलाधर चाल्हिया : हाँ, मैं मना करता हूँ। मैंने भी बारडोलोई से कहा था कि मैं कुछ बातों से सहमत नहीं हूँ।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : उन्होंने भी बारडोलोई के कानों में कानाफुंसी की होगी। प्रारूपण समिति में इन बदलावों के लिए उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। जैसा मैं दूसरे मामलों में करता हूँ मैंने इनके हस्ताक्षर नहीं लिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई सदस्य अपने शब्दों से मुकर जायेगा। तो भी कुछ मैं कह रहा था वह यह है कि क्षेत्रीय परिषदों को तथा जिला परिषदों को कुछ उद्देश्यों के लिए कुछ स्वायत्तता दी जा चुकी हैं और उसी समय प्रदेश के जीवन में और सम्पूर्ण देश के जीवन में भी। यदि ये हालात जो एकीकरण के स्वरूप के हैं, नहीं जोड़ते हैं तो इनको बांध दिया गया है। जनजाति के लोगों को देश में व असम में शेष मैदानी लोगों के साथ नहीं लाते तो इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए कारण कहीं अन्यत्र मिलेगा। मेरे मित्र श्री रोहिणी कुमार चौधरी ने कहा कि यदि क्षेत्रीय परिषद बनाई जाती हैं तो जन–जातियाँ तिब्बत के लोगों और अन्य क्षेत्रों के लोगों के रास्ते पर चली जायेंगी। मैं नहीं समझता कि वह भविष्यवाणी केवल जनजाति क्षेत्र तक रहेगी। मुझे डर है कि असम भी जा सकता है इसके लिए हम संविधान में कोई उपबन्ध नहीं कर सकते। मैं इसके बारे में आश्वस्त हूँ।

श्री बी. दास (उड़ीसा–सामान्य) : क्या मैं डॉ. अम्बेडकर से पूछ सकता हूँ कि क्या उनको जानकारी है कि असम में अंगरेज एजेंट कार्य कर रहे हैं– बर्मा सीमा और करेंस और वर्मी के बीच के झगड़ों के लिए वह जिम्मेदार हैं और क्या यही ब्रिटिश एजेंट असम क्षेत्र में काम नहीं कर रहे?

मेरे मित्र निकोलस का भाषण सुनने के पश्चात् मैं सोचता हूँ कि वे जनजाति

क्षेत्र को एक पृथक इकाई चाहते हैं जिससे कि इन जनजाति क्षेत्रों में ब्रिटिश प्रभाव बना रहे। सरकार का सदस्य होने के नाते डॉ. अम्बेडकर जानते हैं– और मैने जान लिया है कुछ जनजाति क्षेत्रों के बारे में।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जो कुछ मैं कह सकता हूँ यह है कि यह पूर्णः संभव है कुछ रास्ते निकालना जिसके द्वारा इस बाहरी प्रभाव को हम दूर कर सकते हैं।

श्री बी. दास : प्रारूपण समिति।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : विदेशी प्रभाव को दूर करने के लिए प्रारूपण समिति कुछ नहीं कर सकती। यह किसी अन्य संस्था का काम है लेकिन मैं अपने मित्र को विश्वास दिला सकता हूँ कि इस विदेशी प्रभाव से मुक्ति पाना कठिन नहीं होगा।

(पैरा 2 संशोधित रूप में अनुसूची में जोड़ा गया।)

पैरा 3

*श्री कुलाधर चाल्हिया** : वास्तव में यह संशोधन वैसा ही है जैसा मेरा था और इसीलिए डॉ. अम्बेडकर को मेरा स्वीकार करना चाहिए था बजाय इस प्रकार का जोड़ने के और अनावश्यक कानून बनाने के। प्रारूपण समिति के संशोधन के स्वीकार करने की अपेक्षा मेरा संशोधन सं. 113 स्वीकार करना बेहतर है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : माननीय सदस्य ने इसे मेरे लिए पहले ही पेश कर दिया है। यदि आप इसे ऐसा समझेंगे मानो मैंने पेश किया है, तो वह समय बच जायेगा।

माननीय सभापति : मैं मानता हूँ कि उन्होंने पेश किया है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :श्रीमान क्या मैं औपचारिक ढंग से इसे पेश करूँ?

माननीय सभापति : हाँ,

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है–

"कि पैरा 3 के उपपैरा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपपैरा जोड़ा जाए।

"(3) इस पैरा के अधीन निर्मित सभी विधियाँ तुरन्त राज्यपाल को प्रस्तुत की

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 6 सितम्बर, 1949, पृ. 1029

जाएंगी जब तक उनकी अनुमति न मिल जाये तब तक उनका प्रभाव नहीं होगा।"

श्री रोहिनी कुमार चौधरी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करने की इजाजत चाहता हूँ:

"कि सूची I के संशोधन संख्या 114 (सातवाँ सप्ताह) में पैरा 3 के प्रस्तावित उप पैरा (3) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:

'(3) इस पैरा के अधीन निर्मित सभी विधियां राज्यपाल को प्रस्तुत की जायेंगी, जो उन्हें तुरन्त राज्य के विधानमण्डल के सामने रखेगा और जब तक राज्य विधान सहमत न हो और राज्यपाल की अनुमति नहीं, तब तक उनका कोई प्रभाव नहीं होगा।"

(संशोधन अस्वीकार किया गया)

* * * *

***माननीय सभापति :** डॉ. अम्बेडकर क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ भी बहस करने के लिए है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमान, मेरे मित्र श्री चाल्हिया के संशोधन संख्या 113 के बारे में मैं वास्तव में नहीं समझता कि इसका क्या अर्थ है? यह कहता है "राज्यपाल विधियाँ और विनियम बनायेगा और जिला परिषद तथा क्षेत्रिय परिषद को ऐसी शक्तियाँ देगा जिन्हें राज्य विधान अनुमोदित करे।"

मैं नहीं समझता इसका क्या अर्थ है। इसलिए मैं यह कहने में असमर्थ हूँ कि मैं इसे स्वीकार करता हूँ।

मेरे संशोधन तथा मेरे मित्र श्री रोहिनी कुमार चौधरी के संशोधन के बारे में कोई अन्तर नहीं है सिवा इसके कि मेरे माननीय मित्र यह समझने में असफल रहे हैं कि "राज्यपाल" शब्द का अर्थ क्या है। इनका कहना है कि विधियाँ असम के विधानमंडल द्वारा अनुमोदित की जाएंगी, मेरे संशोधन के अनुसार, असम के मंत्रालय के सुझाव के अनुसार राज्यपाल विधियों का अनुमोदन करेगा, क्योंकि इस समस्त योजनाओं में हम अपने विवेकानुरूप शब्दों को हटा रहे हैं। "जहाँ कहीं राज्यपाल शब्द आता है इसका अर्थ है कि मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करने वाला राज्यपाल। मैं उनसे पूछना चाहूँगा क्या वह वास्तव में सोचते हैं कि स्वयं विधानमंडल द्वारा अनुमोदित विधि तथा मंत्रिमंडल की सलाह पर राज्यपाल द्वारा अनुमोदित विधि के बीच कोई गम्भीर

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 6 सितम्बर, 1949, पृ. 1031

अन्तर है। मैं समझता हूँ कि मेरी योजना मूल रूप से बहुत अधिक सुसंगत है।

अर्थात् जनजाति लोगों को कुछ विषयों के बारे में विधि निर्माण के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त एक अन्तनिर्हित अधिकार प्राप्त हो ऐसा होने पर मेरा पैरा (3) योजना से कहीं ज्यादा मिलता है और असम मंत्रिमंडल को राज्यपाल को सलाह देने की कुछ शक्तियाँ देता है कि उसे कोई विधि स्वीकार करनी चाहिए अथवा नहीं करनी चाहिए। विधानमंडल का हस्तक्षेप बिल्कुल अनावश्यक है।

श्री रोहिनी कुमार चौधरी : यदि मैंने डॉ. अम्बेडकर को सही समझ लिया होता, तो अपने संशोधन को वापिस लेने के लिए तैयार हो गया होता। मेरा मतलब है, यदि मंत्रालय राज्यपाल को सलाह देगा और विधानमण्डल की राय मंत्रालय लेगा तब मुझे कोई एतराज नहीं है। यदि मंत्रालय की सलाह का अर्थ है कि मंत्रालय उस समय तक कोई कार्यवाही नहीं करेगा जब तक सदन को इस पर बाद–विवाद करने का अवसर न मिले, तब मैं सोचता हूँ कि यह वही चीज है जिसे मैं चाहता हूँ और डौ. अम्बेडकर चाहते हैं। ऐसी दशा में, मैं वापिस लूंगा।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं समझता हूँ कि मैंने जितना कहा है बिल्कुल वह उससे कहीं अधिक समझ गये हैं। मैं उनको यह आश्वासन दिलाने के लिए तैयार नहीं हूँ।

(संशोधन अस्वीकार किया गया। पैरा 3 संशोधित रूप में अनुसूची में जोड़ा गया।)

पैरा 4

*माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है "कि पैरा 4 के उपपैरा (1) में अथवा इस अनुसूची के पैरा 3 के अधीन बनी किसी विधि से उत्पन्न व "शब्दों और अंकों को लुप्त कर दिया जाए।

ये अनावश्यक हैं।

श्रीमान, मेरा यह भी प्रस्ताव है :

"कि पैरा 4 के उपपैरा (2) में "ऐसे वादों या मामलों पर अपीली का क्षेत्राधिकारिता होगी और ऐसी क्षेत्रीय परिषद अथवा जिला परिषद या न्यायालय का फैसला अन्तिम होगा" शब्दों के स्थान पर "सिवाय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को ऐसे वादों या मामलों पर अधिकारिता होगी।'' शब्द रखे जाएँ।

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 6 सितम्बर, 1949, पृ. 1033

श्रीमान, मेरा प्रस्ताव है :

"कि पैरा 4 के उपपैरा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप–पैरा जोड़ा जाए–

(3) असम के उच्च न्यायालय की उन वादों और मामलों पर अधिकारिता होगी या उसका प्रयोग करेगा जिनपर इस पैरा के उपपैरा (2) के उपबंध लागू होते हैं, जो राज्यपाल समय–समय पर आदेश द्वारा विर्निदिष्ट करे।"

यह संशोधन एक महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। मूलरूप से पैरा 4 के उपपैरा (2) के अधीन जिला न्यायालय का फैसला अन्तिम था अब हमने व्यवस्था की है कि वे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे जो आवश्यक उपबन्ध था।

* * * *

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** श्रीमान, मुझे कहना चाहिए कि मैं अपने मित्र द्वारा पूछे गये प्रश्नों से अचम्भित था। मैं समझता हूँ कि वे अपने आप उत्तर दें। किन्तु अब मैं उत्तर दूंगा क्योंकि उन्होंने प्रश्न मुझसे पूछे हैं।

प्रथम प्रश्न के बारे में, क्या जनजाति क्षेत्र में स्थापित अदालतों में वकीलों को पेश होने की आज्ञा मिलेगी, उत्तर बहुत आसान है। पहले तो प्रांतीय सरकार के पास तीसरी सूची की प्रविष्टि के अधीन जो वृतियों के बारे में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होगी और यदि उस विधि के अधीन वे व्यवस्था करते हैं कि उस जिले के न्यायालयों में हाजिर होने के वकील अधिकारी होंगे जिन्हें स्वशासी जिले कहा जाता है तब वह कानून लागू होगा जब तक राज्यपाल का विचार यह न हो कि विधि लागू नहीं होनी चाहिए। इसलिए वह विषय बिल्कुल स्पष्ट है।

इस पैरा के अधीन सृजित (ट्रिबूनल) अधिकार के फैसलों के विरुद्ध अपील के प्रश्न के उत्तर के बारे में, फिर भी पैरा में बिल्कुल स्पष्ट व्यवस्था की गई है कि अपील के न्यायालय बनाये जाएँ। अब राज्यपाल अथवा प्रान्तीय मंत्रालय अपील के नये न्यायालय सृजित करें जिनमें अपील के मामले उन अदालतों में जाएं अथवा जिला न्यायाधीश न्यायालय को अपील न्यायालय घोषित करे जो पंचायत व दूसरी अदालतों के फैसलों के विरुद्ध अपील सुनें। इसलिए, दुबारा अपील का उपबन्ध है। अब मेरे संशोधन को उसके पश्चात् भी अपील जिला अदालत से उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में अपील होगी।

---

*. सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 6 सितम्बर, 1949, पृ. 1035–36

श्री रोहिनी कुमार चौधरी : मैं खासतौर से उपपैरा (2) की पंक्तियाँ पढ़ता हूँ।

"....एक स्वशासी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय परिषदें अथवा इसके स्थान पर क्षेत्रीय परिषद द्वारा बनाया गया कोई न्यायालय अथवा यदि स्वशासी क्षेत्र के अधीन किसी क्षेत्र के बारे में, कोई क्षेत्रीय परिषदें नहीं हैं तो, ऐसे जिले के लिए जिला परिषद अथवा जिला परिषद द्वारा अपने नाम पर स्थापित कोई न्यायालय उन पक्षों के बीच जो अनुसूचित जन जातियों से सम्बन्धित है सभी सिविल मामले व मुकदमों में अपील न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करेगा ...."

यदि एक पक्ष अनुसूचित जनजाति नहीं है, तब क्या होगा?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यदि पक्ष ऐसे हैं जिनमें एक जनजाति है और दूसरी जनजाति नहीं है, तब साधारण विधि लागू होगी।

श्री रोहिणी कुमार चौधरी : आपने यह व्यवस्था कहाँ की है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इसके पश्चात् यह है। अब भी यह कहती है, 'जहाँ पक्ष है.......' (गड़बड़ी) मैं नहीं समझता कि यहाँ कोई कठिनाई है। और मैं आशा करता हूँ कि मेरे मित्र समझ गए होंगे।

श्री रोहिणी कुमार चौधरी : श्रीमन, कोई उपबंध कहीं भी नहीं बनाया गया है।

मननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : पैरा 4 की व्यवस्था करने तक साधारण न्यायालय की अधिकारिता समाप्त कर दी गई है अन्यथा साधारण न्यायालय की अधिकारिता जारी रहती है। इस क्षेत्र में केवल यही न्यायालय नहीं होंगे, प्रदेश की सामान्य विधि प्रशासन के लिए प्रांतीय सरकार द्वारा स्थापित दूसरे न्यायालय भी होंगे।

(पैरा 4 संशोधित रूप में अनुसूची में जोड़ा गया।)

* * * *

पैरा 9

[*] **माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** श्रीमन, मेरा प्रस्ताव हैः

'कि पैरा 9 का उपपैरा (1) लुप्त कर दिया जाए'

पैरा असम सरकार द्वारा स्वीकृत अनुज्ञप्ति अथवा लीज.... विचारों के लिए अथवा खदानों के खोदने के निर्देश करता है। वह मामला अब भारत सरकार पर है इसलिए इस उपपैरा का यहाँ होना अनावश्यक है।

---

*. सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 6 सितम्बर, 1949, पृ. 1039

पैरा 10

*माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है :

'कि पैरा 10 के उपपैरा (2) में 'ऐसे विनियम' के स्थान पर 'विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, ऐसे विनियम' शब्द रखे जाएं।

यह केवल प्रारूपण का बदलाव होगा।

मैं भी प्रस्तावित करता हूँ :

'कि पैरा 10 के उपपैरा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपपैरा जोड़ दिया जाएः

'(3) इस पैरा के अधीन निर्मित सभी विनियम तुरंत राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे और जब तक उसके द्वारा अनुमति न दी जाए तब तक प्रभावी नहीं होंगे।'

(संशोधन स्वीकार हुआ।)

* * * *

**माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : क्या मैं एक–दो शब्द उस विषय पर कह सकता हूँ जिसके बारे में मेरे मित्र भयंकर रूप से उत्तेजित हैं? यहाँ रक्षोपाय के द्वारा तीन चीजें उपबंधित की गई हैं जिन पर मेरे मित्र ने ध्यान नहीं दिया है। पैरा 10 का प्रथम परन्तुक कहता हैः 'परन्तु कोई ऐसे विनियम इस पैरा में नहीं बनाने चाहिएं जब कि वे जिला परिषद की सदस्य संख्या के कम से कम तीन–चौथाई बहुमत से पारित नहीं कर दिए जाते।' यह पहला रक्षोपाय है। दूसरा रक्षोपाय प्रारूप संविधान के पृष्ठ 184 पर है। वह कहता है, 'परंतु यह कि ऐसे किन्हीं विनियमों के अधीन महाजन (ऋण देने वाले) अथवा व्यापारी को अनुज्ञप्ति देने से मना करने की क्षमता नहीं होगी जो ऐसे विनियमों के बनने से पहले जिले में (जिले की सीमा के भीतर) ऐसे व्यापार कर रहे हों।' अतः मौजूदा अधिकार प्रभावित नहीं हैं।

तीसरे, जो संशोधन मैंने पेश किया है उसकी ओर मेरे मित्र ने ध्यान देने की चिन्ता नहीं की है अर्थात् "इस पैरा के अधीन बने सभी विनियम तुरन्त राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाएंगे और जब तक कि उसके द्वारा स्वीकार नहीं होंगे, तब तक प्रभावी नहीं होंगे।"

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 6 सितम्बर, 1949, पृ. 1041

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 6 सितम्बर, 1949, पृ. 1041–42

यह पूर्व सावधानियाँ वहाँ हैं।

उनकी टिप्पणियों के संबंध में, कि जो कुछ प्रारूपण समिति ने किया है वह जंगली पर है जो अंगरेजी सरकार ने भी नहीं किया। मैं यह बताना चाहूँगा कि वह इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि यह छोड़ा गया क्षेत्र पूर्णतः राज्यपाल के विवेकाधिकारों में था; यह उसकी कमी थी। हमने राज्यपाल के विवेकाधिकार को सर्वथा हटा लिया है। वह अब मंत्रालय की सलाह के अधीन ही कार्य कर सकते हैं।

मुझे अभी आश्चर्य है कि क्या मेरे मित्र रोहिनी कुमार चौधरी स्पष्टीकरण वक्तव्य से संतुष्ट हैं जो मैंने दिया है?

माननीय सदस्यगण : बिल्कुल नहीं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं जानता हूँ कि आप उससे कुछ अधिक चाहते हैं जो मैं दे सकता हूँ। आप डेविड कोपर फील्ड की भांति भूखे हैं जो अधिक पका हुआ खाना चाहते हैं।

(पैरा जो डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के संशोधनों से संशोधित हुआ, अनुसूची में सम्मिलित किया गया।)

* * * *

पैरा 12

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : क्या मैं अपने संशोधन संख्या 128 की ओर से जो आर्डर पेपर है, ध्यान आकर्षित कर सकता हूँ ? जैसे वह पेश किया जा रहा है, मेरे मित्र का यह संशोधन बिल्कुल अनावश्यक होगा। उनके द्वारा ऐतराज किए गये शब्दों को छोड़ने का प्रस्ताव कर रहा हूँ।

श्री कुलाधार चाल्हिया : मुझे प्रसन्नता है कि प्रारूपण समिति पर एक बार किसी प्रकार की विवेकबुद्धि प्राप्त हो गई। सौभाग्य की बात है कि प्रथम बार प्रारूपण समिति को विवेकबुद्धि प्राप्त होगी।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह पहला अवसर है कि आपने अपने तर्कों से मुझे संतुष्ट किया है।

श्रीमान, अब मैं अपना संशोधन संख्या 128 पेश करूँगा। मेरा प्रस्ताव है "कि पैरा 12 के खण्ड (ख) में अधिसूचना में विर्निदिष्ट ऐसे जिले को जिलापरिषद ऐसे क्षेत्र के क्षेत्रीय परिषदों के अनुमोदन से स्पष्ट किए गये ऐसे क्षेत्र के लिए जिला परिषद अथवा क्षेत्रिय द्वारा सिफारिश किया गया जो भी संकल्प ऐसा निर्देश जारी करने के

लिए पारित होता है,, शब्दों के स्थान पर अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शब्द रखे जाएँ।

इस संशोधन के द्वारा राज्यपाल, संकल्प अड़चनों से स्वतंत्र हो अब मंत्रालय की सलाह पर कार्य कर सकता है कि क्या संसद द्वारा अथवा असम विधान मंडल द्वारा पारित विशेष कानून उस क्षेत्र में लागू होगा अथवा नहीं।

(संशोधन स्वीकार हुआ, पैरा 12 संशोधित रूप में अनुसूची में जोड़ा गया।")

* * * *

पैरा 13

***माननीय सभापति** : संशोधन संख्या 129 ।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है "कि पैरा 13 में असम राज्य" शब्द के पश्चात् "पहले जिला परिषद के सम्मुख बहस के लिए रखे जाने चाहिए और फिर ऐसी बहस के पश्चात्" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएँ।

श्री रोहिनी कुमार चौधरी : सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव है "कि ऊपर का यह संशोधन संख्या 129 पैरा 13 में और तब ऐसी बहस के पश्चात् शब्दों के बाद (रखने के लिए प्रस्तावित) और जिलों से संबंधित ऐसे पृथक बयान ऐसे रूपान्तरण परिवर्तन के अधीन होंगे जैसे राज्य विधानमण्डल बनाये शब्द अन्तःस्थापित किए जाएँ।

सभापति : डॉ. अम्बेडकर, क्या आप भी श्री रोहिनी कुमार चौधरी के संशोधन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मुझे अवश्य शिकायत करनी चाहिए कि यद्यपि प्रकरण 177 "शब्द" मूल मसौदे में है फिर भी मेरे मित्र श्री रोहिनी कुमार चौधरी ने इसे अपने संशोधन संख्या 130 में लाना ठीक सोचा। 177 के अर्थ में वित्तीय बयान के बारे में इसके प्रभाव का अर्थ है कि असम विधानमण्डल द्वारा इस पर चर्चा होगी और मतदान होगा। संशोधन पेश होने चाहिए और विनियोग विधि लागू होगी। बात केवल यह है कि असम विधानमण्डल के इस पर कार्रवाई करने से पूर्व, जिला परिषदों द्वारा यह बताया जाना अनुज्ञात करना वांछनीय है कि धन किस प्रकार बांटा जाना चाहिए मुझे आशा है कि अब सब आश्वस्त हैं।

(यथा संशोधित पैरा 13 अनुसूची में जोड़ा गया।)

* * * *

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 6 सितम्बर, 1949, पृ. 1044

पैरा 14

*माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मैं नहीं समझता कि यह संशोधन आवश्यक है। जहाँ तक कि ......

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : हाँ श्रीमान, मैं उन्हें पहले पेश करूँगा "कि पैरा 14 के उपपैरा (1) में राज्य स्वशासी जिले के पैरा 1 के उपपैरा (3) के खण्ड (ख), (ग), (घ) और (ड.) शब्दों के पश्चात् कोष्टक, शब्द और अंक रखे जायें।"

"कि पैरा 14 के उपपैरा (1) में शब्द "स्वशासी जिले, दो स्थानों पर जहाँ पर आते हैं, "स्वशासी क्षेत्र शब्द" रखा जाए।

"कि पैरा 14 के उपपैरा (1) के खण्ड (ख) में शब्द जिले' के पश्चात् दो स्थानों पर जहाँ यह आता हैं "स्वशासी जिले और "स्वशासी क्षेत्र शब्द" रखे जाएँ।

इनमें से कुछ संशोधन अनुवर्ती हैं दूसरे शुद्ध मौखिक हैं।

श्री सुधीर कुमार चाल्हिया : श्री सभापति महोदय मेरा प्रस्ताव है "कि संशोधनों की सूची के संशोधन (खंड II) संख्या 3500 और 3501 के निर्देश पैरा 14 के उपपैरा (ख) के खण्ड पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायः– ''(घ) किसी जिला अथवा क्षेत्रीय परिषद में या किसी जनजाति क्षेत्र को मिलाना अथवा अलग करना"।

......मुझे विश्वास है कि प्रारूपण समिति आखिरकार दया करेगी यद्यपि उन्होंने क्रूरता प्रदर्शित की है और वे इसे स्वीकार करेंगे और मेरा संशोधन (घ) में सम्मिलित करेंगे, इससे खण्ड में बहत सुधार हो जाएगा।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इस अनुसूची के पैरा 1 के लिए मैंने जो संशोधन पेश किया है, उसकी ओर मैं अपने मित्र का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जिसमें कुछ के बारे में उपपैरा (3) के उपबन्ध बदल दिए थे। यह विषय जिसकी व्यवस्था वह अब करना चाहते हैं, वह आयोग की सिफारिश पर विनियमित किया जाना है। पैरा पहले ही पारित किया जा चुका है इसलिए यह आवश्यक नहीं है।

श्री कुलाधर चाल्हियाः क्या यह संशोधन संख्या 99 है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : हाँ, यह 99 है।

श्री कुलाधर चाल्हिया : लेकिन, तो भी आपने आयोग को यहाँ पैरा 14 के (क), (ख), (ग) तक सीमित कर दिया है। मेरी यही कठिनाई है।

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 6 सितम्बर, 1949, पृ. 1046–1048

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यदि मैं अपने मित्र के सामने उपपैरा (3) जो सम्मिलित करके अथवा जनजाति क्षेत्र को मिलाकर या अलग करके बदलने का कार्य करता है, स्पष्ट कथन करूँ, तो यह दो श्रेणियों में विभाजित है। प्रथम कथित तालिका के किसी भाग में सम्मिलित करना जो तालिका (क) है। बहुत आरंभ में राज्यपाल कर सकता है जिसके लिए आयोग की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरे संशोधन के अनुसार यदि कार्यवाही (ख), (ग), (घ) और (ड.) के अधीन होनी है, तब आयोग की सिफारिश आवश्यक है और जैसा मैंने कहा वह भाग सदन द्वारा पारित किया जा चुका है। अब उसे फिर से खोलना संभव नहीं है।

श्री कुलाधर चाल्हिया : अनुसूची के पैरा 14 के उपपैरा (1) के अधीन नियुक्त आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने से आपने उसे दुबारा सीमित कर दिया है। आपने संशोधन संख्या 99 की व्यवस्था की है लेकिन इसे दुबारा सीमित कर दिया है, मैं सुनना चाहूँगा कि इसके बारे में डा. अम्बेडकर क्या कहते हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह पैरा 14 सीमित नहीं है।

श्री टी. टी. कृष्णमाचारी : यदि माननीय सदस्य संशोधन संख्या 134 पर देखेंगे जो अनुसूची के पैरा 1 के उपपैरा (3) के खण्ड (ख) (ग) (घ) और (ड़) में वर्णित विषयों को सम्मिलित करना "शब्दों को पैरा 14 के उपपैरा (1) में "राज्य में स्वशासी जिले" के पश्चात् जोड़ना चाहते हैं तब उनका वह उद्देश्य पूरा होगा जो उनके दिमाग में है और इस संशोधन के द्वारा वह पूरा हो चुका है।

श्री कुलाधर चाल्हिया : श्रीमन, धन्यवाद।

पंडित हृदयनाथ कुंजरू (संयुक्त राज्य –सामान्य) : इसे समझने में मुझे कठिनाई हो रही है। श्री चाल्हिया द्वारा पेश किया गया संशोधन इस बारे में है कि आयोग जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी, किसी नये जनजाति क्षेत्र के सम्मिलित होने और इसके अलग होने पर भी विचार नहीं करे। एक मौजूद जनजाति क्षेत्र से अलग हुआ क्षेत्र बिना इसके दूसरे जनजाति क्षेत्र में सम्मिलित होना चाहिए और इस बात की व्यवस्था यहाँ नहीं की गई है। डॉ. अम्बेडकर का संशोधन संख्या 99 जो कुछ व्यवस्था करता है वह यह है कि एक जनजाति क्षेत्र से एक क्षेत्र ले लिया जाए और दूसरे क्षेत्र में जोड़ दिया जाए लेकिन आयोग को जांच करने के लिए कोई शक्ति नहीं दी है और एक क्षेत्र बिल्कुल अलग करने की वांछनीयता की सूचना देने के लिए कोई शक्ति नहीं दी है। एक जनजाति क्षेत्र अलग करने की शक्ति केवल संसद को होगी, लेकिन इस आयोग को मामले पर कार्य करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यदि मैं अपने मित्र आदरणीय पंडित हृदयनाथ

कुंजरू की कठिनाई की बात करूँ, मैं सोचता हूँ कि मेरे आदरणीय मित्र श्री चाल्हिया के संशोधन के उद्देश्य को स्पष्टतः नहीं समझे हैं। श्री चाल्हिया का संशोधन यह है, "किसी जिला अथवा क्षेत्रीय परिषद जनजाति क्षेत्र का जोड़ना अथवा अलग करना, "हमें कहना चाहिए कि जिला अथवा क्षेत्रीय परिषद के अधिकार क्षेत्र को थोड़ा कम करना। यह है जिसके बारे में श्री चाल्हिया बोल रहे हैं। मेरे आदरणीय मित्र जो कह रहे हैं यह एक क्षेत्र का स्वशासी जिले से एक साथ अलग करना और असम के सामान्य क्षेत्र में जोड़ना। यह दोनों भिन्न विषय हैं।

पंडित हृदयनाथ कुंजरू : उस विषय पर रिपोर्ट करने के लिए आयोग को क्यों न कहा जाए?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : आयोग को रिपोर्ट करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। यदि मेरे आदरणीय मित्र उपबन्ध को पढ़ेंगे तो उन्हें निम्नलिखित जानकारी मिलेगी, "विषय पर विचार करने के लिए आयोग नियुक्त करना चाहिए"। कोई विषय मैं पैरा 1 में रखे गये उपबन्धों को भी सम्मिलित करेंगे और वे निश्चित तौर पर वर्णित किये गये हैं "राज्य में स्वशासी जिले के प्रशासन से सम्बन्धित उसके द्वारा निश्चित किये गये अथवा स्वशासी जिले के प्रशासन पर समय–समय पर जांच करने और सूचना देने के लिए आयोग की नियुक्ति जिस निश्चित विषय को सम्मिलित करता है, वह है "कोई विषय"। मैंने अपना संशोधन संख्या 134, इसे पूर्णतः स्पष्ट करने के लिए न कि और "कोई विषय" शब्दों के निर्वचन के लिए।

मैंने अब विर्निदिष्ट रूप से जिक्र किया है कि इनमें इस अनुसूची के पैरा 1 के उपपैरा (3) के खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) और (ड.) की अन्तर्वस्तु से अच्छी तरह परिचित है लेकिन जो मैं कहता हूँ वह यह है कि आयोग जिसकी नियुक्ति स्वशासी क्षेत्र के प्रशासन के विषय में होगी मुझे नहीं दिखाई देता कि उसे जनजाति क्षेत्र में पहले से सम्मिलित क्षेत्र की यह रिपोर्ट करने की शक्ति प्राप्त होगी कि उसे इससे पृथक कर दिया जाए और साधारण प्रशासित क्षेत्र में मिला दिया जाए।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरे आदरणीय मित्र को कथित तालिका के पैरा (3) के खंड (घ) को देखना चाहिए।

पंडित हृदयनाथ कुंजरू : आयोग की शिफारिशों पर विचार किए बिना इसे करने से पूर्व संसद को आयोग की रिपोर्ट रखनी चाहिए लेकिन अब यह पूर्णतः प्राप्त की गई जानकारी की शक्ति पर इस विषय में कार्रवाई करेगी।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह वह विषय है जो राज्यपाल की क्षमता में नहीं आता, जैसा पारित किया गया है, जनजाति क्षेत्र से क्षेत्र को अलग करना वह

विषय है जो राज्यपाल की सीमा से बाहर निकाल लिया गया है यह संसद के फैसले के लिए छोड़ दिया गया है। उपपैरा (3) के खण्ड (ख), (ग), (घ), (ड.) में अंकित विषय के बारे में आयोग राज्यपाल का मार्गदर्शन करेगा। कोई विषय जो इसके बाहर है, संसद का विषय है। संसद इस आयोग से स्वतंत्र एक आयोग नियुक्त कर सकेगी और तब कानून बना सकेगा।

प्रो शिब्बनलाल सक्सेना : इसके लिए कोई उपबंध नहीं है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : कोई उपबन्ध आवश्यक नहीं है संसद असम मंत्रालय की सलाह पर कार्य कर सकेगी। यदि संसद सोचती है कि वह सलाह स्वतंत्र नहीं है और स्वतंत्र साक्ष्य होने चाहिए तो, संसद एक आयोग नियुक्त करने के लिए और अपनी स्वयं जांच करने के लिए स्वतंत्र है।

* * * *

*__श्री रोहिनी कुमार चौधरी__ : ....छठी अनुसूची पर वाद–विवाद करने के बारे में किसी चीज के लिए यदि असम प्रदेश के सदस्यों की सलाह मानी जाती है जो प्रधानतः असम से सम्बन्धित है, तो मैं सोचता हूँ कि आदरणीय डॉ. भीमराव अम्बेडकर किसी संशोधन को स्वीकार करने के लिए सहमत होंगे। मैं सोचता हूँ हम इस संशोधन को स्वीकार करने की आवश्यकता पर भली–भांति एकमत हैं – मैं दो मंत्रियों के बारे में नहीं जानता लेकिन हममें से शेष एकमत हैं।

प्रो. शिब्बनलाल सक्सेना : राज्यपाल आयोग में किसी को भी नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : राज्यपाल पर बिल्कुल भी प्रतिबन्ध नहीं है।

श्री रोहिनी कुमार चौधरी : मैं कहता हूँ, दो सदस्य विधानमण्डल द्वारा चुने जाने चाहिएं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : उसे ऐसा करने से रोका नहीं गया है।

श्री रोहिनी कुमार चौधरी : ऐसा कहने में कोई हानि नहीं है। एक व्यक्ति चाहे जीये या मरे। आप क्यों कहते हैं "मरना" मैं कहता हूँ जीते रहो। कृपया मेरा संशोधन स्वीकार कर लो।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : राज्यपाल, मंत्रालय की सलाह पर आयोग नियुक्त करने के लिए अग्रसर होगा। आप सोचते हो, आपका मंत्रालय विधानमण्डल से दो सदस्य नियुक्त नहीं करेगा।

---

*· सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 6 सितम्बर, 1949, पृ. 149

श्री रोहिनी कुमार चौधरी : मैं चाहता हूँ कि उनका चुनाव विधानमण्डल द्वारा हो। विधानसभा द्वारा चुनाव को मैं महत्व देता हूँ। मेरा विचार है कि माननीय डॉ. भीमराव अम्बेडकर भी ऐसा महत्व देंगे लेकिन उन्हें अब अपना मस्तिष्क बदल लेना चाहिए।

माननीय सभापति : श्री बृजेश्वर प्रसाद द्वारा प्रस्तावित कुछ अन्य संशोधन हैं, 209 "संसद" के लिए "राज्य विधानमण्डल" 210–"संघ" के लिए "असम", 211 "संघ– के लिए "राज्य"; 212–"राष्ट्रपति" के लिए "राज्यपाल"; 213– "असम राज्य में" के लिए "राज्य में"।

श्री बृजेश्वर प्रसाद : मैं इनको पेश नहीं करना चाहता।

माननीय सभापति : इस पैरा के सभी संशोधन पेश किये जा चुके हैं। डॉ. अम्बेडकर क्या आप कुछ कहना चाहेंगे ?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : नहीं।

माननीय सभापति : अब मैं संशोधन रखूँगा।

(निम्नलिखित संशोधन स्वीकार हुए :

1. संशोधनों की सूची के (पुस्तक II) संशोधन संख्या 3500, 3501 और 3502 के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएँ–

"6 अनुसूची के पैरा 14 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए :

"राष्ट्रपति के एजेंट की भांति असम का राज्यपाल कम से कम सात सदस्यों का आयोग किसी समय नियुक्त करे जिनमें से तीन सदस्य जनजाति के होंगे और शेष प्रसिद्ध श्रेणियों में से चुने जाएंगे, नृविज्ञानी, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश, विज्ञान तथा साहित्य के व्यक्ति राज्य में स्वशासी जिल और क्षेत्र के प्रशासन के क्षेत्र में उसके द्वारा विनिर्दिष्ट विषय की जांच और रिपोर्ट करने अथवा राज्य में साधारणतः और विशेष तौर पर स्वशासी जिला और क्षेत्र के प्रशासन पर समय–समय पर जांच करने व सूचना देने के लिए ऐसा ही आयोग नियुक्त कर सकेगाः

(क) शैक्षिक, सांस्कृतिक, चिकित्सकीय आर्थिक और धार्मिक सुविधायें और ऐसे क्षेत्रों और जिलों में संचार;

(ख) ऐसे जिले और क्षेत्रों के बारे में नये अथवा विशेष, विधान की आवश्यकता;

(ग) जिला और क्षेत्रीय परिषदों द्वारा निर्मित विधियों के प्रशासन, विनियमन और नियम और आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धति की परिभाषा करने'"।

2. ''पैरा 14 के उपपैरा (1) में'' स्वशासी जिले" शब्दों राज्य में के पश्चात् इस अनुसूची के पैरा 1 के उपपैरा (3) के खण्ड (ख) (ग) (घ) और (ड़) में विनिर्दिष्ट विषयों सहित शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक" अन्तःस्थापित।

3. "पैरा 14 के उपपैरा (1) में स्वशासी जिले, दो स्थानों पर जहाँ यह आते हैं शब्दों के स्थान पर "स्वशासी क्षेत्र" शब्द रखे जाएं।"

4. "कि पैरा 14 के उपपैरा 1 के खण्ड (क) और (ख) में "जिला" शब्द के पश्चात् दो स्थानों पर जहाँ पर आते हैं ''और क्षेत्रों" शब्द रखे जाएँ।"

5. "कि पैराग्राफ 14 के उपपैरा (3) में स्वायत्तशासी शब्द ''जिले के पश्चात्" और स्वायत्तशासी क्षेत्र रखे जाएँ।"

संशोधन स्वीकार हुआ।

(पैरा 14 संशोधित रूप में अनुसूची में जोड़ा गया।)

* * * *

पैरा 15

संशोधन संख्या 140 पेश नहीं किया गया।

*__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर__ : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है ऐसा इसलिए है, क्योंकि यह राज्यपाल को निदेश देता है जिसे अभी उसके पास छोड़ने का प्रस्ताव नहीं है।

माननीय सभापति : संशोधन संख्या 1421 हमने बहुत बार स्वेच्छा के प्रश्न पर विचार किया है। क्या उसे पेश करना आवश्यक है।

श्री बृजेश्वर प्रसाद : श्रीमन, जैसा आप मुझे निर्देश दें।

माननीय सभापति : मैं नहीं समझता कि यह आवश्यक है। संशोधन सं. 124, दुबारा "राष्ट्रपति" के लिए राज्यपाल" संशोधन संख्या 215 "संसद" के लिए राज्य का विधानमण्डल, संशोधन संख्या 216, यह वही है जैसा डॉ. अम्बेडकर का। ये सभी संशाधन हैं डॉ. अम्बेडकर क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

---

*. सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 6 सितम्बर, 1949, पृ. 1051

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : नहीं। जैसा मैंने कहा हम राज्यपाल से स्वेच्छा वापिस ले रहे हैं जिसे हमने मूल रूप में उसके पास छोड़ दिया था और इसलिए उपपैरा (3) इस पैरा को छोड़ देना आवश्यक है।

(डॉ. अम्बेडकर का संशोधन स्वीकार हुआ।)

(पैरा 15 संशोधित रूप में अनुसूची में जोड़ा गया।)

श्री बृजेश्वर प्रसाद : श्रीमन, मैं सुझाव दूँगा कि हम कुछ मिनट देर तक बैठेंगे और इस अनुसूची को पूरा कर देंगे।

माननीय सभापति : इसमें समय लगेगा। हम समाप्त नहीं कर सकेंगे। मैं सदन को याद दिला रहा था कि हम अपने निश्चित समय से बहुत पीछे हैं और खोये समय को प्राप्त करने के लिए कुछ करना होगा।

श्री आर.के. सिधवा (मध्य प्रांत और बरार : सामान्य) : आज हमारे पास कोई दूसरे शब्द नहीं हैं और हम दोपहर में बैठ सकते हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : कल, यदि आप पसन्द करें हम बैठ सकते हैं। कुछ अनुच्छेद लेने के लिए हमने आज मसौदा समिति की बैठक बुलाई है जो विचार करने के लिए थी।

* * * *

पैरा 16

***माननीय सभापति :** यहाँ दो अन्य संशोधन हैं जो हमने समाप्त कर दिये, क्योंकि यदि उनके पास इस विषय पर कोई विचार है तो यह उसी प्रकार है जैसे श्री बृजेश्वर प्रसाद के दूसरे है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (बम्बई—सामान्य) : मैं असम के प्रधानमंत्री को सुनना चाहूँगा, यदि वह इस मामले पर विचार रखना चाहेंगे।

माननीय श्री गोपीनाथ बारदोलोई (असम—सामान्य) : श्रीमन, श्री सुरजीत चाल्हिया के पैरा 16 के अभी रखे गये नियम दो के छोड़ने के संशोधन के संदर्भ में, जो कुछ मुझे कहना है वह यह है कि हर मामले में जहाँ इस प्रकार की कार्यवाही करनी है। इससे प्रभावित पक्षों को सुनने का एक अवसर दिया गया है। मैं सहमत हूँ कि इस नियम में कोई भी मशीन जो इसे कर सकती थी लिखी गई थी, इसलिए इन

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 6 सितम्बर, 1949, पृ. 1051

शब्दों के स्थान पर "विधानमण्डल द्वारा सुनने का अवसर"। क्षेत्रीय सभा के विचारों को रखने का एक अवसर स्थान "शब्द" स्थापन किये जायेंगे तभी इस संशोधन का उद्देश्य पूरा होगा।

श्री कुलाधर चाल्हिया : मैं इसे करने के लिए तैयार हूँ।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्री चाल्हिया के संशोधन के संशोधनों पर बारदोलोई के संशोधन को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ जिसे उन्होंने स्वीकार किया है। नियम अब इस प्रकार पढ़ा जायगा :

"परन्तु इससे अधिक कि राज्य की विधानमण्डल के सम्मुख अपने विचार रखने के लिए जिला अथवा क्षेत्रीय सभाओं को जैसा भी मामला हो एक अवसर दिये बिना इस पैरा के खण्ड (ख) के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।"

माननीय सभापति : प्रश्न है:

"छठी अनुसूची के पैरा 16 के नियम दो के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायः

"परन्तु इससे अधिक यह कि राज्य के विधानमण्डल के सम्मुख अपने विचार रखने के लिए जिला और क्षेत्रीय परिषद को जो भी हो, कोई अवसर दिये बिना, इस पैरा के खण्ड (ख) के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।"

(संशोधन स्वीकार हुआ।)

(पैरा 16 संशोधित रूप में 16वी अनुसूची में जोड़ा गया।)

*****

नया पैरा 16–क

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मैं पेश करने की इजाजत चाहता हूँ :

"कि पैरा 16 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा रखा जाय :–

"16–क स्वशासी जिलों में चुनाव क्षेत्र बनाने में स्वाशासी जिलों से क्षेत्रों को अलग करना–असम की विधानसभा के चुनाव के प्रयोजन के लिए, राज्यपाल आदेश द्वारा घाोषित कर सकेगा कि स्वशासी जिले में कोई क्षेत्र ऐसे किन्हीं जिलों के लिए आरक्षित सभा में सीट या सीटों को भरने के लिए किसी चुनाव क्षेत्र का भाग तो नहीं होगा किन्तु सभा में इस प्रकार न आरक्षित सीट या सीटों को भरने के लिए चुनाव क्षेत्र का भाग होगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।"

इसका उद्देश्य लोगों को जो स्वशासी जिलों में सम्मिलित हैं, लेकिन वास्तव में जो स्वशासी जिलों में रहने वाले लोगों के अभिन्न अंग नहीं है, विधानसभा में स्थान रखने के लिए अपने स्वयं के लिए अपने चुनाव क्षेत्र बनाकर विधानसभा में स्थान पाने का अवसर देना है।

(पैरा 16—क छठवी अनुसूची में जोड़ा गया।)

* * * *

पैरा 17

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर** : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव हैः

"कि पैरा 17 के उपपैरा (2) के पश्चात् निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाए :

(3) राष्ट्रपति के ऐजेंट की भांति इस पैरा के उपपैरा (2) के अधीन राज्यपाल अपने विवेकानुसार अपने कर्तव्यों का पालन करेगा'।"

* * * *

****माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर** : श्रीमन, मैं इसे स्वीकार नहीं करता।

सभापति : मैं पहले डॉ. अम्बेडकर के संशोधन को रखता हूँ।

प्रश्न है :

"कि पैरा 17 के उपपैरा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपपैरा जोड़ा जाय :

(3) राष्ट्रपति के एजेंट की भांति इस पैरा के उपपैरा (2) के अधीन राज्यपाल अपने विवेकानुसार अपने कर्त्तव्यों का पालन करेगा।"

(संशोधन स्वीकार किया गया।)

(यथा संशोधित पैरा छठवीं अनुसूची में जोड़ा गया।)

पैरा 18

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमान, मेरा प्रस्ताव हैः

"कि पैरा 18 में, पंक्ति 22 में शब्द 'अपने विवेकानुसार' शब्द लुप्त किया जाए।"

"कि पैरा 18 का खण्ड (ग) लुप्त किया जाए"।

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 6 सितम्बर, 1949, पृ. 1055

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 6 सितम्बर, 1949, पृ. 1056

माननीय सभापति : संशोधन संख्या 148 और 149 और अस्वीकार किया जाता हैं। अब हमारे पास जो कम या अधिक उसी स्तर के हैं वे संशोधन संख्या 223, 224, 225 और 226 हैं। श्री वृजेश्वर प्रसाद क्या आप सं. 226 पेश करना चाहेंगे? शेष 3 मैं खारिज करता हूँ।

श्री बृजेश्वर प्रसाद : श्रीमन, अपने संशोधनों में से मैं किसी को पेश करना नहीं चाहता।

माननीय सभापति : तब मैं डॉ. अम्बेडकर के संशोधन संख्या 146 व 147 रखता हूँ।

(संशोधन स्वीकार हुए।)

पैरा 19

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर** : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है कि (सूची 1 के संशोधन संख्या 150 और 151 (सातवां सप्ताह) के संदर्भ में पैरा 19 और परिशिष्ट तालिका के स्थान पर निम्नलिखित पैरा व तालिका रखी जाएः–

"19 जनजाति क्षेत्र– नीचे की तालिका के भाग I और II में विनिर्दिष्ट क्षेत्र असम राज्य–क्षेत्र होगे।

(2) संयुक्त खासी जैन्तिया पहाड़ी जिले में वे क्षेत्र होंगे जो इस संविधान के लागू होने के पूर्व खासी राज्य और खासी और जैन्तिया जिले कहलाते थे। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर जो तत्समय छावनी और शिलांग नगरपालिका क्षेत्र में आते हैं, लेकिन शिलांग नगरपालिका के क्षेत्र में मिले क्षेत्र को सम्मिलित करके, जैसे माइलियम के खासी राज्य के भाग हैंः

परन्तु इस अनुसूची के पैरा 3 के उपपैरा (1) खण्ड (च) और (छ) पैरा 4 और पैरा 5 और पैरा 8 के उपपैरा (3) और (2) के उद्देश्य के लिए कोई क्षेत्र जो शिलांग नगरपालिका का क्षेत्र है जिले में नहीं समझा जायेगा।

(3) निम्न तालिका में किसी जिले (संयुक्त खासी और जैन्तिया या पहाड़ियां जिले से भिन्न) अथवा प्रशासनिक क्षेत्र का निर्देश इस संविधान के लागू होने की तारीख को उस जिले या क्षेत्र के रूप में माना जाएगा। परंतु निम्न तालिका के भाग 2 में विनिर्दिष्ट जनजाति क्षेत्र के अन्तर्गत मैदान क्षेत्र के ऐसे क्षेत्र शामिल नहीं होंगे जो

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 6 सितम्बर, 1949, पृ. 1056

राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से, असम के राज्यपाल के द्वारा इस निमित्त अधिसूचित अनुमोदन किए जाएं।

* * * *

तालिका

भाग 1

1. संयुक्त खासी–जैन्तिया पहाड़ियाँ जिला।
2. गारो पहाड़िया जिला।
3. लूशी पहाड़िया जिला।
4. नागा पहाड़िया जिला।
5. उत्तरी कछार पहाड़ियाँ।
6. मिकिर पहाड़िया जिला।

भाग II

1. बालीपाड़ा सीमाप्रान्त पगडंडियों सहित उत्तरी–पूर्वी सीमाप्रान्त, तिराप सीमाप्रान्त पगडंडी अबारे पहाड़ियां जिला, मिसिमी पहाड़ियां जिला।
2. नागा जनजाति क्षेत्र।

* * * *

***श्री रोहिनी कुमार चौधरी : ......**लेकिन मैं कहता हूँ कि जो संशोधन डॉ. अम्बेडकर ने आज प्रातः पेश किया है वह मात्र धोखा देने वाला है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : किस लिए धोखा देने वाला है?

श्री रोहिनी कुमार चौधरी : क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि इस संशोधन के द्वारा डा. अम्बेडकर इशारा करते हैं कि स्वायत्तशासी जिले में शिलांग नगरपालिका के किसी भाग के बारे में उन्होंने अपने विचार बदल दिए हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैंने अपने विचार नहीं बदले हैं।

श्री रोहिनी कुमार चौधरी : संशोधन का पैराग्राफ (2) जैसा है सम्मिलित करता है......

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 6 सितम्बर, 1949, पृ. 1064

श्री टी. टी. कृष्णमाचारी : श्रीमन, क्या मैं इशारा करूं कि हम यहाँ इस मामले में पूर्णतः रुचि नहीं ले रहे और यहाँ धोखाधड़ी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है।

माननीय सभापति : धोखा देने का यहाँ कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि पैरा पूरी तरह स्पष्ट है कि वह शिलांग नगरपालिका को अलग करना चाहते हैं सिवाय उस भाग के जो माइलियम राज्य में सम्मिलित है।

* * * *

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** श्रीमन, मैं नहीं समझता कि मेरा संशोधन संख्या 331 पैरा 19 की नई–नई शब्दावली को बदलते हुए कोई कठिनाई पैदा करेंगे जैसा मैं समझता हूँ किसी को होती है। इसलिए मैंने आवश्यक नहीं समझा कि पैरा 19 के उपबन्धों की व्याख्या करने में अधिक समय लगाऊँ। लेकिन अब जब कड़वाहट पैदा करने वाली बहुत बहस हो चुकी है मैं पैरा 19 के नये उपबन्ध स्पष्ट करने के लिए बाध्य हूँ।

अब संविवाद का मुख्य भाग पैरा 19 के उपपैरा (2) पर केन्द्रित हो गया है, तब मैं कहना चाहूँगा कि इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कि जहाँ तक संयुक्त खासी–जैन्तिया पहाड़ियाँ जिले का सम्बन्ध है जो तालिका के भाग I प्रविष्टि 1 में कही गई है, क्षेत्र का वह भाग शिलांग नगरपालिका के क्षेत्र में आता है जो माइलियम राज्य के खासी भाग को बनाता है, संयुक्त खासी जैन्तिया पहाड़ियाँ जिले का विशिष्ट भाग बनेगा या होगा। इसका अर्थ है कि माइलियम राज्य का भाग जो शिलांग में सम्मिलित किया गया है संयुक्त खासी–जैन्तिया पहाड़ी जिले का भाग बनाएंगे। यह महसूस किया गया है कि माइलियम राज्य का यह भाग वास्तव में अब पैरा 19 के नये उपबंधों के अधीन दो अलग–अलग अधिकार क्षेत्रों में है। यह शिलांग नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में है क्योंकि इस उपबंध के द्वारा हम शिलांग नगरपालिका की सीमायें नहीं बदल रहे हैं। शिलांग नगरपालिका की सीमायें, असम विधानमण्डल द्वारा पारित नगरपालिका अधिनियम में परिभाषित हैं, ठीक बनी रहती हैं। उस अधिनियम के अनुसार माइलियम राज्य का यह विशेष भाग नगरपालिका का भाग है। यह माना गया है कि यह दोहरा अधिकार क्षेत्र जैसे संयुक्त खासी–जैन्तिया पहाड़ी जिला और नगरपालिका बहस का विवाद/विषय बन जायेंगे। इस वाद–विवाद को समाप्त करने के लिए मैंने उपवाक्य खण्ड (2) से नियम जोड़ दिया है। नियम का प्रभाव यह है कि नियम में कहे गये उद्देश्यों के लिए संयुक्त खासी जैन्तिया पहाड़ी जिले की जिला सभा का अधिकार क्षेत्र समाप्त कर दिया गया है और किसी हद तक

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 6 सितम्बर, 1949, पृ. 1074

नगरपालिका का अधिकार क्षेत्र नियम में बताये गये उद्देश्य तक सीमित कर दिया गया है, इस क्षेत्र पर जिला सभा का अधिकार क्षेत्र जारी रहेगा। नियम का विचार अधिकार क्षेत्र के वाद–विवाद को दूर करना है। दूसरी ओर कुछ लोगों ने कहा कि माइलियम राज्य क्षेत्र संयुक्त खासी–जैन्तिया पहाड़ियां जिलों से पूर्णतः अलग कर दिया जाए और शिलांग क्षेत्र के पूर्णतः अलग कर दिया जाए।

पंडित हृदयनाथ कुंजरू : जैसा कि अब है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं नहीं जानता क्या यह ऐसा है। प्रश्न यह है कि जैसा कि उस ओर से किसी ने कहा– मैं सोचता हूँ मेरे मित्र श्री रोहिनी कुमार चौधरी– नगरपालिका का तीन–चौथाई मार्ग वास्तव में इस क्षेत्र से घिरा है, हाँ इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि जहाँ तक कि विवाह कानून, उत्तराधिकार कानून, और दूसरे रीति–रिवाजों का सम्बन्ध है, मनुष्य माइलियम राज्य के इस भाग में रहने वाले उन कानूनों में, उन्हीं रीति–रिवाजों में, उन्हीं विवाह कानूनों में और पूर्ण जिले के उत्सवों में भाग लेते हैं। परिणामस्वरूप जो होगा वह यह मानते हुए कि यह क्षेत्र पूर्णतः संयुक्त खासी–जैन्तियां पहाड़ी वे लोग मौलिक रूप से विवाह कानून, उनके रीति–रिवाज इत्यादि के बारे में माइलियम राज्य के शेष भाग के उनके भाइयों के समान हैं, वह तुरन्त उत्तराधिकारी के सामान्य कानून, विवाह के सामान्य कानून, सभी सामान्य नियम जो संसद को बनाने चाहिए अथवा असम विधानमण्डल को बनाने चाहिए, अधीन बन जायेंगे। मैं नहीं समझता कि यह सही है कि लोगों का वह भाग जो कुछ मामलों में उसी स्वभाव के है इस भांति सेवित होंगे। जनता का एक भाग जहाँ तक जनजाति जीवन का सम्बन्ध है अपनी सरकार प्राप्त करेंगे और एक भाग सामान्य कानूनों के अधीन होगा जिसके अधीन आम लोग हैं। यह इस कारण है कि प्रारूपण समिति ने महसूस किया कि उपखण्ड (2) के उपबन्ध और नियम जो इनके साथ हैं इस समस्या के उचित हल थे जैसे नियम में परिभाषित नगरपालिका के उद्देश्य के लिए कि माइलियम राज्य का वह भाग जो नगरपालिका का भाग है, नगरपालिका के अधीन रहना चाहिए, जबकि उन उद्देश्यों के लिए जिला परिषद बनाई गई है कि वह भाग जिला सभा के अधीन रहेगा। यहाँ कोई विवाद नहीं है और वह मौलिक उद्देश्य के लिए लाभदायक सहायक होता है जैसे कि उसी स्वभाव के व्यक्ति उसी प्रकार के कानूनों के और उसी प्रकार के प्रशासनिक तरीके के अधीन होने चाहिए जो सभी को रखने चाहिए और रखते हैं।

अब कुछ संविवाद इस बारे में हो सकता है कि क्या परन्तुक इतना व्यापक है कि विषय इसमें आ सकेंगे जो आने चाहिए अथवा क्या वह इस बारे में बहुत तंग है। मैं कोई राय देने के लिए तैयार नहीं हूँ। दो मुख्य प्रतिनिधियों द्वारा इस विषय में प्रारूपण समिति का मार्गदर्शन किया गया है जिनको इस विषय में बहुत जानकारी

और सूचना है, जैसे, असम के प्रधानमंत्री और उनके साथी श्री निकोल्स रॉय। यदि वे अपनी प्रज्ञा में सोचते हैं कि कुछ दूसरे विषय सम्मिलित किए जाएं तो निश्चय ही प्रारूपण समिति कोई एतराज नहीं करेगी, क्योंकि प्रारूपण समिति को इस विषय में कुछ भी नहीं करना है।

श्री रोहिनी कुमार चौधरी : क्या यह नहीं है कि गैर–जनजाति लोग जो शिलांग में रहते हैं, इस विषय में कोई आवाज नहीं है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : किस विषय में?

श्री रोहिनी कुमार चौधरी : जिस भी विषय पर आप अब बात करें।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं मुद्दा नहीं समझ सका। हमने जो कुछ किया है वह यह है कि इस भाग में रहने वाले लोगों को दोहरे अधिकार हैं। वे शिलांग नगरपालिका में अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार रखते हैं और जिला सभाओं में उनको अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होगा। इसके परे, अधिकार क्षेत्र बिल्कुल अलग हैं। मैं नहीं समझता कि यहाँ कोई दूसरा बिन्दु है जहाँ तक इस नये पैराग्राफ 19 का सम्बन्ध है।

श्री रोहिनी कुमार चौधरी : सूचना के मुद्दे पर, जो सदस्य अब बोल रहे हैं क्या उनका कहना है कि वे लोग शिलांग में आदरणीय निकोल्स रॉय द्वारा पूर्णतः मार्गदर्शित हैं।

माननीय सभापति : उन्होंने दीमापुर के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। वह श्री बारदोलोई द्वारा प्रश्न के बारे में कार्य कर रहे हैं कि पैरा 10, उपपैरा (2) खण्ड (घ) नियम में जोड़ दिए जाएँ।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मुझे कोई एतराज नहीं है। हम मामला उनके लिए छोड़ते हैं। यदि वे सोचते हैं कि कुछ मामले सम्मिलित किये जाएं, हम क्यों एतराज करेंगे? हम उनकी सलाह पर कार्य कर रहे हैं।

पंडित हृदयनाथ कुंजरू : क्या इस मुद्दे पर मैं डॉ. अम्बेडकर से पूछ सकता हूँ? क्या प्रारूपण समिति अथवा श्री बारदोलोई और आदरणीय जे.जे.एम. निकोल्स रॉय जिन्होंने असम की जनजाति क्षेत्र समिति की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए हैं शिलांग नगरपालिका सीमा के अन्दर रहने वाले जनजाति के लोगों की स्थिति बदलने के बारे में पूछने के लिए कोई प्रतिनिधि मिले हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैंने उनके परिचय के अक्षरों पर कोई एतराज नहीं किया है और न मैंने जांच की है कि क्या उन्होंने ऐसे प्रतिनिधित्व से अपने को मजबूत किया है।

पंडित हृदयनाथ कुंजरू – मैं यह प्रश्न करता हूँ क्योंकि मेरे आदरणीय मित्र ने असम के प्रधानमंत्री और आदरणीय निकोल्स रॉय के अधिकार का संदर्भ दिया है। इन दोनों ने समिति की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये हैं जिसका संदर्भ मैंने दिया है और समिति कहती है कि शिलांग नगरपालिका की सीमाएं वही रहनी चाहिएं जो इस समय हैं और उस क्षेत्र के मनुष्यों के स्तर को बदलने का कोई सुझाव नहीं देती।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : वह उन्होंने कर लिया होगा लेकिन रिपोर्ट दुबारा परीक्षण के लिए विबंध की भांति कार्य नहीं कर सकती। मैं नहीं समझता कि हम मामले को और आगे ले जा सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि प्रारूपण समिति ने महसूस किया था कि यह ऐसा स्थानीय विषय था कि बिना अधिकार के वे कार्य नहीं कर सकते थे अथवा इस मामले में भाग लेने वालों की सलाह के कार्य कर सकते थे। हमने उनकी सलाह मानी और कार्य किया। यदि वे सोचते हैं.......(रूकावट)

श्री कुलाधर चाल्हिया : दीमापुर में सम्पूर्ण भारत से लोग रहते हैं। दीमापुर के बारे में कुछ भी कहने का लाभ नहीं है। उसने दीमापुर के बारे में कुछ भी नहीं कहा है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इसके बारे में अब तक मैंने कुछ भी नहीं कहा है; अब मैं इस पर आ रहा हूँ।

अब मैं स्वशासी जिलों से कुछ क्षेत्र अलग करने के विषय पर आ रहा हूँ।

इस संबंध में मैं सदन को नये अनुच्छेद 16–क की याद दिलाना चाहूँगा जिसे अभी हाल ही में पारित किया गया है। मैं उसे आपको बताना चाहूँगा। अनुच्छेद 16–क बनाने में दो प्रश्न उठाये गये थे। एक प्रश्न कुछ दो ..... के बारे में था जिन्हें गारों पहाड़ियाँ कहा जाता है। उसके साथ मेरे मित्र चाल्हिया के द्वारा दीमापुर क्षेत्र का प्रश्न उठाया गया था। और मैं सोचता हूँ कि यह कहने में ठीक हूँ कि वह सभा में उपस्थित थे। उसमें असम के तीन प्रतिनिधि उपस्थिति थे जो इस सभा में भी उपस्थित थे। श्री वारदोलोई, आदरणीय निकोल्स रॉय और श्री चाल्हिया और यह विचार किया गया था क्या ये गारो पहाड़ियों के माउजाज और दीमापुर क्षेत्र स्वायत्तशासी जिले से अलग कर दिए जाएँ। यह कहा गया था कि सभा की स्वायत्तशासी जिले से अलग करना वांछनीय नहीं होगा क्योंकि इन माउजाज का जीवन उनकी आर्थिक जिन्दगी स्वायत्तशासी जिलों से निकटतम बंधी थी। इसलिए यह कहा गया था कि यह काफी होगा यदि यह क्षेत्र, जिन्हें कहना चाहिए गारो पहाड़ियों से तीन माउजाज और दीमापुर क्षेत्र के निवासी असम विधानसभा में राजनैतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए बिल्कुल अलग कर दिए गये थे। मेरे मित्र श्री चाल्हिया द्वारा यह निश्चय तौर पर कहा गया था जिन्होंने अब दीमापुर क्षेत्र का प्रश्न उठाया है। इसलिए यह उनके निवेदन पर और असम के इन तीन प्रतिनिधियों के

कहने पर था कि पैरा 16–क उन शर्तों पर बनाया गया था जिन पर यह अब बनाया गया है। यदि उस समय यह सहमत हुए होते कि यहाँ पूर्ण अलगाव किया जाए कि उसे स्वशासी क्षेत्र का भाग नहीं बनाना चाहिए तो उनकी इच्छा पूरी करने में एतराज न होता। इसलिए प्रारूपण समिति को कुछ करने के लिए दोष देना ठीक नहीं है। जिसे करने के लिए सलाह नहीं दी गई थी। यह मेरा पहला निवेदन है। पैरा 16–क में प्रारूपण समिति तथा असम के तीन प्रतिनिधियों का ठोस निर्णय समाया हुआ है, श्री चाल्हिया सहित जिसने पहली बार दीमापुर का प्रश्न उठाया है।

श्री कुलाधर चाल्हिया : क्या मैं निवेदन कर सकता हूँ कि मुझे वहाँ एक सलाहकर की भांति और देखने के लिए बुलाया गया था मैंने कभी महसूस नहीं किया कि मैं प्रारूपण समिति का सदस्य था और आपको मेरा नाम भी वहाँ नहीं मिलेगा।

माननीय सभापति : यह सुझाव किसी ने नहीं दिया है कि आप वहाँ प्रारूपण समिति के सदस्य थे। उन्होंने यह कहा है कि आप वहाँ उपस्थित थे।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह उनकी राय है। यहाँ कहने के लिए एक बात और भी है, जैसे संशोधन 99 के अधीन जो राज्यपाल को सीमाएं बदलने, क्षेत्र घटाने आदि की शक्ति देता है। राज्यपाल के लिए यह पूर्णतः संभव होगा कि वह, अब स्वायत्तशासी क्षेत्र में जोड़े जा रहे क्षेत्र से किसी क्षेत्र को पृथक करे, दूर करे। यदि यह स्पष्ट नहीं है, तो मसौदा समिति एक स्पष्ट वाक्य खण्ड जोड़ने के लिए तैयार होगी। लेकिन मैं यह कहना पसन्द नहीं करता कि यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको संभवत् बीच में लटका दिया जाय कि प्रतिनिधि किसी सभा में आये, किसी इकरार नामे से सहमत है और इकरार नामे से मुकर जाए, संशोधन में लाये और मसौदा समिति के विरुद्ध टिप्पणी का मुद्दा बनाये और कहते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा किया जो या तो प्रतिनिधित्व के विरुद्ध है ....* (रुकावट)

श्री कुलाधर चाल्हिया : नहीं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मुझे अति खेद है। सब मैं कर सकता...

(रुकावट)

श्री कुलाधर चाल्हिया – नहीं, नहीं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मुझे अति दुःख है इसलिए जहाँ तक पैरा 16–क का संबंध है, राजनैतिक आवश्यकताओं के लिए यह अलगाव की व्यवस्था करता है। यदि पूर्ण अलगाव आवश्यक है, मैं निवेदन करता हूँ कि यह पहले से

---

*· बिंदु रूकावट बताते हैं।

ही हमारे द्वारा पारित प्रस्ताव में व्यवस्थित किया गया है। यदि यह वह नहीं करता, तो बिल्कुल स्पष्ट करने के लिए मैं एक वाक्य खण्ड बनाने के लिए तैयार हूँ कि राज्यपाल यदि उचित समझता है, उसे एक क्षेत्र अलग करने की शक्तियाँ होंगी। जहाँ तक मेरा संशोधन नये पैरा 19 में व्यवस्था करता है का संबंध है मैं विश्वास करता हूँ कि वाद–विवाद के सभी बिन्दुओं का उत्तर दिया जा चुका है।

अब, श्रीमन, मैं अपने मित्र श्री कुंजरू के संशोधन पर बात करने का प्रस्ताव करता हूँ जो एक दूसरा पैरा जोड़ने के बारे में है। ध्यान देने योग्य है कि उनका संशोधन कुछ भी नहीं है बल्कि पांचवीं अनुसूची की मात्र पुनरावृति है जिसे पहले ही पारित किया जा चुका है जो असम को छोड़कर जनजाति क्षेत्र अथवा अनुसूचित जाति क्षेत्र के बारे में है। इससे अधिक इनके संशोधन में कुछ भी नहीं है। उनके संशोधन के विरुद्ध मेरा यही निवेदन है। जहाँ तक इनके नये पैराग्राफ के उपवाक्य खण्ड (1) का सम्बन्ध है यह बिल्कुल अनावश्यक है। यह छठी अनुसूची के पैरा 12(ख) के द्वारा शासित है जो राज्यपाल को लागू करने अथवा न लागू करने की शक्ति देता है अथवा यदि लागू की, रूपान्तर विधि से लागू की चाहे कानून संसद द्वारा बनाये थे अथवा असम के विधानमण्डल द्वारा। इसलिए वह उपबंध बिल्कुल अनावश्यक है और हमारे मसौदे में पहले से ही रखा गया है।

दूसरे खण्ड (2) के बारे में, स्थिति यह है। यह बिल्कुल सत्य है कि जहाँ तक पांचवीं अनुसूची का संबंध है, हम राज्यपाल को उस क्षेत्र के बारे में विनियम बनाने की शक्तियाँ देते हैं लेकिन छठी अनुसूची में इस प्रकार की शक्तियां देने का प्रस्ताव नहीं करते। यह इस कारण है कि पांचवीं अनुसूची के संबंध में जनजातियों को कोई अधिकार नहीं है कि वे अपने लिए नियम बनाएं लेकिन छठी अनुसूची में जिला परिषद तथा क्षेत्रीय सभाओं को कुछ खास विषयों पर नियम बनाने की शक्तियाँ प्रदान की हैं मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ जनजातियों के विनियम बनाने की शक्तियाँ नहीं दी गई हैं वहाँ राज्यपाल के विनियम बनाने की शक्तियां देना आवश्यक है। लेकिन, जहाँ जनजाति परिषदों को नियम बनाने की शक्तियाँ दी गई हैं मुझे यह दिखाई देता है कि राज्पाल को वैसे ही विनियम बनाने की शक्तियां देना अनावश्यक है। यही कारण है कि जहाँ तक छठी अनुसूची का सम्बन्ध है हम राज्यपाल को शक्तियाँ देने का प्रस्ताव नहीं करते। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि यह संशोधन बिल्कुल अनावश्यक है।

यहाँ एक दूसरा प्रश्न है जिसे मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूँगा। छठी अनुसूची के अधीन जिला परिषद को कानून की शक्तियाँ देने का प्रस्ताव करना बिल्कुल भी नई शक्ति नहीं है। सच्चाई यह है कि असम में कुछ ऐसे नियम मौजूद हैं जो

विनियम बनाने की जनजातियों को वही शक्ति देते हैं जो हमारी अनुसूची के द्वारा दी गई हैं। इसलिए अनुसूची कोई नई चीज नहीं है। यह मौजूदा स्थिति को जारी किए हुए है जैसे कि जनजातियाँ कुछ मामलों में नियम बनाने की शक्तियां रखते हैं। इसलिए कारण जो मैंने समझाये हैं उनका संशोधन बिल्कुल अनावश्यक है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ।

माननीय सभापति : मैं सुझाव दे रहा था कि वास्तव में यहाँ विचारधाराओं में जो यहाँ प्रकट की गई हैं इतना अन्तर है जो हमारे उस वाद–विवाद से प्रकट होगा जो हम कर चुके हैं। मैंने डॉ. अम्बेडकर के बयान को जैसा समझा है मैं विश्वास करता हूँ कि यदि दो सुझाव स्वीकार कर लिए जाएँ तो कदाचित बहुत से अन्तर दूर हो जायेंगे। इसलिए मैं यह सुझाव दे रहा था। कि विनियम में पैरा 10 के उपपैरा (2) के खण्ड (घ) सम्मिलित किए जाएँ।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यदि हम इसे प्रारूपण समिति पर छोड़ दें तो यह उसे करेगी।

माननीय सभापति : मैं सुझाव दे रहा था कि "स्वशासी जिला क्षेत्र को घटाने" के पश्चात् संशोधन संख्या 99 में उपपैरा (3) के खण्ड (घ) जोड़ते हैं कि शब्द अथवा 'एक स्वशासी जिले में से कोई क्षेत्र अलग करते हैं।' इसमें सभी बिन्दु आ जायेंगे।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : कि हम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

माननीय सभापति : मैं यह कठिनाई महसूस करता हूँ। मुझ सहित सदन के अधिकांश सदस्य स्थानीय समिति से परिचित नहीं हैं और इसलिए असम के बारे में अपने प्रकार से निश्चित तरीका अपनाने की स्थिति में नहीं हैं। वहाँ से अपने मित्रों द्वारा मार्गदर्शित होते हैं। उनके बीच मैं कुछ के बारे में अन्तर है। हमारी स्थिति बहुत कठिन हो जाती है। इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि यह सबसे अच्छा होगा कि मामले को स्थानीय सरकार के लिए छोड़ दिया जाए। जो सुझाव मैंने दिये हैं स्थानीय सरकार को मामले से निपटने के योग्य बनाएंगे। मैं समझता हूँ कि मैंने जो दो सुझाव दिए हैं डॉ. अम्बेडकर को कोई आपत्ति नहीं होगी।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : नहीं, श्रीमान मैं विनियम में 10(2)(घ) जोड़ने के लिए तैयार हूँ और दूसरे विषय में "अलग करने की शक्ति" भी जोड़ता हूँ।

माननीय सभापति : मैं सोचता हूँ कि असम के दोस्तों को संतुष्ट करेगा।

* * * *

माननीय सभापति : पैरा 19 के अधीन प्रस्ताव भिन्न है।

***माननीय श्री जे. जे. एम. निकोल्स रॉय** : मैं ऐसा कोई कारण नहीं समझता कि पैरा 19 के अधीन आप ऐसा विषय क्यों रखें जो पहले से ही पैरा 10 में आ गया है।

माननीय सभापति : पैरा 10 के उपपैरा (2) के उपखण्ड (घ) में रखने का विचार है, पैरा 10 पूरा रखने का नहीं।

माननीय श्री जे. जे. एम. निकोल्स रॉय : इस परन्तुक में रखने का क्या लाभ है? यह पैरा 10 पहले से ही है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : पैरा 10 के उपपैरा (2)का उपखण्ड केवल व्यापार को सम्मिलित करता है, धन उधार देना नहीं। यही सम्मिलित करना चाहते थे।

माननीय सभापति : अलग करने के प्रश्न के बारे में, यह मूल मसौदे में था।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्री निकोल्स रॉय, ठीक है मैं नहीं समझता कि आप कुछ खोते हैं।

माननीय श्री जे. जे. एम. निकोल्स रॉय : मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप स्वायत्तशासी जिले से कोई क्षेत्र अलग करने की शक्तियों से संबंधित एक संशोधन वास्तविक शब्दों में रखने अथवा न रखने का विचार कर रहे हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : "अलग करना" भी हम दे रहे हैं। "घटाना" का अर्थ है" अलग करना"।

माननीय सभापति : ''घटाना'' का अर्थ है ''अलग करना।''

(पैरा 19 यथा संशोधित और तालिका, भाग *I* और *II* छठी अनुसूची में जोड़े गये)

पैरा 20

****माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर** : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है :

"कि पैरा 19 के पश्चात् निम्नलिखित नया पैरा रखा जाए :

20–अनुसूची का संशोधन–(1) समय–समय पर विधि द्वारा परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन द्वारा इस अनुसूची के किसी भी उपबंधों का संशोधन कर सकेगी और जब अनुसूची को इस प्रकार संशोधित हो जाए तो इस संविधान में इस अनुसूची का निर्देश इस प्रकार संशोधित अनुसूची का निर्देश समझा जाएगा।

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 7 सितम्बर, 1949, पृ. 1075–1076

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 7 सितम्बर, 1949, पृ. 1075–1079

(2) इस पैरा के उपपैरा में वर्णित ऐसी कोई विधि अनुच्छेद 304 के प्रयोजन के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी।

*　　*　　*　　*　　*

*मा**ननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** मैं संशोधन को स्वीकार नहीं करता।

(शिब्बनलाल सक्सेना के पैरा 20 के)

(डॉ. भीमराव अम्बेडकर का संशोधन स्वीकार हुआ, पैरा 20 छठवी अनुसूची *VI* में संशोधित रूप में संविधान में जोड़ी गयी।)

अनुच्छेद 281

****माननीय सभापति :** अब हम अनुच्छेद 281 पर आते हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरा प्रस्ताव है :

"कि अनुच्छेद 281 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए :

'281– इस भाग में, जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हों, "राज्य" शब्द से प्रथम अनुसूची के भाग I अथवा भाग III में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्य अभिप्रेत है।"

(अनुच्छेद 281 संविधान में जोड़ा गया।)

अनुच्छेद 282 से 282 (ग)

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है कि :

"संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 3034 के संदर्भ में (पुस्तक II) अनुच्छेद 282 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखा जाए :

संघ अथवा राज्य में सेवारत व्यक्तियों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें

282. इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समुचित विधानमण्डल के अधिनियम संघ या किसी राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में लोकसेवाओं और पदों के लिए भर्ती का, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेंगे :

परन्तु जब तक इस अनुच्छेद के अधीन समुचित विधानमण्डल के अधिनियम के द्वारा या अधीन इस निमित्त उपबंध नहीं बनाये जाते तब तक यथास्थिति संघ

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 7 सितम्बर, 1949, पृ. 1079

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 7 सितम्बर, 1949, पृ. 108–1082

के कार्यों के सम्बन्ध में सेवाओं और पदों के बारे में राष्ट्रपति तथा राज्यों के कार्यों के सम्बन्ध में सेवाओं और पदों के बारे में राज्य का राज्यपाल या किसी रियासत की कार्यों के संबंध में सेवाओं और पदों के बारे में उस रियासत का शासक ऐसी सेवाओं और पदों पर भर्ती तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन करने वाले नियम बनाने के लिए सक्षम होगा। इस प्रकार निमित्त कोई नियम किसी ऐसे अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे।

संघ या राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि

282क. (1) इस संविधान द्वारा अभिव्यक्त यथा उपबन्धित के सिवाय प्रत्येक व्यक्ति, जो संघ की प्रतिरक्षा सेवा या असैनिक सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है, अथवा संघ के अधीन प्रतिरक्षा से सम्बन्धित कोई पद अथवा कोई असैनिक पद धारण करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तथा प्रत्येक व्यक्ति जो राज्य की सैनिक सेवा का सदस्य है अथवा राज्य अधीन कोई पद धारण करता है यथास्थिति राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है।

(2) इस बात के होते हुए भी, कि संघ या राज्य के अधीन असैनिक पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति यथास्थिति राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है कोई संविदा, जिस के अधीन कोई व्यक्ति, जो प्रतिरक्षा सेवा या अखिल भारतीय सेवा अथवा संघ या राज्य की असैनिक सेवा का सदस्य नहीं है, ऐसे किसी पद को धारण करने के लिए इस संविधान के अधीन नियुक्त होता है, यह उपबन्ध कर सकेगी कि यदि यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल या राजप्रमुख विशेष अर्हताओं वाले किसी व्यक्ति को सेवा में लाना आवश्यक समझता है तो, यदि करार की हुई कालावधि की समाप्ति से पहले उस पद को समाप्त कर दिया जाता है अथवा उस के द्वारा किये गये किसी अवचार से असम्बन्ध कारणों से उस पद को रिक्त करने की अपेक्षा की जाती है तो उसे प्रतिकर देने के लिए उपबंध किया जाएगा।

संघ या राज्य के अधीन असैनिक हैसियत में नियोजित व्यक्तियों की पदच्युति, पद से हटाया जाना या वंक्ति में अवनत किया जाना

282 ख. (1) किसी व्यक्ति को जो संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा का या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है, अथवा संघ या राज्य के अधीन सिविल पद धारण करता है, उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा या पद से नहीं हटाया जाएगा।

(2) यथा पूर्वोक्त किसी व्यक्ति को जब तक पदच्युत नहीं किया जाएगा, अथवा

पद से नहीं हटाया जाएगा, अथवा पंक्ति में अवनत नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसके बारे में प्रस्थापित की जाने वाली कार्यवाही के खिलाफ कारण बताने को युक्तियुक्त अवसर उसे न दे दिया गया हो; परन्तु यह और किसी खंड में लागू नहीं होगाः

(क) जहाँ कोई व्यक्ति ऐसे आचरण के आधार पर पदच्युत किया जाता है या पद से हटाया जाता है या पंक्ति में अवनत किया जाता है जिसके लिए आपराधिक आरोप या उसे दोष सिद्ध किया गया है, या

(ख) जहाँ किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाने या पंक्ति में अवनत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी कारण से, जो उस प्राधिकारी द्वारा लेखवद्ध किया जाउगा, यह युक्ति –युक्त रूप में साक्ष्य नहीं है कि उस व्यक्ति को कारण बताने का अवसर दिया जाए; अथवा

(ग) जहाँ राष्ट्रपति या यथास्थिति राज्यपाल या राजप्रमुख का समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में यह इष्टकर नहीं है कि उस व्यक्ति को ऐसा अवसर दिया जाए।

(3) यदि कोई प्रश्न पैदा होता है कि क्या खण्ड (2) के अधीन किसी व्यक्ति को कारण बताने का अवसर देना युक्तियुक्त रूप में साध्य है या नहीं तो ऐसे व्यक्ति को यथास्थिति पदच्युत करने या पद से हटाने अथवा अवनत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

282ग. (1) इस संविधान के भाग IX में किसी बात के होते हुए भी यदि राज्य परिषद ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की दो तिहाई से अन्युन संख्या द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित कर दिया है कि राष्ट्रपति में ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है से संसद विधि द्वारा संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए उपबन्ध कर सकेगी तथा इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी ऐसी सेवा के लिए भर्ती का, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेगी।

(2) इस संविधान के प्रारंभ पर भारत प्रशासनिक सेवा और भारत पुलिस सेवा नाम से ज्ञात सेवायें इस अनुच्छेद के अधीन संसद द्वारा सृजित सेवायें समझी जाएँगी।

श्रीमन, इस स्तर पर अपने द्वारा पेश किये गये संशोधन पर मैं कुछ भी कहने का प्रस्ताव नहीं करता हूँ क्योंकि यह अनुच्छेद अपने आप में बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ कई संशोधन हैं जिनसे आलोचना के कुछ मुद्दे खड़े हो सकते हैं और मैं

तब सदन को स्पष्टीकरण देने की स्थिति में होऊँगा जो उन संशोधनों का निपटारा करने के लिए आवश्यक हो।

*   *   *   *

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर** : मैं समझता हूँ मेरे मित्र ने मुद्दे पर काफी कह दिया और उन्हें जारी रहने की आवश्यकता नहीं है। हमने उनके मुद्दे को समझ लिया है। हमें आज कम से कम एक अनुच्छेद पूरा कर लेना चाहिए।

डॉ. मनमोहन दास : यदि यह बात है तो मैं बन्द हो जाता हूँ।

*   *   *   *

****माननीय सभापति** : आदरणीय सदस्य (श्री कामथ) अपनी समय–सीमा पार कर गये हैं। क्या डॉ. अम्बेडकर बोलना चाहेंगे?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं करता।

(सभी संशोधन अस्वीकार किए गए।)

*   *   *   *

अनुच्छेद 282–ख

*****श्री आर. के. सिधवा** : हम बैठने व समाप्त करने के लिए तैयार हूँ। हम सात अथवा आठ घंटे बैठ सकते हैं।

माननीय सभापति : यह संभव नहीं है। हम आठ घंटे नहीं बैठ सकते। आखिरकार हम मनुष्य मात्र की भांति कार्य करते हैं। हम मशीन की भांति कार्य नहीं कर सकते। इसलिए मैं नहीं समझता कि यह संभव होगा। डॉ. अम्बेडकर आप क्या कहते हैं, क्या आज दोपहर बाद बैठना संभव है ?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं आशा करता हूँ कि मंत्रिमंडल की बैठक से साढ़े पांच बजे वापिस आ जाऊँगा यदि उसके पश्चात् सदन दो घंटे बैठने के लिए तैयार है, मैं तैयार हूँ लेकिन हमारी एक मसौदा समिति की बैठक साढ़े पांच बजे से आगे होगी क्योंकि जब तक हम तैयार नहीं होते अनुच्छेदों के साथ जिनको

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 7 सितम्बर, 1949, पृ. 1090

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 7 सितम्बर, 1949, पृ. 1090

*** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 7 सितम्बर, 1949, पृ. 1094

पहले ही रोका गया है, तो आगे चलना कठिन होगा। हमें फैसला लेने के लिए दूसरे स्थान पर भी जाना है तब यहाँ वापिस आएंगे। यदि सदन ऐसा चाहता है तो हम प्रारूपण समिति की बैठक किसी अन्य समय बदल सकते हैं।

* * * *

***श्री नजीरुद्दीन अहमद : .....**यहाँ बहुत से अपराध हैं जैसे अचानक हमला करना, गलत रास्ता बनाना, तकनीकी बेइज्जती और समान बतों जिनको संक्षेप में ऐसे अपराध कहा जाता है जिसमें नैतिक अधमता नहीं है ऐसे सभी मामलों में यदि कार्यालय का स्वामी उसे निकालने की कोशिश करता है तो हमारा पूछना यही है कि उसे कारण बताने का अवसर दिया जाना चाहिए।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (बम्बई : सामान्य) : खण्ड (3)को छोड़ने के लिए कोई संशोधन नहीं है। आपका संशोधन केवल उप–खण्ड (ख) को छोड़ने का है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : हाँ, मैंने इस संशोधन की सूचना दे दी है संशोधन संख्या 246 देखिये।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : 282ख के खण्ड (3), जो श्री जसपतराय कपूर का है, छोड़ने का एक संशोधन है।

माननीय सभापति : यहाँ एक संशोधन आदरणीय सदस्य (श्री नजीरुद्दीन अहमद) का भी है।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : वह आगे जा सकता हैं मैं केवल उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता था।

* * * *

****माननीय सभापति :** मैं अब संशोधन को मत के लिए रखूँगा डॉ. अम्बेडकर क्या आप कुछ कहना पसन्द करेंगे?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मैं एक या दो शब्द कहना चाहूँगा।

जिन बहुत सदस्यों ने संशोधन पेश किये हैं उन वक्ताओं की मैंने आलोचना सुनी है। इस परिणाम पर पहुंचा हूँ कि वे दो चीजों में स्पष्ट अन्तर नहीं कर सके हैं जो पूर्णतः सुभिन्न व पृथक हैं। ये मामले नौकरी से निकालने के आधार व सूचना देने के आधार के हैं। यह अनुच्छेद 282 (ख) नौकरी से निकालने के बारे में नहीं है। मामले पर कार्यवाही विधानमंडल द्वारा बनाये गये उपयोगी अनुच्छेद 282 के उपबन्धों के

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 8 सितम्बर, 1949, पृ. 1104

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 8 सितम्बर, 1949, पृ. 1112–1114

अधीन की जाएगी। असैनिक नौकरियों के लिए नियुक्त एक व्यक्ति किन स्थितियों में नौकरियों से निकाला जाये ये सब मामला होगा जो संसद द्वारा पारित विधि द्वारा ठीक किया जाएगा ऐसी स्थिति से निपटने का अनुच्छेद 282 (ख) का उद्देश्य नहीं है।

जैसा मैंने कहा, यह अनुच्छेद 282 केवल नौकरी से निकालने के नोटिस देने की स्थिति के पहले के बारे में है जिससे कि वह व्यक्ति किसके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रस्ताव है कारण बताने का अवसर प्राप्त कर सकें। इस खण्ड का उद्देश्य एक सामान्य प्रतिपादना लिखना है कि प्रत्येक स्थिति में नोटिस दिया जाएगा लेकिन तीन स्थितियों में जिनका जिक्र तीन उपखण्डों (क), (ख), (ग) में नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। यही अनुच्छेद कहता है। मेरे अनुसार यह एक बहुत गलत आलोचना हुई है जो मेरे आदरणीय मित्र श्री कामथ द्वारा की गई है कि यह अनुच्छेद संविधान पर एक बुराई अथवा शर्म का काला धब्बा है।

श्री एच. वी. कामथ : (गड़बड़ी)

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मुझे सोचना चाहिए था कि कदाचित वह उत्तम उपबंध है जो हमारे लिए गैर–सैनिक सेवा की और सुरक्षा है क्योंकि नौकरी से निकालने के अधिकार पर मौलिक पाबन्दी है। यह कहता है कि कोई आदमी उस समय तक नौकरी से नहीं निकाला जाएगा जब तक उसे यह बताने का अवसर न दिया जाए कि उसे नौकरी से क्यों न निकाला जाए। यदि ऐसा उपबन्ध अशिष्टता की बात है तो मैं औचित्य के उनके अर्थ में अपने मित्र श्री कामथ से मत विभेद रखता हूँ।

श्री एच. वी. कामथ : मैं अनुच्छेद के उपबन्धों का हवाला दे रहा हूँ।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं उपबंधों पर आ रहा हूँ। जहाँ तक खण्ड (2) का सम्बन्ध है, मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसमें सामान्य बुद्धि है सहमत होगा कि वह सबसे अच्छा परन्तु है जिसको उन लोगों की रक्षा के लिए खोजा जा सकता था जो राज्य की असैनिक सेवा में लगे हैं। प्रश्न उठाया गया है कि ऐसे व्यक्ति को जो किसी आपराधिक मामले में सजा पा चुका है नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। मुझे दुबारा निवेदन करना है कि यहाँ एक गलती हो गई है कि राज्य द्वारा बनाये गये विनियमों में यह प्रावधान किया जा सकता है कि यद्यपि एक व्यक्ति को अपराधिक मामले में सजा हो चुकी है, यदि वह अपराध में नैतिक अधमता नहीं है तो उसे राज्य की नौकरी से हटाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के कानून बनाने के लिए संसद पूर्णतः सक्षम है। यह प्रत्येक आपराधिक आरोप में नहीं है उदाहरण के लिए – मोटर चलाने के कानून के अधीन अथवा संसद अथवा राज्य द्वारा बनाई गई विधि के अधीन किसी कृत्य को अपराध बनाये तब यह

अवश्य ही नौकरी से हटाने का आधार होगा। संसद यह कहने में स्वतंत्र होगी कि किन स्थितियों में पदच्युत्ति आवश्यक नहीं है। संसद को राजनैतिक अपराधों को अलग करने की पूर्ण स्वतंत्र होगी, यह खण्ड स्पष्ट शब्दों में नोटिस देने के बारे में है। राजनैतिक प्रकार के अपराधों के और ऐसे अपराधों का जिनमें नैतिक अधमता नहीं है दण्ड से छूट दे सकती है। संसद की यह स्वतंत्रता उपखण्ड (क) से न तो प्रभावित है और न ही सीमित है।

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उपखण्ड (ख) के बारे में, यह भारत शासन अधिनियम के अनुच्छेद 240 से मूर्त रूप में लिया गया है। मैं समझता हूँ इस पर सहमत होंगे कि भारत शासन अधिनियम के अनुच्छेद 240 को लागू करना नौकरियों को संरक्षण देना था तो भी यहाँ तक कि अंगरेज जो असैनिक नौकरियों को संरक्षण देने में रूचित लेते थे, उपखण्ड (ख) की तरह का परन्तुक लागू करना आवश्यक समझते थे। इसलिए हमने कोई नई बात लागू नहीं की है, जो पहले नहीं आई है। उपखण्ड (ग) के बारे में यह महसूस किया गया है कि कुछ स्थितियां हो जहाँ मात्र आरोप के प्रकटन मात्र से राज्य की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है इसलिए यह व्यवस्था की गई है कि उपखण्ड (ग) के अधीन राष्ट्रपति को कह सकता है कि कुछ स्थियों में नोटिस की तालीम नहीं की जायगी। मैं समझता हूँ कि वह एक बहुत इज्जत देने वाला उपबन्ध है। और प्रकट आलोचना में राष्ट्रपति के लिए उपखण्ड (ख) के उपबंधों को खारिज करने के द्वार खोलता हैं, मैं यह सोचने लगा हूँ कि राज्य के अधिक हित में इसे रखना चाहिए।

अब खण्ड तीन पर आता हूँ इसे इरादे से समाविष्ट किया गया है मान लीजिए खण्ड (3) न हो तो स्थिति क्या होगी? स्थिति यह होगी कि कोई व्यक्ति जिसे उपखण्ड (क) (ख) अथवा (ग) के अधीन नोटिस नहीं दिया गया है अदालत जाने का और यह कहने का हकदार होगा कि उसे कारण बताने का अवसर दिए बिना नौकरी से पष्थक किया गया है, अब, समाधान शब्द के विषय में न्यायालयों के भिन्न भिन्न विचार है; यह अधिकारियों की व्यक्तिपरक मनःस्थिति है, अथवा वस्तुपरक दशा है अर्थात् हालात पर आधारित हैं? इस प्रकार के मामले में यह महसूस किया गया है, कि अदालत के अधिकार क्षेत्र को बाहर रखने और अधिकारी के फैसले को अन्तिम बनान बेहतर है इसी कारण यह खण्ड (3) समाविष्ट किया गया है कि कोई न्यायालय प्रश्न नहीं कर सकेगा यदि अधिकारी महसूस करता है, कि पर्याप्त नोटिस देना व्यवहारिक नहीं है अथवा राष्ट्रपति सोचता है कि कुछ हालात में नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है।

अब, दूसरी आशंका है जिसे मुझे स्पष्ट करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि असैनिक सेवाओं के बारे के उपबन्धों के अधीन जिसे मैंने समाविष्ट किया है, सरकार के पास गैर–सैनिक अधिकारियों को नौकरियों से निकालने का एक विविध अधिकार

है और यह शक्ति खण्ड (2) के उपखण्ड (क), (ख), (ग) द्वारा बढ़ा दी गई है।

मैं निवेदन करता हूँ कि वह दुबारा विना रुकावट का है क्योंकि लोक सेवा आयोग से सम्बन्धित उपबन्धों के अधीन जिनको हमने पहले ही पारित किया है, एक उपबन्ध है कि प्रत्येक व्यथित गैर–सैनिक अधिकारी जिसकी सेवाओं के बारे में अधिकारी द्वारा कार्यवाही की गई है लोक सेवा आयोग में अपील कर सकता है। इसलिए ऐसे मामलों में भी, जहाँ सरकार ने अधिकारी को कारण बताने का अवसर नहीं दिया है यद्यपि ऐसे अधिकारी को लोक सेवा आयोग में जाने का और अपील करने का अधिकार होता है कि उसकी सेवा के सम्बन्ध में बनाये गये उपबन्धों के विरूद्ध गलत तरीके से नौकरी से अलग कर दिया गया है इसलिए मैं सोचता हूँ कि यह उपधारणा जिसे आदरणीय सदस्य द्वारा बयान किया गया है, अनुच्छेद के उपबंधों के बारे में पूरी तरह आधार रहित हैं। इस कानून के उपबन्धों के अनुच्छेद 282 के उपबन्ध के तथा लोक सेवा आयोग के उपबंधों के गलत समझने के कारण है।

(कुल मिलाकर 15 संशोधन अस्वीकार किए गए, डॉ. अम्बेडकर का मूल संशोधन तथा अनुच्छेद 282 ख स्वीकार किए गये और संविधान में जोड़े गये।)

अनुच्छेद 282–(ग)

*__माननीय सभापति__ : इस अनुच्छेद का कोई अन्य संशोधन नहीं है। डॉ. देशमुख, आप बोलना चाहते थे।

डॉ. पी. एस. देशमुख : शब्दों के छोड़ने के बारे में मेरे मित्र श्री बृजेश्वर प्रसाद द्वारा पेश किए गये संशोधन का मैं समर्थन करता हूँ।

"यदि विधान परिषद ने दो तिहाई अन्यून उपस्थिति व मत देने वाले सदस्यों से समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया है ऐसा करना राष्ट्रहित में आवश्यक अथवा समुचित है।"

मैं इसी प्रकार का संशोधन संख्या 250 पेश करना चाहता हूँ लेकिन उसे मैं अब पेश नहीं करना चाहता क्योंकि एक मिलता–जुलता संशोधन पेश हो चुका है। मैं इस उपबंध को समझ नहीं पा रहा हूँ। केन्द्रीय संसद में लोकसभा को छोड़कर किसी अन्य सदन के लिए किसी महत्वपूर्ण मामले में पहल नहीं छोड़ी गयी है। किन्तु यहाँ प्रथम बार मेरी जानकारी और सूचना के अनुसार हम विधान परिषद को पहल दे रहे है; श्रीमान, केन्द्रीय सेवायें या तो वाँछनीय हैं अथवा वाँछनीय नहीं हैं यदि वे

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 8 सितम्बर, 1949, पृ. 1118

वाँछनीय है तो इसके प्रारंभ करने के मार्ग में उत्पन्न अनेक अड़चनों से बाधित नहीं होनी चाहिए। यदि वे वांछनीय नहीं है तो ऐसा कोई उपबन्ध नहीं होना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि अखिल भारतीय नौकरियों की ही अधिक से अधिक प्रवृत्ति होगी, इसलिए मेरे विचार में, इनका आरंभ करना कठिन नहीं होगा। विधान परिषद के उपस्थित व मतदान करने वाले दो तिहाई के वे अन्यून सदस्यों के प्रस्ताव का समर्थन क्यों हो? मैं समझता हूँ कि ये शब्द एकदम अनावश्यक हैं जब तक कि उनका आशय विधान परिषद के व्यर्थ सदन को गरिमा अथवा किसी कार्य से सज्जित करना न हो मैं समझता हूँ कि विधान परिषद को एक महत्वपूर्ण विषय की पहल देने के विषय पर मस्तिष्क की जड़ में यही बेचैनी प्रतीत होती है। इन शब्दों का मुझे कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देता इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि उनको निकाल दिया जाए।

माननीय सभापति : डॉ. अम्बेडकर क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : केवल एक शब्द। मैं सोचता हूँ श्री बृजेश्वर प्रसाद और मेरे मित्र देशमुख ने संशोधन पेश करने में और दूसरा द्वारों इसका समर्थन करने में, मालूम होता है कि अनुच्छेद 282 के उपबंधों को ध्यान से नहीं पढ़ा है। अनुच्छेद 282 के उपबंधों में लिखा है कि सेवाओं में भर्ती करने का अधिकार जो केन्द्र के अधीन है केन्द्र को होगा और जो व्यक्ति राज्य सेवा में होंगे उनके लिए भर्ती करने और व्यक्तियों के लिए सेवा शर्तें बनाने के लिए राज्य स्वतंत्र होंगे। इसलिए हमने अनुच्छेद 282 के द्वारा पूर्णतः अधिकार क्षेत्र की व्यवस्था की है। किसी हद तक 282 (ग) अनुच्छेद 282 द्वारा राज्य को दी गई स्वायत्तता पर हमला है, ऐसा करने के लिए केन्द्र को कोई अधिकार मिलना चाहिए और ऐसा करने के लिए केवल केन्द्र को अधिकार देने की व्यवस्था मानो अनुच्छेद 282 उच्च सदन के दो तिहाई सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त करता है। अनुच्छेद 282 में केवल उच्च सदन का जिक्र किया गया है उच्च सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए उसके प्रस्ताव अनुच्छेद 282 में रखे गये हैं।

(डॉ. अम्बेडकर का प्रस्ताव स्वीकार हुआ। श्री बृजेश्वर प्रसाद का प्रस्ताव अस्वीकार हुआ। अनुच्छेद 282 ख संविधान में जोड़ा गया।)

*****

अनुच्छेद 283

*__माननीय सभापति :__ डॉ. अम्बेडकर हम अनुच्छे 283 पर आते हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमान, मेरा प्रस्ताव है "कि संशोधन की सूची

---

*. सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 8 सितम्बर, 1949, पृ. 1119

के संशोधन संख्या 3037 (पुस्तक II) निम्नलिखित को स्थानापन्न किया जाए :

"कि अनुच्छेद 283 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखा जाए –

संक्रमणकालीन उपबन्ध 283. जब तक इस संविधान के अधीन इस निमित्त अन्य उपबन्ध नहीं किया जाता तब तक इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त सब विधियां, जो किसी ऐसी लोक–सेवा या किसी ऐसे पद को, जो इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात् अखिल भरतीय सेवा के अथवा संघ या राज्य के अधीन सेवा या पद के रूप में बने रहते है, लागू हों, वहाँ तक प्रवृत्त बनी रहेगी जहाँ तक कि वे इस संविधान के उपबंधों से संगत हो। यह विशुद्ध रूप से संक्रमणकालीन है।

(प्रस्ताव स्वीकार हुआ, अनुच्छेद 283 संविधान में जोड़ा गया।)

* * * *

अनुच्छेद 302

माननीय सभापति : डॉ. अम्बेडकर, अब हम अनुच्छेद 302 लेते हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरा प्रस्ताव है "कि अनुच्छेद 302 के खण्ड (1) के दूसरे परन्तुक में 'भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के विरुद्ध लाई गई ऐसी कार्यवाही जैसी इस संविधान के भाग X के अध्याय III में उल्लिखित है शब्द और अंकों के स्थान पर "भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के विरुद्ध उचित कार्यवाही लाये" शब्द रखे जाएँ"।

"कि अनुच्छेद 302 के खण्ड (2) में 'राज्यपाल' शब्द के पश्चात् 'शब्द' रखा जाय"

" कि अनुच्छेद 302 के खण्ड (3) के 'राज्यपाल' शब्द के पश्चात् 'या' रखें"

"कि अनुच्छेद 302 के खण्ड (4) में,

(क) 'राज्यपाल' शब्द प्रथम स्थान पर जहाँ यह आता है 'या' शब्द रखे जाएँ।

(ख) 'राज्यपाल' शब्द दूसरे स्थान में जहाँ यह आता है, 'राज्यपाल या शब्द' रखे जाएँ, और

(ग) 'राज्यपाल' शब्द के पश्चात् तीसरे स्थान पर जहाँ यह आते हैं 'या' शब्द रखे जाएँ।

एक माननीय सदस्य : श्रीमान 13 के बारे में क्या है?

माननीय सभापति : यह आदेश पत्र में नहीं है। इसे रोक लिया है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : संशोधन संख्या 14, 16, 17 और 18 शुद्ध

मसौदा संशोधन हैं। कदाचित केवल संशोधन जो स्पष्टीकरण चाहता है संख्या 15 है। इस संशोधन में लाने के कारण है कि अध्याय III वास्तविक अर्थ अनुच्छेद 274 का संदर्भ है। अनुच्छेद 274 सरकार के विरुद्ध बाद के अधिकार के बारे में और अनुच्छेद दो भागों में विभाजित है। एक भाग वाद के अधिकार के बारे में है जैसा कि संविधान के लागू होने की तारीख को विद्यमान है, दूसरा भाग सरकार के विरुद्ध वाद के अधिकार के बारे में दुबारा उपबंध करने की संसद की शक्तियों के बारे में है। यदि ये शब्द वहाँ रहते तो इसका अर्थ केवल यह होगा कि सरकार के विरूद्ध वाद का अधिकार 274 के अनुसार होगा जैसा कि अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को होगा। "समुचित कार्यवाहियाँ शब्दों के स्थापना का आशय वाद के अधिकार को समाविष्ट करना ही नहीं है बल्कि अनुवर्ती कार्यवाही को भी जो संसद कानून के द्वारा उस समय की सरकार के विरुद्ध व्यवस्था करती है। इस संशोधन का यही कारण है। मैं सदन में भी यह जिक्र करना चाहूँगा कि मैं देखता हूँ कि यदि यह संशोधन लाया जाता है तो मैं अनुच्छेद 202 में पारिणामिक संशोधन भी लाऊँगा जहाँ एक प्रकार का लोप है।

* * * *

***माननीय सभापति** : डॉ. अम्बेडकर, यहाँ श्री कामथ द्वारा पेश किया गया संशोधन है कि अनुच्छेद 302 के खण्ड (1) में 'कर्त्तव्यों' शब्द के स्थान पर 'कृत्य' शब्द रखा जाए।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : 'कृत्य' शब्द एक बड़ा शब्द है और इसमें शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य सम्मिलित हैं हमने कहा है शक्तियाँ और कर्त्तव्य जिनमें सभी कृत्य आ जाते हैं जो हम रख सकते हैं। इस प्रकार का संशोधन लाना अनावश्यक है।

माननीय सभापति : प्रश्न है–

"कि अनुच्छेद 302 के खण्ड (1) में 'कर्त्तव्य' शब्द के स्थान पर 'कृत्य' शब्द रखा जाए।

(संशोधन अस्वीकार किया गया।)

माननीय सभापति : यही केवल संशोधन है जिसे पेश किया गया है। डॉ. अम्बेडकर द्वारा पेश किये गये संशोधन को मैं अब रखता हूँ।

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 8 सितम्बर, 1949, पृ. 1122

श्री टी. टी. कृष्णमाचारी : सम्पूर्ण समूह एक साथ रखा जा सकता है।

माननीय सभापति : यदि सदस्य चाहते हैं कि मैं उन्हें अलग से रखूंगा बहुत अच्छा, मैं उन्हें एक साथ रखूँगा।

* * * *

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है "कि अनुच्छेद 243 के ऊपर शीर्षक और अनुच्छेद 243, 244 और 245 छोड़ दिये जायें"।

उन्हें रखा जाना चाहिए, जिससे कि दूसरो को अलग से लिया जा सके। यह एक पृथक बात है।

(प्रस्ताव स्वीकार हुआ।)

"अनुच्छेद 243 के ऊपर शीर्षक और अनुच्छेद 243, 244 और 245 निकाले गए।

भाग X-क

[*]**माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** श्रीमान, मेरा प्रस्ताव है "कि भाग IX के पश्चात् निम्नलिखित नया भाग रखा जाए, जैसेः–

"भाग X-क

भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम।

भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और परस्पर व्यवहार की स्वतंत्रता

274क. इस भाग के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र व्यापार वाणिज्य और परस्पर व्यवहार अवाध होगा।

व्यापार वाणिज्य और परस्पर व्यवहार पर निर्बन्धन लगाने की संसद शक्ति

274ख. इस संविधान द्वारा दी गई शक्तियों द्वारा संसद विधि द्वारा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग के भीतर व्यापार वाणिज्य या परस्पर व्यवहार की स्वतंत्रता पर ऐसे निर्बन्धन अधिरोपित कर सकेगी जैसे कि लोकहित में अपेक्षित हो।

274ग. (1) इस संविधान के अनुच्छेद 274ख में किसी बात के होते हुए भी सातवीं अनुसूची की सूचियों में ले किसी में व्यायार और वाणिज्य संबंधी किसी प्रविष्टि

---

[*]. सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 8 सितम्बर, 1949, पृ. 1124

व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बन्धन।

के आधार पर संसद को या किसी राज्य के विधानमण्डल को, कोई ऐसी विधि बनाने की शक्ति नहीं होगी जो एक राज्य को दूसरे राज्य से अधिमान देती है या दिया जाना प्राधिकृत करती है अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में कोई विभेद करती है या किया जाना प्राधिकृत करती है।

(2) इस अनुच्छेद के खण्ड (1) में कोई बात संसद को ऐसी कोई विधि बनाने से न रोकेगी जो कोई ऐसा अधिमान देती है या कि दिया जाना प्राधिकृत करती है अथवा कोई ऐसा विभेद करती है या किया जाना प्राधिकृत करती है, यदि ऐसी विधि द्वारा घोषित किया गया कि भारतराज्य क्षेत्र के किसी भाग में वस्तुओं की दुर्लभता से उत्पन्न किसी स्थिति से निपटने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है।

राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और परस्पर व्यवहार पर निर्बन्धन

274घ. इस विधान के अनुच्छेद 274 अथवा 274 ग के में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का विधानमण्डल विधि द्वारा–

(क) अन्य राज्यों से आयात किए गए माल पर कोई ऐसा कर अधिरोपित कर सकेगा जो उस राज्य में विनिर्मित या उत्पादित वैसे ही माल पर लगता है किन्तु इस प्रकार कि उससे इस प्रकार आयात की गई वस्तुओं तथा ऐसी विनिर्मित या उत्पादित वस्तुओं के बीच कोई विभेद न हो, और

(ख) उस राज्य के साथ या भीतर व्यापार, वाणिज्य और परस्पर व्यवहार की स्वतंत्रता पर ऐसे युक्तियुक्त निर्बन्धन आरोपित कर सकेगा जैसे कि लोक हित में अपेक्षित हों :

परन्तु खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिए कोई विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना राज्य के विधानमण्डल में पुरःस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जायेगा और राज्यपाल अथवा राजप्रमुख के द्वारा कोई अध्यादेश प्रख्यापित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 274–क से 274–घ तक के उपबंधों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के प्राधिकारी की नियुक्ति।

274घ. संसद विधि द्वारा ऐसे प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकेगी जिसे इस संविधान के अनुच्छेद 274 क, 274 ख, 274 ग, 274 घ के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे और इस प्रकार नियुक्त प्राधिकारी को ऐसी शक्तियाँ प्रदान कर सकेगी और कर्त्तव्य सौंप सकेगी जो वह आवश्यक समझे।"

श्रीमन, इस स्तर पर मैं सदन को सूचित करना आवश्यक समझता हूँ कि मूलतः व्यापार व वाणिज्य की स्वतंत्रता के बारे में कार्य करने वाले अनुच्छेद प्रारूपण समिति के विभिन्न भागों में फैले थे। एक अनुच्छेद को मूल अधिकारों की सूची में स्थान मिला था जैसे अनुच्छेद 16 जिसमें कहा गया था कि व्यापार और वाणिज्य संसद की किसी विधि के अधीन कहते हुए भारत के राज्य सर्वत्र स्वतंत्र होगे। दूसरे अनुच्छेद जैसे 243, 244 और 245 प्रारूपण संविधान के किसी अन्य भाग में सम्मिलित थे। बहस के बीच यह पाया गया कि सदन के बड़ी संख्या में सदस्य अनुच्छेद 243, 244 और 245 समावेश को समझने की स्थिति में नहीं थे क्योंकि इन अनुच्छेदों को अनुच्छेद 16 से अलग कर दिया गया था। इसलिए सदन को व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का पूर्ण विवरण देने के लिए प्रारूपण समिति ने महसूस किया कि प्रारूप संविधान में विभिन्न भागों में विखरे सभी अनुच्छेदों को एक भाग में रखना और क्रमवार सम्मिलित करना बहुत अच्छा होगा, ताकि एक दृष्टि से यह जानना संभव हो कि भारत में सर्व स्वतंत्र व्यापार व वाणिज्य के क्या उपबंध हैं। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि इस भाग के उपबंधों के अनुसार व्यापार और वाणिज्य को बिल्कुल स्वतंत्र बनाने का उद्देश्य नहीं है, अर्थात् संसद तथा राज्य दोनों को मौलिक उपबंधों से दूर करना है कि व्यापार व वाणिज्य सम्पूर्ण भारत में स्वतंत्र होंगे। कुछ सीमाओं के अधीन रहते हुए व्यापार और वाणिज्य को स्वतंत्र बनाया गया है, जो संसद अथवा विभिन्न राज्यों के द्वारा लादी जायेगी, इस तथ्य के अधीन है कि संसद की शक्तियों में सीमायें स्वतंत्र व्यापार व वाणिज्य भारत क्षेत्र में माल की कमी से उत्पन्न होगी और राज्यों के मामले में लोकहित से उचित होनी चाहिए। व्यापार और वाणिज्य पर हमला करने की राज्य की कार्यवाही लोकहित में इस बसत के अधीन होगी कि कोई विधि जो व्यापार व वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगी, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करेगी, अन्यथा राज्य इस प्रकार की विधि बनाने की स्थिति में नहीं होगा। अनुच्छेद 274 घ एक मात्र ऐसा अनुच्छेद है जो संसद को अंतर्राज्यीय आयोग बनाने के योग्य बनाता है जैसा कि संयुक्त राज्यों में होता है। इस प्रकार के अधिकारी के खासतौर पर बताये बिना यह वांछनीय समझा गया कि इसे अनिश्चितता की स्थिति में छोड़ा जाये जिससे संसद स्वतंत्र रूप से किसी प्रकार का प्राधिकरण स्थापित कर सके जैसा वह उचित समझे।

यदि बहस के दौरान कोई बिन्दु उठाए जाते हैं, तो आवश्यक स्पष्टीकरण देने में मुझे प्रसन्नता होगी।

* * * *

अनुच्छेद 274क

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : सभापति जी, मैं नहीं समझता कि मेरे आदणीय मित्र श्री टी. टी. कृष्णामचारी और भी अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने जो पूछा है उसमें कुछ जोड़ना लाभदायक हो सकता है।

(सभी 3 संशोधन अस्वीकार किए गए अनुच्छेद 274क संविधान में जोड़ा गया।)

* * * *

अनुच्छेद 264

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (बम्बई : सामान्य) :** श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है :

"कि अनुच्छेद 264 के स्थापन पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखा जाए :

'264 (1) राज्य द्वारा अथवा राज्य में किसी प्राधिकरण द्वारा लगाए जाने वाली सभी करों से संघ की संपत्ति मुक्त होगी।

(2) इस अनुच्छेद के खंड (1) में कोई बात जब तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, राज्य में किसी स्थानीय प्राधिकरण को संघ की संपत्ति पर कर अधिरोपित करने से नहीं रोकेगी जो उस राज्य में इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पूर्व देय था। अथवा देय माना जाता था जब तक बढ़कर उस राज्य में उद्ग्रहीत होता रहेगा।'"

यदि कोई बहस होती है, तो मैं संशोधन पेश होने के पश्चात बोलूँगा।

* * * *

****पंडित लक्ष्मीकांत मैत्रा :** ....1941 के अधिनियम के अनुसार, यदि इस आशय की सरकार द्वारा अधिसूचना है तो नवीकरण कर स्थानीय कर का संग्रहण किया जा सकता है। लेकिन कर रूपांतरित रूप में होंगे उसकी कसौटी होगी की गई सेवा।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : आपने पांच मिनट से अधिक ले लिए हैं।

***श्री चिमनलाल चाकूभाई शाह :** .... इसलिए मैं डॉ. अम्बेडकर से निवेदन

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 8 सितम्बर, 1949, पृ. 1153

** सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 8 सितम्बर, 1949, पृ. 1153

करूँगा कि दो मुद्दों पर विचार करें जैसे (1) क्या अनुच्छेद 266 में यह आवश्यक नहीं है.....

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : फिलहाल, हम अनुच्छेद 264 पर विचार कर रहे हैं। जब हम अनुच्छेद 266 पर आएंगे तो तब उस पर विचार होगा।

*   *   *   *

****माननीय सभापति :** विचारधारा सदन के सम्मुख प्रस्तुत की जा चुकी है। डॉ. अम्बेडकर, क्या आप बहस का उत्तर देंगे।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मैं पहले प्रस्तावित अनुच्छेद 264 के खंड (2) के उपबंधों का उल्लेख करूँगा। मैं समझता हूँ इस बारे में सहमति होगी कि इस खंड (2) का उद्देश्य यथापूर्व स्थिति बनाए रखना है। परिणामस्वरूप खंड (2) के उपबंधों के अधीन जो नगरपालिकाएं संविधान के ठीक लागू होने से पूर्व संघ की संपत्ति पर कर लगा रही थी अथवा जो कर लगाने योग्य थे अथवा योग्य समझी जाती थी, उन करों को लगाना जारी रखेगी। जो सब कुछ खंड (2) करता है वह यह है कि संसद को कर की प्रकृति जांचने का अधिकार है जो इस समय लगाए जा रहे हैं। इससे कुछ भी अधिक खंड (2) में नहीं है सिवाय व्यावृत्ति खंड के कि 'जब तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे।' जब कि संसद अन्यथा स्थानीय प्राधिकरण की उपस्थिति की व्यवस्था नहीं करती, चाहे वह नगरपालिका हो अथवा स्थानीय बोर्ड केंद्र की संपत्ति पर कर लगाना जारी रखेंगे। इसलिए जहाँ तक यथा पूर्व स्थिति का संबंध है, अनुच्छेद 264 के उपबंधों से कोई झगड़ा नहीं हो सकता।

केवल प्रश्न जो उठ सकता है वह यह है कि क्या खंड (2) द्वारा दिए गए अधिकार पूर्ण हों अथवा उसमें अंतर्विष्ट परंतुक के अधीन हो जब कि संसद अन्यथा उपबंध न करे। एक दूसरे स्थान पर जहाँ इस विषय पर बहस हुई थी, सदन के विचारार्थ मैंने कुछ तर्क निवेदित किए थे।

पंडित हृदयनाथ कुंजरू (संयुक्त प्रांत : सामान्य) : जिस अन्य स्थान का मेरे मित्र जिक्र कर रहे हैं कौन–सा है? क्या सभा का कोई अन्य सदन है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह जिक्र करने योग्य नहीं है। क्योंकि जो तर्क मैंने प्रस्तुत किए वहाँ गलत ढंग से प्रस्तुत किए गए। मैं समझता हूँ कि वे

---

* वही पृ. 1155

**वही पृ. 1157–1160

सदन को प्रभावित करने में सफल नहीं हुए और इसलिए मैं अपने तर्कों को दुहराना पसंद करूंगा क्योंकि वे मेरे अपने हैं, और मैं सदन के समक्ष इस प्रकार दुहराऊँगा कि सदन उनको समझ सके।

तब मैंने कहा था कि बिना किसी प्रकार की सीमा या शर्त के संघ की संपत्ति पर स्थानीय संस्थाओं को कर लगाने की पूर्ण शक्तियाँ देना कठिन है और तर्क द्वि मुखी थे। सबसे पहले, मैंने कहा था और अब कहता हूँ कि सैद्धांतिक तौर पर किसी व्यक्ति की किसी संपत्ति को जिसका प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है अथवा जिसके हितों का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है सोचना असंभव है उस को उस संगठन को किसी कर का उद्ग्रहण करने और सीमारहित अधिकार ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति देना असंभव है। यह सिद्धांत प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के विरुद्ध है और मैंने कहा था कि जहाँ तक स्थानीय प्राधिकरणों का संबंध है , चाहे वे नगरपालिका हो अथवा स्थानीय अथवा जिला बोर्ड, इन संस्थाओं में व्यावहारिक तौर पर केंद्र का कोई प्रतिनिधि नहीं होता। अन्य स्थानों पर भी मैंने यही बात कही थी। दूसरे मैंने कहा था कि स्थानीय निवास का कर लगाने का प्राधिकरण स्थानीय कानून बनाने वाली संस्था को राज्य के विधानमंडल की विधि से निकला है। केंद्र के लिए यह जानना बिल्कुल असंभव है कि कर लगाने का विशेष स्रोत जो संविधान द्वारा राज्य विधानमंडल को दिया गया है राज्य विधानमंडल द्वारा स्थानीय प्राधिकरण को अंतरित कर दिया जाएगा। आखिकार स्थानीय प्राधिकरण की कर लगाने की शक्ति राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए कानून से निकलती है। वर्तमान में यह जानना बिल्कुल असंभव है कि केंद्र सरकार की जायदाद पर विशेष कर लगाने के लिए राज्य मंत्रिमंडल द्वारा स्थानीय संस्था को प्राधिकृत किया जा सकता है। परिणामस्वरूप, यह न जानना कि कर की प्रकृति क्या होगी कर कहाँ तक लगेगा केंद्र सरकार कर की प्रकृति जाने बिना कर की मात्रा की प्रकृति जाने बिना अपने आप कर स्थानीय निकाय के प्राधिकार के सामने अभ्यर्पण करने की प्रत्याशा करना असंभव है। यही कारण है कि खंड (2) में यह आरक्षण करने का प्रस्ताव है कि स्थानीय प्राधिकरण की कर लगाने की शक्ति का परीक्षण करने का अधिकार संसद को होना चाहिए, कर की सीमा जो लगाने के लिए यह प्रस्ताव करती है संसद कर लगाने के लिए उसकी संपत्ति पर स्थानीय प्राधिकरण या कर लगाए जाने के लिए मैंने सुनने से पूर्व जांच पड़ताल करने का अवसर मिलना चाहिए नहीं जैसा मैंने कहा था कि संसद की ओर से लेश मात्र भी इरादा नहीं है अथवा उनकी ओर से जिन्होंने इस अनुच्छेद का प्रस्ताव किया है कि संसद जब अपने प्राधिकार का प्रयोग करती है जो उसे खंड (2) द्वारा प्रदत्त है तो स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लागए गए करों से अपने आप को पूर्णतः मुक्त रखने के लिए वह मुक्त रखेगी। केवल कारण जिससे यह परंतुक लागू किया गया है वह कर

लगाने के निवेदन करने के बुलाने के पहले कर लगाने के प्रस्ताव के परीक्षणों का एक अवसर संसद को देने की आज्ञा देना है। मैं नहीं समझता कि यहाँ कोई गंदगी है। जहाँ तक खंड (2) का संबंध है, दूसरे, खंड (2) वित्तीय संसाधनों के द्वारा किसी वस्तु को अब नहीं लेता जो अब स्थानीय प्राधिकरणों के पास है।

तो भी यहाँ एक मुद्दा है जिसे मैंने अब खोला है जो खंड (1) में कमी जैसा है जिसे मैं ठीक करने के लिए तैयार हूँ। खंड (2) उन नगरपालिकाओं अथवा स्थानीय प्राधिकरणों के बारे में है जो कर नहीं लगाती है। यह अधिकार उन नगरपालिकाओं को नहीं दिया जाना चाहिए अथवा उन स्थानीय प्राधिकारणों को नहीं दिया जाना चाहिए जो उस अधिकार का प्रयोग कर रही हैं, लेकिन संसद को भी उन नगरपालिकाओं और स्थानीय बोर्डों को कर लगाने का विशेष अधिकार केंद्र की संपत्ति का देना चाहिए जिन्होंने उस शक्ति का प्रयोग अब तक नहीं किया है अथवा ऐसा करने में असफल रहे हैं। इसलिए इन शब्दों को मैं खंड (1) में समाविष्ट करने के लिए तैयार हूँ। 'संघ की संपत्ति होगी' शब्दों के पश्चात् 'सिवाय वहाँ तक जहाँ तक संसद विधि द्वारा अन्यथा व्यवस्था उपबंध करे' शब्द जोड़े जाएँ।

अभिप्राय यह है कि यह संसद को शक्ति प्रदान करने की अथवा दूसरी नगरपालिकाओं तथा दूसरे स्थानीय बोर्ड द्वारा लगाए गए करों को मान्यता देने की अनुज्ञा जिनको अब तक मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। मैं सोचता हूँ कि यह कमी है जिसको सही करने के लिए मैं तैयार हूँ जिससे उन स्थानीय प्राधिकरणों में भेदभाव न हो जो कर लगा रही हैं और जो कर नहीं लगा रही हैं। संसद इसके लिए स्वतंत्र होगी कि यहाँ तक कि संविधान पारित हो जाने के पश्चात् भी वह उन स्थानीय प्राधिकरणों और नगरपालिकाओं को कर लगाने की अनुज्ञा देने के लिए कानून बनाए जो अब तक कर नहीं लगा रही हैं। मैं इसके बाहर जाने के लिए तैयार नहीं हूँ।

श्री श्यामनंदन सहाय (बिहार : सामान्य) : भारत शासन अधिनियम, 1935 के अधीन भी नगरपालिकाओं को केंद्र सरकार की इमारतों पर कर लगाने की अनुज्ञा नहीं थी।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह वही है जो मैंने कहा था। मैं वाद–विवाद को विस्तृत कर सकता था लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता क्योंकि मैंने स्वीकार किया है कि यथापूर्व स्थिति कायम रखी जानी चाहिए। शुद्ध संवैधानिक विचार से खंड (2) के मेरे पास बहुत बड़ा एतराज है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, लेकिन हम बेदाग नहीं हैं, हमने इस पर बहुत लिखा है और इसलिए मैं नहीं चाहता कि जो लिखा है उसे नष्ट कर दूं। यही वह कारण है जिससे खंड (2) हैं और खंड (1) को थोड़ा उपांतरित कर संसद को अनुज्ञा दें कि वह उन नगरपालिकाओं को जो

कंद्रीय संपत्ति पर कर नहीं लगाती उन पर कर लगाने में समर्थ बनाएँ।

बाबू रामनारायण सिंह : डॉ अम्बेडकर ने कहा कि संसद बाद में स्थानीय निकायों की मांग पर विचार करेगी। मैं जानना चाहाता हूँ कि इस संविधान को तुरंत पारित करने का प्रभाव क्या होगा? उदाहरण के लिए, मेरे प्रदेश बिहार में कुछ जिला बोर्ड, खासतौर से हजारीबाग का जिला बोर्ड राजकीय कोयला खानों से पथ कर का बहुत बड़ा धन लेता है। क्या मैं जान सकता हूँ कि जैसे ही संविधान पारित होगा, यह भुगतान बंद हो जाएगा अथवा यह भुगतान उस समय तक होता रहेगा जब तक इस पर संसद का फैसला नहीं होता।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, व्यक्तिगत कर जो लगाए जा रहे हैं मैं उन पर कोई राय व्यक्त नहीं कर सकता किंतु सामान्य प्रतिपादन स्पष्ट है कि यदि कोई नगरपालिका अथवा स्थानीय बोर्ड कर लगा रहा है तो केंद्र सरकार की संपत्ति पर वह कर लगाता रहेगा और ऐसी ही दूसरी संपत्ति कर लगाने योग्य मानी जाएगी। उन नगरपालिकाओं की स्थिति में कोई अंतर नहीं होगा जो उन करों को लगा रही हैं।

श्री बी. के. सिधवा : वर्तमान में भारतीय रेलवेज टैक्सेशन एक्ट के अधीन एक अधिसूचना स्थानीय संस्थाओं की घटनाओं पर कर भुगतान के बारे में जारी होने वाली है। क्या मैं जान सकता हूँ क्या डॉ. अम्बेडकर विचार करने के लिए तैयार हैं कि वह भाग संशोधित होना चाहिए? वास्तव में यह यहाँ संशोधित नहीं हो सकता परंतु क्या रेलवे सदस्य से कोई आश्वासन है कि यह संसद में संशोधित होने जा रहा है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मैं चाहता हूँ मेरे मित्र श्री सिधवा रेलवे टैक्सेशन एक्ट से उचित पाठ ग्रहण कर चुके हैं। संसद ने स्वतः (अपने आप) एक अधिनियम पारित करके अनुज्ञा दी कि रेलवे की संपत्ति पर स्थानीय संस्थाओं द्वारा कर लगाना चाहिए। कोई संसद स्वतः ही अपनी संपत्ति स्थानीय संस्थाओं द्वारा कर लगाने के लिए निवेदन कर सकती है और यहाँ शंका करने का कोई कारण नहीं है कि संसद उसी प्रकार कर लगाने के लिए स्वतः अपनी दूसरी संपत्ति नहीं देगी। यदि रेलवे प्रापर्टी टैक्सेशन एक्ट सही ढंग से लागू नहीं हुआ है। अथवा यदि उसमें कोई कमी है तो संसद इसे संशोधित करने के लिए स्वतंत्र है और मैं मानता हूँ कि श्री सिधवा भी न्यायालय में जाने के लिए और भुगतान किया धन प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि यह भुगतान करने योग्य होता है और रेलवे प्रोपर्टीज टैक्सेशन ऐक्ट के अधीन देय है।

(श्री सिधवा ने अपना संशोधन वापिस लिया। अनुच्छेद 264 डॉ. अम्बेडकर के संशोधन से संशोधित रूप में स्वीकार हुआ और संविधान में जोड़ा गया।)

* * * *

अनुच्छेद 265

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है :

"कि अनुच्देद 265 में 'एक संघ रेलवे' के लिए जहाँ कहीं भी ये आते हैं 'कोई रेलवे' शब्द रखे जाएं।"

यह उन बदलाव पर कर मुख्यतः पारिणामिक है जो हमने अनुसूची VII की सूची I में किए हैं।

(संशोधन स्वीकार किया गया। अनुच्छेद 265 संशोधित रूप में संविधान में जोड़ा गया।)

* * * *

नया अनुच्छेद 265क

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** मेरा प्रस्ताव है :

"कि अनुच्छेद 265 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद रखे जाएँ :

प्रधिकरणों की दशा में कुछ पानी या विद्युत के संबंध में राज्य कराधान छूट

265क. (1) सिवाय वहाँ तक जहाँ तक राष्ट्रपति आदेश द्वारा अन्यथा उपबंध करे इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी राज्य में प्रवृत्त विधि, पानी या विद्युत के बारे में अंतर्राज्यीय नदियों के विनियमन या विकास के लिए किसी वर्तमान विधि से, अथवा संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि से, स्थापित किसी प्राधिकरण द्वारा जमा की गई, पैदा की गई, उपयुक्त, वितरित या बेची गई है, कोई कर अधिरोपित नहीं करेगी और न अधिरोपित करना प्राधिकृत करेगी।

स्पष्टीकरण : इस खंड में 'प्रवृत्त विधि' से वही अर्थ है जो इस संविधान के अनुच्छेद 307 में है।

---

*. सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 8 सितम्बर, 1949, पृ. 1949

अनुच्छेद के निम्नलिखित पैरा में मैं कुछ नये शब्द आपकी आज्ञा से लाना चाहता हूँ और उन शब्दों के साथ पेश करता हूँ :

(2) राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा खंड (1) में वर्णित कर अधिरोपित कर सकेगा या अधिरोपित करना प्राधिकृत कर सकेगा, किंतु ऐसी किसी विधि का तब तक कोई प्रभाव न होगा जब तक कि उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए रक्षित रखे जाने के पश्चात् उसकी अनुमति न मिल गई हो तथा यदि ऐसी कोई विधि ऐसे करों की दरों और अन्य प्रासंगिक बातों को किसी प्राधिकारी द्वारा उस विधि के अधीन बनाए जाने वाले नियमों या आदेशों के द्वारा नियत करने का उपबंध करती है तो विधि ऐसे किसी नियम या आदेश के बनाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति लिए जाने का उपबंध करेगी।

(नया अनुच्छेद 265—क संविधान में जोड़ा गया।)

अनुच्छेद 266

*****माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है :

"कि अनुच्देद 266 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखा जाए :

266. (1)राज्य की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट होगी।

राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट

(2) इस अनुच्छेद के खंड (1) की कोई बात संघ को राज्य की सरकार द्वारा की ओर से किए जाने वाले किसी प्रकार के व्यापार या कारोबार के बारे में अथवा उनसे संबंधित किन्ही क्रियाओं के बारे में, अथवा उनके प्रयोजनों के लिए उपयोग में आने वाली या आधिपत्य में किसी संपत्ति के बारे में अथवा उनसे प्रोदभूत या उत्पन्न होने वाली किसी आय के बारे में, किसी कर को ऐसे विस्तार तक यदि कोई हो, जिसे कि संसद विधि द्वारा उपबंधित करे, अधिरोपित करने या अधिरोपित करना प्राधिकृत करने से निवारित नहीं करेगी।

* * * *

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 9 सितम्बर, 1949, पृ. 1153

(3) इस अनुच्देद के खंड (2) की कोई बात किसी ऐसे व्यापार या कारोबार के किसी ऐसे प्रकार को लागू नहीं होगी जिसे संसद विधि द्वारा घोषित करे कि वह सरकार के मामूली कृत्यों से आनुषंगिक है।

सातवीं अनुसूची

*__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :__ श्रीमन, मेरा प्रस्ताव हैः

"कि सातवीं अनुसूची में प्रविष्टि 88 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए : मेरा यह भी प्रस्ताव है कि सातवें अनुच्छेद की सूची II की प्रविष्टि 58 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए :

'88क. यहाँ प्रकाशित समाचार पत्र और विज्ञापनों की बिक्री अथवा खरीद पर कर।'

'58 . समाचार पत्रों के अतिरिक्त सामान की बिक्री या खरीद पर कर।'

'58क. समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों के अतिरिक्त दूसरे विज्ञापनों पर कर।'"

श्रीमन, आपकी आज्ञा से मैं दूसरे संशोधन पेश करूँगा। संख्या 374 से अनुच्छेद 250 भी क्योंकि यह इसका भाग है।

मेरा प्रस्ताव है :

"कि अनुच्छेद 250 के खंड (1) में उपखंड (घ) के पश्चात निम्नलिखित उपखंड जोड़ें :

'(ड.) स्टाक एक्सचेंज और भावी बाजार के संव्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर,

(च) समाचार पत्रों और उनमें प्रकाशित विज्ञापनों की खरीद या बिक्री पर कर'।

श्री टी.टी. कृष्णमाचारी : मैं यह जिक्र करना चाहूँगा कि अनुच्छेद 250 पर दुबारा विचार करने के लिए सदन की औपचारिक अनुज्ञा लेनी होगी जो संशोधन संख्या 374 के बारे में करना आवश्यक होगा।

श्री आर.के. सिधवा : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूँ कि एक ऐसे अनुच्छेद पर जो सदन के द्वारा पूरा और पारित हो चुका है दुबारा विचार नहीं किया जा सकता।

---

*. सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 9 सितम्बर, 1949, पृ. 1172–1173

माननीय सभापति : यह वही मुद्दा है जिसे श्री कृष्णमाचारी ने उठाया है।

श्री आर. के. सिधवा : नहीं, श्रीमन, उन्होंने विषय पर दुबारा विचार करने के लिए एक संशोधन पेश किया है। मैं एक मुद्दा उठा रहा हूँ कि इस पर दुबारा विचार नहीं किया जा सकता।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह फैसला सभापति करेंगे कि आप सही हैं या वह सही हैं।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : यहाँ एक दूसरा विषय है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। प्रविष्टि संख्या 88क के संशोधन के बारे में यह ठीक वैसा ही संशोधन है जैसा श्री झुंझुनूवाला का है। इसे प्रारूपण समिति ने चुरा लिया है और अपना बता कर पारित कर दिया है। बड़ा आश्चर्य है, डॉ. अम्बेडकर का संशोधन संख्या 379 जो चोरी से संबंधित भारतीय दण्ड संहिता की धारा है। क्या इस प्रकार की साहित्यिक चोरी की अनुज्ञा दी जा सकती है?

माननीय सभापति : इसका संकेत करने का लाभ आप ले सकते हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह उससे पूर्णतः संतुष्ट हैं। उन्होंने चोरी या डकैती की शिकायत नहीं लिखाई है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : लेकिन चोरी संज्ञेय अपराध हैं यह अशोभमनीय भी है। यह किसी की शिकायत पर आधारित नहीं होता एतराज की कमी इसे माफ नहीं करेगी।

माननीय सभापति : हम पहले प्रविष्टियों पर कार्य करेंगे।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, जब यह विषय सदन के सामने पिछली बार उठा था तो इस पर जो ठीक–ठीक आवश्यकता थी काफी बहस हुई जो सदन कर सकता था और जिसे स्वीकार करने के लिए मैं तैयार था। आपने भी दया पूर्वक कहा था कि विषय प्रारूपण समिति को सौंप दिया जाएँ। प्रारूपण सिमति उस पर विचार करने के पश्चात् नया प्रस्ताव लाई। प्रस्ताव है कि समाचार पत्र और समाचार पत्रों के विज्ञापन सूची में रख दिए जाए। यह वह विषय है जिस पर प्रारूपण समिति अब सहमत है। दूसरा संशोधन संख्या 379 केवल अनुवर्ती बात है। क्योंकि जब से समाचार पत्र और विज्ञापनों की बिक्री पर कर सूची 1 में लाए जा चुके हैं, बिक्री कर अधिनियम के अधीन समाचार पत्रों उनमें विज्ञापनों पर कराधान को राज्य विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र से बाहर न करना आवश्यक है।

* * * *

प्रविष्टि 58

*माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मेरे मित्र श्री सिधवा ने जो कुछ कहा है उस दृष्टि से मैं इन प्रविष्टियों के विषय में अपने दृष्टिकोण में असंगत रहा हूँ। मैं एक या दो निरूपण अपने स्पष्टीकरण द्वारा प्रस्तुत करना चाहूँगा। श्रीमन, मैंने पिछली बार बहस में जो इस विषय पर हुई थी कहा था कि समाचार पत्र अनुच्छेद 13 से बहुत निकट से सम्बद्ध है जिसका संबंध मूल अधिकारों से है। इसलिए समाचार पत्रों के बारे में कोई उपबंध करते समय यह विषय मस्तिष्क में रखना होगा।

दूसरी बात यह है कि जहाँ तक मूल अधिकारों का कोई विनियम संविधान के अनुच्छेद 27 से जिसे हमने पहले ही पारित कर दिया है; संबंधित है वहाँ मूल अधिकारों के बारे में विधान के सभी विषय संसद पर छोड़ दिए हैं और राज्य के पास कोई शक्ति नहीं छोड़ी है। इसलिए मुझे और प्रारूपण समिति को भी दिखाई दिया कि इन विचारों के द्वारा जैसे कि समाचार पत्र मूल अधिकारों में आ रहे थे और मूल अधिकारों से संबंधित सभी विनियम संसद पर छोड़ दिए थे अतः नैसर्गिक न्याय यह है कि कर के उद्देश्य से समाचार पत्र केंद्र के अधिकार में आने चाहिएं।

तीसरा विचार जो प्रारूपण समिति तथा मेरे ऊपर प्रभावी था वह यह था कि इस तथ्य की दृष्टि से कि समाचार पत्रों का संबंध मूल अधिकारों से है जैसे अपनी अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता यह वांछनीय था कि कोई कर जो इन पर लगाया जाए समान हो, एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न न हो। ऐसी कई एकरूपता उस समय प्राप्त की जा सकती है जब यह विषय कानून बनाने के लिए संसद पर छोड़ दिया जाए। मुझ पर तथा प्रारूपण समिति पर ये तीन बातें उसके द्वारा अपनाए गए मत में अभिभावी दूसरी महत्वपूर्ण विचारणा थी कि यह मद एकमात्र विधि बनाने के बारे में विशुद्ध मद नहीं थी, यह मद दूसरी सूची की प्रविष्टि 58 में माल शब्द में समाचार पत्र सम्मिलित होने से संबंधित है। इसलिए हमने सोचा कि राज्यों को उस आमदनी से वंचित न किया वंचित जाए जिसे वह समाचार पत्रों पर बिक्री कर अधिनियम के अधीन लगाने के योग्य कर से प्राप्त कर सकते हैं। उचित था कि समाचार पत्रों पर लगाने वाला बिक्री कर अनुच्छेद 250 में सम्मिलित कर लिया जाए जिसमें बहुत सी अन्य मद सम्मिलित हैं और उपबंध करता है कि यदि उन पर कोई कर लगाया गया तो प्राप्ति विभिन्न राज्यों में वितरित होगी।

इसलिए विचार के लिए जो प्रश्न उत्पन्न होता है इसे सूची II से सूची I में स्थानांतरित करने से मानो हम प्रांतों के वित्त की हानि पहुंचा रहे हैं। मेरा उत्तर

---

*· सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 9 सितम्बर, 1949, पृ. 1182—1183

है कि हम प्रांतों को कोई हानि नहीं पहुँचा रहे हैं क्योंकि यदि सदन मेरे संशोधन संख्या 374 को लेने के लिए तैयार होगा तब प्रदेश समाचार पत्रों की बिक्री पर कर का वह भाग पाएगा जो उन्होंने संगष्हीत किए हों और अब संशोधन संख्या 374 के अधीन प्राप्त कर रहे हैं।

इन प्रस्तावों को बनाने में हमने इस सामान्य प्रतिपादन को ध्यान में रखा है कि समाचार पत्र मूल अधिकारों से संबद्ध होने के कारण केंद्र की अधिकारिता में आगे चाहिए और यह कि कोई वित्तीय अभिलाभ, जिसे प्रांत प्राप्त करते, अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। यही दोनों बातें इन परिवर्तनों को करने में प्रारूपण समिति पर अभिभावी रही हैं।

अपने मित्र श्री सिधवा की घोषणा के होते हुए भी जिसे मैं समझ सकता हूँ मेरा निवेदन है कि चूंकि वह बड़ी क्षति से उबर रहे हैं। जो उन्हें किसी दूसरी जगह पहुंची थी मैं कहता हूँ कि जो प्रविष्टियां हमने प्रस्तावित की हैं उन पर कोई एतराज नहीं हो सकता।

श्री आर. के. सिधवा : श्रीमन, मुझे डॉ. अम्बेडकर का इस टिप्पणी पर आपत्ति है कि मैं किसी क्षति से उबर रहा हूँ। मैं उनका हिसाब उनके ही शब्दों में चुकता करूंगा। जब तक आप इस टिप्पणी को वापिस लेने के लिए नहीं कहते।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, उनको वापिस लेने के लिए मैं पूर्णतः तैयार हूँ लेकिन मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ।

माननीय सभापति : यह मामला यहीं समाप्त होता है।

(डॉ. अम्बेडकर का मूल संशोधन जैसा ऊपर दिखाया गया है। स्वीकार हुआ और दूसरे संशोधन खारिज कर दिए गए। प्रविष्टि 58 तथा 58क संशोधित रूप में राज्य सूची की सातवीं अनुसूची में जोड़ी गयी।)

अनुच्छेद 250

श्री टी.टी. कृष्णमाचारी : डॉ. अम्बेडकर इसे पहले ही पेश कर चुके हैं। यह वैसे ही केवल औपचारिक मामला है और इसे मत के लिए रखा जा सकता है।

माननीय सभापति : क्या डॉ. अम्बेडकर द्वारा पेश किए गए संशोधन संख्या 374 के बारे में कोई कुछ कहना चाहता है?

(कोई सदस्य नहीं उठा।)

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, यह पारिणामिक कार्यवाही है।

माननीय सभापति : इसके लिए यहाँ कोई संशोधन नहीं है मैं इसे मत के लिए रखूंगा।

प्रश्न है :

"कि अनुच्छेद 250 के खंड (1) में उपखंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड जोड़ दिया जाए।

(ड.) स्टाक एक्सचेंज और सट्टा बाजार में संव्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न भावी कर;

(च) समाचार पत्रों और उसमें प्रकाशित विज्ञापनों की बिक्री अथवा खरीद पर कर'"

(संशोधन स्वीकार हुआ।)

* * * *

अनुच्छेद 202

माननीय सभापति : अनुच्छेद 202 ।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है :

"कि अनुच्छेद 202 के खंड (1) में शब्द 'जारी करने के पश्चात' किसी व्यक्ति अथवा उचित मामलों में सम्मिलित उन क्षेत्रों के अंतर्गत कोई राज्य शब्द रखे जाएं।

मैंने कहा था कि अनुच्छेद 202 के लिए एक संशोधन पेश करने में पारिणामिक संशोधन आवश्यक होगा। इसलिए मैं संशोधित अनुच्छेद 202 पेश कर रहा हूँ जो इस प्रकार पढ़ा जाएगाः

"इस संविधान के अनुच्छेद 25 में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक उच्च न्यायालय को उस सम्पूर्ण राज्यक्षेत्र में जिसकी बाबत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है किसी व्यक्ति अथवा प्राधिकरण को जिसके अंतर्गत समुचित मामलों में उन राज्यक्षेत्रों में कोई सरकार भी है, किसी अन्य प्रयोजन के लिए इस संविधान के भाग III द्वारा दिए गए अधिकारों में से किसी के प्रवर्तन के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश, अधिकार पृच्छा तथा उत्प्रेषण रिट की प्रकृति के निदेश या आदेश जारी करने की शक्ति होगी।"

यह केवल पारिणामिक है।

पंडित ठाकुरदास भार्गव (पूर्वी पंजाब : सामान्य) : आप समुचित मामलों में क्या कहते हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : क्योंकि समुचित मामले संसद की विधि द्वारा अधिकथित होंगे।

(संशोधन स्वीकार किया गया।)

अनुच्छेद 234—क

*__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर__ : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है :

"कि अनुच्छेद 234 के पश्चात निम्नलिखित नया अनुच्छेद रखा जाए :

रेलों की संरक्षा के लिए राज्यों पर संघ का नियंत्रण

'**234—क.** (1) संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्य के भीतर रेलों की संरक्षा करने के उपाय करने संबंधी कार्य करने के निदेश राज्यों को देने तक होंगे।

(2) इस अनुच्छेद के खण्ड (1) के अधीन दिए गए निदेश के कारण उस धन से अधिक धन व्यय होता है जो राज्य द्वारा साधारणतौर पर कर्त्तव्य निभाने के लिए राज्य को करने होते यदि इस प्रकार का निदेश न हुआ होता, राज्यों को भारत सरकार द्वारा अदा किया जाएगा जिस पर करार पाया जाएगा अथवा करार के अभाव में राज्य द्वारा इस प्रकार उपगत अतिरिक्त खर्च के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा अवधारित की जाएगी।'"

श्रीमन, सबसे पहले सभी पुलिस राज्य सूची में हैं। पारिणामिक रेल सम्पत्ति की रक्षा भी प्रांतीय सरकार के क्षेत्र में आती है। यह महसूस किया गया था कि कुछ विशेष मामलों में केंद्र वांछा कर सकता है कि विशेष उपायों द्वारा राज्य द्वारा रेल सम्पत्ति की रक्षा की जाए और इस उद्देश्य के लिए केंद्र अब वह शक्ति प्राप्त करना चाहता है जिससे उस निमित्त निदेश कर सके। यह संभव है कि केंद्र द्वारा निदेश करने से राज्यों द्वारा साधारण से कुछ अधिक खर्च करना पड़े। ऐसी दशा में, जो अतिरिक्त खर्च पड़ेगा वह या तो सहमति से निश्चित होना चाहिए अथवा यदि यहाँ कोई सहमति नहीं है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा चुने गए मध्यस्थ द्वारा तय होनी चाहिए दूसरा खण्ड बहुत से खण्डों के सदृश है जिनको हमने जहाँ तक अतिरिक्त खर्च का संबंध है केंद्र व राज्यों के बीच के झगड़े सुलझाने के लिए पहले ही पारित कर दिया है।

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 9 सितम्बर, 1949, पृ. 1185—1186

डॉ. पी.एस. देशमुख : सभापति जी, जो उपबंध रेल संपत्ति के बारे में है, उसकी आवश्यकता से मैं संतुष्टि महसूस नहीं करता।

श्री बृजेश्वर प्रसाद : सभापति जी, मैं इस अनुच्छेद के खण्ड (1) का हृदय से समर्थन करने के लिए खड़ा होता हूँ लेकिन मैं खण्ड (2) के पूर्णतः विरुद्ध हूँ ...... इसलिए मैं चाहता हूँ कि जहाँ तक खर्च का संबंध है यदि केंद्र अथवा राज्य के बीच कोई विवाद होता है तो मामला पूरी तरह राष्ट्रपति को सौंप दिया जाए।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, यह खण्ड बहुत आवश्यक है। जब मेरे मित्र देशमुख ने यह कहा कि मौजूद अनुच्छेद में बहुत से उपबंध हैं जिन्हें हमने पारित किया था तो मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि वह मौलिक रूप से भूल कर रहे हैं। रेल पुलिस भी राज्य सरकार का विषय है। पुलिस एक प्रविष्टि के रूप में सूची I में नहीं है। परिणामस्वरूप, केंद्र को बिल्कुल भी किसी पुलिस के विषय में कानून बनाने का अधिकार नहीं है, न कोई कानूनी प्राधिकार है और न कार्यपालक अधिकार है। इसलिए जहाँ तक रेल संपत्ति की संरक्षा का प्रश्न है मामला पूरी तरह राज्य की कार्यपालक प्राधिकार में है। ऐसा होने से, इसे करने के केवल दो तरीके हैं। या तो केंद्र को अपनी संपत्ति की संरक्षा करने के लिए पुलिस अधिकार दे दिया जाए, ऐसी दशा में, एक अनुच्छेद जैसा मैंने पेश किया है अनावश्यक है अथवा हमें एक उपबंध लाना चाहिए जिसका मैंने सुझाव दिया है अर्थात निदेश देना। मान लीजिए कि रेल संपत्ति की संरक्षा के लिए केंद्र पुलिस रखनी है उस पुलिस का राज्य पुलिस से सदैव झगड़ा रहेगा इसलिए उस स्कीम से दोहरा अधिकार क्षेत्र दूर कर दिया गया है जिसका सुझाव दिया है अर्थात् केंद्र को निदेश देने का प्राधिकार होना चाहिए कि रेल में अधिक पुलिस लगाई जाए। बेहतर सावधानियाँ बरती जाएं ताकि यहाँ कोई मतभेद न हो और यदि अधिक व्यय करना हो तो केंद्र उसे वहन करने के लिए तैयार रहे। मुझे यहाँ कोई कठिनाई नहीं दिखाई देती। डॉ. देशमुख का विचार कि यह मामला पहले आ चुका है निराशाजनक ढंग से गलत है।

डॉ. पी. एस. देशमुख : कारण क्या है कि जहाँ तक केंद्र की दूसरी संपत्ति का संबंध है हम कोई रखवाली आवश्यक नहीं समझते? आप रेल और दूसरी संपत्ति में अंतर क्यों करते हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : क्योंकि रेल संपत्ति अधिक ध्यान चाहती है। वहाँ यात्रियों की सुरक्षा भी है।

(डॉ. अम्बेडकर का उपबंध स्वीकार हुआ। नया अनुच्छेद 234–क संविधान में जोड़ा गया।)

नया अनुच्छेद 242–क

****माननीय सभापति :** डॉ. अम्बेडकर आपको शीर्षक के संबंध में संशोधन संख्या 272–क पेश करना चाहिए।

श्री टी. टी. कृणमाचारी : यदि सं. 373 पारित होता है तो शीर्षक का विलोप पारिणामिक है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मैं संशोधन सं. 373 पेश करता हूँ:

"कि अनुच्छेद 242 के पश्चात् नया अनुच्छेद रखा जाए :

अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधी वादों का न्याय निर्णयन

242क. (1) संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटियों के या जलों के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के बारे में किसी विवाद या फरियाद के न्याय निर्णयन के लिए उपबंध कर सकेगी।

(2) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी कि न तो उच्चतम न्यायालय और न अन्य कोई न्यायालय खण्ड (1) में निर्दिष्ट किसी विवाद या फरियाद के बारे में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा।

श्रीमन, मौलिक रूप में इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की कार्यवाही की व्यवस्था थी। यह सोचा गया था कि ये पानी आदि के बारे में वाद–विवाद बहुत कम होंगे और तदनुसार उनकी समाप्ति किसी विशेष मशीनरी द्वारा होनी चाहिए जिसकी नियुक्ति की जानी चाहिए। लेकिन इन तथ्यों की दृष्टि से कि हम बहुत से निगम बना रहे हैं और इन निगमों को संपत्ति और दूसरी वस्तुएं लेने की शक्तियां प्रदान की जाएंगी, बहुत से वाद–विवाद खड़े होंगे और तदनुसार इन प्रश्नों का निपटारा करने के लिए स्थाई संस्था नियुक्त करने की आवश्यकता होगी। तदनुसार यह महसूस किया गया था कि मूल मसौदा अथवा प्रस्ताव गति रोकने वाला था अथवा किसी लचीली कार्यवाही की आज्ञा देने के लिए बहुत स्टैरियो टाइप थी कि वह बैठक के लिए इन समस्याओं से आवश्यक होगी तदनुसार मैं यह नया अनुच्छेद प्रस्ताव कर रहा हूँ जो इन झगड़ों को निश्चित करने के लिए कानून बनाने के लिए संसद पर छोड़ते हैं।

श्री आर. के. सिधवा : अनुच्छेद 242 को विलुप्त का प्रस्ताव है, और यह नया अनुच्छेद 242–क अनुच्छेद 242 के पश्चात्! कैसे आता है?

---

*. सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 9 सितम्बर, 1949, पृ. 1187

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह केवल स्थिति का संकेत करती है।

(प्रस्ताव पारित किया गया नया अनुच्छेद 242–क संविधान में जोड़ा गया।)

संशोधन संख्या 72–क

* * * *

[*]**माननीय सभापति** : संशोधन संख्या 172–क

संशोधन संख्या 372–क

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है :

"कि अनुच्छेद 239 के ऊपर शीर्षक और अनुच्छेद 239, 240, 241 और 242 विलुप्त कर दिया जाए।"

इनकी पूर्ति अनुच्छेद 242–क के द्वारा हो जाती है इसलिए अनावश्यक है।

माननीय सभापति : क्या इस संशोधन के बारे में कोई कुछ कहने के लिए तैयार है।

(प्रस्ताव स्वीकार किया गया।)

अनुच्छेद 239 और अनुच्छेद 239, 240, 241 और 242 विलुप्त किए गए।

* * * *

अनुच्छेद 248–क, 263 और 263–क

[**]**माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर** : श्रीमन, मैं तीन संशोधन 380, 381 और 382 करना पसंद करूंगा जो तीन नये अनुच्छेद होंगे और मैं संशोधन संख्या 382 से आरंभ करता हूँ क्योंकि शेष पारिणामिक हैं।

माननीय सभापति : बहुत अच्छा।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है :

"कि अनुच्छेद 263 के पश्चात् निम्नलिखित नया अनुच्छेद रखा जाए :

263क. लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा – ऐसी सभी धनराशियां, जो :

---

*. सीएडी, खण्ड IX, 9 सितम्बर, 1949, पृ. 1188

**. वही, पृ. 1188–90

(क) यथास्थिति, भारत सरकार या राज्य की सरकार द्वारा जुटाए गए या प्राप्त राजस्व या लोक धनराशियों से भिन्न हैं, और संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में नियोजित किसी अधिकारी को उसकी उस हैसियत में, या

(ख) किसी वाद, विषय, लेखे या व्यक्तियों के नाम में जमा भारत राज्यक्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय की, प्राप्त होती है या उसके पास निक्षिप्त की जाती है, यथास्थिति, भारत के लोक लेखे में या राज्य के लोक लेखे में जमा की जाएगी।

श्रीमन, यदि आप मुझे इजाजत दे तो मैं दूसरे संशोधन भी पेश करूंगा तब हम जो परिवर्तन करना चाहते हैं उन्हें समझने में सदस्यों को समर्थ बनाने के लिए कुछ आम बातें आपके सामने रखूंगा।

माननीय सभापति : हाँ।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं संशोधन संख्या 380 और 381 पेश करता हूँ। मेरा प्रस्ताव है :

"कि अनुच्छेद 284–क के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखा जाए :

248क.– भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे –

(1) संविधान के 248 के उपबंधों के तथा कुछ करों और शुल्कों के शुद्ध आगम पूर्णतः या भागतः राज्यों को सौंप दिए जाने के संबंध में इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व, उस सरकार द्वारा राज हुंडियां निर्गमित करके, उधार द्वारा या अर्थोपाय अग्रिमों द्वारा लिए गए सभी उधार और उधारों के प्रति संदाय में उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों की एक संचित निधि बनेगी जो 'भारत की संचित निधि' के नाम से ज्ञात होगी तथा किसी राज्य सरकार को प्राप्त सभी राजस्व, उस सरकार राज हुंडियां निर्गमित करके, उधार द्वारा अर्थोपाय अग्रिमों द्वारा लिए गए सभी उधार और उधारों के प्रति संदाय में उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों की एक संचित निधि बनेगी जो 'राज्य की संचित निधि' के नाम से ज्ञात होगी।

(2) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य लोक धनराशियां, यथास्थिति, भारत के लोक लेखे में या राज्य के लोक लेखे में जमा की जाएगी।

(3) भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि में से कोई धनराशियाँ विधि के अनुसार तथा इस संविधान में उपबंधित प्रयोजनों के लिए और रीति से ही विनियोजित की जाएगी अन्यथा नहीं।

संशोधन की संख्या 381

"कि अनुच्छेद 263 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखा जाए :

263(1). संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि –

(1) भारत की संचित निधि और भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी निधियों में धनराशियों के संदाय, उनसे धनराशियों के निकाले जाने, ऐसी निधियों में जमा धनराशियों से भिन्न भारत सरकार द्वारा या उसी ओर से प्राप्त लोक धनराशियों की अभिरक्षा, भारत के लोक लेखे में उनके संदाय और ऐसे लेखे से धनराशियों के निकाले जाने का तथा पूर्वोक्त विषयों से संबंधित या उनके आनुषंगिक अन्य सभी विषयों का विनियमन संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा किया जाएगा और जब तक इस निमित इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा किया जाएगा।

(2) राज्य की संचित निधि और राज्य की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी निधियों में धनराशियों के संदाय, उनसे धनराशियों के निकाले जाने, ऐसी निधियों में जमा धनराशियों से भिन्न राज्य की सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त लोक धनराशियों की अभिरक्षा, राज्य के लोक लेखे में उनके संदाय और ऐसे लेखे से धनराशियों के निकाले जाने का तथा पूर्वोक्त विषयों से संबंधित या उनके आनुषंगिक अन्य सभी विषयों का विनियमन राज्य के विधान–मंडल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा किया जाएगा और जब तक इस निमित इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक राज्य के राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा किया जाएगा।

संक्षेप में, परिवर्तन दो प्रकार के हैं। मूल अनुच्छेद संख्या 248–क में जैसा यह है संचित निधि का क्षेत्र सीमित है। संचित निधि में विनिर्दिष्ट तौर पर ऋणों के आगम, खजाना हुण्डियां और अग्रिमधन राशियों के अर्थोपाय का निर्देश नहीं करती। अब हम उनके विनिर्दिष्ट जिक्र करने का प्रस्ताव करते हैं जिससे कि वे संचित निधि का भाग बन सकें।

दूसरी बात है कि संचित निधि की परिभाषा करते समय इसके साथ हमने दूसरी

अन्य धनराशियाँ एकमुश्त कर दी हैं जो राज्य द्वारा प्राप्त की गई थीं लेकिन वे करों अथवा ऋणों के आगम नहीं थे इत्यादि, परिणामस्वरूप दूसरे ढंग से राज्य द्वारा प्राप्त लोक धन जो राजस्व अथवा ऋणों का भाग रूप नहीं विनियोग अधिनियम के अधीन जैसे अर्थात् अनुच्छेद 248—क के उपखण्ड (3) के उपबंध के है अधीन थी। स्पष्टतः उस धन का निकालना जो राज्य संचित निधि का भाग नहीं है। किसी भी विनियोग अधिनियम का भाग नहीं है। वे इस प्रकार निकालने के लिए ऐसे उद्देश्यों और ऐसे समय पर ऐसी बातों के अधीन जो इस संबंध में संसद द्वारा खासतौर से बनाई जाएंगी, खुले छोड़ दिए जाएंगे। इसलिए संचित निधि की परिभाषा को स्पष्टतः बढ़ाना है और संचित निधि को दूसरी निधि से पृथक करना है जो लोक लेखा में आवश्यक तौर से जाता है जिससे ये परिवर्तन किए गए हैं। इन परिवर्तनों का कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। वित्त मंत्रालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि विनियोग अधिनियम के प्रति हमारा उपबंध दूसरे धनों पर लागू किया गया जो साधारणतः लोक लेखा में गया कि जो कठिनाई उत्पन्न करने वाला था। इन कठिनाइयों को दूर करना ठीक है कि ये उपबंध मूल उपबंध में किए गये हैं।

(प्रस्ताव स्वीकार किया गया। नया अनुच्छेद 263क संविधान में जोड़ा गया।)

* * * *

प्रिवी कौंसिल की अधिकारिता का उत्सादन अधिनियम

****माननीय सभापति :** आज आदेश पत्र पर प्रथम धारा डॉ. अम्बेडकर के प्रस्ताव की सूचना एक अधिनियम सम्राट के सपरिषद अधिकार क्षेत्र को समाप्त करने के संबध में है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (बम्बई : सामान्य) : श्रीमन, मैं सम्राट के सपरिषद अधिकार क्षेत्र को समाप्त करने के लिए एक अधिनियम अपील और अर्जी पेश करने के बारे में है।

माननीय सभापति : प्रश्न है : 'भारतीय अपीलों और अर्जियों की बाबत सम्राट की सपरिषद अधिकारिता समाप्त करने के लिए विधेयक पुरःस्थापित करने की इजाजत दी जाए।'

(प्रस्ताव स्वीकार किया गया।)

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

* * * *

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 14 सितम्बर, 1949, पृ. 1415

प्रारूप संविधान

नया भाग XIV-क (जारी)

*माननीय सभापति : मैं समझता हूँ यही सब संशोधन हैं। यदि मैंने कोई छोड़ दिया है तो यह सदस्य जिसने संशोधन की सूचना दी है इशारा कर दें अन्यथा वे सभी की इजाजत से वापिस लिए जाएँ। मुंशी द्वारा रखे गए संशोधन पेश करूँगा। लेकिन एक संशोधन पैराग्राफ पर संख्या डालने के बारे में श्री त्यागी का है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह वह विषय है जिसपर हम बाद में विचार करेंगे।

श्री महावीर त्यागी : श्रीमन, इसे स्वीकार किया जा चुका है।

* * * *

**श्री टी.टी. कृष्णमाचारी : श्रीमन सदन की कार्यवाही बंद होने से पूर्व मैं यह सुझाव देना चाहूँगा कि आप अनुच्छेद 99 और 184 को मतदान के लिए रखें जो रह गए हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : नहीं, नहीं यह आज के आदेश सूचीक्रम पत्र में नहीं हैं।

माननीय सभापति : आज शाम की कार्यवाही यहीं बंद होती है, लेकिन सदन स्थगित करने से पूर्व मैं धन्यवाद के कुछ शब्द कहना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि हमने एक अध्याय संविधान के लिए स्वीकार किया है जिसके संपूर्ण देश के निर्माण में दूरगामी परिणाम होंगे। हमारे इतिहास में इससे पूर्व संपूर्ण शासन और प्रशासन की मान्यता प्राप्त एक भाषा नहीं रही.....

* * * *

नया अनुच्छेद 112—ख

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (बम्बई : सामान्य) : सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव है :

"कि अनुच्छेद 112—क के पश्चात् निम्नलिखित नया अनुच्छेद रखा जाए :

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 14 सितम्बर, 1949, पृ. 1485

** वही, पृ. 1489

कुछ दशाओं में वर्तमान विधि के अधीन सम्राट के सपरिषद अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जाना।

112—ख. जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे अध्याय के पिछले उपबंधों में निर्दिष्ट विषयों को छोड़कर, अन्य विषयों में अधिकारिता तथा शक्तियाँ उच्चतम न्यायालय को प्राप्त होंगी जिनके संबंध में अधिकारिता और शक्तियाँ किसी भी वर्तमान विधि के अधीन इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पूर्व सपरिषद सम्राट द्वारा प्रयोक्तव्य थीं।

श्रीमन, स्थिति यह है कि प्रिवी कौंसिल के विनिर्णय के अनुसार सिविल मामलों और आयकर मामलों में अंतर है और उदाहरण के लिए जैसे अर्जन कार्यवाही। यह अविनिर्धारित किया जा चुका है कि आयकर और संपत्ति अर्जित करने की कार्यवाही उसके अंतर्गत नहीं आती जिसे 'सिविल कार्यवाही' कहा जाता है। और इसलिए यह माना जाना चाहिए कि यदि विशेष उपबंध न किया गया होता तो उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही सिविल कार्यवाही होती इस संदेह को दूर करने के लिए अनुच्देद 112—ख पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि उच्चतम न्यायालय को सभी प्रकार की कार्यवाहियों में पूरी शक्तियाँ दे दी जाएँ जिसमें सिविल कार्यवाहियाँ तथा अन्य कार्यवाहियाँ जो सिविल प्रकृति की नहीं हैं इसी कारण इस अनुच्छेद को पेश किया जाना ईप्सित है।

*__माननीय सभापति__ : डॉ. अम्बेडकर क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मेरे मित्र पं. ठाकुरदास भार्गव के संशोधन के बारे में मैं नहीं समझता कि यह संशोधन आवश्यक है क्या वह वास्तव में न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ा रहे हैं। 'अभ्यास' शब्द साधारणतः पद्धति के मामले को पूरा करने के लिए किया जाता है और अनुच्छेद 112—ख जिसका प्रस्ताव मैंने किया है प्रक्रिया के बारे में नहीं है बल्कि क्षेत्र को स्वतंत्रता के बारे में है। इसलिए उनका संशोधन 'अथवा पद्धति' अनावश्यक है।

मेरे मित्र श्री शिब्बनलाल सक्सेना के संशोधन के बारे में दो मुद्दे हैं जिनका मैं उत्तर देना पसंद करूँगा। पहला यह है कि यदि सेना न्यायालय द्वारा पारित मृत्यु दण्ड की सजा की अपील उच्चतम न्यायालय में की जानी है तो यह अनुच्छेद अभियुक्त व्यक्ति को अपील का अधिकार देने के लिए भारतीय सेना अधिनियम के द्वारा इस प्रकार का उपबंध आसानी से किया जाना चाहिए और इसकी व्यवस्था की गई है, यदि मैं अपने मित्र का ध्यान अनुच्छेद 114 के खण्ड (1) की ओर आकर्षित

---

*. सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 14 सितम्बर, 1949, पृ. 1496

करूं कि संघ सूची के विषयों के बारे में उच्चतम न्यायालय के पास ऐसे और भी क्षेत्र और शक्तियां होंगी। वह इस प्रकार हैं :

114 (1). संघ सूची के विषयों में से किसी के बारे में उच्चतम न्यायालय को ऐसी और अधिकारिता और शक्तियां होंगी जैसी संसद विधि द्वारा प्रदान करे।

यदि संसद सोचती है कि इस प्रकार की शक्तियाँ उच्चतम न्यायालय के पास हों तो संसद के मार्ग में एक उचित उपबंध सेना अधिनियम में बनाकर ऐसी शक्तियां उनको देने में कोई बाधा नहीं है।

मैं अनुच्छेद 112 की ओर दुबारा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जो विशेष आवश्यकताओं के विषय में है। उसके अधीन उच्चतम न्यायालय सेना न्यायालय के विरुद्ध अपील सुनने के लिए स्वतंत्र होगा क्योंकि वहाँ प्रयुक्त किए गए शब्द इस प्रकार हैंः

"किसी न्यायालय अथवा प्राधिकरण द्वारा बनाया गया कोई मुकदमा या मामला।" और इसलिए शब्द इतने व्यापक होने से न्यायालय और प्राधिकरण अनुच्छेद 112 की व्यवस्थानुसार उच्चतम न्यायालय के विशेष क्षेत्र से नहीं बच सकेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि उनका संशोधन भी बिल्कुल अनावश्यक है।

जहाँ तक मेरे मित्र श्री नजीरुद्दीन अहमद के संशोधन का संबंध है जो 'मौजूद कानून' शब्दों को लुप्त करने के बारे में है......

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मैंने वह पेश नहीं किया है।

माननीय सभापति : उन्होंने इसे पेश नहीं किया है। उन्होंने इसे प्रारूपण समिति के लिए छोड़ दिया है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, यदि उन्होंने मसौदा समिति को छोड़ दिया है तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उनके मुद्दे पर हम विशेष ध्यान देंगे।

माननीय सभापति : तब मैं संशोधन रखूँगा।

प्रो. शिब्बनलाल सक्सेना : दिए गए विश्वासों की दृष्टि से मैं अपने संशोधन वापिस लेना पसंद करूँगा।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : श्रीमन, मैं भी अपना संशोधन वापिस ले रहा हूँ।

(सभा समाप्त होते–होते संशोधन वापिस ले लिए गए।)

(अनुच्छेद 112–ख संविधान में जोड़ा गया।)

* * * *

नया अनुच्छेद 15–क

माननीय सभापति : तब हम वापिस नए अनुच्छेद 15–क पर जाते हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है :

"कि अनुच्छेद 15 के पश्चात निम्नलिखित अनुच्छेद रखा जाए :

कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण

15क(1) किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा और न ही रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति को, जो गिरफ्तार करके हिरासत में रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से चौबीस घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि के लिए हिरासत में नहीं रखा जाएगा।

(3) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो –

(क) तत्समय शत्रु अन्य देशीय है; या

(ख) निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया हैः

परन्तु, निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति का तीन मास से अधिक अवधि के लिए तब तक हिरासत में रखा जाना प्राधिकृत नहीं होगा, जब तक कि–

(क) ऐसे व्यक्तियों से, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हैं, मिलकर बने सलाहकार बोर्ड ने तीन मास की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले यह प्रतिवेदन नहीं दिया है कि उसकी राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण हैं।

(ख) ऐसे व्यक्ति की खंड (4) के उपखंड (क) और उपखंड (ख) के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अनुसार निरुद्ध नहीं किया जाता है।

(4) संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी कि "किन परिस्थितियों के अधीन और किस वर्ग या वर्गों के मामलों में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन तीन मास से अधिक के लिए निरुद्ध किया जा सकेगा।"

श्रीमन, सदन को याद होगा कि जब इस सभा के पिछले सत्र में हम अनुच्छेद 15 पर विचार कर रहे थे, तब इस विषय पर बहुत वाद–विवाद हुआ था कि 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार न कि अन्यथा' शब्द होने चाहिएं अथवा 'सम्यक प्रक्रिया' शब्द अनुच्छेद 15 के शब्दों के स्थान पर होने चाहिएं। आखिरकार, यह स्वीकार किया गया था कि 'सम्यक प्रक्रिया' शब्दों के स्थान पर 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार' होने चाहिएं। मैं जानता हूँ कि मेरे सहित सदन का एक बड़ा भाग अनुच्छेद 15 के शब्दों से बहुत असंतुष्ट था। यह भी याद होगा कि हमारे मसौदा संविधान का ऐसा कोई भाग नहीं है जिसकी जनता द्वारा कड़ी आलोचना अनुच्छेद 15 की भांति हुई हो, क्योंकि अनुच्छेद 15 जो करता है वह कार्यपालिका को बंदी बनाने से रोकता है। यह सब एक कानून के लिए है और विधि किसी परिस्थिति तथा सीमा के अधीन नहीं है। दूसरे शब्दों में, यह महसूस किया गया था कि मूल अधिकारों के बारे में जब इस अध्याय में यह विषय सम्मिलित किया गया था, तब हम संसद को, जैसा वह ठीक समझे, किन्हीं हालात के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कानून बनाने और व्यवस्था करने की संपूर्ण शक्तियाँ दे रहे थे। इसलिए अब हम अनुच्छेद 15–क पेश करके, यदि मैं ऐसा कहना चाहूँ तब अनुच्छेद 15 पारित करके जो उस समय किया गया था दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 15–क पुरःस्थापित 'सम्यक प्रक्रिया' के कानून के सार का उपबंध कर रहे हैं।

अनुच्छेद 15–क दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों से मात्र दो अत्यंत मूलभूत सिद्धांतों को ग्रहण करता है जिसे प्रत्येक सभा देश अंतर्राष्ट्रीय न्याय के सिद्धांत के रूप में अपनाता है। यह बिल्कुल सही है कि खंड (1) और (2) के दो उपबंध पहले से ही दण्ड प्रक्रिया संहिता में हैं और इसीलिए कदाचित यह कहा जाना चाहिए था कि हम कोई बहुत मौलिक बदलाव नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने व्यक्त किया हम मौलिक बदलाव कर रहे हैं क्योंकि जो कुछ हम अनुच्छेद 15–क पुरःस्थापित करके कर रहे हैं वह संसद व प्रांतीय विधानमंडल के अधिकारों पर इन दो उपबंधों को न हटाने के लिए रोक लगा रहे हैं, क्योंकि यह अब हमारे संविधान में समाविष्ट हो गए हैं।

यह बिल्कुल सच है कि खंड (1) तथा (2) के उपबंधों से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उत्साही लोग कदाचित संतुष्ट नहीं हैं। कदाचित वह नागरिक की व्यक्तिगत

स्वतंत्रता के लिए कार्यपालिका तथा विधानमंडल के अतिक्रमण के विरुद्ध कुछ और अधिक रक्षोपाय चाहते हैं। व्यक्तिगत तौर पर मैं सोचता हूँ कि जब मुझे उनसे सहानुभूति है कि कदाचित अनुच्छेद कुछ अधिक रक्षोपाय के लिए विस्तृत कर दिया गया है, मुझे पूर्ण संतोष है कि गैर–कानूनी अथवा मनमानी गिरफ्तारियों के विरुद्ध अंतर्विष्ट उपबंध पर्याप्त हैं।

जैसाकि सदस्यगण देखेंगे अनुच्छेद 15क के खंड (1) और (2) के उपबंध कुछ सीमाओं के अधीन रखे गए हैं जो खंड (3) में वर्णित हैं जो कहते हैं अनुच्छेद 15–क के खंड (1) व (2) के उपबंध उस किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे जो दुश्मन देश का व्यक्ति है। मैं नहीं समझता कि विदेशी शत्रु के खंड (3)(क) में रखे गए आरक्षण के लिए किसी को एतराज होगा।

खंड (3) के उपखंड (ख) के बारे में मैं सोचता हूँ कि इसे मान्यता मिलनी ही है कि देश की वर्तमान परिस्थितियों में कार्यपालिका के लिए उस व्यक्ति को बंदी बनाना आवश्यक होगा जो समवर्ती सूची के सार्वजनिक आदेशों अथवा देश की रक्षा सेवा से छेड़छाड़ कर रहा है। ऐसे किसी मामले में मैं नहीं समझता कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की आवश्यकता देश के लाभ के ऊपर रखी जाए। यह उस आधार पर है जिससे खंड (3) के उपबंधों में उपखंड (2) पेश किया जा चुका है।

पुनः जो व्यक्ति की पूर्ण व्यक्तिगत स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं यह मानेंगे कि निवारक निरोध की यह शक्ति दो परिसीमाओं में रखी गई है : एक यह है कि सरकार के पास खंड (3) के उपबंध के अधीन केवल तीन माह के लिए किसी व्यक्ति को कैद करके रखने की शक्ति होगी। यदि वे उसे तीन माह से अधिक के लिए बंदी बनाए रखना चाहते हैं तो उनके पास सलाहकार बोर्ड की एक सूचना होनी चाहिए जो कार्यपालिका द्वारा दिए गए कागजों की जांच करेंगे और कदाचित एक अवसर अभियुक्त को अपना पक्ष कथन प्रतिवेदित करने का देंगे और यह विनिश्चय करेंगे कि निरोध न्यायोचित है। यह केवल इस बात के अधीन है कि कार्यपालिका किसी भी व्यक्ति को तीन माह से अधिक निरुद्ध कर सकेगी। दूसरे, बंदीकरण तीन माह से अधिक के लिए रह सकता है यदि संसद एक सामान्य विधि बना दे कि किस श्रेणी के मामले तीन माह से आगे बढ़ाए जाएंगे और ऐसे निरोध की अवधि बता दे।

मैं सोचता हूँ, पूर्णतौर पर जो व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं उन्हें अपने आप को धन्यवाद देना चाहिए कि इस खंड को पुरःस्थापित करना संभव पाया गया है जो यद्यपि उन्हें संतुष्ट न कर पाए जिनके विचार इस मामले में पूर्ण निश्चय तौर पर बहुत बड़ी मात्रा में रक्षा करता है जिसे 'विधि की सम्यक प्रक्रिया'

शब्दों के असमावेश से वे खो चुके हैं। श्रीमन, मैं इस अनुच्छेद को सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ।

* * * *

***पंडित ठाकुर दास भार्गव :** सदन ने अभी मुख्य प्रस्ताव पेशकर्ता के खंड (1) को सुना। मैं गर्म वाद–विवाद की याद सदन को कराना आवश्यक नहीं समझता जो करीब सवा साल पूर्व 'विधि की सम्यक प्रक्रिया' शब्दों के इर्द–गिर्द गरमायी थी। अब 'सम्यक प्रक्रिया' का सारवान भाग सत्तर प्रतिशत के पश्चात व्यावहारिक तौर पर अनुच्छेद 13में रक्षित होने के कारण छोड़ा जा चुका है। मुझे सोचना चाहिए कि अपने देश की परिस्थितियों में 'सम्यक प्रक्रिया' का यह उपबंध शत –प्रतिशत आवश्यक है। इस देश में यही सही प्रक्रिया है। ....

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, क्या मैं एक शब्द कह सकता हूँ? अपने आदरणीय मित्र के एक संशोधन को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं जिसमें कहा गया है कि अभियुक्त को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 15–क के खंड (1) की अंतिम पंक्ति में यह शब्द जुड़ सकता है। यह इस प्रकार होगा 'अपनी पसंद के वकीलों से सलाह लेने के अथवा प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होना चाहिए।' मैं समझता हूँ कि यह मेरे मित्र के इरादे को कार्यरूप दे देगा।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : विचरणों में दाण्डिक कार्यवाहियों में?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : 'प्रतिरक्षा' का वही अर्थ है। क्या हम अब यह बहस बंद नहीं कर सकते?

* * * *

****श्री एच. वी. कामथ :** पुलिस अथवा अन्य अधिकारियों द्वारा व्यक्तियों की अनुचित गिरफ्तार करने से उत्पन्न बुराइयों या हानि को दूर करने या कम से कम हल्का करने की खातिर मैं इस संशोधन के द्वारा स्पष्ट व्यवस्था करना चाहता हूँ। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के सात दिन के भीतर गिरफ्तारी के आधार बता दिए जाएंगे। डॉ. अम्बेडकर द्वारा पेश किए गए अनुच्छेद के शब्द हैं 'जितनी शीघ्र हो सके'। मुझे प्रसन्नता होगी कि व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार गिरफ्तारी के समय बता दिए जाएँ।

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 14 सितम्बर, 1949, पृ. 1501

** वही पृ. 1515–16

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यही इरादा है। आप अपने संशोधन के द्वारा स्थिति खराब कर रहे हैं।

श्री एच.वी. कामथ : तब इसे असामान्य क्यों नहीं बनाते? 'जितना शीघ्र हो सके' शब्दों के स्थान पर 'तुरंत' शब्दों का मैं स्वागत करूँगा। उसी अनुच्छेद का एक संशोधन मेरी मित्र श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी ने भी पेश किया है जहाँ वह 'जितना शीघ्र हो सके' शब्दों के स्थान पर 'पंद्रह दिन से कम नहीं' शब्द रखने की इच्छा करती हैं। मैं समझता हूँ पंद्रह दिन का समय बहुत लंबा है। मैं समझता हूँ 24 घंटे बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी दशा में यदि बंदी किए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार बताने में कोई रुकावट है, मैं समझता हूँ कि किसी भी दशा में वह एक सप्ताह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

श्रीमन, दूसरे संशोधन संख्या 108 पर आकर मैं पेश करने की आज्ञा चाहता हूँ।

"कि सूची I के संशोधन संख्या 1 (आठवां सप्ताह) प्रस्तावित अनुच्छेद 15–क के उप वाक्य खंड (2) में अंत में आने वाले शब्द 'न्यायाधीश, जो ऐसे व्यक्ति को सुनने का एक अवसर देगा' शब्दों को जोड़ दें।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मुझे अपने मित्र श्री कामथ को बता देना चाहिए कि वह स्थिति को बहुत खराब कर रहे हैं। हमारा इरादा है कि 'जितना शीघ्र संभव हो' शब्दों का वास्तविक अर्थ यदि बंदीकरण से पहले नहीं तो गिरफ्तारी के तुरंत बाद है। खंड (2) कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है और हवालात में रोका गया है ऐसी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर पास के मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश किया जाएगा। कोई भी न्यायाधीश हवालात में लंबे समय तक रोकने की आज्ञा दने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता जब तक उसे यह पता न चल जाए कि किन आरोपों पर उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है।

श्री एच.वी. कामथ : मैं दण्ड प्रक्रिया को थोड़ा जानता हूँ। मुझे उन मामलों की जानकारी है जहाँ मजिस्ट्रेट ने बिना पुलिस के चालान अथवा आरोप–पत्र उसके सामने पेश व्यक्तियों को चौदह दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया है। मैं ऐसे मजिस्ट्रेट को भी जानता हूँ जिन्होंने मामले को प्रथम दृष्ट्या जानने की चिंता किए बिना व्यक्तियों को रिमांड पर भेज दिया है। दूसरी बात जो डॉ. अम्बेडकर ने कही यह थी कि 'जितनी शीघ्रता हो सके' का वास्तविक अर्थ 'तुरंत' है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इसका अर्थ है हर दशा में चौबीस घंटे।

श्री एच.वी. कामथ : क्या मैं उनका ध्यान कुछ अनुच्छेदों की ओर आकर्षित करूँ जहाँ शब्द 'यथाशीघ्र' बिना विशिष्ट आवश्यकता के प्रयोग हुआ है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 280 लीजिए जिसका संबंध राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : 'यथाशीघ्र' शब्द का अर्थ अवश्य संदर्भ के साथ भिन्न होगा।

श्री एच. वी. कामथ : मैं नहीं जानता कि डॉ. अम्बेडकर इस संविधान में प्रयोग किए गए शब्दों और पदों के अर्थ के निर्वाचित के बारे में वकीलों और न्यायाधीशों की शंका की बहस करने के लिए सदैव भारत में रहेंगे। मुझे अफसोस है कि हमारे न्यायाधीशों और वकीलों को इस देश में मार्गदर्शन करने के लिए डॉ. अम्बेडकर सदैव अमर नहीं रहेंगे। चूंकि संविधान डॉ. अम्बेडकर के जीवनकाल के लिए नहीं बनाया जा रहा है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए है। मैं समझता हूँ कि जो कुछ हम कहते हैं वह स्पष्ट होना चाहिए।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : आप अपने अमरत्व को बहुत सस्ता बेच रहे हैं।

श्री एच.वी. कामथ : भौतिक अमरत्व की मेरी कोई इच्छा नहीं है। ऐसा मालुम होता है कि डॉ. अम्बेडकर मान बैठे हैं कि वह अमर रहेंगे।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : आपको स्वीकार कर लेना चाहिए कि आपने इस संशोधन को पटल पर रख कर गलती की है।

* * * *

***श्री एच.वी. कामथ :** डॉ. अम्बेडकर ने अपने भाषण में पूर्ण स्वतंत्रता के उत्साही वीर का संदर्भ दिया। मैं इसे बिल्कुल स्पष्ट करूंगा कि मैं पूर्ण स्वतंत्रता का पक्षपाती नहीं हूँ।

माननीय सभापति : आज वह पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं करते।

श्री एच.वी. कामथ : श्रीमन, उन्होंने की थी यदि मुझे ठीक याद है। (डॉ. अम्बेडकर ने स्वीकार किया।) उन्होंने व्यक्तिगत पूर्ण व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लेख किया। मैं पूर्ण व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थक या अधिवक्ता नहीं हूँ।

* * * *

अनुच्छेद 15—क

****श्री महावीर त्यागी (संयुक्त राज्य : सामान्य) :** श्रीमन, डॉ. अम्बेडकर मुझे माफ करेंगे जब मैं अपनी खुशी की इच्छा प्रकट करता हूँ कि वह और प्रारूपण समिति के अन्य सदस्य समिति के सदस्य होने से पूर्व जेल में रहने का अनुभव रखते थे।

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 14 सितम्बर, 1949, पृ. 1518

** वही, पृ. 1547

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इसके पश्चात् वह अनुभव प्राप्त करने की मैं कोशिश करूँगा।

श्री महावीर त्यागी : मुझे डॉ. अम्बेडकर को विश्वास दिलाना चाहिए कि यद्यपि अंगरेजी सरकार ने उनको यह विशेषाधिकार नहीं दिया है, संविधान जिसे वह अपने हाथों से बना रहे हैं उनके जीवनकाल में यह विशेष अधिकार देगा। एक दिन आएगा जब वह उन्हीं उपबंधों के उन्हीं खंडों के अधीन विरुद्ध जाएंगे। .....गड़बड़ी।

* * * *

*__श्रीमती जी. दुर्गाबाई :__ श्रीमन, इस अनुच्छेद को मैं सदन की स्वीकृति के लिए रखती हूँ।

माननीय सभापति : मैं समझता हूँ कि आलोचना का उत्तर देने के लिए डॉ. अम्बेडकर कुछ सुझाव देंगे जो हमने इस अनुच्छेद के विरुद्ध किए हैं। इसलिए मैं उनको एक अवसर इस स्तर पर बोलने का दूँगा यदि और भी प्रश्न पैदा होंगे तो हम उन पर विचार करेंगे।

बाबू रामनरायण सिंह (बिहार : सामान्य) : क्या वह अनुच्छेद को पूरी तरह से हटाने के लिए सहमत हैं?

माननीय सभापति : नहीं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मैंने वास्तव में नहीं सोचा था कि अनुच्छेद 15—क की बहस में इतना अधिक समय लग जाएगा। जैसा मैंने कहा स्वयं मैं, प्रारूपण समिति के बड़ी संख्या में सदस्य और जनता के सदस्य महसूस करते हैं कि अनुच्छेद 15 की भाषा के बारे में अर्थात् यह कि विधि द्वारा बनाई गई पद्धति के अनुसार गिरफ्तारी होनी चाहिए हमने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा और सुरक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया है। सदैव से इस संविधान को स्वीकार किया गया मैं और मेरे मित्र किसी प्रकार सम्यक प्रक्रिया शब्दों का प्रयोग किए बिना मौलिक रूप सम्यक तरीके के संतोष के लिए प्रयत्न कर रहे थे। मैंने सोच लिया होता कि सदस्य जो व्यक्ति विशेष की स्वतंत्रता में रूचि लेते हैं, अपने सामने अनुच्छेद 15—क के उपबंध देखकर संतोष से कहीं अधिक प्राप्त कर रहे होंगे। भगवान की कृपा समझकर उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया होगा।

लेकिन मुझे दुःख है कि जिन लोगों ने इस बहस में भाग लिया उनमें यह भावना नहीं थी और उन्होंने अपने को केवल आलोचक की स्थिति में ही नहीं रखा

---

*. सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 14 सितम्बर, 1949 पृ. 1556—1565

है अपितु वे इस अनुच्छेद के प्रतिवादी बन गए। वास्तव में, उनका स्वतंत्रता के प्रति प्यार इतना बढ़ गया कि उन्होंने मुझसे भी कहा कि इस अनुच्छेद को वापिस लेना ही अधिक अच्छा होगा।

श्रीमन, अब मैं उस सलाह को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि मेरे मन में तनिक भी शंका नहीं है कि यह बुद्धिमत्तापूर्ण मार्ग नहीं है और इसलिए मैं अनुच्छेद 15—क पर दृढ़ रहूँगा।

मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि यहाँ कुछ मुद्दे हैं जो विभिन्न आलोचकों ने बनाए हैं जो सहानुभूतिपूर्ण विचार चाहते हैं और मुद्दों पर जो उठाए गए हैं ऐसा विचार करने के लिए मैं तैयार हूँ और सदन को कुछ संशोधन सुझाऊँगा जो मैं समझता हूँ की गई आलोचना को दूर कर देंगे कि मसौदा अनुच्छेद 15—क से कुछ मूलभूत मुद्दे छोड़ दिए गए हैं। आलोचना का उत्तर देते हुए मैं अनुच्छेद के साधारण भाग को विशेष भाग से अलग करता हूँ जो निवारक निरोध के बारे में हैं। मैं निवारक निरोध को अलग से लूँगा।

अब अनुच्छेद 15—क के खंड (1) पर लौट रहा हूँ। मैं समझता हूँ तीन सुझाव दिए गए थे एक 'यथाशक्य शीघ्र' शब्द से संबंधित है। इसके सदस्यों द्वारा सुझाए संशोधन है कि इन शब्दों को छोड़ दिया जाए और इनके स्थान पर 'पंद्रह दिन' शब्द और कुछ स्थानों पर 'सात दिन' शब्दों की सलाह दी गई है। मेरे अनुसार यह संशोधन जो 'यथाशक्य शीघ्र' का अर्थ है इससे पूर्ण गलतफहमी दिखाते हैं जिस संदर्भ में इसका प्रयोग हुआ है। आंतरिक तौर पर यह शब्द खंड (2) से जुड़े हुए हैं और मेरे विचार से यह जिस संदर्भ में खंड (2) के उपबंध में प्रयुक्त हुए हैं उससे अन्यथा नहीं पढ़े जा सकते। निश्चित रूप से है कि कोई व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है 24 घंटे से अधिक हवालात में नहीं निरुद्ध किया जा सकता जब तक 24 घंटे के पश्चात् पुलिस अधिकारी जो गिरफ्तार करता है और निरुद्ध करता है, मजिस्ट्रेट से अधिकार प्राप्त नहीं कर लेता। इस अनुच्छेद को इसी प्रकार पढ़ना होगा। अब यह स्पष्ट है कि यदि पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट गिरफ्तारी को 24 घंटे के पश्चात् जारी रखने के लिए न्यायिक अधिकार चाहता है तो यह स्वतः सिद्ध है कि वह मजिस्ट्रेट को कम से कम वे आरोप बताए जाए जिनके अधीन व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। जिसका अर्थ है कि 'यथाशीघ्र' को 24 घंटे से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए वे सभी संशोधन जो 15 दिन अथवा 7 दिन संशोधन हैं जो वास्तव में व्यक्ति की स्वतंत्रता को काटते हैं इसलिए मैं सोचता हूँ वे संशोधन पूरी तरह से गलत स्थान पर रखे हैं और वे वांछित नहीं हैं।

दूसरा उठाया गया मुद्दा है कि जब हमने अनुच्छेद 15क के खंड (1) में अभियुक्त

को अपनी इच्छा के वकील की सलाह लेने का अधिकार दिया है तो अपना बचाव वकील के द्वारा करने की आज्ञा देने का कोई उपबंध हमने नहीं किया है। दूसरे शब्दों में, सलाह लेने का अधिकार और बचाव कराने का अधिकार में हमने अंतर किया है। व्यक्तिगत तौर पर मैंने सोचा कि 'परामर्श लेना' शब्द में बचाव करने का अधिकार भी सम्मिलित है क्योंकि परामर्श लेना पूरी तौर पर उद्देश्य रहित हो जाएगा यदि यह बचाव के उद्देश्य के लिए नहीं है। तथापि, किसी संदिग्धार्थता अथवा किसी तर्क को दूर करने के लिए कि परामर्श लेना सीमित अर्थ में प्रयोग होता है। 'परामर्श' शब्दों के पश्चात् मैं 'एक वकील (विधि व्यवसायी) के द्वारा बाचाया जाना हो' शब्द जोड़ने के लिए तैयार हूँ जिससे दोनों 'परामर्श लेने' और बचाव करने का अधिकार हो। अंतिम वक्ता द्वारा 'अपनी पसंद का विधि व्यवसायी' शब्दों के अर्थ के बारे में एक प्रश्न खड़ा किया गया है। निःसंदेह 'अपनी पसंद का' शब्द महत्वपूर्ण है और वे विचार–विमर्श के बाद प्रयोग किए गए हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि आज की सरकार अभियुक्त पर उसके मुकदमे की पैरवी करने के लिए चोरी से वकील थोपे जिसे वह ठीक समझती है क्योंकि अभियुक्त का उसमें विश्वास नहीं होगा। 'विधि व्यवसायी' पद के द्वारा अर्थ वही है जिसे हम साधारण तौर पर समझते हैं अर्थात् एक व्यवसायी जो उच्च न्यायालय के अथवा संबंधित अदालत के नियमों द्वारा व्यवसाय (वकालत) करने के लिए हकदार है।

श्रीमन, अब मैं खंड (2) पर आता हूँ। मुख्य बिन्दु मेरे मित्र पाटसकर द्वारा उठाया गया है। जहाँ तक मैं इसे समझ सका वह 'मजिस्ट्रेट' शब्द को 'प्रथम मजिस्ट्रेट' शब्द से बदलना चाहते थे। अच्छा, उनके द्वारा सुझाए गए शब्दों को स्वीकार करने में मुझे दो कारणों से कठिनाई है। हमने खंड (2) में बहुत महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया है जैसे 'निकटतम मजिस्ट्रेट' और मैंने सोचा कि वह अति आवश्यक था क्योंकि अन्यथा यह पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार व्यक्ति को इस आधार पर लंबे समय तक बंदी बनाने में समर्थ बना देता कि वह विशेष मजिस्ट्रेट जिसके पास अभियुक्त को ले जाना था अथवा आखिकरकार जिस मजिस्ट्रेट के वहाँ अभियुक्त का विचारण करने के लिए हकदार होगा, काफी दूर रह रहा है और इस प्रकार अभियुक्त को अधिक समय तक निरूद्ध रखने का उसके पास उचित आधार होगा। इस प्रकार, ऐसे तर्क को दूर रखने के लिए हमने 'निकटतम मजिस्ट्रेट' शब्द प्रयोग किया था। अब, मान लीजिए हम 'निकटतम वर्ग I मजिस्ट्रेट' शब्दों का प्रयोग करना चाहते थे; स्थिति बहुत जटिल हो जाएगी। यहाँ 'निकटतम मजिस्ट्रेट' होना चाहिए जिसके पास पुलिस अधिकारी अभियुक्त के अपने हित में कि उसके मामले पर न्यायिक तौर पर विचार किया जा सके। लेकिन हो सकता है कि वह प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न हो। इसलिए हमें वास्तव में एक विकल्प लेना है क्या हम अभियुक्त को मामले का विनिश्चय होने

के लिए और आसपास के मजिस्ट्रेट द्वारा उसके बारे में कार्यवाही करने के लिए पूर्णतम अवसर देंगे अथवा क्या हम वर्ग I मजिस्ट्रेट की तलाश में लगाए जायें। मैं सोचता हूँ कि अभियुक्त की स्वतंत्रता के हित में 'निकटतम मजिस्ट्रेट' का उपबंध सबसे अच्छा है। मुझे अपने मित्र पाटसकर को यह भी बता देना चाहिए कि यद्यपि हमने संशोधन 'निकटतम वर्ग I मजिस्ट्रेट' स्वीकार कर लिया होता लेकिन आज की सरकार के लिए मजिस्ट्रेट की शक्तियां देने के लिए वर्ग I मजिस्ट्रेट की शक्तियां जिस मजिस्ट्रेट को देना चाहते हैं उसे देना पूर्णतः संभव होता और उससे अभियुक्त के साथ छल हो जाता। इसलिए मैं नहीं सोचता कि उसका संशोधन या वांछनीय तो है अथवा आवश्यक और मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

और अब अनुच्छेद 15—क में जो उपबंध रखे हैं वे साधारण उपबंध हैं और मुझे विश्वास है....

पंडित ठाकुरदास भार्गव : कृपया विचार कीजिए।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : अब मेरे मित्र पं. ठाकुरदास भार्गव ने प्रति परीक्षा का प्रश्न उठाया है।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : और लेखबद्ध कारणों से.....

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : अच्छा, मैं सोचता हूँ कि वह आज्ञापक उपबंध है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि उपबंध जो बहुत से दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबधों में मजिस्ट्रेट पर इसे लेखबद्ध कारणों से आवश्यक बनाना उच्च न्यायालय को समर्थ बनाता है कि मजिस्ट्रेट पर छोड़ा गया विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायिक तौर पर किया गया है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि यह बहुत आज्ञापक उपबंध है लेकिन मैं वास्तव में चाहता हूँ कि मेरे मित्र विचार करें कि इस प्रकार के मामले में जिसमें कहाँ, क्या फंसा है और आगे अवधि के लिए अभिरक्षा में भेजना अंतग्रहित है। मजिस्ट्रेट के पास यह सोचने का अधिकार नहीं होगा कि क्या पुलिस के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध लगाया गया आरोप पहली दृष्टि में सिद्ध होता है।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : इस समय भी धारा 167(3) में ये शब्द मौजूद हैं। आज भी प्रत्येक मजिस्ट्रेट का जिसके पास कोई व्यक्ति ले जाए, यह कर्तव्य है कि यदि वह निरोध जारी रखने की आज्ञा देता है, तो वह उसके कारण लेखबद्ध करे।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह बिल्कुल सत्य है वे हैं लेकिन क्या वे बहुत आवश्यक हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं समझता कि वे आवश्यक हैं। आइए, हम सबसे खराब मामला लें। पुलिस को प्रसन्न करने के लिए

एक मजिस्ट्रेट मानो एक के पश्चात् दूसरा लगातार रिमांड स्वीकार करता जाता है, इस प्रकार पुलिस को अभियुक्त को अभिरक्षा में रखने में समर्थ बनाता है। यह ऐसा मामला है जिसका अभियुक्त के पास कोई इलाज नहीं है। मैं समझता हूँ अभियुक्त के पास इसका इलाज उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण के लिए जाना है और यह कहना है कि न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग किया जा रहा है।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : गरीब व्यक्ति किस प्रकार उच्च न्यायालय जा सकता है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इस पर मैं अपना दिमाग बंद करना नहीं चाहता। यदि यहाँ आवश्यक है तो मैं सोचता हूँ कि प्रारूपण समिति को इस पर बाद में विचार करने के लिए छोड़ दिया जाए कि क्या इन शब्दों का समावेश आवश्यक है। जैसा कि इस समय सलाह दी गई थी हम समझते हैं ये शब्द आवश्यक नहीं हैं।

अब मैं निवारक निरोध से संबंधित अनुच्छेद 15(3) के भाग दो पर आता हूँ। अनुच्छेद के इस भाग के विरुद्ध मेरे मि. श्री त्यागी पूरी तरह नाराज हैं। अच्छा मैं सोचता हूँ अपने मित्र श्री त्यागी को इस आधार पर माफ कर दूंगा क्योंकि आखिरकार वह वकील नहीं हैं और वह वास्तव में यह भी नहीं जानते कि क्या हो रहा है। उनकी अचानक नींद खुल गई है जब कुछ चीज जो साधारण दिमाग के समझने योग्य है बिना सोचे ऊपर आए कि जो ऊपर उठा है और जो उन्हें जागृत करता है वास्तव में केवल अनुवर्ती है। लेकिन मैं सदन की सतह के सदस्यों को उनके द्वारा किए गए व्यवहार के लिए माफ नहीं कर सकता।

हम जो कर रहे हैं वह क्या है? हम जो अब कर रहे हैं उसे मुझे सदन के सामने स्पष्ट करने दो। सातवीं अनुसूची में हमारे सामने तीन सूची थीं। तीनों सूचियों में निवारक निरोध से संबंधित दो प्रविष्टियाँ सम्मिलित थी, एक पहली सूची I में और दूसरी सूची III में I अब यह मानकर, निवारक निरोध से संबंधित अनुच्छेद का यह भाग छोड़ दिया था। इसका क्या प्रभाव होगा? इसका प्रभाव होगा कि प्रांतीय विधानमंडल तथा केंद्रीय मंत्रिमण्डल को निवारक निरोध पर किसी प्रकार की विधि बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी क्योंकि यदि यह संविधान विशेष अनुच्छेद के द्वारा किसी प्रकार के कानून बनाने के बारे में जो हमने अभी दोनों केंद्र और प्रांत को दिए हैं, रोक नहीं लगाते तो यहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं बचेगी और संसद और प्रांतीय विधानमंडल को निवारक निरोध पर किसी प्रकार का कानून बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। क्या सदन के वकील सदस्य इस प्रकार की स्वतंत्रता राज्य विधानमंडल और संसद को देना चाहेंगे? मेरा निवेदन है कि उनका व्यवहार जैसा आज प्रदर्शित हुआ था कि हमको कोई ऐसा उपबंध नहीं चाहिए, तब उन्हें क्या और करना चाहिए था

कि सूची I और सूची III की प्रविष्टियों पर एतराज करते। हम चीजों को छोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमने राज्य विधानमंडल और संसद को निवारक निरोध के बारे में कानून बनाने की शक्तियाँ दी हैं। मैं जो यत्न कर रहा हूँ, वह उन शक्तियों को कम करना है और उन पर पाबंदी लगाना है। मैं बदतर नहीं कर रहा हूँ आप ने बदतर किया है।

दूसरे भाग में रखे गए विशेष उपबंध पर आने तक, मैं पहले ......(गड़बड़ी)

पंडित ठाकुरदास भार्गव : उन सूचियों को किसने बनाया?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैंने बनाया। आपने उनको पारित किया।

यह परमितता मेरे दिमाग में थी। अब मैं खंड 3(ख) के परंतुक पर आता हूँ।

श्री महावीर त्यागी : क्या आप एक साधारण व्यक्ति को यह समझाने में सहायता करेंगे कि मामलों के सलाहकार बोर्ड ने खंड (4) के अधीन आप को पुनरावृत्ति क्यों नहीं करने दी?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इस सदन में मैं उनको कानूनी बिंदु स्पष्ट नहीं कर सकता। यह सदन कानून की कक्षा नहीं है और मैं अब इस प्रकार के स्पष्टीकरण में नहीं फंस सकता। आदरणीय सदस्य मेरे मित्र हैं यदि वह नहीं समझते वह आ सकते हैं और बाद में पूछ सकते हैं।

अब मैं परंतुक की बात करूंगा जो दो प्रकार की आलोचना का शिकार है। एक आलोचना यह है कि उन आदमियों के बारे में जो गिरफ्तार हुए हैं और हवालात साधारण परंतुक के अधीन हैं जो परंतुक निवारक निरोध से भिन्न हैं, हमने अनुच्छेद 15—क के खंड (1) में उपबंध बना दिया है कि अभियुक्त को उसकी गिरफ्तारी के आधार बता दिए जाएंगे। मैंने कहा हम ऐसा कोई उपबंध उन व्यक्तियों के मामले में नहीं बनाते जो निवारक निरोध में रोका गया है। मैं समझता हूँ यह उचित आलोचना है। मैं स्थिति को सुधारने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैंने देखा कि प्रांतीय सरकारों द्वारा निवारक निरोध के मामले में बनाए गए। मौजूद नियमों के अधीन भी, उन्होंने उपबंध अपराधी को उसकी गिरफ्तारी की सूचना देने के लिए बनाए हैं जिनके आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। व्यक्तिगत तौर पर मैं कोई कारण नहीं देखता कि जब जो प्रांत निवारक निरोध कानून रखते हैं, यह उपबंध क्यों रखते हैं यह संविधान के बीच में नहीं आएंगे। इसलिए मैं निम्नलिखित खंड को रखने को तैयार हूँ अनुच्छेद 15—क के उपवाक्य खंड (3) के पश्चात् :

"(3—क) इस अनुच्छेद के खंड (3) के वाक्य (ख) के अधीन जब किसी व्यक्ति के बारे में एक आदेश दिया जाता है..."

बाबू रामनारायण सिंह : श्रीमन, डॉ. अम्बेडकर कहते हैं कि प्रदेश इस खंड को सम्मिलित करना चाहते हैं।

माननीय सभापति : इस प्रकार की कोई बात उन्हौंने नहीं की। उन्होंने जो कुछ कहा है वह यह है कि बहुत से अधिनियम जो राज्यों द्वारा निवारक निरोध पर पारित किए गए हैं, उनके पास बहुत से उपबंध हैं। वह इस अनुच्छेद में ऐसा ही परंतुक समाविष्ट कराना चाहते हैं।

बाबू रामनारायण सिंह : मैं जानना चाहता था क्या हम प्रांतों के कहने पर कानून पारित कर रहे हैं?

माननीय सभापति : इस प्रकार की कोई बात नहीं है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं देखता हूँ कि श्री रामनारायण सिंह कुछ हद तक जिस राज्य में रहते हैं उस प्रांत की सरकार से असंतुष्ट हैं।

जैसा मैं कह रहा था, मैं सोचता हूँ यह उपबंध करना चाहिए –

अनुच्छेद 15क के खंड (3) के उपखंड (ख) के अधीन किसी व्यक्ति के बारे में जब एक आदेश किया जाता है आदेश करने वाला अधिकारी जैसे ही उसे सूचना मिलेगी तुरंत गिरफ्तारी के आधार जिन पर आदेश दिया गया है उनको बताएगा तथा उस आदेश के विम्द्ध अभ्यावेदन करने के लिए उसे शीघ्रातिशीघ्र अवसर देगा।

(ख) "इस अनुच्छेद के खंड (3क) की किसी बात से आदेश देने वाले प्राधिकारी के लिए ऐसे तथ्य को प्रकट करना आवश्यक होगा जिसे ऐसा अधिकारी लोकहित के विरुद्ध समझता है।"

प्रांतों के अधिनियमों में ठीक–ठीक शब्द हैं मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता कि इन्हें यहाँ क्यों न रखा जाए जिससे कि इस आधार की आलोचना कि हम एक व्यक्ति को बिना उसकी गिरफ्तारी के कारण उसे बताएं। इसलिए रोक रहे हैं कि उसका मामला निवारक निरोध अधिनियम में आता है।

अब मैंने जो संशोधन प्रस्तावित किया है, उससे ठीक हो जाता है।

दूसरा प्रश्न है ....गड़बड़ी

माननीय श्री के. सन्थानम (मद्रास : सामान्य) : क्या यह खंड (1) के उपबंध के अतिरिक्त है? यहाँ पहले से ही एक उपबंध है कि कोई व्यक्ति बिना सूचना दिए हवालात में नहीं रखा जाएगा।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : निवारक निरोध में गिरफ्तार लोगों के विषय में यह व्यवहार नहीं करता।

माननीय श्री के. सन्थानम : क्या यह ऐसे व्यक्ति को सम्मिलित नहीं करता जो निवारक उद्देश्यों के लिए गिरफ्तार किया गया है? मैंने सोचा था कि वाक्य खंड (1) हर प्रकार की गिरफ्तारी सम्मिलित करता है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : नहीं, हमारी यह भावना किसी प्रकार नहीं है। मामलों को दो श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया है।

श्री महावीर त्यागी : वह वकील है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह अदालत में है यहाँ नहीं है।

माननीय सभापति : वह वकील नहीं हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं समझता हूँ यह कहना बहुत अच्छा होगाः वाक्य खंड (1) और (2) वाक्य खंड (3) पर लागू नहीं होंगे। यही इरादा है। इस प्रकार उनकी आलोचना का उत्तर मैंने दिया है या पूर्ति की है।

मैं अब बिना जांच अथवा मुकदमा चलाए तीन माह हवालात में रखने के प्रश्न पर आता हूँ। कुछ सदस्यों ने कहा था कि यह 15 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए और दूसरों ने सलाह कुछ अन्य समय की दी इत्यादि, इत्यादि। मैं सदन को बताना चाहूँगा कि हम क्यों सोचते हैं कि तीन माह सहन करने योग्य समय है और पंद्रह माह बहुत लम्बा। मेरे पास आवेदन किए गए थे कि निरोध के मामलों पर विचारणीय होने चाहिए। हम नहीं जानते कि इस देश में स्थिति किस प्रकार विकसित होगी, हालात क्या होंगे जिसे देश भुगतेगा, संविधान कब व्यवहार में आता है। क्या इस देश में मनुष्य और संस्थाएं (पार्टियां) शक्ति हासिल करने के लिए संवैधानिक तरीके का व्यवहार करेंगी अथवा अपने उद्देश्य पूरा करने के लिए असंवैधानिक तरीके अपनाएंगी। यदि हम सभी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शुद्ध संवैधानिक तरीका, मैं समझता हूँ तो स्थिति भिन्न होगी और कदाचित निवारक निरोध रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी न हो।

लेकिन मैं सोचता हूँ कि विधि बनाने में हमें सर्वोत्तम पर विचार करना चाहिए न कि बदतर पर। इसलिए यदि हम उस स्थिति पर विचार करते हैं, जैसे कि यहाँ बहुत सी पार्टियाँ और व्यक्ति हो सकते हैं जो बहुत संतोषी नहीं हों, यदि मैं एक सा कहना चाहूँ, संवैधानिक तरीकों पर चलने के लिए लेकिन अपने उद्देश्य प्राप्त करने में और उद्देश्य के लिए असंवैधानिक तरीके चालू करने के लिए असंतोषी हैं। तब यहाँ बड़ी संख्या में व्यक्ति होंगे जिन्हें कार्यपालिका ने रोक रखा होगा। मान लो यहाँ बड़ी संख्या में लोगों को उनके गैर–कानूनी अथवा कानून के विरुद्ध कार्यों के लिए रोक रखा है और हम उस नियम के उप वाक्य खंड (क) के उपबंध को

प्रभावी बनाना चाहते हैं, स्थिति क्या होगी? क्या कार्यपालिका के लिए मामले तैयार करना संभव होगा, कहो उन एक सौ व्यक्तियों के विरुद्ध जो हवालात में रोक रखे गए हों, संक्षेप तैयार करना, पूरी सूचनाएं इकट्ठी करना और सलाहकार बोर्ड को मामला भेजना? क्या यह व्यवहारिक संभावना है? क्या सलाहकार बोर्ड के लिए इतने मामले तीन माह में समाप्त करना व्यवहारिक तौर पर संभव होगा, क्योंकि मैं कहूँगा कि इस नियम के उपवाक्य खंड (क) में रखे गए उपबंध उसमें निर्णित है यदि वह व्यक्ति को तीन माह से अधिक रोकना चाहें तो उन्हें इस संबंध में सलाहकार बोर्ड से आदेश अवश्य लेना चाहिए।

इसलिए इस मामले में प्रशासनिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए प्रारूपण समिति ने महसूस किया कि स्थिति की आवश्यकताएं तीन माह की समय–सीमा रखकर पूरी होनी चाहिए। यह विशेष समय–सीमा निश्चित करने में प्रारूपण समिति का कोई अन्य इरादा नहीं है और मैं आशा करता हूँ कि जिन शब्दों के बारे में मैंने सदन के सामने उल्लेख किया है सदन सहमत होगा कि यह अच्छा और उचित उपबंध है जो बनाया जा सका।

अब मैं सलाहकार बोर्ड पर आता हूँ। दो मुद्दे उठाए गए हैं। एक यह कि सलाहकार बोर्ड की पद्धति क्या है? उपखंड (क) पद्धति का कोई विशेष संदर्भ सलाहकार बोर्ड द्वारा मानने के लिए बाध्य नहीं करता। निर्दिष्ट प्रश्न में पूछा गया है क्या उपखंड (क) में संबंधित मामले के सभी कागज सलाहकार बोर्ड के सामने रखना कार्यपालिका के लिए आवश्यक होगा जो उन्हें किसी व्यक्ति को निवारक निरोध में रोकने के लिए जरूरी होंगे।

संकेत किए गए प्रश्न में पूछा गया है क्या अभियुक्त को बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने, गवाह की प्रतिपरीक्षा और अपना स्पष्टीकरण देने का अधिकार है। यह बिल्कुल सच है कि जांच में पद्धति अपनाने के मामले में उपखंड (क) मौन है जिसे सलाहकार बोर्ड द्वारा किया जाना है। यह मानते हुए कि उपखंड (क) सुधरा नहीं है जैसा था वैसा ही है। क्या परिणाम होंगे? जैसा मैंने इसे पढ़ा, आदेश के समर्थन में रिपोर्ट प्राप्त कर लेना आवश्यक उपबंध है। कार्यपालिका के नाम पर यह गलत होगा कि वह किसी व्यक्ति को जिस दिन अपने अधिकार में तीन माह पूरे होते हैं सलाहकार बोर्ड की सिफारिश के बिना निरुद्ध रखे। इसलिए यदि कार्यपालिका सरकार सलाहकार बोर्ड के सामने कुछ कागज जिन पर आधारित है नहीं रखती है तो वे किसी व्यक्ति को तीन माह से अधिक हवालात में रखने का अधिकार खो देगी।

इसलिए उसके अपने हित में कार्यपालक सरकार के लिए वांछनीय और मेरे विचार में आवश्यक होगा कि वह सलाहकार बोर्ड के सामने वह कागजात रखे जिन पर वह विश्वास करती है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो निवारक विधि के प्रशासन

के मामले में बहुत बड़ा खतरा ले रहे होंगे। मेरे निर्णय में यह अपने आप में काफी संरक्षा होगी कि कार्यपालिका उसके सामने रखेगी।

यदि मेरे मित्र इससे संतुष्ट नहीं हैं तो मेरे पास दूसरा प्रस्ताव है और वह यह है कि खंड (क) के तरीके में कोई विशेष उपबंध किए बिना उपखंड (4) के पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़ें : "इस अनुच्छेद के खंड (3) के परंतुक के खंड (क) के अधीन सलाहकार बोर्ड जांच करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया संसद भी विहित कर सकती है।" मैं सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में उपबंध करने की संसद को शक्ति देने के लिए तैयार हूँ। मैं समझता हूँ स्थिति की आवश्यकता उससे पूरी हो जानी चाहिए।

श्रीमन, अनुच्छेद 15–क के विभिन्न भागों की आलोचनाओं के उत्तर में मैं यही संशोधन स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ।

अब मैं कुछ विविध सुझावों पर वाद–विवाद करने के लिए आगे बढूंगा।

श्री जसपतराय कपूर : उस दशा में कदाचित खंड (2) के परंतुक की उपधारा (ख) जाएगी?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : कुछ नहीं जाएगा।

डॉ बक्षी टेक चन्द (पूर्वी पंजाब : सामान्य) : आप इस बात से सहमत हैं कि गिरफ्तार हुए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधार भी दे दिए जायेंगे और उसका बयान लिया जाएगा।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : और उसे लिखित बयान देने के लिए एक अवसर भी दिया जाएगा।

डॉ. बक्शी टेक चन्द : क्या आप उस दूसरे मुद्दे पर जिस पर मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया था सहमत होंगे अर्थात् मद्रास अधिनियम की भांति स्पष्टीकरण बोर्ड के सामने रखा जाएगा?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : उसके सामने सभी कागज रखे जाएंगे। यह वही है जो मैंने बताए हैं।

डॉ. बक्शी टेक चन्द : सभी कागज उसके सम्मुख पेश नहीं किए जाने चाहिएं। मुझे कुछ अनुभव है। वे कहेंगे कि यह बहुत छोटा मामला है। निश्चित समय के भीतर आप उसे स्पष्टीकरण देने का एक अवसर देते हैं, आप इस उपबंध को रखने में शर्मिन्दगी क्यों भुगत रहे हैं? मद्रास अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के उपखंड (1) में एक उपबंध है कि स्पष्टीकरण बोर्ड के सामने रखा जाएगा।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : वह मैं समझता हूँ, मेरे कथन से प्रकट होता है।

डॉ. बक्शी टेक चन्द : इसे स्पष्ट क्यों नहीं करते? यह बम्बई अधिनियम में अथवा संयुक्त प्रांत कानून में नहीं है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जैसा मैंने कहा अभियुक्त द्वारा उपखंड (क) के अधीन सलाहकार बोर्ड को कागज देने के संबंध में स्पष्टीकरण देना विवक्षित है। यदि ऐसा नहीं है तो मैं और उपबंध बना रहा हूँ कि संसद को विधि द्वारा प्रक्रिया बनानी चाहिए जिसमें संसद को स्पष्ट कहना चाहिए कि ये (अमुक) कागज सलाहकार बोर्ड के सामने रखे जाएंगे। अब मैं इससे अधिक रियायत बिल्कुल भी देने के लिए तैयार नहीं हूँ।

श्री महावीर त्यागी : डॉ. अम्बेडकर कृपया क्या मुझे एक मिनट का समय दीजिएगा?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : अभी नहीं।

श्री महावीर त्यागी : मैं जानना चाहता हूँ कि खंड (4) के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति क्या संसद या प्रांतों द्वारा बनाई विधि के अनुसार अधिकरण द्वारा अपने मामले पर पुनर्विचार कराने की असुविधा प्राप्त है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरे मित्र श्री त्यागी इस प्रकार अभिनय कर रहे हैं जैसे यद्यपि वह डर में डूबे हुए हैं कि उनको स्वयं बंदी बनाया जा रहा है। मैं इसकी कोई आशा नहीं करता।

श्री महावीर त्यागी : मैं आपकी स्थिति की रक्षा की कोशिश कर रहा हूँ।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : अब मैं अनेक प्रकार के कुछ विविध सुझावों पर विचार करूँगा।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : प्रतिपरीक्षा और प्रतिरक्षा के बारे में क्या है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : प्रतिपरीक्षा का अधिकार दण्ड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अनिधियम में पहले से ही है। जब तक प्रांतीय सरकार पूरी तरह कठोरता से पागल नहीं हो जाती और इन उपबंधों को नहीं हटा लेती, इस प्रकार का कोई उपबंध बनाना अनावश्यक है। प्रतिरक्षा करने में प्रतिपरीक्षा सम्मिलित है।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : वे इस हद तक शक्ति को हड़पने की कोशिश करते हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यदि आप भारत का एक भी उदाहरण दे सकें जहाँ प्रतिपरीक्षा का अधिकार छीन लिया गया है, मैं इसे समझ सकता हूँ। मैंने ऐसा कोई मामला नहीं देखा है।

श्रीमन, अधिकतम सजा के प्रश्न को बढ़ा दिया गया है। जो चाहते हैं कि अधिकतम सजा निश्चित कर दी जाए, खंड (4) के उपबंध को कृपया नोट करें जहाँ निश्चित तौर पर यह कहा गया है कि ऐसा विधि बनाने में संसद भी अधिकतम समय निश्चित करेगी।

पंडित हृदयनाथ कुंजरू : शब्द 'सकेगी' है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : 'बना सकेगी' 'बनाएगी' है।

पंडित हृदयनाथ कुंजरू : संसद वह कर सकेगी अथवा नहीं कर सकेगी।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : वह सच है, लेकिन यदि यह करता है, वह अधिकतम निश्चित करेगी।

उठाया गया दूसरा प्रश्न गिरफ्तार किए गए व्यक्ति और उसके परिवार के बारे में है।

श्री जसपतराय कपूर : समसामयिक प्रकाशित लेखों के बारे में क्या है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं उस पर आ रहा हूँ। वह ऐसा मामला नहीं है जिसे हम संविधान में समाविष्ट कर सकें। उदाहरण के लिए, कुछ मामलों में यह आवश्यक होगा और दूसरे मामलों में नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, खंड (4) संसद को भी यह शक्ति देता है कि वह गुजारा भत्ता दिया जाएगा। व्यक्तिगत तौर पर, मैं स्वयं सोचता हूँ कि निर्वाह के पक्ष में तर्क बहुत कमजोर है। एक आदमी वास्तव में राज्य की जड़ खोद रहा है और उसे उस कार्य के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है तो जब वह कारागार में है भोजन का अधिकार है लेकिन उसे निर्वाह की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। तो भी उदाहरण के रूप में संसद और विधानमंडल को उपबंध बनाने चाहिएं। मैं समझता हूँ कि ऐसा उपबंध किसी भी अधिनियम में संभव है जिसे संसद खंड (1) के अधीन बना सकेगी।

बंदी के मामलों पर पुनर्विलोकन के बारे में, मुझे फिर भी कुछ दिखाई नहीं देता कि प्रांतीय सरकारों को उनकी अपनी विधि के अधीन आवधिक पुनर्विलोकन के लिए उपबंध बनाना अथवा संसद के लिए खंड (4) के अधीन कानून बनाकर आवधिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करना क्यों संभव नहीं होना चाहिए? मैं समझता हूँ यह शुद्ध प्रशासनिक मामला है और कानून के द्वारा विनियमित किया जा सकता है।

मेरे मित्र श्री अनंतशयनम अयंगर ने कहा था कि मैं वास्तव में बंदी के लिए बहुत भावना नहीं रखता क्योंकि मैं कभी जेल में नहीं रहा, लेकिन मैं उनको बता सकता हूँ कि गत मंत्रिमण्डल में पुनर्विलोकन के नियम के समावेश के लिए यदि कोई व्यक्ति जिम्मेवार था तो मैं था। मंत्रिमंडल का एक बड़ा भाग इसके विरुद्ध था।

मैं और दूसरा एक यूरोपियन सदस्य इसके लिए लड़े और उसे प्राप्त किया। इसलिए स्वतंत्रता और आजादी महसूस करने के लिए जेल जाना आवश्यक नहीं है।

यहाँ एक और मुद्दा है जिसे मेरे मित्र श्री कामथ ने उठाया था। उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या उच्च न्यायालय के लिए बंदी की सुविधा के लिए आदेश निवारक निरोध में जारी करना आवश्यक है। स्पष्टतः स्थिति यही है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश किसी मामले के लिए और किसी मामले में जारी किया जा सकता है लेकिन दूसरे आदेश भिन्न –भिन्न व्यक्ति के हालात पर निर्भर करते हैं, क्योंकि बंदी प्रत्यक्षीकरण का उद्देश्य बहुत सीमित है। यह अदालत द्वारा मालुम किए जाने के लिए सीमित है क्या वह कानून के द्वारा गिरफ्तार किया गया है अथवा उसे कार्यपालिका की इच्छा से गिरफ्तार किया गया है। उच्च न्यायालय का एक बार समाधान हो जाए कि व्यक्ति को किसी कानून के अधीन गिरफ्तार किया गया है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण समाप्त हो जाएगा। यदि उसे किसी कानून के अधीन गिरफ्तार नहीं किया गया था, तो स्पष्टतः प्रभावित पार्टी किसी अन्य आदेश की मांग कर सकता है जो गलतियों को सुधारने के लिए आवश्यक व उचित है। श्री कामथ के लिए यही मेरा उत्तर है।

श्रीमन, मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा सुझाए गए संशोधनों से सदन अनुच्छेद 15–क को स्वीकार करने की स्थिति में होगा।

माननीय सभापति : मैं अब संशोधन को मतदान के लिए रखूँगा।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : वे सभी वापिस होने चाहिएं।

श्री नजीरुद्दीन अहमद (पश्चिम बंगाल) : नया खंड अभी जोड़ दिया गया है। क्या वे अब मत के लिए रखे जाएंगे?

माननीय सभापति : हाँ, अभी तुरंत।

* * * *

***माननीय सभापति** : प्रश्न है :

"कि प्रस्तावित नये अनुच्छेद 15–क के खंड (1) में उपर्युक्त संशोधन संख्या 1 में 'अपनी पसंद के विधि व्यवसायी' शब्दों के 'और सभी आपराधिक कार्यवाहियों और मुकदमे की कार्यवाही में विधि व्यवसायी के द्वारा प्रतिरक्षा में' शब्द रखे जाएँ।

(संशोधन अस्वीकार कर दिया गया।)

* * * *

---

* सीएडी खण्ड IX, दिनांक 14 सितम्बर, 1949 पृ. 1566

माननीय सभापति : तब संख्या 7 :

श्री टी.टी. कृष्णमाचारी : डॉ. अम्बेडकर ने इस प्रस्ताव का एक भाग स्वीकार कर लिया है। इस पर मतदान करने की आवश्यकता नहीं है। यदि इसे अस्वीकार कर दिया जाए तो डॉ. अम्बेडकर इसके एक भाग को स्वीकार करने को समर्थ नहीं रहेंगे।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरे संशोधन स्वतंत्र हैं।

* * * *

***माननीय सभापति** : ....मैं सोचता हूँ यही वे सब संशोधन हैं जिनको हमने कल पेश किया था। डॉ. अम्बेडकर ने कुछ संशोधन आज पेश किए हैं और मैं अब उनको मत के लिए रखूंगा।

(छह संशोधन अस्वीकार हुए।)

(निम्नलिखित संशोधन स्वीकार हुए)

"कि अनुच्छेद 15—क के खंड (1) में 'परामर्श' शब्द के पश्चात् 'और के द्वारा बचाव हो' शब्द रखे जाएँ।"

"कि अनुच्छेद 15—क के खंड (3) में 'इस धारा की किसी बात में' शब्द कोष्ठक और अंक के स्थान पर 'अनुच्छेद के खंड (1) और (2) में' रखे जाएं।"

"कि अनुच्छेद 15—क के खंड (3) के पश्चात् निम्नलिखित खंड रखा जाए:

'(3क) खंड (3) के उपखंड (ख) के अधीन किसी व्यक्ति के बारे में जहाँ एक आदेश होता है आदेश करने वाला अधिकारी जैसे ही उसे आधार की सूचना मिलेगी जिस पर आदेश किया गया था और आदेश के विरुद्ध तुरंत उसे एक आवेदन का अवसर प्रदान करेगा।

(3—ख) इस अनुच्छेद के खंड (3—क) को किस बात में अनुच्छेद खंड (3) के उपखंड (ख) के अधीन कोई आदेश करने वाला अधिकारी तथ्यों को खोलना आवश्यक समझेगा जिनको यह अधिकारी खोलना सार्वजनिक हित के विरुद्ध समझता है।'"

"कि अनुच्छेद 15—क के खंड 94 के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए :

'और इस अनुच्छेद के खंड (3) के परंतुक के खंड (क) के अधीन जांच करने

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 14 सितम्बर, 1949 पृ. 1570

में सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के लिए संसद को भी विधि बनानी चाहिए।'"

अनुच्छेद 15—क संशोधित रूप में संविधान में जोड़ा गया।

* * * *

माननीय सभापति : मुझे खेद है कि मैं डॉ. बक्शी टेक चन्द के संशोधन को मत के लिए रखना भूल गया। वास्तव में यह आवश्यक नहीं था। डॉ. अम्बेडकर के संशोधन से यह पूरा हो जाता है।

* * * *

अनुच्छेद 209—क

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** श्रीमन, मैं पेश करता हूँ :

"कि भाग VI के अध्याय VII और IX के बीच अनुच्छेद 209 के पश्चात् निम्नलिखित रखे जाएँ :

अध्याय VIII

अधीनस्थ न्यायालय

जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति

209क. (1) किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा उनकी पदस्थापना और पदोन्नति ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके राज्य का राज्यपाल करेगा।

न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती

(2) कोई व्यक्ति जो संघ की या राज्य की सेवा में पहले से नहीं लगा हुआ है, जिला न्यायाधीश होने के लिए केवल तभी पात्र होगा जब कि वह सात से अन्यून वर्षों तक अधिवक्ता था या वकील रह चुका हो तथा उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय ने सिफारिश की हो।

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 16 सितम्बर, 1949, पृ. 1570—71

अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण **209ख.** जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग तथा ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् उसके द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी।

209—ग. जिला न्यायाधीश के पद से निचले किसी पद को धारण करने वाले राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्तियों की पद स्थापना, पदोन्नति और छुट्टी देने सहित जिला न्यायालयों तथा उनके अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण उच्च न्यायालयों में निहित होगा। किन्तु इस अनुच्छेद की किसी बात का यह अर्थ नहीं किया जाएगा कि मानों वह ऐसे किसी व्यक्ति से उस अपील के अधिकार को छीनती है जो कि उसकी सेवा की शर्तों का विनियमन करने वाली विधि के अधीन उसे प्राप्त है अथवा उच्च न्यायालय को अधिकार देती है कि वह उसकी सेवा की ऐसी विधि के अधीन विहित शर्तों के अनुसरण से अन्यथा उसे निपटे।"

सर्वचयन209—घ. (1) इस अध्याय में :

(क) 'जिला न्यायाधीश' पद के अंतर्गत नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश भी हैं।

(ख) 'न्यायिक सेवा' पद से ऐसी सेवा अभिप्रेत है, जो केवल ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनी है, जो जिला न्यायाधीश के पद तथा सिविल व्यवहार न्यायालय पदों को भरने के लिए आशायित है।'

कुछ प्रकार या प्रकारों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना **209—च.** राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंध तथा उनके अधीन बनाये गए कोई नियम ऐसी तारीख से जो कि वह उस बारे में नियत करे, राज्य के किसी वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों के संबंध में ऐसे अपवादों और उपांतरों के अधीन जो अधिसूचना में उल्लिखित हों, वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे राज्य की अधीनस्थ सेवा में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में लागू होते हैं।

श्रीमन, इन उपबंधों के दो उद्देश्य हैं। सर्वप्रथम, जिला न्यायाधीश और अधीनस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनकी अर्हताओं के बारे में उपबंध करना। दूसरा उद्देश्य है संपूर्ण सिविल न्यायपालिका को उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रखना।

अनुच्छेद 209–क, 209–ख और 209–ग के साधारण उपबंधों से जिस बात की अपेक्षा की जाती है, वह केवल मजिस्ट्रेसी के बारे में है जो अनुच्छेद 209–ड. के द्वारा लागू की जाती है। प्रारूपण समिति को बहुत प्रसन्नता होगी यदि यह संविधान लागू होते ही तुरंत वह उच्च न्यायालय द्वारा सिविल न्यायपालिका की नियुक्ति व नियंत्रण के बारे में उपबध सदन को सिफारिश करने की स्थिति में हो। लेकिन यह देखा गया है और यह समझ जाना चाहिए कि आखिरकार मजिस्ट्रेसी प्रशासन के सामान्य तरीके से संबंधित है। हम आशा करते हैं कि प्रस्ताव जो कुछ राज्यों द्वारा न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए प्रयुक्त किए जा रहे हैं, दूसरे प्रदेशों द्वारा भी स्वीकार किए जाएंगे जिससे अनुच्छेद 209–ड. के उपबंध मजिस्ट्रेटों के मामले में उसी प्रकार लागू किए जाएंगे जिस प्रकार सिविल न्यायपालिका में लागू करने का प्रस्ताव करते हैं। लेकिन न्यायपालिका अलग करने के प्रस्ताव इकट्ठे करने और उन्हें लागू करने के लिए कुछ समय अवश्य दिया जाना चाहिए। यह महसूस किया गया है कि किसी प्रांत के द्वारा न्यायपालिका को अलग करने और उन्हें लागू करने के उचित बदलाव होते हैं शीघ्रातिशीघ्र सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा राज्यपाल पर यह काम करना छोड़ देना सबसे अच्छा होगा। यह वह सब है जिसे मैं सोचता हूँ और बताना आवश्यक समझता हूँ। इसमें कुछ भी क्रांतिकारी नहीं है। 1935 का भारत शासन अधिनियम भी सिविल न्यायपालिका को नियुक्ति व नियंत्रण उच्च न्यायालय के अधीन करता था। हम मात्र उसी को मौजूदा मसौदे में बनाये रख रहे हैं।

* * * *

***श्री आर. के. सिधवा (मध्य प्रांत और बरार) :** आप मुझे कृपया दुबारा पुकार सकते थे? जब मेरा नाम पुकारा गया था मैं कार्यालय के काम से बाहर था। लेकिन एक महत्वपूर्ण संशोधन पेश करना चाहता था।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : अनुपस्थिति क्षमा की प्रार्थना नहीं हो सकती।

माननीय सभापति : मुझे डर है अब बहुत देर हो गई है।

* * * *

****माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** पिछले वक्ता के परीक्षणों के बारे में, मैं कहना चाहूँगा कि यह भाग प्रांतीय संविधान का भाग होगा और हम इस भाषा को

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 16 सितम्बर, 1949, पृ. 1575

** वही पृ. 1578–1579

भाग III में राज्यों से संबंधित उस भाग में पिरोने की कोशिश अंतिम स्तर पर विशेष प्रकार से अपना कर करेंगे।

यहाँ दो संशोधन हैं – पहला श्री चाल्हिया द्वारा और दूसरा पंडित कुंजरू द्वारा जो कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं।

श्री चाल्हिया द्वारा पेश किए गए संशोधन के बारे में मुझे कहते हुए दुःख होता है कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता जिसके दो कारण हैं : एक यह कि जैसा वह अपने संशोधन के द्वारा चाहते हैं, हम विधि द्वारा किसी प्रकार की प्रांतीयता प्रविष्ट करना नहीं चाहते। दूसरे, इसके संशोधन को स्वीकार करना प्रांत के लिए कठिनाई पैदा कर सकता है क्योंकि ऐसा वकील ढूंढना संभव नहीं हो सकता जो तकनीकी तौर पर योग्यता रखता हो लेकिन सारतः उच्च न्यायालय की नियुक्ति के योग्य न हो और मैं सोचता हूँ कि अधिकारियों के लिए ऐसी नियुक्तियों के लिए आधार पूर्णतः खुले छोड़ देना अधिक अच्छा होगा बशर्ते कि प्रार्थी योग्यताएँ रखता हो। इसलिए मैं उस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

मेरे मित्र पंडित कुंजरू का संशोधन मेरे विचार में एक बहुत छोटा मुद्दा उठाता है और वह मुद्दा यह है : क्या जिला न्यायाधीश की तैनाती और पदोन्नति राज्यपाल के पास होनी चाहिए? अर्थात् आज की सरकार अथवा 209–ग तक स्थानांतरित होना चाहिए उच्च न्यायालय तक? अब उपबंध जैसा भारत शासन अधिनियम, 1935 में यह था कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती और पदोन्नति पूरी तरह राज्यपाल के हाथ में थी। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती और पदोन्नति के बारे में उच्च न्यायालय को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। मेरे मित्र श्री कुंजरू देखेंगे कि हमने भारत शासन अधिनियम के उपबंध को उचित रूप से उधार लिया है, क्योंकि हमने एक शर्त जोड़ दी है जैसे कि जिला न्यायाधीश तैनाती, नियुक्ति और पदोन्नति के मामले में उच्च न्यायालय से सलाह ली जाएगी। इसलिए अंतर यह है कि क्या उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केवल वह होगा जो हम तैनाती, पदोन्नति और छुट्टी इत्यादि के मामले में देने का प्रस्ताव करते हैं। जिला न्यायाधीश को छोड़ कर अधीनस्थ न्यायिक सेवा अथवा सभी अधीनस्थ न्यायाधीशों सहित जिला न्यायाधीशों के इन सभी मामलों में उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र रखेगा। मुझे यह दिखाई देता है कि हमने जो राजीनामा किया है वह गौरवयुक्त है। आखिरकार अंतर केवल यह होगा कि अधीनस्थ न्यायाधीशों की तैनाती, पदोन्नति तथा छुट्टियों की स्वीकृति के बारे में विज्ञप्ति उच्च न्यायालय से जारी होगी, जबकि जिला न्यायाधीशों के मामले में ऐसी विज्ञप्ति सचिवालय से जारी होगी। मौलिक व सारवान बिल्कुल भी अंतर नहीं है जिला न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय का संरक्षण प्राप्त होगा क्योंकि यह

शर्त आवश्यक बना दी गई है और मेरे विचार से वह समय की आवश्यकता की पूर्ति करेगी।

* * * *

अनुच्छेद 215

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर** : श्रीमन, मुझे कुछ भी नही कहना है।

सरदार हुक्म सिंह : श्रीमन, पेश करने के लिए मेरे पास कोई संशोधन नहीं है। इस अनुच्छेद के खंड (2) का एक एतराज मेरे पास है जिसकी ओर मैं प्रारूपण समिति के अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पदावली मुझे संसद की प्रभुसत्ता का अपमान करने वाली प्रतीत होती है और मैं उनसे, यदि संभव हो, शब्द बदलने के लिए निवेदन करूँगा।

......मैं इसे प्रारूपण समिति के अध्यक्ष की जानकारी में लाना चाहता हूँ।

माननीय सभापति : पैरा 2 के संबंध में सरदार हुक्म सिंह ने कुछ सुझाव दिए हैं वह कहते हैं कि यह कहना कि संसद द्वारा बनायी किसी विधि को राष्ट्रपति निरस्त अथवा संशोधित कर सकता है, संसद का अपमान करना है और शब्दों को इस प्रकार उपांतरित किया जाए जिससे यह पता चले कि संसद की शक्ति किसी प्रकार अधीनस्थ नहीं हुई है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : वह ऐसा है। यह एक प्रकार का अनुकलन है। असम के स्वशासी जिलों के लिए असम के राज्यपाल को ऐसी ही शक्तियाँ संसद द्वारा बनाई गई विधि को, जहाँ वह उचित समझता है, सुधारने के लिए प्राप्त है। संसद द्वारा बनायी गई सभी विधियाँ अनकूलित किए बिना कुछ खास विशेष प्रकार के क्षेत्र पर लागू नहीं की जा सकती।

सरदार हुकम सिंह : महोदय, क्या यह उत्तर पर्याप्त है? मेरा सुझाव यह था कि यह कहना कि संसद द्वारा पारित अधिनियम का राष्ट्रपति निरसन कर देंगे यह संसद की प्रयुसत्ता का अनादर होगा।

माननीय सभापति : सुझाव एक शब्द के बारे में है न कि शक्ति के बारे में?

---

* सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 16 सितम्बर, 1949, पृ. 1582

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : राष्ट्रपति संसद का एक भाग है। कोई कठिनाई नहीं है।

माननीय सभापति : मैं अब श्री बष्जेश्वर प्रसाद के संशोधन को मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा।

ख्संशोधन अस्वीकार किया गया।

अनुच्छेद 215 संविधान में जोड़ा गया।,

अनुच्छेद 303

***माननीय सभापति :** अनुच्छेद 303 अब हम अनुच्छेद 303 की परिभाषा ले सकते हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि :

"अनुच्छेद 303 के खंड (1) का उपखंड (ग) लुप्त कर दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

* * * *

****माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** (ख) के बारे में मैं एक मुद्दा बताना पसंद करूंगा। हम संविधान से दो भाग छोड़ने का प्रस्ताव कर रहे हैं जिनको हमने आरंभ में प्रस्तावित किया था जिनमें कुछ जातियाँ अनुसूचित जातियाँ और कुछ अनुसूचित जनजातियाँ गिनाई गई हैं। हमने सोचा कि वह संविधान में बहुत रुकावट डाल रही थीं और इसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किए जाने के लिए छोड़ा जा सकता है। यही हमारा इस समय प्रस्ताव है। मुझे यह प्रतीत होता है कि इस स्थिति में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा को संविधान के किसी अन्य भाग में स्थानांतरित करना और एक स्पष्ट अनुच्छेद उनके लिए बनाना आवश्यक होगा जिसमें कहा जाएगा कि राष्ट्रपति परिभाषा करेंगे कि कौन अनुसूचित जातियाँ और कौन अनुसूचित जनजातियाँ हैं। अब मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुच्छेद 296 और 299 के बारे में प्रश्न उठाया गया है जिसे रोक लिया गया था। हो सकता है 'एंग्लो इंडियन' और 'भारतीय ईसाइयों' की परिभाषा जिसका उल्लेख (ख) व (ग) में है

* सीएडी खण्ड IX, दिनांक 16 सितम्बर, 1949 पृ. 1583

** वही पृ. 1583—1584

उस प्रस्ताव के साथ दुबारा विचार किया जाए। मैं आपसे उन्हें इस समय रोकने के लिए अनुरोध करता हूँ।

श्री वी. आई. मुनीस्वामी पिल्लई (मद्रास : सामान्य) : अनुसूचित जातियों से संबंधित संपूर्ण मामले को रोक लिया जाए।

माननीय सभापति : मैं मानता हूँ कि सदन धारा (ख) व (ग) को रोकने के लिए सहमत है।

(उपखंड (ख) और (ग) रोके गए।)

माननीय सभापति : धारा (घ) का कोई संशोधन यहाँ नहीं है।

प्रश्न है :

"कि उपखंड (घ) को स्वीकार कर लिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है :

"कि अनुच्छेद 303 के खंड (1) की उपखंड (ड.) को लुप्त कर दें।

माननीय सभापति : अब कोई मुख्य न्यायाधीश नहीं है।

अधीनस्थ उच्च न्यायालय हैं जिन्हें मुख्य न्यायालय कहा जाता था और उनमें मुख्य न्यायाधीश होते थे।

संशोधन स्वीकार हुआ।

* * * *

अनुच्छेद 303 में से खंड (1) का उपखंड (ड.) लुप्त किया गया था।

(संशोधन संख्या 3219 पेश नहीं हुआ।)

माननीय सभापति : इसके बाद (च) इसका कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न है :

"कि खंड (1) का उपखंड (च) अनुच्छेद 303 का भाग है।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरा प्रस्ताव है :

"कि अनुच्छेद 303 के खंड (1) के उपखंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाए :

'(छ) 'तत्स्थानी प्रदेश' तत्स्थानी देशी रियासत अथवा तत्स्थानी राज्य से शंका की दशा में अभिप्रेत है ऐसे प्रांत, देशी रियासत अथवा राज्य जो राष्ट्रपति द्वारा 'तत्स्थानीय प्रदेश, तत्स्थानीय देशी रियासत अथवा तत्स्थानी राज्य के बारे में प्रश्न के विशेष उद्देश्य के लिए जैसी भी स्थिति हो, निश्चित हो।'"

हमने केवल देशी रियासतों को सम्मिलित किया है।

श्री एच. वी. कामथ : हम अब भी राज्य और देशी रियासतों का अंतर बनाए रखे जा रहे हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इसमें अंतर। अब एक राज्य का अर्थ है संघ का संघटक भाग। देशी रियासत का अर्थ है ऐसा राज्य जो संघ के बाहर है लेकिन जो संघ की सर्वोपरिता अथवा नियंत्रण के अधीन है।

श्री आर.के. सिधवा : क्या कच्छ राज्य जो इस समय केंद्र द्वारा प्रशासित है देशी रियासत है? क्या भोपाल भी?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : देशी रियासत को बहुत बाद में परिभाषित किया गया है।

माननीय सभापति : देशी रियासत की परिभाषा बाद में संशोधन संख्या 140 में दी गई है।

श्री टी.टी. कृष्णमाचारी : सदस्यों के दिमाग में कुछ गलतफहमी दिखाई देती है। 'तत्स्थानी प्रदेश' 'तत्स्थानी देशी रियासत' शब्द वे शब्द हैं जो संविधान के प्रारंभ से पहले थे। 'तत्स्थानी प्रदेश' संविधान के प्रारंभ होने के पश्चात् अस्तित्व में आया है। दोनों के बीच केवल यही अंतर है। मुझे आशा है कि इस मामले में अब कोई गलत–फहमी नहीं होगी।

(डॉ. अम्बेडकर का संशोधन स्वीकार हुआ।)

[खंड (1) का खंड (छ) संशोधित रूप में अनुच्छेद 303 में जोड़ा गया।]

माननीय सभापति : उसके बाद (ज)। इसका एक संशोधन है:

[अनुच्छेद 303 के (1) में उपखंड (ज) जोड़ा गया।]

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है :

"कि अनुच्छेद 303 के (1) के उपखंड (झ) में लेकिन यूनाइटेड किंगडम की संसद की किसी विधि को सम्मिलित नहीं करता अथवा सभा में किसी ऐसे अधिनियम के अधीन सम्राट को सपरिषद कोई आदेश इसमें शामिल नहीं है' शब्द लुप्त कर दिए जाएँ।''

ऐसे अधिनियम जैसे 'मर्चेंट शिपिंग एक्ट रखे जाने चाहिए जब तक संसद अन्यथा व्यवस्था नहीं करती।

श्री एच.वी. कामथ : इस (झ) के बारे में प्रत्यक्षतः एक कमी है। यह विधियों और उपविधियों की बात करता है। लेकिन केवल 'नियम' की बात की जाती है 'उपनियम' की नहीं?

आदरणीय श्री के. सन्थानम : इसके लिए मेरे पास एक संशोधन है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : क्या कानून लागू हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। सर्वप्रथम विलोप से अपने आप व्यवस्था हो सकती है कि कतिपय विधियां प्रवृत्त नहीं होगी। हो सकता है कि बम्बई सरकार उस राज्यक्षेत्र के विलय के पश्चात् उस विशेष क्षेत्र के लिए जो बड़ौदा के नाम से जाना जाता है कानून को प्रतिधारित करे अथवा उसके अपने कानून द्वारा उसे न्यून करे। इसलिए किसी मौजूद विधि का अर्थ है ऐसी विधि जो संविधान के प्रारंभ के तारीख को प्रवृत्त है।

आदरणीय श्री के. सन्थानम : मैं अपने संशोधन पर दबाव नहीं डालता।

[डॉ. अम्बेडकर का उपरोक्त संशोधन स्वीकार हुआ। खंड (1) का उपखंड (1) संशोधित रूप में अनुच्छेद 303 में जोड़ा गया।]

माननीय सभापति : इसके बाद (ञ) इसके लिए कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न है :

"कि खंड (1) का उपखंड (ञ) अनुच्छेद 303 का भाग है।"

(प्रस्ताव स्वीकार हुआ।)

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है :

"कि अनुच्छेद 303 के खंड (1) के उपखंड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड रखें :

(ii) 'विदेशी राज्य' का अर्थ है भारत से भिन्न कोई राज्य किंतु राष्ट्रपति द्व ारा इस निमित्त अधिसूचित राज्य सम्मिलित नहीं है।

आदरणीय श्री के. सन्थानम : क्या डॉ. अम्बेडकर कृपया बताएंगे कि उपखंड (ञञ) के बाद वाले भाग का क्या अर्थ है। क्या वह इसका एक दष्टांत भी देंगे?

* * * *

---

*· सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 16 सितम्बर, 1949, पृ. 1586

'माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, स्थिति यह है : यदि कोई 'भारत' शब्द से बंद हो जाता था तो इसका अर्थ वही है जो साधारणतया 'विदेशी राज्य' का है। प्रत्येक राज्य दूसरे राज्य के लिए विदेशी राज्य है। परिभाषा के प्रथम भाग से यह बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए परिभाषा के उस भाग से कोई झगड़ा नहीं हो सकता। वास्तव में वह परिभाषा अनावश्यक भी नहीं हो सकती, लेकिन इस तथ्य की दृष्टि से कि हमने संविधान के कुछ भाग में शब्द 'विदेशी राज्य' शब्द का प्रयोग किया है और इस तथ्य की दृष्टि से कि यह कुछ उद्देश्यों की घोषणा करने के लिए आवश्यक भी हो सकता है कि विदेशी राज्य शब्द शब्दावली के अर्थ में शब्दों के विदेशी राज्य है। कुछ प्रयोजनों के लिए विदेशी राज्य नहीं है। इस परिभाषा को रखना आवश्यक है और उसकी घोषणा की राष्ट्रपति को शक्ति देना आवश्यक है कुछ उन प्रयोजनों के लिए इस प्रकार का राज्य विदेशी राज्य नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि मलाया का मामला पूरी तरह मुद्दा है। इसलिए इसका वस्तुतः अर्थ है कि कुछ प्रयोजनों के लिए राष्ट्रपति उसे घोषित करे यद्यपि राज्य उस दृष्टि से विदेशी राज्य है कि यह भारत के बाहर है कुछ प्रयोजनों के लिए विदेशी राज्य नहीं माना जाएगा। इसी प्रयोजन के लिए इस परिभाषा को समाविष्ट करने की माँग की गई है।

आदरणीय श्री के. सन्थानम : यह उपखंड कुछ प्रयोजनों के लिए अधिसूचना जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं देता। यह एक परिभाषा देता है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जब राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करेगा तो निःसंदेह वह सम्भवतः इसे याद रखेगा।

"डॉ. अम्बेडकर का संशोधन जैसा ऊपर दिखाया गया है स्वीकार किया गया।"

* * * *

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

DR. AMBEDKAR FOUNDATION

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

☎ 23320571
23320589
23320576
FAX : 23320582

निदेशक
DIRECTOR

15, जनपथ,
15, JANPATH
नई दिल्ली - 110001
NEW DELHI-110001

दिनांक – 31.10.2019

रियायत नीति (Discount Policy)

सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पहले के नियमों के अनुसार CWBA वॉल्यूम के संबंध में रियायत नीति (Discount Policy) जारी रखें। तदनुसार, CWBA इंग्लिश वॉल्यूम (डिलक्स संस्करण–हार्ड बाउंड) के एक पूर्ण सेट की कीमत और CWBA हिंदी वॉल्यूम (लोकप्रिय संस्करण–पेपर बाउंड) के एक पूरे सेट की कीमत निम्नानुसार होगी :

क्र.सं.	सीडब्ल्यूबीए सेट	रियायती मूल्य प्रति सेट
	अंग्रेजी सेट (डिलक्स संस्करण) (वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 17)– 20 पुस्तकें।	रू 2,250/–
	हिंदी सेट (लोकप्रिय संस्करण) (खंड 1 से खंड 40 तक)– 40 पुस्तकें।	रू 1073/–

2. एक से अधिक सेट के खरीदारों को सेट की मूल लागत (Original Rates) यानी रू 3,000/–(अंग्रेजी के लिए) और रू 1,430/–(हिंदी के लिए) पर छूट मिलेगी जो कि निम्नानुसार है।

क्र.सं.	विशेष	मूल लागत पर छूट का प्रतिशत
	रू 1000/– रुपये तक की पुस्तकों की खरीद पर	10%
	रू 1001–10,000/– रुपये तक की पुस्तकों की खरीद पर	25%
	रू 10,001–50,000/– रुपये तक की पुस्तकों की खरीद पर	33.3%
	रू 50,001–2,00,000/– रुपये तक की पुस्तकों की खरीद पर	40%
	रू 2,00,000/– से ऊपर की पुस्तकों की खरीद पर	45%

3. इच्छुक खरीदार प्रतिष्ठान की वेबसाइट : www.ambedkarfoundation.nic.in पर विवरण के लिए जा सकते हैं। संबंधित CWBA अधिकारी / पीआरओ को स्पष्टीकरण के लिए दूरभाष नंबर 011–23320588, पर कार्य दिवसों में पूर्वाह्न 11:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

(देबेन्द्र प्रसाद माझी)
निदेशक, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय (भाग-II)

खंड 22	बुद्ध और उनका धम्म
खंड 23	प्राचीन भारतीय वाणिज्य, अस्पृश्य तथा 'पेक्स ब्रिटानिका', ब्रिटिश संविधान भाषण
खंड 24	सामान्य विधि औपनिवेशिक पद, विनिर्दिष्ट अनुतोशविधि, न्यास–विधि टिप्पणियां
खंड 25	ब्रिटिश भारत का संविधान, संसदीय प्रक्रिया पर टिप्पणियां, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना–विविध टिप्पणियां
खंड 26	प्रारूप संविधान : भारत के राजपत्र में प्रकाशित : 26 फरवरी 1948
खंड 27	प्रारूप संविधान : खंड प्रति खंड चर्चा (9.12.1946 से 31.7.1947)
खंड 28	प्रारूप संविधान : भाग II (खंड–5) (16.5.1949 से 16.6.1949)
खंड 29	प्रारूप संविधान : भाग II (खंड–6) (30.7.1949 से 16.9.1949)
खंड 30	प्रारूप संविधान : भाग II (खंड–7) (17.9.1949 से 16.11.1949)
खंड 31	डॉ. भीमराव अम्बेडकर और हिंदू संहिता विधेयक (भाग– I)
खंड 32	डॉ. भीमराव अम्बेडकर और हिंदू संहिता विधेयक (भाग– II)
खंड 33	डॉ. भीमराव अम्बेडकर : लेख और वक्तव्य (20 नवंबर 1947 से 19 मई 1951)
खंड 34	डॉ. भीमराव अम्बेडकर : लेख और वक्तव्य (7 अगस्त 1951 से 28 सितंबर 1951)
खंड 35	डॉ. भीमराव अम्बेडकर और उनकी समतावादी क्रांति : मानवाधिकारों के परिप्रेक्ष्य में
खंड 36	डॉ. भीमराव अम्बेडकर और उनकी समतावादी क्रांति : सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में
खंड 37	डॉ. भीमराव अम्बेडकर और उनकी समतावादी क्रांति : भाषण
खंड 38	डॉ. भीमराव अम्बेडकर : लेख तथा वक्तव्य, भाग–1 (वर्ष 1920 – 1936)
खंड 39	डॉ. भीमराव अम्बेडकर : लेख तथा वक्तव्य, भाग–2 (वर्ष 1937 – 1945)
खंड 40	डॉ. भीमराव अम्बेडकर : लेख तथा वक्तव्य, भाग–3 (वर्ष 1946 – 1956)

ISBN (सेट) : 978-93-5109-129-5

रियायत नीति के अनुसार
सामान्य (पेपरबैक) खंड 01-40
के 1 सेट का मूल्य : ₹ 1073/-

ISBN 978-93-5109-137-0

9 789351 091370

प्रकाशक :

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार
15, जनपथ, नई दिल्ली – 110 001
फोन : 011–23320571
जनसंपर्क अधिकारी फोन : 011–23320588
वेबसाइट : http://drambedkarwritings.gov.in
ईमेल : cwbadaf17@gmail.com